राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6 सप्तम विधान सभा के षष्ठम सत्र का उन्तीसवां दिवस [संख्या 21

वृहस्पतिवार

दिनांक 17 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू.11.00बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

विकलांगों को प्रदत्त सुविधाएं

568. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में सरकार की ओर से विकलांगों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ?

(2) राजकीय नौकरियों में विकलांगों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? क्या यह आरक्षण राजकीय उपक्रमों पर भी लागू है ?

(3) क्या राजस्थान प्रशासनिक सेवा तथा राजकीय उपक्रमों में विकलांगों के लिए आरक्षित कोटा पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य में विकलांगों को उनके मूल निवास स्थान के पास स्थानांतरित करने में प्राथमिकता दी जाती है ?

उप मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) राज्य की ओर से विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट (1)।

(2) राजकीय नौकरियों के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण है। यह आरक्षण राजकीय उपक्रमों पर भी लागू किया जा रहा है।

(3) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में विकलांगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। राज्य सरकार के इन पदों की कार्य सम्पन्न क्षमता को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

(4) निवास स्थान के पास स्थानान्तरण करने में विकलांगों को प्राथमिकता अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को दी गई सुविधा के अन्तर्गत ही है। अलग से कोई सुविधा नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मंत्री महोदय ने जो सदन के पटल पर विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण रखा है इसके अलावा सुविधायें देने संबंधी विकलांगों की ओर से या उनके हितैषियों की ओर से क्या क्या सुझाव आए हैं और उन पर आप क्या विचार कर रहे हैं ?

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

दूसरे, आपने राजकीय उपक्रमों में भी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। उसके संबंध में कब तक आप आखिरी फैसला ले लेंगे ?

तीसरे, आपने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में विकलांग सक्षम नहीं होते। तो आर०ए०एस० और आई०ए०एस० अधिकारियों को किस प्रकार का काम करना पड़ता हैं ? विकलांग बाबूगिरी कर सकते हैं, अन्य तरह का काम कर सकते हैं, चपरासी का काम कर रहे हैं तो आर०ए०एस० होकर तो कुर्सी पर बैठ कर ही काम करना होता है तो फिर आप इनको यह सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सदस्य ने जो प्रथम प्रश्न पूछा है, राज्य सरकार के पास जो भी सुझाव आते हैं, नियमानुसार उन पर पूरी कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा अगर विकलांगों के हित में कोई विशेष सुझाव टैक्निकल ग्राउन्ड पर सही देंगे तो उस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : आपकी जगह विकलांग हो तो कैसा रहे ?

श्री छोगाराम बकोलिया : आपने जो राजकीय उपक्रमों में आरक्षण संबंधी प्रश्न पूछा है उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। विभिन्न उपक्रम सुविधानुसार आरक्षण के आदेश लागू करने की कार्यवाही कर रहे हैं गंगानगर शुगर मिल्स इसको टेक अप कर रही है और स्टेट टेनेरीज अपनी तरफ से लागू कर चुकी है और ये सुविधायें प्रदान कर रही हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने एक प्रश्न और किया था, उसमें लिखा था कि आर.पी.एस.सी. से जो चयन होता है उसके अन्दर जो आर.ए.एस के व्यक्ति चयनित होकर आते हैं उनको ऐसा क्या काम करना पड़ता है जो विकलांग नहीं कर पाते ?

श्री अध्यक्ष : एक आर०ए.एस. मजिस्ट्रेट लाठी चार्ज का हुक्म दे तो यह भी देखना पड़ता है। पी० ए० सी० के साथ भागना पड़ता है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सदस्य ने प्रश्न आत्मीयता को लेकर किया है। राज्य सरकार द्वारा वर्क-एक्सपिडाईटिंग पावर को मद्देनजर रखते हुए आर.ए.एस. व आर.पी.एस. में आरक्षण लागू करना सम्भव नहीं है। केंद्रीय सरकार ने भी इसी आधार पर उनको कोई सुविधा अभी तक देने पर कोई विचार नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय स्वयं ने आपको बताया है, आप भी सहमत होंगे। इसके अलावा यदि आप चाहेंगे कि विधायकों को इस तरह की सुविधा हो ...

श्री अध्यक्ष : विधायकों के लिए डिसक्वालिफिकेशन नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मात्र दो सवाल और पूछना चाहूंगा।

पिछले एक दो वर्षों में जो आर. ए. एस. व आर. पी. एस. की परीक्षायें हुई हैं, उनमें विकलांगों ने भी आवेदन पत्र भेजे थे, उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और उनका मैरिट सूची में भी नाम था लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गई। दूसरे, आपने भाग (4) के उत्तर में बताया कि

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

स्थानान्तरण करने में जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को सुविधायें दी जाती हैं वही विकलांगों को दी जाती हैं। तो पिछले 3-4 महीने में आपके विभिन्न विभागों को उन लोगों के कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिन्होंने अपने घर के नजदीक स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया ?

श्री छोगाराम बकोलिया : ये दोनों अलग से प्रश्न हैं। जहां तक नीति का सवाल है मैंने जवाब दे दिया है। जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए नियम लागू हैं उसके अनुसार विकलांगों को सुविधायें हम देते हैं। अलग से कोई नियम नहीं हैं। संबंधित विभाग में अलग-अलग जहां जिस तरीके की एप्लीकेशन्स होती हैं उन पर नियमानुसार विचार करते हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : टैक्निकल ग्राउंड्स क्या हैं, उन पर आप विचार कर सकते हैं ? जब आपकी आर.पीएस.सी. के द्वारा वैकेन्सीज निकाली जाती हैं, फार्म भरवाए जाते हैं, परीक्षाएं दिलवाई जाती हैं उसके बाद मेरिट सूची में चयन किया जाता है, साक्षात्कार के लिए जब बुलाया जाता है तो चयन करने वालों को पता चल जाता है कि यह विकलांग है। उसके बाद साक्षात्कार में उसका चयन किया जाता है, मेरिट में उसका नाम होता है फिर भी नियुक्ति नहीं दी जाती है। आखिर यह अन्याय विकलांगों के साथ क्यों किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : लिखित और साक्षात्कार में और बातें देखी जाती हैं, मेडिकल टैस्ट और है। सभी परीक्षाओं की एक प्रणाली होती है उसके अनुसार ही परीक्षा ली जाती है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : प्रशासनिक सेवाओं में भी कुछ पद ऐसे हैं जिन पर यदि विकलांगों की नियुक्ति की जाए तो कुछ सीमा तक समस्या का निदान हो सकेगा।

श्री छोगाराम बकोलिया : अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, यह सही है लेकिन प्रशासनिक सेवाओं के अन्दर फिलहाल जो नियम लागू हैं उनके अन्दर कतई प्रावधान नहीं है कि विकलांगों को इस प्रकार की कोई सुविधा दी जा सके।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): मेरी जानकारी के अनुसार कई विभाग ऐसे हैं जहां पर स्टेनो व टाइपिस्ट के पद विकलांग लड़के-लड़कियों की विभिन्न विभागों में 20-20 अर्जियां 50-50 अर्जियां पेंडिंग पड़ी हैं जैसे मेडिकल विभाग में एक वर्ष से विकलांगों की लम्बी चौड़ी सूची पड़ी हुई है स्टेनो व टाइपिस्ट के लिए लेकिन उनको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया जबकि वे मेरिट पर आते हैं, उनका अच्छा डिवीजन है, उन्होंने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है। चिकित्सा विभाग में ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है। अभी इस तरह की बात नहीं है। बाद में जब भी चयन होगा तब इसका क्या-प्रतिशत रहेगा उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न अन्तिम।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया है, माननीय सदस्य। कृपया सहयोग दें। आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : मैं इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अन्तिम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल और श्री रामकिशोर मीणा।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि सूरजप्रकाश को आर०ए०एस० के पद पर नियुक्ति दे रखी है उसने हाई कोर्ट में रिट की थी जब लोग चयनित हों और कोई कोर्ट में रिट कर दे तो आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल और श्री रामकिशोर मीणा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

कृपया नियमों का ध्यान रखें। नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य। श्री कैलाश मेघवाल और श्री रामकिशोर मीणा।

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन-भत्ते

569. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों में न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं अन्य साधन सुविधायें क्या-क्या हैं ? कृपया वेतनमान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह वेतन भत्ते एवं सुविधायें आदि राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं की तुलना में बहुत कम एवं कम आकर्षक हैं ?

(3) बैरी वेतन आयोग ने न्यायपालिका के संबंध में किन-किन वेतनमानों, भत्तों, सुविधाओं आदि की सिफारिश की थी और उसे राज्य सरकार ने क्या अस्वीकार किया ?

(4) क्या नगरपालिका से स्वतन्त्र, स्वस्थ, निष्पक्ष एवं शीघ्र न्याय की अपेक्षा के अनुरूप वेतन भत्ते आदि देने का सरकार विचार रखती है ?

विधि मंत्री, (श्री अहमद बक्श सिन्धी): (1) विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) बैरी वेतन आयोग ने न्यायपालिका के संबंध में जिन वेतन मानों की सिफारिश की थी उन्हें परिशिष्ट 'ख' में अंकित किया गया है। राज्य सरकार ने अन्य समकक्ष सेवाओं के वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए नये वेतनमान निर्धारित किये हैं।

(4) राज्य सरकार ने उन सब बातों को ध्यान में रख कर ही नये वेतनमान निर्धारित किये हैं। अतः वेतनमान अन्य कई राज्यों की तुलना में अच्छे हैं। स्वतन्त्र, स्वस्थ एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिये वांछित सुविधा का हमेशा ध्यान रखा जाता रहा है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जस्टिस बैरी, जो कि मुख्य न्यायाधीश राज-

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्थान के पद से सेवा निवृत्त किये गये थे, वेतन आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया था, उसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतनमान सुझाये थे उनसे राज्य सरकार ने जो वेतनमान अब सुझाये हैं वह 50-100 रुपये कम हैं। तो इसके लिये राज्य सरकार ने क्या आधार बनाया है ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम): उसमें 75 रुपये का डिफरेन्स है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिये जो वेतनमान बैरी वेतन आयोग ने सुझाये थे वह माननीय सदस्य की जानकारी के लिये पढ़ कर सुना देता हूं उसके बाद में आप बतायें कि कैसे जुडिशियल ऑफिसर्स के ग्रेड कम किये गये हैं। यह तो इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। हमारे यहां जो नये वेतनमान सुझाये गये हैं वह दूसरी जगहों की तुलना में अच्छ हैं। आपको देखने से सारा मामला साफ हो जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : सूची दे दी आपने ?

श्री कैलाश मेघवाल : सूची तो है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जब सूची आपके पास है तो फिर पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो बैरी साहब के द्वारा वेतनमान सुझाये गये थे वह अच्छे थे इसलिये कि जुडिशियल ऑफिसर्स के ग्रेड अच्छे होंगे तो लोगों को स्वस्थ, निष्पक्ष एवं शीघ्र न्याय मिलेगा। अच्छे ग्रेड होने से अच्छे लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा, अच्छे एजूकेटेड लोग आकर्षित होंगे। जस्टिस बैरी साहब ने जो वेतनमान सुझाये थे वह 6 वेतनमान थे। वह चीफ जस्टिस के पद से सेवा निवृत्त हुए थे। अब जो वेतमान सुझाये गये हैं वह न्यायिक सेवा के सैशन,जज कैडर के आदमी के द्वारा सुझाये गये हैं। यह कौनसा आधार है ? यह मैंने पूछा है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : राज्य सरकार ने बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया पर उसको सहमति नहीं दी थी। दूसरे राज्यों के वेतनमानों को ध्यान में रखा। जो कि नये वेतनमान हैं वह दूसरे राज्यों की तुलना में अच्छे करने का प्रयत्न किया है जिससे कि अच्छे आदमी इस ओर आकर्षित हो सकें। यह वेतनमान इसलिये बढ़िया किये हैं कि जिससे बढ़िया आदमी आकर्षित हो सकें।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या यह सही है कि राज्य सेवा में जो न्यायिक सेवा है वह स्वतन्त्र और शुद्ध रूप से काम कर सके उस दृष्टि से राज्य सरकार उनको कुछ और सुविधायें देने का विचार रखती है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जहां तक, अध्यक्ष महोदय, सुविधाओं का सवाल है मैंने पहले ही शिड्यूल 'क' और 'ख' जिसके अन्दर वह दर्ज है, सदन के पटल पर रख दिये हैं। उनको माननीय सदस्य ने पढ़कर देख लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ कर मैं सुना देता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को कह दे कि पान खाकर नहीं बोलें। वैसे ही उनकी आवाज भारी है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैंने पान नहीं खाया है।

श्री अध्यक्ष : आवाज ही भारी है। पान खाये बिना ही भारी है।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी :

धौरी मन्ना को उपखंड बनाना

570. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा मालानी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार बाड़मेर उपखण्ड की चार तहसीलों के क्षेत्रफल को देखते हुए प्रशासनिक दृष्टि से बाड़मेर उपखण्ड के दो उपखण्ड बाड़मेर एवं धौरी मन्ना स्थापित करना आवश्यक समझती है? यदि हां, तो दूसरा उपखण्ड धौरी मन्ना कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर सब डिवीजन हैडक्वार्टर पर उपखण्ड अधिकारी एस०डी०ओ० के अलावा दो सहायक समाहर्ता उपखण्ड अधिकारी एं०सी०एम० के मुख्यालय हैं? यदि हां, तो क्या सरकार एक ए०सी०एम० के मुख्यालय को धौरी मन्ना में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। जब भी राज्य सरकार उपखण्डों के पुनर्गठन के लिये विचार करेगी तब इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

(2) यह सही है कि बाड़मेर सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर उपखण्ड अधिकारी के अलावा दो सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक के मुख्यालय हैं। जहां तक ए०सी०एम० के मुख्यालय को धौरी मन्ना में स्थापित करने का प्रश्न है अभी ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या बाड़मेर एस०डी०एम० के नीचे दो तहसीलें और बालोतरा एस०डी० ओ० के नीचे दो तहसीलें, इस तरह से चार तहसीलें हैं लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से गुढ़ा मालानी तहसील और चौहटन तहसील का विशाल क्षेत्रफल देखते हुए जब दो एस०डी०एम० के कोर्ट और दो ही एस०डी०ओ० बाड़मेर जिले में हैं तो एक का हैडक्वार्टर धौरी मन्ना कर दिया जाय तो किसानों को और गरीब लोगों को आर्थिक फायदा होगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, आपने जो उपखण्ड की बात पूछी उसका तो मैंने जवाब दिया कि अभी उपखण्डों के पुनर्गठन करने का सवाल राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि ए०सी०एम० का कोर्ट धौरी मन्ना कर दिया जाय। तो इसमें यह देखना पड़ेगा कि वहां पर केसेज का लोड फैक्टर कितना है। इसकी राज्य सरकार पहले जानकारी प्राप्त करेगी। जानकारी आने पर इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सवाल जानकारी का नहीं है। धौरी मन्ना, गुढ़ामालानी और चौहटन दोनों तहसील के क्षेत्र के पास रहेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : लोड फैक्टर देखना पड़ेगा कि कितने केसेज हैं। क्षेत्रफल से नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप ए०सी०एम० के लिये विचार करें। सीढ़ी-सीढ़ी चढ़िये, माननीय सदस्य।

प्रश्न संख्या 571

नैकस्ट। श्री जनार्दनसिंह गहलोत। (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मेघराज तावड़। श्री उम्मेदसिंह।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में टायरों की चोरी

572. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में गत अप्रेल माह में 10 नये टायरों की थोक भण्डार से चोरी चली गई जिनकी कीमत 30,000 रुपये थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चोरी निगम के सिक्योरीटी विभाग के सख्त पहरे के बावजूद हुई?

(3) क्या यह सही है कि हजारों रुपयों के सामान की चोरी से संबंधित शिकायतों पर निगम अधिकारियों द्वारा कोई छानबीन नहीं की गई? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या यह सही है करीब 30 लाख रुपये के मोटर पार्ट्स की अनावश्यक खरीददारी की गई जो कि निगम के स्टोर में बिना उपयोग के पड़े हुए हैं? यदि हां, तो उक्त खरीददारी में कितने अधिकारियों के खिलाफ में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

यातायात मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। ऐसे मामलों में छानबीन और जांच की जाती है और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(4) जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री मेघराज तावड़: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 'जी नहीं; 'और प्रश्न ही नहीं उठता' जवाब दे दिये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अब निगम को कितना घाटा है?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री मेघराज तावड़: अध्यक्ष महोदय, 10 नये टायरों की चोरी अप्रेल माह में हुई है और यह कह रहे हैं 'जी नहीं'। इसका प्रमाण है कि उसकी जांच हो रही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में गत अप्रेल में 10 नये टायरों की चोरी हुई? मैंने जवाब दिया 'जी नहीं'। अगर यह कहते कि कुछ दिन पूर्व टायरों की चोरी हुई है तो मैं कहता 'हां पर इन्होंने तो 'गत अप्रेल' कहा। तो जो यह प्रश्न पूछेंगे उसी का तो मैं जवाब दूंगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि टायरों की मार्च महीने में चोरी हुई थी और उनकी कीमत 23 हजार रुपये थी। उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई। यह मैंने आपको सूचना दे दी। प्रश्न करते समय और पूरी जानकारी नहीं हो तो उसी तरह से पूछिये जिससे मैं जवाब दे दूं आपको।

(8)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा प्रश्न है, क्या आपने तीस लाख रुपये के पार्ट्स की खरीददारी की है ? और की है तो उसके कब-कब टेन्डर लिए गए ? दूसरे, टेन्डर कब-कब काल किये गये और किस-किस कम्पनी से ? अध्यक्ष महोदय, गोदामोंमें पहले से ही इतने पार्ट्स पड़े हुए हैं, कि काम में नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात यह है क्या यह भी सही है कि आपके पास गाड़ियां नहीं हैं फिर भी पार्ट्स बराबर खरीदे जा रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको बताया कि जहां करोड़ों रुपये की खरीद हुई है वहां पांच, सात लाख रुपयों का माल भण्डार में हो तो ज्यादा नहीं है। जैसा आपने कहा कि बहुत कुछ खरीददारी ऐसे पार्ट्स की की जा रही है कि उस माडल की बसेस या उन माडल की गाड़ियां ही नहीं हैं या उस मेक की कोई गाड़ियां ही नहीं है। यह बिल्कुल निराधार और गलत बात है। ऐसे कुछ पार्ट्स जरूर आ गये थे जो कि ठीक प्रकार के नहीं थे। उनको रिप्लेस करने के लिए जो भी कम्पनी सप्लाई करती हैं उनसे कोरसपोन्डेन्स चल रही है। बहुत से पार्ट्स रिप्लेस कर दिये हैं। कुछ बाकी बचे हैं उनको भी रिप्लेस करने की गारन्टी है। उनको भी वह रिप्लेस करेंगे।

श्री मेघराज तावड़ : आपके पास माल पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि गाड़ियां हैं तो कितनी गाड़ियों के पार्ट्स नये खरीदे गये ? जब पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं और उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी पार्ट्स खरीदने की ? अधिकारियों को बचाने की बात करते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : गाड़ियां तो वही हैं एक लीलेण्ड और एक मर्सीडीज। अब कहां सवाल होता है दूसरी गाड़ियों के पार्ट्स खरीदने का। गाड़ियां दो ही हैं, एक लीलेण्ड और दूसरी मर्सीडीज। करोड़ों का सामान खरीदा जाता है उसमें थोड़ा बहुत सामान ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि यह तो है ही नहीं कि पहले से मालूम हो कि कितने पुर्जे सही रहेंगे और कितने नहीं। फिर मेरे यह बात समझ में नहीं आई कि करोड़ों रुपयों के पार्ट्स खरीदे जाते हैं वहां दस पन्द्रह लाख का स्टोर हो तो उसमें ऐसी क्या बात है। अभी कुछ दिन पहले झालावाड़ के माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि क्या पार्ट्स की वजह से गाड़ियां खरीदी हैं ....

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि टायर चोरी गये थे, क्या उनकी रिकवरी हो गयी ? अगर हो गयी, तो फिर आप बतायें कि चोरी करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? उन चोरों के नाम भी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करने का माननीय सदस्य का मकसद यही है कि जो इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है उसमें करोड़ों रुपयों का प्रति वर्ष घाटा होता है। उसके लिए सचेष्ट होकर काम करना चाहिए। आप छिपाने की बात करते हैं। अगर मान लें कि टायर चोरी अप्रेल में नहीं हुये और मार्च में हुये तो उसकी बरामदगी हो गयी है या नहीं, इस तरह का जवाब देना चाहिए। माननीय सदस्य का मकसद यह है कि जब करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है तो आपका कर्त्तव्य हो जाता है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : ...दूसरे, अध्यक्ष महोदय, 50 लाख के पार्ट्स खरीदना मामूली बात नहीं है। पचास लाख के पार्ट्स काम में नहीं आये उनको खरीद कर निगम के घाटे को और बढ़ा रहे हैं.....

श्री जयकृष्ण शर्मा : किसने कह दिया, 50 लाख के पार्ट्स का?

श्री महाराम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, जो पार्ट्स अनुपयोगी खरीद लिए गये हैं उन पार्ट्स के संबंध में किसी अधिकारी को जिम्मेदार बनाया क्या?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने कहा कि बहुत बड़ी पर्चेजेज होती हैं। आपने कहा, उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं कि किसी अधिकारी को जिम्मेदार बनायें। जिम्मेदार तो तब बनायें जब कि बहुत अधिक मात्रा में ऐसे पार्ट्स खरीद लिये जाते। अब मैंने कहा कि जहां करोड़ों की खरीद है, मैं माननीय सदस्यों को बता दूं, 14 लाख रुपये के पार्ट्स के बारे में यह बात मैंने कही है, करोड़ों रुपयों के पार्ट्स हर वर्ष खरीदे जाते हैं। तो अब सोचिये कि 14 लाख का मामला है और वह भी चार-पांच साल में आया। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा घाटे का वह तो है लेकिन अप्रेल में न तो टायर की चोरी मिलती है और न पार्ट्स वाली बात मिलती है। और 'जी नहीं' कहा तो मैंने उस दृष्टिकोण से कहा है। छुपाने की बात होती तो मैं क्यों कहता।

जहां तक झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि कौन लोग थे, तो एक तो मैंने कहा कि हैल्पर, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 2 भण्डार उप निरीक्षक और एक सुरक्षा प्रहरी था। इनके खिलाफ हमने कार्यवाही की है और इनको निगम की सेवा से पृथक कर दिया गया है। यह मैं आपको जानकारी के लिये कहूं। मैंने अपने तरीके से पर्चेजेज, जो इस तरह की चीजें होती हैं, में कठोर से कठोर कदम उठाया जाये इसके लिये रोडवेज कार्पोरेशन को हिदायतें दे दी हैं। माननीय सदस्यों को बताता हूं कि अब कोई भी ऐसी पर्चेजेज नहीं होती हैं जिनकी जरूरत नहीं है। यह भी मैं मानता हूं कि उसी हिसाब से पर्चेजेज होनी चाहिए जितनी की निगम को जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि ...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी : निगम में 27 करोड़ का घाटा है तो कार्पोरेशन की लापरवाही की वजह से है। यह जो बातें सामने आई हैं इससे आप इस घाटे को कम कर सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष : श्री रंगजी मीणा। श्री कैलाश मेघवाल।

रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाकों में उपभोक्ता सामग्री का वितरण

573. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार रेगिस्तानी एवं पहाड़ी इलाकों में दूर-दूर दुर्गम स्थानों पर बसे लोगों को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने में राहत देने हेतु आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की वितरण योजना के तहत मोबाइल फेयर प्राइस शॉप्स की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

10

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : जी हां। वर्ष 1982-83 में इस प्रकार की 42 दुकानें विभिन्न जिलों में खोली जा चुकी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थान के दक्षिणी इलाके, जहां कि आदिवासी बसते हैं, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, जहां कि रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक छोटी-छोटी ढाणियों में लोग बसे हुए हैं, के लिए यह 32 दुकानें पर्याप्त हैं और 42 दुकानों के माध्यम से आप क्या-क्या सुविधायें दे रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव: अध्यक्ष महोदय, 50 दुकानों का लक्ष्य रखा गया था 12 महीने के अन्दर 1982-83 में जिसमें से 42 खुल चुकी हैं। यह पूरी होने के बाद अगली साल फिर खोली जायेंगी। हम मानते हैं यह पर्याप्त नहीं हैं। हर साल खोलेंगे। आपने पूछा कि कितनी चीजें दे रहे हैं तो इन दुकानों पर नियंत्रित और अनियंत्रित चीजें भी दे रहे हैं कपड़ा, साबुन, तेल वगैरह भी दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो वीकर सैक्शन आफ दी सोसाइटी है उनको सबसे ज्यादा आज संभालने की जरूरत है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि जहां दुकानें खोली हैं कितना-कितना एरिया एक-एक मोबाइल फेयर प्राइस शाप कवर करती है ?

श्री अध्यक्ष : विस्तृत प्रश्न है कितना एरिया कवर करती हैं।

श्री घासीराम यादव : जिनके पास वाहन हैं उनको ही यह चीजें दे रहे हैं ताकि दूर-दूर गांवों में यह चीजें पहुंचा सकें। महीने में दो बार जाते हैं और 263 स्थानों में जा रहे हैं और 5,87,703 निवासियों को इसका लाभ मिल रहा है।

श्री महाराम चौधरी : क्या क्या आइटम्स हैं ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री महाराम चौधरी : तेल और साबुन का ढाणियों के अन्दर रहने वाले क्या करेंगे...

श्री घासीराम यादव : गेहूं और शक्कर भी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री महेन्द्र सिंह।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमिहीनों को भू-आवंटन

574. **श्री महेन्द्र सिंह** (सांगरिया) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के कितने भूमिहीनों ने राजस्थान कैनाल पर भूमि अलाटमेंट के लिए प्रार्थना पत्र दे रखे हैं उनमें से अब तक कितने भूमिहीनों को जमीनों का आवंटन हो चुका है और कितने शेष रह गये हैं ? यदि शेष रह गये हैं, तो क्यों ? उनको भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन करने हेतु 2,40,363 व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे। इनमें से 75,245 व्यक्तियों को 13,85,865 एकड़ भूमि का पुख्ता आवंटन किया जा चुका है। 126893 प्रार्थी भूमि आवंटन के नियमानुसार हकदार नहीं पाये गये तथा शेष 38224 प्रार्थीगणों में से 8236 प्रार्थना-पत्र निर्णय से शेष रहे। 11021 व्यक्तियों को आवंटन के पश्चात् आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा 18960 व्यक्तियों को भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध न होने के कारण द्वितीय चरण के

(श्री चन्दनमल बैद)

सिंचाई के साधन विकसित होने पर स्थानीय योग्य आंवटीगण की आवश्यक पूर्ति के साथ साथ यथा सम्भव भूमि का आवंटन किया जा सकेगा।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार भूमिहीनों को भूमि देना चाहती है? जो प्रार्थना-पत्र शेष हैं उनको कब तक भूमि दे देंगे?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बातों का जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है 1981-82 में जो भूमि आवंटित की गई है वह अनकमाण्ड टीले अलाट किये गये हैं? इस भूमि से किस प्रकार अपने बच्चों का पेट भर सकेंगे व राज्य सरकार की किस्तें अदा कर सकेंगे?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं। भूमिहीनों को सरकार भूमि देना चाहती है, यह प्रश्न के जवाब में निवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो यह कह रहे हैं टीले की जगह जमीन अलाट हुई है उससे फेमिली का पेट भर सकता है क्या?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, स्टेज एक के फेज सैकण्ड की जो जमीन है ऊंची नीची है। उसमें से सारी की सारी जमीन कमाण्ड एरिया की नहीं है। यह सम्भव है कि एक ग्रान्टी को कुछ जमीन कमाण्ड मिली हो ग्रौर कुछ अनकमाण्ड। यह बहुत संभव है, कुछ कमाण्ड मिली हो कुछ अनकमाण्ड मिली हो। अन-कमाण्ड को कमाण्ड कर लें, यह हम आशा कर लेते हैं। इसके बावजूद भी कोई कोई-ऐसी अनकमाण्ड है, उसको हम बदल देंगे।

प्रश्न संख्या 575

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री राम कंवार बैरवा।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

उदयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना

576. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्र, उदयपुर डिवीजन में सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु उदयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने का विचार रखती है?

(2) जोधपुर हाई कोर्ट में उदयपुर डिवीजन मे कितने केस विचाराधीन हैं ग्रौर क्या उनकी संख्या के आधार पर उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच बनाई जा सकती है?

(3) क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार बैंच खोली जा सकती है? यदि हां, तो उदयपुर में बैंच कब तक स्थापित कर दी जायेगी?

विधि मन्त्री (श्री अहमद बक्श सिंधी): (1) जी नहीं।

(2) उदयपुर डिवीजन के विभिन्न प्रकार के कुल मुकद्दमे 2868 दिनांक

(12)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

31-12-82 तक राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन थे। जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट "क" में दी गई है। मुकद्मों की संख्या को देखते हुए उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) राज्य सरकार के ऐसी कोई बात ध्यान में नहीं है और न ही मुकदमों की संख्या को देखते हुए उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने का कोई औचित्य है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें, क्या यह सत्य है कि राजस्थान बनने के पूर्व मेवाड़ हाई कोर्ट उदयपुर में स्थापित था? पहले जो मेरा प्रश्न था, आदिवासी गरीब क्षेत्र में 2868 सिविल केसेज क्रिमिनल केस और सिविल रिट जो विचाराधीन हैं इस बात को देखते हुए आदिवासी लोगों को सस्ता न्याय मिले क्या इस दृष्टि से हाई कोर्ट की बैंच वहां स्थापित करना चाहते हैं?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान के पूर्व विभिन्न जो रियासतें थीं उनमें हाई कोर्ट मेवाड़ में थीं, बीकानेर में भी थी, जयपुर और दूसरी रियासतों में थी उन सबका एकीकरण करके एक हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर जोधपुर में स्थापित की गई थी। आदिवासियों के लिये हमने अलग से प्रबन्ध कर दिया है कि उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिले। आदिवासी और जो आम तौर पर पावर्टी लाइन के नीचे हैं जिनकी आमदनी 3600 से नीचे है इन के लिये चल न्यायालय हमने कायम किये हैं। उनके छोटे-छोटे मुकदमे होते हैं। उनका कोई बड़ा मुकदमा नहीं होता है करोड़ों का, लाखों का। उनके छोटे-छोटे मुकदमे होते हैं। हमने उनके लिये प्रबन्ध कर दिया है। बाकी जैसे कि सारे भारतवर्ष की एक सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह से हर रियासत की एक-एक हाई कोर्ट होती है। जहां कहीं जरूरत पड़े वहां बैंच स्थापित की जा सकती है। जोधपुर में हाई कोर्ट का हैड ऑफिस है, एक बैंच यहां जयपुर में स्थापित की गई इसलिये कि यह कैपीटल है, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। उदयपुर में मुकदमों की संख्या को देखते हुए कोई सम्भावना नहीं है कि वहां राजस्थान, उच्च न्यायालय की बैंच हो……

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं अभी जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल करने की नौबत ही नहीं आयेगी। मैंने अभी पूरा नहीं किया है।

केन्द्रीय सरकार विशेष परिस्थितियों में राजस्थान सरकार से विचार विमर्श कर खण्ड की स्थापना करती है। वर्तमान में दिनांक 31-12-82 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्दर 37,200 मुकदमे हैं। उनमें से उदयपुर डिवीजन में 2868 ही मुकदमे हैं। जनसंख्या, मुकदमों की संख्या एवं सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए राज्य सरकार एक से अधिक खण्ड पीठ की स्थापना करने का कोई विचार नहीं रखती।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : उदयपुर में जो गरीब लोग हैं, 3, 600 की

(श्री भैरूलाल मीणा)

आमदनी, गरीबी की रेखा के नीचे है उनके मुकदमे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। पैसे वाले होते हैं वे ही जाते हैं। मेरे क्षेत्र के तीन आदिवासी हैं वह वहां जाकर मुकदमा लड़ते हैं। जो गरीब हैं उनको भी जाना पड़ता है। ऐसी हालत में, परिस्थितियों को देखते हुए बैंच उदयपुर में होनी चाहिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह माकूल वजह हाई कोर्ट की बैंच के खोलने की नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे, जैसा उन्होंने कहा, केन्द्रीय सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में एक से अधिक पीठ खोलने का विचार रखती है। क्या यह सच है कि भारत-सरकार ··

श्री अध्यक्ष : एक एक-प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य। बहुत से माननीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने होते हैं। ज्यादा समय लग जायेगा। एक-एक प्रश्न पूछ लें।

श्री सी.पी. जोशी : ट्राइबल एरिया की जो जनसंख्या है अधिकांश उदयपुर डिवीज़न में है इसलिये विशेष परिस्थितियों को देखते हुए क्या राज्य सरकार भारत सरकार से परामर्श कर उदयपुर में कैम्प कोर्ट, हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने का विचार रखती है?

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष-महोदय, जब भारत सरकार ने हमारे उदयपुर को ट्राइबल एरिया घोषित किया है तो आदिवासियों और गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये जैसा सरकार ने बताया, क्या यह उचित नहीं है कि उदयपुर में एक खण्ड पीठ स्थापित की जाये?

श्री नानालाल (राज समन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, जैसी राज्य सरकार की मन्शा है कि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिले उस आधार पर क्या उदयपुर में बैंच स्थापित करने की घोषणा करेंगे? एक तो यह बतायें।

दूसरा प्रश्न है कि आपका हाई कोर्ट बैंच स्थापित करने का आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

कोई नई बात हो तो कहें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन की कई संस्थाओं, बार एसोसियेशन और जन प्रतिनिधियों ने कई बार आपको ··

श्री अहमद बक्श सिंधी : जरा जोर से बोलिये, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन की बार एसोसियेशन, जन प्रतिनिधियों और कई संस्थाओं ने एक बार नहीं अनेक बार कई तथ्य और आकड़ों के आधार पर इस बात के लिये आपको निवेदन किया है कि गरीबों को सस्ता न्याय सुलभ कराने की वजह से खण्ड पीठ स्थापित की जाय। दक्षिणी राजस्थान में गरीब लोग उदयपुर नहीं पहुंच पाते हैं और न्याय नहीं मिलने से पीड़ित हैं इसके लिये समय-समय पर जन प्रतिनिधि भी मिलते रहे हैं। क्या आपने जानकारी प्राप्त की है कि ···

(14)

श्री अध्यक्ष : लम्बा नहीं, माननीय सदस्य। पूछ लिया।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या उनकी जानकारी में यह है कि आज भी उदयपुर जेल में 300 से ऊपर ऐसे कैदी हैं जो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं ? तीन सौ से ऊपर आज वहां अन्डर ट्रायल कैदी हैं···

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक साथ जवाब दे दिया जायेगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि उदयपुर डिवीजन में दो हजार चार सौ कुछ मुकदमे पैन्डिग हैं। यह बात तो मंत्री महोदय के ध्यान में है कि मुकदमे कम हैं लेकिन लोग वहां जा नहीं सकते हैं, वकील कहता है इतना खर्चा लगेगा। कम से कम 25 पर्सेन्ट ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट में अपील कर ही नहीं सकते हैं। मुकदमों में कमी तो इसलिये है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। वैसे यह विचार पहले आ चुका है। कोई नई बात कहें।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा और उदयपुर से आदिवासी नहीं जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, वह आदिवासी बहुल इलाका है। जन प्रतिनिधियों और बार ऐसोसियेशन ने आपको रिप्रेजेन्ट किया है···

श्री अध्यक्ष : यह बात भी आ गई। भाषण नहीं होगा अब, माननीय सदस्य।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या हाई कोर्ट, जोधपुर सैन्टर प्लेस में है, सब लोगों को पहुंचने में आसानी होती है ? क्या यह सही है कि गरीब लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिये 500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बोर्डर पर जाना पड़ता है ? उदयपुर डिवीजन में जितने मुकदमे पेन्डिग हैं क्या उससे अधिक जोधपुर के मुकदमे पेन्डिग हैं ? क्या हाई कोर्ट रियासतों की एकीकरण की वजह से वहां स्थापित की गई थी और उसके बाद में मांग होने पर जयपुर में भी बैंच खोली गई ? अब एक बैंच उदयपुर में स्थापित करने में क्या दिक्कत है···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भूपालसिंह : एक प्रश्न और है। महात्मा गान्धी की जो कल्पना सस्ता न्याय सुलभ कराने की थी वह पूरी की जा रही है। महात्मा गांधी स्वर्ग में बिराजे हुए हैं, वे क्या सोच रहे होंगे और क्या आशीर्वाद दे रहे होंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे भी प्रश्न हैं। इस पर आप आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिये।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। कोई नई बात हो तो बता दीजिये।

श्री बन्शीलाल पटवा : मेरा निवेदन है कोटा बोर्डर से, मध्य भारत गुजरात बोर्डर से उदयपुर डिवीजन···

श्री अध्यक्ष : यह बात भी आ चुकी है। विधि मंत्री जी।

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल पटवा : सारी परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार को हाई कोर्ट बैंच उदयपुर में स्थापित करने की सिफारिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्पेशल कोर्ट इस एरिया में खोले जाने का सवाल है, उस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। बाकी हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने के सवाल को गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के साथ जोड़ने वाली बात गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): राजस्थान में कोई एजेन्सी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर।

हाई कोर्ट का यहां फैसला नहीं होगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

सभी प्रश्न आ गये।

प्रश्न संख्या 577

श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी।

कोटा से लाखेरी बस सेवा को इन्द्रगढ़ तक करने की मांग

578. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसें कितने किलोमीटर तक जा सकती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा से लाखेरी तक सीधी बस सेवा है तथा उसे इन्द्रगढ़ तक बढ़ाये जाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त बसों को इन्द्रगढ़ तक नहीं चलाये जाने का क्या कारण है जब कि इतनी सी दूरी राष्ट्रीयकृत होते हुए भी पार की जा सकती है ?

(3) क्या सरकार जन हित को मद्दे नजर रखते हुए उक्त बसों को इन्द्रगढ़ तक चलाये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसों को 10 किलोमीटर तक चलने की छूट प्रदान की हुई है।

(2) जी हां, कोटा से लाखेरी वाया केशोरायपाटन कापरेन पर निजी बस मालिकों

(श्री हीरालाल आर्य)

द्वारा सीधी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है तथा उसे इन्द्रगढ़ तक बढ़ाये जाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती आ रही है किन्तु लाखेरी से इन्द्रगढ़ 13 किलोमीटर की दूरी का मार्गांश राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग होने से निजी बस मालिकों को इन्द्रगढ़ तक जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि राष्ट्रीयकृत मार्ग केवल 10 किलोमीटर तक ही निजी बसों को ओवर लेपिंग किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो 13 किलोमीटर बताया है वह 13 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर से कम है। आप इसकी जानकारी करवा लें। 13 किलोमीटर बिल्कुल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोटा की आबादी बहुत बढ़ गई है इसलिये माइलेज और किलोमीटर का जो नम्बर लगा हुआ है, वह पुराना है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, अगर 10 किलोमीटर से कम होगा तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि 10 किलोमीटर के बजाय 25 किलोमीटर का निर्णय लिया गया था कि यह सीमा 25 किलोमीटर तक बढ़ा दी जाय ? क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि इसको बढ़ाया जाय क्योंकि 10 किलोमीटर का मार्ग अब कोई महत्व नहीं रखता है। आज की बढ़ती हुई आबादी में 10 किलोमीटर का कोई महत्व नहीं होता है। क्या आप इसको बढ़ाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी स्थान ग्रहण करें। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

ऐसा है प्रत्येक शहर में 10-10 किलोमीटर का केन्द्र मानकर चलते हैं। सांगानेर से जयपुर और इधर चौमू रोड पर जायें तो 10 किलोमीटर प्रत्येक का क्षेत्रफल है। आबादी बहुत बढ़ गई है इसलिये इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ कर सकते हैं क्या ? जो बाहर के किनारे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हर एक शहर का माइलेज कहां से शुरू होता है यह हमने नोटिफिकेशन में तय कर रखा है। जब तक हम उसे समाप्त नहीं करें वह नहीं हो सकता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, 10 किलोमीटर से कम है। इसकी जांच कर लेंगे। 10 किलोमीटर से कम होगा तो मैं उसको ले सकता हूं। जहां तक 25 किलोमीटर बढ़ाने की बात है, जब कोई भी नई स्कीम तय होती है तो नोटिफिकेशन में पहले तय कर दिया जाता है, कि ये-ये शर्तें इस मार्ग पर होंगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अगला प्रश्न पुकार लिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्य किसी तरीके से कृपया आप उठायें। कुछ परिस्थितियां मंत्री जी, सदन के ध्यान में लायी गई हैं उसको अन्य माध्यम से उठायें।

श्री भैरूंलाल मीणा।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से आदिवासियों को लाभ

579. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा-जिलों के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने और इन लोगों की आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग कार्यालय, उदयपुर में स्थापित किया गया था ? यदि हां तो ऐसे कितने आदिवासी उक्त विभाग से स्थायी रूप से लाभान्वित हुए ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण पंचायत समिति गिर्वा एवं पंचायत समिति बड़गांव में इस विभाग ने कोई बांध बांधा है ? क्या इस बांध से आदिवासियों को कोई लाभ मिला है ? यदि हां, तो क्या ?

उप मंत्री, जनजातीय क्षेत्रीय विकास (श्री गोविन्द आमलिया) : (1) जी हां। जनजाति उप योजना क्षेत्र में 41841 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

(2) जी नहीं।

श्री भैरूलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब क्या पूछूं पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव में ले लें।

श्री भैरूलाल मीणा : मैंने पूर्व में प्रश्न पूछा था 13-9-82 को···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। बातें नहीं करें।

श्री भैरूलाल मीणा : इस विभाग ने कोई तालाब का काम किया है, वह जवाब सूची में दिया है कि मोल्या नामक गांव में तालाब का काम हुआ है। यह भी बताया गया कि 75 हजार रुपये का खर्चा नहर पर होगा। यह जवाब दिया। इस विधान सभा में प्रश्न पूछा तो जवाब मिला है कि ऐसा कोई तालाब नहीं बांधा गया है, केवल मरम्मत के लिए ही 50 हजार रुपये खर्च किये गये हैं। मैं उसी गांव में रहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, कौनसी बात सही है।

श्री अध्यक्ष : सवाल का जवाब देने में कोई गलती रही है या कोई बात छिपायी गयी है तो अपने नियमों में प्रावधान है। कृपया अन्य तरीके से सदन में लायें। माननीय सदस्य।

स्थगित प्रश्न।

मंत्री, जनजातीय क्षेत्रीय विकास (श्री दूलाराम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। जो उत्तर दिया गया है, 82 में और 83 में जो उत्तर दिया गया है, मेरा निवेदन है अगर किसी अधिकारी ने गलत सूचना दी है तो मैं उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय मन्त्री, आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें। स्थगित प्रश्न।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री भंवर लाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1983)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के उप कुलपति का निलम्बन

407. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) :

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के उप कुलपति डॉ० राजनाथ सिंह को निलम्बित किया गया था ?

(2) यदि हां, तो उन्हें निलम्बित किये जाने के क्या कारण थे, क्या उनकी जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जांच में किसी भी तरह का कोई आक्षेप सिद्ध नहीं होने से उनका निलम्बन आदेश समाप्त कर दिया गया ?

राज्य मंत्री, विश्वविद्यालय शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) : (1) जी हां।

(2) डॉ० राजनाथ सिंह को चांसलर महोदय द्वारा निलम्बित जांच (पैंडिग इन्क्वायरी) निलम्बित किया था। आरोपों की जांच हेतु चांसलर महोदय द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी, किन्तु जांच का कार्य पूरा होने से पहले ही डॉ० सिंह द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र चांसलर महोदय द्वारा स्वीकार करने एवं निलम्बन आदेश रद्द (रिवोक) करने के फलस्वरूप जांच का कार्य भी चांसलर महोदय के आदेश द्वारा समाप्त किया गया।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है उसके भाग (2) में मैंने पूछा है, "यदि हां, तो उन्हें निलम्बित किये जाने के क्या कारण थे, क्या उनकी जांच करवाई गयी ?" आपके पास कारण तो होंगे, वह भी नहीं दिये फिर जांच में क्या प्रगति हुई, लोगों ने क्या बयान दिया, यह विवरण भी नहीं है। और न इस्तीफा देने के कारण बताये। इसलिए उत्तर अधूरा है। इसमें क्या हुआ है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते हुए कह दिया कि उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। तो क्या वह इस्तीफा कन्डीशनल था ? कृपया इस्तीफा भी पढ़ कर बताने की कृपा करें, वरना सवाल बहुत गड़बड़ हो जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले तो यह बतायें कि कोई आरोप नहीं लगा है तो फिर आप ने क्यों कार्यवाही की ? इसका क्या कारण है, इसका उत्तर दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, चार्जेज बहुत गम्भीर थे वह चार्जेज लगाकर इन्क्वायरी कराई गयी। पैन्डिग इन्क्वायरी सस्पैण्ड हम कर सकते हैं इसलिए कर दिया। इन्क्वायरी आफिसर अपाइण्ट कर दिया। इन्क्वायरी जो प्रोसेस है वह पूरा किया गया। उस समय के अन्दर उन्होंने रेजिनेशन दे दिया। वह एक्सेप्ट हो गया और इन्क्वायरी को रिवोक कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : इन्क्वायरी कैसे रिवोक कर दी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : What were the charges ? I have a right to know what were the charges ? कैसे सस्पेण्ड किया था ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : The enquiry was in process....

श्री भंवरलाल शर्मा : आरोप क्या थे ? आरोपों की सूची मांगी है।

श्री अध्यक्ष : आरोपों की सूची नहीं मांगी है। निलम्बित करने के क्या कारण थे, यह है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या कापी मांगी है आपने ?

श्री भंवरलाल शर्मा : Copy of the charges.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपकी बात समझ रहे हैं।

एक **माननीय सदस्य** : उसका विवरण चाहते हैं।

श्री सी०पी०जोशी : जांच स्पेसिफिक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : Are you competent to reply ?

श्री अध्यक्ष : आप आसन के माध्यम से ····

श्री भंवरलाल शर्मा : Who are you ? इतने उच्च व गरिमापूर्ण पद पर बैठने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से अपमानित किया जाय, ठीक नहीं है।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : आपने अपाइंट किया था क्या ?

श्री सी०पी०जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनके राज में ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया धैर्य रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आप सीधा सा यह उत्तर दीजिए कि आपके राज में अपाइन्टमेंट हुआ था इसलिए ऐसा किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, भंवरलाल बोल रहे हैं। उनको आसन ने इजाजत दी है। आसन के माध्यम से कहिये ताकि विवाद न हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब की जानकारी जरूर देनी चाहिये क्योंकि मामूली विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने जो फर्माया कि आरोप-पत्र की कापी मांगी है। वह तो इसमें नहीं है, निलम्बित करने क्या के कारण थे, यह आपने मांगा है। आपने उत्तर क्या दिया दुबारा पढ़ दीजिए। अभी नतीजे पर पहुंचे नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन में विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है फिर भी निवेदन कर रहा हूं कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। बड़े हुए आरोपों के कारण उनके खिलाफ इन्क्वायरी इन्सटीट्यूट की गयी ····

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि निलम्बन आदेश आपने निकालने के बाद रद्द कर दिया ? क्या निलम्बन आदेश रद्द होने के बाद उनको आपने ड्यूटी जोइन करायी, उसके बाद उन्होंने त्याग-पत्र दिया। शेष सारे समय की बाकी तनख्वाह , बाकी सारे भत्ते और पैसा जो बनता था वह देकर समझौता करके बीच में सस्पैण्ड किया, फिर ड्यूटी पर लिया , उसके बाद त्याग-पत्र दिया, क्या यह सच है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सच नहीं है कि समझौता किया गया। यह सच है कि उन्होंने कन्डीशनल रेजिगनेशन दिया था। यह इच्छा जाहिर की कि मैंने जो त्याग पत्र दिया है वह स्वीकार कर लिया जाय बची हुई अवधि की सैलरी का पेमेन्ट कर दिया जाय। कुछ पेन्शन आदि का मामला उठाया। कन्डीशनल रेजिगनेशन उन्होंने दिया था। निलम्बन आदेश रिवोक कर दिया गया। उसके बाद रेजिगनेशन लिख दिया था उसको एक्सैप्ट कर दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ड्यूटी जोइन कराई नहीं तो रेजिगनेशन हाउस के टेबल पर रखें। उन्होंने ड्यूटी जोइन की, उसके बाद रेजिगनेशन सबमिट किया।

श्री अध्यक्ष : दोनों की बात रह गयी उसमें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति निलम्बन की हो गयी जिसके कारण इतने वरिष्ठ पद पर रहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार करने को मजबर होना पड़ा, जलील होना पड़ा। किस कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी कि उनका निलम्बन किया, अध्यक्ष महोदय, पहले तो आरोप लगाकर उनको सस्पेण्ड कर दिया किन्तु उसके कारण नहीं बताये। उसके बाद यह स्थिति पैदा कर दी लगातार जलील करके कि उनको कन्डीशनल रेजिगनेशन देना पड़ा। कारण मंत्री महोदय नहीं बता रहे हैं और आज कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर चले गये हैं।

मेरा यह आरोप है कि उन पर जो आरोप लगाया गया था वह गलत था, दुर्भावनापूर्ण स्थिति से भरा हुआ था, जलील करने के लिए था इसलिए मन्त्री महोदय इस बात को अवोइड करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके आरोप पर प्रोटेस्ट करता हूं। यह कोई तरीका नहीं है। आप तथ्यों से अलग हट करके बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनकी बाकायदा जांच हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर। माननीय श्री भंवरलाल शर्मा। ऑर्डर ऑर्डर। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, उनको उत्तर देने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं ना। आप पहले तो यह बता दें ··

श्री अध्यक्ष : उनको उत्तर देने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बैठ गए, साहब। आप एक तो यह बताइये कि उनको सस्पैंड कब किया ? डेट आफ सस्पैंशन बता दीजिये और दूसरे डेट आफ रेजिगनेशन के बीच में इन्क्वायरी क्या की, यह बता दीजिये साथ में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वैसे इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको···

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे सम्बन्ध नहीं है ? उनको सस्पेंड कब किया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य। आप तारीखें बता दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 29-8-81 को निलम्बित किया गया । वैसे आप मर्जी आए वह डेट पूछ ले तो मैं नहीं दे सकूंगा हाउस में । आप सोचिये कि एक परिधि होती है प्रश्न की···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : डेट आफ रेजिगनेशन क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सूचना क्या चाहते हैं, यह बताइये । मैं वह देने के लिए तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनिये, आप नोट कर लीजिये। उनको आपने सस्पेंड कब किया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बताया ना कि 29-8-81 को।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकंड। दूसरा यह बताइये कि उन्होंने इस्तीफा कब दिया, उसके बीच में इंक्वायरी क्या की गई? यह आप बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 30 जनवरी, 83 को उन्होंने इस्तीफा दिया।

श्री अध्यक्ष : सस्पेण्ड करने की तारीख आ गई है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कार्यवाही क्या की साहब, यह बताइये।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कार्यवाही क्या हुई, यह तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । इस एक साल और पांच महीने की अवधि में इन्क्वायरी वगैरह हुई क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी ऑफिसर अपोइन्ट किया, 11-12-82 को आरोप-पत्र दिया गया। उसका उत्तर प्राप्त होने पर 3-5-82 को उनके विरुद्ध जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसके बाद इन्क्वायरी प्रोसेस में थी। जब वह इन्क्वायरी प्रोसेस में थी, जरा यह समझने की आप कृपा करेंगे, अध्यक्ष महोदय, यह कहना सत्य नहीं है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वह गलत थे या कोई चार्ज शीट में कमजोरी थी, इसलिये किया गया। उन्होंने वहां पर बैठ करके उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सलेक्शन के प्रोसेस को स्टाप कर रखा था। वे वहां पर बैठ करके ग्रुप पोलिटिक्स पैदा करते थे। टीचर्स में गन्दगी पैदा करते थे। हम चाहते थे कि वह वहां से निकल जायें इसलिए···

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या करते थे ? अगर उन पर चार्ज थे तो आप उनको जेल भेज दो। आपने इन्क्वायरी रिवोक क्यों कर दी ?

श्री यदुनाथसिंह : जब उनके खिलाफ आरोप थे तो आपने इन्क्वायरी रिवोक क्यों कर दी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रेजिगनेशन देकर चले गए, उनके खिलाफ इन्क्वायरी हुई तो वह टेबल पर रख दी गई। जयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चले गए थे, इन्क्वायरी हुई, टेबल पर रख दी। अगर सीरियस आरोप थे, अगर गम्भीर चार्जेज थे तो फिर सरकार क्यों डर रही है उनकी इन्क्वायरी कराने में ? केवल इसलिये कि वे चार्जेज प्रूव नहीं होंगे। वे दुर्भावनापूर्ण चार्ज थे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह पांच चार्ज आज भी यूनिवर्सिटी में हैं। जो पांच चार्ज आपने उन पर लगाये हैं ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। कृपया बैठ जावें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपकी यूनिवर्सिटी में एस.डी. उज्ज्वल···

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXX

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जिन मंत्री महोदय ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है उनको आप क्यों बचाना चाहते हैं ? वे तो उदयपुर के थे, वे तो चाहते थे कि इस प्रकार की प्रक्रिया हो···

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें। अगला प्रश्न।

श्री चन्दनमल बैद : वह उदयपुर के नहीं थे, चूरू के थे। सस्पेंड करने वाले चूरू के थे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें। अगला प्रश्न, श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और···

श्री अध्यक्ष : यह एक विस्तृत प्रश्न है। प्रश्न के माध्यम से इससे अधिक समय नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूं कि कई माध्यम हैं जिनसे ऐसे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। कृपया।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1983)

देवस्थान विभाग की हरिद्वार में सम्पत्ति

415. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या हरिद्वार तीर्थस्थली पर देवस्थान विभाग की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो यह सम्पत्ति किस रूप में है व इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से अपलोपित किये गये।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

(2) क्या हरिद्वार की इस सम्पत्ति से सरकार को आय होती है ? यदि हां, तो वार्षिक आय क्या है ?

(3) इस सम्पत्ति की देख-रेख हेतु क्या प्रबन्ध है ?

(4) 1980 से 1982 तक इस सम्पत्ति का निरीक्षण करने कौन-कौन अधिकारी कब-कब गये ?

(5) इन अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ?

राज्य मन्त्री देवस्थान (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । यह सम्पदा मुख्य मन्दिर एवं उसी परिवार के शेष मकानों में विभाग द्वारा संचालित एक धर्मशाला तथा मंदिर के बाहर स्थित दुकानों के रूप में विद्यमान है । इस सम्पदा का अनुमानित मूल्य 88,550) रुपया है ।

(2) जी हां । उक्त मंदिर की सम्पदा से विभाग को लगभग 5000) रु० वार्षिक की आय प्राप्त होती है ।

(3) उक्त सम्पदा की व्यवस्था हेतु मंदिर में एक प्रबन्धक पुजारी तथा चौकीदार नियुक्त है ।

(4) वर्ष 1980 से 1982 तक उक्त राजकीय सम्पदा का निरीक्षण करने हेतु देवस्थान विभाग के निम्न अधिकारी उनके सामने अंकित विभिन्न दिनांकों में हरिद्वार गये :—

नाम अधिकारी	निरीक्षण की अवधि
1 लेखाधिकारी (मुख्यावास)	20-11-80 से 24-11-80 तक
2 सहायक आयुक्त (मुख्यावास)	20-6-82 से 27-6-82 तक।

(5) इन अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि उस सम्पत्ति की वार्षिक आय पांच हजार रुपया है जब कि उनकी निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है, जो सहायक आयुक्त ने जांच की है प्रबन्धक ने दस हजार रुपये साल की राशि प्राप्त करके किराये पर दुकान दे दी, तो इसमें कौन-सी बात सत्य है ? नम्बर दो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेचर ऑफ सम्पत्ति क्या है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : दस हजार रुपये उसने उस मंदिर के भेंट स्वरूप ले लिये जिससे इसकी मरम्मत करा सकें । उसको साल भर के लिए साढ़े सात सौ रुपये में किराये पर दे दिया है ।

श्री यदुनाथ सिंह : मंदिर किराये पर दे दिया ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह था कि यह जो 20-6-82 से 27-6-82 तक जांच की गई उसमें जो दोषी पाये गये उनके खिलाफ अभी तक आपने क्या कार्यवाही की ? फिर 20-11-80 से 24-11-80 तक जो अकाउण्टेंट ने वहां पर ऑडिट किया, उस ऑडिट के अन्दर मंदिर के गहने व आभूषण पुजारी के पास बतलाए थे वह गहने और आभूषण वर्तमान में कहां हैं ? उस आडिट के अन्दर यह भी पता चला कि जोधपुर के भूतपूर्व सहायक आयुक्त कुछ आभूषण और कुछ गहने अपने घर ले गए । इन दोनों की अब क्या स्थिति है ? इन दोनों के खिलाफ अब तक आपने क्या कार्यवाही की ?

(24)

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि जो...

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक संस्थान घणे ही हैं। उनके ऊपर आप नियन्त्रण रखने का अध्ययन करें करायें। छोटी सम्पत्ति का कोई मंदिर होगा, पुजारी खा रहा होगा। क्या हुआ इसमें ज्यादा। अधिकारियों को इतना समय मिल गया ऑडिट किए हुए। उसमें भेंट पूजा कितनी आती होगी?

छोटा-सा प्रश्न है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जेवर उस पुजारी के पास में थे वे डबल लॉक में ला करके उदयपुर में रखवा दिए गए हैं। जो माननीय सदस्य ने जोधपुर की बात कही, उसके लिए निवेदन है कि कुछ जेवर वे ले आए थे, इसकी इन्क्वायरी करवाई जा रही है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि प्रबन्धक महोदय को हमने हटा दिया है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि आज से एक माह के पूर्व मैं स्वयं वहां गया था। वहां के लोगों ने जानकारी दी कि आपके राजस्थान की सम्पत्ति खाते हैं। वहां पर आपके न तो प्रबन्धक हैं, न उनका कोई कर्मचारी है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके मन्त्री मण्डल के एक जिम्मेदार सदस्य भी मेरे साथ थे। उन्होंने स्वयं इस बात को देखा। वहां पर एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। आपके राजस्थान की सम्पत्ति दूसरी स्टेट के लोग खा रहे हैं। मन्त्री महोदय, आप इस बात को बड़े साधारण रूप में ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि क्या आप स्वयं वहां जाकर गंगा में पवित्र होकर उस मंदिर के दर्शन करेंगे और जांच करेंगे? साथ ही इसके बारे में कोई कार्यवाही करने का निर्णय लेंगे क्या?

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले सम्माननीय सदस्य तो पवित्र हो जावें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इसकी जानकारी करके उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : बाहर बहुत जगह इस तरह की सम्पत्ति पड़ी हुई है। इस तरह का सब के लिए प्रबन्ध होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑडर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी आसन पैरों पर है। मैं थोड़ी कार्यवाही शुरू कर दूं फिर पॉइन्ट ऑफ आर्डर आएगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन

571. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली): क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में फिल्म डवलपमेन्ट कार्पोरेशन के गठन का सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन हेतु निर्मित छविगृहों के लिए सरकार रियायती दरों पर भूमि एवं ऋण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) फिलहाल अन्य राज्यों से जानकारी चाही गई है।

(2) जी नहीं।

केन्द्रीय कारागार, बीकानेर में बंदियों को सुविधाएं

575. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने बंदियों को खाने-पीने के बर्तन, मनोरंजन के साधन समाचार-पत्र, पुस्तकालय, साबुन, तेल, इत्यादि की सुविधा उपलब्ध की हुई है ?

(2) क्या केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में बंदियों को उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(3) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में बन्दियों द्वारा जनवरी, 1980 से आज तक कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? कृपया प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह शिकायत है कि जेल में बन्दियों के लिये खाने-पीने के बर्तन आदि की पूर्ण व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें विभाग द्वारा वितरित एक ही मग से चाय, पानी, सब्जी, नहाने-धोने व शौच में काम लेना पड़ता है ? क्या सरकार बन्दियों को प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग बर्तन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कारागृह में बन्दियों के मनोरंजन के लिए रेडियो की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो रेडियो कारागृह में किस स्थान पर लगाया हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा बन्दियों को खाने पीने के बर्तन सुलभ कराये गये हैं। 16 कारागृहों में मनोरंजन के साधन एवं 79 कारागृहों में समाचार-पत्र व पुस्तकालय उपलब्ध हैं।

साबुन, तेल कारागृहों में केवल महिला बन्दियों और सिख बन्दियों को ही राजस्थान प्रिजन्स रूल्स, 1951 में वर्णित नियमों के अनुसार सुलभ कराया जाता है। अन्य बन्दियों को कपड़े धोने के लिये प्रति सप्ताह सोडा दिया जाता है।

(2) जी हां।

(3) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बन्दियों द्वारा जनवरी, 1980 से आज दिनांक तक 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं, बन्दियों को खाने-पीने नहाने-धोने व शौच के काम में लेने के लिये अलग-अलग वर्तन उपलब्ध कराये हुये हैं।

(5) जी हां, यह रेडियो कारागृह के पुस्तकालय में लगा हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम पंचायत स्यालावास खुर्द (जयपुर) भूमि आवंटन

577. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत स्यालावास खुर्द तहसील बसवा (जयपुर) में "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन किन-किन आधारों पर कब-कब किस-किस अधिकारी के निर्देशों या आदेशों द्वारा आंवटित की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस ग्राम पंचायत में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास स्वयं के रिहायशी प्लाट हेतु भूमि नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इसी अभियान के अन्तर्गत उक्त ग्राम पंचायत में कितनी भूमि को किन आधारों पर आबादी में परिवर्तित किया गया है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायन स्यालावास खुर्द तहसील बसवा (जयपुर) में "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 व्यक्तियों को 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत आवंटित की गई है। जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(3) इसी राजस्व अभियान के दौरान जिला कार्यालय के आदेश संख्या आर 18 ए-(151) 32/1453-57 दिनांक 24-1-83 द्वारा ख०नं० 061 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की है। यह भूमि आबादी विस्तार हेतु पंचायत ने मांग की थी।

(सूची के लिये परिशिष्ट 7 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पिछड़े वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता

686. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं निर्धन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने हेतु वर्ष 1982-83 में कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान किया था ?

(2) यह खर्च किस रूप में किस-किस के द्वारा करना था और दिनांक 31-1-1983 तक इसमें से कितना खर्च हो चुका है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकर ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े व निर्धन वर्ग के लोगों जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी 3600/– से अधिक न हो, को मुफ्त कानूनी सलाह देने हेतु अपने बजट वर्ष 1982-83 में 2 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया था।

(2) उक्त प्रावधान के 2 लाख रुपये का आवंटन राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति व उसके माध्यम से विभिन्न एजेन्सियों यथा:- राजस्थान उच्च न्यायालय

(विधि मंत्री)

विधिक सहायता समिति, रेवेन्यू बोर्ड विधिक सहायता समिति, जिला, उपखण्ड, तहसील स्तर की विधिक सहायता समितियों को किया गया था जिसका ब्यौरा संलग्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन रुपयों में से कुल 15000/- रुपये 31-1-83 तक खर्च हुए जिसका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के परीक्षा परिणाम

687. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के कितने छात्रों को वर्ष 1981-82 में विश्वविद्यालय द्वारा रोल नम्बर आवंटित नहीं करने के कारण अब तक परीक्षा परिणाम से वंचित रहना पड़ रहा है? कृपया उन विद्यार्थियों की कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखें जिनके 1981-82 के वार्षिक परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किये हैं?

उत्तर

(1) 10 छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

688. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सुखाड़िया वि.वि. उदयपुर में सत्र 1981-82 में कला वर्ग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया? कक्षा एवं विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ छात्रों को सानुग्रह से अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया? यदि हां, तो किन्हें व उन्हें कितने अंकों का सानुग्रह दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जयपुर-जोधपुर सुपर डीलक्स बस

689. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी), **श्री रामनारायण डूडी** (बिलाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जोधपुर से जयपुर व जयपुर से जोधपुर सुपर डीलक्स बस कब से प्रारम्भ हुई? इसका क्या किराया है व इसके ठहराव कहां-कहां पर हैं व जयपुर से जोधपुर पहुंचने में कितना समय लगता है?

उत्तर

(1) जोधपुर से जयपुर व जयपुर से जोधपुर सुपर डीलक्स बस दिनांक 1-1-83

(28)

(यातायात मंत्री)

से प्रारम्भ की गई है जिसका किराया 52.50 रु० एक तरफ का है। इस वाहन सेवा के ठहराव स्थल अजमेर, ब्यावर, जैतारण व बिलाड़ा घोषित हैं। उक्त बस को जयपुर से जोधपुर पहुंचने के लिए 7.00 घण्टे का समय निर्धारित किया हुआ है।

केशवरायपाटन में मन्दिर की प्राचीन मूर्तियां

690. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के केशवरायपाटन में श्री केशवराय जी के मन्दिर की प्राचीन मूर्तियों की सूची पुरातत्व विभाग के पास है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मंदिर की मूर्तियों की सूची अनुसार वर्तमान में श्री केशवराय जी के मन्दिर में मूर्तियां मौजूद हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री केशवराय जी के मन्दिर की मूर्तियां जिलाधिकारियों द्वारा केशवरायपाटन से बून्दी अथवा अन्य कहीं ले जाई गई हैं ? यदि हां, तो कब और कितनी तथा क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मन्दिर श्री केशवरायजी राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है, अतः इस मन्दिर की प्राचीन मूर्तियों की सूची पुरातत्व विभाग के पास होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) देवस्थान विभाग में उपलब्ध सूची के अनुसार उक्त मन्दिर की निम्न समस्त मूर्तियां वर्तमान में मन्दिर में मौजूद हैं :—

(1) श्री केशवराय जी महाराज
(2) श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज
(3) श्री कल्याण रायजी महाराज
(4) श्री सुखराय जी महाराज

(3) मन्दिर श्री केशवराय जी महाराज की मूर्तियां जिलाधिकारियों द्वारा केशवराय पाटन से बूंदी अथवा अन्य कहीं भी कभी नहीं लें जाई गई।

कोटा-बारां एवं सुल्तानपुर की बसों में डीजल का आवंटन

691. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा से बारां एवं सुल्तानपुर की तरफ जाने वाली राजस्थान रोडवेज की 95 प्रतिशत बसें अर्द्ध निर्मित बोरखेड़ा ब्रिज पर होकर लघु मार्ग से जा रही हैं व डिपो से डीजल पुराने ही लम्बे रूट का इश्यू किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार बचे हुए डीजल का कोई हिसाब रखा जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभाग द्वारा इस अनियमितता की जांच की गई ? यदि हां, तो कृपया जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

जयपुर एवं अजमेर के निगम की कर्मशालाओं से उपकरणों की चोरी

692. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अजमेर एवं

(श्री रंग जी मीणा)

जयपुर स्थित केन्द्रीय कर्मशालाओं में से टूल्स, माइलोमीटर घड़ियां आदि गायब होने की शिकायतें हुई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या नियमानुसार इन कर्मशालाओं का भौतिक सत्यापन एवं ऑडिट कराया गया है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 के सत्यापन एवं ऑडिट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वर्ष 1981-82 का सत्यापन करवाया गया था। स्टोर्स का कोई ऑडिट न किया जाकर भौतिक सत्यापन ही किया जाता है। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

वर्ष 1982-83 का सत्यापन माह अप्रेल में कराया जायेगा।

(रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

विभिन्न डिपोज में स्टाफ की कमी

693. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या परिवहन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य परिवहन निगम के कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां डिपो में बसों व स्टाफ की संख्या पर्याप्त है ? उक्त डिपो के बारे में निम्न तालिका में जानकारी देने की कृपा करें :—

नाम आइटम	स्वीकृत संख्या	वास्तविक सं.	विवरण
1	2	3	4
1. बसें	—	—	—
2. ड्राइवर	—	—	—
3. कन्डक्टर	—	—	—
4. टैक्नीकल स्टाफ	—	—	—
5. आफिस स्टाफ	—	—	—
6. पार्ट्स एवं टायर्स	—	—	—

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिपो में पर्याप्त स्टाफ, बसों व अन्य सामिग्री का अभाव है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अभाव को शीघ्र पूरा करेगी ताकि बसों की सेवा नियमित हो सके ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा, बून्दी, झालावाड़ आगारों में कार्यभार की दृष्टि से बसों व स्टाफ की संख्या पर्याप्त है। बारां संचालन इकाई कोटा आगार के अधीन है जहां कोटा आगार से बसें व स्टाफ लगाया हुआ है। जो पद रिक्त हैं उन्हें भरने या रिक्त रखने हेतु निगम समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लेने के लिये सक्षम है। वांछित सूची संलग्न है।

(ৃ০)

(परिवहन मंत्री)

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जयपुर से सीधी बस सेवा

694. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहां पर जयपुर से सीधी बस सेवा उपलब्ध है और कितने ऐसे जिला मुख्यालय है जहां पर सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है ? कृपया जिला मुख्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को जयपुर से सीधी बस सेवा द्वारा जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो जयपुर से जैसलमेर सीधी बस सेवा को बन्द करने का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार इस बस सेवा को पुनः शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में 26 जिला मुख्यालय जयपुर से सीधी बस सेवा द्वारा जुड़े हुये हैं तथा केवल जैसलमेर जिला मुख्यालय से वर्तमान में जयपुर के लिये सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। जिला मुख्यालयवार सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं। जिला मुख्यालयों को जयपुर से सीधी बस सेवा से जोड़ने का निर्णय निगम करता है । पूर्व में जैसलमेर जिला मुख्यालय भी जयपुर से सीधी बस सेवा द्वारा जुड़ा हुआ था, लेकिन उक्त सेवा का संचालन अनार्थिक होने के कारण इसे केवल जयपुर से जोधपुर तक ही संचालित किया जा रहा है। इस सेवा को पुनः प्रारम्भ करने की दृष्टि से जोधपुर से जैसलमेर के बीच क्षेत्रवार यात्री-भार की उपलब्धता का पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के आधार पर पुनः विचार कर अतिशीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

भवानी मंडी–इन्दौर बस को वाया डग से चलाना

695. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भवानी मण्डी से इन्दौर जो बस चलती है, उसे वाया डग चलाने में विभाग दिलचस्पी रखता है ?

(2) क्या भवानी मंडी से इन्दौर का बस रूट वाया डग सीधा पड़ता है, गाड़ी को सवारियां भी पर्याप्त मात्रा में मिलने की संभावना है तथा सड़क का भी डामरीकरण हो चुका है ? यदि, हां तो क्या उक्त बस को वाया डग चालू करवाया जावेगा ?

(3) क्या भवानी मण्डी से जयपुर के लिये सीधी बस सेवा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) भवानी मंडी एक औद्योगिक व व्यापारिक शहर है फिर भी भवानी मण्डी से जयपुर के लिये सीधी बस सेवा नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(5) क्या सीधी बस सेवा आरम्भ करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब तक इस मार्ग पर बस चलाने हेतु राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच पुनः पारस्परिक परिवहन समझौता नहीं होता तब तक इस मार्ग पर बस सेवा संचालित करना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं। भवानी मण्डी से जयपुर सीधी बस सेवा हेतु पर्याप्त सीधा यात्रीभार उपलब्ध न होने के कारण सीधी बस सेवा का संचालन अनार्थिक है।

(4) भवानी मण्डी एक औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र अवश्य है लेकिन वहां से जयपुर के लिये वांछित संख्या में सीधे यात्री उपलब्ध नहीं होते। अतः सीधी बस सेवा का संचालन अनार्थिक है।

(5) जी नहीं। सीधी बस सेवा हेतु पर्याप्त यात्रीभार न मिलने के कारण वर्तमान में सीधी बस प्रारम्भ करने का विचार नहीं है।

रामगंज मंडी में छात्रावास की अपर्याप्तता

696. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के रामगंज मण्डी में स्थित समाज कल्याण छात्रावास में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के मुकाबले स्थान कम है ?

(2) क्या छात्रावास में छात्रों हेतु सीटें बढ़ाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है ? क्या सरकार छात्रों की सीटें बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कोटा जिले के कस्बे मंडाना एवं चेचट में नये छात्रावास खोलने की जनता द्वारा मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो सरकार चेचट एवं मंडाना में कब तक छात्रावास खोल देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पूर्व में इस छात्रावास की स्वीकृत संख्या 30 थी जिसे वर्ष 1977-78 में बढ़ा कर 40 करदी गई थी। इसके अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के लिये प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण अभी सीटें बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। अभी प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

आदिवासी बहुल क्षेत्र में औद्योगिक विकास

697. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक राज्य स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन सदस्य मनोनीत किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई और किस-किस जिले में किस-किस प्रकार के उद्योग लग सकने की संभावना प्रकट की गई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने राजस्थान के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगानें के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसके निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये हैं :-

(1) अध्यक्ष :-
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

(2) सदस्य :-

1. संयुक्त निदेशक, उद्योग, उदयपुर।
2. कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट, उदयपुर।
3. निदेशक, खनिज विभाग, उदयपुर।

(2) समिति की अब तक एक बैठक हुई है किस-किस जगह में किस-किस प्रकार के उद्योग लग सकने की संभावना हेतु रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

सवाई माधोपुर में मांडा योजनान्तर्गत पेयजल व्यवस्था

698. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सब डिवीजन सवाई माधोपुर में मांडा योजना के तहत पीने के पानी के कुओं के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को पैसा दिया गया है ? यदि हां, तो सब डिवीजन सवाई माधोपुर में तथा कितनी ग्राम पंचायतों को कुल कितने कुओं के लिये दिया गया है।

(2) क्या यह भी सही है कि मांडा योजना के अन्तर्गत बनाये गये कुओं को ग्राम पंचायतों द्वारा अभी पूर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने कुए अपूर्ण पड़े हैं तथा कितनों से पानी मिल रहा है ? अपूर्ण कुओं को पूर्ण कब तक करा दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां। सवाई माधोपुर सब डिवीजन में कुओं के निर्माण हेतु पंचायत समिति के माध्यम से 37 ग्राम पंचायतों को वर्ष 78-79 से 82-83 तक 84 कूप निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) 84 कूप निर्माण में से अभी तक 20 कुओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा पानी मिल रहा है। शेष 64 कुए अपूर्ण हैं। अपूर्ण कुओं को मानसून से पूर्व पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

समन्वित बाल विकास योजना

699. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सरकार की समन्वित बाल विकास योजनायें राजस्थान में वर्तमान में कितने ब्लॉक्स में चलाई जा रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामकिशोर मीणा)

(2) क्या इन योजनाओं को और अधिक व्यापक बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किन-किन ब्लॉक्स में? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। वर्ष 1983-84 में निम्न पंचायत समिति क्षेत्रों में 16 नये केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है :–

क्र.सं. जिला	परियोजना का स्थान ब्लाक्स	परियोजना का प्रकार
1. सिरोही	1. रेवदर	आदिवासी
	2. आबू रोड	ग्रामीण
2. डूंगरपुर	3. आसपुर	आदिवासी
	4. विछीवाड़ा	आदिवासी
3. बांसवाड़ा	5. घाटोल	आदिवासी
	6. तलवाड़ा	आदिवासी
4. उदयपुर	7. कोटड़ा	आदिवासी
	8. तराड़ा	आदिवासी
	9. खेरवाड़ा	आदिवासी
	10. गोगुन्दा	ग्रामीण
5. जोधपुर	11. जोधपुर	शहरी
	12. शेरगढ़	ग्रामीण
6. भरतपुर	13. डीग	ग्रामीण
7. बाड़मेर	14. सिवाना	ग्रामीण
8. स. माधोपुर	15. नादोती	ग्रामीण
9. पाली	16. जैतारण	ग्रामीण

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

नगरपालिका सांचोर क्षेत्रान्तर्गत गोचर भूमि

700. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर जिला के सांचोर नगरपालिका क्षेत्र में कौन-कौन से खसरा नम्बर गोचर में दर्ज हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गोचर भूमि को तहसीलदार को आवंटन या नियमित करने का अधिकार नहीं है व जिलाधीश अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके ही गोचर भूमि को तहसीलदार आवंटन कर सकता है?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचोर तहसीलदार ने 1 जनवरी, 1981 से आज तक कई व्यक्तियों को गोचर भूमि को बिना जिलाधीश के या सरकार की स्वीकृति के आवंटन एवं रेग्यूलाइज कर दिया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कब-कब आवंटन एवं रेग्यूलाइज किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटन एवं रेग्यूलाइजेशन नियमों के विरुद्ध हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उस आवंटन को रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(5) जिन अधिकारियों ने गलत आवंटन किया उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(३५)

उत्तर

(1) सांचोर नगरपालिका क्षेत्र के गोचर में दर्ज खसरा नम्बर निम्नांकित हैं:-

116, 118, 121, 133,429, 470, 223, 285, 291, 291/15, 291/18, 291/19, 291/20, 291/22, 291/23, 291/24, 291/25, 291/26, 291/27, 612, 614, 663, 663/7, एवं 663/6 .

(2) जी हां। शहरी क्षेत्रों में प्रभावशील कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1978 व 1981 के अन्तर्गत तहसीलदार गोचर भूमि के आवंटन या नियमन करने के लिये सक्षम नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) जब किसी भी अधिकारी द्वारा गलत आवंटन या नियमन किया ही नहीं गया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सोजत उप-खण्ड में लीज की स्वीकृति

701. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली के सोजत उपखण्ड में सन् 1981 व 1982 में किस-किस व्यक्ति को किस-किस क्षेत्र की किस-किस माइनर एवं मेजर खनिज की लीज, किस-किस तारीख को स्वीकृत की गई ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई लीजेज में से किस-किस ने कब-कब लीज एग्रीमेन्ट निष्पादित किया ?

(3) प्रश्न के भाग (1) में स्वीकृत लीजेज का जिन-जिन मामलों में लीज निष्पादित नहीं किया गया उनमें से किन-किन ने समय के अन्दर लीज एग्रीमेन्ट निष्पादित करने हेतु स्टाम्प्स जमा करवाये एवं नियम 32 के अनुसार प्रतिभूति राशि जमा करायी ? जिन-जिन मामलों में लीज एग्रीमेन्ट निष्पादित नहीं किया गया उनकी लीजेज को कब-कब रिवोक किया गया, जिन मामलों में लीजेज को रिवोक नहीं किया गया उन मामलों में सरकार कब तक फैसला कर लेगी ?

उत्तर

(1) सन् 1981 एवं 1982 में मेजर तथा माइनर लीज के स्वीकृत खनन पट्टों की सूची मय स्वीकृति दिनांक के क्रमशः परिशिष्ट "क" व "ख" में दी गई है।

(2) संविदा निष्पादन की तिथि भी परिशिष्ट "क" व "ख" में अंकित कर दी गई है।

(3) स्वीकृत पट्टों के मामलें में स्टाम्प्स व प्रतिभूति जमा कराने सम्बन्धी सूचना तथा जिन मामलों में स्वीकृति प्रतिसंहृत की गई है उनमें स्वीकृति प्रतिसंहृति दिनांक भी परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं। जिन मामलों में स्वीकृति प्रतिसंहृत अभी तक नहीं की गई है, उनमें शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जिला बांसवाड़ा में कृषि भूमि का रूपान्तरण

702. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्व अभियान के तहत बांसवाड़ा

(श्री बहादुर सिंह)

जिले में किन-किन पंचायतों में कितने-कितने मामले कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरण के निपटाये गये ? पंचायतवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामों में बढ़ती आबादी की आवासीय समस्यों के हल हेतु राजस्व अभियान में बांसवाड़ा जिले में कुल कितनी भूमि पंचायतों को आबादी के लिये आवंटित की गई ? पंचायतवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व अभियान के अन्तर्गत कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरण के 29 प्रकरण निपटाये गये। पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राजस्व अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को 94.54 एकड़ भूमि आबादी विस्तारण के लिये आवंटित की गई है। पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन मुकदमे

703. **श्रीमती भगवती देवी (भिनाय)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व मण्डल अजमेर में गत 5 वर्षों से वर्षवार कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

(2) राजस्व मण्डल में माननीय सदस्य अपीलें अथवा निगरानियां आदि कितने बजे से कितने बजे तक वास्तविक सुनवाई करते हैं ?

(3) राजस्व मण्डल अजमेर में गत पांच वर्षों में वर्षवार कितने मुकदमे (अपील एवं निगरानी) फैसले किये और कितने दर्ज किये गये ?

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल के समक्ष गत 5 वर्षों से वर्षवार विचाराधीन वादों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मुकदमों की संख्या (31 दिसम्बर को पेंडिंग)
1978	7937
1979	8746
1980	8871
1981	9035
1982	13889

(2) माननीय सदस्य प्रातः 10-30 बजे से 1-30 बजे तक अपीलों/निगरानियों की सुनवाई करते हैं।

(3) गत पांच वर्षों में वर्षवार दर्ज फैसले/किये गये वादों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दर्ज	फैसला
1978	4586	5594
1979	5044	4235
1980	4839	4714
1981	4872	4708
1982	4689	3713
योग	24030	22964

(36)

अलोह धातुओं के उत्खनन से जल एवं वायु प्रदूषण

704. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अलोह धातुओं का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनके उत्खनन से जल और वायु प्रदूषण का खतरा रहता है ?

(3) क्या इनके बढ़ते हुये उत्खनन को देखते हुए राज्य सरकार जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम पर नियम बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलोह धातुओं के क्षेत्र में राजस्थान में केवल सीसा, जस्ता व ताम्बे के अयस्कों का उत्पादन होता है जिनमें सीसा-जस्ता अयस्क उत्पादन में राज्य का देश में सर्वोच्च स्थान है तथा ताम्बा अयस्क उत्पादन में राज्य का देश में द्वितीय स्थान है । अन्य अलोह धातु जैसे एल्यूमिनियम, निकल आदि का राज्य में कोई उत्पादन नहीं होता है।

(2) जी हां, किन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से इनको सीमित करने हेतु सभी प्रयास सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार ने जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम बनाये हैं । राज्य सरकार ने इन अधिनियमों के आधार पर पोल्यूसन बोर्ड का गठन किया है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वृद्धावस्था पेन्शन

705. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर जैसलमेर में वृद्धावस्था पेन्शन कितने व्यक्तियों को दी जा रही है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान वृद्धावस्था पेन्शन के कितने केस आए ? उनमें कितनों को स्वीकृति दी गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर में वृद्धावस्था पेन्शन नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में 2,159 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी जा रही है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान 720 मामले वृद्धावस्था पेन्शन के आये थे उनमें 384 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई । तहसीलवार सूची संलग्न है। शेष में से कुछ प्रार्थना-पत्रों की छानबीन जारी है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

जोधपुर में ढाणियों के रूपान्तरण शुल्क की वसूली

704. **श्री नरपतराम बरबड़** (सूरसागर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर पेरीफेरी विलेजेज के खातेदार काश्तकारों ने अपनी कृषि भूमि में वर्षों पूर्व रहवासी ढाणियां व बाड़े बनाए थे उन्हें आबादी में परिवर्तन करने हेतु परिवर्तन शुल्क जमा कराने हेतु मजबूर किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उनके खुदकाश्त की जमीन पर मकान, बाड़ा, कुएं पर मशीनघर आदि आवश्यक नहीं हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन लोगों (काश्तकारों) को खातेदारी अधिकार सेटलमेन्ट के वक्त निःशुल्क दिए थे? यदि हां, तो सैटलमेंट के वक्त की बनी हुई ढाणियों के रूपान्तरण शुल्क 30 वर्ष बाद लेना क्या उचित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार परिवर्तन शुल्क माफ करने के आदेश जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 67 के अनुसार खुदकाश्त की जमीन पर कृषि कार्य में सुधार हेतु निर्माण नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कर कराने वाले किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया है। जोधपुर पेरीफेरी विलेजेज के खातेदार काश्तकारों जिन्होंने नियमानुसार अनुमति प्राप्त नहीं कर कृषि भूमि पर निर्माण करा लिया है। उन मामलों में राजस्थान भू-राजस्व नगरीय क्षेत्रों में आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि (आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 के नियम (2) (ग) के अन्तर्गत कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(2) सैटलमेंट के समय जो खातेदारी अधिकार काश्तकारों को कृषि भूमि से सम्बंधित दी है वे निःशुल्क ही दी है परन्तु सैटलमेन्ट द्वारा जारी पट्टे में जो भूमि आबादी दर्ज नहीं है तो ऐसी भूमि पर निर्मित रहवासीयर मकानों पर परिवर्तन शुल्क वर्तमान नियमानुसार देय होगा। काश्तकार अपने खाते की भूमि पर यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 67 के तहत तहसीलदार की अनुमति से सुधार कार्य करता है तो ऐसे मामलों पर रूपान्तरण नियम के अन्तर्गत शुल्क लागू नहीं होगा। राज्य सरकार के समक्ष परिवर्तन शुल्क माफ करने का ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। न ही माफ करने का प्रश्न है।

को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी बाड़मेर द्वारा गोदाम निर्माण

707. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश बाड़मेर ने उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग को को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी बाड़मेर को गोदाम के लिये ग्राम गुड़ामालानी में ख. नं. 1683/4 में 1500 वर्गमीटर जमीन आवंटन करने हेतु पत्रांक क्रमांक राजस्व/80/4222 दिनांक 23-10-1980 एवं स्मरण–पत्र क्रमांक राजस्व 80/50 720 दि. 1–12–1980, क्रमांक/राजस्व/

(श्री हेमाराम चौधरी)

81/605 दिनांक 9-2-1981, क्रमांक/राजस्व/81/3617 दिनांक 29-6-81 एवं क्रमांक/राजस्व/81/4222दिनांक 1-8-1981 के द्वारा अपनी सिफारिश भेजी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित भूमि मार्केटिंग सोसाइटी के गोदाम के भवन के लिए शीघ्र आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी ने भी उक्त गोदाम की भूमि के लिए दिनांक 20-10-1981 को उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग को पत्र लिखा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश के प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(2) राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर भूमि आवंटन नियमानुसार किया जावेगा।

(3) जी हां, राज्य स्तर से निर्णय ले लिया गया है।

कोटा, बूंदी, झालावाड़ के खनिज क्षेत्र

709. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कहां-कहां खनिज क्षेत्र घोषित किये हुए हैं ? विभाग द्वारा 1981-82 व 1982-83 में उक्त घोषित क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि में कौन-कौन से खनिज क्षेत्रों में कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण करवाया गया इनमें कितनी धनराशि व्यय हुई ? विवरण मय स्थान एवं वर्ष के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिले में खनिज क्षेत्र घोषित नहीं किये हुए हैं। न ही कोई भूमि खान विभाग के नाम आवंटित कराई गई है। प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर उपलब्ध भूमि में खनन पट्टे स्वीकृत किये जा रहे हैं। खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 1981-82 में बूंदी एवं कोटा खनिज क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर 12.74 लाख रुपया व्यय हुआ। इसी प्रकार वर्ष 1982-83 में चालू सड़कों पर करीब 8.00 लाख रुपया व्यय हो चुका है। चालू वित्त वर्ष में बूंदी जिले में 3 नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति 5.20 लाख रुपया दी है उसमें से 0.05 लाख रुपया व्यय हुआ है। कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में निर्माणाधीन सड़कों की सूची व राशि जो इनके निर्माण में व्यय हुई है, उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के तहत जैसलमेर में निर्णीत मामले

710. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के तहत जैसलमेर जिले के अब तक कितने व कौन-कौन से मामले निर्णीत किये गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव की आबादी, भूमि विस्तार, गोचर भूमि घोषित करना, विद्यालयों के लिये भूमि आवंटन करना, विकलांग तथा अनाथों की पेंशन, फ्रेगमेन्टेशन के कारण मामलों की नामान्तरकरण की कार्यवाहियां करने का प्रावधान था ? यदि हां, तो उक्त मामलों के तहत कितने मामले निर्णीत किये गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के तहत जैसलमेर जिले में कुल 12,452 मामले निर्णीत किये गये । मामलेवार व ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के तहत ग्राम की आबादी का विस्तार गोचर भूमि घोषित करना, विद्यालय के लिए भूमि आवंटन करना, विकलांग तथा अनाथों की पेंशन स्वीकार करने का प्रावधान था । फ्रेगमेन्टेशन के कारण मामलों का नामान्तरकरण करने का मामला नहीं था। ग्रामवार सूची गोचर भूमि घोषित करने व विद्यालयों के भूमि आवंटन की संलग्न है। आबादी विस्तार एवं विकलांग तथा अनाथों को पेंशन स्वीकृत करने हेतु सूचना भाग 1 के साथ संलग्न सूची में दी हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

प्रतापगढ़ में आवासन मंडल की पंजीकरण योजना

711. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में सामान्य पंजीकरण योजना आरंभ कर दी गयी है ?

(2) यदि हां, तो आवासन मण्डल प्रतापगढ़ में किस प्रकार के कब तक आवास भवन तैयार कर आवंटित कर देगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मण्डल द्वारा किसी भी स्थान पर 200 आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य की योजना बनाई जाती है। 15.3.83 तक जारी सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के लिये 200 या इससे अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवेदकों की संख्या को ध्यान में रख कर भूमि अवाप्त की जावेगी। उसके बाद मकान बनाने की योजना बनाई जावेगी।

पिछड़ी जातियों को सस्ता न्याय

712. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पिछड़ी

(40)

(श्री रामकिशोर मीणा)

जातियों को सस्ता न्याय दिलाने हेतु विशेष न्यायालय खोले हैं ? यदि हां, तो इनके खोलने के आदेश कब हुए तथा इन्होंने कब से कार्य प्रारम्भ किया है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक इन न्यायालयों में इन पिछड़ी जातियों के केसों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने तीन विशेष न्यायालय कोटा, अलवर, एवं नागौर में स्थापित किये हैं। इन न्यायालयों को खोलने की अधिसूचना दिनांक 21-11-80 को जारी की गई थी और उक्त तीनों विशेष न्यायालयों ने दिनांक 1-12-80 से ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(2) उक्त तीनों न्यायालय से सम्बंधित राजस्व जिलों के अनुसूचित जातियों एवं हरिजनों पर ज्यादातियों के मुकदमों को उक्त न्यायालयों में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं तथा अन्य जिलों में ऐसे मुकदमे उनसे जिलों के सम्बंधित न्यायालयों द्वारा सुने जा हैं, जिसके लिये उच्च न्यायालय ने सभी न्यायालयों को सप्ताह में एक दिन मुकर्रर करने का निर्देश जारी कर दिया है और इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया है ।

पाली जिले में प्रधान खनिज क्षेत्र

713. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में प्रधान खनिज का वर्ष 1982 में किस-किस ने लीज एग्रीमेन्ट निष्पादित नहीं किया ?

(2) प्रश्न के भाग (1) की सूची में बताई गई लीजेज को राज्य सरकार ने कब-कब रिवोक किया व उन क्षेत्रों के लिए पुनः आवेदन आमन्त्रण के लिये फ्री कब व किस राजपत्र में घोषित किया ? यदि नहीं किया तो क्या सरकार राज्य सरकार से आर्थिक विकास में गति लाने हेतु ऐसे मामलों को शीघ्र विज्ञापित करवा कर राज्य की आय बढ़ावेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रधान खनिज की सभी लीज, जो साल भर से भी अधिक समय से काम नहीं कर रही हैं, उन्हें काम करने को बाध्य करेगी ताकि राज्य को राजस्व आय का घाटा नहीं रहे ?

(4) क्या राज्य सरकार प्रधान खनिज की दो वर्षों से भी अधिक समय से काम नहीं कर रही सभी लीज को रद्द करने की कार्यवाही करेगी ताकि खनन कार्य चालू हो सके या उन क्षेत्रों को पुनः पट्टे पर दिया जा सके ?

उत्तर

(1) पाली जिले में प्रधान खनिजों के पट्टों का वर्ष 1982 में लीज एग्रीमेंट नहीं किया गया है। इनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "क" में दी गई है।

(2) राज्य सरकार ने जिन मामलों में स्वीकृति प्रतिसंहृत की है, वह सूचना परिशिष्ट 'क' में अंकित कर दी गई है। जिन पट्टों का लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उनमें से अभी तक किसी को राजपत्र में रिक्त घोषित नहीं किया गया है जिन मामलों में स्वीकृति प्रतिसंहृत नहीं की गई है, उनमें स्वीकृति प्रतिसंहृत हेतु कार्यवाही जारी है । शेष मामलों में क्षेत्र शीघ्र रिक्त घोषित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(खनिज मंत्री)

(3) प्रधान खनिज के सभी पट्टे जिनमें अधिक समय तक खनन काम नहीं होता है, उन्हें नियमानुसार नोटिस देकर उचित कार्यवाही की जाती है।

(4) प्रश्न चार का उत्तर प्रश्न तीन के उत्तर के ही अनुरूप है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)।

रामपुरा-आगूचा जस्ता, सीसा खान

714. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामपुरा आगूचा जस्ता, सीसा खान में दोहन कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि हां, तो यह कार्य राज्य सरकार कर रही है अथवा केन्द्र सरकार?

(2) इन खानों की भण्डार क्षमता कितनी है? इनसे राज्य सरकार को क्या आय हो रही है?

उत्तर

(1) रामपुरा आगूचा में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जो भारत सरकार का अन्डरटेकिंग है, के द्वारा वर्ष 1981 से ही प्रोस्पेक्टिंग व खनन कार्य (development) प्रारम्भ हो चुका है।

(2) अब तक किये गये पूर्वेक्षण व सर्वेक्षण कार्य के अनुसार रामपुरा क्षेत्र में 611 लाख टन लैडजिंक अयस्क के भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं। वर्ष 1982 में राज्य सरकार को इन खानों से 4,55,620/—रु० की आय हुई है।

उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाजनगर

716. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाज नगर को कब-कब प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कब-कब कितने-कितने क्षेत्र के लाइम स्टोन खनिज के पट्टे स्वीकृत किये जाकर उनका एग्रीमेन्ट किया गया?

(2) इन स्वीकृत क्षेत्रों में से कब-कब कितना-कितना क्षेत्र किस-किस कारण से अध्यर्पित किया गया तथा क्या अध्यर्पित क्षेत्र पुनः किसी को पट्टे पर दे दिया गया है?

उत्तर

(1) सर्वश्री उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाजनगर, उदयपुर को दो खनन पट्टे स्वीकृत किये गये जिसकी विगत प्रश्न के अनुसार निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं	आवेदन दिनांक	क्षेत्र	स्वीकृत तिथि	संविदा निष्पादन दिनांक
1.	24.7.68	1548.65 हैक्टर्स	30.12.68	22.2.69
2.	26.2.78	228.80 हैक्टर्स	19.6.82	27.9.82

स्वीकृत क्षेत्रों में से अध्यर्पित किये गये क्षेत्र की सूचना निम्नानुसार है :—

अध्यर्पण दिनांक	क्षेत्र	कारण
3.4.81	847 हैक्टर्स	क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण।

(2) यह अध्यर्पित क्षेत्र अभी तक किसी को खनन पट्टे हेतु नहीं दिया गया है।

(42)

तहसील नोखा में आवंटित गेहूं व चीनी

717. **श्री सुरजा राम टॉक** (नोखा) : क्या खाद्य व आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बीकानेर की तहसील नोखा में अगस्त, 1982 से फरवरी, 1983 तक कुल कितनी बोरी गेहूं व चीनी आवंटित की गयी ? उक्त समय में उक्त तहसील के लिए जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को कितनी-कितनी बोरी गेहूं, चीनी व सीमेन्ट की मांग की गयी थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील नोखा में अगस्त, 1982 से फरवरी, 1983 तक आवंटित किये गये गेहूं व चीनी की मात्रा निम्नरूपेण है :—

(मात्रा क्वि. में) नाम माह	गेहूं	चीनी
अगस्त, 1982	4000	750
सितम्बर, 1982	4000	720
अक्टूबर, 1982	1000	750
नवम्बर, 1982	500	725
दिसम्बर, 1982	4000	953
जनवरी, 1983	1000	720
फरवरी, 1983	3000	720

उक्त अवधि में तहसील नोखा के लिये जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को गेहूं, चीनी व सीमेन्ट की कोई मांग नहीं भेजी गई थी।

पंचायत समिति बाली के ट्राइबल ब्लाक

718. **श्री असलम खां** (बाली) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बाली के ट्राइबल ब्लाक में कुल कितने गांव घोषित किये हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ट्राइबल ब्लाक में हुए आदिवासी जन बाहुल्य गांव सम्मिलित नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) ट्राइबल ब्लाक, बाली (पाली) में अब तक विभिन्न कार्यों हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार ने कितना बजट एलाट किया ? कृपया वर्षवार राज्य और केन्द्र के बजट का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति बाली के 21 गांव लघुखण्ड माडा योजना में शामिल किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। सूची "क"

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जनजाति बाहुल्य ग्रामों को लघुखण्डों में सम्मिलित किया गया है।

(3) जनजाति लघुखण्डों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु राशि केवल भारत सरकार से ही प्राप्त होती है। बाली लघुखण्ड हेतु वर्ष 1978-79 से 1982-83 तक कुल 24.56 लाख रुपये आवंटित किये गये। वर्षवार आवंटित राशि का ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत है। सूची "ख"

(सूची व ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 मार्च, 1983)

राज्य के कारागृह विभाग में कार्यरत स्टाफ

397. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कारागृह विभाग में उप अधीक्षकों के कुल कितने पद हैं ?

(2) उनमें से पिछले दो वर्षों में कितने खाली रहे ? इसका क्या कारण रहा ?

(3) क्या यह सही है कि खुली जेलों का स्टाफ भी वर्तमान में केन्द्रीय कार्यालय में ही कार्यरत है ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1982—83 में वार्डरों की नियुक्ति में अनेक घोटाले और अनियमितताओं की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या उनकी जांच करवाई ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) कारागार विभाग में उपाधीक्षकों के कुल 26 पद स्वीकृत हैं।

(2) वर्ष 1981—82 और वर्ष 1982-83 में उपाधीक्षकों के क्रमशः 13 एवं 15 पद रिक्त रहे हैं। उपाधीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति 50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से किये जाने का नियमों में प्रावधान है। नियमानुसार पदोन्नति के लिये कारापाल के पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। विभाग में 5 वर्ष के अनुभव वाले स्थाई कारापाल वर्ष 1981—82 में नहीं थे। उन्होंने अब 5 वर्ष की सेवा कारापाल के पद पर पूरी की है, जिसके लिये अब पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। 81—82 एवं 82—83 के सीधी भर्ती वाले पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही की गई। आयोग ने 6 आशार्थियों का चयन किया जिन्हें तारीख 13-12-82 को नियुक्ति दी गई। इनमें से 4 ने अपनी उपस्थिति माह दिसम्बर, 1982 जनवरी, 1983 में दी है तथा दो ने नहीं दी। रिजर्व पैनल प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन—झालावाड़ जिले की पंचायत पंचपहाड़ को नगर पालिका भवानी मण्डी में गत 6 जुलाई को विलीन करने के बाद भी सरपंच द्वारा अभी तक चार्ज न देने के विषय में,

(2) श्री दाऊदयाल जोशी—ग्राम दूदवा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू में पहाड़ की चोटी व उसके आसपास के आबादी क्षेत्र में लौह खनन हेतु हरियाणा की एक पार्टी को ठेका देने पर उसके द्वारा ब्लास्टिंग किये जाने से निवासियों में भय व्याप्त होने के विषय में,

(५९)

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हरीश शर्मा--राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम अभी तक पूरे घोषित न होने तथा अंक तालिकाएं छात्रों को वितरित न करने के विषय में,

(4) श्री यदुनाथ सिंह गत 14–15 मार्च की रात्रि को नगर पालिका बयाना में एक अधिकारी श्री सांखला के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमले के विषय में,

(5) श्री हंसराज शर्मा–जिला सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत ओलवाड़ा के सरपंच द्वारा गबन किये जाने के विषय में,

(6) श्रीमती विद्या पाठक –सांगानेर तहसील की ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर एक सरपंच द्वारा अवैध कब्जा करने के विषय में,

(7) श्री गोपाल पचेरवाल–केशोराय सहकारी शुगर मिल केशवरायपाटन, जिला बूंदी के गन्ना उत्पादकों को गत जनवरी में मूल्य वृद्धि का आश्वासन जिलाधीश द्वारा दिये जाने पर भी कम भुगतान करने के विषय में,

(8) श्री गुलाब चन्द कटारिया–सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तिम वर्ष विधि की परीक्षा में एक भी छात्र के उत्तीर्ण न होने के विषय में,

(9) श्री महावीर प्रसाद व श्री घनश्याम तिवाड़ी-जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के ग्राम सोलंकिया तला में अज्ञात बीमारी से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होने के के विषय में,

(10) डॉ० उजला अरोड़ा–जयपुर नगर में सहकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से सड़ा गला गेहूं वितरित किये जाने के विषय में,

(11) श्री चन्द्रवीर सिंह–जिला जैसलमेर के कुछ भेड़ पालकों पर पुलिस चौकी माधोराजपुरा, थाना, फागी, जिला जयपुर के हल्के में ग्राम वासियों द्वारा हमला व अनेक भेड़ें व उनका सामान चुराने के विषय में;

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(12) सर्वश्री रघुवीरसिंह कौशल, ललितकिशोर चतुर्वेदी, छीतरलाल आर्य–गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बांधों के निर्माण से जल भराव में कमी के कारण विद्युत उत्पादन व सिंचाई की क्षमता प्रभावित होने के विषय में,

आज इस प्रश्न पर थोड़ी देर के लिये चर्चा होगी, उस समय माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

(13) श्री हीरालाल आर्य-पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल नगरपालिका के वार्ड नम्बर 7 के अनुसूचित जाति के लोगों को नल के कनेक्शन उपलब्ध न कराने के विषय में।

(14) श्री मेघराज तावड़–भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह झाला को रंगे हाथों पकड़े जाने के विषय में।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

(15) श्री भूपाल सिंह –निम्बाहेड़ा क्षेत्र में नये बांध न बनाने व पुरानों की मरम्मत न करने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और माननीय सदस्य इस पर सिंचाई विभाग की मांगों के समय आज चर्चा कर सकते हैं

(श्री अध्यक्ष)

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(1) सर्वश्री महावीर प्रसाद, जीतमल जैन व ललितकिशोर चतुर्वेदी, गुलाबचन्द कटारिया तथा श्री बंशीलाल पटवा-जैन साध्वियों के साथ अभद्र व्यवहार की घटना को लेकर भीलवाड़ा में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज ।

सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस द्वारा उत्तेजित भीड़ के जबरन जिलाधीश कार्यालय में घुसने से रोकने के प्रयास के समय भीड़ ने पथराव किया था तथा पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। यह भी सूचना दी गई है कि जैन समाज ने अपने आप को इस आन्दोलनात्मक गतिविधियों से पृथक कर लिया है ।

(2) श्री हीरालाल आर्य-मांगरोल तहसील जिला कोटा के ग्राम मूंडला में हरे वृक्षों की कटाई ।

सरकार ने सूचित किया है कि सिंचाई विभाग के अधिकांश क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक हरे पेड़ की कटाई की गई थी और एक खातेदार सरपंच द्वारा अपने खाते की बीड़ में से कृषि कार्य व भूमि सुधार हेतु कुछ पेड़ों को काटा गया था।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(3) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी व श्री कैलाश मेघवाल-पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर की नगरपालिका के अध्यक्ष को हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाने के विषय में ।

(4) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी-मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान द्वारा गत नवम्बर में ली गई वन पालकों की परीक्षा का परिणाम घोषित न करने के विषय में,

(5) श्री कैलाश मेघवाल-अजमेर सिंचाई विभाग द्वारा नकली व मिलावटी सीमेंट काम में लेने से निर्माण कार्यों में गिरावट आई है इस विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी, का अध्ययन किया जा रहा है। इन पर बाद में व्यवस्था दी जायेगी ।

कल श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर, माननीय सदस्य ने झालावाड़ जिले में अकाल होने के बावजूद वसूलियां जारी रहने के विषय में तथा डॉ० उजला अरोड़ा, मा० सदस्या ने अजमेर में सोजत की एक युवती मधुबाला की दहेज की मांग के कारण हुई हत्या के विषय में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इन स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य दो-दो मिनट के लिये आज ही चर्चा कर सकते हैं ।

अब जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं.....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर.

हम पांच सदस्यों ने विभिन्न सब्जेक्ट्स पर एडजोर्नमेंट मोशन दिये हुये हैं..

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि स्थगन प्रस्तावों के विषय में कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जाता। कल आपने एक लिस्ट दी थी। 'आपका एक स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण

(46)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव था उस पर कल विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। इस सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अन्य नियमों के अन्तर्गत कई तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं। इसलिये सदन के समय ग्रौर उसकी सुविधा को देखते हुए हर दिन एक दो पर वक्तव्य करवाये जाते हैं। इसको कल आप ध्यान में ले आये थे।

श्री राजबहादुर : मेरा नम्र निवेदन है कि उनको नामंजूर कर दिया जाये, रिजेक्ट कर दिया जाये ताकि दो-दो मिनट बोल लें।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं तय करूंगा, साहब। अगर महत्वपूर्ण है तो शायद मैं नामंजूर नहीं करूं। अगर नामंजूर ही आपको करवाना था तो देना ही नहीं था।

श्री राजबहादुर : नामंजूर नहीं करेंगे तो बोल भी नहीं सकेंगे। जो बोलना चाहते हैं दो-दो मिनट ...

श्री ग्रध्यक्ष : आप ही दे दें ग्रौर आप ही उसको नामंजूर कह दें तो वह बात, वह विषय ही समाप्त हो जाता है। कोई माननीय सदस्य कष्ट करते हैं चैम्बर में आने का ग्रौर मुझे परिस्थितियां समझाते हैं उसके अनुसार मैं निर्णय लेता हूं। सदा ही जैसा मैं निवेदन करता रहा हूं एक प्रश्न-काल आसन के साथ ग्रौर हो जाये, मेरे लिये यह सम्भव नहीं है। जितने प्रकार के स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अन्य कई तरह के प्रस्ताव माह-डेढ़ माह के सत्र में आयं, प्रत्येक की क्या स्थिति है उसके विषय में तत्काल निवेदन नहीं कर सकता। उसकी व्यवस्था बनाई हुई है। उसके बाद भी शिकायत होती है ग्रौर माननीय सदस्य आकर कहते हैं तो उसके बारे में बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं।

श्री राजबहादुर : मैं कक्ष में मिल लूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : आप जानते हैं ग्रौर मैं समझता हूं, आपको इस बात की तसल्ली भी होगी, जो जनोपयोगी विषय होता है किसी वर्ग पर या किसी व्यक्ति पर अत्याचार हुआ हो, कोई जघन्य काण्ड हुआ हो उसके बारे में बोलने का मैं कुछ न कुछ समय अवश्य देता हूं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी सदन की कार्यवाही चलाने की है इसलिये अब जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं वह कृपया दो-दो मिनट बोल लें। उसके बाद किन्हीं को कोई शिकायत हो तो उसके लिये भी दो-दो तीन-तीन मिनट का समय मैं अलग से दे दूंगा। लेकिन यह पहले कार्यवाही प्रारम्भ कर दें। नहीं तो अब फिर मेरे साथ प्रश्नकाल हो जाय, यह संभव नहीं है। इससे अव्यवस्था फैलती है ग्रौर सदन का समय जाता है। पहले मैं जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकारूं ग्रौर जिनसे निवेदन करूं वह अपनी बात दो-दो मिनट में कह दें। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा किसी प्रकार के प्रश्न की।

ऑर्डर। माननीय सदस्य, हीरालाल आर्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर।

श्री ग्रध्यक्ष : पाइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर था एक। पाइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर होना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोशिश यही है साहब।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को किस प्रकार निलम्बित किया गया यह अभी प्रश्न काल में हम ध्यान में लाये थे प्रश्न के द्वारा। यहां

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हमने इसलिये चर्चा की कि ऐसे गरिमामय पूर्ण पद को यदि इस प्रकार अपमानित किया जायेगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो जो कुछ सदन में हुआ है उस पर आप टीका-टिप्पणी कर रहे हैं।

इसमें औचित्य का प्रश्न क्या है, उस पर पहले आइये ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि यह कानूनी पाइन्ट है। कानूनी जो मसला है उससे शुरू करें उसके बाद में तो विषयान्तर हो जायें तो भी विचार किया जा सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसे मसले पर हमने प्रश्न किया था, हमको रेजिगनेशन की प्रतिलिपि दिलवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने वही शुरू कर दिया। यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। इसके लिये अलग से मेरे चैम्बर में मिलें। मैं नियम देखूंगा, आप भी नियम देख कर आयें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो सुविधा का प्रश्न है। हमें कार्य कैसे करना है, इसका प्रश्न है।

श्री हीरालाल आर्य। पीपल्दा क्षेत्र के बारे में।

श्री महाराम चौधरी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नियमों की पुस्तिका बताइये, आपके पास है या नहीं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र को चलते हुए करीब महीना भर होने को आ रहा है और किसी डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत काम-काज में लगे हुए रहते हैं और हम लोगों के जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वे रह जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये। ऐसा है पाइन्ट ऑफ आर्डर जो है वह विधान सभा का जहां तक प्रशासनिक क्षेत्र है, उसकी प्रसशानिक व्यवस्थायें हैं उसके बारे में, माननीय सदस्य, यह पहला ही सिद्धान्त है, आपने सूचना के तौर पर कहा है, ठीक है, इस संबंध में एक प्रश्न पहले भी आया था। इस संबंध में विचार किया जा रहा है।

श्री हीरालाल जी। पहले मैं कार्य समाप्त कर दूं उसके बाद में।

कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : कृपया बैठ जायें। अध्यक्ष महोदय, हमने 17 तारीख से अब तक कोई 26 या 27 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य। इस पर मैं बात नहीं करूंगा, अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है। आप डिफायेंस कर रहे हैं आसन के आदेश का। मैं इस पर यहां नहीं सुनूंगा। आपको अगर कोई असुविधा है तो मेरे चैम्बर में पधारें। ऑर्डर

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

ऑर्डर प्लीज। बैठ जायें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हंसराज शर्मा : हमको बोलने मत दो। हमको बोलने की तो आवश्यकता नहीं है लेकिन सरकार से जानकारी आये वह तो बतावें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मांगरोल नगर पालिका के वार्ड नं० 7 में अनुसूचित जाति के कुछ लोग रहते हैं उन्होंने नल का कनेक्शन प्राप्त करने के लिये एक डेढ़ दो साल पहले आवेदन किया था लेकिन विभाग वाले उनको कहा है कि जब तक नगरपालिका उस पर रोड कटिंग का अनापत्ति का प्रमाण पत्र नहीं देती है तब तक आपको नल का कनेक्शन नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, रोड कटिंग अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये अनुसूचित जाति के लोग नगरपालिका पहुंचे, उन्होंने निवेदन किया कि हमको नल का कनेक्शन चाहिये जब दूसरे लोग प्राप्त कर सकते हैं तो हमें भी अधिकार है। लेकिन वहां के चेयरमैन उच्च जाति के हैं, वे उनसे द्वेषता रखते हैं...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य : वह कांग्रेस (आई) के चैयरमैन है इस वजह से और द्वेषता रखने के कारण रोड कटिंग की परमिशन नहीं दे रहे हैं जिसके कारण डेढ़ व दो साल से उनको नल का कनेक्शन नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, चेयरमैन ईर्ष्यावश परमिशन नहीं दे रहा है। चेयरमैन की दया पर ही वे अनुसूचित जाति के लोग जिन्दा नहीं रहें। उसके बिना भी अनुसूचित जाति के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक है कि उनको अविलम्ब नल के कनेक्शन दिये जायें। इतना ही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और मुण्डला का भी है।

श्री अध्यक्ष : जी हां, हरे वृक्षों की कटिंग।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मांगरोल में आर.एम.सी. के किनारे सैकड़ों की संख्या में हरे-भरे वृक्ष हैं वहीं पर सिंचाई विभाग के उपखण्ड का दफ्तर है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके लोग आये दिन बड़े-बड़े वृक्षों को काटते जा रहे हैं। हरे वृक्षों को काटना बहुत बड़ा अपराध है। आजकल सरकार भी हरे वृक्षों को पनपाने और लगाने के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रही है लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी सांठ-गांठ करके हरे पेड़ों को काट-काट कर कर बेच रहे हैं। आर.एम.सी. के पास सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ नष्ट होते जा रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि उनकी रक्षा की जाय। जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से काट रहे हैं उन लोगों को रोका जाय और जिन लोगों ने हरे पेड़ काटे हैं उनको दण्डित करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर...

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, वह तो आपने कार्यवाही के लिये भेजा है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य, नियमों का पालन करते हैं इसलिये हम भी ध्यान रखते हैं।

अब भीलवाड़ा में लाठी चार्ज के विषय में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं एक माननीय सदस्य को पांच मिनट का समय दूंगा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे घटना तो प्रकाश में लानी पड़ेगी सरकार तो निर्जीव है, स्टेटमेंट देगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अवसर दे दिया। अगर आप अच्छी तरह बिल्ड-अप कर दें तो 1-2 मिनट की मैं छूट दे देता हूं। लेकिन प्रारंभ में ही मैं समय नहीं दे सकता। कृपया संक्षेप में फरमा दें।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले के सादूलखेड़ा में जो घटना हुई…

श्री अध्यक्ष : वह बात तो समझ में आ गई। उस घटना के बारे में…

श्री बंशीलाल पटवा: मुझे नाम तो लेना पड़ेगा। उसी प्रश्न को लेकर हड़ताल हुई है, अध्यक्ष महोदय, नाम तो लेना पड़ेगा। उसी प्रश्न को लेकर परसों भीलवाड़ा में हड़ताल रही, बाजार बन्द कराये गये और लगभग एक डेढ बजे के बीच में सांगानेर दरवाजे से लगभग 10 हजार नर-नारी बच्चे-बूढ़े, जिसमें माइनोरिटी के लोग थे, मुस्लिम परिवारों के आदमी भी शामिल थे, जुलूस लेकर कलेक्टर के कार्यालय पर गये। वहां प्रदर्शन किया, ज्ञापन देना चाहते थे। उस समय सिटी मजिस्ट्रेट बंसल करके हैं, उन्होंने कहा कि ज्ञापन तो चार बजे लेने वाले थे आप लोग तीन बजे कैसे आ गये। इसी बात को लेकर प्रदर्शनकारी खड़े थे। जिलाधीश महोदय किसी उद्घाटन में आसीन्द गये हुए थे। एस.पी. बंगले पर थे। एडिशनल एस.पी., दूसरे पुलिस कर्मचारी, अतिरिक्त जिलाधीश और सिटी मजिस्ट्रेट, ये सारे लोग जिलाधीश कार्यालय में थे। इसके अतिरिक्त पुलिस काफी तादाद में जिस तरह से छावनी लगाई जाती है उसी तरह से वहां पुलिस लगाई गई। भीलवाड़ा नगर एक ऐसा शान्ति-प्रिय नगर है जहां पर आपस में सद्भावना है। इतना बड़ा तूल देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे थे, हम ज्ञापन देना चाहते थे। साधारणतया प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने आते हैं। ज्ञापन ले लेते। घटना चित्तौड़गढ़ की थी। कह दिया जाता कि आपकी भावनाएं मैं सरकार तक पहुंचा दूंगा। लेकिन यह कहने के बजाय ज्ञापन लेने से मना किया। वहीं से उत्तेजना फैली। क्योंकि यह जैन समाज की भावनाओं से संबंधित प्रश्न था।

किसी वर्ग से हमको नाराजगी नहीं लेकिन सवाल इस बात का है, जिस तरह की घटना घटी, साधारणतया आम आदमी के मन में दुःख हो सकता है। सभी वर्ग के लोग वहां पर थे। अब भीड़ में से कुछ आदमी, 5-10 लोग आगे बढ़े कि हम अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, उस समय नजीर मोहम्मद, जो ए०एस०आई० था, ने क्या किया, उस समय डंडे बरसाना प्रारंभ किया। उस समय सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। करणीसिंह एडिशनल कलेक्टर उस समय मौजूद थे। जब भीड़ पीछे खदेड़ी गई, डंडे बरसाये गये, उसमें बड़े बूढ़े का ध्यान नहीं रखा गया, बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया। गंभीर चोटें आयीं। लगभग 200 व्यक्ति, जिनमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे और पुरुष थे, घायल हुए और जख्मी हुए। उनके, कुछ के तो मेडिकल भी बने। इस तरह की घटना घटी। इसके बाद….

श्री अध्यक्ष : दस हजार की भीड़ पर अकेला नजीर मोहम्मद''

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नजीर मोहम्मद को इन्चार्ज लगाया गया था। मेरा कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन उसको इन्चार्ज के रूप में लगाया गया। उसने इस तरह किया। जैसे ही लोग अन्दर मिलने गये, मैं आपको अर्ज करूं, अपने आपको मिनी चीफ मिनिस्टर कहने वाले हफीज मोहम्मद भी वहां पर थे। उनके इशारे पर यह सारा काण्ड हुआ। आज दिन तक ऐसी घटना नहीं हुई। वहां के एस०पी० की तारीफ करता हूं। एस०पी० काबिल आदमी है। इस घटना को टाला जा सकता था। कलेक्टर महोदय को मालूम था कि जुलूस आने वाला था तो वे उद्घाटन के लिये आसीन्द क्यों गये? वे वहां पर रहते। जुलूस कोई समय पर आयेगा? जनतंत्र में प्रदर्शन होता रहता है। जनतंत्र में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। ज्ञापन देना चाहते थे। इसके बाद लाठी चार्ज हुआ सो हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, एक पत्रकार दैनिक भीलवाड़ा सन्देश के लड़के राजू राठी को प्रताप टाकीज के पास से पकड़ा गया। इसी तरह से 10-15 विद्यार्थियों और बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, जो 15 वर्ष के, 14 वर्ष के माइनर ऐज के हैं, को पकड़ा गया। उस राजू राठी का एक पुलिस कर्मी ने गला दबाया। 6 घण्टे बाद वह होश में आया। वह लम्बी बीमारी से पीड़ित है। उसको कलेक्ट्रर के कमरे में ले जाकर बन्द कर दिया गया और उसको पीटा गया। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपको बताऊं, पड़ोस में सैशन कोर्ट है वहां पर घोड़े दौड़ाये गये। वहां पर लाठियां बरसायी गयीं। एक श्रीमाली एडवोकेट हैं उनके सिर पर गहरी चोट आयी। उनका सिर फट गया। इस तरह से मैं आपको बताऊं चौराहे पर घोड़े दौड़ाये गये। प्रताप टाकीज पर घोड़े दौड़ाये गये। आज भी मैं आपको बताऊं, यह मुख्य मंत्री का गृह जिला है।

मेरा तो निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इसका राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन यह अच्छा भी नहीं है। मुख्य मंत्री का क्षेत्र भी हो सकता है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी हो सकती है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। जिन लोगों का वहां पर खून बहा है, मैं आपको यह स्पष्ट रूप से अर्ज करना चाहता हूं, यह मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी है। मुख्य मंत्री ने इस तरह से कुछ अपने ए०डी०सी० वहां पर पैदा कर रखे हैं, जिनके कारण ही ऐसे काण्ड हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लोगों का खून बहा है, बच्चों का, बूढ़ों का, महिलाओं का इस काण्ड में। वहां अभी भी शान्ति नहीं है। कल भी पूर्ण बन्द रहा। उदयपुर बन्द रहा, उसी तरह यहां बन्द रहा। आगे क्या स्थिति निर्मित होगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिन बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जिन पुलिस कर्मियों ने किया, जो दोषी हैं, मेरा यह निवेदन है कि एक तो उनको तत्काल रिमूव किया जाये और इसकी जांच की जाये। केवल एक्जीक्यूटिव जांच से काम नहीं चलेगा, न्यायिक जांच की जाये। इसके साथ साथ जो दोषी हैं उनको निलम्बित करके कार्यवाही की जाये।

इसके साथ साथ अन्त में, मैं आपको कहता हूं यह भीलवाड़ा नगर है, मुख्य मंत्री ने सोचा होगा कि मेरी उनसे मित्रता है। परन्तु मुख्य मंत्री सन् 1957 के माथुर नहीं है वह 1983 के माथुर साहब हैं। आज वे बदल चुके हैं। इनकी पहले जैसी स्थिति नहीं

(श्री बंशीलाल पटवा)

है। उन्हें एक तरह के लोगों ने अपने घेरे में फंसा रखा है और वह खुद उस घेरे में फंसे हुए हैं। मैं सोचता हूं कि हफीज मोहम्मद और अन्य किसी साहब ने रिपोर्ट दे दी कि शान्ति है। मैं आपको अर्ज करूं, आज भी वहां शान्ति नहीं है। हालत खराब है। मेरा निवेदन है कि जिन महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों का खून बहा है, उनकी हालत खराब है। उनको सान्त्वना देनी पड़ेगी। जो दोषी हैं, उनको निलम्बित किया जाये। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तो जो खून बहा है, वही खून माथुर सरकार के कील ठोकने का काम करेगा। इतना ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र वित्त मंत्री श्री बृज सुंदर शर्मा।...

श्री अनंगकुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ा दुर्भाग्य का विषय इस सरकार के लिये है कि यह जो कुछ घोषणाएं करती है उनको कार्य रूप में परिणित करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। झालावाड़ जिले को रिकार्ड पर अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है। वास्तव में पूरा जिला ही अकाल की चपेट में है। 1544 गांव जिले में हैं और 1544 गांव ही अकाल ग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं लेकिन अकाल के नाम पर वहां पर जो काम शुरु किये गये, अध्यक्ष महोदय, कुल 1000-1100 मजदूर काम पर हैं यानि एक गांव में से औसतन एक मजदूर। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थिति उस जिले में निर्मित है। वहां पर अकाल पड़ने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। वहां पर कोई उद्योग नहीं है ताकि लोगों को मजदूरी मिल सके। राज्य सरकार के द्वारा कई बार घोषणाएं की गयी हैं कि जो जो अकाल ग्रस्त एरिया हैं वहां पर लगान और पैनल्टी की वसूली स्थगित की जायेगी परन्तु लगातार लगान वसूल किया जा रहा है, पैनल्टी वसूल की जा रही है। दफा 91 के अन्दर भारी जुर्माने किये गये वह जुर्माने रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा वसूल किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आदमी को भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, दूसरी ओर सरकार की ओर से निर्दयतापूर्वक वसूलियां की जा रही हैं; लगान वसूल किया जा रहा है, पेनल्टी वसूल की जा रही है और दूसरे प्रकार के रेट की वसूली की जा रही है। आपके माध्यम से मांग करूंगा कि कई गांवों के अन्दर "प्रशासन गांव की ओर" अभियान में राजस्व मंत्री कैम्प में गये तो वहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि जिस गांव में अकाल है उनमें लगान, पैनल्टी की वसूली रोकी जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करूंगा कि राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराकर जो अकाल ग्रस्त एरिया है वहां तत्काल इस प्रकार की पेनल्टी और लगान की वसूली रोकी जाय और अकाल सहायता के रूप में अधिक काम उपलब्ध कराये जायें ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला अकाल की ज्वाला में जल रहा है। पिछले समय सरकार ने यह घोषणा कर दी कि वहां पर 76 लाख की राशि अकाल राहत कार्य के

(52)

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

लिये स्वीकृत कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 15 तारीख को यहां पर होकर आये हैं, अभी तक एक भी अकाल राहत का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वहां की गरीब जनता पलायन करके बाहर जा रही है। अध्यक्ष महोदय, पशुग्रों के लिये चारा नहीं है ग्रौर ग्रामीण ग्रंचलों में पीने के पानी की बड़ी भयंकर किल्लत है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां पर राजस्व वसूलियां हो रही हैं, बैंकों की वसूली हो रही हैं ग्रौर उनकी जायदाद, जमीनों को कुर्क किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ग्रोर दिलाना चाहता हूं कि इन कुर्कियों को रोका जाये, पशुग्रों के लिये चारे के डिपो खोले जायें, सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायें ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके। ग्रामीण ग्रंचलों में शीघ्र से शीघ्र अकाल राहत के कार्य प्रारंभ कराये जायें। आपने राशि स्वीकृत कर दी परन्तु अभी तक राहत कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ग्रोर दिलाना चाहता हूं कि जो वसूली हो रही है वह रोकी जाये ग्रौर अकाल राहत कार्य वहां प्रारंभ किये जायें। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा मधुबाला की हत्या के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां विवाह 16 संस्कारों में एक पवित्र संस्कार कहलाता है। उस पवित्र संस्कार के बाद जो लोग हत्या करें उनकी सजा सरकार नियोजित करती है। मैं निवेदन करती हूं कि एक लड़की मधुबाला थी यह सोजत सिटी के रहने वाले, जो देवकावास में रहते हैं, मनोहर लाल भटनागर की लड़की थी। इन्होंने इसकी शादी 27-7-80 को की थी उस वक्त इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई कि दहेज में क्या नहीं दिया जाय ग्रौर क्या दिया जाय। लेकिन 1-7-82 तक यह घटना कई तरह के क्रूर आयोजनों में परिवर्तित हो गई ग्रौर धीरे-धीरे जो क्रिश्चियन गली में रहने वाला परिवार था, विजयलाल का जिसके लड़के सत्यनारायण से इसकी शादी की गई थी, उन्होंने इसको मारना पीटना ग्रौर पीहर से अनेकों चीजें लाने के लिये बाध्य करना शुरू कर दिया। पिछले साल रक्षा बन्धन पर जब मनोहर लाल ग्रौर उनका लड़का सुरेश कुमार अपनी लड़की से रक्षा बन्धन के टाइम पर राखी बन्धवाने गये तो उस समय उसकी सास, ससुर ग्रौर उसके पति ने अनेकों शिकायतें करना शुरू कर दीं। जिस समय वे हटे तो उन्होंने लड़की को समझाया कि भई तू गलतियां मत कर। उसके जवाब में लड़की ने अपने हाथ-पांव ग्रौर पीठ खोलकर दिखाई। उसको बुरी तरह से नील डाले गये थे ग्रौर उसकी हालत बुरी थी। लड़की बाप ग्रौर भाई के सामने फूट-फूट कर रोने लगी कि मुझे यहां से ले चलो, ये लोग मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। ये बार-बार कहते हैं कि आपने मुझे कम दिया। जबकि उसने शादी में 10 हजार के जेवर ग्रौर बहुत सारा सामान कपड़े, बर्तन, मिठाई, फल ग्रौर देनदारी जो भी देनी होती है वह दी थी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्या। कपड़े, बर्तन, मिठाई सब विवाह में देते ही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि इस पर पूरा प्रकाश नहीं डाला तो इससे अन्याय हो जायेगा। इसलिये मैं इस काण्ड, इस घटना का थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगी।

इसके बाद में 8 तारीख को रक्षा बन्धन के बाद दामाद ने पत्र लिखा कि इस लड़की को ले जाइये, तलाक दिलवा दीजिये मैं इसको नहीं रखना चाहता। जब मां बाप गये, उन्होंने सोचा, क्या बात है, पता नहीं, क्या घटना घटी। तो उन्होंने यह रखा कि 10 हजार रुपये इमीजियेटली आप हमें दीजिये वरना हम आपकी लड़की को छोड़ते है। वह रुपया इसलिए चाहिए कि उनको खुद की लड़की की शादी करनी थी। मान्यवर, वे व्यवस्था नहीं कर सके ग्रौर 1-10-82 को केवल 2 साल 3 महीने 20 दिन के बाद उस लड़की को जलाकर मार डाला गया। जलाया। जलाने के 8–10 घन्टे बाद मां बाप को खबर दी अजमेर से। सोजत सिटी से आने में देर नहीं लगती है। अगर वह समय पर उनको सूचना दे देते, जिस समय वह आये तो उस समय उनके परिवार के अनेकों लोग तो घर पर थे। लगता था कि कहीं कोई जला नहीं, कहीं कोई घटना ही नहीं घटी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब उसके पिता ग्रौर भाई अस्पताल गये...

श्री अध्यक्ष : राजस्थान बहुत विशाल प्रदेश है, बहुत बड़ी इसकी आबादी है। कई तरह की दुघर्टनाएं, कई तरह के अपराध वगैरह होते रहते हैं। प्रत्येक अपराध पर अपन इतनी गहराई में नहीं जा सकते। कृपया जो मुख्य समस्या है वह बता दीजिये, किस दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ इस बारे में अपन कहां चर्चा करते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये हमारे समाज में गलत तरीके से अपराध पैदा करने की प्रवृत्ति पड़ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूं।

जब वह अस्पताल गये, अस्पताल में लड़की....

श्री ग्रध्यक्ष : गलत प्रवृति पड़ रही है तो इसके लिये सामान्य चर्चा होती है, अपने आय व्ययक पर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर, गृह विभाग की मांग पर। यह तो बहुत ही अल्प अवधि का माध्यम है

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक मिनट ग्रौर लूंगी केवल। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप चाहेंगे, सदन की मेज पर रखूंगी। उसको जिस तरह जलाया गया। मैं समझती हूं कि 21 साल तक......

श्री अध्यक्ष : सदन के पटल पर किसी डॉक्यूमेन्ट को रखने के तो नियम हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नियमों के तहत आपसे अनुमति लेकर रखूंगी।

मैं कहना चाहती हूं कि मां बाप को मिलने नहीं दिया गया ग्रौर उस लड़की के पास जाने नहीं दिया गया। लड़की पीड़ित थी लेकिन जिन्दा थी। उसको जला कर मारने की चेष्टा की। जिस समय वह मर गई, पंचनामे पर जब कि उसके मां बाप ग्रौर भाई के दस्तखत करवाये जाने चाहिए थे परन्तु नहीं करवाये गये। मान्यवर अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पुलिस अधिकारी इन लोगों से मिल गये । इन लोगों द्वारा पैसा खिला कर इस केस को दबाने की कुचेष्टा की गई । जो ससुराल वाले थे विजय-लाल माथुर, मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल गलत रवैया है । इस ढंग से लड़की को जला कर मारा गया । मां-बाप को उससे बात नहीं करने दी गई ताकि वह भयानक कथा कह सकती कि उसे किस तरह से इन्होंने पीड़ित करके जलाया, जीवित अवस्था में जलाया, लेटी अवस्था में जलाया । जो रिपोर्ट पोस्ट-मार्टम की है वह यह बताती है कि उसको लिटा कर जलाया गया ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह से कब तक लड़कियां जला कर मार डाली जाती रहेंगी यह एक चिन्तनीय विषय है । हमारी विधान सभा और हमारी राज्य सरकार इस बारे में क्या चिन्तन करती है । इस पर थाने में 302 की सज़ा कायम नहीं की । मैं समझती हूं कि इससे भयंकर गलतियां क्या हो सकती हैं । हमारी पुलिस और गृह विभाग कर क्या रहा है । आज इस बात को 6–7 महीने बीत गये लेकिन कोई प्रक्रिया काम में नहीं ली गई । मैं इस तरह से गृह विभाग की निन्दा करती हूं और सक्रिय होने के लिए प्रेरणा देना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या । आर्डर प्लीज । गृह विभाग की मांग पर परसों रात को 11 बजे तक विचार विमर्श हुआ था उस वक्त आप फरमातीं तो ज्यादा उचित होता । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में जो क्रूरतम कर्म, जघन्यतम कर्म किये जायं उनके प्रति कम से कम अपने कर्त्तव्य का निवर्हन तो गृह विभाग और थाना करे । इन थानेदारों के भी लड़कियां होंगी , गृह विभाग वालों के भी लड़कियां होंगी, गृह मंत्री के भी लड़की होगी । इस · ·

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत प्रश्न है यह ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह से यह अन्याय व अपराध किये जाते रहेंगे, राजस्थान में लड़कियां जला कर मार डाली जाती रहेंगी । मैं समझती हूं यह बहुत ही गलत रवैया है । अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं चाहूंगी कि 289 के तहत···

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर । आसन पैरों पर है, माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र · · · ·

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 289 के तहत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जब आसन पैरों पर हो उस वक्त माननीय सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात सब सुनने के पहले आप खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। मैं अवसर दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह चित्र सदन के पटल पर रखना चाहती हूं। देखें तो सही, किस तरह से लड़कियां जला कर मार डाली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : किसी परिपत्र, किसी वस्तु के रखे जाने आदि के सम्बन्ध में नियम है। कृपया उन नियमों की पालना करें। कौन-सी वस्तु, कौन से परिपत्र कैसे आ सकते हैं कृपया उसके अनुसार कार्यवाही करेंगी तो मैं उस पर विचार करूंगा वरना टेबल पर रख देंगी उससे क्या लाभ होगा। आर्डर प्लीज।

सदन के पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेख

वित्त मंत्री प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गई।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर प्रस्तुत करती हूं।

(1) विनियोग लेखे 1980-81

(2) वर्ष 1981 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)।

(3) वर्ष 1980-81 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)।

(4) वित्त लेखे 1980-81

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भूमि विकास बैंक द्वारा काश्तकारों को पम्पिंग सैट व अन्य सामान खरीदने हेतु दिये जाने वाले ऋण में व्याप्त अनियमितताएं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। आज माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए कई तरीके के सरकार की ओर से वक्तव्य अलग अलग माध्यमों के सदन के समक्ष विचाराधीन रखे गये हैं। जिन माननीय सदस्यों ने इस तरह के प्रस्ताव दिये हैं उनकी सूची काफी लम्बी है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यगण अपनी बात संक्षेप में, सार रूप में कह दें। जो बात पूर्व में किसी माननीय सदस्य ने कह दी हो तो उसको न दुहराएं और पुनरावृति भी न करें।

अब श्री सूरजपाल सिंह ध्यान आकर्षित करेंगे सहकारिता मंत्री जी का।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को जो पम्प सैट के लिए लोन दिये जाते हैं उनकी जो एप्रूव्ड रेट है वह बहुत अधिक होने की वजह से किसानों का बहुत व्यापक तौर से शोषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं, जालौर जिले के अन्दर इस साल करीब 5 हजार नये पम्पिंग सैट लगे हैं। इसी प्रकार अकाल की स्थिति होने की वजह से, मैं समझता हूं, राजस्थान में करीब 10-12 हजार पम्पिंग सैट नये लगे होंगे।

(12.49 म.प.)

56

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, पदासीन)
(श्री सूरजपाल सिंह)

अब जो रेट 7-8 हार्स पावर की भूमि विकास बैंक ने करीब 6200 रुपये एप्रूवड कर रखी है वही पम्प सैट अगर किसान मार्केट से खरीदता है तो उसको वह 4200 से 4500 रुपये में मिलता है।

इस प्रकार से करीब 1800 रुपये प्रति पम्प सैट अधिक देने लग गये। जो रेट्स एप्रूव की गयी हैं उससे किसानों का करीब इस वर्ष में 1 करोड़ 80 लाख रुपये का शोषण हुआ है। सभापति महोदय, किसान, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है। रेट्स जो कुछ भी एप्रूव होती है उस पर कम्पनियां 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत तक लैस देती है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि उद्योगपति वगैरह राजस्थान वित्त निगम से या बैंकों से या अन्य किसी माध्यम से लोन लेते हैं तो उनकी जो रेट्स एप्रूव होती है उसके अनुसार उनको, पेमेंट हो जाता है मगर जो लें उनको 20 प्रतिशत। अगर व्यापारी को 30 प्रतिशत मिलता है तो कुछ नेगोसिएशन करके 18-20 प्रतिशत, जो कुछ तय कर लेते हैं, का एडजस्टमेन्ट हो जाता है। मगर किसान ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से, किसान को सारी जानकारी नहीं होने की वजह किसान का बहुत भारी शोषण हो रहा है। तो मैं यह चाहूंगा कि यह जो रेट्स एप्रूव की जाती हैं अपेक्स बैंक वाले करते हैं या कोई भी इसके लिये जिम्मेदार हैं, यह बात समझ में आती है कि रैक्सन इजन जैसे प्रख्यात इंजन की रेट्स कुछ बढ़ा दी गयी है। उसके पीछे आज मार्शल, प्रोग्रेसिव और आपका लक्ष्मी, मैं कहता हूं कि आप राजकोट में जायें तो घर-घर के अन्दर सिर्फ उनके ढांचे बने हुए हैं। आप जिस कम्पनी का चाहोगे प्रोग्रेसिव चाहोगे तो उसके ऊपर प्रोग्रेसिव का ठप्पा लग जायेगा, अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो लक्ष्मी का ठप्पा लग जायेगा। इस प्रकार के छोटे छोटे कुटीर उद्योग राजकोट में पनपे हुए हैं जिनकी कोस्ट इतनी अधिक नहीं आती है उनकी रेट जो स्टेन्डर्ड कम्पनी हैं उनके मुकाबले में एप्रूव कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है। आई.एस आई मार्का ले लिया, यह मार्का भी, आप जानते हैं सामान्य हो गया है आज माचिस के ऊपर भीआई.एस. आई. मार्का आने लग गया। तो इस आई. एस.आई. मार्के के नाम से अगर किसानों क इस प्रकार से शोषण हो तो मैं यह मानता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिये मैं सहकारिता मंत्री जी को यह निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर यह जो किसानों का शोषण हो रहा है उसको आप बचायें। आप किसान पर क्यों नहीं विश्वास करना चाहते? जब हम जानते हैं कि हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा किसान इतना शिक्षित नहीं है तो हम उसको जो ऋण स्वीकृत करते हैं वह ऋण किसानों को ही हम क्यों नहीं दे देते हैं ताकि वह बाजार में जाकर कम्परेटिव रेट से जहां भी उसको सस्ता मिल सके वहां से ले सके। सभापति महोदय, मैं निश्चिततौर पर कहता हूं कि अगर यह पैसा किसान को दिया जाय तो जो 6200 रुपये में मिल रहा है वह निश्चिततौर पर उसको 4200 रुपयों में मिल जायेगा। आज शोषण इससे किसका हो रहा है? उन शिड्यूल्ड कास्टस्, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और छोटे काश्तकार का शोषण हो रहा है। जिनके पास पैसा देने को नहीं है। आज अकाल की स्थिति में जिन लोगों ने कैश से खरीदे हैं। इसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कैश से जो खरीदने वाले किसान हैं उनको

(श्री सूरजपालसिंह)

4200 रुपये में मिल जाता है मगर क्योंकि वह व्यापारी भूमि विकास बैंक या स्टेट बैंक या अन्य बैंकों को अपनी रेट 6200 रुपये देते हैं। इसलिये कैश पर खरीदने वाले को 4200 रुपये में निश्चित रूप में दे देते हैं लेकिन उसका बिल नहीं देते हैं। बिल नहीं देने की वजह से हमारे टैक्सेज का इवेजन अलग से होता है। यह सारी स्थिति है, सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से सहकारिता मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर और बहुत ही नीति संबंधी प्रश्न है, इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। किसानों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। यही सहकारिता मंत्री जी से मैं आशा रखता हूं। इसके ऊपर आप ध्यान दें यही बात मुझे कहनी है।

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह राठौड़।

श्री माधवसिंह दीवान : हमारी सब की ओर से ये ही बोलेंगे। रामसिंह जी।

श्री सभापति : श्री रामसिंह जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, भूमि विकास बैंक द्वारा जो किसानों को ऋण मध्यकालीन और दीर्घकालीन उपलब्ध कराया जाता है इससे किसानों द्वारा ज्यादा पैसे देने के संबंध में सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सहकारिता मन्त्री जी, हमारा मकसद यह था, माननीय सभापति महोदय, पिछले 15 व 20 साल से राजस्थान में एक केन्द्रीय भूमि विकास बैंक बना हुआ है। यहां से राजस्थान के जो अलग-अलग जिलों के अन्दर जिला भूमि विकास बैंक हैं उनको डायरेक्शन दिये हुए हैं कि आप पर्टीक्यूलर मोटर या इन्जन आई.एस.आई. मार्क के ही खरीदेंगे। इस तरह का डायरेक्शन बैंकों को दिया हुआ है। यह आई.एस.आई. मार्क इसलिये हैं कि खराब चीज नहीं हो, आई.एस.आई. द्वारा जो पास किये हुए होते हैं उनमें त्रुटि नहीं होती है। यह मकसद था राज्य सरकार का। आई.एस.आई. मार्का जिस पर होता है वह करीब करीब अच्छी चीज होती है। यह बंदिश थी बैंकों की कि इसके अलावा जो छुटपुट चीजें बाजार में आ जाती हैं, खराब, उससे किसान को बचाने के लिये। उसका इंजन चलता रहे और बैंकों का रुपया भी वापस वसूल हो जाय, यह नियत थी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक की और एक्जूक्यूटिव कमेटी की। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ। प्रत्येक तहसील और जिला स्तर पर जो बैंक होते हैं वहां के जो व्यवस्थापक होते हैं, मैनेजर या चैयरमैन वे लोग उन कम्पनी वालों से मिले हुए होते हैं, यह कोई नयी बात नहीं है यह सब दुनिया जानती है कि ये लोग मिले हुए होते हैं। मिले हुए होने के कारण ही किसान से मानलो कि 6 हजार रुपये की चीज है तो 6 हजार 800 या 700 रुपये ज्यादा लेकर के उनको इंजन देते हैं, उनके नाम मांड देते हैं, पैसे भी किसान को नहीं देने पड़ते, बैंक से ही चैक उस कम्पनी को दे देते हैं। एक दो महीने पहले ही किसान ले जाता है। किसान का तो पिंड छूट जाता है, चलो 500 या 1000 रुपये लगे तो कोई बात नहीं, मुझे मिल गया। वह जल्दी में रहता है, अगर वह ज्यादा ऐन टेन करता है मैनेजर या और कोई के सामने तो वह उसको

(श्री रामसिंह विश्नोई)

6 महीने तक लटका देते हैं, ऋण देते नहीं हैं। अगर कोई दूसरी कम्पनी वाले के पास जाते है कि भई तू दे दे या यह करदे तो बैंक वाले ऋण मंजूर नहीं करते हैं, उसमें रोड़े अटका देते हैं। सब मिलाकर स्थिति वास्तव में जो माननीय सूरजपालसिंह ने कहा वही है। यह आपका कोई आज का नहीं है पिछले कोई 10 साल से भंयकर घोटाले हो रहे हैं इसमें क्योंकि इधर बिजली अपने राजस्थान के किसानों को पूरी मिलती नहीं है, जिन काश्त कारों के कुओं पर बिजली लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, बाध्य होकर अपने कुओं के ऊपर पम्पिंग सैट लगाने पड़ते हैं। तो एक तो उनको बिजली नहीं मिलती, बिजली की मोटर लगी हुई है उसके अन्दर यह गड़बड़ है और इंजन की बाजार की रेट से 20 व 25 पर्सेन्ट ज्यादा देकर किसान को लेना पड़ता है, शोषण होता है जब कि बाजार में लेने जायं तो वह चीज पांच हजार की, साढ़े चार हजार तक और चार हजार में मिल सकती है। वहां पर उसको पांच हजार की चीज के छः हजार रुपये देने पड़ते हैं एक इंजन के ऊपर केवल इंजन का ही नहीं है आप पाइप लेंगे उसके अन्दर भी यही करेंगे। और भी कोई वायरिंग वगैरह दूसरा सामान लेंगे उसमें भी 20 पर्सेन्ट ज्यादा देकर किसान को कम से कम 2000 से 3000 तक एक्सेस देने पड़ते हैं। बैंकों की जो मैनेजमेंट कमेटी है, चैयरमैन हैं या वास्तव में सैक्रेटरी जिसके हाथ में चैकिंग पावर होती है वह इसका भयंकर दुरुपयोग करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, आपके पास तो अभी महकमा है, पहले भी मेरे ख्याल से आपके पास आपको जानकारी है आप शायद जिला स्तर पर नहीं गये है, सो मैं आपसे निवेदन करदूं कि इसमें लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले हुए हैं। घोटाले का मतलब यह नहीं है कि पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन एक एक आदमी के साथ इस तरह का यह मामला हुआ है, जो अच्छे बैंक चलते हैं वहां पर एक एक मैनेजर ने 10-10 20-20 लाख रुपये कमाये हैं, किसानों का शोषण किया है। इसलिये एक तो आज तक जिन लोगों ने इस प्रकार की अनियमितता की है जिन्होंने 20 पर्सेन्ट रिबेट नहीं दिया जो कंपनी से मिलता है, जो रेट है उससे 20 पर्सेन्ट ज्यादा लग गया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अगर आप कार्यवाही नहीं करें तो कम से कम काश्तकारों को यह पैसा नकद देने की व्यवस्था करा दें। प्रत्येक किसान जिसको पैसे मंजूर हो गये हैं, को चैक दे दें, नकद पैसे दे दें और यह कह दें कि इस कम्पनी से ही आप खरीद सकते हैं। वहीं जाकर किसान ले लें। इस तरह के डायरेक्शन, इस तरह की बंदिश आप लगा सकते हैं। लेकिन सैक्रेटरी के मार्फत इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो यह करप्शन बंद होने वाला नहीं है और एक-एक किसान को 2-3 हजार आपको देने पड़ेंगे। इससे होगा यह, माननीय सभापति महोदय, जबर्दस्ती जब उनको वापस ऋण चुकाना पड़ेगा, उस समय बैंक का ऋण चुका नहीं सकेंगे, बैंक के डिफाल्टर हो जायेंगे। हजारों किसान बैंक के ऋण के लिये तरसते हैं उनको बैंक ऋण से महरूम रहना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि आप नकद पैसा किसान को दें ताकि यह जो शोषण है, यह समाप्त हो सके।

श्री सभापति : श्री कनक राज जी मेहता।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : सभापति महोदय, यह जो भूमि विकास बैंक से ऋण दिया जा रहा है मशीनों के लिए वह मेरे क्षेत्र के अन्दर इस वर्ष सबसे ज्यादा दिया जा रहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई नया सुझाव दीजिए ।

श्री कनकराज मेहता : वही कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर करीब 3 हजार इंजन लगे हैं, जो कैश के लिए हैं उनकी हमने इन्क्वायरी की है । वह तीन हजार के अन्दर दिये जाते हैं और अगर भूमि विकास बैंक से लिये जाते हैं तो वहां साढ़े सात हजार लगते हैं । इस मामले की जिला लेवल के अधिकारियों ने इन्क्वायरी भी की है, काफी लोगों के बयान लिये हैं, जहां पम्प सैट लगे हुए थे वहां जाकर उन्होंने देखा है । पंचायत समिति लेवल पर काफी हंगामा भी हुआ था । पंचायत समिति सांचोर ने प्रस्ताव पास किया कि इस तरह से जो भूमि विकास बैंक से इंजन दिये जाते हैं उसके अन्दर कृषकों का भारी शोषण होता है । यह शोषण बन्द होना बहुत आवश्यक है । निश्चितत: यह जो ऋण दिये जाते हैं काश्तकार की माली हालत को सुधारने के लिये दिये जाते हैं लेकिन जब यह लोन के रूप में दिये जाते हैं तो उनको डबल दाम देने पड़ते हैं, उनको रिकवरी उसी हिसाब से करनी पड़ती है । मेरा निवेदन यह है कि जो माल भूमि विकास ऋण पर दिया जाता है वह भी पूरा माल नहीं देते हैं वह भी 2-3 इन्स्टालमेन्ट में देते हैं । उसमें काश्तकार भूल जाते हैं । न उनको माप का व मेक का ज्ञान रहता है, बाजार से सस्ता मिलने पर भी ऋण द्वारा भारी कीमत का सामान उन काश्तकारों के गले फांस देते हैं । इस तरह से भूमि विकास बैंक का इन लोगों पर नियन्त्रण न होने के कारण भारी मात्रा के अन्दर शोषण होता जा रहा है । मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है, सभापति महोदय, इसकी पूरी जांच की जाये । यह जो कम्पनियां मेरे क्षेत्र के अन्दर कार्यरत हैं, उनके नाम की जानकारी बताना चाहता हूं फील्ड मार्शल इन्जन का नाम है, एक अनिल है, एक मर्करी है, एक प्रोग्रेसिव है, एक कंगारू भी है, एक सत्यजीत है, इन-इन कम्पनियों ने इतने भारी दामों पर काश्तकारों को इंजन देकर, निश्चितत: यह मान्यता है, काश्तकारों का भारी शोषण किया है जिससे किसानों का नुकसान हुआ है । जब भूमि विकास बैंक की मार्फत रिकवरी की जायेगी तो उन लोगों को मालूम पड़ेगा कि किस तरह का शोषण किया जा रहा है । मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में पूर्ण जागरूकता बरती जाये । इस तरह से भारी मात्रा के अन्दर, भारी कीमत के अन्दर काश्तकारों को खरीदना पड़ता है । यह जो रेट एप्रूव की जाती है, निःसंदेह बहुत पहले की तय की हुई हैं जब कि रेट्स टाइम-टू-टाइम रिवाइज होती हैं । उसका संशोधन नहीं किये जाने से काश्तकारों का शोषण हो रहा है उसको बन्द किया जाये ।

श्री सभापति : सहकारिता मंत्री जी ।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप लोगों का इसमें नाम नहीं था इसलिए··

श्री भूपाल सिंह : नाम नहीं । एक मिनट ।

श्री सभापति : समय का अभाव है, माननीय सदस्य ।

श्री भूपाल सिंह : अर्ज करना यह है कि ऐसा सवाल पहले भी आया । सरकार ने इस की व्यवस्था की कि डीलर्स है इन सबको खतम करके राजस्थान लेवल पर डायरेक्ट टेण्डर लेकर मोटर ग्रौर हर एक सामान खरीदा जाए ग्रौर इन बैंकों के ग्रू दिय ाय ताकि उस किसान को···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये आप। आपको अवसर दूंगा।

श्री भूपाल सिंह : एक मिनट। जो राजस्थान लेवल पर खरीदा जाय, टेण्डर से खरीदा जाय, बैंकों से डायरेक्ट मिल जाय ताकि उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो ग्रौर सही माल मिले। लेकिन फिर डेपुटेशन आये ग्रौर उस वक्त के मंत्रिमण्डल को मजबूर करके इस नियम को खतम कराया। इसलिए मेरा ऐसा ग्रंदाज है, कि यह बिल्कुल सही है कि सात ग्रौर साढ़े सात हजार का सामान है वहां तीन ग्रौर चार हजार से किसी कीमत में अधिक नहीं है ।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज चौधरी । संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) : सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा जो सुझाव आया, मेरे सामने भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं। आज मैं देख रहा हूं, एजेन्सी के पास, हर एजेन्सी में अपनी जीप भागी फिरती है, ग्रौर एक वहेरगत वाली बात है, कन्जूमर के पीछे-पीछे पड़े रहते हैं। यह ग्रौर चलता है मैंने इन्क्वायरी करवायी कि भूमि विकास बैंक ग्रौर विकास बैंक के नाम से 400 व 500 रुपये लेकर कन्जूमर से कहते हैं इतने तो बैंक में लगते ही हैं । हर ट्रॉली में, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है । यह आपने कहा रामसिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। आज भूमि विकास बैंक के मार्फत ट्रैक्टर पर हम लोन देते हैं। ट्रैक्टर में केवल ट्रॉली की बातें, बताता हूं, ट्रैक्टर लेने वाले को ट्रॉली अगर हम बैंक से दिलाते हैं तो 12 हजार, अगर वह खुद डायरेक्ट लेते हैं तो 9 हजार रुपये लगते हैं। यह हालत हो रही है। इसलिए यह एजेन्सियां किसानों पर बहुत अत्याचार कर रही हैं, भयंकर रूप से शोषण कर रही हैं। इससे मुक्त कराने के लिए मंत्री महोदय कोई न कोई उनका रास्ता निकालें उनको लोन पास करने पर कि उनका बिल पेश कर दें तो पेमेन्ट कर देंगे. ऐसा कोई न कोई निर्णय करो तो ठीक होगा नहीं तो भयंकर शोषण किया जा रहा है किसानों का ।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह जी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों की ग्रोर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। कुछ इंजन, जो आई.एस. आई. मार्का नहीं हैं, वह जामनगर हो, आगरा हो या राजकोट हो, वहां से बाइस सौ, साढ़े बाइस सौ का मिल जाता है। मैं सिर्फ इंजन की बात कर रहा हूं इसके साथ के पम्प सैट की बात नहीं कर रहा हूं आई.एस.आई. मार्का का होने के बाद उस इंजन की रेट उसका 3500, 3600 व 3700 रुपये हो गया···

श्री सभापति : आई.एस.आई. का खर्चा लग जाता है ।

श्री हरिसिंह : वही मैं निवेदन कर रहा हूं, उसके बाद में बैंक लोन एप्रूव करने के बाद उसकी कीमत पम्प सैट सहित 6200 हो गयी। सभापति महोदय,

(श्री हरिसिंह)

इस व्यवस्था में निश्चित रूप से कोई न कोई घपला जरूर है। उस घपले के तहत पिस कौन रहा है, किसान। किसान को लोन की जो व्यवस्था कर रखी है बैंक ने, जो रिटेल डीलर्स हैं, उन्हीं को चैक देंगे। मतलब उनको किसान पर भरोसा नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप चाहते हैं घपला नहीं हो ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम घपले को मिटाने की अर्ज कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आसन को सम्बोधित करिये।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर व्यवस्था यह कायम हो जाये। क्योंकि किसान को जब हम विश्वास करके कुआं बनाने के लिए ऋण सीधे उसके हाथ में देते हैं ...

श्री सभापति : क्योंकि वापस तो उसी को करना है।

श्री हरिसिंह : हां, उसी को करना है। तो अगर इंजन खरीदने के लिए, बिजली की मोटर खरीदने के लिए किसान पर विश्वास करके ऋण उसके सुपुर्द कर दिया जाये तो घपले में बहुत सारी बचत होगी। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : सुजान सिंह जी।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बैंक में 8-10 साल तक डायरेक्टर रहा हूं, जितनी बेइमानी इस बैंक में है, किसानों के साथ, मैं बता नहीं सकता। कोई भी एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेशन देता है...

श्री सभापति : आपने क्या सुधार किया 8-10 साल में ?

श्री सुजान सिंह यादव : मैंने तो बहुत सुधार किये हैं। मेरे सुधारों को तो, आप पूछो तो मैं आधा घण्टा कह सकता हूं।

श्री सभापति : आधा घण्टा नहीं, एक मिनट में कुछ कहना हो तो कह दीजिये।

श्री सुजान सिंह यादव : ऐसा है कि मैं सिर्फ यह चाहता हूं बैंक से ऋण जिस पार्टी को मिलता है, उसको डायरेक्ट ऋण मिलना चाहिए इन बिचौलियों को खतम कर देना चाहिए। ऋण, यदि इन्स्टालेशन हो जाता है पम्प का डायरेक्ट पार्टी को बैंक से चैक मिल जाये, बिचौलिये, जो एप्लीकेशन तैयार करते हैं, ऋण जिनको मिलता है, उनके पीछे घूमते हैं, तो 400-500 इस बात के वे लोग खा जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप सीधी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो ऋण मिलता है वह डायरेक्ट मिले पम्पिग सेट और चैक के लिये पार्टी को बीच में बैठा लिया है उसको खतम कर दें।

श्री सभापति : सहकारिता मंत्री जी।

श्री यदुनाथ सिंह : आप इसमें परिवर्तन की कोई घोषणा कर दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार में विश्वास रखिये।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति, महोदय, क्या इस सरकार में विश्वास रखें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को यह निर्देश है कि भारतीय मानक संस्था (आई०एस०आई०) द्वारा अनुमोदित डीजल एवं विद्युत पम्पिंग सैटों के खरीदने की कृषकों को छूट होनी चाहिये और उन्हीं पम्पिग सैटों पर भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिये । इस संदर्भ में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बक द्वारा समय–समय पर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त आई०एस०आई० मार्के एवं विद्युत पम्पिग सैटों के लिये ही ऋण प्रदान किये जाय तथा निर्माताओं के द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरें स्वीकार नहीं की जायें। इन आदेशों की अनुपालना में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा पम्पिंग सैट खरीदने के लिये निर्माताओं द्वारा निर्धारित कीमत के अनुसार ही राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि का भुगतान पम्पिग सैटों के मौके पर लग जाने, भूमि मूल्यांकन अधिकारी अथवा सहायक अभियन्ता द्वारा प्रमाणीकरण हो जाने तथा ऋण आवेदक के अधिकार–पत्र एवं बिल के अनुसार माल प्राप्त हो जाने की तस्दीर्क के बाद ही अधिकृत डीलर को किया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि पम्पिग सैटों की कीमत निर्माताओं द्वारा ही तय की जाती है और भूमि विकास बैंकों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस सम्बन्ध में कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहलाता है, ने अपने पत्र दिनांक 21-4-1981 में यह भी अंकित किया है कि निर्माताओं की दर सूची के आधार पर ही ऋण उपलब्ध करवाया जाय ।

सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने कुछ विन्दु अपनी चर्चा में उठाये। जैसा सबने स्वीकार किया। यह जो भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रमाणित इंजन हैं उनको स्वीकार करके उन पर ऋण देने की व्यवस्था है, पर यह ऋण देने की व्यवस्था है जिस कंपनी के द्वारा या जिस व्यापारी के द्वारा माल लिया जाता है उसको भुगतान किया जाता है और यह भुगतान उसको न करके किसान को किया जाय। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि यह जो हमको राशि प्राप्त होती है वह जो आपका राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक है, उसके द्वारा यह सारी राशि है। पम्पिग सैटस के लिये नकदी ऋण किसान को न दिया जाय, इस सम्बन्ध में उन्होंने अपना प्रतिबन्ध लगा रखा है। तो जहां तक वह प्रतिबन्ध अखिल भारतीय स्तर पर लगा हुआ है उसको राज्य सरकार अपने विवेक से अपने स्तर पर शिथिल कर दे, मैं समझता हूं. संभव नहीं है ।

इसके साथ-साथ जो दलीलें किसान को सीधे देने के पक्ष में दी गई हैं, मैं उस भावना से सहमत होते हुये भी कुछ और भी शंकायें है, उन शंकाओं के बारे में कहना चाहूंगा कि कई बार जो ऋण जिस काम के लिये दिया जाता है उसका पूरा-पूरा उपयोग उस कार्य में नहीं होता है। इस प्रकार की शिकायतें भी जो हम दूसरे तरह के लोन देते हैं सहकारी विभाग में उस समय हमें प्राप्त होती हैं। तो इस सारे प्रश्न के दोनों पक्ष हैं जो पक्ष माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित किया है या सुझाया है उस सम्बन्ध में तो मैंने आपसे निवेदन किया कि राज्य सरकार की अपनी विवशता है क्योंकि वह एक नीति है कि वह सीधा किसान को ऋण नहीं दिया जाय। यह जो राशि उपलब्ध कराने

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

वाली एजेन्सी है उसका दिशा–निर्देश है, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में तो कोई बात नहीं हो सकती है। किन्तु फिर भी हम चाहते यह हैं, यह जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाय। अभी परम्परा यह है कि जो निर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका रजिस्ट्रेशन राज्य स्तर के ऊपर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में किया जाता है। उसमें अलग-अलग कई राशि निर्धारित है जो उसको जमा करानी पड़ती हैं। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन राज्य स्तर पर होता है। हम इस प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं कि जिस तरीके से निर्माताओं का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरीके से उनकी जो एजेन्सी हैं, एजेन्ट्स हैं जो प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को माल देते हैं उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करें ताकि हम उसमें देखें कि कुछ ऐसी बोगस फर्मों, जो इस तरह का धन्धा करती हैं, जिनका कोई स्तर नहीं है, का रजिस्ट्रेशन इसमें न हो, उसके लिये कोई राशि हम निर्धारित करें ताकि वह प्राथमिक भूमि विकास बैंक के स्तर पर अपना रजिस्ट्रेशन करायें। एक प्रश्न कल और परसों जो चर्चा इस सम्बन्ध में हुई है उस चर्चा में सामने आया है।

इसके साथ-साथ राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक है उसने, गई, बैठक, जो आज से कुछ दिनों पहले हुई है, में इस सारे प्रश्न पर कुछ विचार विमर्श किया है उन्होंने एक तकनीकी कमेटी निर्धारित करने का फैसला किया है। वह चाहते यह हैं कि जो मैन्युफैक्चर करने वाले व्यक्ति हैं उन सब को बुलाकर के कोई नेगोशियेशन करके, जैसा कहा गया 20 प्रतिशत कमीशन मिलता है, 30 पर्सेन्ट कमीशन मिलता है, तो हम कोई ऐसी रेट तय कर दें जिससे उस पम्पिग सैट्स के लिये जो प्राइस लिस्ट में दी हुई है, वह आधार न होकर के नेगोशियेशन से हम जितना नीचे उनको ला सकते हैं उतनी लाने तक की हम कोशिश करें। तो राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने एक तकनीकी कमेटी गठित करने का फैसला आज से कुछ दिनों पहले कर लिया है। वह इस सम्बन्ध में जो निर्माता है उनसे किस तरीके से बैठ कर, किस तरीके से चर्चा की जाय, किस तरह से मूल्य में कमी की जाय, जो एजेन्ट्स को कमीशन मिलता है उसमें कुछ लाभ किसान को कैसे प्राप्त हो सकता है, इस सारे प्रश्न पर भी आज विचार किया जा रहा है। मैं तो निवेदन केवल एक करना चाहता हूं कि सरकार या माननीय विधायक, जो अलग-अलग क्षेत्रों से चुनकर आये हैं उन सब के मन में एक ही बात है कि किसान का शोषण नहीं हो। यह बात सही है, सिद्धान्ततः इससे कोई मना नहीं कर सकता है परन्तु जो कानूनी पेचीदगियां कभी-कभी आती हैं उनको सुलझाने में समय अवश्य लगता है। सभापति महोदय, मैं केवल सदन को इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि यह प्रश्न एक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से जितना उनके दिमाग में है उतना हमारे दिमाग में भी होगा। आप यह मान कर चलें कि हम किसी प्रश्न को सुलझाना नहीं चाहते। सुलझाना चाहते हैं और उसका कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक तकनीकी कमेटी का गठन करके हम नेगोशियेशन के द्वारा यदि कुछ कीमत में कन्सेशन दे सकते हैं तो दें।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि केवल पम्पिग सेट्स का सवाल नहीं है, यह तो

(64)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

मैं बहुत आभारी हूं कि सदस्यों ने उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसके साथ जो उपकरण दिये जाते हैं उनके अन्दर सबसे बड़ा घोटाला होता है, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि…

श्री सूरजपाल सिंह : ध्यान आकर्षित किया है…

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने ध्यान आकर्षित किया है…

श्री मानकमल मेहता : हमने ध्यान आकर्षित किया है…

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : क्योंकि जहां तक इंजन का सवाल है वह तो आप भारतीय मानक संस्था (आई०एस०आई०) का ले लेंगे पर उसके साथ जो उपकरण दिये जाते हैं और वह जिस क्वालिटी के होते हैं और जिस तरह के घोटाले उसमें होते हैं वह भी बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। राज्य सरकार उपकरणों के सम्बन्ध में भी सोचना चाहती है, इसका भी हम क्या रास्ता निकालें कि जिसकी कोई कीमत तय नहीं है, जिसकी कोई क्वालिटी तय नहीं और वह किसान को उपलब्ध हो जाती है और उससे किसान को बड़ी भारी हानि होती है। इन सारे प्रश्नों के ऊपर सरकार स्वयं कोई रास्ता खोजना चाहती है। इतना ही मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आॅर्डर, आॅर्डर। कोई बिन्दु रह गये हों, स्पष्टीकरण करना हो तो एक-एक प्रश्न पूछ लें।

श्री सूरजपाल सिंह जी, प्रश्न करिये।

श्री सूरजपालसिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि निर्माताओं द्वारा जो रेट्स फिक्स हैं और भारत सरकार द्वारा कुछ निर्देश आपको दिये गये हैं कि डायरेक्ट किसान को इसका पेमेन्ट नहीं किया जाय। यह बिन्दु माननीय मंत्री जी ने सामने रखा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सदन की भावना को सुना है, समझा है और आप खुद भी इस चीज से सहमत हैं तो मेरा निवेदन यह है कि अगर कहीं भी डिफीकल्टीज आती हैं, कानूनी पेचीदगियां कई होती हैं, मगर जहां किसानों का शोषण हो रहा है और सारे सदन के सामने यह मसला आया है, आप इसको स्वीकार करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ अमेन्डमेन्ट्स करने के लिये अगर हमें भारत सरकार को भी लिखना पड़े तो आप उन्हें लिखें कि इसमें कुछ संशोधन किया जाय।

दूसरे जो आपने नेगोशियेशन की बात कही, इस तरह की कमेटी आप बना कर के नेगोशियेशन करवायेंगे यह तो साफ पड़ा है कि नेगोशियेशन के फल अच्छे होंगे। क्योंकि 30-40 पर्सेन्ट कमीशन मिलता है। आज वी. आई. पी. बाजार में लेने जाते हो तो रेट 430 और 20 पर्सेन्ट साधारण उपभोक्ता देकर आता ही है। इसी प्रकार से जो सारे कमीशन्स जितने भी हैं वह तो निश्चित बात होती है, आप भी जानते हैं और किसान स्वयं भी जानता, है उनको चैक नहीं मिलने का यही एक कारण है वह पैसा उनके पास चलता जाता है और जो निर्माता है वह भी यह सोचते हैं कि पैसा हमें मिलना है उसमें नेगोशियेशन क्यों करें। यह व्यवस्था जब तक ही…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री सूरजपाल सिंह : तो वह नेगोशियेशन में भी आपके सामने कम ही आयेंगे । इसलिये प्रयास हमें यह करना चाहिये भारत सरकार को इस सम्बन्ध में लिखनां पड़े, कुछ मांग करें और किसान को सीधा पेमेन्ट दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री रामसिंह जी विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा, यह बात सही नहीं है कि भारत सरकार का कोई इन्टरफियरेन्स इसमें है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया राजस्थान सरकार की गारन्टी के ऊपर इन बैंकों को ऋण देती है। राजस्थान की सरकार यह कह दे कि हमारे काश्तकारों का पैसा डूबने का कोई प्रश्न नहीं है। इस बात की गारन्टी होती है उसका खेत भी नहीं होता है, इसका नाम है भूमि विकास बैंक । पहले इसका नाम था लैण्ड मोर्टगेज बैंक, भूमि बन्धक बैंक था इसका नाम । भूमि को गिरवी रखकर किसान को ऋण देने की कोई नई बात थोड़े ही थी। आप कोई मेहरबानी थोड़े ही कर रहे हैं किसानों के ऊपर। उसकी लाख-लाख रुपये की जमीन को गिरवी रखकर आप उसको ऋण देते हों। कोई बहुत बड़ा अहसान नहीं करते हों । ब्याज लेते हों, उस पर 15-15, 20-20 पर्सेन्ट तक ब्याज देते हैं । जब व्याज नहीं देते हैं, समय पर किश्त नहीं देते हैं तो 20 पर्सेन्ट और पेनल्टी लगाकर वसूल करते हैं। इतना बड़ा शोषण किसानों का कहीं पर भी नहीं है, बनिया भी नहीं करता इतना शोषण जितना ये लोग करते हैं। यह अच्छा प्रोग्राम है लेकिन किसान को आराम से पैसे मिलते नहीं हैं। गवर्नमेन्ट की खुद की अच्छी मन्शा है, गवर्नमेन्ट की कोई बुरी मन्शा नहीं है। सरकार खुद चाहती है, किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको ऋण मिले लेकिन बीच में जो बिचौलिये हैं उनको खतम करने के लिये आपको कदम उठाना चाहिये । भारत सरकार की कोई इस तरह की बन्दिश नहीं है। आप गारन्टी देते हैं लेकिन आप ढील दे देते हैं उसके अन्दर। किसान को आपको नकद देना चाहिये । इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी । मेरे ख्याल से पैसे नहीं डूबेंगे । जब किसान को ऋण दें तो 15 दिन के अन्दर वह आई.एस. आई. मार्का का ही खरीदेगा और वह 15 दिन के अन्दर सैक्रेटरी को बता देगा कि यह मेरे यहां लगा हुआ है और यह पता लग जायेगा कि उसी कम्पनी से लिया है। कहीं पर भी यह टन्टा खड़ा नहीं होगा। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप सक्रिय होंगे, कदम उठायेंगे तभी जा करके यह मामला बैठेगा, वरना 12 महीने के बाद में फिर आप जवाब देंगे, फिर असेम्बली मीट होगी उस टाइम तक और ये लोग खाजायेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उच्च स्तर पर इस कार्य को करावें।

श्री सभापति : श्री सुजानसिंह ।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया कि हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते तो मेरा चेयर से यही अनुरोध है कि इंजन के अलावा जो असेसरीज होती हैं उन्हीं में ज्यादा घपला है तो···

एक माननीय सदस्य : दुगने-तिगुने भाव में बेचते हैं उनको।

(60)

श्री सुजानसिंह यादव : किसान को बाजार से खरीदने की छूट दे दी जाय, बाजार से ओपन मार्केट में, उनसे नहीं लिया जाय माल जो इंजन वाले हैं। इंजन में तो कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता। जैसा कम्पनी तय करती है उतने ही पैसे मिलेंगे। मगर जो सामान खरीदा जाता है उसमें ही ज्यादा घपला है। यह किसान को छूट दे दी जाय कि वह बाजार से ओपन मार्केट से सामान खरीदे।

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूडी।

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन तो केवल यह है कि जब तक कि क्रेडिट लिमिट नहीं बांधी जाती है चाहे बीच के एजेन्टों को खतम कर दिया जाय, चाहे और को कर दिया जाय किसान के पास जो जितनी जमीन है उनकी क्रेडिट लिमिट बांध दें जिस प्रकार से सोसाइटीज वगैरह की बांधते हैं, जब तक यह बात नहीं होगी तब तक किसानों का शोषण आप और हम कोई रोक नहीं सकते। तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार किसान की क्रेडिट लिमिट बांधने का विचार रखती है या नहीं ? और यदि नहीं रखती है तो आज जो काश्तकारों को लोन दिया जाता है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहें तो पूछ लीजिये। आपने दूसरा सवाल छेड़ दिया।

श्री रामनारायण डूडी : इसी से सम्बन्धित है, सभापति महोदय, यह इसी से सम्बन्धित है।

काश्तकार की जब क्रेडिट लिमिट अपन नहीं बांधते हैं और उनको कहते हैं कि पम्प-सैट वहां से लेंगे, डीजल-सैट वहां से लेंगे, पाइप वहा से लेंगे। न जाने क्या घटिया किस्म का सामान वगैरह पचास तरह की, दुकानों के बीच में होता है और पचास तरह के बिचौलिये होते हैं। भूमि विकास बैंक से पूरा एक चैनल बना हुआ है इनका। वह सामान इतना मंहगा पड़ता है, जिसकी कोई हद नहीं। मेरा निवेदन है कि सरकार जब तक क्रेडिट लिमिट बांध करके काश्तकार को नकद भुगतान न करे तब तक यह मामला है, यह भ्रष्टाचार है, अनियमितता वगैरह और जो पेपर बाजी है उनके पेपर तैयार करने के लिये नीचे से लगाकर एलवीओ वगैरह हैं वहां से शुरू होता है ...

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूडी : तो जितना भ्रष्टाचार इनके अन्दर होता है, अनियमिततायें होती हैं और जो कार्य लिंगर ऑन होता है, जो काम एक दो या चार दिन का होता है उसमें, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, करीबन तीन महीने लगते हैं। एक ट्यूबवैल की फाइल बनाने के लिये इनको 6 महीने लगे और उनको लोन वापस देने के लिए 5,6 महीने और लगे। उतने में वापस आ जाता है कि नोड्यूज प्रमाण-पत्र लेने पड़ेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप किसानों की क्रेडिट लिमिट बांध दें। दूसरा मेरा निवेदन है आज प्राइसेज बहुत बढ़ गई हैं, आपकी जो सीमा है, सात हजार से भूमि विकास बैंक किसानों को ज्यादा लोन नहीं दे सकते। आज एक ट्यूब वैल आपका 80 हजार में तैयार होता है, रोटरी पाइन्ट आपका डेढ़ लाख में तैयार होता है तो क्या आप सीमा बांधने पर विचार करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रतनाराम। माननीय सदस्य, केवल स्पष्टीकरण। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : ऐसी बात है सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में नाम नहीं था उनको भी आपने इजाजत दी, तो मुझे भी इजाजत देनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रूपलाल जी, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रूपलाल परमार : यह किसानों की बात है।

श्री सभापति : यह किसानों से सम्बन्धित मामला है।

श्री रतनाराम चौधरी : हां, किसानों से सम्बन्धित मामला है और किसान हूं इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं भूमि विकास बैंक के अन्दर जो किसान अपने लोन प्राप्त करने के लिये एक हिस्सा राशि जमा कराते हैं, जैसे किसान से तो राजस्थान भूमि विकास बैंक ब्याज की वसूली करते हैं परन्तु उनकी जो हिस्सा राशि है जब तक लोन पूरा जमा न हो जाय तब तक वह हिस्सा राशि भूमि विकास बैंक में जमा रहती है। उसका कोई ब्याज नहीं दिलाया जाता है। मेरा सुझाव है कि किसानों को ब्याज देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी : जो मशीन की कीमत का सवाल है। हमारा हिस्सा है उस पर ब्याज नहीं देते हैं। इंजन का प्रॉडक्शन करने वाली फैक्ट्री का मालिक है, उनकी मीटिंग बुलाकर सरकार और उच्च लेवल के अधिकारियों के सामने उनकी कीमत तय करनी चाहिये। राजस्थान भूमि विकासबैंक तो जो उसकी एप्रूव्ड रेट है उसके अनुसार लोन स्वीकृत वितरित करती है। मेरा, माननीय सभापति महोदय, यही निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजिये। नियमों का ध्यान रखिये। मैंने आपका नाम नहीं बोला है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): सभापति महोदय, जब किसान को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, चाहे इंजन पर समझिये, चाहे इम्प्लीमेन्ट्स पर समझिये, तो सबसे पहले किसान पर विश्वास होना चाहिये। मैं यह समझता हूं जो किसान आप पर इस तरह से विश्वास करते हैं तो किसान पर विश्वास क्यों नहीं किया जाता?

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि भूमि विकास बैंक लिमिटेड है, वह आदमी आपके भूमि विकास बैंक का सदस्य है और उसकी शेयर पूंजी उसमें जमा होती है। मेरे को इतना गुना पेमेन्ट करना पड़ेगा। जो शेयर पूंजी उसकी जमा होती है तो उनकी लायबिलिटी भी होती है कि भूमि विकास बैंकों में उस हिसाब से भी, शेयर पूंजी के हिसाब से भी किसानों पर विश्वास करना पड़ेगा और किसानों के हाथ में आपको कैश पैसा देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरे जो भी राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक के डाइरेक्शन हैं वह यह जांचने के लिये हैं कि किसान को जो जिन्स ऋण के पेटे दी जाती है उसका उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। उपयोगिता

(68)

(श्री महाराम चौधरी)

के लिये आप एक सर्टिफिकेट देते हैं, आप अगर यह सर्टिफिकेट देते है कि हमको यह विश्वास है कि किसान को चीज दी जाती है उसका वह पूर्ण रूप से प्रयोग करेगा। अतः मेरा इसमें निवेदन है कि आप ज्यादा तकनीकी और अधिकारियों के द्वारा ज्यों-ज्यों ज्यादा जांच करेंगे, और प्रभाकर जी महोदय, आप ज्यों-ज्यों कमेटी बिठा करके किसानों की समस्या सुलझाने के लिये जितना भी करोगे उतनी ही समस्या उलझेगी। इसका सरलीकरण करने के लिये यही एक उपाय है कि आप किसानों पर विश्वास करके सीधा ऋण दीजिये।

श्री सभापति : श्री कनकराज मेहता।

श्री कनक राज मेहता : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंजन गये वर्ष में बिके हैं। उसके उपकरणों में भी काफी घोटाले हैं। क्या आप यह मानस बनायेंगे कि गये साल के अन्दर जो उपकरण काश्तकारों को दिये गये वह ठीक मात्रा में हैं और प्रोपर मेक के दिये गये या नहीं उसकी जांच करवाने का मानस बनायेंगे ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, कुछ स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा में कुछ बिन्दु दिए हैं, मैं समझता हूं उन पर विचार करने की आवश्यकता है और विचार किया जायेगा। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कम्पनियों के नाम बताए थे। मैं उनकी जानकारी के लिए कह दूं यह 4 कम्पनियां थी।

(1) मैसर्स. सिंघवी ट्रेडर्स, सांचोर (2) मैसर्स जी०एम० परमार, सांचोर, (3) मैसर्स प्रोग्रेसिव कम्पनी, सांचोर, (4) मैसर्स किसान मशीनरी स्टोर्स, सांचोर।

इन सबके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जांच की जा रही है और जिन किसानों को इन्होंने सामान दिया है, उसकी भी सारी जांच कर रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम था, कि जालौर से संबंधित सवाल था, सांचोर की इन कम्पनियों की जानकारी मैंने प्राप्त करा ली थी...

श्री रतनाराम चौधरी : यह जालौर से संबंधित नहीं है, पूरे राजस्थान से संबंधित है। यदि जालौर से ही संबंधित है तो जिलाधीश ने इसकी इन्क्वायरी कर दी है और जांच में जो आपके सामने तथ्य आये हैं .....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अभी माननीय कनकराज जी ने चूंकि एक पर्टीक्यलर सवाल पूछा था उनके यहां शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो मैंने कहा कि 4 के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, इतना मेरा निवेदन है।

श्री चाव खां : सभापति महोदय, एक मिनट।

शासकीय वक्तव्य

जे.के. सिन्थेटिक्स, कोटा द्वारा श्रमिकों की छंटनी

श्री सभापति : माननीय सदस्य चर्चा समाप्त हुई।

मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री हीरालाल देवपुरा, श्रम मंत्री, कोटा में जे.के. सिन्थेटिक्स फैक्ट्री द्वारा हजारों श्रमिकों की

(श्री सभापति)

छंटनी किए जाने के संबंध में एक वक्तव्य देंगे । इसके बारे में निम्नांकित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं: श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, श्री हरीश शर्मा, श्री त्रिलोक सिंह श्री लच्छूराम, श्री मेघराज तावड़ ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री सभापति : इसमें नाम नहीं है ।

श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम मंत्री) : सभापति महोदय, इस सदन में माननीय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, श्री हरीश शर्मा, श्री त्रिलोक सिंह, श्री लच्छूराम, और श्री मेघराज तावड़ ने एक स्थगन प्रस्ताव कोटा में जे.के. सिन्थेटिक्स फैक्ट्री द्वारा हजारों मजदूरों की छंटनी किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर माननीय आसन की ओर से राज्य सरकार को एक वक्तव्य देने का निर्देश मिला । उसकी पालना में मैं वह वक्तव्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, कोटा नगर में मैसर्स जे०के० सिन्थेटिक्स लिमिटेड के चारों डिवीजनों में दिनांक 10 जनवरी, 1983 से उत्पादन बन्द है । बिजली की शत-प्रतिशत कटौती एवं कम्पनी द्वारा लगाए गये जनरेटरों में कुछ खराबी हो जाने के कारण इस दिनांक से ले ऑफ घोषित किया गया था । यह ले ऑफ जारी था कि इसी दौरान दिनांक 15 जनवरी, 1983 एवं 17 जनवरी, 1983 को कम्पनी की ओर से चारों संस्थानों के कुल 2072 मजदूरों को छंटनी के नोटिस रजिस्टर्ड डाक के जरिए जारी किये गए । इन नोटिसों के साथ मुआवजे की धनराशि एवं तीन महीने का नोटिस का एवजी वेतन का ड्राफ्ट भी साथ भिजवाया गया था । इस प्रकार की छंटनी करने से पूर्व राज्य सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन) के अन्तर्गत कम्पनी के चारों संस्थानों के लिये यह आवश्यक था कि वे छंटनी से पूर्व राज्य सरकार से छंटनी की पूर्वानुमति प्राप्त करते। राज्य सरकार को किसी प्रकार की पूर्व सूचना भी छंटनी के संबंध में नहीं दी गई। श्रम आयुक्त को इस छंटनी संबंधी जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा मुख्यालय से एक संयुक्त श्रम आयुक्त को मौके की जांच हेतु कोटा भिजवाया गया । उक्त जांच से इस तथ्य की पुष्टि हुई कि राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना ही यह छंटनी कर दी गई है।

कम्पनी की ओर से राज्य सरकार को दिनांक 21 जनवरी, 1983 के पत्रादि के माध्यम से सर्वप्रथम छंटनी के संबंध में सूचना प्रेषित की गई । ये पत्रादि दिनांक 25 जनवरी, 1983 को प्राप्त हुए । छंटनी के नोटिसों में जो कारण बताए गए वे लगातार घाटे की स्थिति, अलाभकारी खातों को बन्द करने की आवश्यकता, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, नित्य नित्य घटता हुआ लाभ एवं व्यापारिक आवश्यकता आदि थे। राज्य सरकार की ओर से दिनांक 25 जनवरी, 1983 को प्रबंधकों को इस आशय का नोटिस दिया गया कि वे मजदूरों की छंटनी के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें । इस संबंध में दिनांक 2 फरवरी, 1983 को प्रवन्धकों को सुना गया। प्रबन्धकों का प्रति कथन मुख्य रूप से यह था कि क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन)

(70)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

को अपने एक निर्णय में असंवैधानिक घोषित कर दिया है अतः इस धारा के प्रावधानों की परिपालना उनके लिए आवश्यक नहीं थी एवं इन्हीं कारणों से उन्होंने राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की। किन कारणों से उनके लिए छंटनी आवश्यक थी इसका भी उन्होंने विस्तार से प्रत्युत्तर दिया। इससे पूर्व दिनांक 31 जनवरी, 1983 को राजस्थान ट्रेड यूनियन सेन्टर की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी इस छंटनी के संबंध में प्रेषित कर दी गई थी। बातचीत में मालिकों की ओर से यह रुख अपनाया गया कि क्योंकि यह एक कानूनी प्रश्न है एवं इस संबंध में रिट याचिका भी प्रेषित कर दी गई है अतः इस विवाद का निपटारा न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए।

इसी दरमियान मालिकों ने विभिन्न दिनों में 2-2-73 तक 295 श्रमिकों की और छंटनी कर दी। इस प्रकार कुल 2367 श्रमिकों की छंटनी नियोजक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हुई है।

राज्य सरकार की यह मान्यता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन) के अन्तर्गत छंटनी की पूर्वानुमति राज्य सरकार से प्राप्त करनी चाहिए थी एवं क्योंकि कम्पनी ने इस कानून की परिपालना नहीं की अतः यह छंटनी अवैधानिक थी। इस कारण राज्य सरकार की ओर से प्रबन्धकों को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया कि वे स्पष्ट करें कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (क्यू) सह-पठित धारा 34 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाय। कम्पनी की ओर से भी राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर दी गई, जिसमें उन्होंने यह याचना की कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन) के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाय एवं साथ ही राज्य सरकार को इस आशय का निर्देश दिया जाय कि जब तक याचिका का निर्णय नहीं हो तब तक प्रबंधकों के विरुद्ध अभियोग चलाने की कार्यवाही राज्य सरकार नहीं करे। इसी दौरान राजस्थान ट्रेड यूनियन सैन्टर द्वारा प्रेषित रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया एवं साथ ही भविष्य में न्यायालय की अनुमति के बिना छंटनी नहीं करने के लिए प्रबंधकों पर रोक लगा दी। इस प्रकार से मजदूरों की छंटनी का मामला न्यायालय के विचाराधीन हो चुका है।

प्रबन्धकों ने दिनांक 17-2-1983 से संस्थान में ले ऑफ समाप्त करने की घोषणा कर दी है। परन्तु श्रमिक काम पर नहीं गए हैं एवं उसी दिन से ही हड़ताल पर चल रहे हैं। इस कारण से अब तक भी कम्पनी के संस्थानों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो सका है। इस स्थिति में जहां तक कानून एवं संवैधानिकता का प्रश्न है, इसका निपटारा तो न्यायालय के माध्यम से ही होगा, परन्तु सरकार की यह मान्यता है कि आपसी वार्तालाप एवं विचार विमर्श के माध्यम से ही इस समस्या का हल खोजा जाना चाहिए।

जो भी स्थिति बनी है उससे एक तरफ तो उत्पादन का ह्रास हो रहा है तथा दूसरी ओर 2367 मजदूरों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमें इसका व्यावहारिक हल ढूंढना होगा। यह आवश्यक है कि संस्थान लाभकारी स्थिति में बना रहे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

एवं जिन कारणों से घाटे की स्थितियां बनती हों उन्हें दूर किया जाये । दूसरी ओर इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जहां तक सम्भव हो सके मजदूरों को बेरोजगारी की स्थिति से बचाया जाय। समस्या के समाधान के लिए प्रबन्धकों एवं श्रमिकों दोनों ही पक्षों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा एवं देश एवं समाज के हितों को ध्यान में रखना होगा । इसी कारण से मामले के न्यायालय के विचाराधीन हो जाने के पश्चात् भी यह प्रयत्न किया गया कि आपसी बात चीत से ही समस्या का हल खोजा जाय । दिनांक 2-3-1983 को श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों को बात चीत के लिए बुलाया था परन्तु प्रबन्धकों की ओर से कोई भी बातचीत हेतु उपस्थित नहीं हुआ एवं उनकी ओर से इस आशय का तार प्राप्त हुआ कि क्योंकि श्रमिकों ने कोटा में आवासीय कॉलोनी का घेराव कर रखा है, अतः उनका आना संभव नहीं है। अब प्रबन्धकों एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को मैंने मेरे स्तर पर बात चीत हेतु दिनांक 21-3-1983 को आमन्त्रित किया है एवं मैं आशा करता हूं कि सभी पक्ष बात-चीत में सम्मिलित होंगे एवं समस्या का समाधान ढूंढने में ईमानदारी एवं निष्ठा से सरकार के साथ सहयोग करेंगे ।

(1.40 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी । संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में जो मजदूरों की छंटनी की गई है, उनके सामने बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी है, यह एक बड़ा ही सुनियोजित षड़यन्त्र था । आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 10 जनवरी से ही 1200 श्रमिकों को जबरन छुट्टी दे दी गई, आपने तो संख्या नहीं बताई किन्तु मैं बता रहा हूं कि 1200 लोगों को छुट्टी दे दी गयी। बहाना बिल्कुल यह बनाया गया कि शत प्रतिशत बिजली की कटौती है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, एक फेज और जोड़ दिया गया है कि उनके जनरेटर बन्द हो गये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शत प्रतिशत बिजली की कटौती पहले भी कई बार हो चुकी है किन्तु क्या इस प्रकार की स्थिति पहले भी कभी हुई है ? एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आकर खड़ा हो जाता है । मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि 10 जनवरी को सुनियोजित षड़यन्त्र की , सारी व्यूह रचना वहां के मैनेजमेन्ट ने की वह उनका पहला कदम था, 12 जनवरी को टायरफोर्ड नायलोन एण्ड पोलिस्टर, स्टील प्लान्ट पूर्णतया बन्द कर दिये गये । एक लेलिक प्लान्ट आंशिक रूप से बन्द कर दिया गया । 16 फरवरी को मुख्यालय से लगा हुआ जो टेलीप्रिन्टर है उसको उठाने की कार्यवाही हो गई । फरवरी में उठाया जाने लगा । लेन दारों को कह दिया गया कि आइये, अपने अपने पैसे ले जाइये । अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बताया, 15 फरवरी और 17 फरवरी को 1168 श्रमिक और 929 श्रमिक, इस प्रकार 2095 स्थायी श्रमिकों को ड्राफ्ट भेज दिये गये, सूची प्रकाशित कर दी गयी । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इसके साथ साथ उस स्थान पर

72

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

800 अस्थायी कर्मचारी थे उनको किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी, उनको निकाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इससे संबंधित वहां जो कॉन्ट्रेक्टर्स के लेबर हैं जिनकी संख्या 2500 है, जो इनके काम से संबंधित हैं अगर इनका इतना काम बन्द हो जायेगा, इस फैक्ट्री के इन चार डिवीजन के काम बन्द किये, वह हो जायेगा इन्होंने 2500 श्रमिकों की छंटनी कर दी क्योंकि वह इससे डिपेन्डेन्ट हैं। इस प्रकार पहली खेप में 2095 नहीं, यह 5500 मजदूर बेरोजगारी के कगार पर लाकर खड़े कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ 5500 मजदूर हैं, प्रत्यक्ष रूप से 25000 लोग, इनके परिवार के सदस्य इन पर आश्रित हैं। उन्हें भी भूखे मरने की स्थिति में खड़ा कर दिया। आप कोटा पधारे, मंत्री महोदय भी कोटा पधारें, जिस तरह के जे. के. हैं उसके आस पास का क्षेत्र छावनी, कोटड़ी, इन्द्रा गांधी नगर और कमसुओं सारे क्षेत्र में सारा व्यापारिक काम, सब काम उस पर डिपेंडेन्ट काम है उनके सामने अपनी स्थिति को बचाने का एक प्रश्नवाचक चिन्ह आकर खड़ा हो गया? सी०ए०डी० में तो छंटनी हो ही रही है, सी.ए.डी. बन्द कर दी, कोटा में जो यह प्रक्रिया जे.के. ने की है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक सुनियोजित षड्यन्त्र 10 जनवरी से चालू हो गया। अध्यक्ष महोदय. मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सुनियोजित षड्यन्त्र में राज्य सरकार भी भागीदार है। आपने जो वक्तव्य दिया है मैं आपको जानकारी दूं कि जे०के० मैनेजमेन्ट के लोग जनवरी के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर से मिले थे। उन्होंने लॉक आउट की अनुमति मांगी थी। अनुमति तो नहीं दी गयी पर बात-चीत उनसे हो गई। जे. के. के प्रबन्धकों के ने पुलिस की मांग की थी, नसीराबाद से एक हजार पुलिस मुख्य मंत्री जी के आदेश से कोटा भेज दी गई। मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं उद्योगपुरी थाने में, जे.के. कॉलोनी में टेन्ट लगा दिये। वहां की स्थिति ऐसी बन गई। 10 जनवरी से प्रक्रिया शुरू हुई, यह काम पहले साथ साथ शुरू हो गया। राज्य सरकार कब चेती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शायद वह संयुक्त श्रमायुक्त यहां से भेजा वह तो ठीक किया, वहां शायद कोई संयुक्त श्रमायुक्त उस समय नहीं था, बड़ी नेग्लीजेंस की गई, 10 जनवरी से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है. कोटा के अखबारों में चर्चा आ रही थी एक एक-कदम जे.के. फैक्ट्री का राज्य सरकार के सामने आ रहा है और राज्य सरकार ने इसका कॉग्नीजेन्स, जैसा आपने बताया 22-23 जनवरी से लेने की कोशिश की, इसमें भी सद्भावना से बात चीत करके, उनकी प्रक्रिया देखकर इस स्थिति से सारा मामला लाकर खड़ा कर दिया। वह तर्क देते हैं कि हमें घाटा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आपको पता है कि तीन महीने पहले से जे.के. के चार डिवीजनों के प्रबन्धकों ने 30 प्रतिशत बोनस और 850 रुपये, एक्सग्रेसिया ग्रान्ट एक-एक मजदूर को दी। तीन महीने पहले दी है, इसलिये यह कैसा खोखला तर्क है, कैसी विडम्बना है कि वह इतनी बड़ी छंटनी कर दे, इस प्रकार की प्रक्रिया कर दे, राज्य सरकार की जानकारी में लाकर इस प्रकार कर दे, और राज्य सरकार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तब तक एक मूकदर्शक की तरह खड़ी-खड़ी देखती रही कि 22-23 तारीख को यहां से नोटिस भेजा है आपने कि राज्य सरकार की अनुमति क्यों नहीं ली। आपकी सी.आई.डी. वहां के अखबार एक एक घटना आपके सामने लाते हैं, 10 जनवरी से शुरू हो गई, 8 जनवरी से शुरू हो गई, राज्य सरकार सोती रही, यह मौका दे दिया कि वह कोर्ट चले जायं, इस प्रकार की स्थिति वहां का मैनेजमैन्ट बना ले इस प्रकार का लचर वक्तव्य आपने यहां दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह षड़यन्त्र एक तरफ़ा नहीं है,इस षड़यन्त्र में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके साथ साथ मैं एक और आरोप लगा रहा हूं, आरोप वैसा नहीं है. व्यक्तिगत आरोप वित्त मंत्री से कई वार वहां के प्रबन्धक मिल चुके हैं। वित्त मंत्री महोदय चाहते हैं कि इन्टक की स्थापना वहां हो जाय। यह षड़यन्त्र लगातार पिछले 6-7 महीने से चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी सिम्पल प्रकिया नहीं है यह जे.के. फैक्ट्री वहीं है जिसके संबंध कांग्रेस के साथ कैसे रहे, यह मैं नहीं बताना चाहता किस प्रकार की प्रक्रिया रही है मैं चर्चा करना नहीं चाहता किन्तु उस सब का दुष्परिणाम यह हुआ है कि आज 25 हजार लोग इस प्रकार की स्थिति में खड़े हो गये हैं, और राज्य सरकार यह बहाना ले रही है कि वह चले गये, कोर्ट में चले गये। अब तो कानूनी बात हो गई। हम क्या कर सकते हैं हैल्पलेसनेस जैसी जाहिर कर रहे हैं, आप राज्य सरकार के मालिक हैं, राजस्थान के मालिक हैं, सरकार राजस्थान की मालिक हैं, श्रमिकों की दृष्टि से कोटा में कैसी विडम्बना खड़ी हो रही है एक तरफ 6 हजार मजदूर सी.ए.डी. में और एक तरफ 5500 मजदूर इस प्रकार के कगार पर लाकर खड़े कर दिये।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, यह बात सच है किन्तु उसके साथ एक और बात बहुत भयंकर वहां पैदा हो गयी, राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार कितनी निष्क्रिय रही एक तरफ पहले से निष्क्रिय रही, दूसरी तरफ 17 फरवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने, उनमें मजदूर भी हैं मैं जानता हूं, 2200 लोग, जो इस कालोनी में रहते हैं, का घेराव कर लिया। मैनेजमेन्ट को कुछ लोगों ने लिखा है कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। आप मैनेजमेन्ट हैं तो जायं भाड़ में, कुछ भी कर दीजिये, हमें कुछ कहना नहीं है स्टाफ के लोग, एक व्यक्ति उनमें से बीमार हो गया 17 फरवरी को, इतना उसको यूरेनिक पेन शुरू हो गया कि वह तीन घन्टे तक अपनी कालोनी से बाहर नहीं आ सका, एम्बूलेन्स तक नहीं आ सकी। इतना ही नहीं भंगियों का जाना बन्द, सफाई होना बन्द हो गया, बच्चे जो रहते हैं उनकी स्कूल की बस को जाने से मना कर दिया। पुलिस मूक बनकर देखती रही कभी इधर कभी उधर। मुझे समझ में नहीं, आया मजदूरों की दृष्टि से राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। किन्तु यह तो समझिये कि 2200 स्टाफ के लोग अन्दर हैं, मैनेजमेन्ट के लोगो की नहीं कहता, आप उनको जो चाहे करिये लेकिन स्टाफ में रहने वाले लोगों के जीवन के साथ पिछले तीस दिन तक इस प्रकार की स्थिति हुई, खाने को नहीं, कोई चीज ला नहीं सकते बाज़ार से, घर की स्थिति खराव, सब प्रकार की स्थिति आकर खड़ी हो गई और राजस्थान की पुलिस, कोटा पुलिस,कालोनी में रहने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वाले कोई स्टाफ, का व्यक्ति जा नहीं सकता था। जैसी यहां की घटना आई है वैसी की वैसी उस समय कोटा की जे.के.कालोनी की घटना हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि केवल बातचीत करने का आधार न रहे केवल मात्र आपने एक 25 (एन) का सहारा ले लिया वह मद्रास हाईकोर्ट की बात को लेकर हाईकोर्ट में चले गये, आप देखते ही रह गये। कैसी सरकार है, कैसे इसके हाथ हैं। लोगों के जीवन के साथ खेला जा सके, उनके परिवार वालों के साथ खेला जा सके और आप मूक दर्शक बनकर बैठें रहें। इसलिये मैंने आरोप लगाया है, षड़यन्त्र था, नियोजित षड़यन्त्र था, नियोजित षड़यन्त्र नियोजित षड़यन्त्र में राज्य सरकार की भागीदारी थी राजनैतिक कारणों से, इसलिये इस प्रकार का एक्शन लिया। माननीय मंत्री जी उत्तर दें उस वक्त मेरी बातों का जो मैंने चार पांच स्पैसिफिक चार्जेज लगायें हैं उनका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिलोक सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़ : यह आपके चुनाव क्षेत्रों में आते हैं क्या।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसकी झलक तो सामने आती है कि जे.के. के मैनेजमेन्ट बोर्ड और उनकी कमेटी ने जो बात की, उसमें छंटनी की जा रही थी और ले आउट किया जा रहा था। तो उन अधिकारियों ने सरकार को क्यों इत्तला नहीं दी ? मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उस व्यक्ति ने आज तक उस कम्पनी में कितना ही पैसा कमाया है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि सरकार के सहयोग से जे.के. सिन्थेटिक्स को अपने हाथ में लें और उसका राष्ट्रीयकरण करें। कल जैसा मुख्य मंत्री जी ने संकेत दिया था, अध्यक्ष महोदय, 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, अगर हम उसको लेना चाहें। मैं कहना चाहता हूं कि उस कम्पनी ने 500 करोड़ रुपये कमाये हैं। आज उसमें किसी प्रकार का घाटा नहीं है, न बिजली की कमी है और न किसी प्रकार के कारण हैं। कारण साफ है, अध्यक्ष महोदय, पहले तो शादी कर लो नई. लड़की से बच्चे पैदा हो जायें, दुबली हो जाय तो उसको छोड़ दो, हम खुराक नहीं दे सकते अब तुम पीहर चली जाओ। क्या राज्य सरकार इस तरह से देखती रहेगी? मैं कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार पीछे रहती है, व्यवस्था नहीं करती है और कहती है हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप मजदूर के हाथ में दे दो, वह कम्पनी चलायेगा। मजदूर की कम्पनी है वही चलायेगा, कोई घाटा होने वाला नहीं है। आज सरकार के इतने लम्बे चौड़े हाथ हैं, संचार विभाग है, सी.आई.डी. है और तमाम प्रकार के साधन हैं, लेकिन केवल कानून की आड़ लेकर वह कोर्ट में चले जायें और राज्य सरकार हाथ

(श्री मेघराज तावड़)

पर हाथ धर कर बैठी रहे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, कि वह कानून अपने हाथ में ले फिर भी राष्ट्रीकरण किये जाने में अगर सरकार असमर्थ रहती है तो मजदूरों को सौंप दीजिये, वह चलायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 हजार मजदूर है छोटे-छोटे ठेकेदार हैं वह अलग हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह कोई घाटे में नहीं हैं, 500 करोड़ रुपये कमाये हैं। सरकार का पैसा लेकर वह जब उतर गया तो उसके बाद यह बहाना है कि कम्पनी घाटे में आ गई है या उसकी बिजली की कटौती कर दी गई है। यह सब बहाना है इसलिए गम्भीरतापूर्वक मंत्री महोदय जी सोचें और सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करें।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जी। संक्षेप में।

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य सरकार के षड़यन्त्र के कारण कोटा के आदमी बेकारी से ग्रस्त पड़े हैं। मंत्री महोदय बार-बार धारा 25 की बड़ी दुहाई दे रहे हैं। क्या फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री में छंटनी करने से पूर्व, जैसा कि नियम है, श्रमिक संघ, जो कि आथोराइज्ड यूनियन बना कर बैठे हैं, के नेताओं को बुला कर कहा था, उस छंटनी के विषय में बातचीत की थी? नहीं की, तो क्यों नहीं की? फिर आपका यह कहना है कि राज्य सरकार ने श्रम आयुक्त को बुलाया। माननीय मंत्री महोदय, फिर आपने यह भी कहा है कि 21 तारीख को प्रबन्धकों को बुलाया है इस बारे में बातचीत करने के लिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रबन्धकों को ही नहीं, सबको बुलाया था।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपकी सरकार को जे. के. सिन्थेटिक्स के मालिक दो कौड़ी की कीमत नहीं मानती, परवाह नहीं करती। उनका सीधा संबंध ऊपर की सरकार से है नीचे की सरकार से नहीं है। फिर बार-बार आप कह रहे हैं कि हम क्या करें, स्टे हो गया। स्टे आने के बाद, जब यूनियन ने स्टे ले लिया था, 31 जनवरी को कोर्ट का स्टे होते हुए भी नयी सूचियां इन लोगों को निकालने के लिए क्यों प्रकाशित की? अगर स्टे था तो क्या कारण था कि स्टे आने के बावजूद भी इस प्रकार लोगों की छंटनी की गई पुरानी तारीखों में मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह है कि ले-आउट की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मांग यह है कि गलत तरीकों से जिनकी छंटनी की है। उनको पहले नौकरी पर लिया जाए, उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं। चार-पांच हजार आदमी छंटनी में फेंक दिये गये, उनके सम्बन्ध में थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से आप विचार कीजिए, 18 साल से फैक्ट्री चल रही है, 18 साल से उन्होंने अपने को फैक्ट्री में खपा दिया। उनको दो-तीन महीने के पैसे देकर कहा कि आप अपना काम करें। आज वह मजदूर, जिसकी छंटनी हुई है, अपने आप में समर्पित है फैक्ट्री को। मालिक तो एक फैक्ट्री का था, आज चार फैक्ट्रियों का मालिक हो गया है कोटा की धरती पर, लेकिन जो मजदूर तिल-तिल करके उस फैक्ट्री में जला, खून पसीने से उसने जो कमाया उससे आज चार करोड़ का मालिक बन गया। जो जे. के. सिन्थेटिक्स का मालिक 17 वें नम्बर पर था हिन्दुस्तान के नक्शे पर आज वह 7वें नम्बर पर पहुंच

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया है अरबपतियों में। मेरा कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण से इस पर विचार करें राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करें क्योंकि आप सेठियों की वकालत कर सकते हैं, उनकी हिमायत कर सकते हैं, आपके मुख्य मंत्री जी मार्क्सिस्ट हो गये हैं, मजदूरों के लिये तथा कथित लेपिटस्ट हो गये हैं।

श्री वीरेन्द्रसिंह : मार्क्सिस्ट नहीं, समाजवादी हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह सोचने में एक कदम आगे बढ़कर बात करते हैं, लेफ्ट विंग को बिलोंग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपकी वात सही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप निश्चित रूप से इन मजदूरों के साथ मखौल मत कीजिए। वहां का सारा जन-जीवन असामान्य है।

एक बात ग्रौर मैं आपको कहूं, इन लोगों को अगर इंटक में भर्ती कर लो तो यह चले जायेंगे। फैक्ट्री में एक हजार पुलिस के जवान पड़े हुए हैं। मजदूरों के विरुद्ध जो पुलिस वाले भेजे हैं, क्या मिल मालिक ने उसका सारा पैसा राज्य कोष में जमा कराया है? अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के व्यक्ति का मांगता है तो उसको पे करना पड़ता है। जो एक हजार आदमियों को नसीराबाद से भेजकर कोटा में जे.के. सिंथेटिक में लगा रखा है, क्या उन पुलिस वालों को मंगाने का पैसा राज्य सरकार उस अरबपति से वसूल करेगी? श्रम आयुक्त ने उनको बुलाया ग्रौर प्रवन्धक नहीं आये, मजदूर तो आ गये। मंत्री महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि वह आपकी सरकार की ओर तवज्जोह नहीं देते। क्यों नहीं आये? वह प्रतिवन्धित थे, वह कानून में बंधे हुये थे, उसके बाद भी वह नहीं आये। श्रम आयुक्त को तो छोड़िये सरकार की ओर तवज्जोह नहीं देते वह करोड़पति। इसलिये नहीं देते कि चुनाव के अन्दर चालीस हजार लीटर पैट्रोल जे.के. सिन्थेटिक्स के मालिक लाला सोहनलाल सिंघानिया ने कांग्रेस (आई) को दिया था। उसके बदले के स्वरूप लाला सोहनलाल सिंघानिया कोटा के मजदूरों को पीस रहा है। राज्य सरकार कान में तेल डाले बैठी है, चुप्पी साधे बैठी है। आप अपनी चुप्पी तोड़ें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, यदि कुछ कहना चाहें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में सारी स्थिति को स्पष्ट किया है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ग्रौर दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि यह सुनियोजित षड़यन्त्र था ग्रौर इसमें राज्य सरकार भी शामिल है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पनी की ग्रोर से क्या था, क्या नहीं, यह मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की इस छंटनी में किसी भी प्रकार, किसी भी स्तर पर, किसी प्रकार की कोई बातचीत इससे पूर्व नहीं हुई। यह आरोप निराधार है, असत्य है, इसका कोई वजूद नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि राज्य सरकार इस षड़यन्त्र में शरीक थी।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कम्पनी के प्रबन्धक मुख्य मंत्री जी से आकर मिले। कब मिले, क्यों मिले, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हुई उस मामले में। 19 तारीख से पूर्व राज्य सरकार के श्रम विभाग, मुख्य मंत्री जी और मुझे किसी भी तरह के तथ्य की बात मालूम नहीं थी कि कोटा में छंटनी होने वाली है। 15-17 तारीख को नोटिस दिया, 19 तारीख की रात को जो कोटा से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र थे उनके माध्यम से श्रम आयुक्त को मालूम हुआ कि इस प्रकार की छंटनी हो रही है। 20 तारीख को बात करके 21 तारीख को सहायक आयुक्त को सरकार ने सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां भेजा। कहीं पर भी सरकार की ओर से देरी नहीं की गई। मैं माननीय सदस्य का यह कहना वाजिब मानता हूं कि कोटा में जूनियर लेबर कमिश्नर पोस्ट के होते हुए भी कोई नहीं था। उन्होंने इसी महीने में रिटायरमेंट लिया था, नई पोस्टिंग हुई नहीं थी, यह बात सही है लेकिन यहां से जोइन्ट श्रम आयुक्त को भेज कर सारी स्थिति की जांच करवाई और स्थिति की जांच हुई। उसके बाद उन्होंने बताया था। उसके बाद तत्काल कम्पनी को नोटिस दिया गया कि आपने यह छंटनी कैसे कर दी। राज्य सरकार से आपको अनुमति लेनी चाहिए थी नियमानुसार। आपने अनुमति नहीं ली। यह छंटनी कैसे की? उनका स्पष्टीकरण आने के बाद फिर उनको इस संबंध में नोटिस दे दिया 25 (एन) के अन्तर्गत, एक्ट में जो प्रावधान है उसके आधार पर। राज्य सरकार यही तो कर सकती थी, लेबर डिपार्टमेन्ट यही तो कर सकता था कि उसका प्रासीक्यूशन करे। या तो दोनों को बैठाकर बातचीत करके कोई रास्ता निकाले, और रास्ता नहीं निकलता है तो विवाद को सौंप दे, रेफरेन्स कर दें कोर्ट के अन्दर या फिर कम्पनी, जिसने गलती की है, अपराध किया है, कानून की अवहेलना की है का प्रासीक्यूशन करे। यह सब रास्ते हमने साइमल्टेनियसली अपनाये। बात-चीत करने का भी रास्ता अपनाया, नोटिस भी दिया। इस बीच में यह केसेस हो गए। दोनों तरफ से केसेस हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय। लेबर यूनियन की तरफ से भी हुए हैं और कम्पनी की तरफ से भी केस हुए हैं। हमने नोटिस दिया था पर कोर्ट ने स्टे जारी किया। इसलिए प्रासीक्यूशन हम नहीं कर पाये। बाकी हम तो प्रासीक्यूशन करने जा रहे थे। साथ ही साथ बात-चीत करने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो पीड़ा श्रमिकों के बारे में आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी है और राज्य सरकार को भी है। इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों की छंटनी कर दी जाये और बेरोजगार कर दिया जाये, उनको सड़क पर लाकर रख दिया जाये, यह न कोई माननीय सदस्य इस सदन में बैठने वाला बरदाश्त करेगा चाहे वह किसी भी पार्टी का हो और न राज्य सरकार इसको बरदाश्त करना चाहती है और न बरदाश्त करेगी। राज्य सरकार हर सम्भव कदम उठायेगी जिससे यह मामला सुलझे। दोनों के बीच में तय हो और जो मजदूर उस कम्पनी में लिये जा सकते हैं वह उसमें जायें और काम करें। यह स्टेप राज्य सरकार लेना चाहती है। इसी दृष्टि से मैंने कहा है कि दोनों को

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बुलाकर कोई बातचीत का रास्ता निकल सके तो ज्यादा अच्छा है। इसका यदि हमने रेफरेन्स भी किया, श्रम न्यायालय में भी दिया तो हाई कोर्ट का स्टे सामने आ जायेगा। हाई कोर्ट से फैसला हो जायेगा। जब तक फैसला होगा, रेफरेन्स में मामला दिया जायेगा, जब तक उसका निर्णय होगा तब तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। ले-ऑफ करने के बाद में उन्होंने लॉक-आउट कर दिया था लेकिन ले-आउट खोल दिया। आज फैक्ट्री खुली हुई है लेकिन हड़ताल की वजह से श्रमिक नहीं जा रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। इतनी बड़ी छंटनी हो गयी तो दूसरे श्रमिक हैं वह श्रमिक उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते। इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं। वह स्थिति वहां पर है।

आपने उसके बाद में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया कि कितने पुलिस वाले आ गये। तो यह तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, के देखने की बात है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की क्या स्थिति बनती है और उस स्थिति पर काबू पाने के लिए उनको कब क्या व्यवस्था वहां पर करनी है। यह उनका लुक-आउट है। उसी दृष्टि से जो उन्होंने आवश्यक समझा होगा उसकी व्यवस्था उन्होंने की होगी। उसके बारे में न तो मैं कुछ कहने की स्थिति में हूं और न मुझे जानकारी है कि वहां पर क्या किया गया क्या नहीं। जो वस्तुस्थिति है आर्गेनाइजेशन में, इस संस्थान में, इस फैक्ट्री में और इस कम्पनी में जो मजदूरों के सामने हुई थी उसके लिए मैंने निवेदन किया।

एक बिन्दु और उठाया कि जब स्टे ऑर्डर हो गया था तो उसके पश्चात् भी कुछ लोगों की छंटनी और कर दी गयी। यह कैसे की गयी? तो मैंने अपने स्टेटमेन्ट में स्थिति को स्पष्ट बताया था कि पहले लाट में जो उन्होंने 15 और 17 को नोटिस दिया था उसमें 2072 मजदूरों की छंटनी की। उसके बाद मैंने बताया था कि 2-2-83 को प्रबन्धकों को सुना गया। इस पीरियड के बीच में, 25 तारीख के बाद के पीरियड में उन्होंने 295 मजदूरों की और छंटनी कर दी। वह छंटनी की है 24 जनवरी को 6 की, 26 जनवरी को 16 की और 2 फरवरी को 273 मजदूरों की। यह छंटनी कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बाद हुई या कैसे हुई, यह मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है। या इसमें कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ या उनको जो नोटिस दिया उसके पहले या बाद में कब छंटनी की गयी, यह मामला भी हमारे हाथ में नहीं रहा। तो छंटनी तो हुई है। मैं नहीं कहता कि नहीं हुई। अब आप कहते हैं कि जो रेगुलर मजदूर थे परमानेन्ट। वह संख्या मैंने बताई तो, अध्यक्ष महोदय, मेरी तो वही संख्या है। इसके अतिरिक्त आप कहते हैं कि ठेकेदारों के मजदूर अलग हो जायेंगे जब काम बन्द हो जायेगा। इसके अतिरिक्त आपने कहा कि 800 लेबर जो केजुअल लेबर आती थी वह बन्द कर दी गयी। तो मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा है। तो वह मजदूर, जिनकी छंटनी हुई है, तो हैं, ही लेकिन इसके साथ ही दूसरे मजदूर रहे होंगे जो फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं वह भी काम पर नहीं जा रहे हैं। इस दृष्टि से कहा है तो काफी संख्या लम्बी मजदूरों की होगी। जो मजदूर 50 पर्सेन्ट या मोर देन 50 पर्सेन्ट

(श्री हीरालाल देवपुरा)

फैक्ट्री में रह गये हैं और वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह स्थिति है। इस स्थिति को ठीक करने की दृष्टि से इन मजदूरों को वापस काम मिल जाये, फैक्ट्री चालू हो, चारों विभाग इसके चालू हों और वहां पर जितने मेग्जीमम मजदूर लग सकते हैं वह लगें इसकी व्यवस्था करने के लिए ही मैंने प्रबन्धकों को, यूनियन लीडर्स को और संबंधित श्रमिकों को, जिन्होंने मुझे लिख कर भेजा है उनको भी कहला कर भेजा है कि वह आ जायें और बात करें और दोनों तरफ के बात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो कानून तो हमारे पास है ही। कानून की मदद से जो भी रास्ता निकाल सकते हैं वह रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, हम सब की सहानुभूति, सहानुभूति ही नहीं हमारी प्रतिबद्धता उन श्रमिकों के साथ है जिनको छंटनी करके, बेघरबार करके बाहर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 15-1-83 को छंटनी हुई थी और आज 17-3-83 है, इतनी बड़ी सहानुभूति है दो महीने से मजदूर भूखे क्यों मर रहे हैं · · · ·

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह सारी बात तो बता दी लेकिन आपके कानून के पकड़ में वह नहीं आयेंगे। फैक्ट्री बन्द कर दी गयी है। मैंने साफ कहा है कि आप राष्ट्रीयकरण करने की कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं यदि आप राष्ट्रीयकरण करने का इरादा रखते हैं तो? अगर नहीं तो फिर मजदूरों के ऊपर छोड़ दी जाये, मजदूर चलाने के लिए तैयार हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वह स्थिति पैदा नहीं हुई है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो राज्य सरकार ऐसा कदम उठाने में नहीं हिचकिचायेगी। अभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : सभी कानूनी कदम उठायेगी सरकार।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के बारे में जो आक्षेप लगाये गये थे··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज इनका कोटा का मामला है।

श्री भगवानदास शास्त्री : वास्तविकता में तो तीन वर्ष से उनके दिमाग में जो रोब है वह रोब तो निकाल दीजिए···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस जे.के. सिन्थेटिक्स फैक्ट्री का जो रिजर्व कैपिटल है उसमें से लोहिया मशीन्स के उन्होंने शेयर खरीदे हैं। कम्पनी लॉ के अन्तर्गत यह गलत है··

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका क्या संबंध है?

श्री कमलेन्द्र सिंह : आपने कह दिया, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का विषय है। मजदूर तो अपने हैं···

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या चीज?

श्री कमलेन्द्र सिंह : आपने कहा कि सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का विषय है···

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कब कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का विषय है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं कही।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा है कि बेलेन्स शीट में इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इतने पैसों के शेयर्स इस कम्पनी ने लोहिया मशीन्स, जहां नये स्कूटर्स बन रहे हैं…

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, प्राफिट एण्ड लास का जहां तक प्रश्न है मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया है । मैं इस तथ्य पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि फैक्ट्स के आधार पर मुझे निर्णय लेना पड़ेगा ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : मैं यह जानता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस चीज को रोक सकती है ? यह केपिटल जो यहां से उठाकर कानपुर में लगाने वाले हैं इस केपिटल को रोकने का कोई सरकार प्रबन्ध कर सकती है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। मैंने प्रारम्भ में 10 फरवरी को निवेदन किया था और आपने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि उन्होंने बिजली की कमी के कारण यह काम शुरू किया …

श्री हीरालाल देवपुरा : ले ऑफ का ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह इसलिए सवाल किया कि क्या कभी, और बार भी बिजली नहीं मिलने के कारण हुआ है ऐसा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय मैंने इस बात को कहीं डिफेण्ड नहीं किया है। कहीं पर नहीं किया कि ले ऑफ किया तो सही किया, बिजली की कमी के कारण किया तो सही किया। मैंने कहीं पर इसको डिफेण्ड नहीं किया है। मैंने इस बात को रिजर्व रखा हुआ है कि वह बात करेंगे तो निर्णय करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सभी प्रश्नों का ध्यान रख लेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं अखबारों की कटिंग इनको बता दूं कि कब शुरू हुआ काम…

श्री अध्यक्ष : दोनों ही पक्ष एक मत हैं, इस विषय पर। चर्चा समाप्त हुई ।

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा तलवण्डी सेक्टर में ओवर हैड लाइने प्राइवेट एजेंसियों द्वारा नियम विरुद्ध खिंचवाना

ऊर्जा मंत्री जी एक वक्तव्य देंगी कोटा में लाइनें खींचने के संबंध में ।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : कोटा नगर विकास न्यास द्वारा तलवण्डी सैक्टर ए.वी.सी. एवं महावीर नगर प्रथम, द्वितीय, दादाबाड़ी विस्तार योजना एवं केशवपुरा तृतीय, सप्तम एवं षष्ठम योजनाओं में विद्युत की लाइन डालने का कार्य विद्युत निरीक्षक से लाइसेंस प्राप्त विद्युत कान्ट्रेक्टर के माध्यम से कराया जा रहा है।

भारतीय अधिनियम , 1910 की धारा 3 के तहत बिजली वितरण एवं प्रवाह कार्य हेतु लाइसेन्स देने का प्रावधान है ।

(श्रीमती कमला)

कोटा नगर विकास न्यास द्वारा तलवण्डी सैक्टर व दादाबाड़ी विस्तार योजना में लाइनें आदि कार्य करने हेतु विद्युत मण्डल के पास 2 लाख 34 हजार 50 रु० दिनांक 7-4-81 व 11-6-81 को जमा कराये। इसके बाद चूंकि नगर विकास न्यास इस कार्य को शीघ्र करवाना चाहता था, अतः इसकी तकनीकी समिति ने यह प्रस्ताव किया कि यह कार्य नगर विकास न्यास स्वयं करवा ले। इस समिति के एक सदस्य विद्युत मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता भी हैं। तकनीकी समिति के इस प्रस्ताव की स्वीकृति नगर विकास न्यास की दिनांक 27-2-82 को हुई बैठक में दे दी गई। नगर विकास न्यास को इस निर्णय के अनुसरण में कोटा विकास न्यास द्वारा तलवण्डी सैक्टर ए व महावीर नगर द्वितीय में विद्युत वितरण लाइन डालने का कार्य भारतीय विद्युत नियम 1956 की धारा 45 (1) के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया है। इस कार्य का निरीक्षण नगर विकास न्यास, कोटा में कार्यरत विद्युत अभियन्ता द्वारा कराया गया है। इस कार्य के पूर्ण होने पर इसका निरीक्षण सहायक विद्युत निरीक्षक, राजस्थान सरकार, कोटा द्वारा कराया गया है। उपरोक्त सहायक निरीक्षक ने कुछ खामियां बताई थी। उन कमियों को नगर विकास न्यास, कोटा ने दूर कर दिया। इसके पश्चात् विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं द्वारा पूर्ण निरीक्षण करने एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप पाये जाने के पश्चात् केवल उपरोक्त दो क्षेत्रों की लाइनों को चार्ज किया गया है।

यद्यपि भारतीय विद्युत नियम, 1956 की धारा 45(1) के अधीन निजी सम्पत्ति पर संस्थाओं द्वारा इस प्रकार का कार्य करवाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तथापि यह कार्य तकनीकी दृष्टि से ठीक हो तथा विद्युत मण्डल से इस प्रकार के कार्य हेतु प्लान भी पहिले ही स्वीकृत करवा लिया जाये एवं विद्युत सप्लाई की स्वीकृति भी पूर्व में मण्डल से प्राप्त करें और निजी सम्पत्ति की परिभाषा को भी पूरा करे इत्यादि मामलों में सरकार आवश्यक निर्णय लेकर निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है क्योंकि इस प्रकार के मामलों में काफी उलझनें पैदा होने की आशंकाये हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था, यह पहला ही मामला है जिसमें वितरण व्यवस्था तो नगर विकास न्यास ने कराई है लेकिन इसका रख-रखाव बोर्ड को करना होगा और यह कार्य आम नागरिकों के लिये किया जा रहा है न कि सिर्फ न्यास स्वयं के अधिकारियों या कर्मचारियों के लिये। भूमि न्यास की निजी सम्पत्ति मानी जाय या नहीं यह भी विचारणीय प्रश्न है क्योंकि प्लाट्स लीज पर व्यक्तियों को दिये जाते है। इन सभी मुद्दों पर निश्चित निर्णय लिया जाना आवश्यक है। अतः सरकार इस पर विचार कर फिर अग्रिम निर्णय लेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें इस वक्तव्य के संदर्भ में होंगी। इस वक्तव्य से सीधी साधी बात यह है कि कोटा क्षेत्र के जन जीवन, लोगों के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया गया है। कभी भी कितने ही लोगों की मृत्यु इससे हो सकती है। दूसरा मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं जैसा माननीय मंत्री महोदया ने वक्तव्य दिया कि निजी...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने खुद ने माना है कि इन सभी प्रश्नों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही नहीं है। यह प्रश्न ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदया ने बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर सारी बात कही है...

श्री अध्यक्ष : आप तो कम से कम सीधे तौर से कहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपसे इतना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि नगर विकास न्यास मकान बनाता है। निजी सम्पति में प्राइवेट कान्ट्रेक्टर से करवाने का अधिकार है। उन्होंने कहा यह सवाल है कि वह निजी सम्पति नगर विकास न्यास की है, वह निजी मानी जाये या क्या मानी जाये ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं कहा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बता दें। फिर पढ़ दें।

श्रीमती कमला : यह निजी सम्पत्ति की परिभाषा में, नगर न्यास द्वारा जो कालीनीज इलेक्ट्रीफाई करने का प्रस्ताव है वह निजी सम्पति की परिभाषा में आती है या नहीं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह 45 (1) का जो जिक्र किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न फिर मैं पूछ लेता हूं। क्या हाई टेन्शन की जो लाइन है उसके खींचने का, बिजली का जो कानून है उसके अन्दर, अधिकार है क्या ? सीधा प्रश्न फिर इस पर आता है।

श्रीमती कमला : हाईटेन्शन लाइनें खींचने के लिये तो स्पेसिफिक रूप से उनको स्वीकृति लेनी पड़ती है लेकिन एल. टी. लाइन के लिये उनको स्वीकृति इस प्रावधान के तहत में लेनी नहीं पड़ती जो और बातें हैं, इसमें काम्पलीकेशन्स क्रियेट होने वाले हैं उनको दृष्टिगत रखते हुये यह मामला विचाराधीन है और जो हो चुका है वह अपने आप में जिस स्थिति पर है उसी स्थिति में रोकने के बाद में अग्रिम कार्यवाही पर सोचा जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बात नहीं है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं She is only defending the department. मैंने इसमें कुछ धाराओं का जिक्र किया है।

Indian Electricity Act 1910 Clause 3-

Grant of Licences-(1) The State Government may on application made in the prescribed form and on payment of the prescribed fee grant after consulting the State Electricity Board, "Not a Pratinidhi there", a licence to any person to supply energy in any specified area, and also to lay down or place electric supply lines for the conveyance and transmission of energy. ...

श्री अध्यक्ष : यहां तो मोनोपोली का धन्धा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, यही मेरा कहना है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, शायद माननीय मंत्री महोदया जैसे लाइसेंस का जिक्र कर रही है, लाइसेंस में दो बातें है एक तो घरों में बिजली लगाने का...

श्रीमती कमला : शायद माननीय सदस्य ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले पूरी बात तो हो जाय Let me complete.

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : जिस अनियमितता की ओर आपने इशारा किया है वह अनियमितता तो मान रही हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मान रही हैं तो एक्शन क्या ले रहे हैं..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह कह रही हैं, मान रही हूं गलतियों को अभी कहा उन्होंने। गलती क्यों हुई, यह मैं बताना चाहता हूं। इसके पीछे का प्रयोजन क्या है, वह भी मैं बताना चाहता हूं, । उसमें कितनी मैल प्रेक्टिस है। उस वक्त 5 लाख रुपया खाया गया, यह भी बताना चाहता हूं उन अधिकारियों को बचाया जा रहा है, यह भी बताना चाहता हूं। लोगों के साथ जन जीवन के साथ क्या होगा इन लाइन्स का खराब मैटिरियल होने के कारण, वह भी बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया कि गलती हुई है । तो एक्शन लीजिए फिर। फिर क्या लीपा पोती कर रही हैं। अभी कहा इन्होंने। मेरी बात हो जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, Let me complete.

श्री अध्यक्ष : मैं भी क्लियर कर दूं। ऐसा है कि वर्तमान में तो स्थिति यह है कि इलैक्ट्रिसिटी है इसका जैनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब बोर्ड के हाथ में है और एक तरह से यह मोनोपोली है इस संगठन की लेकिन इसमें यह प्रावधान है, मान लीजिये कि सरकार आज छूट दे दे कि फलां क्षेत्र में बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इसलिये कोई व्यक्ति या कोई कम्पनी अपना बिजली घर स्थापित कर दे। तो इस नियम के अन्तर्गत अथारिटी एक बनी हुई है उसको यह अधिकार है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइनें हैं उन लाइनों को प्राइवेट व्यक्ति खींचें, यह भी छूट दी जा सकती है लेकिन उसके ऊपर नियन्त्रण यह रखा जाता है कि जो इसके नियम वगैरह हैं उसके अनुसार होना चाहिये । यह है। यह पूरा है ।

This covers Board/Boards constituted by the State Government as well as private company. अब इसमें प्रश्न यह है कि यू.आई.टी. तो इलैक्ट्रिसिटी जैनरेट करती नहीं है, इलैक्ट्रिसिटी तो सप्लाई करेगा बोर्ड और उन्होंने हाई टेन्शन लाइन्स को निर्मित करने का काम किसी प्राइवेट व्यक्ति , व्यक्तियों अथवा कम्पनी से करवा लिया है । यही बातें हैं न मुद्दे की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक.........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात मेरी हो जाये फिर कह देना।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप एक मिनट विराजें तो मैं स्पष्ट कर दूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे सवाल तो रखने दीजिये, मुझे शंकायें तो रखने दीजिये। आप विराज जायें।

श्रीमती कमला : मैं आपको बताना चाहती हूं मौजूदा में...

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, इनको कहने दें।

श्रीमती कमला : बहुत सी ऐसी कालानीज हैं जिनमें कि प्राइवेट तौर पर इस तरह का काम करने की इजाजत होती है

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बैठ जायें। आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहीं हैं माननीय मंत्री महोदया...

श्रीमती कमला : जैसे डिफेंस कालोनीज हैं, रेलवे कालोनी है जितनी में प्राइवेट तौर पर ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनकी मैं चर्चा करूंगा। आप बिराजें तो सही।

श्रीमती कमला : आप सुन तो लीजिये...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज्ञा तो मानिये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रूल नम्बर 3 के साथ, मैं चाहता हूं, रूल नम्बर 28 भी साथ पढ़ा जाय, समझा जाय....

"28-Sanction required by non-licensees in certain cases-(i) No person other than a licensee, shall engage in the business of supplying energy to the public except with the previous sanction of the State Government...."

श्री अध्यक्ष : यह तो है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह नहीं है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं। मैं यही कह रहा हूं। मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, वह डाक्यूमेंट रखें। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके सामने। स्टेट गवर्नमेंट की कोई परमीशन नहीं हुई तो मैं चर्चा करूंगा...

"....except with the pervious sanction of the State Government and in accordance with such conditions as the State Government may fix in this behalf.....

श्री अध्यक्ष : They are not generating electricity. They are not supplying. It is the Board who shall supply. They have simply laid down hypertension line which you contend that they are not competent to erect. That is the main point.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दो डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के पास, एक इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर...

श्री अध्यक्ष : यह तो सरकार का विभाग है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं State Government means the Electrical Inspector, the State Government here.

मेरा यहां आरोप है कि यह जो लाइसेन्सी महोदय है, जिस (45) (1) का जिक्र किया है माननीय मंत्री महोदया ने निजी सम्पत्ति वाली इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, यह जो नगर न्यास की कालोनी है जिनका नाम इन्होंने लिया है तलवन्डी सेक्टर नं० 2-बी महावीर नगर और सब कुछ । इन सब में यू० आई०टी० ने जिस कान्ट्रेक्टर से ये लाइनें खिंचवाई हैं वे लाइसेन्सी नहीं है, उसमें परमिशन राज्य सरकार से नहीं ली है, उसमें परमिशन इलैक्ट्रिक्ल इन्सपेक्टर से नहीं ली है ...

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह मिस इन्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप जल्दी क्यों कर रही हैं,

श्री अध्यक्ष : आप मिस इण्टरप्रेट काहे के लिये कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप विराज जाइये। आपको मोका मिलेगा जवाब देने का...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दीजिये, चतुर्वेदी जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, मेरा यह कहना है कि जिन लाइसेन्सी महोदय ने न राज्य सरकार से लाइसेन्स लिया है, न राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को, इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, जिनको सहमति देनी थी, को इसने कान्फिडेन्स में लिया । मैं इसलिये कहना चाहता हूं आपके सामने कि इतनी बात नहीं है, लाइसेन्स वाली बात नहीं है । इन्होंने लाइनें बना दीं, 15 लाख की कीमत की लाइनें हैं जो किसी प्राइवेट कान्ट्रेक्टर ने बनाई हैं । जब ये लाइनें जो जो चार्ज हो गई वे उन्होंने आर.एस.ई.बी. को सौंप दीं । उन्होंने कितनी खराबी रखी है इसकी चर्चा भी मैं करूंगा । माननीय मंत्री महोदया ने वे तारीखें नहीं बताई कि कब शिकायत हुई और कब रेक्टिफिकेशन हुआ । वे गोल कर गईं । वे नहीं चाहती हैं, मैं चाहता हूं मेरी बात कहने पर वे बता दें । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लाइनें खींची हैं लो टेन्सन लाइनें हैं, थ्री फेस लाइन है, ओवर हैड लाइन है जिसका अधिकार उस लाइसेन्सी को भी नहीं दिया है ।

अब राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोटा ने पता नहीं किसकी आज्ञा से, मैं चाहता था मंत्री महोदया स्पष्ट रूप से उल्लेख करतीं, किसके हुकुम नामे से यह चार्ज की है । जे.ई.एन. ने विरोध किया है, ए.ई.एन. ने विरोध किया है, एक्स.ईएन. ने विरोध किया है और सुपरिटेन्डिग इंजीनियर ने विरोध किया है, इन सबने विरोध किया है कि हम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइनें हमको सौंप दी जायेंगी । पता नहीं क्या गड़बड़ है हमने तो इन्सपेक्शन किया नहीं है इसका, सौंप दी जायेंगी, बनाई है जिसने पैसा ले लेगा वह 15 लाख रुपया । आर. एस.ई.बी. करता है तो ओवर हैड चार्जेज 53 पर्सेन्ट चार्ज लेता है । फिर आगे उसको उन लाइनों को सुधारना, मैन्टीनेन्स करन -

(88)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। पैसा तो ले गया वह 15 लाख रुपया, गड़बड़ी होगी, कठिनाई पैदा होगी उसको ठीक करेगा राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड। दो लाइनें तो चार्ज कर दी हैं, यह आ गया इनके माथे पर। पैसा लगायेंगे थे, 53 पर्सेन्ट ओवर हैड चार्जेज तो मिले नहीं इनको, क्योंकि प्राइवेट कान्ट्रेक्टर ने वह काम कर दिया। इनको तो मिला क्या विरासत में कि उन दोनों लाइनों में जो कमियां हैं, जो खराबियां हैं। कमियां, खराबियां क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : उस विस्तार में न जायं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये कहना चाहता हूं यह जन जीवन के साथ सम्बन्धित है, कल घटना आ जायेगी ...।

श्री अध्यक्ष : आप बता दीजिये संक्षेप में, विस्तृत में न जायं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं केवल वह पत्र पढ़कर बता रहा हूं कि ए.ईएन. ने अपनी शिकायत में इनको लिखा है कि हम क्यों नहीं चार्ज कर सकते इसको। यह तो रिकार्ड में है। आप चाहे तो मैं उस पत्र को यहां रख दूं और वे चाहें तो पत्र का जवाब दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर इस पत्र को देखेंगे, यह पत्र लिखा है 24-8-82 को असिस्टेन्ट इंजीनियर खुद ने 18-10-82 को, जनवरी, फरवरी, यह हो गया अक्टूबर और चार्ज हो गई लाइनें। कब चार्ज हो गई? जैसा माननीय मंत्री महोदया ने बताया, सेकन्ड वीक आफ नवम्बर में। मेरा आरोप है, यह चार्ज किये। उन्होंने कमियां बताई हैं, कमियों की संख्या है इसमें 14। अब आप कह रहे हैं विस्तार में न जायं लेकिन मैं वे बातें जरूर बताना चाहता हूं जिनसे जन-जीवन का सम्बन्ध है। उन्होंने क्या लिखा है ...

'But as the lines have already been laid it is not possible to test the quality and confirmity of the items used according to the specifications.'

माननीय मंत्री महोदया, इस पर कुछ कहेंगी। ए.ई.एन. लिख रहा है कि हम तो कर ही नहीं सकते इसको, यह काम तो हो गया। यह लिखा है उन्होंने दसवें महीने में।

श्री अध्यक्ष : नवम्बर के बाद में बिजली मिल रही है या नहीं? यह बतायें न आप?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं बिजली तो मिल रही है...

श्री अध्यक्ष : कोई एक्सीडेन्ट हुआ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप चाहते हैं कि एक्सीडेन्ट हो। मैं आपको इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, मेरा आरोप है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से कहें थोड़ा आहिस्ता बोलें।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा आहिस्ता बोलें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सदस्य को जिन्होंने यह बात कही। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जन जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया और जो 14 शिकायतें ए.ईएन. ने लिखी हैं, एक्स.

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ई.एन ने उनको कन्फर्म किया है। मुझे तर्क दिया गया कि दीवाली के चार दिन रह गये थे, लोगों को बिजली की आवश्यकता थी, लोग वहां आना चाहते थे इसलिये उनको कनेक्शन दिये गये। यह भी कहा गया कि अकार्डिंग टू रूल्स नहीं हैं ये। हम नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर स्टेट गवर्नमेंट की जब तक परमिशन मिल जायेगी, हमको यह कोई मिली नहीं। इसलिये आज मंत्री महोदया ने सब बातें कही हैं, अब वह विचार कर रही हैं इन सबके विरुद्ध कि ऐसा होगा या नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदया, इन दो लाइनों को चार्ज कर लिया है आपने, 8 लाइनें और हैं जो एक विशेष कान्ट्रेक्टर ने बनाई हैं। कौन कान्ट्रेक्टर है? जिसकी पोल की फैक्ट्री है। कौन कान्ट्रेक्टर है? जिसकी तार बनाने की फैक्ट्री है। तार का कन्जम्पशन हो जायगा, पोल का कन्जम्पशन हो जायगा...

श्री अध्यक्ष : तार भी वही है, पोल भी वही है चाहे आर.एस.ई.बी. लेवे और चाहे कोई ठेकेदार। फर्क क्या पड़ता है, अगर इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर यह कह देता है कि लाइनें ठीक हैं ...।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ठीक है, तो। उसने कहा क्या है

Three pole 5 wire lines have been laid between/on the L.T. support–

Pole no. 1 to 22, 41 to 43, 50 to 55 and 65 to 68. The L.T. lines have been laid for three phase five wires.

All metal parts used/fitted in the poles have not been found earthed.

Earthing of the Struts has not been found done.

Earth wire used for earthing was found of weaker section which requires to be doubled or replaced by the appropriate section...'

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह सारी बातें करने में, मेरा इसलिये कहना है, न तो सरकार से परमिशन ली गई है, न राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से परमिशन ली गई है। सारे नीचे के अधिकारियों ने इन कमियों को नजर-अन्दाज किया है। वे कौनसे अधिकारी है, मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय, उनकी खोज करें जिन्होंने इस प्रकार का डील किया है, जो 15 लाख का डील है। आज तो आप कह रही हैं कि केवल दो लाइनें हैं और चार्ज नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने धर्म संकट पैदा हो जायेगा। मैं कोटा का विधायक हूं। उन्होंने लाइनें खींच दी हैं आपके पास पैसा जमा कर दिया है राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास और आप अब लाइन नहीं खीच रहीं है, आप काम नहीं कर रही हैं फिर दरख्वास्त दिलाई जा रही है यू०आई०टी० के अधिकारियों से यू.आई.टी के अधिकारी आर.एस.ई.बी. के अधिकारी, इन सबका मिला-जुला षडयन्त्र है उस कान्ट्रेक्टर का जिसके कारण पैसे खाये गये हैं और लोगों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि इस समय माननीय मंत्री महोदया ने कह दिया कि आगे दो लाइन के अलावा हम चार्ज नहीं करेंगे। करेंगे चार्ज क्या आप ?

श्रीमती कमला : मैंने कहा है, चर्चा करके निर्णय करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किन्तु आप उल्लेख करेंगी, चर्चा करेंगी, वह लोग क्या करते रहेंगे ? वहां के नागरिक क्या करेंगे आपकी गलती के कारण···

श्री हरिसिंह (महुवा) : He is behaving like a teacher.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि कानूनों का उल्लंघन हुआ है उसके लिये उच्च अधिकारियों को निश्चित रूप से दण्ड दिया जाय। कम से कम इस क्षेत्र में आर.एस.ई.बी. के पास पैसा जमा हुआ है वह तुरन्त अपनी लाइन खींचे, खींचकर, तुरन्त कनेक्शन लोगो को दे और जो प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को लाइसेन्स दिया है उसका लाइसेन्स छीना जाय। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनमें कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कानून का कुछ गलत इन्टरप्रिटेशन किया, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें उनको ऐसा लगता है कि कुछ खाने-पीने के दृष्टिकोण से यह सारा मामला किया गया, और कुछ मुद्दे ऐसे उठाये हैं कि अब उन कालोनीज के लोगों का क्या होगा, अगर आप रोकेंगे····

श्री अध्यक्ष : अभी अंधेरे में गांवों में सब दुनिया बैठी है, इसका क्या किया जाय।

श्रीमती कमला : पहली बात तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह एच०टी० लाइन खींचने का मामला नहीं है, सिर्फ 11 के०वी० लाइन उन्होंने खींची है।

दूसरा जो मुद्दा है कि आपने बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के उनको कैसे खींचने दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि दो तरह के मामले हैं। एक तो ऐसे मामले कि जो लेने वाली खुद स्वयं यूनिट है और उसकी कोई भी बाई यूनिट नहीं है, जैसे डिफेन्स कालोनीज हैं। तो डिफेन्स डिपार्टमेन्ट अपने खुद के लिए अपना सारा इनका स्ट्रक्चर तैयार करता है और हम उसको अलाऊ करते हैं तो वह अपने तौर पर जो कालोनीज में रहने वाले हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो that is one unit, उसमें उसके एम्पलाइज वगैरह रहते हैं। इसलिए उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वह एक यूनिट है चाहे रेलवे कालोनीज ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कालोनीज को ले लीजिए। तो उनको आज हम देते हैं, वह अपना सारा इन्फ्रा स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिस्ट्रिब्यूट करते हैं लेकिन उसके रख रखाव की सारी जिम्मेदारी भी उनकी है। वह हमारे प्रेस्क्राइब्ड नार्म्स के मुताबिक सारा का सारा अपना इन्फ्रा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यह जो पहला मामला एक आया है यू०आई०टी० का, यह पहला मामला है, यू०आई०टी० के मामले में काफी

(श्रीमती कमला)

मुद्दे विचारणीय थे, उसके बाद ही इसको स्वीकृति दी जानी चाहिए थी। पहला मुद्दा तो यह कि क्या यू०आई०टी० भी उन्हीं की कैटेगिरी की संस्था है ? क्योंकि जो जमीन है वह ठीक है इन्होंने एक्वायर की लेकिन एक्वायर करने के बाद फिर अलग अलग पार्टीज को उन्होंने लीज पर दे दी तो उनकी निजी सम्पति में आती है या नहीं आती है। आने के बाद यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज तैयार कर रहे हैं, इस इन्फ्रा स्ट्रक्चर को उन्होंने हमारे ले आउट के मुताबिक, हमारे प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक, स्टेन्डर्ड के मुताबिक बनाया या नहीं बनाया, और बना दिया तो अब उसका रख रखाव वह खुद करेंगे या हमको करना पड़ेगा। और करने के बाद जो उन्होंने व्यवस्था की है, उसका भुगतान उन्होंने किस हिसाब से किया है। तो बहुत सारे मामले उसमें निहित थे, जिनके बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को बोर्ड से और सरकार से सलाह करने के बाद ही इस प्रकार के काम में आगे बढ़ने की इजाजत देनी चाहिए थी। कानूनी तौर पर प्रावधान है लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह मुद्दे इतने सारे थे कि पहली बार ऐसा काम आप लेने जा रहे हैं जिसका कोई स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया हुआ है, उसका उनको विश्लेषण करवाना चाहिए था। यह इसलिए काम्पलीकेशन क्रिएट हुआ है कि वह जमीन उनकी नहीं है। अगर है तो फिर इन्डीविजुअल से उठाकर कैसे हमको देंगे......

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, समझ गये हम।

श्रीमती कमला : तो इसलिए यह जो सारे मुद्दे आज सामने आये हैं, उनको दृष्टि-गत रखते हुए मैंने निर्देश दिये हैं कि आइन्दा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही करने से पहले यह सारे मुद्दे स्पष्ट होकर आने चाहिए और फिर उनको स्वीकृति दे दें या नहीं, यह सारा राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय होने के बाद ही यह कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि आज यों का यों वह ढांचा हमको सोपेंगे तो सारा खर्चा और सारी देख रेख हमारे ऊपर आयेगी। तो हम बिजली देने की स्थिति में भी हैं कि नहीं हैं उसके हम रख रखाव की स्थिति में भी हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे अपने आप ही यह सब लोग, जितने भी लोकल इन्सटीट्यूशन्स हैं, वह अपना इन्फ्रा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगी और हमको कह देंगी कि अब आप संभालिये और आप बिजली दीजिए। तो न तो बिजली होगी, न रख रखाव करने की सुविधा होगी तो हम कैसे करेंगे इसलिए prior approval of the Board and the Government is essential. इस तरह की चीज होनी चाहिए थी। लेकिन जिस अधिकारी ने इसको नहीं किया उसके बारे में हम अपनी तरह से जांच करेंगे कि क्यों नहीं किया। अगर उसने अपनी तरफ से कोई लैटर भेजा, जो मेरे पास में अभी उपलब्ध नहीं है। मैं उसकी भी जांच कर रही हूं। भेजा तो बोर्ड ने उसका क्या जवाब दिया। नहीं दिया, तो किसकी गलती है। उसकी भी हम जांच कर रहे हैं कि सारा विश्लेषण किये बिना कैसे चालू हो गया।

दूसरी बात जो आपने कही कि वहां के जो भी टैक्निकल अधिकारी थे, उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। यह सही है, अध्यक्ष महोदय, वहां पर पहले तो जो जूनियर इंजीनियर है जो कि इलैक्ट्रिकल का डिप्लोमा होल्डर है, उसने जांच के, उसने जांच के दौरान

(श्रीमती कमला)

में कुछ कमियां पायीं, जिस प्रकार से कि जगह जगह पर स्टेशन थे, उनका अर्थिंग नहीं किया हुआ था या जो और वायर्स थे, उनका अर्थिंग नहीं किया हुआ था, इसलिए उनका ......

श्री अध्यक्ष : यह जूनियर इंजीनियर कितने साल के अनुभव का था, यह कोई नया लगा हुआ नहीं था, जिसने जांच की हो ?

श्रीमती कमला : जिसने जांच की वह तो आदमी जानकार है, इसलिए उसने कुछ खामियां निकाली हैं कि आपने स्टेण्डर्ड का वायर नहीं लगाया, आपने इन वायर्स की अर्थिंग नहीं की, आपने जो पोल्स गाड़े हैं, उनकी अर्थिंग की, इनके सपोर्टिंग पोल्स लगाये, इनको आपने सही डायरेक्शन में नहीं लगाया, पैरलल लाइन इतनी दूरी पर जानी चाहिए थी, आपने नजदीक लगा दी और कहीं पर ग्रोवर लैपिंग हो रही थी, उसको आपने सही नहीं किया। तो इस तरह की उन्होंने कुछ कमियां पायीं, वह कमियां आने के बाद उन्होंने हमारे इंजीनियर से भी कहा कि आप भी इसकी जांच करके हमको बता दीजिए कि कहां कहां और कमियां हैं, जिससे कि हम रेक्टिफाई कर सकें। तो हमारे इंजीनियर ने भी उसकी जांच करके कुछ उसमें खामियां बतायीं और उनको बाकायदा डायरेक्ट किया कि आप इन इन खामियों को इस इस तरीके से दुरुस्त कीजिए। उनकी दुरुस्ती की रिपोर्ट फिर यू०आई०टी० के इंजीनियर ने हमको दी कि आपने जो जो खामियां बतायीं थी और हमारे इंजीनियर के नोटिस में जो खामियां आयी थी, वह हमने इस इस तरह से दुरुस्त कर दी हैं। अब इस सारे को आप देख लीजिए। अगर यह बिल्कुल सही ढंग से हैं, जैसे आपके डायरेक्शन थे तो इसको चार्ज कर दीजिये। तो उसकी जांच करने के बाद में इसको चार्ज किया गया लेकिन यह सारा किये जाने का जो प्रोसीजर था, यह अपने आप में गलत था और जिस प्रकार से जांच पड़ताल हुई है, उसमें कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है, जितनी कमियां थीं, उसको निकाला गया। उसके बाद यह रख रखाव वाला और उसका खर्चा बेयर करने वाला....

श्री अध्यक्ष : और सभी प्रश्न आ जाते हैं।

श्रीमती कमला : और इनको जो बिजली देंगे, उसका मामला है, यह सारा बड़ा उलझन भरा है इसलिए उस मामले में हमको सोचने की बात है कि आगे इस तरह का किया जाय या नहीं किया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या होगा उन व्यक्तियों का जिनकी कि लाइन खिंच गयी ? अब चार्ज तो आप करेंगे नहीं, इसके कारण ...

श्री अध्यक्ष : यह तो अब आपने ही बन्द करायी, आप ही जिम्मेदारी ओढ़ रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर देखिये एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : नहीं उसमें लेकिन लाइनें खिंच गई और चार्ज अब नहीं होगा...

श्रीमती कमला : जहां चार्जिंग कर दिया, वहां तो करीब दो डेढ़ सौ लोगों को हमने कनेक्शन्स दे दिये हैं। अब तो नयी कालोनी का मामला है, जो कालोनीज अभी इलैक्ट्रिफाइड नहीं हुई हैं, लेकिन प्रपोज्ड हैं इस प्रोग्राम के तहत, उनके बारे में हमको फैसला लेने की बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल वह तारीख पूछना चाहता हूं, जिन तारीखों पर आपके ए० ई.एन० ने शिकायत आपको बतायी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह हुई भी है, माननीय मंत्री महोदया मिथ्या भाषण कर रही हैं, डिपार्टमेंट ने गलत सूचना दी है...

श्री अध्यक्ष : जो इसके मुद्दे मुख्य हैं उनके उन्होंने उत्तर ठीक दे दिये हैं। अब टैक्निकली कौनसी...

श्रीमती कमला : रिपोर्ट भी हैं, उनकी तारीखें भी हैं उसमें क्या लिखा है वह भी मौजूद है। आप कहें तो सारा पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायें, दोनों माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए बताना चाहता हूं मंत्री महोदय....

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, तीनों रिपोर्ट मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर्स में कई गलतियां होंगी, इन्होंने मुख्य मुद्दे पर नीति सम्बन्धी बात कह दी, उन्होंने खामियां कमियां बता दी सदन को। इतना ही टाइम मिलता है। कोई हम इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर तो हैं नहीं कि यहां बैठकर सब उस पर चर्चा करें। माननीय सदस्य, यह पर्याप्त चर्चा है।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ राजस्थान के मुख्य मंत्री की जल वितरण एवं विद्युत के सम्बन्ध में वार्ता

मुख्य मंत्री जी ने कल जो वक्तव्य दिया था, मध्य चम्बल योजना से पानी छोड़ने और मध्य प्रदेश से फसलों को आवश्यक पानी देने सम्बन्धी विषय पर और उससे सम्बन्धित अपने यहां की भी कई समस्याएं जो खड़ी हो गयी हैं, खास तौर से बांध आदि, चम्बल जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित करने के कारण वह और अन्य विषयों पर एक घण्टे की चर्चा होगी। जिन माननीय सदस्यों की तैयारी हो, इस विषय की जानकारी हो, वह माननीय सदस्य ही कृपया इसमें हिस्सा लेने का कष्ट करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव भी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल। हां, इस मामले के आप विशेषज्ञ हैं, आपको ही पहले इजाजत दे दूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय का यह वक्तव्य पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ क्या पानी देने में और क्या बिजली में घोर पक्षपात किया है, हमारे साथ में अन्याय किया है। इसे हमारी सरकार स्वीकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश ने जो बांध बनाये हैं, गांधीसागर के कैचमेन्ट एरिया में उसमें 7 जिलों में से पांच जिलों का सर्वे हुआ है और उसमें 1.114 मिलियन एकड़ फीट पानी तो उन्होंने रोक लिया...

एक माननीय मंत्री : पाइण्ट 114.

श्री रघुवीर सिंह कौशल : .114; जी हां और हमारी उनकी योजना और है जो बांध बन रहे हैं, उनमें .185 मिलियन एकड़ फीट पानी और रोक लेंगे। आगे की जो स्कीम है, उसमें .349 फीट और रोक लेंगे, उनकी योजना कुल मिलाकर है 1.25 पानी रोकने की। उनका जो हिस्सा है...

श्री अध्यक्ष : ये आंकड़े, कुछ गलत प्रतीत होते हैं। पहले तो आपने 1 और कुछ पाइन्ट बताया फिर 1.4 बता दिया । अब आप उसका जोड़ 1. पाइन्ट कुछ बता रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं नहीं साहब। पहले जो रोका है पानी वह है .114 इस प्रकार इन्होंने 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी रोकने की तो योजना बना ली। इनका पानी में, गांधीसागर के पानी में अधिकार है 1.66 मिलियन एकड़ फीट। अभी तो इतना इन्होंने रोका है, आगे की जो योजना है उसमें यह पानी रोक लेंगे तो उनके पानी का हिस्सा केवल .41 बचता है। उसके बाद भी वह गांधीसागर से पानी पूरा मांगने का अपना अधिकार बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी जो योजना है, जो इस वक्तव्य में लिखी हुई है वह 1,44,130 हैक्टेयर सिंचाई करने के योग्य बांध बना लेंगे। वह कहते इसलिये हैं कि जो हमने बांध बांधे हैं, यह बांध तो सिल्ट रोकने के लिए हैं। गांधीसागर में पानी जब आएगा तो सिल्ट आएगी तो सिल्ट भर जाएगी, उससे पानी की बहाव क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए हमने यह बांध बांधे हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कुछ समझ में आने लायक है कि इतने पानी को रोक लें और वह केवल इसलिए कर रहे हैं, गांधीसागर के हित में कर रहे हैं। अगर हित में भी करते तो क्या उन्होंने चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड की इजाजत ली है? क्या उन्होंने राजस्थान को विश्वास में लिया है? इन सब के पीछे एक सुनियोजित मिसचीफ है। उस मिसचीफ को राजस्थान सहन करता जा रहा है और वह निरन्तर करता जा रहा है। अब ये कहते हैं कि इन्होंने आपत्ति की उनके सामने तो उन्होंने कहा है कि हम इस स्थिति का जायजा लेंगे। तो जायजा क्या लेंगे वह? क्या अपने बांध तोड़ देंगे? क्या आगे की योजना बन्द कर देंगे? तो जायजा नाम की कोई चीज है नहीं। वह इसमें विश्वास करते हैं कि जो कर लेता है सो कर लेता है और जो रह जाता है वह दु:ख पाता है। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार कह रही है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे। मैं यह पूछना

(2.42 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पीठासीन)

चाहता हूं आपसे कि उन्होंने इतने बांध बना लिए, इनको आप स्वीकार नहीं करते तो क्या आप तुड़वायेंगे? क्या करेंगे आप? आज गांधीसागर का पानी छोड़ना उनके हाथ की बात है। उनको जब पानी की जरूरत नहीं थी तब उन्होंने पानी नहीं छोड़ा। जब पानी की जरूरत आ गई तब उन्होंने पानी छोड़ा। वह आगे लिखते हैं कि साहब 21 फरवरी से आपने पानी बन्द कर दिया हमारा। मैं यह पूछता हूं कि क्या 21 फरवरी तक आर.एम.सी. में पानी चला भी था कि जो राजस्थान ने पानी लिया हो और मध्य प्रदेश ने पानी नहीं लिया हो? यह 21 फरवरी के मैं आपको आंकड़े बताता हूं, दो हजार क्यूसेक पानी चला है आर. एम.सी. में तो क्या दो हजार क्यूसेक पानी आर.एम.सी. में चलने पर कोई नहर चल सकती है? कोटा की जो नहरें हैं उनमें से पचास प्रतिशत नहरें ऐसी हैं कि जब तक पानी का फुल डिस्चार्ज नहीं हो, 6500 क्यूसिक फीट पानी जब तक आर. एम. सी. में नहीं छोड़ा जावे तब तक नहरें, आर. एम. सी. की नहरें जो

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

राजस्थान के क्षेत्र में हैं वह नहीं चलती हैं। तो उन्होंने यह कहा है कि 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आपने पानी बन्द कर दिया, 23 फरवरी को 2 हजार क्यूसेक था, 24 फरवरी को 2200 क्यूसेक था, 25 को निल था, 26 को फिर 1900 हो गया। राजस्थान में ही पानी बन्द था तो मध्य प्रदेश में पानी कैसे जाता ? अब फिर उन्होंने छोड़ा कितना ? 6500 क्यूसेक छोड़ना चाहिए था, 1 फरवरी से मेरे पास आंकड़े हैं, 3 हजार क्यूसेक, चार हजार क्यूसेक, फिर बीच में 7 फरवरी को दो सौ क्यूसेक पानी आ गया। फिर 16 फरवरी को 4 हजार आ गया, 21 फरवरी को 2400 आ गया। जब आपने पानी छोड़ा ही नहीं तो उनका जो अधिकार 3900 क्यूसेक का बनता है, सभापति महोदय, वह 3900 क्यूसेक पानी ले कैसे सकते हैं ? आगे उन्होंने यह भी कहा है कि आपने स्टैंडिंग कमेटी नम्बर 2 के जो निर्णय थे उनकी क्रियान्विति नहीं की। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं, उनकी जानकारी में है कि जब जब स्टैंडिंग कमेटी नम्बर 2 की मीटिंग्स हुई हैं, क्या मध्य-प्रदेश ने उसका पालन किया है ? गत वर्ष जब स्टैंडिंग कमेटी नम्बर 2 की मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश ने वोकआउट कर दिया। मिनिट्स लिखी गई उस मिनिट्स को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी नम्बर 2 के निर्णय की पालना मध्य प्रदेश नहीं करता तो क्या वह राजस्थान को शिक्षा दे रहा है आप स्टैंडिंग कमेटी नम्बर 2 के निर्णयों की पालना कीजिए ? एक और उन्होंने कहा है, सभापति महोदय, हमने खरीफ में पानी नहीं लिया इसलिए हमको खरीफ का पानी अभी दे दिया जावे। खरीफ में पानी, सभापति महोदय, नदी में छोड़ा गया है और हमने इसी विधान सभा में प्रश्न उठाया था कि अब यहां पानी नहीं बरसा है, फसलें सूख रही हैं, पानी छोड़िये, जो पानी नदी में जा रहा है वह पानी आर. एम.सी. में छोड़िये। सिंचाई मंत्रीजी ने कृपा करके वह पानी नहर में छोड़ दिया था। जब पानी नहर में छोड़ा गया तो मध्य प्रदेश ने वायरलेस किया, टेलीग्राम किया और लिख कर भेजा कि हमारे क्षेत्र में एक बूंद पानी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जो पानी, व्यर्थ जा रहा था, जो पानी नदी में जा रहा था चम्बल नदी में उस पानी का उपयोग यदि राजस्थान ने कर लिया तो उनका कैसे हक बनता है उस नदी के पानी में? उसके लिए वह तर्क दे रहे हैं कि हमने खरीफ में पानी नहीं लिया। यदि उनके यहां बारिश हुई तो वे कहेंगे कि आप पानी रोक दो हमें बाद में पानी दे देना। इस खरीफ के पानी के लिए मुझे यही कहना था, इसलिए कि खरीफ में उन्होंने पानी नहीं लिया तो हमारे पर अहसान नहीं किया।

चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड के निर्णयों की क्रियान्विति के बारे में भी अब वह राजस्थान पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड के निर्णयों की क्रियान्विति नहीं की। तो चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड से जब उन्होंने बांध बंधाये थे तब इजाजत ली थी ? तो वह हमें उपदेश दे रहे हैं जो उन्होंने कभी माना नहीं। सतपुड़ा से जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी, 1842 लाख यूनिट बिजली हमको कम मिली। यानि वह हमको बिजली नहीं दे रहे हैं। वह हमको पानी नहीं दे रहे हैं

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सभापति महोदय, उन्होंने जनवरी फरवरी में 6600 क्यूसेक पानी कभी नहीं छोड़ा लेकिन जब उनको जरूरत पड़ गई पानी की तो अभी हमारे मुख्य मंत्री जी से मिल कर, सिंचाई मंत्री जी से मिल कर उन्होंने कहा कि हम गांधीसागर से 6500 क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को पानी की जरूरत है। इस प्रकार आज मध्य प्रदेश इस ढंग की मनमानी कर रहा है कि उससे राजस्थान के चम्बल क्षेत्र के किसान को भारी नुकसान हो रहा है। अब मुख्य मंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा है हमको कि हम बिजली पूरी देंगे आपको। पानी का क्या होगा, मुख्य मंत्री महोदय। यह जो गांधीसागर में पानी नहीं आएगा उसके लिए क्या होगा ? आज हमसे पूछिये आप, हमारे साथ क्या बीत रही है वहां। जिन लोगों ने दिसम्बर में गेहूं बोया है उनको फसल में पानी चाहिए लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा है। उन्नत बीज, फर्टिलाइजर, सब कुछ उन्होंनें खेत में बोया है। सभापति महोदय, दूध पड़ते समय पानी की बहुत जरूरत है गेहूं में लेकिन वह पानी नहीं मिल रहा है। हमको पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको सारे आंकड़े बताऊं, आप अभी घण्टी बजायेंगे। मेरे पास यह है कि आर.एम.सी. में कब कब, कितना कितना पानी चला। उस हिसाब से हमारी कितनी नहरें बिल्कुल नहीं चली हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि गांधीसागर यदि आज इस योजना का अनुमान लगाया जावे, आठ सौ करोड़ रुपयों की है। उस आठ सौ करोड़ रुपयों की योजना के साथ आज मध्य प्रदेश इस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। आज हमारे कोटा बूंदी क्षेत्र के किसान के साथ जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है वह राजस्थान सरकार की कमजोरी है। सभापति महोदय, आज किसान पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहा है और एक मार्च से पानी मध्यप्रदेश में जा रहा है, हमारी छाती पर होकर जा रहा है, राजस्थान की सीमा में होकर जा रहा है और उस मध्य प्रदेश में जा रहा है जिस मध्य प्रदेश ने पानी की चोरी की है। मैं चोरी भी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि डकैती की है। जिसने एग्रीमेंट के खिलाफ, चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड के निर्णय के खिलाफ राजस्थान सरकार को धोखे में रख कर गांधीसागर में डकैती की है, उस डकैत को हम पानी दे रहे हैं। राजस्थान का किसान तरस रहा है यदि सरकार कमजोर रही, जैसा कि इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है, इस वक्तव्य में आपने कहा है कि बिजली दे देंगे, मैं कहता हूं कि पानी का क्या होगा ? इस क्षेत्र के किसानों का क्या होगा? इसका उत्तर आज मुख्य मंत्रीजी, आप दीजिए। आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। आपने राजस्थान के इंट्रेस्ट को खतम किया है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यदि आप कमजोर पड़े तो राजस्थान के कोटा बूंदी का किसान मध्य प्रदेश की सीमा में पार्वती पर जा करके, एक्वेडक्ट पर जाकर दिवार चुन देगा। राजस्थान का पानी मध्य प्रदेश में तभी जाएगा जब राजस्थान के किसान का पूरा हो जावेगा। उन्होंने अपना पानी ले लिया, चोरी करके ले लिया, गांधीसागर में तो बंटवारा कर लिया। मुख्य मंत्री महोदय, साहस बटोरिये, राजस्थान आपके पीछे है। राजस्थान के इंट्रेस्ट में, सिंचाई मंत्री जी, केवल आपसे, दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब राजस्थान का पानी मध्य प्रदेश में जा रहा है तो हम पर क्या बीतती होगी। देखें मध्य प्रदेश को कि मध्य-

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

प्रदेश की सरकार किसानों के लिए आपके पास दौड़ी दौड़ी आई और आपने दे दिया पानी और उन्होंने पानी छोड़ दिया गांधी-सागर में। जब हम कहते थे तो हमको एक बूंद पानी नहीं मिला। आज कोटा क्षेत्र की फसलों को जाकर देखिये। पीपल्दा की टेल माइनर्स पर एक पानी नहीं हुआ पलेवा नहीं हुआ, कोई है देखने वाला इरिगेशन डिपार्टमेंट में। ए.ईएन. जे.ई.एन. की शिकायत करते हैं तो जो किसान है इस क्षेत्र का उसको पूछिये, इरिगेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही हुई है जो तो हुई है लेकिन गांधीसागर से पानी छोड़ने में जो कोताही हुई है उसका नतीजा मध्यप्रदेश तो नहीं भोग रहा है। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में तो एक वर्षा बीच में हो गई उसका भी उनको लाभ मिला। इस कारण उन्होंने गांधीसागर से पानी कम छोड़ा, ताकि उनको पानी कम मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान को पानी कम मिल जाना चाहिए। जब उनको जरूरत होगी तब वह वहां से पानी छोड़ देंगे। आज हमारे पानी में कमी आई है, बिजली में कमी आई है और सबसे बड़ा दु:ख यह है कि राजस्थान में होकर जाने वाला पानी मध्य प्रदेश में जा रहा है, राजस्थान के किसान की फसल प्यासी मर रही है, मध्यप्रदेश भोग भोग रहा है, वह भोग भोग रहा है जिसने अपने पानी का हिस्सा ले लिया। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप साहस से खड़े हों, शठम् शाठ्यम समाचरेत,. दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार हो। लेकिन हम अपने हक का पानी लें, यह आप साहस बटोरिये. हम आपके पीछे हैं, राजस्थान का किसान आपके पीछे है, भगवान आपको साहस दे। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ?

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री वैसे तो लगते नहीं कोई हैं यहां लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और इरिगेशन मिनिस्टर्स के बीच में जो बात हुई और उसका जो सारांश हमारे सामने सर्कुलेट किया गया उससे एक बात तो जाहिर है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कमजोर सरकार है। इसी में क्या, सभापति महोदय, आप देखते चले आ रहे हैं, हमारी जितनी भी अन्तर्राज्यीय परियोजिनाएं हैं, उनमें न तो हम अपने हिस्से की रक्षा कर पा रहे हैं, न और जो कुछ हमको मिल सकता है उसके लिये हम लड़ाई लड़ पा रहे हैं, उसकी हम कोई भूमिका बना पा रहे हैं, सिर्फ भीगी बिल्ली बने बैठे रहते हैं, मूक दर्शक बन जाते हैं। सभापति महोदय, आपने भी यह डाकूमेंट पढ़ा होगा, इससे कई बातें स्थापित हुई। एक बात तो यह स्थापित हुई कि जो मध्य प्रदेश कर रहा था उसको इन्होंने जस्टिफाई किया। जस्टिफाई इस तरह से किया है, जहां तक सवाल है बिजली का, मैं पीछे से शुरू करूंगा, सभापति महोदय, इसमें उन्होंने यह कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार हमको 40 प्रतिशत बिजली देने पर सहमत हुई। इनकी बात चीत से यह निकलता है कि मध्य प्रदेश सरकार से चालीस प्रतिशत बिजली का हिस्सा देने पर सहमति हुई। इसमें आपने कौनसा तीर मार लिया ? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में हमारा स्वयं का चालीस प्रतिशत हिस्सा है। आपको बात चीत तो इस बात पर करनी चाहिये थी,

(श्री यदुनाथ सिंह)
दबाव तो इस बात पर देना चाहिये था कि उसमें से जो हमको हिस्सा मिलना चाहिये वह हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक ? उसमें कितना कितना प्रॉडक्शन हो रहा है ? हमको प्रॉडक्शन में से कितना हिस्सा मिल रहा है ? आया अगर प्रॉडक्शन पूरा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ? राजस्थान सरकार उस प्रॉडक्शन को पूरा करने में अपनी क्या भूमिका निभाना चाहती है ? इस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं है । एक सहमति हो गई कि चालीस प्रतिशत बिजली मिलेगी । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, अब उनको वह दे दिया जायगा मध्य प्रदेश बोर्ड को और अब आपको बिजली मिलेगी । तो इस तरह की ढिलमिल बात है । क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जो कुछ मांगने आये वह तो पानी मांग ले गये 3000 क्यूसेक, वह तो ले गये पानी उल्टा । हमारे राज्य में होकर पानी जाता है वह ले जायेंगे, वह कैचमेंट बना रहे हैं । सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात जो इस डाकूमेंट से प्रदर्शित हुई, वह यह हुई कि राजस्थान सरकार को अभी तक पूरी तरह से यह मालूम भी नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार कितनी जगह पर कितने बांध बना रही है । इन्होंने स्वयं इसको माना है, 144 बांध, राजस्थान सरकार मानती है, मध्य प्रदेश ने बनाये हैं । लेकिन इन्होंने खुद ने कहा है कि सात जिलों में से सिर्फ पांच जिलों की सूचना एकत्रित कर पाये हैं । मतलब इतने साल से मध्य प्रदेश हमारे हकूकों को मारने के लिये वहां पर बांध बना रहा है और राजस्थान सरकार इतनी अचेत सोयी पड़ी है कि वह अभी तक यह भी मालूम नहीं कर पायी है कि कितनी जगह पर वह बांध बना रहे हैं । यह तो रहा राजस्थान की गवर्नमेंट की विजिलेंस का मामला । यह एक तरह क्रिमिनल आफेंस है, क्रिमिनल इग्नोरेंस मैं इसको कहूंगा, राज्य के हितों के साथ । सभापति महोदय, जहां तक सवाल है हमारे पानी का, पूरा गांधीसागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर में 2.2 मिलियन एकड़ फीट पानी की क्षमता है । उसमें से जैसा आपने भी बताया कि 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी का उसमें सिस्टम बना रहे हैं । सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, राजस्थान सरकार कहां तक सोयी पड़ी है, कहां तक इग्नोरेंट है हमारे हितों के लिये । मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं में भी उसको ले लिया । मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं में वह बांध आ चुके हैं । केन्द्र सरकार के पास आप गये जरूर लेकिन केन्द्र सरकार से क्या लेकर आये ? क्या आपने प्लानिंग कमीशन को मना किया कि मध्य प्रदेश हमारे एग्रीमेंट को ब्रीच करके बांध बना रहा है इसलिये प्लानिंग कमीशन इन योजनाओं की मंजूरी न दे । न तो राजस्थान सरकार ने प्लानिंग कमीशन से अप्रोच किया, न राज्य सरकार से अप्रोच किया, ट्रिब्यूनल में जाने की बात इसमें कही है । एक शब्द मुख्य मंत्री ने कहा है कि इसको राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा । बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेंगे ? अब तक बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, आपने कौनसा तीर मार लिया । बर्दाश्त नहीं करने की बात जहां तक है वह तो यह है । जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, वह हमारे कितने भारी पानी का उपयोग करते चले आ रहे हैं...

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा : सभापति महोदय, इस बीच के अन्दर पूछना चाहता था यह कब बने थे ? यह किस पीरियड के अन्दर कैचमेंट एरिया में बने, वह भी इसके अन्दर बता दें ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह 76 में बनना शुरू हुए हैं। श्रीमन्, इस दलील में मैं पड़ना नहीं चाहता, न कभी पड़ता हूं कि किसने क्या किया। मान लीजिये हम तो नालायक थे। आप भी नालायक हैं क्या ? यह प्रूव, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्या ?

(व्यवधान)

यह कोई दलील मानने लायक नहीं है

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा : मैं तो पूछ रहा था, सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं था कि यह कब बन कर तैयार हुए हैं। कब तैयार हुए हैं, कौनसी सरकार थी। यह जानना चाहता था।

श्री यदुनाथ सिंह : बन रहे हैं, अब भी बन रहे हैं। बंध तैयार हुए नहीं, बन रहे हैं। मध्य प्रदेश ने अपने क्लेम को किस तरह जस्टिफाई किया है। देखिये किस तरह की ढिलमिल और छोटी बात करके राजस्थान की सरकार को, यहां के मुख्य मंत्री को कन्विन्स कर दिया कि हम तो सिल्ट को रोकने के लिये हम लोगों ने बांधों का निर्माण किया है। जब ज्यादा दबाव देने की बात मुख्य मंत्री कह रहे हैं, हमने दबाव दिया तो मुख्य मंत्री, इर्रिगेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश के क्या कहते हैं कि इस स्थिति का जायजा लिया जायगा। उनको पता ही नहीं, जैसे इर्रिगेशन मिनिस्टर और वहां के मुख्य मंत्री आये और जायजा नहीं लेकर आये थे। जायजा लिया जायगा, तो आप राजस्थान को ऐसे धोखे में मत रखिये। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला अधिकारियों पर और राजस्थान सरकार पर छोड़ने का नहीं है। इस मसले को अधिकारियों पर और सरकार पर सदन न छोड़े। सदन स्वयं अपने हाथ में इस मामले को ले। तुरन्त आज मुख्य मंत्री यहां पर घोषणा करें कि इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी जायगी, इसकी जांच करेगी और जांच का प्रतिवेदन सदन को देगी। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के हकूकों को जिस तरह मारने के लिये किया गया, आप क्यों नहीं ट्रिब्यूनल में जाते ? आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते। आप अपने हितों की रक्षा के लिये ? मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। चम्बल में बड़ा भारी पैसा इर्रिगेशन बढ़ाने के लिये लगाने वाले हैं। जब आपको पानी मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, कितना प्रॉडक्शन होगा, यह आपको पता नहीं है, बिजली के प्रॉडक्शन का कितना हिस्सा मिल रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है. इन बातों की ओर आपका ध्यान जब तक नहीं जायगा, सभापति महोदय, जायजा लेने की बात से कुछ नहीं होगा। जो आपने कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो किस एक्सट्रीम तक जाने के लिये राजस्थान सरकार तैयार है ? इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है। वह तो लेकर चले गये उल्टा अपना हिस्सा, हमको कुछ देकर नहीं गये। इस तरह जो राजस्थान के हकूकों पर मुख्य मंत्री महोदय, दिन प्रतिदिन चोट करते आ रहे हैं, रावी व्यास में आपने चोट की। उधर हरियाणा बना रहा है, हमारी कल ही इर्रिगेशन मिनिस्टर से बहस चल रही थी तो हमने निवेदन किया था कि हरियाणा बना रहा है, गुडगांवा कैनाल पर अपना सिस्टम बना रहा है। सब जगह सिस्टम बनते चले जा रहे हैं और राज्य सरकार सोयी पड़ी है। तो राजस्थान सरकार की यह क्रिमिनल इग्नोरेंस है। इसको रोकने के लिये मुख्य मंत्री महोदय, कोई व्यवस्था करें। यहां के सदस्यों की कमेटी बनायें। अब अवि-

(श्री यदुनाथ सिंह)

कारियों और सरकार पर इस सदन को विश्वास नहीं करके चलना चाहिये। सदन के सदस्यों की एक कमेटी जाय, जांच करें और अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को दें। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : विपक्ष के माननीय उपनेता श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, यह तो प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां पधारे, अपने पानी की मांग लेने आये थे, उस समय राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री ने जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं का जिक्र उन से किया। किन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री यहां आये, पानी उनको नहीं पहुंचा इसलिये आये। इससे कुछ स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान को अपनी दिशा को स्पष्ट समझ लेने की आवश्यकता है। स्वार्थ था उनका, भिण्ड और मुरैना जिले में पानी नहीं पहुंचा, विधान सभा में जैसी उनकी खिंचाई हुई उसका परिणाम था भोपाल से चल कर जयपुर पधारे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उनके आगमन के विषय में इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई है केवल इस घटना के सहारे न रहे। वह पधारे, इससे कुछ सबक लें। राजस्थान के हिस्से का पानी और राजस्थान का बिजली का हिस्सा हमको मिल सकता है, हम ले सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति बना सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को मजबूर कर दें कि उनकी जो समस्या है, वह हमारे यहां पर उपस्थित है। मैं आपके माध्यम से इस वार्ता के दौरान मेरे मन की प्रतिक्रिया है वह माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यह चारों बांध हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के सम्मिलित, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि पांच जिलों के समाचार आये हैं, यह बिल्कुल ठीक है। सातों जिलों के समाचार नहीं आये। सिंचाई मंत्री जी इस बात को नोट कर लें, मेरी सूचना है, जैसा उन्होंने 144 बांधों का जिक्र किया, इन सातों जिलों में 193 बांध हैं। जो उन्होंने जिक्र किया कि 115 एम.ए.एफ. पानी इसमें प्रयोग में आ रहा है, यह है, 15 एम.ए.एफ.। मैं सूचना दे रहा हूं, शाहजहांपुर और थार, दो जिले हैं, जिनकी सूचना विधिवत् आफिसियली राजस्थान सरकार को प्राप्त नहीं हुई किन्तु मैं सूचना अपने सोर्सेज के आधार पर बता रहा हूं, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इतनी ही बात नहीं है। जो स्कीम्स अन्डर कंसट्रक्शन हैं चालू हैं उनमें थार जिले की सूचना हमारे पास नहीं आई है। दूसरी बात और कहना चाहता हूं 185 एम.ए.एफ. की जो सूचना उन्होंने दी है उसमें देवास जिले की भी सूचना नहीं आई है। माननीय सिंचाई मंत्री, मैं इसलिये उन जिलों को क्वोट कर रहा हूं कि आप उसका थोड़ा सा ध्यान करें। इन दो जिले की, कोई पांच जिले में नहीं हैं, पानी का जो प्रयोग मध्य प्रदेश ने किया है इसमें वह शाहजहांपुर और थार जिले नहीं हैं। इसमें थार जिला है और देवास जिला है। इसमें दो दूसरे जिले हैं जिनकी आफिसियल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है कि उनमें मध्य प्रदेश कितने पानी का प्रयोग कर रहा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। इसलिये मेरी सूचना के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 193 बांध हो गये, 144 नहीं और अण्डर कंसट्रक्शन भी 43 नहीं है बल्कि 51 हैं। जो स्कीम्स सर्वे हो गयी हैं वह 76 हैं। जो स्कीम्स पिन पाइन्ट की जा चुकी हैं आफिसियल सूचना हमारे पास 379 की है लेकिन मैं अपनी सूचना के आधार पर बता रहा हूं 379 में तीन जिलों की सूचना शामिल नहीं है। वह सूचना मिला कर 124 नहीं है बल्कि वह 160 है। सभापति महोदय, मैं इसलिये मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि केवल दो जिलों का गैप नहीं है बल्कि नम्बर आफ स्कीम्स कंसट्रक्टेड, नम्बर आफ स्कीम्स टू बी अण्डर कंसट्रक्टशन, नम्बर आफ स्कीम्स अण्डर सर्वे और नम्बर आफ स्कीम्स पिन पोइन्टेड। इसमें दो जिले नहीं है। वह जिले दूसरे दो जिले हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्थिति बनी है, जैसी वार्ता की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है बांध न बनाने के विषय में, उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। केन्द्र सरकार के इन्टरवेशन को या ट्रिब्यूनल में जाने की आवश्यकता है, कोई और दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा मैथड या तरीका नहीं है। इन वार्ताओं से इन्ट्रप्शन हो गया है इससे राजस्थान को कोई राहत नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश लगातार बना रहा है और बनाता जा रहा है, अण्डर कंस-ट्रक्शन है, इसमें पैसा लग चुका है और वह तो बनेंगे। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से पहली वार्ता के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब केन्द्र सरकार का इन्टरवेंशन करवाइये, प्रधान मंत्री के साथ दोनों मुख्य मंत्री बैठिये। उससे भी सम्भव नहीं हो तो इसको ट्रिब्यूनल में ले जाने की क्लियर-कट बात करिये। इस मांग के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सतपुड़ा की बिजली हम को नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश ने अपना एलिगेशन लगा दिया कि आपने जवाहर सागर से ज्यादा पानी ले लिया 40 प्र.श. बिजली सतपुड़ा से मिलती है, थर्मल से। यह चार बांधों के पानी से पैदा होने वाली बिजली है। जो पानी की क्वांटिटी पर निर्भर करती है। वह हमको बिजली नहीं दे और थोड़ी सी बिजली हम जवाहर से पैदा करना चाहें तो उस पर आब्जेक्शन करें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, पहली प्रतिक्रिया मैंने आपके सामने व्यक्त की है, बारां से आने वाले माननीय विधायक ने तो दीवार खड़ी करने की बात कही, बिल्कुल ठीक है, अगर राजस्थान सरकार नहीं मानेगी तो दीवार खड़ी करेंगे, वह बात सच है। किन्तु राजस्थान सरकार मना सकती है। राजस्थान सरकार में इस प्रकार की हिम्मत है और शक्ति है। पानी जिस प्रकार होकर आता है, हमारे यहां से उनको जाता है। मैं इसकी चर्चा विस्तार से यहां नहीं करना चाहता। यह आपका विषय है। यह एक ऐसा विषय है जिससे दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं। किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र थोथी बातचीत के आधार पर न रहें। सतपुड़ा की बिजली यदि नहीं मिलती है, पानी पूरा नहीं मिलता है तो हम इस प्रकार का प्रयत्न करें जिससे हमको पूरा पानी मिल सके। कब आ गया? मध्य प्रदेश पांच दिन में

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

6500 क्यूसेक पानी चलायेगा। मैं राजस्थान के सिचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा की धरती प्यासी है, जैसा कि बारां के माननीय सदस्य कह रहे थे, पांच दिन में जो बाकी तीन हजार क्यूसेक पानी उनके पास जाने वाला है बाकी अपने को मिलने वाला है उसका डिस्ट्रिब्यूशन कैसे कर रहे हैं। ऐसे डिस्ट्रिब्यूशन को पूरी कमेटी से तय कराकर लोगों को बता दीजिये, इस डिस्ट्रिब्यूशन में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लीजिये, पूछिये, इटावा में क्या हो रहा है, टेल पर क्या हो रहा है, जन प्रतिनिधि क्या कहते हैं, कौन से समय पानी चाहिये, कहां छोड़ने की आवश्यकता है ? इसलिये मेरा निवेदन है, देर आयद-दुरुस्त आयद। यदि मध्य प्रदेश ने अपनी कमी के कारण 6500 क्यूसेक छोड़ना तय किया पांच दिन के लिये या चार दिन के लिये तो इन चार दिनों में पानी हमारे यहां भी रहने वाला है। राजस्थान में उसका कैसा उपयोग हो ?

अन्त में एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कोटा की राइट मेन कैनाल में, घोषणा की थी राजस्थान की सरकार ने पूरे मार्च चलायेंगे हम। वह घोषणा तो जाती रही, एक मार्च से चली, पानी मध्य प्रदेश में जाता रहा, यह भी पानी जा रहा है। आप कम से कम बातचीत जरूर करते रहिये। मैं तो चाहता हूं, विरोधी दल के नेता के साथ बैठ कर यह जो पानी का विषय है इस पर हम कौन से कदम उठायें, जैसा मैंने कहा इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता, उन कदमों के बारे में निश्चित रूप से राजस्थान में ऐसी प्रक्रिया अपनायें और राजस्थान को और आर.एम.सी. को हिस्से का पानी मिल सके, राजस्थान को अपनी बिजली मिल सके इस प्रकार के प्रयास करें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर जी।

श्री राज बहादुर : सभापति महोदय, मैं प्रश्न तो दो एक ही करना चाहता हूं। मामला बहुत गम्भीर है लेकिन माननीय सदस्यों ने काफी इस पर प्रकाश डाला है। पहली बात तो यह है कि यह ऑथेंटिक प्रोनाउन्समेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब राजस्थान की तरफ से। इसमें ऐसी कोई लक्जिस या कमजोरी नहीं रहनी चाहिये कि यह हो कि दो इन्टरप्रिटेशन्स हो सकें। मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। जरा सफाई भी कर दें, जो आपने स्थिति वर्णन की है, स्पष्ट रूप से आपने कहा है कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है। बांध बनाये जाने का मसला मैंने पहले उठाया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्य प्रदेश ने जो कुछ किया है और जो कुछ करने जा रही हैं उसके फलस्वरूप स्थिति यह आ सकती है कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर सदैव खाली रहें। यानि यह तो स्थिति का वर्णन हुआ। स्थिति के वर्णन के बाद आपने सारा डेस्क्राइब किया है कि कौन-कौन से बांध बनवाये गये हैं। जाहिर है कि कोटा के ऊपर बनाये गये, यह नदी ऐसी है, कहीं तो अपर राइपेरियन वह है, कहीं अपर राइपेरियन हम हैं, कहीं जोइन्ट राइपेरियन है लेकिन यह निश्चित बात है कि जब बांध बनाये गये तो आपसे मन्जूरी नहीं ली गई। जो मुआयदा चम्बल के बारे में हुआ, जो योजनाएं बनी, जो चम्बल कंट्रोल बोर्ड है उससे तो नहीं पूछा गया। यह पाइन्ट

(श्री राजबहादुर)

शायद आपने लिया हो या नहीं लिया हो, कम से कम आपके इस वक्तव्य में नहीं है। यह जो उनसे कहा गया स्पष्ट रूप से कि जो भी आपने बांध बनाये, किसी की मन्जूरी नहीं ली, राइपेरियन्स की कान्करेंस नहीं ली और न जो भी इसके लिये एग्रीमेंट्स होंगे, जो ओवर राइडिंग कसीडरेशन होते हैं ऐसे अन्तर्राज्यीय मामलों में वे कुछ भी पाबन्द हुए कि नहीं हुए। फिर स्थिति वर्णन करने के बाद मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य खामोश हो जाता है, पूर्व स्थिति से बोलना चाहिये। पूर्व स्थिति के रेस्टोरेशन के बारे में कोई डिमाण्ड की आपने देन एण्ड देअर कि आपने यह बांध बनाये, हमसे नहीं पूछा, हमें नोटिस नहीं दिया, हमसे बात नहीं की। चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड से बात नहीं की। सबसे पहले मांग यह करनी चाहिये थी कि आप स्टेट्स को एन्टे रेस्टोर करना चाहते हैं या नहीं। अगर स्टेट्स को एन्टे रेस्टोर नहीं करना चाहते तो फिर यह मामला जाएगा सुपीरियर ट्रिब्यूनल में, केन्द्रीय सरकार के पास या कहीं। मैं यह जानाना चाहता हूं, एक शब्द भी इस वक्तव्य में ऐसा होता, खाली यह कहना, स्वीकार करना, स्वीकार करना तो दूसरी बात है। स्वीकार करने का भी जो सन्दर्भ है वह आपका बांध बनाने के सन्दर्भ में नहीं है। जब आपने पूछा कि कैसे बन्ध गये तो उन्होंने बताया कि सिल्ट को रोकने के लिये बंध गये, साहब। अगर सिल्ट को रोकने के लिये बंध गये तो ऐसा कोई प्रावधान एग्रीमेन्ट में होगा। जो भी गवर्निंग रूल्स होंगे उनमें अगर प्रावधान नहीं है सिल्ट को रोकने का तो सिल्ट रोकने को उन्होंने कैसे बना लिये, एक तरफा कार्यवाही कैसे की? सिल्ट तो भई दोनों को इफेक्ट करने वाली चीज थी। आप से पूछते और तब सिल्ट पर बनाते। आपने उनसे कहा कि यह स्थिति हमें स्वीकार नहीं है ? यानि पहले पैराग्राफ में जो स्थिति है वह तो स्वीकार है। आपने अब बना लिये, बंध बना लिये। अगर उसके बारे में भी एक शब्द आया होता यहां पर कि उसको एन्टे रेस्टोर करिये आप, जो पूर्व स्थिति थी उसको आपको वापस लाना पड़ेगा। जब तक नहीं लाते हैं तब तक हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। जो भी परिणाम होते, होते लेकिन एक दफा स्थिति स्पष्ट होती। मैं आपसे विनती करूंगा और आपके द्वारा सरकार से बहुत आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप पहले यह बतावें कि क्या यह जो कुछ उन्होंने कार्यवाही की है, वह किसी भी रूल्स में आती है ? अगर रूल्स में नहीं आती है कोई एग्रीमेन्ट में नहीं आती है तो क्या पाइन्ट उठाया गया है। अगर उठाया गया है तो इसमें एडीशन होना चाहिये, और नहीं उठाया गया तो स्पष्ट होना चाहिये कि क्यों नहीं उठाया गया।

फिर दूसरी बात यह है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा अनुरोध है, मैं समाप्त कर दूंगा, आप स्टेटस को एन्टे रेस्टोर करने की मांग आज भी करने को तैयार हैं कि नहीं ? जो बीता सो बीता लेकिन अब भी आप कहेंगे कि भई स्टेटस को ऐन्टे तो रेस्टोर करिये। आज हमारी मांग है कि यह करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरे पैराग्राफ में सिल्ट के बारे में कहा गया। सिल्ट के अलावा 1 लाख 44 हजार 130 हैक्टेयर में सिचाई हुई। छोटा-मोटा नहीं है। It is 0.15 million hectares. मिलियम एकड़। हैक्टेयर नहीं है, एकड़ है शायद। हैक्टेयर। 0.15 हैक्टेयर पानी मिल जाये तो क्या कहने हैं। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की आप देखिये ब्रजन-फेस्डनेस Brazenfacedness I am

102

(श्री राजबहादुर)

sorry to use this strong expression, ढीठता देखिये, पहले कहते हैं कि सिल्ट के लिये किया और फिर आप धोखे में आ जायें, कोई और धोखे में आ जाये, फिर साफ-साफ जाहिर होता है कि आपने 1 लाख 44 हजार 138 हैक्टेयर का पानी दे दिया । आप कहते हैं, इसका मैं जायजा लूंगा यानि मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश को यह भी मालूम नहीं था। It was regretable deplorable conduct on the part of the chief minister चाहे कोई भी क्यों न हो इस तरह से वह अनिभज्ञता जाहिर करें तो मैं विनती करूंगा कि आपने इस बात को स्वीकार क्यों किया । इस स्टेटमेन्ट के लिये आप कहते कि आपका स्टेटमेन्ट एब्सर्ड है, आपका स्टेटमेन्ट बिल्कुल निराधार है, आप गलत कहते हैं । आपको मालूम है कि यह सिल्ट के लिये नहीं बल्कि इरिगेशन के लिये किया गया है ।यह भी इस वक्तव्य में नहीं आया है । अगले पेज पर मुझे अधिक नहीं कहना है । सिर्फ इतना कहना है कि इन दोनों को मैं मौलिक प्रश्न मानता हूं । इन मौलिक प्रश्नों के बारे में, इस स्थिति के बारे में वहां के सम्बन्धित विधायक ने बहुत अच्छी तरह कह दिया। लेकिन अब भी जो आपने कन्सेशन उनको दिये हैं, यह कन्सेशन देना आपकी ओवर जनरोसिटी है । अच्छे सम्बन्ध रखने हों तब भी इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारी बात तो वह माने नहीं और हम सब कुछ उसकी बात मान लें । यह तीनों पाइन्ट ऐसे हैं जो जवाब तलब करते हैं । यह मर्जी आपकी है कि इस पर विचार करें या न करें।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, सब से पहले तो मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा कि मैंने इस सदन में यह आग्रह किया कि मुख्य मंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ हुई वार्ता के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें । अध्यक्ष महोदय, यदि वक्तव्य नहीं दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता । यदि मुख्य मंत्री जी को इसी प्रकार का वक्तव्य देना था और शायद वे मुझे कान्फीडेन्स में लेते तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता कि अपनी कमजोरी का दिग्दर्शन वह इस वक्तव्य के माध्यम से न करें । सभापति महोदय, यदि इसका प्रभाव केवल मुख्य मंत्री जी के साथ व्यक्तिशः होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी । लेकिन इसका प्रभाव सीधा राजस्थान की बेहबूदी से जुड़ा हुआ है ।इसलिये इस सम्बन्ध में दिया गया वक्तव्य राजस्थान के हित में कितना है, उससे इस वक्तव्य के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक पानी के इन्ट्रप्शन का सवाल है, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है कि यह इन्ट्रप्शन कब से आरम्भ है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है । मैं, सभापति महोदय, इस सदन की जानकारी के लिये सन् 1957 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री के० एन० काटजू ने एक फाइल पर जो नोटिंग किया है, उसको पढ़ कर सुना दूंगा तो उससे कम से कम यह अन्दाज हो जायेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पानी को इन्ट्रप्ट करने की योजना कब से आरम्भ की । यह श्री के० एन० काटजू का नोट है 15 दिसम्बर, 1957 का, फाइल पर पर उसका नोटिंग है :

" Some months ago, on a visit to Mandsor, I was informed by the Collector that it was

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

possible to undertake minor irrigation projects in the Chambal. He said that the cost of these projects would not be heavy. Indeed he worked them out to Rs. 100 to 200 nearly per acre. These two projects were stated to bring about nearly 50,000 if not more, acres under irrigation. The cost is less than a crore of rupees. The then Collector, Shri Malhotra, told me that he had some survey made and a preliminary scheme was prepared. There was some doubt as to whether these two dams might not interfere in the working of the Gandhisagar Dam itself. I discussed this matter with the Chief Engineer, Chambal, Shri Char and he told me that he could easily spare anything upto 10 percent of the water in the Gandhisagar and to this extent water could be utilised elsewhere. According to the Collector, these two projets would only require about 7 per cent of the Chambal waters I think now that we are considering the question of increase of production, it is desirable that these two projects should be further carefully examined and, if they are found to be sound, they should be put before the Planning Commission for their consideration, so that work might be started. This is an urgent matter and necessary information might be collected from the appropriate departments."

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस नोटिंग के बाद सन् 1959 में उन्होंने अपना काम शुरू किया। 1959 में पहली बार राजस्थान के चीफ-इंजीनियर इरिगेशन ने अपने काउन्टर पार्ट को पत्र लिख कर इस संबंध में प्रोटेस्ट किया। 1977 में इस सम्बन्ध में बात हुई। 1978 में फिर लैटर लिखा गया। 1979 में इस पर फिर चर्चा हुई। यह चर्चा अब तक चल रही है। इसलिये यदि हम इस विवाद में चले गये, किस समय हुआ और किस समय नहीं हुआ, तो इस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कुछ हुआ है, जो कुछ हमें हानि होने की एक कार्यवाही मध्य प्रदेश ने कर ली उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाय।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कल अपने वक्तव्य से जानकारी दी है, उस वक्तव्य के आधार पर अब स्थिति आ गयी कि मध्य-प्रदेश का हिस्सा पानी में है 1.66 मिलियन एकड़ फीट और जो उन्होंने अब तक पानी यूज किया है, या पानी यूज करने के उनके प्रोजेक्शन है, इन दोनों को मिलाते हैं, तो मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार 1.25 मिलियन एकड़ फीट. इसमें से कुछ बांध बन

(104)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गये, कुछ बांध प्रस्तावित हैं और टोटल जो पानी उसमें से लेंगे वह 1.25 मिलियन एकड़ फीट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1.66 मिलियन एकड़ फीट के शेयर के अरेंजमेंट में वह 1.25 दूसरे रास्ते से यूज करना चाहते हैं; तो मध्य प्रदेश का हिस्सा बचता है केवल 0.41, मध्य प्रदेश का इस पानी में कोई हिस्सा नहीं है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के हितों की यदि आपको सुरक्षा करनी है तो मध्य प्रदेश अपना हिस्सा जो इस तरह से यूटीलाइज कर रहा है, राजस्थान को अब मध्य प्रदेश को अन्य पानी देने की आवश्यकता नहीं, जितना पानी वह यूटीलाइज कर रहे हैं, जितना पानी यूटीलाइज करने की वह क्षमता बना रहे हैं उस पानी की कटौती करने के बाद में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा बचता है केवल वही पानी मध्य प्रदेश को दिया जा सकता है। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस स्टेण्ड के ऊपर चलें, भारत सरकार के सामने भी कहें। अब सारा पानी गांधी सागर में आ जाय, इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा साधा तरीका एक है, जो पानी मध्य प्रदेश आज यूज कर रहा है या यूज करने की जो क्षमता का निर्माण कर रहा है वह पानी देने के बाद जितना पानी मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है उतना पानी ही मध्य प्रदेश को दिया जाय। ऐसा निर्णय यदि राजस्थान की सरकार ने लिया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अर्जुनसिंह जी एक बार नहीं हर वीक में राजस्थान राजधानी जयपुर में आयेंगे और मुख्य मंत्री जी से मिलते रहेंगे। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी इस संबंध में क्लियरकट पोजीशन लेकर यह कहें कि इन्ट्रप्शन से जो पानी रुका है वह पानी मध्य प्रदेश के हिस्से में से काटा जायगा। मध्य प्रदेश आयन्दा हिम्मत नहीं करेगा अतिरिक्त पानी मांगने की या और ज्यादा इन्ट्रप्शन करने की। सभापति महोदय, मुझे खेद है कि यह एक प्रकार से 14 तारीख को जो दोनों मुख्य मंत्रीयों के बीच में मीटिंग हुई, दोनों मुख्य मंत्रियों का तुलनात्मक महत्व इससे ज्ञात होता है, कौन मुख्य मंत्री ज्यादा होशियार हैं, कौन मुख्य मंत्री अपने राज्य के हितों के लिए किस तरह से बात रख सकता है। अब इस पैराग्राफ से अन्दाज होता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री को, बाबूजी ने इन शब्दों को कोट किया, लेकिन मैं दूसरे रूप में इनको रखना चाहूंगा, सिंचाई मंत्री, मध्य प्रदेश का कहना था कि वह बांध और तालाब छोटे छोटे हैं और सिल्ट को रोकने के लिए हैं लेकिन अब उन्हें बताया गया कि इन बांधों से 1 लाख 44 हजार 130 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाने का उनकी सरकार के अनुसार यह प्रस्ताव है और यह स्पष्ट सिल्ट को रोकने के लिए बनाये बांध नहीं हैं तो मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में स्थिति का जायजा फिर से लेंगे। मुख्य मंत्री जी नहीं लिखते तो ज्यादा अच्छा था। आप भी राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, बराबर की आपकी हैसियत है। आपकी बात का वह विश्वास नहीं करते और आपकी बात पर कहते हैं, मैं जायजा लूंगा। आगे मैं और सुना देता हूं, मैं बता दूं कि आश्वासन दिया कि इस स्थिति में फिर जायजा लेंगे। हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से उन्हें कहा गया कि मसला अत्यन्त गम्भीर है और राजस्थान इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कौनसी स्थिति को? आप जायजा मत लीजिये। तो इन्होंने यह कहा कि स्थिति का जायजा लेंगे। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर को यह कहता है, उनकी बात का विश-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वास नहीं करता है और एक चीफ मिनिस्टर कहता है I will look into the matter. मैं समझता हूं कि जैसा आप हमको कहते हो, कोई विधायक आपके पास जायं, कोई पब्लिक का आदमी जाय और कोई शिकायत करे और उस शिकायत पर मुख्य मंत्री जी और बाकी मंत्रिमण्डल के सदस्य कहते हैं तो I will look into the matter. राजस्थान के मुख्य मंत्री कोई बात कहें और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री उनको कह जायं कि मैं जायजा लूंगा, मेरी समझ में नहीं आता, आखिर दोनों की हैसियत एक है, वह यहां जयपुर आने से बड़े कैसे हो गये और आप छोटे कैसे हो गये, मेरी समझ में नहीं आता लेकिन यह जायजा लेने की बात कहना, यह इस बात का द्योतक है कि मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश से जो आये थे उनका लिमिटेड पर्पज था, उस लिमिटेड पर्पज को किस प्रकार से अचीव किया जाय, उसी में उनकी बात सारी लगी हुई थी, बाकी इश्यूज उनके सामने कुछ थे ही नहीं। उनके सामने पानी इन्ट्रप्ट करने का क्वेश्चन नहीं था, उनके सामने सतपुड़ा से बिजली का हिस्सा हमें पूरा मिलता है या नहीं मिलता, या राजस्थान को पूरा हिस्सा दिया जाना चाहिए, यह उनका ऑब्जेक्ट नहीं था। उनका ऑब्जेक्ट केवल एक था कि गांधी सागर से पानी रिलीज करा कर वह पानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जहां आवश्यकता हो वहां पर पानी पहुंचा दिया जाय। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री, कहने में कोई संकोच नहीं होता कि आपसी दोनों की बातचीत का यदि ईमानदारी से असेसमेंट किया जाय तो नतीजा यह निकलेगा कि चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आये थे उन्होंने हण्ड्रेड पर्सेन्ट उस ऑब्जेक्ट को अचीव किया और आपने बातचीत के अन्दर अचीव नहीं किया बल्कि कुछ ऐसे कमिटमेन्ट कर लिये जिन कमिटमेन्ट को आधार बना कर वही मध्य प्रदेश की सरकार राजस्थान का फिर एक्सप्लोइटेशन करेगी। वह आधार कैसे बन गये, वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जहां तक पानी का प्रश्न आता है, मैंने आपको साफ निवेदन कर दिया कि पानी में तो राजस्थान सरकार को वही स्टेण्ड लेना पड़ेगा जो अभी एक दो मिनट पहले आपके सामने कहा। सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है यह केवल इतना सा क्वेश्चन नहीं है, जिस समय वह 6500 क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, 3,000 क्यूसेक पानी मध्य प्रदेश में जायेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके कारण से राजस्थान में बिजली का संकट और खड़ा होगा। आज वह पानी राणा प्रताप सागर में आयेगा, वही पानी जवाहर सागर में आयेगा। 6 दिन तक तो बिजली जनरेट आपकी काफी हो जायेगी, बिजली का जनरेशन हो जायेगा लेकिन इन पानी के रिलीज करने के बाद गांधीसागर की क्या स्थिति रहती है? गांधीसागर में क्या और अतिरिक्त पानी रिलीज होगा? क्या राणा प्रताप सागर का रिजर्वायर का बैलेन्स जो रिजर्वायर क्या उसको आप मेन्टेन कर पायेंगे? क्या राजस्थान और पावर जनरेट कर सकेगा? आज हमारे सामने संकट एक सफेद हाथी का भी है, सभापति महोदय, जब चाहता है, तब बैठ जाता है, जब चाहता है तब चलना शुरू हो जाता है। उस आर. ए.पी.पी. पर राजस्थान डिपेन्ड नहीं कर सकता है। राजस्थान की डिपेन्डेबिलिटी जो उसके ऊपर थी आज वह अविश्वसनीय हो गई। न उस पर कोई राजस्थान का खेतीहर विश्वास कर सकता है, ना उसके ऊपर राजस्थान का उद्योगपति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई विश्वास कर सकता है । मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, आर.ए.पी.पी. के बन्द होने के बाद क्या आप को राणा प्रताप सागर से ज्यादा पावर जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी ? नहीं होगी, अब मैं समझता हूं वह गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन मैंने तो यह देखा है कि जिस समय आपको बिजली की आवश्यकता होगी, आप राणा प्रताप सागर से पावर जनरेट करते हैं और जितनी ज्यादा पावर जनरेशन करेंगे उतना ही उसमें जो मध्य प्रदेश का शेयर है उस हिसाब से सतपुड़ा से जो मिलने वाली बिजली है उसको अकाउन्ट फोर कर लेंगे । लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपने भूल यह की है, आपने उनसे इस बात का एश्योरेन्स नहीं लिया कि जिस समय 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा जायगा, उससे अतिरिक्त बिजली पैदा होगी, जिस समय राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से बिजली पैदा होगी क्या उस समय वह सतपुड़ा का पावर हाउस बन्द नहीं कर देंगे ? क्या सतपुड़ा उस समय बिजली पैदा करता रहेगा ? मेरी जानकारी यह है और मैं अधिकृत तो नहीं लेकिन विश्वसनीय सूत्र से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यहां जितनी पावर जनरेट होगी वह सतपुड़ा के खाते में अकाउन्ट फॉर नहीं हो जाय इसलिए वहां तो बिजली कम पैदा करेंगे ताकि वह बैलेन्स अपने आप ही एडजेस्ट हो जाय । उस स्थिति से आपको सावधान रहना पड़ेगा। यह आप चाहें माने या नहीं माने, मध्य प्रदेश ने वहां पर कोयला बचाने की दृष्टि से और मेन्टीनेन्स के पाइन्ट ऑफ व्यू से 6 दिन यदि पावर हाउस बन्द कर दिया तो उससे राजस्थान को मिलने वाली बिजली इस अतिरिक्त पानी से जो बिजली जनरेट होगी उसके खाते में अपने आप जमा हो जायगी, खाता बराबर हो जायगा । मैं, मुख्य मंत्री जी, आपसे जानना चाहता हूं, राजस्थान में रोज किसान आन्दोलन कर रहे हैं, मैं यह नहीं कहता कि हमें रात को बिजली नहीं मिलनी चाहिए लेकिन आपने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से यह बातचीत की है क्या कि बिजली हमें दिन में मिले । दिन में बिजली मिले तो हम थोड़ा सा सिक्वेन्स बना कर रख सकते हैं, दिन में इतनी मिलेगी, रात को इतनी मिलेगी। आपने इस संबंध में भी मुख्य मंत्री जी से कोई बातचीत नहीं की। उसका नतीजा यह है कि चाहे किसान चिल्लायें, जिस समय लोड नहीं रहता उस समय मध्य प्रदेश हमको बिजली देता है और जिस समय राजस्थान में पीक लोड होता है उस समय मध्य प्रदेश से हमको बिजली नहीं मिलती। यह एक ऐसी समस्या है जिस समस्या का आपने किसी प्रकार से समाधान नहीं किया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा• • • •

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय, एक घन्टे का समय निर्धारित किया है अध्यक्ष महोदय ने और 50 मिनट होने जा रहे हैं। अब शायद आप जवाब,.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहते नहीं बोलना है नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : नहीं बोलने का नहीं कह रहा । अध्यक्ष महोदय ने एक घन्टे का समय निर्धारित किया है। अगर आपको कुछ कहना हो तो दो तीन मिनट में कह दें

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसे इन्ट्रप्शन से तो मैं भी नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : नहीं, पर एक घन्टे का समय जो निर्धारित किया है उसमें तो…

श्री भंवरलाल शर्मा : समय से बांधा जायगा ?

श्री सभापति : समय तो अध्यक्ष महोदय ने निर्धारित किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पांच मिनट की छूट।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : राजस्थान के इन्ट्रेस्ट का सवाल है, सभापति महोदय छोटी छोटी बातों पर दो-दो घन्टे बोलने का मौका मिलता है इस पर आप इन्ट्रप्ट कर रहे हैं। मुख्य मंत्री ने राजस्थान के साथ पाप किया जो किया…

श्री भंवरलाल शर्मा : समय की पालना का ध्यान आपको बड़ा जल्दी आया..

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने एक घन्टे का समय कल आपकी मांग पर निर्धारित किया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप विषय के महत्व देखिये बोलने का महत्व देखिये…

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : चलो साहब, सी.एम. साहब जवाब देंगे। टूटा फूटा जो भी है।

श्री सभापति : अगर आप चाहेंगे तो। एक घन्टे का समय निर्धारित किया था, 50 मिनट हो गये, 10 मिनट में अगर आप…

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इतने ही हार्ड एण्ड फास्ट हैं तो क्या मुख्य मंत्री जी जवाब दे लेंगे 10 मिनट में और हम उसको बरदास्त कर लेंगे कि एक घन्टे में यह डिबेट खतम हो जाय।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुख्य मंत्रीजी के पहले हमारी बात पूरी तरह से सुननी पड़ेगी, सभापति महोदय यह एक ऐसा इश्यू है जिसमें इन्टर स्टेट मामला है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मध्य प्रदेश पानी ले गया…

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : दिनांक 14 मार्च को…

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मध्य प्रदेश के सामने सरेण्डर किया है। आप ने हमारे हितों की रक्षा नहीं की है। हमारे साथ…

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह राज्य के साथ खिलवाड़ है, माननीय सभापति महोदय…

श्री महावीर प्रसाद जैन : नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : यह कोई हाउस चलाने का तरीका है क्या ?

श्री दीपेन्द्रसिंह : इन्हें तो अखबार में नाम छपवाना है।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह राज्य के किसानों के साथ अन्याय है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा जिला मर रहा है किसानों को आप....

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : हाउस ठीक से चलाना होगा ....

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : जाओ जाओ दरवाजे खुले हैं ...

(व्यवधान)

(बहिर्गमन)

श्री सभापति : मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : 14 मार्च, 1986 को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी उनके क्षेत्र में पानी की जो कमी आ रही है उसके संबंध में वातचीत करने यहां पर आये थे और हमने उनको स्पष्ट शब्दों में जो बातें कही, उनका जिक्र मैंने इस वक्तव्य में किया। इस वक्तव्य को पढ़ने के बाद में मैं समझता हूं कि कोई बात ऐसी नहीं रह जाती जिससे इस वात का परिचय नहीं मिलता हो कि हमने राजस्थान के पक्ष को बहुत मजबूती और दृढ़ता के साथ रखा। उन्हें यहां भी चेतावनी दी कि जिस प्रकार से इन्टरसेप्शन उन्होंने आज तक किया है, बावजूद इसके कि इस बारे में निरन्तर पिछले 10-12 सालों से पत्र व्यवहार चल रहा है, भारत सरकार को भी लिखा गया है, 76 से लगाकर आज तक जितने भी मुख्य मंत्री राजस्थान में रहे उन्होंने, सब ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं और मुख्य मंत्रियों में तत्कालीन जनता पार्टी के मुख्य मंत्री भैरोंसिह शेखावत भी शामिल हैं। मैं इस विवाद में, जैसा उन्होंने कहा, नहीं पड़ना चाहता कि इन्टरसेप्शन कब से शुरू हुए और कितने हुए हैं। आज प्रश्न यह है कि जो स्थिति आज बनी है वह राजस्थान के लिये बहुत चिन्ता का कारण है। हमने इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को कह दिया था। हमने उनको बतलाया कि एक योजनाबद्ध तरीके से मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से चम्बल के कैचमेंट एरिया में जो इन्टर सेप्शन किये हैं उसका परिणाम यह हुआ है कि जो स्कीम पूरी हो चुकी और जो स्कीम पाइप लाइन में है, चल रही है उनसे करीब .648 मिलियन एकड़ फीट पानी ऊपर के कैचमेंट एरिया में इम्पाउंड हो जायेगा। जो उनके प्लान्स हैं उसके

(3.30 म.प.)

(श्री पूनमचन्द्र विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

मुताबिक करीब 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी और वह रोकना चाहते हैं। जब मैंने इस वक्तव्य में यहां पर कहा है कि मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है 1.66 मिलियन एकड़ फीट का, यदि मध्य प्रदेश अपनी योजना के अनुसार 1.23 मिलियन एकड़ फीट पानी ऊपर उठाने की बात करता है तो जाहिर बात है कि हमने वहुत स्पष्ट तौर से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को यह बात इंगित कर दी है कि यह बात आप अपनी कोस्ट पर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बे पत्र व्यवहार को आपके सामने रख कर सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन हमने अलग अलग फोरम से इस बात को निरन्तर कहा है कि मध्य प्रदेश ने

(श्री शिवचरण माथुर)

जो कुछ कार्यवाही की है वह अनुचित कार्यवाही है, न इसमें चम्बल कंट्रोल बोर्ड की इजाजत है और न राजस्थान को कान्फिडेंस में इस बारे में लिया गया है और उन्होंने अपने मन से चंबल के कैचमेंट एरिया में लार्ज स्केल पर इन्टरसेप्शन किया है जो राजस्थान को कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं बहुत सी बातें पब्लिक इन्ट्रेस्ट में यहां पर नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात बहुत निश्चित है कि हमने जो बात मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को कही है कि आपका 1.6 मिलियन एकड़ फीट का जो हिस्सा इस योजना में है उसमें से भी आप ऊपर के चमेंट एरिया में पानी का इन्टर सेप्शन करते हैं तो उसके क्या परिणाम होगें, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिये। हमने इशारा इस बात का किया है। और हमारी दृढ़ मंशा है कि हम अपने पक्ष को, अपने मत को जहां पर भी कहने की जरूरत होगी वहां पर कहेंगे। आज सवाल यह नहीं है, यह भी प्रश्न नहीं उठता कि जो मध्य प्रदेश के इलाके में तालाब बन गये उनको कैसे मिटाया जाय, कैसे तोड़ा जाय। राजबहादुर जी शायद यही बात कह रहे थे कि स्टेट्स को एन्टे रेस्टोर वाली बात कही जाय। अब स्टेट्स को एन्टे किस प्रकार से रेस्टोर किया जा सकता है, उसके क्या ऑल आउट इफेक्ट्स होते हैं यह तो आप स्वयं जानते हैं, मैं उसकी चर्चा में नहीं पड़ना चाहता। हमने तो एक पाइंट खुलासा तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को कहा, वह यह है कि अगर 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी आप इन्टरसेप्ट करते हैं, तो यह आपको समझ कर चलना चाहिए कि आपका इस पानी में कुल मिला कर 1.66 मिलियन एकड़ फीट का हिस्सा है। अगर आप इस बांध को नहीं रोकते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? उन परिणामों की ओर हमने इशारा किया है। मैं समझता हूं कि दो पड़ोसी राज्यों के बीच में बहुत सफाई से इस बात का कहने का मतलब उनको साफ तौर से समझना चाहिए। लास्ट लैटर, अध्यक्ष महोदय, पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं, हमारे सिंचाई मंत्री जी ने भारत सरकार के सिंचाई मंत्री जी को जो लैटर लिखा हैं 11 मार्च को उसमें कुछ सुझाव दिये हैं इस समस्या को सुलझाने के लिये। मैं इस सारे लैटर में जो केस की हिस्ट्री है उसको नहीं पढ़ना चाहता, इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़ कर यहां सुनाना चाहता हूं। राजस्थान के सिंचाई मंत्री जी ने भारत सरकार के सिंचाई मंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें जहां प्रारम्भ में इस सारे केस की भूमिका दी है इसका इतिहास बताया है वहां पर सुझाव के तौर पर यह कहा है कि समस्या को हल करने के लिये आप ये उपाय काम में लीजिये। उन्होंने लिखा है -

A detailed survey will perhaps be got conducted through Central Water Commission with representative of both Rajasthan and Madhya Pradesh Governments to ascertain the exact quantum of such intersep-tions and implications there-of for the Chambal complex system, both in respect of irrigation and power. In joint venture of such a magnitude, Madhya Pradesh Government may be directed forth with not to make any new constructions or undertake any survey and investigation for new schemes. The Central Water Commission

(110)

(श्री शिवचरण मामुर)

and Planning Commission may also be suitably advised not to entertain any scheme that may result in interseptions in the Gandhi Sagar catchment area by Madhya Pradesh for Plan assistance in the major, medium or minor irrigation sectors. I am also endorsing a copy of this letter to Shri S B. Chavan union Planning Minister and Deputy Chairman, Planning Commission, for suitable action in this behalf."

आगे फिर सुझाव दिया गया है-

"I would be obliged if early action is taken in this regard. Perhaps you may also like to convene a meeting of the Chief Ministers of Madhya Pradesh and Rajasthan under year auspices to sort out the vital issue as this involves basic principles in respect of multipurpose river valley projects jointly operated by State Government, which should invariably be held as inviable and sacrosanct."

यह सुझाव हमने भारत सरकार को दिया है। हमने कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग भी 11-4-83 को बुलायी है जिसमें हमने एजेण्डा में इस प्रश्न को रखा है। खास तौर से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि यदि इन्टरसेप्शन, जो आगे उनके पाइप लाइन में है, उसको नहीं रोका गया तो भारत सरकार को, रुकवाये और जो कुछ पानी का उपयोग मध्य प्रदेश में किया है उसके बारे में भी भारत सरकार कुछ न कुछ इन्टरवेशन करके फैसला करे। इसलिये यह कहना कि राजस्थान सरकार अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिये सावधान नहीं है, जागरूक नहीं है, मैं समझता हूं, सही नहीं है। यह एक पुराना लम्बा केस है, मैं समझता हूं, करीब 10–12 साल से लगातार दोनों सरकारों के बीच में लिखा पढ़ी चली आ रही है, भारत सरकार को भी हमने इस बारे में अवगत कराया है, अवगत कराने के बाद आज हम स्पष्ट रूप से इस इश्यू को क्लिक करना चाहते हैं। 14 मार्च की मीटिंग में बहुत सफाई से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के सामने इस इश्यू को रखा था, इस इश्यू को पाइंटेडली क्लिक भी किया था। हमने यह भी कहा था, चम्बल और सतपुड़ा का इंट्रीग्रेटेड कॉम्पलैक्स है जिसमें पावर और इरिगेशन दोनों का एक इंट्रीग्रेटेड सिस्टम है, जहां से बिजली पैदा होती है उसका रिलेशन है पानी के छोड़े जाने से और जो यहां बिजली पैदा होती है उसका रिलेशन सतपुड़ा के पावर जनरेशन से एक प्रकार से सीधा आता है, इसलिये उसमें आइसोलेशन में एक तरफ चम्बल से पैदा होने वाली बिजली लें लेकिन सतपुड़ा की बिजली का ध्यान नहीं रखें, यह हम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों सतपुड़ा का सारा कॉम्पलैक्स और चम्बल का कॉम्पलैक्स इस पूरी परियोजना के भाग हैं जिसमें राजस्थान का अपना हिस्सा है। सतपुड़ा में पांच यूनिट लगे हुए है, साढ़े बारह और 62 मैगावाट इंच के इसमें दो यूनिट हमारे हैं। 40 पर्सेन्ट का हिस्सा हमारा है 125

(श्री शिवचरण माथुर)

मेगावाट हमारा हिस्सा है। साफ तौर से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को कहा कि जो बिजली आप वहां पैदा करते हैं, उसका जो 40 प्रतिशत का हिस्सा हमारा बनता है, उस हिस्से को हमको दीजिए। यदि आप हिस्सा नहीं देते हैं तो निश्चित बात है कि हमें आगे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमने पॉइन्टेडली इस बात को कहा क्योंकि एक मायने में, हम पानी के बारे में तो फिर भी एक अच्छी स्थिति में हैं, पानी के बारे में तो हम उन से बारगेनिंग की स्थिति में अपने आपको पाते हैं क्योंकि कैनाल हमारे इलाके से निकलती है और पानी को हम छोड़ने की बात सोच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सतपुड़ा से जो बिजली पैदा होती है उसके लिए हमने बहुत साफ तौर से कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी ने मुझे कहा कि मैं जाते ही मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चैयरमेन से कहूंगा। जो मेरी जानकारी इन दो दिनों की हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन 2 दिन में 15,16 मार्च को जो सतपुड़ा से बिजली पैदा होती है करीब 50 लाख यूनिट उसमें हमारा हिस्सा 20 लाख के करीब आता है उसमें से 15.3.83 को 19.36 लाख यूनिट बिजली राजस्थान को मिली और 16 तारीख को कल 19 लाख यूनिट बिजली राजस्थान को मिली है। यह बिजली हमको वहां से परसों से उतनी मिलने लगी है, लेकिन अभी जैसे भैरोंसिंह जी कह रहे थे यह बिजली जो आप लेंगे वहां से, गांधीसागर से, उसको पानी को छोड़ करके आप आगे आने वाली बिजली की कॉस्ट पर लेंगे। यह ठीक बात है कि आज पानी ज्यादा निकल जायेगा तो बिजली की इसमें कमी आ जायेगी। लेकिन यह जो पानी 14 मार्च से छोड़ा जा रहा है, वह राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर से नहीं छोड़ा जा रहा है, वह सारा का सारा पानी गांधी सागर के भराव में छोड़ा जा रहा है, 6500 क्यूसेक्स और उससे बिजली पैदा हो रही है वह हमको राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर में मिल रही है। आज वैसे भी हमको बिजली की आवश्यकता है। 5 दिन भी बिजली हमको अधिक मिलती है, क्योंकि आर.ए.पी.पी. एक प्रकार से बन्द पड़ा हुआ है, आज हमारी फसलें सारे राजस्थान में बिजली की मांग कर रही है इसलिये 5 दिन भी अगर बिजली ज्यादा मिलनी है तो पानी भी हमको मिलता है, पानी साढ़े छः लाख क्यूसेक्स छूटेगा वह पार्वती हैड वर्क्स पर 3 हजार क्यूसेक्स मध्य प्रदेश को मिलेगा, बाकी पानी राजस्थान को मिलेगा। उस पानी से जो बिजली पैदा होगी, उसका भी लाभ राजस्थान को मिलने वाला है 5 दिन के लिए, वैसे भी पानी के मामले में यदि टोटल हिसाब देखा जाय तो खरीफ और रबी का हिसाब है उसमें भी राजस्थान को कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा ही पानी मिला है, कम पानी नहीं मिला है। हमारे हिस्से के मुताबिक, उसको मैं यहां स्पष्ट रूप से आंकड़ों के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उसमें राजस्थान घाटे में नहीं रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह आज बिजली की दिक्कत है। खास तौर से जो बिजली सतपुड़ा में पैदा होती है वह बिजली हमको नहीं मिल पाती है। इसको हमने उन से कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मसले को हम हर फोरम पर उठाना चाहते हैं। 11 अप्रेल को चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में भी हम इस प्रश्न को ले जायेंगे। भारत सरकार के सिंचाई मंत्री जी

112

(श्री शिवचरण माथुर)

को हमने चिट्ठी लिखी है, प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखना चाहते हैं, उनका इन्टरवेंशन भी हम सीक करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों स्टेट्स एक अच्छे पड़ोसी की तरह से बैठ करके पहले तो इस मसले को सॉल्व करें, और यदि सॉल्व नहीं हो सकता है तो राजस्थान के हित में जो भी आवश्यक होगा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस कार्यवाही को करने में नहीं हिचकिचायेगी। यही मुझे इस मौके पर निवेदन करना है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा, विपक्ष के नेता किन्हीं कारणों से अपनी पूरी बात कह नहीं पाये। किन्तु मैं एक दो बात स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। जो .6.48 कैपेसिटी उन्होंने क्रिएट कर ली है, कैचमैन्ट एरिया में, जो कैचमेन्ट एरिया का फायदा सारे सिस्टम को मिलता है, उसे कम करके उसी स्टेटस क्वो एन्टे का मतलब तो यही है कि उन सबको तोड़ा जाय और दुबारा स्थिति में रखा जाय, पूर्व स्थिति जो थी, लेकिन उनका जो टोटल शेयर है, 1.66 मिलियन हैक्टेयर का, क्या उसमें से इसको काटेंगे या नहीं काटेंगे? इतना तो आश्वासन दीजिए कि आप इन्सिस्ट करेंगे कि जो 1.66 मिलियन हैक्टेयर है, उससे कभी एक्सीड नहीं करेंगे और जो .648 जो उन्होंने बना लिया है, वह इसमें से काट लिया जायगा? इतना अगर करें तो शायद कुछ हो सकता है। इसके अलावा उनका जो एक्सप्लेनेशन···

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। आप भाषण दे चुके हैं।

श्री राजबहादुर : मैं भाषण नहीं। दोनों पॉइन्ट देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप की बात सुन ली, उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री राजबहादुर : उत्तर नहीं दिया, इसका उत्तर भी नहीं आयेगा?

श्री शिवचरण माथुर : इसी पॉइन्ट पर मैंने कहा था। हमने इसी पॉइन्ट को इंगित किया है उनको कि जो आप कैचमेंट एरिया में इन्टरसेप्शन कर रहे हैं, वह आपकी कास्ट पर होगा। यह तो मैंने कहा था।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

अनुपूरक अनुदान की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) 1982-83 का उपस्थापन

अनुपूरक अनुदानों की मांगें। द्वितीय संकलन का उपस्थापन। वित्त मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए राजस्थान राज्य के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगें, द्वितीय संकलन का उपस्थापन करता हूं।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 46, सिंचाई

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक 1983-84, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।

सिंचाई मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग

(श्री परसराम मदेरणा)

संख्या 46, सिंचाई, राजस्थान नहर सहित के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,96,90,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक):

1. टौंक जिले में सिंचाई सुविधा हेतु बनास नदी पर बिलपुर बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. टौंक जिले का सिंचाई सुविधा हेतु व्यापक सर्वेक्षण करवा कर मास्टर प्लान करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

3. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिये वृहद् सिंचाई योजना के लिये सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर),

श्री मालाराम (खेतड़ी):

4. प्रदेश में इस वर्ष निर्धारित सिंचाई सुविधाओं को पूरा न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्र वीर सिंह भाटी (जैसलमेर):

श्री मंगलसिंह गुर्जर (खारची):

6. राजस्थान नहर के निर्माण कार्य की धीमी गति व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन):

7. झालावाड़ जिले में भीम सागर सिंचाई योजना के अन्तर्गत कई गांव डूब में आये हैं उनको अभी मुआवजा नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिये।

8. झालावाड़ में सारनखेड़ी बांध योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों की जमीन डूब में आई है, उनको मुआवजा नहीं देने के विषय में, चर्चा के लिये।

9. सिंचाई विभाग झालावाड़ में हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

10. देवास या वाकल योजना का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के प्रमोशन में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

12. भीलवाड़ा तहसील में पेना, गुंवाडी, कान्याखेडी बांध की नहरों व बांधों का सुधार कार्य कराने हेतु, चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

13. बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम कानासर, आरंग, रताकुडीया, शेखेदा गांव व दोलेन, में सिंचाई के लिये योजना स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ) :

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेडा):

14. दो मई सन् 1981 के दिन जाखम सिंचाई परियोजना के मुख्य बांध स्थल पर दीवार ढह जाने से दब कर चार श्रमिकों की मृत्यु के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत),

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़),

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर),

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा),

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

15. रेगिस्तानी क्षेत्र में जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करने बावत चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची):

16. पाली जिले में सभी अधूरे बांधों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

17. पाली जिले में सुमेर एवं डूआरिया नामक बांध की स्वीकृति कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

18. आमेर निर्वाचन क्षेत्र का सर्वे करा-कर सिंचाई हेतु बंधे का शीघ्र निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

19. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बहने वाली नदियों को बांध कर सिंचाई हेतु बांध का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

20. नर्बदा व माही परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

21. चम्बल सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

22. चम्बल सिंचाई क्षेत्र में सी०ए०डी० योजना को समाप्त न करने बाबत चर्चा के लिये।

23. दीगोद तहसील के अनेक गांवों जैसे याहाहेग आदि पर चम्बल की नहरों से लिफ्ट योजना के तहत सिंचाई प्रारम्भ करवाने हेतु, चर्चा के लिये।

24. चम्बल व काली सिंध ग्राम पीपल्दा समेल के पास मिलती है वहां बांध निर्मित कराने हेतु चर्चा के लिये ।

25. कोटा जिले की सावन भादों मध्यम सिंचाई योजना में पर्याप्त धनराशि न देने देने पर चर्चा के लिये ।

26. कोटा स्थित चम्बल बैराज को 4 फीट ऊंचा कर सिंचाई सामर्थ्य बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये ।

27. कोटा नगर के बड़े उद्योगों पर सिंचाई का लाखों रुपया वर्षों से बकाया चल रहा है, उसे वसूल करने पर चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

28. सिंचाई योजनाओं में उपेक्षा बरतने एवं जवाहरलाल नेहरू नहर योजना पर ध्यान न देने पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

29. सिंचाई योजनाओं के विस्तार की संभावनाओं की तैयारी में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

30. गंग नहर में समुचित पानी वितरण कराने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) :

31. मेजा फीडर में शीघ्र निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री पीरूराम (टीबी) :

32 राजस्थान नहर सीमा में जो वाटर कोर्स खोले बन रहे हैं उन पर चर्चा के लिये।

33. नोहर लिफ्ट व भादरा ब्रांच नहर का कार्य नहीं चालू हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

34. राजस्थान नहर के धीमी गति के निर्माण के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर):

35. जहाजपुर क्षेत्र की सर्वे शुदा सिंचाई योजनाएं भीमपुरा के (शम्नरगढ़) पचानपुरा एवं मसुन्दनी (अजमेर) के विस्तार पर चर्चा के लिये।

36. बनास नदी से विभिन्न जलोत्थान योजनाएं बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना):

37. नीम का थाना के ग्राम फतेहपुरा में बांध कार्य शीघ्र चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

38. राज्य सरकार राज्य में गंगा कावेरी के पानी को लाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

39. राज्य सरकार अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से अपने हिस्से का पानी लेने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

40. राज्य सरकार गुड़गांव कैनाल व भरतपुर फीडर के लिए पानी का हिस्सा निश्चित नहीं करा पाई है, इस पर चर्चा के लिये।

41. सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित भरतपुर, अलवर, चूरू व झुन्झुनू जिलों के लिए यमुना का पानी लाने की कार्यवाही नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये।

42. राज्य सरकार मध्य प्रदेश द्वारा चम्बल नदी पर जगह-जगह बांधों के निर्माण को रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

43. राजगढ़ में पिछले ढाई वर्षों से कोई भी सिंचाई का कार्य न होने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बैंगू) :

44. तहसील बैंगू के उपजाऊ क्षेत्र को सिंचित करने हेतु सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा),

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) :

45. राजस्थान नहर का जल बाड़मेर जिले तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) :

46. जयसमन्द नहर का आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चलाने की चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

47. बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की क्रियान्विति पर राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

48. राजस्थान के बहने वाले पानी का मास्टर प्लान बनाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

49. राजस्थान नहर का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण सुपरवाइजिंग लापरवाही है, इस पर चर्चा के लिये।

50. मावली तहसील के क्षेत्र को पानी पहुंचाने वाली एक मात्र योजना माडक प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

51. जाखम प्रोजेक्ट पर कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति पर चर्चा के लिये।

52. जाखम प्रोजेक्ट में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

53. माही बंजाज सागर से सिंचाई कार्य में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये।

54. उदयपुर जिले की नदियों का पानी सिंचाई हेतु रोक कर बांध बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

55. बांध माधो सागर की वेस्ट कैनाल पर दो किलोमीटर लम्बे नाने की मांग के बावजूद नहीं बनाने से ग्रामीणों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

56. बांध भण्डारी की वेस्ट वेयर को अविलम्ब बनाने तथा ग्राम पीलवा को बचाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं):

57. राजस्थान नहर से लिफ्ट सिंचाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

58. जमुवा रामगढ़ बांध की नहर से पानी नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर):

59. राजस्थान सरकार लक्ष्य के अनुरूप राजस्थान नहर के निर्माण में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

60. राज्य सरकार गंग नहर की मरम्मत और सार सम्भाल में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

61. राज्य सरकार राज्य में प्राप्य जल स्रोतों के जल का पूर्ण उपयोग करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) :

62. समस्त कृषि भूमि को सिद्धान्त रूप में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग द्वारा लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीबाड़ा):

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह)

63. जेतपुरा नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास):

64. जिला सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध की केनाल को पूर्व योजना के अन्तर्गत आगे बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये ।

65. बांध सूरवाल से जमीन में रिसाव व पाल बनाने के कारण जमीन खराब हो गई, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),
श्री चुन्नीलाल (खण्डार),
श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास) :

66. जिला सवाई माधोपुर के दिल बांध को रेज कर उसकी रहल पर जो केनाल है उस क्षेत्र की 6 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये ।

67 जिला सवाई माधोपुर के बांध पाचना की नहरें विभाग द्वारा सर्वे के आधार पर अभी तक नहीं बनाई गई हैं, इस पर चर्चा के लिये।

68. बांध सुखाल की उगाज से काश्तकारों की जमीनें खराब हो गई हैं, उस पर चर्चा के लिये।

69 सब डिवीजन सवाई माधोपुर के सरकारी बांधों से सिंचाई कराने हेतु चर्चा के लिये।

70 जिला सवाई माधोपुर में एक पानी दिये जाने के बाद पूरी पिलाई वसूल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. सवाई माधोपुर में बनास नदी चर्णाक्या दह पर फार्म चालू करवाने हेतु चर्चा के लिये ।

72. जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी के गुयादा दह ग्राम पंचायत पडाना में सिंचाई लिफ्ट योजना बना कर फार्म चालू करवाने पर चर्चा के लिये।

73. जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी, चम्बल नदी एवं गलव नदी का पानी रोक कर सिंचाई लिफ्ट पर बांध बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

74. जालोर जिले में सिंचाई बांध के नीचे आई भूमि का मुआवजा देने बाबत चर्चा के लिये ।

75 जेतपुरा तथा बीडी सेन्दा नदी पर बांध बनाने हेतु चर्चा के लिये ।।

76. जालोर जिले में बाण्डी-सहादरा सिंचाई योजना के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

77. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा वरती जाने वाली उदासीनता एवं लापरवाही से सिंचाई कार्य में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

78. राजस्थान नहर में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा इन्जिनीयरों के खिलाफ जांच करने हेतु चर्चा के लिये ।

79. केशवराय पाटन क्षेत्र के बांसवाड़ा बडा खेड़ा, पापड़ी आदि गांव में नहर विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

80. ड्रेनों में बेकार बहने वाले पानी को एकत्रित कर सिंचाई में उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(118)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

81. केशवराय पाटन क्षेत्र गांवों मुआगांव फौलाई उतराना आदि क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए कूरल नदी पर बांध निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

82. फागी तहसील के किसानों को बांध छापरवाड़ा व कालख से नहर का पानी न देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

83. फागी तहसील में नदी पर बांध बनवाने में सरकार अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

84. बांध गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर की पक्की पाल बन्धवा कर सिंचाई चालू करने हेतु चर्चा के लिये ।

85. नाहर सम्बन्ध बांध चादमांकला तहसील फागी जिला जयपुर की मरम्मत शीघ्र करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

86. राजस्थान नहर के सिंचित क्षेत्र में बाड़मेर जिले के किसानों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

87. आमेर तहसील में भावसागढ़ बांध की पाल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

88. आमेर तहसील में गुनावता गांव में पीपलाटा नाले के पानी को रोककर उस पर बांध बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

89. सिंचाई योजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

90. सिंचाई खण्ड इटावा के क्षेत्र में मूंडली माइनर से सीपेज से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

91. सिंचाई खण्ड इटावा क्षेत्र में तिसादा सब माइनर के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. सिंचाई खण्ड अन्ता के अन्तर्गत दायीं मुख्य नहर पर 98 किलोमीटर पर बायीं ओर एक आउटलेट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. चम्बल की दायीं मुख्य नहर से समय पर पानी न मिलने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

94. छीपोल डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर पानी नहीं पहुंचता है इस संबंध में चर्चा के लिये ।

95. मूंडला माइनर के टेल पर पानी नहीं पहुंचता है इस संबंध में चर्चा के लिये ।

96. राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

97. राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में गठित रामसिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

98. इन्द्रायणी बांध के टूटने की जांच अभी तक पूर्ण नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

99. लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर पानी पहुंचने की उचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री हीरालाल आर्य)

100. गैंता डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर पानी पहुंचाने की उचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. पीपल्दा क्षेत्र में इस वर्ष सिंचाई की अव्यवस्था के कारण हुये नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

102. इटावा ब्रांच कैनाल के टूट जाने से हुए नुकसान की जांच कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. पीपल्दा क्षेत्र में टेल पर पानी पहुंचने की स्थाई व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. इटावा ब्रांच कैनाल में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ने से किसानों की फसलें सूख गई, जिससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. चायदा खुर्द पंचायत में लिफ्ट से सिंचाई करने हेतु डोबरली गांव के पास से चम्बल नदी के पानी से लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. नहरों एवं ड्रेनों में अवाप्त भूमि का मुआवजा चुकाने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. मांगरोल की भटवाड़ा, हिंगोनियां पंचायतों में लिफ्ट द्वारा सिंचाई की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. राजस्थान नहर में व्याप्त भ्रष्टाचार को शीघ्र समाप्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू):

109. राजस्थान नहर परियोजना में भ्रष्टाचार के तहत रामसिंह आयोग की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. राजस्थान नहर में व्याप्त भ्रष्टाचार को शीघ्र समाप्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. हीकंड लिफ्ट सिंचाई योजना से लुहारिया, रहलाई के गांवों तक पानी पहुंचाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

113. सिंचाई विभाग द्वारा अटरू क्षेत्र के हीकंड, केदाहेड़ी गांवों को नहर का पानी बन्द कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

114. अटरू क्षेत्र में केदा हेडी ग्राम में नहर पर फाल बनवाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. अटरू क्षेत्र में टेल पर पानी पहुंचाने की स्थाई व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर):
116. राजस्थान नहर के अन्तर्गत जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार अब तक नहीं प्राप्त होने पर चर्चा के लिये।

117 जैसलमेर जिले में नहरी सिंचाई की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):
118. भीलवाड़ा तहसील में सूरत सागर का कार्य प्रारम्भ करने के विषय में चर्चा के लिये।

(श्री बंशीलाल पटवा)

119. भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध कान्या खेड़ी, गुंवाड़ी बांध द्वारा कृषि हेतु दिये जाने वाले पानी की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये ।

120. राजस्थान नहर के निर्माण में हुई अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) :

121. निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु बांध बनाया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

122. सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नतियों में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

123. सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 26-2-79 को कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर हुए प्रमोशन में ए.एम. आई० ई० पास कनिष्ठ अभियन्ता को वंचित रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

124. भरतपुर जिले को यमुना से पानी दिलाया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

125. सिंध मुख नहर एवं नोहर फीडर का कार्य शीघ्र शुरू कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

126. सीजनल नदियों के पानी को रोक कर नये बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) :

127. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) :

128. घग्घर के टूटने से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री जीवराजसिंह राठौड़ (पीलीबंगा) :

129. राजस्थान नहर में उपलब्ध पानी का उपयोग न करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

130. मांगरोल में बाण गंगा नदी द्वारा मार्ग बदलने के कारण पानी सीधा बस स्टैण्ड पर टकराता है, उसे रोकने हेतु बांध बना कर बहाव को पुराने मार्ग से निकालने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना) :

131. झालावाड़ जिले में छापी बांध परियोजना पर कार्य प्रगति पर न होने पर चर्चा के लिये ।

132. पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्र में बन्द जावर औरहनोतिया लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को पुनः चालू किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

133. पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्र की नेवज नदी पर प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिय ।

श्री प्रभूलाल (हिण्डौली) :

134. हिन्डौली क्षेत्र में सर्वशुदा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण न होने के कारण जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला):

135. सीकर जिले में खण्डेला के पास सेवली के बांध के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

136. झुन्झुनू जिले में छापोली बांध के निर्माण की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

137. सीकर जिले में अभयपुरा नांगल बांध के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

138. सीकर जिले में खण्डेला के पास चौकड़ लालवाड़ी का बांध बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) :

139. प्राकृतिक स्रोतों के सही-सही उपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़):

140. जलोत्थान योजना द्वारा चूरू जिले की भूमि को सिचाई साधन उपलब्ध करवाने के संदर्भ में चर्चा के लिये

श्री हेमाराम चौधरी (गुढा मालानी):

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) :

141. बाड़मेर जिले के किसानों को राजस्थान नहर के सिंचित क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन कर अकाल से मुक्ति दिलाने हेतु आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

142. राज्य सरकार सिचाई साधन उपलब्ध कराने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां) :

143. राज्य सरकार सिचाई साधन उपलब्ध कराने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा):

144. अजमेर जिले के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वे कराने पर चर्चा के लिये।

145. सिकरानी पंचायत, पंचायत समिति मसूदा में विभाग द्वारा निर्माणाधीन बांध के कारण आम रास्ते के पुल के डूब में आ जाने पर भी विभाग द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

146. राज्य में सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

147. चाकसू तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में बाढ़ राहत सहायता प्रदान करने में हुई अनियमितता की जांच करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

148. सिचाई बंध मोरेल, गंगासागर (दूदू), काकोलाव, (फागी), नेनस्या (फागी), रामसर फागी, चूलियावास नरेना की बेस विड्थ का सही आकलन करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी)

149 सिंचाई बंध छापरवाड़ा इटागोह फीड़ी के कार्य करवाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्जी भुगतान करने के क्रम में चर्चा के लिये।

150. सिंचाई बंध गंगासागर (दूदू) पर बिना 1.8 डेन्सिटी के निर्माण के गलत भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. सिंचाई बंध छापरवाड़ा की नहरों पर लाइनिंग कार्य के लिये दी गयी सीमेंट को काला बाजारी में बेचने पर चर्चा के लिये।

152. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई बंध मोरेल के पुनर्निर्माण कार्य में लेवल व रैफ्रेन्स लाइन बदल कर 50 लाख रुपये का गोलमाल कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. सिंचाई बंध छापरवाड़ा के इटागोई फीडर की क्षमता बढ़ाने के कार्य में लेवल को बदल कर विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्जी पेमेंट करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

154. सिंचाई खण्ड जयपुर द्वारा बंध गंगासागर (दूदू) में लेवल व रेफ्रेंस लाइन बदल कर एक लाख रुपयों का घोटाला करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

155. पाली विधान सभा क्षेत्र में पुराने बांधों की मरम्मत कराने व उनकी जल क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

156. राजस्थान नहर पर भूमि की बिक्री में गरीब काश्तकार व खेत मजदूरों का शोषण किया गया, इस पर चर्चा के लिये।

157 राजस्थान नहर का युद्ध स्तर पर कार्य चालू करके पूरा करने पर चर्चा के लिये।

158. राजस्थान नहर परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

159. माही बजाज सागर परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

160. सिंचाई विभाग में कार्यरत डिप्लोमा व डिग्री होल्डर्स अभियन्ताओं की नीतिगत तरीकों से पदोन्नतियां न करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

161. समय पर पानी उपलब्ध नहीं कराये जाने से पर्याप्त सिंचाई न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

162. जयपुर जिले तक बनास परियोजना क्षेत्र को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. राजस्थान नहर के निर्माण में होने वाली देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164 जयपुर जिले में सिंचाई की विशेष योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

165 बंध सदपुरा की बेडबार की मरम्मत कार्य में अनुचित तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

166. बंध सूथडा की मुख्य नहर चैन 120 से 183 और चैन 0 से 60 का कार्य पूर्ण नहीं होने से किसानों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

167. बंध कासीर की मुख्य नहर का कार्य पूर्ण नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

168. मांसी बांध की मुख्य नहर चैन नं. 590 पर पुलिया का निर्माण कार्य नहीं कराने से ग्राम वासियों में रोष व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये।

169. बंध सूथड़ा की मुख्य नहर का निर्माण कार्य चैन 150 से 195 का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

170. सिंचाई उपखण्ड उनियारा में फर्जी मस्टररोल भर कर लगभग एक लाख रुपये का घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

171. मोती बांध से तीसरा पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. मांसी बांध की नहर से डोडवाड़ी, गहलोद मुडिया, किशनपुरा आदि जगहों पर पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

173. टौंक सिंचाई आधुनिकीकरण खण्ड में वर्क-आर्डर द्वारा फर्जी काम बता कर पैसा उठाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

174. टौंक जिले में सिंचाई विभाग में भयंकर अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, घोटालों पर चर्चा के लिये।

175. अधिक सिंचाई, अधिक उपज कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

176. टौंक जिले का सिंचाई की दृष्टि से मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. मासी बांध के बहुत बड़े भाग में डेटस्टोरेज पानी का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. मासी बांध की भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. सिंचाई अधुनिकीकरण खण्ड टौंक द्वारा कुमारिया, भानुपुरा, 'आकोडिया,' तुर्किया, सरदारपुरा आदि बांधों का सर्वे अब तक पूर्ण नहीं करने पर चर्चा के लिये।

180. रूपवास एवं बोटूडा बांध, जिनका सर्वे कार्य बहुत पहले हो चुका है, का आकलन एवं लाभ लागत का अनुपात तैयार नहीं करने पर चर्चा के लिये।

181. बांध ठकरिया का कार्य प्रारम्भ नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

182. सिंचाई आधुनिकीकरण खण्ड टौंक द्वारा सिंचाई कार्यों की देखभाल एवं सिंचाई हेतु सतही जल स्रोतों के विकास की की जा रही उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

183. टौंक जिले में औसत वर्षा के ठीक होने के बाद भी सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

(24)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

184. टौंक जिले की सबसे महत्वपूर्ण विसलपुर सिचाई योजना की स्वीकृति योजना आयोग से प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. बंध मोतीसागर (टौंक) की डाउन स्ट्रीम के प्रोटेक्शन कार्य में घटिया स्तर का सामान लगने एवं समय पर कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. बंध चन्दलाई की मरम्मत एवं भराव का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. बंध दाखिया (टौंक) का मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने से पुनः बाढ़ की आशंका से जनता में भयंकर आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. बंध गलवा (टौंक) की वेस्ट वियर डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन कार्य में घटिया स्तर का सामान लगाये जाने व समय पर कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

189. बंध मोतीसागर (टौंक) मुख्य नहर चैन 40 से 60 पर लाईनिंग का कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

190. बंधा लाम्बा हरिसिंह (टौंक) डाउन स्ट्रीम वेस्टवियर का मरम्मत कार्य नहीं कराये जाने से पुनः बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका पर चर्चा के लिये।

191. बंध हरचन्देड़ा (टौंक) की वेस्ट वियर की मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं होने से पुनः बांध को खतरा हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. गलवा बांध से सिचाई क्षेत्र की अतिरिक्त वृद्धि नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. गलगनिया बांध (उनियारा) की भराव क्षमता 2 फीट बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) :

194. सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच व प्रामाणिकता साबित होने के उपरान्त भी मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

195. सिंचाई विभाग में हरिजनों की नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

196. सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा परिवारजनों सहित सरकारी खर्चों पर किये गये विश्व भ्रमण एवं विदेश यात्राओं के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

197. मोरेल बांध पर कराये गये कार्य में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

198. सिमटोली बांध पर किये गये कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

199. करोली में बनाये गये सिंचाई विभाग के डाक बंगले के व्यय में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

200. यू०एस०एड० मोडर्नाइजेशन के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

201. गम्भीरीनदी के पानी पर पांचना बांध पर हुई अनियमितता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी०पी० जोशी (नाथद्वारा) :

202. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की माण्डक सिंचाई योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. नाथद्वारा के नन्दसमन्द बांध में घोषित कमाण्ड क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं होने से किसानों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

204. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में बाघेरी एवं चिकलवास स्थान पर बांध बनाने हेतु सर्वे कार्य सन् 1983-84 में सम्पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) :

205. सोमकामला अम्बा योजना के फीजीकल टार्गेट्स प्राप्त नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

206. सावन भादों एवं विलास परियोजनाओं पर विभाग द्वारा उचित ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

207. इन्द्राणी बांध के टूट जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. कोटा में दायीं मुख्य नहर पर विभाग द्वारा बनाये गये पुल के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

209. सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

210. राजस्थान नहर के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

211. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा जोहड़पायतन भूमि की नीलामी किये जाने से भूमिहीन गरीब किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

212. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान समय पर तैयार नहीं किये जाने से उपनिवेशन योजना असफल होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

213. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के कार्यों में विभाग द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

214. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सहकारी फार्म विकसित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

215. अच्छी किस्म का कोयला व सीमेंट की कमी के कारण राजस्थान नहर के द्वितीय चरण का कार्य धीमा पड़ने पर चर्चा के लिये।

216. राजस्थान नहर क्षेत्र के कोलायत एवं जैसलमेर जिले के गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने में अनावयश्क देरी व परेशानी से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

217. लूणकरणसर लिफ्ट नहर व इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी व माइनरों का निर्माण कार्य में किसानों को सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराने से पूर्व ही खाले टूट-फूट होने की मरम्मत कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

218. राजस्थान नहर क्षेत्र में जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम लाखासर ग्राम पंचायत गुड़ा में गोचर भूमि न छोड़ने (आवंटन) की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

219. राजस्थान के सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मचारियों को राजस्थान नहर क्षेत्र में कमाण्ड भूमि आवंटन करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

220. राजस्थान नहर क्षेत्र के जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम सांखला की बस्ती में गोचर भूमि न छुड़ाने से उत्पन्न समस्या की चर्चा के लिये।

221. राजस्थान मुख्य नहर की बरसलपुर शाखा की सड़क तथा विद्युत लाइन उपनिवेशन क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इसे पूर्ण करने की चर्चा के लिये।

222. राजस्थान मुख्य नहर व शाखा व उप-शाखाओं पर पानी की खेलीघाट, पेड़ियां न होने से हजारों पशुओं, जीवों की डूब कर मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

223. राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में कमाण्ड भूमि क्षेत्र की वृद्धि की जाने पर चर्चा के लिये।

224. राजस्थान नहर परियोजना का कार्य निश्चित समय पर पूरा नहीं होने व धीमी गति से कार्य होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

225. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र मे कार्यरत मजदूरों को वेतन के अलावा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

226. राजस्थान मुख्य नहर की बाई ओर सिंचाई संभव क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. राजस्थान नहर मण्डल के अध्यक्ष पद हेतु तकनीकी व्यक्ति होने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

228. राजस्थान मुख्य नहर आर०डी० 800,807 से 811, 815 में से 818, 837,855,888 व 910 पर पानी के निरंतर रिसाव से वाटर लोगिंग होकर मुख्य नहर के पास झीलें बनने से नहर के अस्तित्व को उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

229. लूनकरणसर लिफ्ट नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सेना के अभ्यास से किसानों की फसलों के नुकशान का मुआवजा देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

230. राजस्थान मुख्य नहर आर०डी० 837 एवं बरसलपुर शाखा की छीला वितरिका की आर.डी. 5 में कच्ची, पीली टाइलों का उपयोग निर्माण कार्य में करने से हुए गलत निर्माण कार्यों को रोकने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

231. राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा की आर.डी. 142 से 145 पर ठेकेदार द्वारा मिट्टी के कार्य में पूरा दाब (कम्पेक्शन) विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

करने से नहर का गलत निर्माण करने व राज्य कोष के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर, चर्चा के लिये ।

232. राजस्थान नहर चारनवाला शाखा की फूलासर माइनर आर०डी० 20 से 22½ के मिट्टी कार्य में ठेकेदार को अनियमित रूप से फायदा देकर राज्य कोष के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये ।

233. राजस्थान नहर क्षेत्र के इंट भट्टों के ठेकेदारों द्वारा विभागीय अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्त होने पर खड्डों को नहीं भरने पर चर्चा के लिये।

234. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के पुराने बंधों व नहरों की मरम्मत कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

235. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के मगरा क्षेत्र में सिंचाई बंधे बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

236. राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के क्षेत्र में पाक विस्थापितों को कृषि योग्य सिंचित भूमि आवंटित करने, निशानदेही देने तथा आबाद करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

237. लूणकरणसर लिफ्ट योजना में सिंचाई विभाग द्वारा जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

238. राजस्थान नहर की लूनकरणसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका में गत दो माह से पानी नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर, चर्चा के लिये ।

239. जिला गंगानगर में गत फरवरी में घग्घर चैनल टूटने से हुये नुकसान पर चर्चा के लिये ।

240. उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई आवंटन, निरस्त करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

241. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा से पिलाप बंधे को जाने वाली नहरों की मरम्मत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

242. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा की रोही के चक नं० 3 व 4 के बंधों की नहरों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये ।

243. राजस्थान नहर क्षेत्र तहसील कोलायत व जिला जैसलमेर के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

244 जिला बीकानेर तहसील कोलायत उपनिवेशन क्षेत्र को भूमि आवंटन के समय राजस्थान मूल निवासी के प्रमाण-पत्र के रूप में भूतपूर्व जागीर के सबूत आदि न मानने पर चर्चा के लिये।

245. राजस्थान मुख्य नहर में पानी की कमी को देखते हुए एस्केप में पानी न छोड़ने पर चर्चा के लिये ।

246. जिला बीकानेर तहसील कोलायत में सिंचाई विभाग द्वारा मजदूरी का भुगतान समय पर न कराने पर चर्चा के लिये ।

247. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में मण्डी डवलपमेंट में सुधार करने पर चर्चा के लिये।

(128)

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

248. राजस्थान नहर निर्माण के दौरान ग्रामवासियों के आवागमन हेतु रास्ते न छोड़े जाने व मूल निर्माण करने में देरी व लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये ।

249. राजस्थान मुख्य नहर तथा बरसलपुर बांध चारणवाला ब्रांच तथा इसकी वितरिकाओं के माइनरों पर सिंचाई हेतु मोघे (आउट लेट) शीघ्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन की नीति में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा के चक ढाढ़र चक सिहोलियां चक खुड्डी की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये ।

252. लूनकरणसर लिफ्ट नहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आए असिंचित ग्रामों को डी-कोलोलाइज घोषित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

253. राजस्थान नहर की लूनकरणसर लिफ्ट नहर के सिंचाई खालों तथा 23 जे०एम०डी० का पुनः निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामबहादुर (भरतपुर) :

254. सिंचाई विभाग की नीति तथा कार्य प्रणाली बहुत पुरानी हो चुकी है, अतः इसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

255. अलवर जिले के बाबरिया बांध की उपराह कई सालों से टूटी होने पर विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

श्री सी० एल० कंवरिया (दूदू) :

256. दूदू क्षेत्र में बिचून बांध का कार्य कराने हेतु चर्चा के लिये ।

257. छापरवाड़ा व कावख सागर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, बजट की मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, जो मांग आयी है राजस्थान के सिंचाई विभाग की, उसमें किसी प्रकार की कोई नयी योजना नहीं बनाई गयी है । राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। आज सिंचाई के अभाव में सारा राजस्थान दुखी है। काश्तकार परेशान हैं। राजस्थान की सम्पूर्ण सिंचाई के लिए 64 प्रतिशत पानी बाहर से आता है ···

(3.46 म.प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, पदासीन ।

··· हम बाहर से आने वाले पानी पर आधारित रहते हैं । हर विधान सभा सत्र में पानी की समस्या को लेकर सरकार पक्ष और विपक्ष सभी मिल कर गम्भीरता-पूर्वक विचार करते रहते हैं । मैं इस समय

(श्री हंसराज शर्मा)

यह भी कहना चाहूंगा, मौजूदा हालात में राजस्थान के अन्दर जो हमें पानी मिल रहा है, उस पानी को प्राप्त करने के लिए हमें साधन जुटाने चाहिए। जितने भी छोटे छोटे नाले हैं जहां पर बरसाती पानी है उन सब नालों को रोक कर पानी का उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से राजस्थान के पास चम्बल, बनास आदि बड़ी नदियां भी हैं लेकिन नदियों का पानी सीमा में होकर बाहर चला जाता है हम देखते रहते हैं और काश्तकार नदी के किनारे प्यासा बैठा रहता है। किन्तु हमारी सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई कि उस पानी का उपयोग पर्याप्त मात्रा में राजस्थान कर सकें। यदि राजस्थान सरकार इस प्रकार की योजना बनाती; जैसे सवाई माधोपुर क्षेत्र में चम्बल नदी है, उसके मध्य में बनास है, एक प्रकार से कई छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन एक प्रकार से पानी को रोक कर काश्तकारों को देने के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी। यदि उस क्षेत्र में बांध बना दिये जायें, सिंचाई की लिफ्ट योजनायें चालू कर दी जायें तो वहां की हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र, जो एक फसली इलाका है, में पानी का अभाव बहुत ज्यादा है, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ फ़ीट गहराई तक काश्तकार जब कुआ खोदता है तो भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। चम्बल नदी में जो पानी बह रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर सिंचाई की लिफ्ट योजनायें चालू कर दी जायें तो उस क्षेत्र का भला हो सकता है। इसी प्रकार बनास नदी हमारे बीच में होकर बहती है। वहां हमेशा जनता की इस प्रकार की मांग रही है कि वहां या तो बांध बनाये जायें या सिंचाई की लिफ्ट योजनायें चालू की जायें। मैंने पूर्व में भी मंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई लिफ्ट योजनायें चालू कर दी जायें। एक ग्वारवा दह है वहां बहुत गहरा पानी है। इसी प्रकार से बनास में चर्णाक्या दह है वहां भी बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी है। इसी प्रकार से चम्बल के रानीपुरम में बहुत, अथाह पानी के भण्डार हैं। यदि वहां भी सिंचाई लिफ्ट योजनायें चालू कर दी जायें तो उस क्षेत्र की हजारों क्यूबिक मीटर जमीन की पिलायी हो सकती है किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर रहा बल्कि मैं यह भी कहना चाहूंगा सिंचाई के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी, आपके पास जो विभाग है, आप बड़े सतर्क हैं, सजग हैं, आप राजस्थान को प्रेरणा भी देते हो, बहुत सी योजना भी लाते हो, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि काश्तकार की सम्पूर्ण समस्या का यदि समाधान करना है, राजस्थान को सफल बनाना है, यहां अच्छी बहबूदी करनी है, काश्तकार को सम्पन्न बनाना है तो परावर्ती प्रान्तों में जिस प्रकार कृषकों को पानी मिल रहा है उसी प्रकार से यदि आपको पानी देना है और काश्तकारों को सम्पन्न बनाना है तो छोटी से और बड़ी सम्पूर्ण जो योजनायें हैं, उनको क्रियान्वित करें, उनमें पैसा लगाये और लोगों को सहयोग देते रहें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात इस समय यह भी कहना चाहूंगा कि आज हमारा राजस्थान है, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो, राजस्थान के चारों कोनों की हम लोग

130

(श्री हंसराज शर्मा)

चपेट में हैं, हर तरफ पानी की डिमांड हो रही है। उसी प्रकार से कोटा के क्षेत्र में भी लोग आज पानी के लिये कहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय कोटा में पानी का बांध बनाया गया, उसके सर्वे के आधार पर उस क्षेत्र में सवाई माधोपुर जिले को भी मान्यता दी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज की तारीख के अन्दर योजना क्रियान्वित नहीं की गई, कोटा से सवाई माधोपुर को पानी देना तो दूर रहा कोटा क्षेत्र को इससे आज पानी नहीं मिल रहा है। हमारा पानी अधिकतर आज हमारे पडोसी प्रान्तों को जा रहा है। इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा पानी मुहैया कराने का प्रयास करें।

इसी अवसर पर मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा हमारे सवाई माधोपुर जिले में एक योजना बनाई गई पांचना प्रोजेक्ट, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पूर्व में भी इस मामले में आपसे कई दफ़ा निवेदन किया था, पांचना प्रोजेक्ट में सरकार का अब तक अनुमानतः सौ करोड़ रुपया लग चुका होगा, 4 वर्ष पूर्व सन् 1980 में जो प्रोजेक्ट तैयार होना था, काश्तकारों को पानी मिलना था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में भी पांचना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। कितना पैसा लगा, राज्य सरकार को कितना खर्च करना पड़ा लेकिन आज की तारीख में वह बांध हमारे राजस्थान की जनता को पानी नहीं दे रहा है। पानी नहीं देने का कारण क्या है? बांध बन गया है तो काश्तकार आज पानी के लिये प्यासा क्यों तरस रहा है? इसके क्या कारण हैं और इसमें किसकी खामी है? इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब यह देखा जाता है कि बांध बनाया जाता है, बांध से पहले उसका बेसमेन्ट तैयार किया जाता है, नालों को रोकने के लिये उसकी कैनालें तैयार की जाती हैं लेकिन, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पांचना प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी योजना है कि जो क्षेत्र की 9,900 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक स्क्वायर मीटर जमीन है उसकी सिंचाई होती रहे। लेकिन आज की तारीख तक उसकी बिल्कुल पिलाई नहीं हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी कैनाल अब तक क्यों नहीं बनी? उसके कारण क्या हैं? बांध बन गया और कैनालें नही जब कि होना यह चाहिये था कि बंध बनाने से पूर्व कैनाल तैयार करते, बेसमेन्ट तैयार करते और ज्यों ही बंध का मैन पोर्शन रोकते, पानी देते और काश्तकारों को पानी मिलता, सरकार को इन्कम होती, राज्य सरकार का जो गल्ले का संकट था वह दूर होता और काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में ही नहीं आने वाले 5 साल में भी पांचना प्रोजेक्ट से पानी देने की स्थिति में नहीं हो। इसका कारण है, मंत्री महोदय, जिस बांध को बनाया गया उसमें टेक्निकल दृष्टि से कुछ खामी है। उन खामियों की वजह से उस बंध का बेस तैयार नहीं किया जा रहा है और कैनाल भी तैयार नहीं की जा रही है। उसके कारण क्या हैं? जिस समय बांध बनाया गया उस समय 2 किलो मीटर करीबन हार्ड सोइल से उसको बनाना था, अधिकारियों ने भी इस पर नोट लगाया है, इन्सपेक्शन

(श्री हंसराज शर्मा)

के समय, उसमें मिट्टी का जो उपयोग किया गया है, मंत्री महोदय, सोफ्ट सोइल का किया गया है और सोफ्ट सोइल, सोफ्ट मिट्टी का पेमेन्ट हार्ड सोइल का किया गया है। मिट्टी जो है आधे किलो मीटर से ली गई है और 2 किलोमीटर का पेमेन्ट किया है। इस प्रकार राजस्थान के जिन कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियन्ता से लेकर एस०ई०, एक्स०ईएन० ने कम से कम 20 लाख रुपये का घोटाला किया है। उस घोटाले से बचने के लिये उस बांध का बेस तैयार नहीं कर रहे हैं। उस बांध के बेस को तैयार कर देंगे, कैनाल को पूरी कर देंगे, पानी आयेगा तो निश्चित है कि बांध फूटेगा और बांध फूटेगा तो उनके काले कारनामे का पर्दाफ़ाश होगा। इसलिये इस बांध की कैनाल को तैयार नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, आज नहीं आने वाले 5 साल में भी आप कैनाल तैयार नहीं कर सकते। जो कैनाल 12-12 किलो मीटर पर महादेव जी के पास जाकर काश्तकारों की जमीन को पानी देती उस जगह पर रेलवे लाइन है। आज की तारीख तक भी आपने रेलवे विभाग से कोई कन्सल्ट नहीं किया, पुलिया नहीं बनी और न आपका रेलवे विभाग से इस बीच कोई सम्पर्क हुआ। तो आप कैनाल कहां ले जायेंगे जब तक कोई रेलवे विभाग से फाइनल डिसीजन नहीं हो जायेगा? रेलवे क्रोसिंग का कोई निर्णय नहीं हो जायेगा, पानी वहां से पास नहीं कर सकते और आप अपने लोगों को सिंचाई के साधन देना चाहते हैं वह सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं दे सकते। इसलिये, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में आप सतर्क हैं, जागरूक हैं, राजस्थान के आप शुभ चिन्तक हैं इस मामले को गम्भीरता से देखें और देखने के बाद लिफ्ट कैनाल तैयार कराने का प्रयास करें।

मंत्री महोदय, आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कैनाल का कोई प्रश्न नहीं है हमारे यहां के अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता ने इसमें और कई लाखों रुपये का घोटाला किया है, इस ओर भी आपको ले जाना चाहूंगा। गत वर्ष मैंने आपसे निवेदन किया था, पांचना बांध का जो काम किया गया था उसकी कैनालें बनाने से पूर्व कर्मचारियों ने एक नयी योजना तैयार की है, उनको कैनाल की कोई चिन्ता नहीं थी, उनको काश्तकारों के पानी की कोई चिन्ता नहीं थी उनको मात्र चिन्ता थी डाक बंगले में एशो-आराम करने की, मकान बनाने की, छोटे छोटे बंगले बनाने की, उनमें फर्नीचर लगाकर रहने की। इस प्रकार से उन्होंने करीबन साढ़े 14 लाख रुपये पांचना प्रोजेक्ट के बजट में से केवल कर्मचारियों के मकान, डाक बंगले में खर्च किये। मैंने गत वर्ष असेम्बली में प्रश्न के माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से पूछा था तब उन्होंने जवाब दिया था कि पांचना प्रोजेक्ट जो बनाया गया है उसमें विधिवत मकान बनाने की हमने स्वीकृति ली थी, बजट में इस प्रकार का प्रावधान था। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई बजट नहीं था केवल कमाने की दृष्टि से, फर्नीचर खरीदने की दृष्टि से उन डाक बंगलों में ऐशो आराम करने की दृष्टि से 14 लाख रुपये का खर्चा किया है वह गलत है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप

(श्री हंसराज शर्मा)

इस मामले की जांच करे। साथ ही साथ जो जमीन खरीदी गई वहां की पंचायत, नगर पालिका में इस प्रकार की कीमत जमीन की नहीं थी लेकिन अधिकारियों ने मिल कर के वहां के लोगों से मिलकर के इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है और राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग किया है।

इसी प्रकार से मैं आपका एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने गत वर्ष आपसे निवेदन किया था कि पांचना प्रोजेक्ट में काम किया गया है उसमें डीजल ग्रोइल और मेन्टीनेन्स की दृष्टि से कितना कितना खर्चा हुआ? असेम्बली में प्रश्न आया और प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने मुझ से कहा कि विधान सभा में डिस्कशन नहीं करें, मैं इसकी जांच करा रहा हूं, मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट पर सरकारी मशीनरी का खर्चा 14 लाख 80 हजार रुपये आया है, डीजल ग्रोइल और मेन्टीनेन्स का आया है और केवल मात्र सरकार को मिला कुल मिला कर 4 लाख रुपये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि आपने जब यह कहा था कि मैं जांच कराऊंगा और दोषी कर्मचारियों को दण्ड दूंगा तो आपने उसमें क्या कार्यवाही की? और नहीं की तो उसके क्या कारण हैं? मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यही नहीं जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधीक्षण अभियन्ता हैं उनके नेतृत्व में यह सारे कारनामे हुए हैं। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा, जब इस प्रकार सरकारी पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ, उस बांध पर जो खर्चा हुआ वह कौनसी स्कीम में भरा, करोड़ों रुपये की सरकारी मशीनें चलीं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रही, उन्होंने कितने लाख रुपये का काम किया। एक कान्ट्रेक्टर काम कर सकता है किराये पर मशीनें लेकर लेकिन सरकारी करोड़ों रुपयों की मशीनें चलीं उनकी टोटल क्वान्टिटी कितनी थी, कब उसका पेमेन्ट हुआ उसका कोई रिकार्ड नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, यही नहीं, मैं आपको दूसरी बात और बताना चाहूंगा। आप आश्चर्य करेंगे, इस बांध का काम कराने के लिये एग्रो इण्डस्ट्रीज से मशीनें लीं, बुलडोजर लिये जब कि स्वयं उनके पास 12 ट्रैक्टर थे, अन्य मशीनें थीं उनका उपयोग किया। वहां के लोगों से ट्रैक्टर लिये उनके टेन्डर नहीं लिये। टेन्डर ही नहीं लिये बल्कि उन ट्रैक्टर्स का उन्होंने 45 हजार रुपया किराया लिया। सरकार ने 45 हजार उनका किराया दिया। सभापति महोदय, 45 हजार रुपये सिंचाई विभाग के लिये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक छोटी सी बात है, आप आश्चर्य करेंगे हमारे अधिकारियों ने एग्रो इण्डस्ट्रीज के बुलडोजर, तमाम मशीनरी किराये पर ली। किराये पर लेने के बाद 45 लाख का सरकार ने किराये का पेमेंट किया। सारी मशीनें कान्ट्रेक्टर्स के यहां से लीं, कान्ट्रेक्टर ने डीजल अपना डाला हमने उससे एक पैसा प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार से जो 45 लाख रुपया एग्रो इण्डस्ट्रीज को किराया दिया वह सरकार ने वहन किया। अधिकारियों और अन्य लोगों ने मिल करके कम से कम इसमें 20 लाख रुपये का घोटाला किया है। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की आप गम्भीरता से जांच करायें। यदि जांच

(133)

(श्री हंसराज शर्मा)

करायेंगे तो निश्चित रूप से दोषी व्यक्ति आपके सामने आयगें। जैसा आपने गत वर्ष भी कहा था कि मैं जांच कराऊंगा, लेकिन अब तक आपने उसमें जांच नहीं करवाई। उसके बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता।

इसी के साथ साथ मेरा निवेदन है, पांचना प्रोजेक्ट पर अन्य कई प्रकार की गलतियां की गई हैं। वहां के अधिकारियों ने पाचना प्रोजेक्ट पर मिट्टी का काम कराया। उसका मोड़ दिया। उसका मोड़ काम देकर केवल मिट्टी की कटाई कराकर कान्ट्रेक्टर लाहोटी को जो उसका पेमेन्ट किया वह सारा फर्जी पेमेन्ट है। उस क्षेत्र कीजमीन का जिनको मुआवजा दिया गया वह मुआवजा देने की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई। अधिकारियों ने वहां के कुछ लोगों से साठ गांठ की और सांठ गांठ करके उसमें लाखों का घोटाला किया। लोगों ने पैसा खाया है इस प्रकार की सरकार को भी शिकायत की है, अन्य कई प्रकार की शिकायतें हैं। सभापति महोदय, यह कोई बड़ी बात नहीं है।

आपको एक बात और बताता हूं, यह जो उसकी 12-13 किलोमीटर की कैनाल है उस कैनाल का जो बोरो एरिया है उस बोरो एरिया के अन्दर जो मिट्टी डाली उसकी डेन्सिटी के आधार पर कान्ट्रेक्टर का पेमेन्ट किया। जो उसका बोरो एरिया था उसके लिए पुनः छोटी सी कैनाल सीपेज का पानी लेने के लिये तैयार की और उसका पेमेन्ट कर दिया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, बांध के बोरो एरिया में जिस मिट्टी का डेन्सिटी के आधार पर पेमेन्ट किया गया उसका पुनः कैनाल में कान्ट्रेक्टर को पेमेन्ट किया गया है जो चार गुना से कम नहीं है। इस प्रकार उन अधिकारियों ने लाखों रुपयों का इसमें गबन किया है, घोटाला किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की विधिवत जांच करायें। यदि जांच करायेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने यह तथ्य आयेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको पांचना के सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहता हूं। वैसे कई मामले हैं। एक नहीं अनेक मामले हैं। पांचना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है,

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

पांचना से हम सम्पन्न होने वाले हैं और हम इस प्रकार की समस्याओं से जूझते रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पांचना प्रोजेक्ट को आप कब तक तैयार कर देंगे? कब तक कैनाल बना देंगे और काश्तकारों को कब तक सहयोग दे देंगे?

चूंकि उधर से घण्टी बजनी प्रारम्भ हो गई है मैं अपनी पूरी बात शायद नहीं कह सकूंगा इसलिए बाकी की बात पर आना चाहता हूं। पांचना के सम्बन्ध में पुनः समय मिलेगा तब आपसे निवेदन करूंगा और बताऊंगा। अभी इतना ही निवेदन करूंगा कि अकेले पाचना पर कम से कम पचास लाख का घोटाला यहां के अधीक्षण अभियन्ता के नेतृत्व में किया गया है। मैं नहीं कह सकता किन-किन का नेतृत्व था, किन-किन की देखरेख में यह सब हुआ लेकिन मैं इसकी जांच की मांग निश्चित रूप से करूंगा।

(134)

(श्री हंसराज शर्मा)

सभापति महोदय, पांचना का प्रश्न तो काफी लम्बा है इसके लिए काफी समय मिलना चाहिए क्योंकि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 12-8-82 को पांचना बांध धसकने का एक वायरलैस मैसेज सरकार के पास आया। आपके पास आया। कलेक्टर ने सूचना दी कि बांध धसक रहा है। पूरे इलाके में आतंक मच गया। गंगा के पानी से आने वाली बाढ़ से बचाने के लिये जो आपने बांध बनाया था उसके टूटने की सूचना कलेक्टर के माध्यम से उस इलाके के लोगों को दी गई, सब जगह दी गई। आतंक मचा वह तो सौभाग्य था उस इलाके का जो बरसात रुक गई। अगर ज्यादा बरसात आती तो निश्चित रूप से बांध टूटता। बांध टूटता तो तबाही होती। तबाही होती और भरतपुर सर्किल के हजारों आदमियों की मृत्यु होती और सारा हाहाकार मचता। उसका सम्पूर्ण दोष राजस्थान के अधिकारियों पर न आकर सिंचाई मंत्री जी के माथे पर कलंक लगता या उनके खाते में मंडता लेकिन सौभाग्य से वह बात दब गई। मैं इसी के साथ साथ आपको दूसरी बात कहना चाहूंगा, हमारे जो अधिकारी हैं वह राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने में बड़े माहिर हैं, उन्होंने बहुत पदक प्राप्त किये हैं, अच्छे काम किये हैं, बंध बनाये हैं लेकिन वेस्ट वीयर नहीं बनाये।

मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, मोरेल बंध का। माननीय मंत्री महोदय, आपने गत वर्ष मुझ से कहा था कि मैंने कमीशन बिठाया है, जांच कमेटी बिठाई है। कौन लोग दोषी हैं, किसकी गलती से यह बांध टूटा है उसके खिलाफ कमीश्न बैठा हुआ है। आपने कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में मैं उससे अवगत कराऊंगा। असेम्बली के ववेश्चन में यह जवाब है। दुर्भाग्य इस बात का है कि या तो कमीशन भूल गया रिपोर्ट देना या माननीय मंत्री महोदय आदेश देना भूल गये। मुझे आशा है, वह इस सन्दर्भ में अपनी बात बतायेंगे। साथ ही, आपका जब बांध टूटा, मोरेल बांध जिस जगह से ब्रीच हुआ, कारण क्या था उसके टूटने का? कारण यह था कि उसकी वेस्टवीयर लम्बी थी, हमारे यहां के जो एक्सपर्ट अधिकारी हैं उन्होंने उसको छोटी कर दिया। पानी ज्यादा आया, पानी नहीं माया और बंध टूट गया। तबाही हो गयी, हर प्रकार का नाश हो गया, जिले का सत्यानाश हो गया। सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। उसका उत्तरदायित्व किसका है? किस की, किस अधिकारी की गलती से वेस्ट वीयर रोकी गई थी? किस अधिकारी की गलती से यह बांध टूटा था? माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकर दुःख होगा कि उसका जो पोर्टन रूट था उसको तो रोका नहीं गया और वेस्ट वीयर रोक दी। रोकने के बाद वस्ट वीयर टूट गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोरेल पर जो वेस्ट वीयर है, उसके टूटने के पहले गत वर्षों में 35 लाख लाख रुपये केवल इस बात के लगा दिये कि वेस्ट वीयर का जिस नाले में पानी डाकता है वह नाला गहरा नहीं हो जाय। सभापतिमहोदय, जिस बंध को रेज करने की बात चल रही है, जिस बंध के लिए विदेशों से पैसा मिलने की बात चल रही है, और जो पैसा मिलता है उसके बंध के वेस्ट वीयर में 35 लाख रुपये लगाकर दुरुपयोग किया गया। उसमें लाखों रुपयों का घोटाला किया है, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस

(श्री हंसराज शर्मा)

मामले की जांच करें। बांध टूटा, बांध टूटने के बाद में माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी सतर्कतापूर्वक, बड़ी जल्दी, बड़ी तेजी से वहां की समस्या को मद्दे नजर रखते हुए बांध को पुनः तैयार कराने का आदेश दिया। मेरा जहां तक सवाल है, करीब एक करोड़ की आपने स्वीकृति दी। माननीय मंत्री महोदय, केवल इस बात की स्वीकृति दी थी कि बांध को तैयार किया जाय, काश्तकारों को पानी मिले और जो हमारे सामने समस्या आयी है उस समस्या का समाधान करें। मैं पूछना चाहूंगा कि बांध पर एक करोड़ की जगह तीन करोड़ का खर्चा किन आधारों पर किया गया है? तीन करोड़ का खर्चा करके बांध को आपने मिट्टी से केवल 9 फीट ऊंचा कर दिया है। माननीय मंत्री महोदय, वेस्ट वीयर की वही हालत है जो आपके पांचना बांध की वेस्ट वीयर की है। वाह रे स्पेशलिस्ट, वाह रे देश के भाग्य विधाताओं, वाह रे कर्मचारियों। सभापति महोदय, यह जानते हैं अगर वेस्ट वीयर को रोक दिया तो पानी ज्यादा आयेगा, मैंने जो मिट्टी डाली है वह निकल जायगी और मेरा भण्डा फोड़ हो जायगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, उन अधिकारियों पर चार्ज लगाना चाहता हूं। जिस समय मिट्टी का टेण्डर दिया गया था उस समय उस बांध पर मिट्टी लाने के लिये, एक चैनल खुदवाने के लिय तीन किलोमीटर लोड की मिट्टी दी गई थी। उसी के आधार पर राजस्थान के जितने ठेकेदार आये उन्होने उसी हार्ड सोइल को उसी मिट्टी को तीन किलोमीटर की दूरी से लाने का टैण्डर दिया। उसी के आधार पर रेट दी। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो पाचना में लाहोटी कान्ट्रेक्टर था उसी से यहां के अधीक्षण अभियन्ता की साठ गांठ हुई, उसको बुलाया उससे कहा, कम रेट पर मिट्टी दो, दो तीन किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, उस अधिकारी से साठ-गांठ करके उस का जो पेमेंट हुआ है उसमें 3 करोड़ का घोटाला है। मिट्टी जितनी दूर से आनी थी, जो चैनल खुदवानी कम्पलसरी थी वह नहीं खुदवायी है। अब भी वह चैनल खुदवानी पड़ेगी, सरकार को उस पर 10 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बांध में से वहाव के साथ बुढ़हली मिट्टी, सोइल आती है, बांध पर सोफ्ट सोइल डला-कर इस प्रकार ठेकेदारों से मिल कर आपकी छत्रछाया में कर्मचारियों ने 20 लाख रुपये का घोटाला किया है। मंत्री महोदय, अगर आप जांच करायेंगे तो आपके सामने यह बात आयेगी। एस्टीमेट बना 3 किलोमीटर दूर से मिट्टी लाने का, बांध में से वहाव के साथ आने वाली सोफ्ट मिट्टी डलवाई और पेमेंट हुआ हार्ड सोइल का। आपको आश्चर्य होगा..

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : एस्टीमेट जिस समय बना उस में कुछ पक्का काम करना था, सैंड कहां की ली? बनास नदी की। जब काम चालू हुआ ठकेदार से मिलकर एक नाले की बजरी उठवाली। जब बजरी उठाना चालू हो गया, ट्रैक्टर लग गए, लोगों को मालूम पड़ा कि बांध टूटेगा तो अधिकारियों का कुछ नहीं होगा लेकिन पुनः हमारी तकदीर फूट जाएगी, उन्होंने शिकायत की। शिकायत करने के बाद में सैकड़ों ट्रैक्टर बालू मिट्टी उठाते पकड़े गए। इसकी शिकायत की गई। अधीक्षण अभियन्ता आदेश करते हैं, क्योंकि वहां की बालू मिट्टी बढ़िया है और बनास की मिट्टी दूर पड़ती है, सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इसलिए इसमें से मिट्टी

(136)

(**श्री हंसराज शर्मा**)

काट कर इसको उपयोग में लेना चहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय एस्टीमेट बनाया उस समय उसकी क्वालिटी को नहीं देखा गया था क्या ? जब घटिया क्वालिटी की मिट्टी पकड़ी गई तब अपने काले कारनामे छिपाने की दृष्टि से यह सब कुछ किया है। इसमें बड़े घोटाले हुए हैं ...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : संक्षप में कह रहा हूं।

एक और है संटोली बांध। संटोली बांध कब बना ? उस पर कितना पैसा लगा ? वह कब टूटा ? सरकार को कब सूचना मिली ? आज की तारीख में उसके पुन:टेंडर लगा दिये गये हैं। जिस संटोली बांध पर 35 लाख रुपए लगाए वह सन् 1981 में टूट चुका था। सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। किसी प्रकार की इन्फार्मेशन नहीं दी गई कि क्यों टूटा ? उसमें क्या हुआ ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो वेस्टवीयर बनाने वाले हैं, जो एस्टीमेट तैयार करने वाले हैं वे स्पेशलिस्ट्स हैं, उनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती है। वह बांध टूटा क्यों ? वह इसलिये टूटा की बांध के नीचे गहराई में जो नाला था वह 20 फीट गहरा था और वेस्टवीयर की बुनियाद खोदी वह 8 फीट गहरी थी। परिणाम यह हुआ, पानी आया, नाला नीचे 20 फीट गहरा था, बुनियाद 8 फीट गहरी थी, बुनियाद पानी के साथ गई, सरकार के 35 लाख रुपए गए। अधिकारियों को इस बात की चिन्ता नहीं है उन्होंने पुन: उसकी स्वीकृति दे दी।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, एक मिनट में समाप्त करें। संक्षेप में कह कर समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : कुछ समय और दें।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : एक मिनट में नहीं हो पाएगा, कुछ समय और दें। मंत्री महोदय चले गए हैं। सवाई माधोपुर में मोरल बांध में जो गर्रा पड़ा जन्माष्टमी के रोज 8-12-82 को वहां से वायरलेस मैसेज आया। कलेक्टर ने वायरलेस मैसेज दिया, अधीक्षण अभियन्ता ने उसको छिपा दिया। वहां एक सहायक अभियन्ता है मिर्गा, उसने रात दिन मेहनत करके उस बांध की मिट्टी में जो नया गरा पड़ा था, उसके लिये रात-दिन लोगों को लगाया और पानी रोका। जब पानी रोक दिया उसके बाद जयपुर से सूचना दी कि उस बंध को खतरा नहीं है। लेकिन उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया कि आपने अच्छा काम किया है, बांध को बचाया है, सुरक्षा की है। यदि ऐसा करते तो उनका भंडाफोड़ हो जाता, सारी बात उखड़ जाती। सारी बात को छिपाने के लिए कलेक्टर को 7 रोज के बाद सूचना दी गई।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ...

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, आपके विभाग से तारीख 29-7-82 को एक आदेश हुआ है, उस आदेश में कुछ अधीक्षण अभियन्ता, कुछ सहायक अभियन्ता व अन्य अधिकारियों को कन्फर्म किया है। सबके

(श्री हंसराज शर्मा)

सामने विभागीय जांच लिखी हुई है। उसमें नोट लगा दिया कि इन कर्मचारियों को परमानेन्ट करने में उपरोक्त जांच किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। उनमें से कई जांच नियम 16 के अन्तर्गत हैं, गबन और घोटाले की। राजस्थान के घोटाले हैं, लोकल घोटाले हैं, सीमेंट के घोटाले के मामले हैं। उन गंभीर जांच से बचाने के लिए 16 आदमियों के लिये नोट बनाया। जिन अधिकारियों ने यह काम किया उन अधिकारियों से 20-20 हजार रुपए खाए हैं, यह मैं चार्ज लगाता हूं।

इतना ही नहीं, आपको जान कर अत्यंत दुःख होगा..

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, बहुत समय आप ले चुके हैं।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं। यहां एक बहुत बड़ा गिरोह है, बटालियन है जैसे जंगलों में गिरोह रहते हैं, उसी प्रकार का एक गिरोह है। आपको जान कर आश्चर्य होगा, राजस्थान में जब जयपुर में बाढ़ आई, तबाही हुई, लोग व्याकुल हुए तब सरकार ने पैसा मांगा, दान आया। भारत सरकार ने पैसा दिया। आपके यहां के अधिकारियों ने क्या किया? उधर गलता में कबाड़ा किया, 20 लाख रुपए खा गए और इधर अमानी शाह के नाले में 20 लाख रुपए खा गए। एक ××× एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें, आप किसी का नाम न लें।

श्री हंसराज शर्मा : मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन एक अधिकारी जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जिसने लाखों रुपए का घोटाला किया है, जिसके खिलाफ सवाई माधोपुर में भी कम से कम 40 ट्रक पट्टियों के फर्जी भेजने का पहले से चार्ज लगा हुआ था, उसने किसी प्रकार की परवाह नहीं की ...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : उसकी चिन्ता नहीं की। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री के संबंधी हैं उनके काले कारनामों के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप किसी का नाम न लीजिए, नियमों का ध्यान रखें।

श्री हंसराज शर्मा : आपकी देख रेख में करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, लोगों को बरबाद कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : बांधों के जो बड़े बड़े दरवाजे खरीदे, बड़े बड़े गेट्स खरीदें वह गेट्स पड़े हुए हैं। उन पर लाखों रुपए के घोटाले का चार्ज है, लाखों रुपए का घोटाला किया है आप उसकी जांच करायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें

श्री हंसराज शर्मा : जो आपका है××× उनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा, 20 लाख रुपए की उनकी कोठी बन रही है। पैसा इकट्ठे कर रहे हैं और हमारे वहां के मोरेल...

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(१२५)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कितनी बार आपको कह दिया कि नाम से मत पुकारो। नियमों की जानकारी होनी चाहिए। एक मिनट शांत रहिये व्यवस्था सुनिए।

माननीय सदस्य ने जो भी नाम लिये हैं वे कार्यवाही से निकाल दिये जायं। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : I am rising on a point of order. आपने जो कार्यवाही से नाम निकालने की व्यवस्था दी है, कौनसे नियम के तहत दी है? कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत किसी का नाम आप कार्यवाही से निकलवा सकते हैं।

श्री सभापति : नियमों में प्रावधान है। नियमों को पढ़िए, उसमें यह है कि जो सज्जन यहां पर उपस्थित नहीं हो सकता उसका नाम नहीं ले सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नियम बताइए, कौनसा नियम है?

श्री सभापति : आपने इसकी सूचना दी?

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : तमाम घोटालों में राजस्थान के सिंचाई मंत्री लिप्त हैं। आप इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि उनका नाम न लें, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनका नाम न लें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, नियमों में ऐसा प्रावधान है कि आपको किसी के खिलाफ कहना है तो..

श्री अनंगकुमार जैन : सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है..

(व्यवधान)

श्री सभापति : जो प्रश्न आपने उठाया है उसके जवाब में ..

श्री अनंगकुमार जैन : इस सिंचाई विभाग में जितने माथुर और सक्सेना लग रहे हैं चीफ मिनस्टर माथुर बनने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है...

श्री सभापति : आप नियमों के अनुसार कार्यवाही करें उसके लिए...

श्री अनंगकुमार जैन : अगर नाम निकाले जायं तो सब जगह सिंचाई मंत्री का नाम लिख दीजिए..

श्री सभापति : नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि इस तरीके से ....

श्री अनंग कुमार जैन : यह प्रावधान नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, गबन करते हैं उनके खिलाफ में कह रहे हैं। जो अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता भ्रष्ट हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। पहले मुझे व्यवस्था देने दीजिये। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

यहां पर माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । नियम 273 के अन्तर्गत यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया है "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके ।"

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, अगर भाषण में नहीं बतायेंगे तो पता कैसे लगेगा ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, श्री हंसराज जी शर्मा, आपने काफी समय ले लिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह कोई वादविवाद का तरीका नहीं है। आप सम्माननीय सदस्य हैं, आप पहले भी इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं । जब माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं तो पहले मैं उनके द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया हुआ है, उस पर व्यवस्था दे दू । आप अगर सहयोग देना चाहते हैं तो बाद में दे सकते हैं जब यह माननीय सदस्य, बैठ जायं। एक मिनट, माननीय सदस्य, आप बैठ जायं । आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य किसी भी अधिकारी पर आरोप लगायें या उस पर दोषारोपण करें तो उसके पहले अध्यक्ष महोदय को और मंत्री जी को सूचना देनी चाहिये ताकि वह तैयार हो सकें। ऐसा अपने नियमों में प्रावधान है इसलिये मैंने आपके पोइन्ट ऑफ आर्डर को निरस्त कर दिया। यह मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय,XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पटवाजी, मैं पहली दफा विधान सभा में चुनकर आया उस समय मैं विधान सभा के नियमों से परिचित नहीं था । लेकिन अब आसन पर बैठने के कारण नियमों का अध्ययन करना पड़ता है इसलिये आपको निवेदन किया है । माननीय सदस्य कृपया, स्थान ग्रहण करें । कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री हंसराज शर्मा, आपको काफी समय हो गया है। आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करें । आधा घण्टे से ज्यादा समय हो गया है आपको ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसको आप सुरक्षित रखें और माननीय अध्यक्ष को बता दें।

श्री सभापति : अब तो मैंने व्यवस्था दे दी है । आप अध्यक्ष महोदय के सामने दुबारा उठावें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। जब भाषण होते

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं उस समय पासिंग रिमार्क किये जाते हैं,यह तो जनरल बात है उसका रिफ्लेक्शन खास नहीं होता है पर जब स्पेसिफिक चार्ज किसी आदमी पर लगाते हैं तो उसके लिये पहले अध्यक्ष महोदय को सूचना देना जरूरी है। इस समय तो जनरल भाषण हो रहा है। रोजाना भाषणों में ऐसी बातें आती रहती हैं, ऐसी तो परम्परा रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। जैसा आपने कहा, इसमें आप किसी का नाम लेकर कहते हैं तो जो मंत्री महोदय संबंधित विभाग के बैठे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए की आप किसके लिये कह रहे हैं ताकि मंत्रीजी, जो सरकार की तरफ से उत्तर देते हैं, उत्तर दे सकें। अन्यथा वह किस तरह से उत्तर देंगे उनको सूचना ही नहीं होगी तो।

माननीय सदस्य, हंसराज जी, अब आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : ठीक है, सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दे दी तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में सिंचाई विभाग में बहुत भारी भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं होगा कि कौन अधिकारी है, तो लिप्त कैसे बतायेंगे ?

श्री सभापति : आप पद से संबोधित करें।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सिंचाई विभाग में जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, टॉप पर अधिकारी बैठे हैं उन लोगों के जयपुर में 20-20 लाख रुपये के बंगले बन रहे हैं। वह बंगले, सभापति महोदय, सरकारी पैसे से बन रहे हैं, उन में सरकारी पैसे का उपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का उपयोग हो रहा है और सरकारी सीमेन्ट का उपयोग हो रहा है। वहां पर सरकारी लोहा काम में आ रहा है। सभापति महोदय, वहां पर जो एक्स.ईएन. हैं, वह लाखों रुपये कमीशन के बनाते हैं। 20 लाख रुपये लगाकर उन्होंने कोठी तैयार करवायी है। सवाई माधोपुर में जो एक्स.ईएन. हैं उनका बंगला जयपुर में बन रहा है। यहां पर पैसा लगा रहे हैं।

श्री भँवरलाल शर्मा (हवा महल) : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : क्या है पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया उस पर आपने व्यवस्था दी है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ में आप व्यक्तिगत चार्ज बिना नोटिस दिये नहीं लगा सकते हैं, उसके लिये पहले आपको नोटिस देना चाहिये, ऐसा अपने नियमों में प्रावधान है, आपने ऐसी व्यवस्था दी है। इसके बावजूद माननीय सदस्य ने कहा कि एक अधिकारी ने 20 लाख रुपये का बंगला जयपुर में बना लिया और इतना बड़ा गबन घोटाला किया है। अब मंत्री महोदय इसका जवाब कैसे देंगे जब तक कि मंत्री महोदय को हम नाम नहीं बतायेंगे, वह किसको पकड़ेंगे और किसी की जांच करेंगे, यह आप बतायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो यह बता दें कि फलां अधिशाषी अभियन्ता ने यह किया है मंत्री महोदय का कम्प्यूटराइज्ड दिमाग अपने आप ही उस जगह सीधा पहुंच जावेगा। सीधा सवाई माधोपुर पहुंच जावेगा।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बंगले क्यों बने हैं? इसका जो कानून है वह, मंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा आप यह बतायें, राजस्थान में कितने एक्स.ई.एन. ऐसे हैं जिनके पास एक भी कोठी नहीं है? माननीय सभापति महोदय, जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके पास तीन-तीन जगह का चार्ज है। वह कहते हैं, एक जगह का पैसा तो आप खा जाओ, दूसरी जगह का ऊपर पहुंचाओ और तीसरी जगह का का जो कमीशन है वह मेरी कोठी के लिये है। एक व्यक्ति तीन-तीन जगह का चार्ज होल्ड कर रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको ऑफिस में बैठा रखा है और एक भी जगह का चार्ज नहीं दे रखा। एक अधिकारी के पास तीन तीन डिवीजन हैं, यही कारण है कि वह व्यक्ति सिंचाई विभाग के ऊपर के अधिकारियों, जो टॉप पर बैठे हैं, के लिये जयपुर में बंगला तैयार करवाता है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब तो समाप्त करिये, माननीय सदस्य। काफी लम्बा समय हो गया है। आपकी बात तो सुरसा के मुंह की तरह फैल रही है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह राजस्थान कैनाल के अन्दर करोड़ों रुपये का घोटाला किया है वहां पर बहुत भारी घपला किया है। इस बारे में पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने कितने लोगों को सस्पेंड किया और कितने लोगों को पदावनत किया? अगर आपने उन लोगों को सस्पेन्ड नहीं किया तो उसके क्या कारण थे, यह भी बतावें। यदि आप चाहें तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि वहां पर एक चीफ इन्जीनियर हैं, कश्यप, माफ करना, सभापति महोदय, मैंने नाम ले लिया, अब नाम नहीं लूंगा। आपको सुन कर आश्चर्य होगा, उनके द्वारा राजस्थान कैनाल के लिये कुछ समय पहले तीस हजार सीमेंट के कट्टे खरीदे गये थे, सीमेन्ट के उन कट्टों की भ्रष्टाचार विभाग के द्वारा जांच की गयी। वह जो सीमेन्ट के कट्टे पकड़े गये वह सारी सीमेन्ट खराब थी। उसकी जांच रिपोर्ट आयी। सारी की सारी खराब सीमेन्ट पकड़ी गयी। उस सीमेन्ट से अगर नहर बनती तो जो पानी आता वह सारा का सारा बह जाता। इस प्रकार लाखों करोड़ों का घोटाला और गबन हुआ है। एन्टी करप्शन विभाग द्वारा कट्टे पकड़े गये लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप कौनसी माला फेर रहे हैं, आप कौनसी कुटिया में बैठे हैं। इसके अलावा

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। अब आपको आगे बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको एक घण्टा हो गया है। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। श्री राजबहादुर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं, आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

(व्यवधान)

(142)

श्री हंसराज शर्मा : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप नियमों का ध्यान रखिये । यह वाद विवाद का कौनसा तरीका है । कृपया स्थान ग्रहण करें । अंकित नहीं हो रहा है ; यह वाद-विवाद का कौनसा तरीका है, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल मीणा : On a point of order सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि इस विधान सभा के सभी सदस्य बोलते हैं और सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार है । हर सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता है लेकिन माननीय सदस्य अकेले बहुत समय ले रहे हैं और बाकी के सदस्यों का समय निकला जा रहा है । समय निर्धारित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री राजबहादुर जी ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग भली प्रकार से समझते हैं कि प्रदेश का भविष्य, आने वाली सन्तति पीढ़ी का भविष्य अगर किसी चीज पर, किसी कार्यक्रम पर निर्भर करता है तो वह है सिंचाई । अगर हमें थोड़ा बहुत भी दायित्व निभाना है आने वाली पीढ़ियों के लिये, निश्चित रूप से जो हमारे बस की बात है तो उसमें कोई कौर कसर बाकी नहीं रहना चाहिये । हमें विरासत में जो प्रदेश मिला है, जहां तक प्राकृतिक साधनों का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत अच्छे नहीं हैं । देश का सबसे बड़ा जोएक मात्र रेगिस्तान है वह हमारे ही प्रदेश में है । यह कहने की बात नहीं कि तीन बटा पांच हिस्सा एरिड और सेमी डेजर्ट नहीं बल्कि सेंडी डेजर्ट से घिरा हुआ है । इसे हम सब लोग जानते हैं । सारे देश का 13.8 प्रतिशत हमारा क्षेत्रफल है लेकिन रेनफाल हमारे यहां एक प्रतिशत होता है । और बात जाने दीजिये, कम से कम नौ जिले ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वहां अगर कुछ मौलिक उपाय नहीं किये गये तो काम नहीं चलेगा । बीकानेर चूरू, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर जालौर और जैसलमेर । इनमें पाली का नाम इसलिए नहीं लिया कि एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है उसमें इन नौ जिलों का नाम खास तौर से आता है । लेकिन वैसे पाली भी डेजर्ट एरिया है, थोड़ा बहुत जयपुर भी है, थोड़ा बहुत टौंक भी है । सब आते है । सवाई माधोपुर भी है । मैं कह रहा था कि जो नौ जिले है इनके बारे में आंकड़े इकट्ठे करने का मुझे मौका मिल गया । टोटल कल्टीविएबल एरिया जो है, जिसमें काश्त हो सकती है वह है 9,66,511 एकड़ । उसमें से इरिगेटेड एरिया 1,38,364 एकड़ है । 1.38 प्रतिशत इरिगेटेड एरिया है । इन नौ जिलो में 1.38 एरिया इरिगेटेड है बाकी इरिगेशन और अन- इरिगेशन में जितना है, 1,38364 एकड़ में से 1,27,364 एकड़ छोटे-मोटे वैल्स के जरिये है । कोई टैंक नहीं । टैंक से या रिजर्वायर से अगर आबपाशी होती है इरिगेशन या सिंचाई होती है तो वह कुल 6 हजार हैक्टेयर में होती है । 6 हजार हैक्टेयर का मतलब 15 हजार एकड़ । तो यह स्थिति मालूम होती है । अब इन जिलों का कोई भविष्य है? मैं बार-बार एम्फेसिस करता हूं, जोर देता हूं वह इसलिए देता हूं कि इन जिलों के प्रति क्या जिम्मेदारी इस सरकार से पहली सरकारों

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री राजबहादुर)

ने निभाया हम या आने वाली सरकार निभाने को तैयार है ? कहां से पानी प्राप्त हो सकता है, कहां से नहीं हो सकता है। मैंने राजस्थान नहर के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया है लेकिन जितना अध्ययन किया है वह इतना तो मुझे जरूर बताता है कि जो फेमिन कास्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, पहले वह बता दूं आपको, 1966-67 से लेकर 1968-70 तक 11 करोड़ 85 लाख का हुआ था। 1969-70 के बाद कितना हुआ है यह आंकड़े मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि औसतन 50करोड़ भी अगर हुआ है तो जब से राजस्थान बना है तब से लेकर अब तक करीब डेढ़ हजार करोड़ या दो हजार करोड़ खर्च हो चुका है। विजिबल असेट्स क्या हैं इसका पता नहीं। असली चीज यह है जब तक पानी नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान कैनाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं बड़ी आशाओं से इस प्लान को बनाया गया था। मुझे के.एल.राव की याद आती है, जब इसका शिलान्यास हो रहा था वह बहुत मायूस थे। वैसे तो और लोग कंवर सैन वगैरह सब थे, के.एल.राव उस समय मंत्री थे,उन्होंने कहा था, "There will be some difficulties in the initial colonisation." Implementation और execution की बात नहीं की। वह तो खैर हो ही जायेगी He took it for granted.

लेकिन उन्होंने कहा, "Some difficulties in the initial colonisation, but in the course of two decades...." यह लगभग 1958 की बात है "...but in the course of two decades, which will be around1990." यह 1970 की बात है। I am sorry, उन्होंने कहा, "...the areas will become as prosperous as Ganganagar."

तो मैं कहता हूं सपना यह था कि जल्दी से जल्दी यह कार्य पूरा हो जायेगा। पहली स्टेज 66 में और दूसरी स्टेज 71 में पूरी होनी थी। यह बार-बार कहा जाता है,मैं इसके बारे में अधिक चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन यह कहना चाहता हूं, अभी पहली स्टेज के बारे में आपने जो अधिकृत रूप से कहा है, मार्च 1984 में खतम करेंगे। जो सैकण्ड स्टेज है...

श्री चन्दनमल बैद (मंत्री राजस्थान नहर): मार्च, 1984 में खतम करेंगे, दूसरी स्टेज। पहली तो प्राय: प्राय: खत्म हो गई है, 99 प्रतिशत बन गई है।

श्री राजबहादुर : प्राय: प्राय: खतम के बावजूद आपकी रिपोर्ट में जो लिखा है मैं तो उसके मुताबिक कह रहा हूं। मार्च, 1984 लिखा है। मार्च 1984 पहली स्टेज, की है। 99 प्रतिशत बन चुकी है लेकिन वन पर्सेन्ट नहीं बनी है। तो वह वन पर्सेन्ट कहा है तो मार्च, 1984 में बनेगी। इसलिये Technically speaking, I am correct दूसरी स्टेज के बारे में जो तखमीना बनाया गया है कि कितना खर्चा होगा। लगभग 320 करोड़ रुपये का तखमीना है, और कितना इस वर्ष का बजट है यह आप ज्यादा जानते होंगे। 1982-83 में 42 करोड़ का बजट राजस्थान नहर पर है। 42 करोड़ में से 7.7 करोड़ तो पहली स्टेज का निकलेगा। इस वर्ष 320 करोड़ के अगेंस्ट 34 करोड़ आप लगायेंगे। कितने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकेंगे? इस संदर्भ में याद आता है, प्रायो-

(श्री राजबहादुर)

रिटी दे रहे हैं.? हमने जो 320 करोड़ रुपया कहीं और खर्च किया है उसको अगर यहां खर्च करते, तो क्या हम अपने इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते थे? मैं बहुत माइल्ड रहूंगा अपने इस क्रिटीसिज्म में। लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपने कहा कि पैसा कुल अल इतना ही है। 1982-83 का आपने बता ही दिया. 83-84 में कितना रखा है, यह खुद आप बतायेंगे अनाउन्स करेंगे। और बजट में भी है।

कोयला और सीमेंट की बात की तरफ आपका ध्यान और दिला देता हूं। आपकी जो 1982-83 की रिपोर्ट पेश की है उसमें से मैं सिर्फ रेलेवेन्ट पढ़ूंगा जो पेज पांच में अन्त में है, परन्तु मार्च, दिसम्बर, 1982 तक स्पेंसरशिप के अन्तर्गत 54 रैक्स में से इस संगठन को केवल 17-½ रैक्स ही प्राप्त हुए हैं। कोयले की उपलब्धि भी संतोषजनक रही है इसके लिये उच्च स्तरीय भारत सरकार से कार्यवाही चालू है। आशा है, इस स्थिति में जल्द सुधार होगा। सीमेंट की उपलब्धि की यह स्थिति असंतोषजनक है। जिसके लिये उच्च स्तरीय भारत सरकार से कार्यवाही चालू है और आशा है कि स्थिति में जल्द सुधार होगा। सीमेंट की उपलब्धि की स्थिति भी असंतोषजनक है। इस वर्ष की कुल 55 हजार मैट्रिक टन की "आवश्यकता के विपरीत इस संगठन को माह दिसम्बर, 1982 तक केवल 26 हजार 142 मैट्रिक टन सीमेंट प्राप्त हुई है।" जो 50 प्रतिशत से भी कम है। शायद तीन महीने में ज्यादा मिल गया हो, 55 हजार से 70 हजार मैट्रिक टन तक पहुंच गया हो लेकिन यह निश्चित बात है कि पैसे की कमी है उसके बाद कोयले की की कमी है, सीमेंट की कमी है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप वक्त भी दें, नहर आपने खुद कहा है कि दूसरी स्टेज को पूरा कर पायेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटरीज को कच्चा रखेंगे। रेगिस्तान में कच्ची डिस्ट्रीब्यूटरी कितना काम करेगी कब तक काम करेगी और कितने दिन टिकेगी यह तो एक प्राब्लमेटिक चीज है? । समस्या कहा जा सकता है इसको। लेकिन यह निश्चित बात है कि जो एक सारा प्रोसेस कमान्ड एरिया डवलपमेंट का होता है, कोलोनाइजेशन से लेकर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तक वगैरह-वगैरह। फिर आशा तो यह की जाती थी, तो हमारा यह स्वप्न था कि नहर के दोनों तरफ अच्छे- अच्छे गांव और कस्बे बसेंगे, हजारों लाखों आदमियों को घर मिलेगा, जमीन मिलेगी। एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटे मोटे उद्योग लगेंगे। वह साकार होना अभी बहुत दूर है। कहां वह स्वप्न साकार होने वाले हैं? मैं मंत्री जी से कहता हूं, रियलिस्टिक जमीन पर आकर बतायें, कितने वर्ष और लगेंगे? मेरा तो अन्दाज यह है कि इस डवलपमेंट के प्रोसेस में कम से कम 10 वर्ष और लगेंगे। 10 साल में आप उस पानी का पूरा उपयोग कर पायेंगे? नहीं कर पायेंगे तो पंजाब क्या करेगा, हरियाणा क्या करेगा। मेरा कहना यह है कि राजस्थान कैनाल कंस्ट्रक्शन हुआ, चाहे राजस्थान ने किया है या बाहर के लोगों ने किया या इंडिया ने किया लेकिन निश्चित बात यह है कि हमारी तरफ से क्या क्या इनिशियेटिव इस ड्यूरेशन में हुए? 1958 से लेकर 83 तक 25 साल हो गये हैं, इन 25 वर्ष में इन कठिनाइयों को पार करने के लिये हमने क्या किया? जो पैसा फेमिन में लगाया था वही लगा देते तो शायद काम हो जाता। आपकी खुद की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति संतोषजनक नहीं लगती।

145

(श्री राजबहादुर)

इन शब्दों के साथ मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जहां तक आगे देखने का सवाल है, कल मेरे एक साथी सदस्य, श्री यदुनाथ सिंह जी ने कहा था कि चाहे वह राजस्थान कैनाल का मामला हो, चाहे वह चम्बल का मामला हो, चाहे वह यमुना का मामला हो, सब में हमारी पहल, हमारा इनीशियेटिव और एक्शन मेरे ख्याल से ना के बराबर है। जैसा मैंने कहा, राजस्थान कैनाल से केवल 1.26 मिलियन हैक्टेयर्स एरिया सैराब होगा. हैक्टेयर्स नहीं शायद एकड़ ही हो। खैर, जो भी है कुल मिलाकर 1.26 मिलियन हैक्टेयर्स एरिया सैराब होगा लेकिन कुल हमारा एरिया है 26.7 मिलियन हैक्टेयर्स और वह भी दो जिलों में है 1.26 मिलियन हैक्टेयर्स बीकानेर और जैसलमेर में है, बाकी जिलों का क्या होगा? मैं यह जानना चाहता हूं, जो मैंने 7 जिलों का नाम लिया था उनका क्या होगा? इन सारी बातों को और यह देखकर कि कोई और श्रोत नहीं है, आपको थोड़ा सा मैं रेफरेंस देना चाहता हूं कि औरों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। गंगा की बात लीजिए, यमुना की बात लीजिए, एक रिपोर्ट श्री मोतीराम जी ने 9-7-73 को दी थी। उस समय श्री शेर सिंह जी कमिश्नर और सैक्रेटरी थे इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में। उनको एप्लीकेशन दी थी उसमें सारे वाकयात लिखे थे। वह लिखते समय उन्होंने कहा था कि गंगा में जो भी पानी है उसकी सब्सिडियरीज कहां कहां से मिली हुई है। हरिद्वार में बताया कि 12.78 मिलियन एकड़ फीट पानी है। 75 पर्सेन्ट डिपेंडेबिलिटी फ्राम जुलाई टू सितम्बर है। 7.12 एम०ए०एफ० है अक्टूबर से जून। नरोरा के भी यही आंकड़े हैं 18.34 एम० ए०एफ० रैनी सीजन और 9.12 एम. ए. एफ. ड्राई सीजन। कुल मिला कर 27.46 डिपेन्डेब्ल होता है डिपेन्डेबल इसमें से 10 से 12 होता है। मिलियन है लेकिन क्लेम क्या है? अब वह क्लेम्स देखिये, लोग और क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यू० पी० के लिए दो कैनाल मौजूद हैं। ईस्टर्न यमुना कैनाल और और आगरा कैनाल। हरियाणा, जो पुराना पंजाब का पार्ट था, के लिए वेस्टर्न यमुना कैनाल है। कुछ वेस्टर्न कैनाल का हिस्सा यू०पी० को रिलीज करता है। लेकिन यू०पी० जो न्यू कैनाल्स बनाना चाहता है उसके लिए देखिये कि क्या उसकी डिमाण्ड है।

ईस्टर्न गंग कैनाल के नाम से है 3200 क्यूसेक्स की कैनाल लेना चाहता है, राइट मध्य कैनाल के नाम से 8000 क्यूसेक्स की और लेफ्ट मध्य कैनाल के नाम से नयी कैनाल 8000 क्यूसेक्स की लेना चाहता है। अपर गंग कैनाल की केपेसिटी 8000 से रेज करके 9200 करना चाहता है। लोअर गंग कैनाल की केपेसिटी जो 6000 क्यूसेक्स है उसको 25,200 करना चाहता है। कुल मिलाकर 14,000 क्यूसेक्स जो आज उनको मिलता है, 6000 और 8000 मिलाकर, इसको 53,000 क्यूसेक्स तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे है, बराबर निरन्तर प्रयत्न जारी है। यूटिलाइजेशन जो हो जायेगा इससे, जो टोटल सप्लाई होती है इससे, 27 मिलियन एकड़ फीट में लेकिन यह 28.3 मिलियन एकड़ फीट में सप्लाई करना चाहते हैं। यह तो उनकी डिमाण्ड्स और नयी स्कीम हैं। और यहां क्या है? इन्टेन्सिटी आफ इर्रिगेशन बढ़ायेंगे। यह नहीं कि वह पहले से है। उनके यहां लाखों ट्यूब वैल्स हैं, ग्राउन्ड वाटर बहुत

(146)

(श्री राजबहादुर)

अच्छा है ,क्वालिटी बहुत अच्छी है। वहां ट्यूब वैल्स हैं, करोड़ों ही वैल्स होंगे। इसके बावजूद उनके यह एफर्ट्स हैं।

हरियाणा ने प्रपोज किया है, यह हमारा नहीं हरियाणा का प्रपोजल है कि वह बिजनोर से 10,000 क्यूसेक्स डिस्चार्ज की कैनाल खोदेगा जो कि 90 दिन काम करेगी और 1.8 मिलियन एकड़ फीट बरसात के पानी को स्टोर करेगी। हमारी तरफ से, मैं फिर कहना चाहता हूं, जो भी कुछ कोशिश हुई वह जो मोतीराम जी, चीफ इंजीनियर थे, और दूसरे चीफ इंजीनियर्स थे उन लोगों ने की। वह यू०पी० के थे। लेकिन उन लोगों के कोशिश करने के बाद कोई परश्यू नहीं किया गया। 1973 के बाद श्री हीरालाल जी देवपुरा इरिगेशन के मंत्री थे और मुख्य मंत्री थे श्री हरिदेव जी जोशी, इन दोनों ने मिल कर लैटर्स लिखे। मैंने उस समय उनको आग्रह किया था। उस समय पंतजी, भारत सरकार में इरिगेशन मिनिस्टर थे, यू०पी० के इरिगेशन मिनिस्टर मि० मोहम्मद अली थे और चीफ मिनिस्टर थे श्री बहुगुणा जी। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि लास्ट लैटर इस सब्जेक्ट पर जो लिखे गये वह लिखे गये, 74 में। उसके बाद में कोई लैटर राजस्थान गवर्नमेन्ट से गया हो तो बता दो। मैंने कल भी यह बात कही थी और आज फिर कहना चाहता हूं। कल जो मैंने पाइन्ट रेज किया था इसीलिए किया था। उन्होंने कहा था, यह तो हुआ है। अगर शिकायत हुई है, साहब, बाई पास हो रहे हैं, आपका हक मारा जा जा रहा है तो आप पहुंच गये और आपने कुछ किया लेकिन अपनी तरफ से किसी मंत्री ने या मख्य मंत्री ने कोई इनीशियेटिव लिया हो और आज तक ले रहे हों तो बता दें। चम्बल का मामला हम खो बैठे इसलिए कि चम्बल थोड़ा दूर है...

श्री कनक राज मेहता (सांचौर): आप तो सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट में हमारे इन्ट्रेस्ट को वाच कर रहे थे।

श्री राजबहादुर : मैं वाच कर रहा था तभी इतना हुआ कि आपकी तरफ से चिट्ठियां चली गयीं वरना चिट्ठियां भी नहीं जातीं आपकी तरफ से तो। मैं वाच कर रहा था तभी मैंने बहुगुणा जी को कहा, तभी मैंने मिनिस्टर मोहम्मद अली को कहा। मैं वाच कर रहा था लेकिन यहां वाच करने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता था ना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया मूल मुद्दे पर आइये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): चिट्ठियां तो आपके पी०ए० ही लिख दिया करते थे।

श्री राजबहादुर : काश आप मेरे पी०ए० हुए होते, आप वह भी नहीं कर पाते...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान उपस्थित मत कीजिए।

श्री राजबहादुर : ...मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कल कई पाइन्ट्स हमारे मंत्री जी ने उठाये थे। उनमें से एक यह था कि जब यमुना के पानी का बटवारा होने लगा और बराबर खाली हरियाणा और यू०पी० वाले कह रहे थे तो मैंने राव वीरेन्द्र सिंह जी को भी चिट्ठी लिखी थी। राव वीरेन्द्र सिंह का जवाब मेरे पास आया था। उसको मैंने कल भी कोट किया। आपको उनका जवाब

(श्री राजबहादुर)

मिला था और आपको कहा गया था हथिनी कुण्ड के बारे में कि कोई बंध बन रहा है उसके बारे में ज्ञात थी जो अखबार में खबर निकली थी वह यमुना के पानी के बंटवारे की थी। अखबार की खबर का मुझसे हैंडिंग सुनना चाहें तो मैं अभी भी सुना दूं आपको "U. P. Haryana meet on Yamuna Water Share"

और हथिनी कुण्ड डैम भी यमुना वाटर से ही बनाया जा रहा था। कोई और परे की चीज नहीं थी। किसी और रिवर पर बनाया जाता शायद, नर्मदा पर, ताप्ती पर, रावी-व्यास पर, तो बात दूसरी है। यमुना का ही पानी हथिनी कुण्ड में जाता। राव वीरेन्द्र सिंह जी ने जो जवाब दिया वह कोई माकूल जवाब नहीं था, इतना ही कह सकता हूं। यमुना के पानी की बात जो न्यूज पेपर्स में आई थी वह वह इस प्रकार आई थी "An official level meeting of the U. P. and Haryana Governments will be held in New Delhi on 13th August to sort out the question of safeguards pertaining to the proposod agreement between the two States on sharing of the Yamuna waters."

अब कौनसा एग्रीमेन्ट है जो आपस में हो गया जिसका हमें पता नहीं है, जिसके हम पार्टी भी नहीं हैं "Chief Minister, Vishwa Nath Pratap Singh, on his return from New Delhi yesterday told the newsmen here that a decision to this effect was taken at the meeting."

इसके जवाब में उन्होंने हथिनी कुण्ड का हवाला देते हुए मुझे लिखा था। मैं तो आग्रह करता हूं। आप खुद अपने पुराने रिकार्ड देख लीजिए, आज तक कोई इनीशियेटिव रावी-व्यास के मामले में, चम्बल के मामले में, यमुना के मामले में, गंगा के मामले में आपकी तरफ से हुआ हो, जब कि आपका चैलेन्ज इतना बड़ा है। चैलेन्ज की कोई इन्तहा नहीं है। इतने बड़े चैलेन्ज को मीट करने के लिए मैं आपसे जो आपका कल का रिमार्क था उसके बारे में कहना चाहता हूं कि टेहरी पर बांध बन रहा है उसके बारे में तो शायद हमारे इन्जीनियर्स ने भी कोई बहुत इन्साफ नहीं किया हम लोगों के साथ। उसके बारे में जो चिट्ठी लिखी, मुझे यही बता दें कि 1974 के बाद कभी कोई आपने पाइन्ट दिया है। अगर नहीं दिया है तो बड़ी मोटी चीज यह है, सभापति महोदय, हरिद्वार से ओखला तक तो इरिगेशन से पानी आ सकता है अपर गंगा कैनाल के जरिये से। मैं कल बता चुका हूं जानी एस्केप है, फिर हिण्डन रिवर है, हिण्डन बैराज है, हिण्डन कट है और ओखला है। कोई भी रुकावट नहीं है। टेहरी बांध का पानी भी इसी प्रकार से आ सकता है, बल्कि अपर गंगा कैनाल की केपेसिटी को बढ़ाने के लिए, टेहरी डैम बन रहा है। टेहरी डैम के जरिये से कोई 140 पर्सेन्ट तो उनकी इरिगेशन की इन्टेन्सिटी हो जायेगी, जिस एरिया में पानी जायेगा। 16.47 लाख एकड़ में एडीशनल इरिगेशन होगा और 3.25 मेगावाट बिजली बनेगी। इसमें से तनिक भी हिस्सा हमारा नहीं है जब कि हम कहते हैं आधा राजस्थान बेसिन है यमुना का। क्यों दिलचस्पी नहीं है? क्योंकि अभी हमारा इन्टीग्रेशन नहीं हुआ है। अभी हम पुरानी रियासतों में बंटे हुए हैं, पुराने रजवाड़ों में बैठे हुए हैं, पुरानी लायलिटीज हैं और कान्स्टीट्यूशन की फिक्र। मैं अपने एरिया की फिक्र करता

(श्री राजबहादुर)

हूं इसलिए शायद उसके लिए कहता हूं। आप अपने एरिया का फिक्र करते हैं। लेकिन इन्टीग्रेटेड आउटलुक है ही नहीं। इसीलिए मैं बराबर चुनौती देता हूं कि आप बताइये तो सही अभी तक नहीं लिया इनीशियेटिव तो अब भी लेंगे या नहीं ? अब भी इस मामले को हाथ से जाने देंगे, जैसे चम्बल का मामला चला गया हमारे हाथ से, यमुना और गंगा का पानी चला गया। इसलिए कहता हूं कि गंगा और यमुना के पानी के बारे में आपने खुद कहा कि उन्होंने कहा, उनकी राय भिन्न है। आपके शब्द यह थे। मैं कहता हूं कि कोई भी राज्य या प्रदेश किसी दूसरे को राजी से पानी दे देता है? क्या रावी-व्यास का पानी राजी से मिल गया, नर्मदा का पानी राजी से मिल गया ? वहां भी आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, वगैरह, वगैरह। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि गंगा यमुना के ऊपर इतना क्लेम हो गया है। अब वही हरियाणा ही 10,000 क्यूसेक्स और मांग रहा है। तो आपके गंगा का पानी भी बंट में नहीं आया, यमुना का पानी भी बंट में नहीं आया। नर्मदा में बहुत थोड़ा सा पानी है उससे होता क्या है। उसके बाद रावी-व्यास का हिस्सा झगड़े में पड़ा रहेगा। तो आखिर भविष्य क्या है हमारा ? इसलिए मैं कहता हूं कि यह ऐसा महकमा है, चाहे राजस्थान कैनाल हो, चाहे ईरिगेशन जनरली हो, हमारे सारे-प्रदेश का भविष्य निर्भर है। जितना इस पर एम्फेसिस दे सकें, जितना ध्यान रख सकें, जितना पैसा निकाल सकें, जितने एफर्ट्स और इनीशियेटिव दे सकें उतने ही कम होंगे। मैं अपने लिए नहीं कहता लेकिन आपके लिए कहना चाहता हूं, आने वाली जनरेशन के लिए कहना चाहता हूं कि कृपा करके जागिये और इनीशियेटिव अपने हाथ में पकड़िये। भगवान कृष्ण ने कुन्ती को कहा था, उन्होंने कुन्ती को भेजा कि भाई परसुएड करो कर्ण को, कर्ण तुम्हारा लड़का है, वह हमारी तरफ से लड़े। राजी करो उसको। तो जब राजी करने गयी कुन्ती, मैं उस सारे विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने एक बात कही, वह बात यह है कि मैं सब आदमियों को जानता हूं, जो पाण्डवों की ओर से हैं। मैंने सब मूर्तियों का खूब मूल्यांकन कर लिया है। एक आदमी का मूल्यांकन नहीं कर पाया हूं। क्यों ? क्योंकि वह भविष्य को तो ऐसे जानता है जैसे कोई उड़ने वाली चिड़िया हवा के वेग को, हवा की दिशा को जानती है और वह व्यक्ति अतीत को ऐसे भूल जाता है जैसे कभी गुजरा न हो, बिलकुल सम्बन्ध काट देता है। जो प्रजेन्ट मूवमेंट्स हैं......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब कृष्ण की जगह आप हैं।

श्री राजबहादुर : मैं वही कहने वाला था अगर मुझे एक मिनट का मौका दें, मैं बात खतम कर रहा हूं अपनी।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक जी से कह रहे हैं।

श्री राजबहादुर : प्रजेन्ट को इस तरह पकड़ लेता है जैसे कि समय कभी कुछ हाथ से जाने नहीं देगा। तो प्रजेन्ट पल को पकड़िये, जो प्रजेन्ट पल है उसको हाथ से मत जाने दीजिये, अतीत को भूल जाइये, मैं भूलने को तैयार हूं, और भविष्य को पहचानिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्राह करता हूं, अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं प्यार के साथ कि आप अपने इस अवसर को पहचानिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : क्यों 4 बजे तक बैठाते हो ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जल्दी कर देंगे।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री दीपेन्द्रसिंह।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, आज यह सदन उस बिन्दू पर विचार करने जा रहा है जिसका महत्व केवल इसलिये नहीं बढ़ जाता कि सिंचाई को छठी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च महत्व दिया गया है अपितु देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के पहले सूत्र के रूप में जिस बात की कामना की गई है वह अधिक सिंचाई और अधिक उपज की है। देश के विकास की गति को तेज करने के लिये देश की प्रधान मंत्री ने बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया है। उसके पहले सूत्र के रूप में अधिक सिंचाई और अधिक उपज को देश की प्रधान मंत्री ने महत्व दिया, निश्चित रूप से उससे इस विभाग की उपयोगिता और सरकार के कार्यकलापों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां का किसान बरसात को भगवान मानता है। पानी का महत्व अपनी जिन्दगी से ज्यादा समझता है। इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, राजस्थान कैनाल के रूप में देश की जनता को राजस्थान की सरकार भेंट करना चाहती है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी योजना है। लेकिन जिस ढिलाई के साथ यह योजना चल रही है, जिस गति से यह सरक रही है निश्चित रूप से वह सोचने का विषय है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट माही प्रोजेक्ट, जो राजस्थान का दूसरे नम्बर का प्रोजेक्ट है, सरकार अपनी सीमाओं में उसको निश्चित रूप से पूरा करना चाहती है लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि राजस्थान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट से आदिवासियों का कायाकल्प होने जा रहा हो, दो हजार भूमि जिस प्रोजेक्ट से सिंचित की जाने वाली हो, जिस प्रोजेक्ट के बनने से बिजली का उत्पादन होने वाला हो, जो प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में उभर कर सामने आने वाला हो, न जाने किन कारणों से दो साल पीछे चल रहा है। मुझे दुःख होता है यह कहते हुए कि राजस्थान के इतने बड़े प्रोजेक्ट पर एक वर्ष तक चीफ इन्जीनियर की पोस्टिंग सरकार नहीं करे, इस प्रकार की हालत जिस विभाग के अन्दर हो, क्या वह राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों के लिए अपने दायित्व को निभा सकेगा ? मैं सवाल करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, बीस सूत्री कार्यक्रम को गति देने के लिये हमारा दल और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्त्ता कटिबद्ध हैं, एक नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं किस प्रकार से उस कार्यक्रम को विफल किया जा रहा है, कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत राजस्थान के अन्दर हरिजनों को नौकरियां का

150

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

लक्ष्य विभिन्न विभागों में रखा गया है। मुझे दुःख होता है यह कहते हुए कि राजस्थान का सिंचाई विभाग क्या आदेश निकालता है। मैं दो कर्मचारियों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, जयपुर से एक आदेश निकलता है। दो कर्मचारी हैं, दो व्यक्ति हैं, दो बेरोजगार युवक हैं जिनको हरिजन होने के नाते राजस्थान के सिंचाई विभाग से नौकरी देने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं। एक है छुट्टनलाल पुत्र लीलाराम और दूसरा है इन्द्रलाल वर्मा पुत्र घोड़ाराम। इनके लिये आदेश में जो लिखा गया है, मैं आदेश पढ़कर नजर करना चाहता हूं।

"श्री इन्द्रलाल वर्मा पुत्र धूड़ाराम, जिनकी जन्म तिथि 18-12-59 है, जो राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग से है, को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतन श्रृंखला इसमें 6 माह के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।"

इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के लिये लिखा है। इसमें नीचे यह भी लिखा गया है, उपरोक्त नियुक्ति अनुसूचित जाति वर्ग के निर्धारित कोटे के अन्तर्गत की गई है। "बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है। यह आदेश 6-11 82 को निकलता है। दूसरे लड़के का आदेश इसी प्रकार की भाषा में 3-11-82 को निकला है। लेकिन, मंत्री महोदय, मुझे दुःख होता है यह कहते हुए कि सौदा कैन्सिल हो जाता है क्योंकि तय की गई रकम अधिकारी के पास नहीं पहुंचती है। उसके बाद 12-11-82 को वह आदेश रद्द कर दिये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौनसे कारण थे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार के हालात जिस विभाग में हों, क्या आप जांच करेंगे, दोषी अधिकारी को दण्ड दिलायेंगे? इस प्रकार के कारनामे बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बाधा हैं क्या उन रोड़ों को आप दूर करेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें रखी हैं। मैं स्पेसिफिक रूप से आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में अब तक यू.एस.एड के माध्यम से, यू.एस.एड द्वारा माडर्नाइजेशन पर 15 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज देश की अखण्डता का सवाल है, राजस्थान के विकास का भी सवाल है, यह 15 करोड़ रुपया जो राजस्थान के ऊपर खर्च हुआ है कहीं इसमें सी.आई.ए. का हाथ तो नहीं है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे प्रोजेक्ट विदेशों को जाते हैं। विदेशों के अधिकारी आकर उनको देखते हैं, उनकी नकल होती है, हमारे अधिकारी उनसे मिले हुए हैं। इस प्रकार की जो कार्यवाही हो रही है, क्या आप उसके लिए सतर्क है? क्या राजस्थान का सी.आई.डी. इस प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान का पैसा जो आप खर्च करने जा रहे हैं, राजस्थान के गरीब का टैक्स के रूप में वसूल किया हुआ खून पसीने का पैसा राजस्थान के विकास पर खर्च करने जा रहे हैं, देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये खर्च करने जा रहे हैं, आपसे प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान की तीन करोड़ जनता आपसे आशा करके चलती है उसकी खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में वसूल

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

की गई गाढ़ी कमाई को, सरकार की इस पूंजी को, जो योजनायें लागू की जा रही हैं उन योजनाओं पर खर्च की जाने वाली पूंजी को आप अधिकारियों के ऐशो आराम के लिये डाक बंगलों पर खर्च न कीजिये। आज का गरीब चाहता है सिंचाई के लिये पानी मिले। आज का किसान चाहता है एक, एक बूंद पानी का उपयोग करने की सुविधायें प्राप्त हों। दूसरी तरफ अधिकारी इस प्रकार की योजनायें प्रस्तुत करते हैं जिनसे उनके लिए अच्छे किस्म के डाक बंगले बनाये जा सकें। एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, जैसी चर्चा चल रही थी करौली के अन्दर चार लाख रुपये का डाक बंगला बनाया गया। मेरा आरोप है कि राजस्थान के जिस डाक बंगले पर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने चार लाख रुपये खर्च किये हैं, उसमें एक लाख रुपये का गबन हुआ है। अधिकारियों की मिली भगत से सामान की पर्चेजिंग में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की गम्भीरी नदी के बारे में अभी चर्चा चल रही थी। पांचना बांध का सवाल आया उसकी अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपया थी जो आज बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 20-30 करोड़ रुपया उसकी लागत हो गई। 6½ करोड़ रुपया राजस्थान की जनता का उस पर खर्च हुआ। मैं आपको निवेदन करूंगा, मैं न्याय की मांग करता हूं, चाहे विधायकों की एक कमेटी बना कर आप जांच करवा लीजिये, चाहे जुडिशियल अधिकारियों के माध्यम से जांच करा लीजिये, चाहे अपने विशेष व्यक्तिगत सोर्सेस से आप जांच करा लीजिये, आपको सुन कर आश्चर्य होगा; 6½ करोड़ में से केवल डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 5 करोड़ रुपया अधिकारी चाट गये। इस प्रकार के घोटाले जहां होते हों, किस प्रकार से जनता को सिंचाई के लिये पानी दिया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बांध बन गया, चाहे कच्ची मिट्टी से बना हो, चाहे पक्की मिट्टी से बना हो, चाहे सख्त मिट्टी से बना हो या पोली मिट्टी से बना हो, आपको आगाह कर देना चाहता हूं, इस सदन को सूचित कर देना चाहता हूं, इस बात की जानकारी देना चाहता हूं, कि वह बांध टूटने वाला है। जिस दिन वह बांध भर गया और टूट गया तो राजस्थान की धरती पर उसके क्या परिणाम होंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिये मैं आपको निवेदन कर दूं, माननीय मंत्री महोदय, बांध भरने के बाद जैनियों का जो देश में महान तीर्थ-स्थल है, महावीरजी, वह बहकर चला जायेगा। राजस्थान के भरतपुर में पानी पहुंचेगा, बयाना में पहुंचेगा, क्या राजस्थान सरकार इस बारे में कुछ सोचती है? क्या अधिकारियों ने इस बारे में सूचना दी है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तथ्य इसलिये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि राजस्थान का सिंचाई विभाग बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य लेकर चलता है, जिसके भरोसे राजस्थान के किसानों को पानी मिलने वाला है, उन किसानों को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपके कन्धों पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सिमडौली बान्ध के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, उन विशेष तथ्यों पर तो आपको नहीं ले जाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के आंकड़े आप तक नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन इतना कह देना मेरा फर्ज समझता हूं कि जिस बान्ध के टूटने की खबर राजस्थान सरकार को नहीं हो उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं और इस

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

सदन को जानकारी करा दूं। सन् 1981 में 140 या 150 के करीब बान्ध टूटे हैं राजस्थान सरकार के पास उन बान्धों के टूटने की सूचना तक नहीं है। जिस बान्ध के टूटने के बाद उसकी जांच होनी चाहिये थी उसकी जांच तक नहीं हुई और राजस्थान सरकार चुपचाप बैठी देखती रही। अधिकारी किसी प्रकार चंगुल में न फंस जायं, अधिकारियों की पोल न खुल जाय इसलिये उस टूटे हुये बान्ध की रिपेयर कराने के लिये, उस बान्ध को ठीक कराने के लिये 20 लाख रुपये के टैण्डर एक प्रताप सिंह नाम के ठेकेदार से मिल कर अफसरों ने छोड़ दिये। मेरा यह चार्ज है, मेरा यह आरोप है कि अधिकारियों ने मिलकर उसमें दो लाख रुपये का कमीशन तय किया है। आप जांच बैठायें, निश्चित रूप से सारे मामले आपके सामने आ जायेंगे। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता लेकिन राजस्थान की तीन करोड़ जनता की खून और पसीने की कमाई खाने में यदि इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, अफसरों को इस प्रकार की खुली छूट दे देंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि एक मित्र बता रहे थे, मोरेल बान्ध की चर्चा कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, तीन किलोमीटर दूर से मिट्टी लाने का ठेका हुआ, मिली भगत करके ठेका कम रेट पर इसलिये तय कर दिया कि प्रस्ताव बिना माने निजी रूप से मिल कर तीन किलोमीटर की बजाय एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर से मिट्टी सप्लाई करने की छूट दे दी गई। सख्त मिट्टी का टैण्डर हुआ और सख्त मिट्टी की जगह बालू मिट्टी सप्लाई कर दी गई। आपको आश्चर्य होगा, आप अपनी जांच रिपोर्ट निकलवा लें, सकी शिकायत हुई है जांच हो चुकी है। मौके पर जांच हुई है, मुझे खुशी है, मैं इस प्रकार के अधिकारियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली है कि जो मि० कौशिक नाम के चीफ इंजीनियर थे उन्होंने जांच की और रिपोर्ट दी कि अब तक जो काम हुआ है, गलत हुआ है, बालू मिट्टी की जगह सख्त मिट्टी से काम होना चाहिये था, बालू मिट्टी का टैण्डर नहीं छूटा, सख्त मिट्टी का टैण्डर छूटा है इसलिये जिस व्यक्ति ने बालू मिट्टी से काम किया है उससे बालू मिट्टी के बजाय सख्त मिट्टी से काम करवाया जाना चाहिये। आपको यह भी तथ्य पता लगेंगे कि जांच के बाद वहां सख्त मिट्टी काम में ली गई है जब कि एक बार सख्त मिट्टी का काम किये जाने का बिल भी पास हो चुका है। दुर्भाग्य यह रहा कि वह व्यक्ति उस पद पर नहीं रहा, दूसरे व्यक्ति उस पद पर आये। मैं नाम लेकर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं फिर वही पुराना ढर्रा चालू हो गया है, सख्त मिट्टी की जगह बालू रेत काम में आने लग गई है, पुराने बिल सख्त मिट्टी के स्थान पर बालू रेत के बनने लग गये। जहां इस प्रकार के हालात हों, जहां इस प्रकार से राजस्थान के पैसों को डुबोया जा रहा हो, जहां इस प्रकार से अन्धे होकर सरकारी अधिकारी लूट मचाते हों तो इस बीस सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र कैसे पूरा होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यू०एस०एड प्रोग्राम के तहत यहां के लोगों को राहत देने के लिये कुछ दूसरे देशों के लोगों ने सहायता देने का प्रोविजन रखा है लेकिन उसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारी अपनी पत्नी और बेटों को लेकर अपने परिवारजनों को लेकर विदेश यात्रा करें। उसका यह तो प्रयोजन

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

नहीं है कि वे विश्व भ्रमण करें । अब विश्व भ्रमण के लिये पैसा भी कहां से आये ? यदि राजस्थान सरकार उसकी व्यवस्था न कर सके तो फर्जी बिल बनाये जायं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक ठेकेदार लाहोटी के नाम से झूठे बिल बनाये गये । साढ़े छः लाख रुपये का मिट्टी की ढुलाई का बिल बना क्योंकि उन अधिकारी महोदय को विदेश यात्रा के लिये साढ़े छः लाख रुपये की आवश्यकता थी । बिल बनने के बाद पेमेन्ट क्यों रुका ? यदि वह बिल सही था तो उसका अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? वह बिल झूठा था इसलिए आज भी रुका पड़ा है । उसका पेमेन्ट आज तक क्यों नहीं हुआ ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस प्रकार के हालात जिस विभाग में हों, उस विभाग के प्रति राजस्थान की जनता क्या सोचेगी ? उस विभाग के प्रति यहां के सदन के माननीय सदस्य क्या सोचेंगे ? उस विभाग के प्रति हमारी आंखें खुली हुई होनी चाहिए, जिस विभाग में आंख मींचकर धान्धली की जा रही हो, जिस विभाग में कोई सुनने वाला नहीं हो, खुले आम भ्रष्टाचार का बोल-बोला हो । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करता लेकिन इतनी चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे मुख से यह बात निकलने के बाद राजस्थान की जनता और माननीय सदस्य इस बात की कल्पना करके चलेंगे कि आप ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दें, आप इन मामलों की जूडिशियल इन्क्वायरी करवायेंगे या सदन के माननीय सदस्यों की समिति बना कर जांच करवायेंगे ताकि सही तथ्य आपके सामने आ सकें और दोषी लोगों को दण्डित किया जा सके और हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम राजस्थान में सही ढंग से लागू किया जा सके ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर में बाढ़ आई, तबाही मची । भाई शिवरामजी कहा करते थे कि इस प्रकार का दृश्य जयपुर की जनता ने न कभी देखा और न कभी इस प्रकार की कल्पना की । एक तरफ जहां लोग बह रहे हों, मर रहे हों, बेघरबार हो गये हों, बह कर चले गये हों, जिनकी लाशों का आज तक पता नहीं लगा, वहां दूसरी तरफ अफसरों के घर में दिवाली मनाई जा रही थी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसी बाढ़ के मामले में, 20 लाख रुपये की खरीद हुई है । मैं टैक्निकल पर्सन नहीं हूं इस मामले में लेकिन मेरे मित्रों का कहना है, आपके कर्मचारियों को जानकारी है और मुझे भी जानकारी मिली है कि 20 लाख तो क्या 10 लाख रुपये का सामान भी वास्तव में नहीं खरीदा गया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी जांच हो चुकी है, मामला ऊपर तक पहुंच चुका है, तथ्य जानकारी में लाये जा चुके हैं लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक दबी पड़ी है । यह जांच मैंने नहीं की है, यह जांच आपके अधिकारियों ने विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ की है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है । आपके विभाग के अधिकारियों की जांच ऊपर के अधिकारियों के पास जाकर रुक जाय, दब जाय तो निश्चित रूप से संशय पैदा होता है ।

इसी प्रकार मैं, माननीय मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, गलता टूटा जो जयपुर में एक धार्मिक स्थान है । लोगों ने उसके लिये आंसू बहाये थे, लोगों के

(154)

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

दिल में दुःख था। लोग यह सोच रहे थे कि धार्मिक स्थान बह गया। दूसरी तरफ एक बान्ध बना। हालांकि हमने उस बान्ध को देखा नहीं क्योंकि वह ऐसी जगह बनाया है जहां राजस्थान का कोई साधारण व्यक्ति जा नहीं सकता, कोई व्यक्ति वहां जाने की सोच नहीं सकता, व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। यहां भी राजस्थान के धन को डुबोया जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, उस गलता के बान्ध में साढ़े छः लाख का ओवर पेमेन्ट हो गया। इस बात की भी शिकायत हुई। जांच के बाद व्यक्ति दोषी पाये गये। दोषी पाये जाने के बाद आज भी वह व्यक्ति जयपुर में ऐश कर रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी वह रिपोर्ट चीफ इंजीनियर के दफ्तर में पड़ी है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ?

सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी आपके सामने रखी है, आपके माध्यम से जो बात सदन के माननीय सदस्यों तक पहुंचाई है, जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप चाहे सी.वी.आई. से जांच करवायें, चाहे जुडिशियल इन्क्वायरी करायें, चाहे सदन के माननीय सदस्यों की समिति बना कर जांच करायें, तीनों में जो बात आपको पसन्द हो, जो बात आपको उचित लगे उस माध्यम से आप जांच करवा लीजिये। एक बार यह भी चर्चा आई थी कि वे मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भी सौंपे जा सकते हैं। सभापति महोदय, जितना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग स्वयं का बजट है उससे बड़ा मोटा घोटाला तो इस विभाग में पहले से ही व्याप्त है। इसलिये मैं आपको ईमानदारी के लिये पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपकी छवि निखर करके सामने आयेगी यदि ऐसे दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए जांच कमेटी बनाने की इस सदन में घोषणा करेंगे।

जो समय आपने दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भैरूलाल। माननीय सदस्य, संक्षेप में कहेंगे।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): सभापति महोदय, पार्टीवाइज नम्बर आना चाहिये।

श्री सभापति: आपको आसन पर विश्वास होना चाहिये। विपक्ष के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। एक सत्ता पक्ष की तरफ से बोले हैं। देखिये, 25-30 आदमियों की लिस्ट है, कैसे पूरी होगी?

माननीय सदस्य, भाषण प्रारम्भ करिये।

एक माननीय सदस्य: सत्ता दल में जो विपक्षी दल है उनका?

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, सिंचाई पर चर्चा चल रही है। 1983-84 के बजट में सिंचाई पर 91.70 करोड़ खर्चा करने का जो प्रावधान रखा गया है उसमें से 50 करोड़ तो राजस्थान नहर पर और 5.88 करोड़ माही डैम पर खर्च करने का प्रावधान रखा है। बाकी बचता है 35.82 करोड़ रुपया, बड़े प्रोजेक्ट के लिये जो पैसा सैंक्शन किया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो बचा हुआ 35 करोड़ रुपया है, मैं मांग करूंगा, उसमें से कुछ पैसा उदयपुर जिले के लिये दिया जाय। हिन्दुस्तान आजाद हुआ उसके पहले से झीलें उदय

(श्री भेरूलाल मीणा)

पुर में बनी हुई है। जय समन्द झील है, पिछौला झील है, फतेहसागर व उदयसागर झील है वे सब महाराणा के टाइम की बनी हुई हैं। आजादी के बाद मेरे ख्याल से कोई बान्ध उदयपुर में नहीं बान्धा गया है इसलिये सिंचाई की सुविधा से उदयपुर जिला वंचित रहा है। उस आदिवासी क्षेत्र में पानी की समस्या है। उसे इतने वर्षों से सिंचाई की सुविधा से वंचित रखा गया है इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस बजट में बचे हुए पैसे को उस जिले में लगाया जाय और पहाड़ी क्षेत्रों से बहने वाले पानी को रोका जाय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उदयपुर जिले में सोम कागदर बान्ध बान्धा जा रहा है और सलूम्बर में भी बान्ध बान्धा जा रहा है किन्तु गिरवा, गोगुन्दा, कोटड़ा, झाड़ोल आदि इन तहसीलों में कोई ऐसा बान्ध नहीं है जिससे उन क्षेत्रों के लोगों को सिंचाई एवं अकाल के समय में पानी की सुविधा मिल सके। अभी तो कोई ऐसा बान्ध नहीं बान्धा गया है।

जनजाति उप योजना के तहत काफी पैसा उस क्षेत्र में खर्च किया जाता है किन्तु अफसोस की बात है, उस पैसे में से दूसरे क्षेत्रों में भी पैसा खर्चा किया जाता है। मैं उसका विरोध नहीं करता, खर्चा होना चाहिए सरकार का पैसा है। लेकिन किसी विशेष वर्ग के नाम से या पिछड़े वर्ग के नाम से जो पैसा आता है और जिस क्षेत्र के लिए आता है, वह पैसा उस क्षेत्र में खर्च नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सुबह भी मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसके पूर्व भी इसी विधान सभा में दो प्रश्न पूछे थे, जनजाति विकास विभाग मंत्री से। जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव में गोज्या नाम का तालाब है उस तालाब पर कितना खर्चा हुआ, यह प्रश्न मैंने पूछा। उसका मुझे जवाब मिला कि जनजाति विकास विभाग द्वारा यह तालाब बनवाया गया है। ऐसा जवाब मिला। दूसरा प्रश्न पूछा, उसका जवाब मिला कि इसके ऊपर हमने 50 हजार रुपये खर्चा किया है मरम्मत के तौर पर और 16 आदिवासी परिवार इसके पानी से लाभ उठाते हैं। उस तालाब के अन्दर आज अनाज है, गेहूं पके हुए हैं। उस तालाब के लिये तो शायद उन्होंने गलती की होगी या किसी तरह से प्रश्न का जवाब दिया होगा, उससे अन्दर वालों को या बाहर वालों को लाभ मिला होगा लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मिला है, बोरी कुआ नाम है। तो इस प्रकार से यहां घपले होते हैं। जैसा मेरे पूर्व काफी सदस्य कुछ बातें कह रहे थे, वे कुछ हद तक सही हैं। डिपार्टमेन्ट क्या करता है और मंत्री महोदय क्या जवाब देते हैं। मौके पर क्या हो रहा है, यह आपको कुछ मालूम नहीं है। हम जो उस क्षेत्र से आते हैं, हमें कहा जाता है कि जनजाति उपयोजना के बारे में आप अपने सुझाव दो, आपके सुझावों को महत्व दिया जायेगा। आप जो सुझाव देंगे उसके अनुरूप काम होंगे। इस विधान सभा में आने के बाद मुझे शायद 1-2 बार मीटिंग में जाने का मौका मिला। उदयपुर से आने वाले सभी विधायकों ने सुझाव दिया होगा कि अधिक से अधिक पैसा सिंचाई के ऊपर खर्च किया जाय, उन पैसों से आगे जाकर लाभ होगा। किन्तु आज तक उस पर कतई ध्यान नहीं दिया गया, जो मर्जी आयी वह योजना बना दी। जब हम प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब मिलता है, जी नहीं।

सभापति महोदय, उदयपुर जिले में पानी के अभाव के कारण आदिवासी किस तरह से अकाल का सामना करते हैं। लकड़ी

(श्री मंहलाल मीणा)

और कोयले बेचकर व अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, । हम उनको बार बार कहते हैं भई, लकड़ी मत काटो जंगल मत काटो, यह अच्छा नहीं है, अपने लिए लाभ नहीं होगा। वह हमको जवाब देते हैं, हमारे पास मजदूरी नहीं है, हमारे पास पानी की सुविधा नहीं होने के कारण हम खेती सही ढंग से नहीं कर पाते । सभापति महोदय, जहां जहां पानी बहकर चला जाता है , वहां वहां स्थिति के अनुसार जो भी छोटे बड़े बांध बांधे जाय और उस पानी को रोका जाय तो जरूर उन आदिवासियों को , उस क्षेत्र के रहने वालों को पानी की सुविधा मिल जायगी । इससे वे कृषि के धन्धे में लग जायेंगे और जंगल नहीं काटेंगे, इस प्रकार जंगल की भी रक्षा होगी। पानी के अभाव के कारण, सभापति महोदय, पानी की कमी के कारण जिला उदयपुर के निवासियों का भविष्य अन्धकारमय हो सकता है। जैसी आज ही सुबह इस विधान सभा में घोषणा की गयी थी मुख्य मंत्रीजी द्वारा कि सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चित्तौड़ में लगेगा । भारत के विशेषज्ञों और हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों के दिमाग में यह बात थी कि उदयपुर जिले में पानी नहीं मिलेगा। मूल कारण यही था, पानी नहीं होने के कारण वह प्लांट चित्तौड़ में लगाने का निश्चय किया गया। इसी प्रकार आगे के लिये भी मुझे कहना पड़ेगा, भविष्य में कोई भी उद्योगपति उदयपुर में आयेगा तो वह पानी के बिना उद्योग नहीं लगायेगा, बहाना दूसरा बनायेगा । लेकिन पानी जहां होगा वहां उद्योग जरूर लगेंगे। यह बात सामने है कि यदि उदयपुर जिले में पानी की व्यवस्था नहीं की गयी तो उदयपुर के नागरिकों को, उदयपुर जिले को अन्धकार में रहना पड़ेगा, उनका भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा। इसी बात को ध्यान में रख कर स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने देवास योजना बनाई थी। उसका एक ही चरण पूरा हुआ, उसके पश्चात् उस कार्य, उस योजना को बन्द सा कर दिया । मैंने इसी विधान सभा में प्रश्न उठाया, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस पर काफी चर्चा की । वर्तमान मुख्य मंत्री जी, माथुर साहब उदयपुर कृषि उपज मण्डी समिति का उद्घाटन करने पधारे थे, उस समारोह में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि देवास योजना पूरी की जायेगी, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी मोहनलाल जी सुखाड़िया को। जो योजना उन्होंने बनायी है, वह पूरी होगी। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इसके लिए उस देवास अथवा वाकल योजना को पूर्ण किया जाय जिससे उदयपुर जिले को पानी की सुविधा हो । सभापति महोदय, जैसा आपको मैंने पूर्व में उदयपुर जिला, खास करके उसकी तहसील गिरवा, झाड़ोल, कोटड़ा, गोगुन्दा, सराड़ा, सलूम्बर के बारे में निवेदन किया । खैरवाड़ा में सोम कागदर बांध बनाया जा रहा है, उसका नाम लेते ही जवाब मुझे मिल जायेगा इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इन तहसीलों में आज तक कोई नया काम नहीं हुआ है। मैं मांग करूंगा कि इन तहसीलों के अन्दर जो भी सिंचाई सम्बन्धी पानी के स्रोत हैं उनको विकसित किया जाय। पानी बहता है, वर्षा होते ही पानी बह कर चला जाता है उस पानी को रोका जाय।

दूसरा विषय आज है नहीं, खास करके सिंचाई पर चर्चा चल रही है इसलिये अन्त में, मैं यही कहता हुआ मेरी बात समाप्त करूंगा

(श्री भैरूंलाल मीणा)

रहे कि आप मेरे क्षेत्र, मेरी तहसील की ओर जरूर ध्यान दें। जो काम चला है, इस वक्त छोटे बांध में बारापाल का काम चल रहा है, सरों, काया का काम चल रहा है। इसी प्रकार उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 2-4 एनीकट, तालाबों का काम चल रहा है। मैंने जैसी जानकारी ली उसके अनुसार अकाल के तहत वह काम चल रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अकाल के पैसे कम हो जायं, अकाल का कार्य खतम हो जाय और वह काम भी अधूरे रह जायें। पिछले साल बारापाल का जो तालाब है उसकी नींव खुदी, उसके बाद उस काम को बन्द कर दिया गया। काम बन्द करने के कारण वह जो नींव खुदी थी वह भर गयी। अब फिर उस काम को चालू किया है। ऐसा नहीं हो कि हर साल नींव खुदती रहें, और हर साल नींव भरती रहे और हमको आश्वासन दिया जाय कि आपके क्षेत्र में काम चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे काम जो चल रहे हैं उनको पूरा किया जाय। योजनाबद्ध तरीके से उस क्षेत्र का सर्वे कराया जाय। जहां जहां बांध बनाये जा सकें, वहां का सर्वे करके बाकी बचे हुए पैसे को उस क्षेत्र में लगाया जाय। मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भूपालसिंह।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मैं चित्तौड़ जिले के विषय में अर्ज कर रहा हूं। चित्तौड़ जिला उपज की दृष्टि से राजस्थान के जिलों में है लेकिन इस पर, खासकर निम्बाहेड़ा पर हमेशा से राजस्थान सरकार की नजर कड़ी रही है। चित्तौड़ जिले का आज दिन तक कोई मिनिस्टर बना नहीं। कोई सुनवाई नहीं। मध्य प्रदेश से लगता हुआ सारा जिला है। सारा पानी बह कर मध्य प्रदेश में जाता है और हम बैठे बैठे देखते हैं। वहां के किसान और हमारे किसान मिले हुए हैं। वह कहते हैं कि हमारे चौबीस घण्टे बिजली जलती है और हम कहते है कि हमारे तो तीन घण्टे ही नहीं चलती है। सभापति महोदय, अभी तो तीन दिन से बिजली ही नहीं है। अब लोग ऐसी चर्चा करने लगे हैं कि इस जिले को अगर मध्य प्रदेश में मिला देते तो ज्यादा अच्छा होता बनिस्पत इसके कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इतने भावुक मत होइये।

श्री भूपाल सिंह : ऐसा नहीं है। मैं सही स्थिति अर्ज कर रहा हूं। मैं नजीर के तौर पर अर्ज करता हूं। एक योजना बनी तालाब बनाने की। वह सब रिपोर्ट्स आई। कनेडा की योजना को सरकार ने फायदेमन्द बताया। फायदे की योजना होते हुए उस बांध की योजना के लिए यह कह दिया गया कि इसका पानी मध्य प्रदेश में जाता है फलां तालाब में, इसलिए यह बांध नहीं बन सकता। आज हमने सुना, चाहे वह 124 कहो, चाहे 144 कहो, चाहे 194, कही वह बांध बन गए। हमारे यहां के लिए क्या कहते हैं ? मेरे पास फाइल मौजूद है ये सब आंकड़े मौजूद हैं। उस योजना को फायदेमन्द बताया है। यह जगह है कनेडा के अन्दर। कनेडा में लक्ष्मीपुरा, अजोता, धारेश्वर आदि गांवों में तालाब बनाने की योजना थी जो प्रोफिटेबल थी उसको रोक दिया गया। दूसरा इसी तरह, बाडी के अन्दर मानसरोवर के नाम से पुकारा जाने वाला बहुत बरसों पुराना एक तालाब था। उस तालाब की पाल बहुत ऊंची बनी हुई थी। मैं भी उसको देखने गया। मैं देखने लगा तो

(158)

(श्री भूपालसिंह)

ऐसा लगा कि मेरी पगड़ी नीचे आ जायेगी। पत्थर की पक्की पाल थी लेकिन अतिवृष्टि या बिजली गिरने या किसी कारण से कभी वह टूट गयी थी। थोड़ा सा उसका हिस्सा कट जाने से उस तालाब का पानी वह कर बाहर जा रहा है। बरसों से जा रहा है और आज भी जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में उसका नाम देखा था कि मान सरोवर पर बाडी में बांध बन रहा है तो हमें भी बड़ी खुशी हुई। उस बांध के बन जाने से सिंचाई तो होगी ही, साथ ही साथ करीब दो सौ गांव के कुओं में पानी की इफरात होगी। लेकिन उस बांध को बनाया नहीं जा रहा है। उसके कागज आज पांच वर्षों से बन रहे हैं। कभी वहां खड्डे खोदते हैं, कभी ट्रायल करते हैं, कभी कहते हैं कि पूरी पाल नई बनेगी ताकि वह पत्थर मेटिरियल काम में आ जावें और डबल पैसा आ जाय। ईश्वर जाने क्या मर्ज है, क्या कुछ है हमको तो पता नहीं। सभापति महोदय, अगर वह पुराना टूटा हुआ बांध बन जावे तो वहां काफी नहरें चल सकती हैं। निम्बाहेडा के अन्दर और उसके पास चित्तौड़ तहसील के करीब दो सौ गांवों में कुओं में पानी की डिफिकल्टी है। जो कुएं चौबीस घण्टे चलते थे आज वें दो घण्टे नहीं चल रहे हैं केवल इसलिए कि वहां कोई बांध नहीं है, पानी की रुकावट नहीं है। जितना पानी आता है वह बह कर चला जाता है। पानी की रुकावट नहीं होगी तो कुओं में पानी कहां से आएगा। खेतों की तादाद डबल हो गई है इसलिए जब तक हम जगह जगह ऐसे बांध नहीं बनायेंगे जिससे सिंचाई हो, नहरें चलें, कुओं में भी इफरात हो तब तक खेती नहीं बढ़ेगी। केवल एक बांध बना गम्भीरी नदी पर जिसमें 13 गांव निम्बाहेडा कांस्टीट्यूएंसी के डूबे लेकिन उसका पानी जाता है चित्तौड़ तहसील में। कसम खाने के लिए दो चार गांव, जो उसके नीचे सीपेज में आते हैं, को रख दिया गया। सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक पडेरिया बांध है जो आदिवासी इलाका छोटी सादड़ी के अन्दर है। वहां धोलापाणी से एक नदी चली है। कोई गांव उसमें नहीं डूबता। आदिवासी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के बीच में होकर नदी निकलती है, कहीं भी उसको छोटी जगह देखकर बांधा जा सकता है। आज कोई ऐसी इमारत नहीं है, इतना बड़ा पेटा नहीं है जिसके नीचे जमीन होगी वह सरसब्ज होगी और पानी पीयेगी। उस बांध को बनाया जावे तो वहां बिजली तक पैदा की जा सकती है लेकिन कुछ उस क्षेत्र पर ही नाराजगी है। हालांकि मैं तो विरोध पक्ष में अब की बार से आया हूं लेकिन 15 वर्षों से तो उस क्षेत्र में कांग्रेस थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने भारत सरकार के सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि अब मध्यम और छोटी सिंचाई की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री भूपालसिंह : अरे, तो हम उसी के लिए तो कह रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि बहुत बड़ी योजना बनाओ। टूटे हुए बांध के बारे में कह रहा हूं। छोटे तालाब के लिए कह रहा हूं। जगह जगह पानी रोक दें, यही तो अर्ज कर रहा हूं। ऐसी सैकड़ों जगह हैं। एक पाणगढ़ खंडेला के ऊपर तालाब है जो पानी से भरा रहता था। वहां अगर यह व्यवस्था कर दी जावे, पानी लिफ्ट करके नहरें चलाई जावें तो कम से कम दो हजार एकड़ जमीन वहां पानी पी सकती है। कनेड़ा में बीस फीट नीचे जाने के बाद इतना सख्त पत्थर आ गया है कि वहां कुआं खोदना ही

(श्री भूपालसिंह)

मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं। उस तालाब से लिफ्ट के द्वारा पानी दिया जा सकता है लेकिन उस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारे यहां कोई मिनिस्टर नहीं है इसलिए हमारी बात यहां कोई सुनने वाला नहीं है। अब किसको कहें और कौन सुने। हमारे यहां से पहले के जो एम.एल.ए. साहब थे वे खेती के एक्सपर्ट थे नहीं। किसानों की तकलीफ उनको थी नहीं वे व्यापारी थे।

(व्यवधान)

यह तो एक प्रथा बन गई है, हुकुम, जैसे राजस्थान के अन्दर कडाणा बांध बना, गांव तो डूबे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के और पानी मिल रहा है गुजरात को। इधर देखें तो यह भी चिल्ला रहे थे कि मध्य प्रदेश में पानी देंगे। डुबाये तो हमारे गांव चित्तौड़ जिले के और बिजली वह देवे नहीं, पानी भी नहीं देवें। हमको कुछ मिलता नहीं। चित्तौड़गढ़ वालों ने जो गांव डूब में आए उनके लोगों को बसाया, हमारे साथ एडजस्ट किया। अब हम बैठे बैठे देख रहे हैं हमारे यहां तो बिजली है नहीं। आप शहरों में जावें, ऐसे कई गांव हैं जिनके चौतरफ बिजली है। बीच बीच में गांव छोड़ दिये गये जिनमें मामूली खर्चे से इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता। खैर, बिजली की मांग तो यह नहीं है, यह तो वैसे ही अर्ज कर रहा हूं।

सभापति महोदय, अब कोई किसान को कहे कि तू छोटा बांध बंधा, तो किसान को इस काबिल नहीं रखा कि वह अपना कुछ छोटा मोटा बांध तलाई बना सके। उसको सीलिंग कानून ने इतना घेर लिया है कि बेचारे की हैसियत ही नहीं रही। कुएं खोदे तो भी उसको बैंक के पास जाना पड़ता है। एक सीलिंग कानून था फिर दूसरा चला। दो कानून साथ-साथ चल रहे हैं। केस चल रहे हैं। अब तय हो, मत हो लेकिन खाम्रो डण्डे। कैसे वह आदमी तरक्की करे। यानि किसानों को हर तरह से दबाया जा रहा है। हमारे सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर, सब के सब किसानों के रक्षक जो मिनिस्टर हैं उनका फर्ज यह है कि हमारी पुकार सुनें। ये तो डाक बंगलों में रहते हैं और हम गांवों में रहते हैं, कभी पधारना होता है तो माला लेकर हम हाजिर हो जाते हैं, लेकिन ये यहां तक आते हैं तब तक सारी बात भूल जाते हैं।

श्री सभापति : सिंचाई मंत्री के लिए यह नहीं कह सकते आप।

श्री भूपालसिंह : इसलिए उम्मीद कर रहा हूं और अर्ज कर रहा हूं। बिजली के लिए मेरा एक अर्ज करना है। हमारे विद्युत मिनिस्टर हमारे रक्षक हैं, उनका फर्ज है कि बड़े कारखानों को जब पचास पर्सेन्ट सब्सिडी जनरेटर लगाने के लिये सरकार देती है तो उनको कहे कि वे अपना जनरेटर लगाये। एक बड़े कारखाने को बिजली नहीं देने से एक पूरे एरिया को बिजली मिल सकती है। कारखाने वालों की करोड़ों रुपयों की कमाई होती है वह जनरेटर से काम कर सकते हैं लेकिन किसी ने जनरेटर नहीं लगा रखे हैं। आपके एक नहीं दस बीस पचास कारखाने होंगे जिनको जनरेटर लगाने के बिल पचास प्रतिशत सब्सिडी दी है। आप किसी किसान को तो सब्सिडी देते नहीं हैं, आठ बीघा, ढाई बीघा तीन बीघा से नीचे जिसके पास जमीन हो उसी को देते हैं लेकिन उन करोड़पतियों को पचास पर्सेन्ट सब्सिडी देंगे ही। जब पचास पर्सेन्ट सब्सिडी देते हैं तो वह अपने जनरेटर से काम क्यों नहीं चलाता?

(160)

(श्री भूपालसिंह)

फिर यह संकट अचानक नहीं आया है। बिजली की कमी पिछले तीन वर्षों से है। अगर आज ही अचानक बिजली बन्द हो गई हो तब तो वे कह भी सकते हैं कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। आपने नोटिस दे रखा है। पचास पर्सेन्ट उसमें उनको सब्सिडी देते हैं फिर वे जनरेटर क्यों नहीं लगा सकते। क्या किसान जनरेटर लगा सकता है ?

मैं अर्ज करूंगा, उन कारखाने वालों को मजबूर किया जाय ताकि देश का उत्पादन भी बढ़े, सरकारी टैक्स आये। अगर किसानों की कमर तोड़ दी गई तो किसान बरबाद हो जायेंगे और उसका कुछ होगा नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, मुझे शर्म नहीं आती है, अगर गरीब किसान और मजदूर की तरफ इन सब लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन वह आ सकता है कि जो आज हम यहां दो आदमी बैठते हैं। उस दिन उस के बजाय दो सौ बैठें। अगर इसको रोकना है तो गरीब किसान और मजदूर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसलिये थोड़ा ही बोलता हूं ज्यादा समय नहीं लेता। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 के बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले सिंचाई विभाग के माध्यम से जो रिपोर्ट माही परियोजना की पेश की गई है उस संबंध में कहना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले में कई सालों से माही परियोजना का काम चालू है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जून, 1983 में माही बांध का काम पूरा हो जायगा। जब जून, 83 में माही बांध का काम पूरा हो जायगा तो अगले साल वहां के काश्तकारों को पानी मिल जायगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल में 6 महीने बांध में पानी रोकने का इंतजाम कर लिया है तो जो लोग माही डैम में डूब में आने से विस्थापित हुए हैं और विस्थापित हो रहे हैं उन लोगों के संबंध में आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि 80,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी और 25 हजार मजदूर काम करेंगे और 140 मेगावाट बिजली पैदा होगी– ठीक। राज्य सरकार ने अपना फायदा देखा बाकी दूसरा जो नुकसान होने वाला है, जिन काश्तकारों को वहां से हटाया गया, जिन काश्तकारों को भूमि नहीं दी गई, जिन काश्तकारों को सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला उनके लिये आपने क्या सोचा ? मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने यह बताया है, 34,000 एकड़ भूमि डूब में आयेगी काश्त की और 7,000 परिवार प्रभावित होंगे। उन सात हजार परिवारों के लिये राज्य सरकार ने माही पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने क्या व्यवस्था की है, मैं यह जानना चाहूंगा। आज दिन तक उन आदिवासी गरीब परिवारों को न तो जमीन दी है, न पूरा मुआवजा दिया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, मेन डैम जहां बना है उस गांव का नाम बोरखेड़ा है। आमलीपारा चीम और रामगढ़ यह नजदीक के गांव हैं जहां मेन डैम बना है। जब इन लोगों को मुआवजा दिया गया उस समय एक बीघा का दो सौ रुपये से बढ़ाकर तीन

(श्री भूपालसिंह)

सौ रुपया पर बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया। उन लोगों को यह कहा गया कि मुआवजे की रेट अभी तय नहीं हुई है, जिले के जिलाधीश और एस.डी.एम दोनों बैठेंगे, जो पुरानी रजिस्ट्रियों के हिसाब से जमीन की जो वेल्यू है, जो कीमत है सारी देख भाल करके मुआवजा तय करेंगे वही दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, उस समय वकील लोग जो रजिस्ट्रियां करते थे, स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिये बांसवाड़ा की जमीन की कीमत कम आंकते थे ताकि काश्तकारों का, लेने और देने वाले दोनों का खर्चा कम बैठे। उन पुरानी रजिस्ट्रियों के हिसाब से जिलाधीश और एस.डी.एम. ने वहां की रेट तय की। रेट तय करने के बाद गांव वालों को दो सौ और तीन सौ रुपया पर बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया और कहा यह गया कि जब माही परियोजना के लिए नियम बनाये जायेंगे, जो राज्य सरकार के माध्यम से रेट्स तय होंगी उनके मुताबिक आपका जो डिफरेंस मुआवजा का बैठा वह दे दिया जायगा। सभापति महोदय, आज दिन तक फूटी कौड़ी उन लोगों को नहीं दी गई। माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी गलती राज्य सरकार ने, पुनर्वास विभाग और माही के अधिकारियों ने की है जो बर्दाश्त के बाहर है। वहां के गरीब काश्तकार लोग मारे जा रहे हैं। मैं और निवेदन करना चाहूंगा इसी सिलसिले में, 1981-82, 1982-83 में जो मुआवजा विस्थापितों को दिया गया उसकी रेट देख लीजिये आप और जो सवर्ण लोग हैं, जो भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री के सम्बन्धी लोग हैं, उनके निकट बैठने वाले लोग हैं, उन 110 लोगों की रेट्स देख लीजिये आप। खांडू के विस्थापित हैं और सवर्ण जाति के लोग हैं। उनमें बनिये भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और भी होंगे। जब आदिवासियों को मुआवजा बट रहा था तब उन सेठ लोगों ने कहा, हम मुआवजा लेने को तैयार नहीं हैं, हम सब हाई कोर्ट में जायेंगे, हम राज्य सरकार को निवेदन करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। उन अधिकारियों को धमकी दी। सब चुप हो गये, कोई अधिकारी बोल नहीं सका उनके सामने, जोशीजी के दबाव के कारण से। फिर दूसरी बात क्या हुई? सब आदिवासी लोगों ने मुआवजा जैसे तैसे कर कराकर ले लिया मकान का, कुएं का, जमीन का जो भी उनको मिला। जैसे हमारे गांव में कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली, उन लोगों ने सोचा, भागते भागते जो मिले वह ले लो, तो ले लिया बेचारे गरीबों ने। उन 120 लोगों ने हाईकोर्ट की धमकी दी-धमकी देने के बाद उन लोगों को 25 प्रतिशत बढ़ाकर पैसा दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या उन लोगों को ब्याज दिया है आपने? जब वह लोग भी वहां काबिज है, उन्हीं मकानों में रहते हैं, वहां खेती करते हैं, व्यापार करते हैं उनको आपने 25 प्रतिशत बढ़ा कर मुआवजा दिया तो किस बात का दिया? मैं पूछना चाहता हूं, आपने ब्याज दिया है या उनको कोई घाटा हुआ है उसका मुआवजा दिया है? किस आधार पर पैसा बढ़ाकर दिया? जब उनको दिया है तो इन लोगों को भी देना होगा जिन लोगों ने 15 साल पहले मुआवजा लिया है। पर बीघा दो सौ से तीन सौ रुपया उन लोगों ने उठाया है। वह लोग दूर दूर पहाड़ियों पर जाकर बस रहे हैं, उन लोगों को भी बढ़ा हुआ पैसा देना जरूरी है। अगर यह नहीं दिया, राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वहां जोरों का आन्दोलन होगा, लोग एक दिन चैन से बैठने नहीं देंगे। भूखा,

(श्री बहादुरसिंह)

आदमी क्या नहीं करेगा, बुभुक्षितं किम न करोति पापम्। भूखा आदमी सब कुछ करने को तैयार है। एक ही बात है, हम लोगों को कहीं न कहीं जमीन मिल जायेगी, हमें सरकार से सहारा मिल जायेगा यह आशा करके लोग बैठे हुए हैं। माही के जो विस्थापित लोग हैं, सालमगढ़ में 200-300 लोग रहते हैं। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में, उन लोगों ने निजी, अपने घर का पैसा लगाकर जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद आज दिन तक पुनर्वास विभाग वालों ने न तो वहां सड़क बनायी है, न अस्पताल की व्यवस्था की है, न स्कूल की व्यवस्था की है, न दवाओं की व्यवस्था की है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है जब कि पुनर्वास विभाग में नियम बना हुआ है विस्थापित लोगों के 25 से ऊपर परिवार जहां बसेंगे वहां सारी सुविधा देंगे। उनके पीने के पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा और वह सारी सुविधाएं अभी तक नहीं दे पाये हैं। सभापति महोदय, विमलपुर पंचायत समिति में सेवाना ग्राम में 150 परिवार हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। न पानी की सुविधा है न स्कूल, अस्पताल की सुविधा है। 250 से ऊपर करीब 300 विस्थापित परिवारों ने धरियावद, उदयपुर में निजी पैसे से जमीन खरीदी है उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से माही के विस्थापितों के साथ राज्य सरकार और माही के अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, यह बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय, आप सक्षम हैं, उन गरीब आदिवासी विस्थापितों की तरफ देखना चाहते हैं तो बांसवाड़ा पधारें, मैं आपके साथ चल कर ऐसे गांव और लोग बताऊंगा जिनको देख कर ताज्जुब करेंगे। उनके लिये जो भी कदम उठाना चाहें या आदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जिन लोगों को घर छोड़ कर बाहर जाना पड़ रहा है उन लोगों को कम से कम मकान बनाने और खेती करने के लिये जमीन तो मिलनी चाहिये। वे न तो पढ़े-लिखे हैं, न किसी प्रकार का उद्योग धन्धा या मजदूरी का साधन उनके पास है। उन आदिवासियों के लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय और सारा सदन इस रिपोर्ट को पढ़ कर महसूस करता होगा कि विस्थापितों को जमीन अलाट कर दी गई है और की जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में जिन जिन गांवों में पुनर्वास विभाग ने विस्थापितों के लिये अलाटमेंट किया वह जमीनें बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों ने नाजायज तौर से कब्जे में कर रखी हैं। सिर्फ पेपर्स में अलाटमेंट कर दिये और बता दिया कि फलां गांव में तुम को फलां नम्बर की जमीन अलाट की गई है वहां पर जाकर विराज जाओ। लोग जाते हैं तो उनके साथ झगड़ा करते हैं। उनके साथ न तो जाकर उनको बसाने की व्यवस्था की जाती है, न नम्बर बताते हैं। पुनर्वास विभाग वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठंडे ठण्प बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं, इस विभाग में जितने भी अधिकारी हैं वे सब गलत ढंग से काम कर रहे हैं और बर्दाश्त के बाहर का काम कर रहे हैं।

श्री सभापति महोदय, एक दूसरा निवेदन यह भी करना चाहता हूं...

श्री सभापति : संक्षेप में। आपके सुझाव बहुत अमूल्य हैं पर समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में कहें।

श्री बहादुर सिंह : मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं कि माही मेन डैम पर एक पूरी कम्पनी और एक शर्मा कम्पनी, दो कंपनियां काम कर रहीं थीं। इन्होंने किस तारीख से काम शुरू किया और किस तारीख को बन्द हो गया, मुझे मालूम नहीं, आपके रिकार्ड में जरूर होगा। इन दोनों कंपनियों के काम को टैक्निकल अधिकारियों ने गलत बताया और उनसे काम छुड़वा दिया। उसके बाद इन्होंने सक्षम न्यायालय में रिट दायर की और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब सक्षम अधिकारियों ने उनके काम को गलत बताया, जितना काम हुआ वह गलत हुआ और उसके बाद अधिकारियों की तरफ से काम हुआ तो क्या यह डैम कमजोर नहीं बना है ? मैं यह आपके नोटिस में लाना चाहता था, उन दोनों कंपनियों के काम को गलत बताया है, जितना वहां काम हुआ वह गलत हुआ है तो भविष्य में धोखा हो सकता है, बान्ध टूट भी सकता है। न्यायालय में उन दोनों कंपनियों के पक्ष में फैसला हुआ है, वह हावी हो जायेंगी और हावी हो भी रही हैं, सारा का सारा माही के काम का खर्चा और दूसरा खर्चा, मशीनरी खराब हो रही है उसका पैसा उठायेंगे। तो अधिकारियों को क्या उस समय नींद आ रही थी ? उस समय ठीक से सोच समझ कर काम किया होता तो आज राज्य सरकार को इतना घाटा नहीं उठाना पड़ता, इतने नुकसान में नहीं जाना पड़ता।

सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिये।

12 से 14 गांव मध्य प्रदेश के डूब में आये हैं उनके लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के जो गांव हैं डूब में आने वाले उनमें भी आदिवासी लोग हैं। वह पूरा एरिया आदिवासी एरिया है। पूरे एरिया के आदिवासियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से, वह आप सुनें और देखें। मैं एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक आदिवासियों की डूब में आई जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई है। माही डैम का पानी उन तक नहीं पहुंचाया जायेगा। अगर पानी रोक दिया जायेगा तो लोग आन्दोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मरने मारने पर उतारू हो जायेंगे। उसके लिये कोई राजनैतिक कार्यकर्ता या नेता जिम्मेदार नहीं होगा, सरकार खुद जिम्मेदार होगी। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कडाणा डैम बना। उसके विस्थापित लोग धरियावाद और प्रतापगढ़ तहसीलों में आकर बस गये हैं। वे जितने लोग है उन्होंने उत्तर में, पूर्व में वन विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जे कर लिये हैं। उनको आज तक जमीन अलाट नहीं की गई है। वे करीब 585 परिवार हैं। बांसवाड़ा के सात हजार परिवार विस्थापित हैं उनके लिये रिपोर्ट में खान्डू कालोनी बताई गई है। जो बड़े बड़े सेठ हैं, जो पैसे वाले लोग हैं और उनके दोस्त लोग हैं उनके लिए बंगले बनवा कर, बिजली की सुविधा, सड़कों की सुविधा, सैकन्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल और अस्पताल की सुविधा देकर बांसवाड़ा कालोनी में उनको बसाया गया है लेकिन आदिवासियों के लिये कुछ नहीं किया गया है। आज आदिवासी टेकरियों पर बैठे हुए हैं। उन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं

(श्री बहादुरसिंह)

है। उनके लिये न कोई स्कूल, न अस्पताल की व्यवस्था है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब आदिवासियों की कुछ की जमीन डूब में आ गई और कुछ की बाकी रह गई है वे उसके सहारे से बैठे हुए हैं । जहां जहां लोगों ने नाजायज कब्जे किये हैं, चाहे वन विभाग की जमीन, चाहे राजस्व विभाग की, चरागाह की जमीन हो, चाहे किसी भी विभाग की जमीन हो, जो विस्थापित अपनी जमीन मान कर उस पर बस गये हैं उनको वहीं रहने दिया जाय, वहीं नम्बर अलाट करें तो वे रह सकते हैं अन्यथा उनके पास रहने के अलाव कोई रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह डैम उनको डुबोने के लिये बान्धा गया है । यही मेरा निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री नानूराम कुमावत ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर । संक्षेप में ही कहें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा । मैं शुरूआत में विशेष तो नहीं कहूंगा लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती जो बजट भाषण के समय घोषणा की गई थी, चाहे अधिकारीगण ने वह बनाया हो या सरकार के किसी सदस्य ने कहा हो, इस वर्ष छठी योजना में राजस्थान नहर बन कर पूरी हो जायेगी । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन तो क्या चेलेन्ज करता हूं, छठी योजना में राजस्थान नहर पूरी बन जाय तो। जो राजस्थान नहर सिल्वर जुबली मना रही है, जिसका 30 प्र.श. काम हो पाया है वह 85 तक, दो साल में पूरी हो जायेगी, यह मेरी समझ के बाहर है । मैं आपसे निवेदन करूं, राजस्थान नहर दो स्टेज में पूरी करनी थी । जब यह योजना बनाई गई उस समय यह लक्ष्य था कि इसको दस वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री सभापति : पांच तो फिर रह गये ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप सुनिये । सभापति महोदय, एक नहर बनाई गई-गंग नहर। घोषणा तो वह होती है, तीन वर्ष में गंग नहर पूरी कर दी जायेगी और पूरी कर दी गई । उसका फायदा गंगानगर उठा रहा है । सभापति महोदय, यह घोषणा की गई थी कि राजस्थान नहर 10 वर्ष में बन जायेगी और मात्र 70 करोड़ में पूरी योजना पूरे के पूरे सिस्टम सहित कंप्लीट हो जायेगी । सभापति महोदय, 70 करोड़ में पूरी होने वाली योजना को दस वर्ष की जगह 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब सरकार घोषणा कर रही है कि छठी योजना में पूरी कर दी जायेगी । छठी योजना में इसे पूरा करने के लिये 208 करोड़ रुपये लगेंगे लेकिन छठी योजना में फाइनेन्शियल एलोकेशन 168 करोड़ का है । जो कि 200 करोड़ रुपये से भी कम है। आपको ध्यान होगा, सभापति महोदय, कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार के योजना मंत्री, श्री एस०बी० चव्हाण राजस्थान आये थे तब हमारे मुख्य मंत्री जी ने उनसे कुछ गुफ्तगू की थी । उस गुफ्तगू के आधार पर मुख्य मंत्री जी ने यह डिक्लेयर किया कि हमें 40 करोड़ रुपया और मिल रहा है । वह 40

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

करोड़ रुपया 168 करोड़ में मिला कर कुल 208 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में इस राजस्थान नहर के लिये रखा गया है। 208 करोड़ रुपये में हमें इस नहर का 70 पर्सेन्ट काम पूरा करना है। जो काम अभी तक हुआ है वह 30 पर्सेन्ट हुआ है। मैं चैलेन्ज के साथ कह रहा हूं, केवल नहर बनाने से, नहर का पानी चालू कर देने से नहर पूरी नहीं हो जाती है। जब तक कि उसका पूरा सिस्टम कम्पलीट नहीं हो तब तक वह नहर पूरी नहीं कहलाती। सरकार मेन कैनाल, चैनल बनाने का स्वप्न दिखा कर, अगर स्पष्ट शब्दों में यह कहूं कि भ्रमित कर रही है और देशी भाषा में कहूं तो×××बना रही है (व्यवधान).. आप बन रहे हैं। सभापति महोदय, अभी तक फर्स्ट स्टेज का जो सैकण्ड फेज है वह पूरा किया गया है जिसके अन्दर अनूपगढ़, रायला एरिया आता है।···

श्री सभापति : ×××शब्द को कार्यवाही में से निकालें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह तो पक्षी का नाम है, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

आपने जो किया उचित किया।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, शब्द को जिस रेफरेन्स में कहा गया है वह असंसदीय नहीं है।··

एक माननीय सदस्य : अब आपका अवसर आने वाला है।

श्री अनंगकुमार जैन : अगर यह कह देते कि सरकार××× है तो असंसदीय हो जाता।···

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : क्या विपक्षी पार्टी के लिये कह देते।··

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि फर्स्ट स्टेज का सैकण्ड फेज पूरा हुआ है जिसके अन्दर अनूपगढ़ और रायला एरिया आता है, उसका काम पूरा हुए 8 वर्ष हो गये। 8 वर्ष के अन्दर जो वाटर यूटिलाइज किया गया है आप ताज्जुब करेंगे, वाटर यूटिलाइजेशन केवल 13 पर्सेन्ट है, ओनली 13 पर्सेन्ट। सभापति महोदय, आप जानते हैं, नार्मली एक कैनाल की लाइफ 20-25 वर्ष होती है। कोई गाड़ी आप खरीदेंगे, उस गाड़ी की उम्र कितनी होगी, यह आपका ड्राईवर बता देगा। राजस्थान नहर की या जो इस प्रकार की अन्य कैनाल है, उसकी उम्र 20/25 वर्ष होगी। सैकण्ड फेज को पूरा हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, 13 पर्सेन्ट वाटर यूटिलाइजेशन है। अब आप मुझे बतलाइये, आपको 87 पर्सेन्ट यूटिलाइजेशन करना बाकी है उसके लिये नहर की लाइफ कैसे बढ़ायेंगे जब कि 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं? कब तक 87 पर्सेन्ट यूटिलाइजेशन का काम पूरा करेंगे? जब तक काम पूरा करेंगे तब तक तो यह जो नहर सैकण्ड फेज में बनायी गयी है, सैकण्ड फेज जो पूरा हुआ है, मैं आपसे कहूं, उसकी उम्र खतम हो जायेगी और उसका कोई फायदा, जिसके लिये हम नहर बनाने जा रहे हैं, नहीं मिलेगा। हमारी सरकार की पास्ट परफार्मेन्स देखिये, 10 वर्ष की जगह तो 25 वर्ष में 30 पर्सेन्ट कम्पली-

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

शन हुआ है। सभापति महोदय, कम्पलीट नहर वह मानी जाती है जिसका पूरा सिस्टम कम्पलीट हो गया हो। आपको याद होगा, अगस्त, 1981 में हमारे इस महान देश की महान् प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने जयपुर आयी थीं उस समय हमारे जिम्मेदार मंत्रियों से प्रधान मंत्री ने एक सवाल पूछा था कि सैकण्ड फेज का अभी तक केवल 13 पर्सेन्ट यूटिलाइजेशन हुआ है? आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन उस समय हम लोग बगलें झांकने लगे थे, इधर उधर ताकझांक करने लग गये थे, प्रधान मंत्री को जवाब नहीं दिया जा सका था। सभापति महोदय, इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने जा रहे हैं। जो बात हो वह सही कहनी चाहिये। दो साल बाद सन् 1985 आ रहा है आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूं, पूरा करने वाले भी यहीं हैं। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को इस प्रकार भ्रमित नहीं करना चाहिये। मेरा तो यही निवेदन है कि इस राजस्थान विधान सभा के एक सदस्य के नाते, जनता के प्रतिनिधि के नाते इस प्रकार राजस्थान की जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिये, जो वस्तुस्थिति है वह बतानी चाहिये। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जो कैनाल्स हैं, हण्ड्रेड पर्सेन्ट में से राजस्थान नहर का हिस्सा 60 पर्सेन्ट है। यह अकेला ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि टोटल सिंचाई योजना का 60 पर्सेन्ट हिस्सा राजस्थान नहर पर है और बाकी योजना के लिए बचा हुआ 40 पर्सेन्ट है उसमें माही प्रोजेक्ट, चम्बल प्रोजेक्ट आता है और जिस जिले से मैं निर्वाचित होकर आता हूं वहां का जवाई प्रोजेक्ट भी आता है। सभापति महोदय, जवाई प्रोजेक्ट से पाली को पानी इसलिये नहीं मिल रहा है कि हमारी सरकार इससे जोधपुर को पानी दे रही है। वह भी पूरा नहीं मिल रहा है। अगर जोधपुर को उससे पूरा पानी मिल जावे तो कोई बात नहीं है। सभापति महोदय, एक मंत्री जी ने जोधपुर को पानी देने के लिये एक नयी योजना प्रस्तुत की थी। लिफ्ट योजना हो, कोई योजना हो, मुझे तो ताज्जुब होता है उन मंत्री जी की बुद्धिमता पर कि उन्होंने एक आश्चर्यजनक, कम लागत की, बहुत फायदे की योजना दी थी लेकिन उससे भी बड़ा ताज्जुब तो तब हुआ जब कि उस योजना के बनाते ही उन मंत्री जी का विभाग छीन लिया गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य: बुद्धिहीनता असंसदीय नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि क्या राजस्थान की जनता का भला सोचने वाले मंत्री को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? करना चाहिये। उनकी योजना माननी चाहिये। यह बात तो मानते है कि राजस्थान नहर को जोधपुर या जवाई से पानी ला देते तो काफी फायदा होता। उन्होंने इस राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये एक नोट बनाया था। सैकण्ड स्टेज किस प्रकार पूरी की जाये उसके लिए एक नोट बनाया था, "A note proposing redical revision of Second Stage of Rajasthan Canal Project"..

हमारी सरकार के वर्तमान मंत्री इसके पृष्ठ संख्या 34, 35, 36, को पढ़ें, इतनी बढ़िया

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

योजना है, सभापति महोदय, मैंने जब आज इसको पढ़ा तो यही निष्कर्ष निकाला कि इसमें कोई सन्देह नहीं हमारी सरकार को अब भी इस योजना को केन्द्रीय सरकार को भेजना चाहिये और केन्द्रीय सरकार पर जोर डालना चाहिये, इस योजना को लागू करने के लिये।

(व्यवधान)

इसमें खास बात है। इसकी कापी मेरे से ले जाना और पढ़ लेना। आज एक भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके पानी का राजस्थान में पूरा यूटिलाइजेशन हो पा रहा हो। गंग नहर की मरम्मत के लिये पैसा नहीं है। चम्बल प्रोजेक्ट के लिये करोड़ों का लोन ले रहे हैं फिर भी आप समय पर पानी नहीं दे सकते। सभापति महोदय, कोई कारण है जिससे यह योजना पूरा नहीं हो पा रही है। पचासों अभियन्ता के सिंचाई विभाग में पद रिक्त हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, दो एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद रिक्त हैं, 16 सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पद रिक्त हैं और लगभग 52 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद रिक्त हैं। सभापति महोदय, कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। बीस सूत्री कार्यक्रम, जो हमारी लोक प्रिय नेता ने दिया है, का प्रमुख अंग सिचाई सुविधा है, किन्तु इतने पद रिक्त हैं। आखिर आप क्यों नहीं भरते इन पदों को? कई लोग आर. पी.एस.सी. से चयनित हैं उनको प्रमोशन दीजिये। जगह भरिये ताकि काम हो सके।

अधिकारियों की ओर आपका ध्यान दिलाऊं तो राजस्थान नहर से सम्बन्धित एक मंत्री जी, जो तत्कालीन राजस्थान नहर मंत्री थे, ने इस विधान सभा में घोषणा की थी कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जो दोषी हैं। बड़ा बवेला मच गया था, सभापति महोदय। मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसे कौनसे आदेश थे जो उन मंत्री जी के आदेशों से बड़े थे जिनके कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई? ऐसी क्या वजह थी कि कार्यवाही रोक दी गई? मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को आप आज अपने जवाब में स्पष्ट करें। साथ ही यह बतावें कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे या इसी प्रकार उन्हें बैठा रहने देंगे? क्या इसी प्रकार आप छठी पंचवर्षीय योजना में इस योजना को पूरा करना चाहते हैं? आपको ध्यान होगा, सभापति महोदय, कुछ अधिकारियों की वजह से घग्घर चैनल टूटी थी। उसके बारे में यहां चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसी प्रकार कुछ अधिकारियों की वजह से आज से 5-6 वर्ष पूर्व जंवाई बांध का फाटक नहीं खोलने की वजह से बाढ़ आई थी। समय पर फाटक खोल देते तो जालोर के गांवों के अन्दर बाढ़ नहीं आती, जान-माल, पशु-मवेशियों का नुकसान नहीं होता। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हम यहां आकर चिल्लाते हैं, रामायण और भागवत बांचते हैं उसका कोई निष्कर्ष तो निकले। क्या मंत्री महोदय, केवल पन्ने पलटते रहेंगे और सुनते रहेंगे? हम एक घण्टे बोलें उसका कहीं नोट उनके पास नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करके कहें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर: आपके माध्यम से कह रहा हूं उनको।

श्री सभापति: सब नोट कर रहे हैं।

(168)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: आपके माध्यम से बात वहां तक जायेगी। पश्चिमी राजस्थान में मध्यम सिंचाई की योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन आर्थिक अभाव, धनाभाव के कारण दम तोड़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत बड़ा समुदाय आपको बहुत ही अच्छे नेता के रूप में मानता है। यह तो सौभाग्य है कि आपके पास इस समय यह विभाग है। विभाग का कोई पता नहीं रहता कभी इधर आ जाय या कभी उधर चला जाय, जब तक आपके पास विभाग है पश्चिमी राजस्थान का आपको पूरा भला करना चाहिये। सभापति महोदय, मुरली; सेलवाड़ा, माइको हाइडल ये योजनाएं कुछ ही लाख रुपयों में पूरी हो जायेंगी। एक योजना सेलवाड़ा में 10 लाख रुपये देने की जरूरत है। इससे सिंचाई होगी, बिजली की बचत होगी और लोगों को कुओं पर बिजली अनावश्यक खर्च नहीं करनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप अधिकारियों का इतना पक्ष लेते हैं, पक्ष हद से ज्यादा नहीं लेना चाहिये। फिर मैं अभी नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि नाम मत लीजिये। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी अधिकारी पर। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं...

श्री सभापति: कृपया पद से सम्बोधित कर दीजिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: श्री मनोहर लाल माथुर को सेवा निवृत्ति के बाद...

श्री सभापति: नियमों का ध्यान रखें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री सभापति: नियमों का ध्यान रखें। आप उनको ओ.एस.डी. कह सकते हैं। आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आयेगी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: इस अधिकारी का सेवा निवृत्ति के बाद हमारी सरकार बोझ ढोह रही है इसका कारण क्या है? इस अधिकारी को सेवा निवृत्ति के बाद चैयरमेन बनाने की योजना थी, ओ. एस. डी. बनाने की योजना थी। जब चैयरमेन के प्रपोजल केन्द्र सरकार के पास गये, यह तो आपको भी पता होगा, सभापति महोदय, यदि कोई भी राजस्थान कैनाल का चैयरमेन बनाया जाता है वह केन्द्र सरकार की कन्सलटेशन के बगैर नहीं बनाया जाता। केन्द्र सरकार द्वारा रिजेक्ट किए हुए आदमी का बोझ हमारी सरकार ढो रही है। ये रावी-ब्यास के बारे में सलाह देते हैं। आपको ध्यान होगा, सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल के दौरे पर केन्द्र सरकार की सलाह लेने के पहले ही मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि इनको चैयरमेन बनाया जायेगा। फिर क्यों नहीं बना पाये? राजस्थान कैनाल के दौरे पर जब हमारा मंत्रिमण्डल गया उसके एक दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इन ओ०एस०डी० महोदय का बनाया हुआ नोट जारी किया गया था, एक मंत्री के हस्ताक्षर से। कहीं पोल नहीं खुल जाय इस डर से उस नोट को वापस ले लिया गया। वह नोट वापस लेकर यह आदेश जारी किये गये कि इन्हें चेयरमेन बनाया जायेगा, ओ० एस०डी० बनाया जायेगा। क्या इसी आधार पर वह व्यक्ति सेवा निवृत्ति के बाद योग्य था, मुझे यह बताया जाय। चैयरमेन केन्द्र सरकार से कन्सल्टेशन करके, बनाया जाता है, आपने बिना कन्सलटेशन के ही चेयरमेन की घोषणा कर दी। जिसे केन्द्र सरकार अयोग्य

(श्री भैंरू सिंह गुर्जर)

समझे उसे आप योग्य मानते हैं। आप रावी-व्यास के मसले पर उस ओ.एस.डी. की सलाह लेते हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव की उपेक्षा करते हैं। और भी धुरंधर अधिकारी हैं, टैक्निकल माइण्ड उनके पास है उनकी उपेक्षा करते हैं। आखिर उसके पीछे क्या कारण है? मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन कम से कम हमें भी तो पता लगे इस बात का कि ऐसी कौनसी योग्यता थी जिसके कारण इनका बोझ ढोया जा रहा है। सभापति महोदय, जैसी आपको भी जानकारी है और आप कभी मेरे पास बैठ कर चर्चा करते रहते हैं, सभी अधिकारियों के नहीं लेकिन कुछ अधिकारियों के इस सिंचाई विभाग के अन्दर बहुत बड़े घोटाले हैं। उन घोटालों के बारे में बार बार विधान सभा में आवाजें उठाई जाती है, जन प्रतिनिधियों द्वारा चिट्ठी लिखी जाती हैं, प्रश्न लगाये जाते हैं, विधान सभा में लेकिन नतीजा क्या निकलता है। मैं तो तीन साल से देख रहा हूं कि यहां आश्वासन दे देते हैं; कार्यवाही की जायेगी। क्या कार्यवाही की जायेगी, कब की जायेगी इसका कोई जिक्र नहीं होता। सभापति महोदय, राजस्थान नहर के अन्दर मैंने स्वयं अपने भाषण में, राजस्थान नहर मंत्री जी विराजमान हैं, सभापति महोदय, पी.वी.सी पाइप में घोटाले के आंकड़े प्रस्तुत किये थे। सीमेन्ट का घोटाला है वहां, टाइल्स और ईटों का घोटाला है। मुझे जहां तक याद आता है, एक बार हमारे माननीय मंत्री जी वहां से एक ईन्ट या एक टाइल लेकर आये थे बड़े गुस्से में, बड़े तेवर बदल करके कि जिसका चूरा गिर रहा हो ऐसी टाइल्स, ऐसी ईटें लगाई जाती हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, उस ईन्ट और टाइल का क्या हुआ? उस संबंध में जो दोषी अधिकारी हैं उनका आपने क्या किया? कोयला जो अच्छी किस्म का लाना चाहिये वह घटिया किस्म का आता है। और तो और वह कोयला कम मात्रा में वहां पर राजस्थान नहर के लिये रखते हैं बाकी सारा बीकानेर के बाजार में बेच दिया जाता है। बीकानेर में अगर आप सी.आई.डी., सी.बी.आई., जो भी है, से इन्क्वायरी करायें तो बीकानेर के लोग जो कोयला जला रहे हैं, जो ठेकेदार कोयला वितरित कर रहे हैं वह कोयला कहां से आ रहा है, यह तो स्पष्ट हो जायेगा। सभापति महोदय, कम कोयले से कच्ची पक्की ईंटें बनती हैं उससे राजस्थान नहर की क्या हालत होगी। सभापति महोदय, हमारी सरकार, जहां तक मेरे ध्यान में है, यह योजना बनाते जा रही है कि कच्ची नहरें बनायेंगे। उस रेगिस्तान, जहां हवा से मिट्टी उड़ रही है, के अन्दर पानी के कटाव से क्या मिट्टी रुक सकती है। किस प्रकार कच्ची नहरों से वहां काम करेंगे? मैं एक बात और कहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि आपके अधिकांश अधिकारी बीकानेर में बैठे रहते हैं राजस्थान नहर पर जाते ही नहीं है। ठेकेदार, जिसने पूरी रकम लगाई है, को उस रकम का फायदा उठाने का मौका मिलेगा ही।

सभापति महोदय, यह राजस्थान के हितों का सवाल है। सभापति महोदय, मुझे पता है, आप घन्टी बजा रहे हैं लेकिन चन्द ही मिनट की बात और है मैं किसी अधिकारी का नाम तो नहीं लूंगा, आये दिन विधान सभा में उनकी शिकायतें की जाती हैं फिर भी उनको आज मुख्य अभियन्ता के रूप में, एडीशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, एक्स.ई.एन. के रूप में बैठा रखा है।

(श्री भैंरूसिंह गुर्जर)

क्या कारण है ? आपको अगर हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं है, हम जो इस सदन में आकर रामायण, भागवत गा रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है तो आप जुडिशियल इन्क्वायरी करा लें। अच्छा तो तब हो जो हम बात कहें उस पर आप विश्वास करें और उसी आधार पर उनको निलम्बित करें। निलम्बित करना कोई दण्ड नहीं होता है। अगर आप उनको निलम्बित कर देंगे तो वे नौकरी से नहीं निकाले जा रहे हैं, वे सही होंगे तो वापस नौकरी पर आ जायेंगे। नहीं तो यथा स्थिति रहती है, सभापति महोदय, फिर आप जो जांच करा रहे हैं वह उस जांच को प्रभावित करते हैं। जब जांच प्रभावित होती है तो वह बचे रह जाते हैं और वहीं विद्यमान रहते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज के समय में हम जो बांध, एनीकट बना रहे हैं वह टूट जाते हैं। आज से वर्षों पहले जो बांध बने थे वे आज भी विद्यमान हैं उसका क्या कारण है ? देश का विकास हुआ है, शिक्षा बढ़ी है, टेक्नोलोजी का विकास हुआ है लेकिन क्या कारण है कि वर्तमान समय में बनाये जाने वाले बांध एनकीट टूट जाते हैं। सीधा सा कारण यह है कि ठेकेदारी प्रथा···

श्री सभापति : नैतिकता का अभाव।

श्री भैंरूसिंह गुर्जर : नैतिकता का अभाव नहीं, साहब, भ्रष्टाचार का बोलबाला।

यह बात स्पष्ट है कि एक ठेकेदार तब ठेका लेता है, सभापति महोदय, जब उसको उसमें कुछ लाभ दिखता है। अगर वही कार्य सरकार विभागीय तौर पर कराये तो एक तो ठेकेदार जो लाभ ले रहा है वह बच जायेगा और दूसरा विभागीय तौर पर कार्य होने पर बराबर उसकी जांच की जायेगी। आज अगर एक प्रतिनिधि उस ठेकेदार से कुछ कहे तो वह उसको वहां से भगा देगा लेकिन विभागीय तौर पर कार्य होगा तो जनता का कोई भी प्रतिनिधि वहां जाकर उस काम को चैक कर सकेगा और चैक करके अपनी रिपोर्ट देगा।

अंत में, मेरा तो यही निवेदन है आज सारे अधिकारी भी यहां मौजूद हैं हमारे दोनों मंत्री जी भी मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से माननीय मदेरणा साहब से कि आपने मेरा एरिया अच्छी तरह से देखा है, अरावली की तहलटी में मेरा एरिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं कि मेरे एरिया से पानी बहकर जाता है। हमारा पानी है वह दूसरी तहसील में दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उस पानी का कुछ फायदा तो हमको भी मिलना चाहिए। पाली की तहसील खारची, रायपुर व देसूरी में कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप छोटे बांध, और एनीकट्स बना सकते हैं और पलो करके कुछ पानी आगे भी भेज सकते हैं। आपका बांध भी भर जायेगा और हमें भी इस बात का फायदा होगा। तीन वर्ष तो निरन्तर मुझको चिल्लाते हो गये हैं न मालूम कब सुनाई करेंगे। मैं आश्वासन चाहता हूं, सर्वे तो करा दें, जांच करा दीजिये। मेरी रामायण भागवत जो बांच रहा हूं उसका कुछ फायदा हो जायेगा, जनता को लाभ पहुंच जायेगा। मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपने जो समय दिया और एक बार भी घंटी नहीं बजायी, टोका नहीं, उसके लिये आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री मुराद खां।

श्री गोकुलचंद शर्मा (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, मेरा नाम है या नहीं ?

श्री सभापति : ये बोल लें बाद में बता दूंगा ।

श्री मुराद खां (नगर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने रावी-व्यास, गंगा-यमुना के पानी के बारे में अभी जिक्र किया, इसके साथ ही हमारे पड़ोसी राज्य से पानी और बिजली में जो हक बनता है उसका जिक्र किया। मैं मेरे जिले भरतपुर में जो पानी की व्यवस्था और अव्यवस्था है उसके बारे में आपकी मार्फत माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तहसील कामां, नगर और पहाड़ी में रूपारेल नदी बहती है। अलवर व जयपुर के पहाड़ों से बरसात का पानी उतरता है उससे यह नदी बरसात के दिनों में एक भयानक रूप धारण कर लेती है। घाट खूटेटा होते हुए सीकरी बांध में यह नदी जाती है। सीकरी बांध केवल नहर मात्र है वह कोई बांध नहीं है। उसकी मार्फत छोटी छोटी नहरों और छोटे छोटे बांधों में पानी जाता है। इन बांधों से सिंचाई की टेम्प्रेरी व्यवस्था की जाती है। पिछले तीन चार साल से लगातार सूखा पड़ रहा है। उस पानी का सिस्टम अब यह किया है सरिस्का से पहले जब अलवर से आते हैं तो लक्ष्मण झूला एक जगह है जिसको वहां की जुबान में नटनी का बारा कहते हैं, वहां वह पानी रोका गया है और वहां से दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जयसमंद अलवर को जाता है और दूसरा हिस्सा भरतपुर को जाता है जिसमें तहसील कामां, पहाड़ी और नगर पड़ता है। आगे जाकर घाट खूटेटा में उस पानी को पक्का बांध बना कर बांधा जा रहा है। इससे हमारे यहां एक बूंद पानी नहीं जायेगा। पहले जब जब भारी बरसात होती थी तो यह पानी रोके से नहीं रुकता था पर इस बार पक्का बांध बनाया जा रहा है। इससे बरसात के दिनों में भी पानी हमको नहीं मिलेगा। पानी की जरूरत जिन दिनों होती है तब तो पानी मिलेगा ही नहीं। इसका असर यह हुआ है कि कुओं का जल स्तर नीचा गिर गया है। तीन चार साल से सारे पोखर और तालाबों में एक बूंद पानी नहीं है, हमारे मवेशी प्यासे मर रहे हैं। वैसे भी स्टेट कौंसिल का फैसला है, राज्य सरकार का फैसला नहीं है, पूर्व से यह फैसला है अलवर भरतपुर को इस नदी में से पानी बराबर बांटा जायेगा। जब ज्यादा बरसात होती थी तब उस पानी को कोई रोकता नहीं था, नहीं यह रुकता था। इससे हमारी खरीफ की जो फसल होती थी वह तबाह हो जाती थी। फसलें ही नहीं बल्कि इससे गांव के गांव प्रभावित होते थे। लोगों के कच्चे पक्के मकान गिर जाते थे। फसल के सड़ने और जानवरों के मरने से आदमियों में बीमारी पैदा होती थी, जन-धन का भी काफी नुकसान होता था। इसके लिये हमारे जिला प्रशासन, पंचायत समिति, ब्लाक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी ने बार बार राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे लेकिन दुर्भाग्य से आज तक उन पर कोई अमल नहीं हो सका। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा जो पानी है, जिस पर हमारा हक बनता है, वह हमको बदस्तूर दिया जाना चाहिये। मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से कि बजाय पानी को रोकने के राज्य सरकार को चाहिये, सीकरी बांध, जिसे बांध कहा जाता है जो नहर मात्र है, को जलाशय बनाया जाय। इतना पानी वहां पर आता है। उसको

(श्री मुराद खां)

बांध के रूप में विकसित किया जाय तो मैं समझता हूं कि ए 2 महीने पानी मिल सकता है। उस इलाके की जमीन इतनी जरखेज है, इतनी उपजाऊ है कि वहां पर गंगानगर के मुकाबले में चावल पैदा होता है। बहुत ही अच्छे किस्म के गेहूं की खेती होती है, चना, मटर, मसूर की खेती होती है। मैं समझता हूं कि अगर पानी की व्यवस्था कर दी जाय तो पंजाब को वह इलाका मात कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। मुख्य मंत्री महोदय, हमारे जिले में पधारे थे तब वहां के काश्तकारों ने पानी की व्यवस्था के बारे में कहा था तो आपने आश्वासन दिया था कि हम यहां पर पाताल तोड़ कुएं बनवायेंगे, यह जो रूपारेल का पानी है उसकी व्यवस्था सही तरीके से करवायेंगे लेकिन अब तक उस तरफ कोई बात नहीं हुई है, न कोई पातल तोड़ कुएं बनवाये गये हैं। यह भी कहा गया था कि एक बोर्ड कायम किया जायेगा वह बोर्ड उस इलाके का सर्वे करेगा। जहां पर अच्छा पानी होगा वहां पर पाताल तोड़ कुएं खुदवाये जायेंगे और लोगों को पानी सुचारु रूप से मुहैया करवायेंगे।

सभापति महोदय, जो कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा कराना चाहते हैं वह नाम मात्र के हैं। अलवर, भरतपुर में रेवेन्यू के हिसाब से काम दिये जायं तो मैं समझता हूं, हमारा काम तब भी चल सकता है। आप लिस्ट उठाकर देखें, फेमिन के नाम से जो पैसा दिया गया है, 27 जिलों में से भरतपुर ही एक ऐसा जिला है जिसको एक भी पैसा नहीं दिया गया है बाकी 29 जिलों में पैसा दिया गया है। एक भी पैसा नहीं दिया गया है भरतपुर के नाम पर।

श्री परसराम मदेरणा (सिचाई मंत्री): सिंचाई का ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सिंचाई का तो खा गये।

श्री परसराम मदेरणा : सिचाई में नहीं दिया, यदुनाथ सिंह जी ?

श्री यदुनाथ सिंह : बहुत कम दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : दिया है या नहीं दिया है ?

श्री सभापति : वह तो अकाल राहत की बात कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो बजट की बात कर रहा था।

श्री मुराद खां : मैं अकाल राहत की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : यह एन.आर.ई.पी. की बात कह रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : पर वे फेमिन की बात कह रहे हैं।

श्री मुराद खां : मैं अकाल राहत कार्यों के लिये कह रहा था।

श्री यदुनाथसिंह : जो आपने दिया नहीं है।

श्री मुराद खां : हमारे मजदूरों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। एक रोज एक्स.ई-एन. और एस.ई. का घेराव कर लिया गया तो बाहर से ताला लगा दिया। उनको पुलिस ने छुड़वाया। हमारे चीफ इंजीनियर भी यहां पर बैठे हैं मैं उनको यह बात खुलासा कहता हूं कि वहां के आला अफसरों का यह

(श्री मुराद खां)

कहना है कि उनको पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कमीशन के रूप में 1 लाख रुपया चीफ इंजीनियर को नहीं देंगे। इसलिये हमारे पैसे को रोक रखा है। ये आपके आला अफसरों का कहना है किसी ए.ईएन. और जे. ई. एन. का कहना नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर पानी की व्यवस्था करने के लिये बराय मेहरबानी गौर करें, पैसा लगायें तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे कुओं का जल स्तर गिर गया है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। नीचे जो पानी है वह पानी खारा है। इसलिये अगर कहीं और से पानी नहीं दिला सकते हैं तो रूपारेल का पानी, जिस पर हमारा हक बनता है, हमें बराबर दिलाया जाय।

धन्यवाद।

श्री सभापति :श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय,मेरा नाम नहीं आ रहा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सबका आयेगा, कृपया धैर्य रखिये।

श्री मेघराज तावड़ : लिस्ट के अनुसार नहीं, मेरी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी के नाम से नम्बर अलग से आता है...

श्री चाव खां : कब आयेगा ? अब तक नहीं आया है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के समयानुसार आपको अवसर प्रदान किया जायेगा। कृपया धैर्य रखिये।

श्री मेघराज तावड़ : पार्टी के अनुसार तो मुझे समय मिलेगा लेकिन पार्टी के हिसाब से मेरा नम्बर पहले आना चाहिए। सबका नाम ले ले उसके बाद मुझे लेंगे। मैं नहीं बोलना चाहता।'

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया यह बतायें, लोकदल को टाइम दे दिया ? कृपया धैर्य रखिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया जी.।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य के 1983-84 के आय-व्ययक पत्रक में सिंचाई सम्बन्धी मांग संख्या-46 पर मैं अपने जिले के बारे में कुछ निवेदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस मांग के अनुसार करीब 1 अरब 98 करोड़ 90 लाख और 92 हजार के आसपास खर्च होने का प्रावधान है। मैं यह चाहता हूं कि इतनी बड़ी रकम जो सिंचाई के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य के अन्दर खर्च की जाने वाली है उसमें मेरे चूरु जिले के लिए आंशिक रूप से भाग रखा जाय। यह भी मैं सिंचाई मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यहां सभी काम दो-दो, तीन-तीन तरह से किये जाते हैं, जिस तरह आई.जी. पी. भी कई हैं, इन्जीनियर भी कई हैं उसी तरह राजस्थान के अन्दर सिंचाई मंत्री भी दो हैं। एक सिंचाई मंत्री हैं आम सिंचाई योजना के, दूसरे हैं राजस्थान नहर परियोजना के। दोनों का ही अपने विभाग पर पूरा कन्ट्रोल है इसलिये मैं दोनों को ही सामुहिक रूप से निवेदन करना चाहूंगा। चूरु जिला एक रेगिस्तानी भू-भाग है पानी की वहां समस्या है। सिंचाई का तो सवाल ही नहीं, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। एक तरफ तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके को पानी नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ प्रति

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

वर्ष गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के द्वारा देश के अन्दर बाढ़ का प्रकोप होता है। आजादी के तीस वर्ष बाद हम उपेक्षित रहे, अब भी हम इस पर विचार नहीं करें, नहीं सोचें तो कब तक उपेक्षित रहेंगे, यह एक प्रश्न वाचक चिन्ह है। हम यह नहीं चाहते कि हमें अगले साल ही सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो जायें लेकिन यह अवश्य चाहते है कि आप कम से कम उसका आधार तैयार करें। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, जलोत्थान योजना द्वारा चूरू जिले की भूमि को सिंचित करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाये। इससे दोनों ही समस्यायें हल हो जायेंगी। जलोत्थान योजना द्वारा चूरू जिले को यदि पानी मिलता है तो सिंचाई के साथ साथ पेयजल की भी व्यवस्था हो जायेगी। हमारे यहां जो योजनायें बनती हैं मालूम नहीं कौन बनाता है, कैसे बनाता है, बड़े विचित्र ढंग से योजनाएं बनती हैं। हम 30 सालों के बाद भी गांवों को पानी टैंकरों से पहुंचाते रहे हैं। आज तक हम वहां पेयजल की योजना नहीं बना सके। डबल खर्चा कर रहे हैं, टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं। टैंकर भी ऐसे हैं कि जिनसे पानी चूता है। एक दफा मैं अकाल राहत कार्यों को देखने के लिए गया। सौभाग्य से मैं पैदल ही था, रास्ते में एक टैंकर मिल गया तो मेरी टोपी को देख कर उन्होंने कहा, कहां जायेंगे पण्डित जी ? मैंने कहा, जहां मजदूर लोग काम करते हैं वहां जाऊंगा। उन्होंने कहा, बिराजिये। मैं बैठ गया। सभापति महोदय, उस टैंकर से पानी इस तरह बह रहा था जिस तरह रियासतों के वक्त राजा महाराजा जब अपना दौरा किया करते थे उससे पहले मार्ग पर छिड़काव होता था, उसी तरह छिड़काव हुआ जा रहा था। वह पानी जब वहां मजदूरों तक पहुंचा, टंकी आधी हो चुकी थी। सभापति महोदय, पैसा भी लग गया और जिन लोगों को हम पानी पहुंचाना चाहते थे उन तक पानी भी नहीं पहुंचा। तो पैसा लगे उसका उपयोग नहीं हो, यह एक बहुत बुरी बात है। पैसा चाहे आप एक-अरब नहीं दो अरब ले लो, 10 अरब ले लो, सिंचाई के लिए दे देंगे। हम आपकी तरह कंजूस नहीं हैं बहुत उदार हैं, लेकिन रुपया लेकर कम से कम ऐसे स्थानों पर योजना बनाओ जो सदियों से पानी के लिए तरस रहे हैं। जब आप योजना ही नहीं बनायेंगे, आधार ही तैयार नहीं करोगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को पानी की सुविधा कैसे होगी। आज चाहे राजस्थान नहर से जलोत्थान करके चूरू जिले को पीने के लिए पानी दें या गंगा-यमुना का जो पानी देश के कई भागों को बरबाद कर रहा है उसको मोड़कर इधर लाने की चेष्टा करें, कम से कम योजना पर विचार तो करो। भारत सरकार उसको मंजूर करे या न करे यह अलग बात है, कम से कम योजना बनाकर भारत सरकार के सामने प्रस्तुत तो करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, घर के देवता और घर के पुजारी हैं। राजस्थान नहर मंत्री चूरू के ही हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : इसलिए सिंचाई पर बोल रहा हूं। मेरे चूरू जिले में सिंचाई सुविधा नहीं है। आपने वाजिब फरमाया है कि घर का देव और घर का पुजारी। सिंचाई मंत्रीजी को इसलिए मैंने निवेदन किया है कि राजस्थान नहर से जलोत्थान द्वारा चूरू जिले को पानी मिले, ऐसी व्यवस्था आप करावें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज सिंचाई की मांगों पर विचार हो रहा है, मैं भी मेरे जिले की सिंचाई की जो आवश्यकता समझता हूं उस पर हमारे सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : उपयोगी सुझाव दें।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारा जालौर जिला एक पिछड़ा-जिला है । जालौर में बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। 12 महीने उन नदियों में पानी बहता रहता है परन्तु बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम लोग जब इस विधान सभा में आये, उस समय से इन नदियों के पानी को रोककर हमारे क्षेत्र में कोई बांध नहीं बांधा गया है। एक जेतपुरा नदी है उसमें 12 मास पानी बहता है। किसान बेचारा अपनी कच्ची नहर बनाकर, 4-5 किलोमीटर से भी लम्बी नहर बनाकर दूर से पानी को इकट्ठा करता है और अपने खेत में पानी ले जाकर सिंचाई करता है। सभापति महोदय, पानी बहुत है, लेकिन वह तमाम पानी गुजरात में वैसे ही जा रहा है उस पानी को रोक कर, गुजरात में जाते हुए पानी को रोककर उस नदी पर अगर कोई डैम बांध दिया जाये तो हमारा जो क्षेत्र है वह काफी हरा भरा हो सकता है। इसी तरह बड़गांव में 12 मास बहने वाली नदी है।

पंचायत समिति सवन्तपुरा में बान्डी सैंदड़ा में एक बहुत बढ़िया नदी है। दोनों पहाड़ों के बीच में से होकर बान्डी संदड़ा नदी निकलती है उन दोनों पहाड़ों के बीच में बांध बना दिया जाय। बान्डी सैंदड़ा पूरसाम के पास बांध की योजना काफी समय से विचाराधीन है। काफी समय पहले उसका सर्वे वगैरह हो चुका है। मैंने ऐसा सुना है कि राजस्थान सरकार ने उस योजना को ठीक समझा और योजना स्वीकृति के लिये भारत सरकार को भेज दी गई है। परन्तु काफी समय हो गया है अभी तक उस स्कीम की स्वीकृति नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बान्डी सैंदड़ा नदी पर बांध बनाने की योजना का प्रावधान आप इसी सत्र में रखें। चूंकि जालौर जिला अकाल से पीड़ित जिला है इसलिए आप इस सत्र में इस योजना को हाथ में लेंगे तो लोगों को मजदूरी मिल जायेगी और योजना का काम भी आरंभ हो जायेगा। इस बान्डी सैंदड़ा नदी से करीब 20-25 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। सभापति महोदय, बिजली की आज हमारे किसानों को बड़ी किल्लत है। किसान बिजली के शिकार हो रहे हैं इससे भी उनको कुछ राहत मिलेगी इसलिए मैं आप के द्वारा हमारे सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बान्डी सैंदड़ा स्कीम को हाथ में लिया जाय और जेतपुरा, बड़गांव नदी पर डैम बनाकर उस पानी का दुरुपयोग किया जाय जो गुजरात में जा रहा है। इस तरह से कई ऐसे स्थान हमारे जालौर जिले में जो बांध बांधने योग्य हैं। कई बांध ऐसे बनाये गये हैं जिनका ठीक से सर्वे नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष थोड़ी सी वर्षा होने से ही बांध टूट गये। सांथरू बांध जो है 2 साल पहले ही बनाया था, इस वर्ष इतनी ज्यादा बरसात भी नहीं हुई परन्तु गलत जगह बनने से वह बांध टूट गया। अधिकारी लोग क्या करते हैं बांध बनाने से

(श्री रतनाराम चौधरी)

पहले ? उस सांधरू बांध में पानी रुक नहीं सकता , उससे इरिगेशन हो नहीं सकती लेकिन वह बांध बना दिया गया । उसकी साइड में काश्तकारों के खेतों में नहर बनानी शुरू कर दी। हम जानते हैं कि बांध से सिचाई नहीं हो सकती है परन्तु अधिकारी लोग न मालूम किस तरह से सर्वे करके जिसका उपयोग नहीं है उस बांध को तो हाथ में ले लेते हैं और जिसको उपयोगी समझते हैं उस बांध को हाथ में नहीं लेते है। उसको हाथ में लेना बन्द नहीं करते हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 3 स्कीम हैं हमारे जिले की कायापलट करने वाली स्कीम हैं । जैतपुरा, बड़गांव और बान्डी सैंदड़ा, इन तीनों स्कीमों को इसी बजट सत्र में हाथ में लेने का प्रावधान बजट में रखकर जालौर जिले पर असीम कृपा करें। इसके लिये हमारे क्षेत्र की जनता आभारी रहेगी । इससे जो बेचारे किसान बिजली से पीड़ित हैं उनको भी राहत मिलेगी।

जयहिन्द.

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 पर सदन में...

श्री सभापति : अपने कारगर सुझाव दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कारगर ही देते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : आपने तो पहले ही टोक दिया ।

माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया जा रहा है। मैं सबसे पहले अपने जिले के बारे में सरकार का और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सभापति महोदय, हमारा उदयपुर जिला पूरा पहाड़ी जिला है । पहाड़ी इलाका है और आदिवासी वहां बसते हैं । उनके पास जमीन भी बहुत कम हैं, नहीं के बराबर जमीन है। वहां पानी का कोई साधन नहीं है। अभी बड़े-बड़े बांध जहां बंधे हैं वह कुछ दूर हैं। खास तौर से कोटडा झाड़ोल, के सम्बन्ध में मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने एक बात कही, मैं भी आपका ध्यान देवास योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जो योजना देवास योजना के नाम से थी, सुखाड़िया जी के टाइम पर उसका पहला चरण पूरा हुआ उसके बाद में किन्हीं कारणों से इस योजना का कार्य बन्द कर दिया गया। यह योजना उदयपुर जिले की 4 तहसीलों को पानी देती है। अब उसका नाम बदलकर वाकल योजना कर दिया गया है । ताज्जुब की बात तो यह है, सभापति महोदय, जब जनता पार्टी का राज्य था, कांग्रेस के जमाने में देवास योजना बन्द हुई थी, तब इस योजना को वाकल योजना के नाम से परिवर्तित कर दिया । मैंने लास्ट टाइम में इस बात को उठाया था। जनता पार्टी का जब राज्य था तब कांग्रेस पार्टी के स्थानीय लोगों ने बेमिसाल जुलूस निकाला और यह कहा कि हमारी देवास योजना को पूरा करें। यह आज भी भीतों पर और दीवारों पर लिखा हुआ मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज तो आपका राज है, अब तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है फिर आप क्यों नहीं देवास की योजना को पूरा करके इस इलाके को

(श्री मेघराज तावड़)

पानी देना चाहते ? मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, इस बजट में जो प्रावधान किया है, देवास योजना यानी वाकल योजना को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाय ताकि उदयपुर की जनता के पीने के पानी की समस्या समाप्त हो सके। आज पिछोला झील खाली है, फतेह सागर झील खाली है, उदयसागर झील खाली है। उदयपुर में आज पीने के लिये पानी नहीं है, सभापति महोदय, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस योजना को तुरन्त हाथ में लेकर काम शुरू करवाया जाय।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे इलाके में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सेही बांध बनाया गया है वह जवजा बांध और जोधपुर और उधर जाता है। जहां बेकरिया स्थान है वहां सेही बांध बांधा है। आज वहां की धरती प्यासी है और वहां के लोग प्यासे हैं। तो मैं कोई विरोध नहीं करना चाहता कि रेगिस्तानी इलाके में जहां पानी नहीं है वहां पानी नहीं दिया जाय लेकिन मैं सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि या तो इस सेही बांध को ऊंचा किया जाय और कुछ पानी बेकरिया का जो इलाका है उसको दिया जाय। पास में ही कालीबोर है जहां एक मोगा है उसका सर्वे करवाया जाय और उसको बांधा जाय।

तीसरा, सभापति महोदय, सोम कागदर बांध बांधा गया है उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां गिरासियों के कुछ गांव हैं उन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं इसलिये जिस बात को मैं कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन सुन रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : यह बता दें कि उन्होंने क्या सुना है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह आप अपेक्षा नहीं करते। आप आसन के माध्यम से कहें...

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि मैंने क्या कहा, मंत्री जी बता दें ?

श्री सभापति : आप यह अपेक्षा नहीं करते। आप आसन को सम्बोधित करके कहिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, यह कोई प्राथमिक शाला नहीं है, यह सदन है।

श्री मेघराज तावड़ : मैं समझता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : सोम कागदर डैम जो बना हुआ है

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री जी क्या कह रहे हैं वह सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो देवास योजना के नाम परिवर्तन की बात कही, आपने जो सेही बांध के सम्बन्ध के बारे में जो बात कही और आपने जो सोम कागदर परियोजना के संबंध में बात कही। तीनों बातें जो आपने कही।

(178)

श्री मेघराज तावड़ : जी, ठीक है। मैं अब वापस कह रहा हूं…

श्री परसराम मदेरणा : अब आप और कह दें। लेकिन कौन क्या बात कर रहा है 1-2 मिनट के लिये, वह देखता किधर है बैठता किधर है, सुनता सब है। जब आपकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। यहां पर आये हैं हर बात को सुन रहे हैं। आपकी सब मांगों की पूर्ति हो जायेंगी यह नहीं कह सकता लेकिन सुन सब रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़: अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा, मैं विरोध पक्ष से आता हूं और मेरे इलाके की बात है इसलिये मेरे इलाके की मांग मन्जूर नहीं होगी। इसके लिए धन्यवाद।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सोम कागदर बांध की बात को तो आपने सुन लिया, मंत्री महोदय, लेकिन उसमें जिन लोगों की जमीन डूब में आई उन लोगों को मुआवजा आज तक नहीं मिला है। खैरवाड़ा में कई असिस्टेन्ट इंजीनियर, जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, कई बार मजदूरों को बुलाते हैं। उन्होंने दो दो सौ रुपये एक एक काश्तकार से मांगे हैं। काश्तकार दे नहीं सकते इसलिये आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, इसी बात के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, गोगुन्दा क्षेत्र में कर्धा गांव के ऊपर साथरा से बनास नदी निकलती है, उस इलाके में पीने के लिये पानी नहीं है। इरिगेशन के लिये भी पानी नहीं है। पानी बिल्कुल गहराई में चला गया है। वहां पर 9 हैण्ड पम्प लगाये गये वह भी, मंत्री महोदय, आपके क्षेत्र में हैं। सात पम्प में से तीन पम्पों में पानी आया, बाकी में नहीं आया। तो वहां जो योजना है…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिंचाई पर बोलिये।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, पानी से सम्बन्धित है…

(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं।

श्री मेघराज तावड़ : पानी से मतलब सिंचाई की बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सदन के बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं और बहुत तैयारी करके आते हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से बहस में भाग लेते हैं। आप सिंचाई सम्बन्धी सुझाव दीजिये अपने।

श्री मेघराज तावड़ : जी हां। सभापति महोदय, यही कहना चाहता था कि बांध बांधा जाय। मैं कह रहा था कि वहां से बनास नदी निकलती है। कर्धा ही के पास रोहड़ा गांव है। आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप पांच लाख रुपया दे दें तो कम से कम पांच सात गांवों की एक हजार डेढ़ हजार बीघा जमीन पानी पी सकेगी। इसके लिए मैं चाहूंगा मंत्री जी विशेष कृपा करेंगे आपने तो वैसे कह दिया कि मांगें मन्जूर होंगी नहीं लेकिन मैं जानता हूं कि बड़े उदार दिल के हैं। मंत्री महोदय, आप सक्षम हैं और हम जैसे लोगों को कभी इसके लिए निराश नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, अब मैं राजस्थान कैनाल के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, लम्बे समय से भ्रष्टाचार की बात तो सब कहते आ रहे हैं, इसलिये उसके कहने का-कोई फायदा नहीं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अभी भी वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लेते हैं, अमरीका जब तक नहीं कहता तब तक वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देता। मैं कहना चाहता हूं, अमरीका कभी नहीं चाहता कि वर्ल्ड बैंक आपको पैसा दे दें। जितना आप चाहते हैं या वे देते हैं तो कोई न कोई शर्त उसके लिये होती है। यह नहीं हो कि कभी ईरान के शाह आ जायं उसको दिखाने के लिये खर्च किया जाय। यह हमारी डिफेन्स की भी लाइन है, सभापति महोदय, इसलिए इसको पूरा कराने के लिए हर तरह के साधन काम में लिये जायं। इस योजना को पूरा किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो 198 या 200 इन्जीनियर्स के खिलाफ जो रामसिंह आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर आप सख्ती से कार्यवाही करेंगे तो वहां से भ्रष्टाचार मिट जायेगा। सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि 1981 से अब तक जितना सामान राजस्थान कैनाल के लिए अधीक्षण अभियन्ता यान्त्रिक ने खरीदा है आप उसकी जांच करवा लीजिये, लाखों रुपयों का घोटाला उसने किया है। चैयरमेन मनोहरलाल माथुर जब से वहां आये हैं उन्होंने तीन महीने के अन्दर सात-आठ करोड़ का सामान खरीदा है। क्या उस सारे सामान का उपयोग हो गया? क्या उसकी फर्जी एण्ट्री नहीं की गई? मैं चाहूंगा, 'उत्तर देते समय इसका भी विश्वास दिलायें, यह घोषणा करें कि जहां भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराई जायेगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए घग्घर चैनल जो टूटी है इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर मंत्री महोदय भी पधारे, मुख्य मंत्री जी भी पधारे हैं। मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं, आप मिले होंगे लोगों से, काश्तकारों से मिले होंगे कितना इलाका ऐसा है जिससे लोग प्रभावित हुए थे? जहां जहां बांध कटा हुआ था, ऐसी कितनी जगहों पर आप गये? मेरा कहना है, आपने उस दिन अपने भाषण में, वक्तव्य में भी कहा था कि यह जो चैनल टूटी, उसके टूटने का मूल कारण यह था, सभापति महोदय, किवाड़ बन्द थे। उसका यह मेरे पास फोटो है। जहां यह पानी काला दिखाई दे रहा है आपको इसी से अन्दाज हो जायगा कि किवाड़ बन्द होने की वजह से यह चैनल टूटी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जितने लोग हताहत हुए, जिनकी फसलें नष्ट हुईं आपने आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया। आप मौके पर पधारे और पधार कर यहां आ गये। यहां आकर आपने वक्तव्य दे दिया कि पटवारी को आदेश दे दिये हैं जल्दी से जल्दी जिन्सवारी करके कितना नुकसान हुआ वह बतायें। मैं कहना चाहता हूं, मुआवजा की घोषणा करें। आपके पटवारी की रिपोर्ट आ गई या नहीं आई? जिन लोगों की फसलें नष्ट हो गईं उनको मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है। उत्तर देते समय आप यह घोषणा करें कि उन लोगों को मुआवजा कब देंगे और कितना देंगे।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, जो चैनल टूटी उसकी जिम्मेदारी किसकी

(180)

(श्री मेघराज तावड़)

है ? आपने एकाध चौकीदार, असिस्टेन्ट इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया, क्या आपने वहां के एस.डी.ओ. को सस्पेण्ड किया ? क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की? यदि नहीं की तो क्यों नहीं की ? अगर की है, मंत्री महोदय, तो अपने उत्तर में बतायेंगे ।

सभापति महोदय, इसके साथ–साथ मैं राजस्थान नहर के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा । आज वहां कोई देखने वाला नहीं है । मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह ठेकेदारी प्रथा बन्द की जाय, मैं उनसे सहमत हूं । मैं मांग करता हूं कि ठेकेदारी प्रथा राजस्थान कैनाल पर बन्द की जाय और जितने भ्रष्ट कर्मचारी वहां पर हैं उनको हटाया जाय । आज कुछ लोगों को इतने लम्बे टाइम से वहां बिठा रखा है । रेगिस्तानी इलाका है, आज वहां चोरियां होती हैं उसको कोई रोकने वाला नहीं है । इंजीनियर, ओवरसियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर मौके पर ज्यादा नहीं जाते इसका कारण है नहर का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, चोरियां ज्यादा हो रही हैं । कोयले की चोरी हो रही है । मैं तो कहता हूं कि आपको कोयला जो मिलता है उसको लाने के लिये वैगन यहां तक ला नहीं सकते । कोयला लाने के लिये आपको विल्टी नही मिलती, गाड़ी नहीं मिलती । आप इस कैनाल को पूरा करना चाहते हैं इसलिये मैं सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आप युद्ध स्तर पर पर इस कार्य को पूरा करावें । वहां जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो रामसिंह आयोग की रिपोर्ट है उसमें जिन जिन लोगों के खिलाफ चार्जेज हैं उनको सख्ती के साथ वहां से हटाया जाय । उनके खिलाफ कोर्ट में केसेज किये जा सकते हैं तो कोर्ट में केस करें, पुलिस में चालान करना है तो पुलिस में उसके खिलाफ केस दायर करायें । उनको नौकरी से हटायें । सख्ती के साथ आपको काम लेना पड़ेगा नहीं तो भ्रष्टाचार कभी बन्द नहीं हो सकता । ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है । माननीय सभापति महोदय, मेरे सोम कमला आम्बा, और दो तीन बांधों के बारे में जानता हूं । समयाभाव के कारण मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता लेकिन मोटे तौर पर कहना चाहता हूं कि सख्ती के साथ ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटाया जाय । जो भी इंजीनियर वहां जाय, जिस इंजीनियर को अपाइन्टमेन्ट दें उसकी प्रोपर्टी क्या है पहले उसकी जांच की जाय इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनने के बाद उसकी प्रोपर्टी क्या हो गई और लाखों के बंगले कहां से आये, इस बात की भी जांच की जाय तो चोरी पकड़ में आ सकती है । ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाय । आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री महारामजी ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सिंचाई का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है । राजस्थान में अन्तर्राज्यीय सिंचाई योजनाओं का काम चल रहा है वृहत सिंचाई योजनाओं का काम चल रहा है और मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं का भी काम चल रहा है । इन योजनाओं की जिस तरह से क्रियान्विति हो रही है उसमें आम आदमी की काफी शिकायतें हैं । शिकायतों की जो बुनियाद है उस बुनियाद को समाप्त करने के लिये जिस जगह पर जो भी काम हो रहे हैं उसके सम्बन्ध में अगर यह सरकार थोड़ा टार्गेट बना करके काम करे और जिनके

(श्री महर्राम चौधरी)

खिलाफ शिकायत है उनके खिलाफ कार्यवाही करें तो काम में थोड़ी बहुत तीव्रता आ सकती है और काम सुचारु रूप से चल सकता है। राजस्थान जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, यहां का किसान बहुत कार्यकुशल है, खेती के अन्दर माहिर है। राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो पैसा लगाया जाता है,

(6.50 सायं)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

मैं विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल के लिए जितनी भी आपकी दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम हैं उनको बन्द करके वह पूरे का पूरा पैसा इरिगेशन योजनाओं पर लगा दिया जाय तो मैं समझता हूं इरिगेशन योजनाओं की पूर्ति होने के बाद दूसरे जितने भी विकास के काम हैं वे अपने आप हो जायेंगे।

सभापति महोदय, जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाओं और मध्यम योजनाओं की तरफ ध्यान दिया जाता है उसी तरह लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लघु सिंचाई योजना थोड़े समय में तैयार हो जायेगी और कम पैसे में तैयार हो जायेंगी। इनकी उपयोगिता तो होगी ही, थोड़े समय में उत्पादन बढ़ जायेगा मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और डी०पी० ए०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं पर कार्य करने की प्रणाली शुरू की है और कुछ काम आप सालों-साल अकाल पड़ता है। तब अकाल के दिनों में भी कराते हैं। ये जो काम डी.पी.ए.पी. और मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बजट से इरिगेशन विभाग करता है उसमें उनका आपस में तालमेल नहीं रहता है। सिंचाई विभाग वाले तो यह मानते हैं कि यह हमारी योजना नहीं है, यह हमारा पैसा नहीं है। इसलिए वहां जो कार्यक्रम था जो सिंचाई का काम चलता है उसको सुचारु रूप से नहीं चलाते हैं। डी.पी. ए.पी. वाले जो पैसा देते हैं, वे सोचते हैं कि यह ये जो काम कर रहे हैं इससे उनकी वाहवाह होगी इसलिए वे भी इस मामले में सहयोग नहीं देते हैं। बहुत सी लघु सिंचाई योजनाओं के जो कार्यक्रम हैं, पिछले कई सालों से अकाल पड़ रहा है, अकाल में बांधों को बनाना शुरू करते हैं। दो-दो तीन-तीन महीने काम करके थोड़े दिन बाद वे काम बन्द कर दिए जाते हैं। मेरा निवेदन है, अकाल राहत कार्य के अन्दर जो भी लघु सिंचाई योजना के काम आप लेते हैं, अगर अकाल राहत काम बन्द हो जाएं तो भी उन कामों को आप लगातार चालू रखकर कम्पलीट कीजिए। हालांकि राजस्थान के नक्शे में इरिगेशन पर्पज के हिसाब से नागौर का शायद नाम निशान ही नहीं है। अकाल राहत कार्यों के अन्दर इरि-गेशन के बांधों का थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, उन कामों को लगातार चालू रखकर कम्पलीट करा देना चाहिए।

मैं राजस्थान कैनाल की तरफ थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस राजस्थान कैनाल का जो कार्य चल रहा है इसके अन्दर भयंकर घोटाले हैं। उन घोटालों को दूर करने के लिए ठेकेदारी प्रथा की तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। काम बराबर नहीं हो रहा है। लिफ्ट योजना से यदि आप सिंचाई के लिए पानी नागौर जिले को, सीकर को, झुंझुनू को, पर्याप्त मात्रा में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम पीने के पानी की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। मैं सोचता हूं,

(श्री माहाराम चौधरी)

राजस्थान नहर मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों पानी की तृष्णा वाले मंत्री हैं, तृष्णा वाले मंत्री होते हुए इनको इस तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। इसमें अगर सरकार सोचती है कि इसमें पैसों की कमी है तो यह भी हम मानते हैं, मेरा निवेदन है, पहले नम्बर पर राजस्थान का जो विकास का इतना बजट है उसको लगाना चाहिए। उससे भी यदि आपकी पूर्ति नहीं होती है तो आप जन-सहयोग लीजिए। राजस्थान का आदमी यदि अपने क्षेत्र में पीने के पानी के लिए 4-4 सौ फीट गहरा कुआं खोदकर पानी निकाल सकता है तो सीधा लेविल से पानी लाने में पीछे नहीं रहेगा। अगर पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होती है तो पश्चिमी राजस्थान के किसानों से आप श्रमदान करा सकते हैं। आदमी तैयार हैं, पानी के लिए कुछ भी कह दीजिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इस राजस्थान कैनाल का पानी नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू की तरफ लाने के लिए आप सब तरह का सहयोग ले सकते हैं। मैं तो विशेष तौर से यही जोर देकर कहना चाहता हूं कि इन कामों के लिए आप दूसरे विकास के कामों को थोड़े समय के लिये रोक दीजिए। पानी आ जाएगा तो उससे अपने आप विकास हो जाएगा।

श्री सभापति : श्री गोकुल चंद शर्मा।

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सिंचाई की मांग पर चर्चा चल रही है। पानी कितना आवश्यक है राजस्थान के लिये, इस बारे में तो मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसकी किस प्रकार पूर्ति की जा सकती है उस पर मैं कुछ मेरे सुझाव रखना चाहता हूं। मैं सबसे पहले पुराने बांधों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार का कि बांधों का किस प्रकार, किस तरह से रख रखाव होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में जाने से पूर्व मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्य मंत्री को कि उन्होंने सिंचाई विभाग की तरफ इतना ध्यान दिया। दो केबिनेट स्तर के मंत्री रखे, एक राज्य मंत्री बनाया और एक उप मंत्री बनाया। इससे यह आभास होता है कि हमारे मुख्य मंत्री राजस्थान के अन्दर इस सिंचाई विभाग के लिए कितना विचार कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। मेरा सुझाव है, कृपया आप एक काम और कर दें, मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के पास काम नहीं हो तो इसमें से कुछ टुकड़े करके उनको काम दे दें ताकि इसका मानीटरिंग ठीक तरीके से हो सके। मेरा निवेदन है कि · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : भाषण जारी रखें, माननीय सदस्य।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : आज हमारे यहां पर बांधों का जो रख रखाव का काम किया जा रहा है उसमें सिर्फ मेंटीनेन्स एण्ड रिपेयर्स और स्पेशल रिपेयर्स का काम करते आ रहे हैं। मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे यहां पर मेन्टीनेन्स का काम हो रहा है वह ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। आज जो पुराने बांध बने हुए हैं उनको पहले केवल कैचमेंट एरिया से ही नहीं भरते थे बल्कि उनकी फीडर, कैनाल बनी हुई है उनसे भी भरते थे। मैं देख रहा हूं कम से कम 15-20 साल से उन फीडर, कैनाल्स की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं विशेष तौर से मेरे जोधपुर डिवीजन की बात करना चाहता हूं

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

और हमारे मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक नहीं अनेक, खारड़ा, हेमावास , सूदपुरा कई बांध ऐसे हैं जब तक उनकी फीडर से पानी नहीं आएगा तब तक उसमें पानी नहीं ला सकते। पानी नहीं लायेंगे तो वे बांध सूखे रह जायेंगे। इसलिए मेन्टीनेन्स प्रोग्राम के लिए जो पैसा हम देते हैं उसमें इन फीडर, कैनाल्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उन बांधों के अन्दर पानी भर सकें और उस सूखे क्षेत्र में पानी ला सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी के साथ-साथ बांध बनाने से ही काम नहीं चलेगा। बांध बनाने के बाद उनकी उपलब्धि क्या है और उनसे किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकते हैं और जितनी भूमि में आपने इर्रिगेशन अनुमानित की है, क्या उतनी में इर्रिगेशन कर रहे हैं यह भी देखना पड़ेगा। कई बांधों का दृष्टांत देकर, प्रमाण देकर बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बांध तैयार हो गए और आपने जितनी भूमि के लिए अनुमान लगाया कि इतनी भूमि में इर्रिगेशन करेंगे, बांध के अन्दर पानी भी आ जाता है यह भी सही बात है लेकिन फिर भी इर्रिगेशन नहीं हो रहा है उसका क्या कारण है ? सभापति महोदय, आपरेशन लासेज तो हो सकते हैं लेकिन जो सीपेज के लासेज हो रहे हैं बांध में उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे ही क्षेत्र में एक बांध है जो 1954-55 में बनकर तैयार हुआ था। उस बांध में एक बार नहीं अनेक बार पानी भरा है, अनेक बार बांध पूरा भरा है, उसकी नहरें बनी हुई हैं लेकिन उससे इर्रिगेशन कितना हुआ? रिकार्ड उठाकर देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि उसमें किसी एक साल में भी अनुमानित इर्रिगेशन नहीं कर पाए। एक डेढ़ महीने के बाद बांध खाली हो जाता है क्योंकि उसके अन्दर सीपेज बहुत तेजी से हो रहा है। मेरा निवेदन है कि उसके अन्दर पोलींथीन ट्रीटमेंट (Polithin Treatment) अपस्ट्रीम या साइड में ट्रेन्स भरकर या काली मिट्टी डालकर या कोई ब्लैंकेट डालकर किस प्रकार से या सीपेज को रोक सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इर्रिगेशन विभाग के अन्दर कई साधन हैं। आज की टैक्नॉलोजी के हिसाब से बहुत से साधन हमारे यहां बन चुके हैं उनके जरिये सीपेज को रोकें। यह जो काम मेरे यहां पर है और मेरे सामने हैं इसलिए मैंने यह बात कही। राजस्थान में मैं अनुभव करता हूं, कई ऐसे बांध होंगे जिनके अन्दर सीपेज से पानी निकल जाता है और हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रख रखाव के साथ साथ हमारे राजस्थान में पुराने बांधों के आधुनिकीकरण की एक योजना बनाई गयी है।

करोड़ों रुपये इस पर खर्च किये जा रहे हैं। लेकिन आधुनिकीकरण का कार्य कितना रहा है उसका कितना फायदा मिल रहा है उस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारे उच्च अधिकारियों को इस बात को देखना चाहिये। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय द्वारा भी विशेष रूप से इसकी मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपको मेरे क्षेत्र के जंवाई बांध के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। तीन करोड़ रुपये की स्कीम आज से पांच साल पहले उसके आधुनिकीकरण के बारे में इसके अन्दर जो काम प्रस्तावित था और आधुनिक टैक्नॉलॉजी से इसको तैयार करने की बात थी। मैन कैनाल के अन्दर लाइनिंग करना प्रस्तावित था। आज मुझे ताज्जुब है कि जो

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

मैन कैनाल बनना आवश्यक था, जो पहले कैपेसिटी थी उसको और अधिक करने की बात कही गई थी उसका आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। इसका कारण क्या है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के अन्दर इन पांच सालों में मुश्किल से 15 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत काम हुआ होगा। मेरा निवेदन यह है कि अगर इसको पूरा करना है तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से और प्रार्थना करना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि कम से कम यह तो बता दें अपने उत्तर में कि कब तक यह योजना बनकर तैयार हो जावेगी ? उस योजना के ऊपर आपका स्टाफ का इतना खर्चा आ रहा है। सभापति महोदय, जो स्टाफ पर खर्चा किया जा रहा है उस खर्चे के मुकाबले कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मुझे ताज्जुब है, उसके लिये। आखिर क्या बात है आपके पास पैसा नहीं है या आप पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर आपने इसको प्रस्तावित कैसे कर दिया ? यह काम कहां पर अटका हुआ है ? कभी कहते हैं कि सी० ए०डी० सर्वे नहीं हुआ। उनको कभी कहते हैं कि यह नहीं है, कभी कहते हैं कि वह नहीं है। आखिर कहां बात अटकी हुई है ? उसको आप देखें और पूरा करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

अभी तो श्रीगणेश हुआ है। सभापति महोदय, पुराने बांधों को पूरा किया जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिंचाई विभाग में पहले रह चुके हैं इसलिये अपना अनुभव बता रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : हां, मैं थोड़े दिनों इस विभाग में रहा हूं मुझे जो अनुभव हुआ वह थोड़ा आपको निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, थोड़ी देर पहले मेरे साथी जो मारवाड़ जंक्शन, खारची से आते हैं, ने कुछ बातें कहीं, सरकारी अधिकारियों के बारे में कुछ बातें कहीं। सरकारी अधिकारियों के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी चर्चा की। सभापति महोदय, मुझे याद है, आज से 30 साल पहले का जमाना, आज से तीस वर्ष पहले का इतिहास, सन् 1950-51 में हमारे राजस्थान में बाहर से इंजीनियरों को बुलाया जाता था। मोतीरामजी खत्री साहब और लाम्बा साहब, जो कि रिटायर हैण्ड हैं, हम जब सोचा करते थे, ऐसा भी होगा कि हमारे यहां के लोग इंजीनियर बनेंगे। मुझे यह देखकर खुशी है कि, हमारे राजस्थान के निवासी, हमारे राजस्थान के ही रहने वाले राजस्थान में इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। आज हमारे राजस्थान के चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर हैं, एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं और ए०ई०एन०. जे० ई० एन० हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में उनकी बात मानी जाती है। हमारे इंजीनियर्स के बारे में यह बात कही गयी है कि जनता पार्टी के राज्य में रामसिंह आयोग राजस्थान कैनाल के इंजीनियर्स पर बैठाया गया था। उस रामसिंह आयोग ने रिपोर्ट दी थी उसके बारे में, सभापति महोदय, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा मैं कहना चाहूंगा कि रामसिंह आयोग ने जो रिपोर्ट दी, क्या है रामसिंह जी कोई टैक्निकल पर्सन थे ? क्या रामसिंह जी को यह पता था कि कैनाल में ईंटें कैसे लगती हैं ? क्या रामसिंह जी को यह पता था कि कैनाल में पत्थर कैसे लगते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

क्या रामसिंह जी को पता है कि कैनाल किस प्रकार बनती है ? एक आई०ए०एस० अधिकारी को इंजीनियरों के ऊपर जांच करने के लिए बैठा दिया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी । मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, जो रामसिंह आयोग बैठाया, अगर आपको अपने यहां के इंजीनियर्स पर विश्वास नहीं था तो आप बाहर से चार इंजीनियर बुलाकर जांच करने के लिए बैठाते और वह अपनी रिपोर्ट देते । सभापति महोदय, जिन इंजीनियरों को आज हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में उनकी बात मानी जाती है तो, किस तर्क से रामसिंह जी ने कह दिया कि वह गलत है ? वे इंजीनियर्स के बारे में क्या जानते हैं ? सभापति महोदय, जिन इंजीनियरों ने इस नहर पर काम किया उनको आज से नहीं तीस साल से जानता हूं । बी०बी० शाह, जिनके खिलाफ में यह चार्ज लगाया गया कि वह भ्रष्ट हैं, मैं तीस साल से जानता हूं, वे एक हार्ड आनेस्ट आदमी हैं। उसके मुकाबले आपको कोई हार्ड ऑनेस्ट आदमी नहीं मिल सकता । मिस्टर नोवा, उनकी दूसरी बातों के बारे में, मैं नहीं जाता पर इंजीनियरिंग के काम में उनका जवाब नहीं है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन जैसे इंजीनियर आज भी हमारे यहां पर उपलब्ध नहीं हैं इस प्रकार के कितने ही इंजीनियर राजस्थान के अन्दर हैं, मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हमें उन लोगों पर गर्व करना चाहिये कि हमारे प्रान्त के अन्दर ऐसे अच्छे इंजीनियर हुए । एक दिन था, सभापति महोदय, जब हमारा जवाई प्रोजेक्ट बन कर तैयार हुआ उस समय सरकार से कहा कि आप पानी लीजिये, उस समय हमारे वहां के काश्तकारों ने कहा कि पानी नहीं लेंगे क्योंकि हमारी फसल खराब हो जायेगी, जमीन खराब हो जायेगी । वे लोग पानी लेने को तैयार नहीं थे । आज यह स्थिति है, सभापति महोदय, हर जगह से डिमाण्ड आती है कि हमें इरिगेशन के लिये बांध चाहिये । यह सूझबूझ उन लोगों में आई और यह सूझबूझ पैदा की उन लोगों ने । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमको गर्व है । हो सकता है, कुछ इंजीनियर भ्रष्ट हों, लेकिन जो व्यक्ति योग्य है, जो इंजीनियर योग्य है, जिनका नाम हिन्दुस्तान में है उनको , मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । उनके खिलाफ में चार्जेज लगाये गये हैं । यह बड़े शर्म की बात है कि जो इस तरह के काबिल लोग हैं उनके खिलाफ में यह बात कही गयी है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बात मेरी समझ में नहीं आयी । हमारे मुख्य मंत्री महोदय, माथुर हैं, हो सकता है माथुर नाम को बदनाम करने के लिये यह बात कही जाती हो लेकिन यह बात बर्दाश्त करने लायक नहीं है । क्या राजस्थान के अन्दर पहले माथुर नहीं थे जो आज यह बात की जा रही है ? माथुर राजस्थान में पहले भी थे आज भी माथुर हैं और भविष्य में भी माथुर रहेंगे । सभापति महोदय, माथुर ही क्यों, कोई शर्मा हो सकता है ,जैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है । परन्तु सिर्फ उनको बदनाम करने के लिये माथुर साहब का विरोध करने के लिये इस बात को कहा जाता है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । सभापति महोदय, मैं दृढ़ता से कहना चाहूंगा कि जो काबिल है वह काबिल है और काबिल रहेगा । उन्होंने जो काम किया है उसको हमारी आने वाली पीढ़ी और राजस्थान का इतिहास बतायेगा

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

कि हमारे यहां पर क्या काम हुआ है। इसलिये सभापति महोदय,..

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): ईमानदारों की लिस्ट तो बता दो।

श्री गोकुल चन्द शर्मा: आप कौनसा चश्मा लगाते हैं, कौनसे चश्मे से देखना चाहते हैं, यह तो मुझे पता नहीं। आपके देखने का चश्मा कौनसा है जो मैं आपको ईमानदारों की लिस्ट बताऊं।

श्री दाऊदयाल जोशी: एकाध नाम तो बताओ।

(व्यवधान)

श्री गोकुल चन्द शर्मा: मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं। उनका नाम मैंने सदन में लिया है। एक तो हैं बी०बी० शाह, जो रिटायर सी०ई० हैं। आपने जो रामसिंह आयोग बैठाया उसने उसको भ्रष्ट कहा। बी.बी.शाह का आपको नाम याद नहीं रहा हो तो आपको और बता दूं, बी. बी. शाह अच्छी तरह से याद कर लो।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने बांधों के बारे में कह चुका हूं पर अब थोड़ा नये बांधों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, साइट फिजीबल नहीं है। और हम चुप हो जाते थे कि साइट फिजिबल नहीं है लेकिन अब तो हमारे यहां घर घर में इंजीनियर हो गये हैं।

राजस्थान में इंजीनियरिंग कालेज खुल चुका है, लोग समझने लग गये हैं और हम उनको चैलेन्ज भी करने लग गये हैं इसलिये वे यह तो नहीं कहते हैं पर एक दूसरी बात और आ गयी है वह है बी.सी.रेश्यो। वे यह समझ गये कि हम इसको चैलेन्ज नहीं कर पायेंगे। उन्होंने एक नया अड़ंगा लगा दिया बी०सी०रेश्यो का। सभापति महोदय, मैंने काफी सोचा और मैंने बहुत ही समझने की कोशिश की पर मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर यह बी०सी०रेश्यो क्या है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप अपना उत्तर दें तो इस बात का भी जवाब दें कि यह बी०सी० रेश्यो क्या है। जहां तक मैं समझ पाया हूं? इसका मतलब बैनीफिट कॉस्ट आफ दी प्रोजेक्ट है तो यह बैनीफिट कॉस्ट आफ दी प्रोजेक्ट जो है वह यह है कि जब प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है तब बी०सी०रेश्यो में यह देखते हैं कि यह 1.5:1 है या 1.1:1 है। आपने कह दिया कि यह साइट फिजीबल है, उसके बाद में बांध बनाने को कह दिया और बांध कन्स्ट्रक्ट होकर बांध तैयार हो जाता है। 20लाख के तखमीने वाला उदाहरण के लिये मान लो, 50 लाख रुपये में बांध बनकर तैयार हो जाता तो उसका बी०सी०रेश्यो देखते हैं। जैसा कि भैसासिह प्रोजेक्ट तैयार किया गया। भैसासिह प्रोजेक्ट की जो प्रारम्भिक योजना थी वह 50 लाख रुपये की थी। उसके बाद में वह 50 लाख रुपये की योजना जब बांध बनने लगा तो यह योजना बन गई एक करोड़ 34 लाख रुपये की।

उसके बाद आपने दो करोड़ चार लाख का तखमीना बना दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि बी.सी. रेश्यो खतम हो गया आप उसके बाद भी कहते जा रहे हैं कि 50 लाख रुपये की योजना है, सब कंडीशंस के अन्दर जंवाई प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। लेकिन उसको किसी भी सूरत में सिस्टमैटीकली, ढंग से पूरा नहीं कर सकते अगर ऐसे

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

ही काम होता रहा तो । इसके अन्दर 100 तरह की दिक्कतें आयेंगी । जैसे टेण्डर काल किये तो हाई रेट के आ गये, फाउण्डेशन खोदने लगे तो रोक नहीं आई, ऐसी कई प्राब्लम्स आ सकती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कास्ट इतनी बढ़ जाती है उसके बाद बी.सी. रेश्यो कहां टिकता है ? वह नहीं टिक सकता। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, विशेषकर आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इंजीनियर्स को बिठाकर एग्जामिन करवायें, इसको हटवा दें । अगर भारत सरकार ने थोप दिया तो उसको आप समझाने की बात करिये । हमारी बड़ी भारी आफत हो रही है । हमारा जितना भी पानी है वह बाहर के राज्यों में जा रहा है । आज गुजरात, यू.पी. के अन्दर हमारा पानी जा रहा है । आज हम परेशान हो रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बी.सी. रेश्यो आड़े आ जाता है । इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कृपा करके बड़े ध्यान से देखें और एग्जामिन करायें कि यह किस प्रकार बनकर तैयार होता है यह कैसे हमको कह देते हैं कि बी.सी. रेश्यो के कारण हमारे प्रोजेक्ट तैयार हो नहीं सकते ।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में । इसके बारे में बहुत सारी बातें कहीं । हमारे इंजीनियर्स बदनाम होते हैं । मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वह पक्षपात को छोड़ दें । आज एक ठेकेदार चला गया उसके कागजात को आप लिये बैठे रहते हैं और बदनाम होते हैं । मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूं । मेरे यहां, सभापति महोदय, भैंसासिह प्रोजेक्ट पर 6 लाख रुपये का ओवर पेमेंट कर दिया । मैंने माननीय परसरामजी मंत्री महोदय को पर्सनली लिखकर दिया है कि आप इसको एग्जामिन करवायें । यह प्रूफ हो गया, रिकार्ड पर है । उस पर 6 लाख रुपये का ओवर पेमेंट किया गया । आज 3200 बोरियां सीमेंट की वहां जब्त की हुई पड़ी हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं है । ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया, उससे आप रिकवरी नहीं कर सकते ? वह ठेकेदार पी.एफ.आर. में काम करता था । वहां पर भी पैसा बकाया नहीं है । आप नोटिस जारी करते हैं, वह पैसा नहीं देता है । मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों उसको सेव करना चाहते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : भ्रष्टाचार का क्या हुआ यह बतायें ।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : मैं यही बता रहा हूं । आप उसको क्यों सेव करना चाहते हैं ? इंजीनियर्स ऐसे आदमियों को सेव करना चाहते हैं । 6 लाख रुपये का गबन हो गया ओवर पेमेंट हो गया । वहां भ्रष्टाचार हुआ है । दोषी अधिकारी सामने लाकर सस्पेंड कीजिए । ताकि हमारी छवि सुधरे । मैंने इसके बारे में माननीय मदेरणा जी को लिखा था, उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा । आज 6 महीने का समय बीत गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको आगे कोई आशा है क्या एक्शन की ?

श्री गोकुल चन्द शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था भ्रष्टाचार के मामले में और यह कह रहा था कि हमारे यहां एक-दो आदमी भ्रष्ट

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

होते हैं उनकी वजह से हमारा विभाग, हमारी सरकार बदनाम होती है। मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को एक बार सामने लाकर के निकाल दें ताकि हमारी छवि सुधर सके और हम दुनिया के सामने कह सकें। मैं निवेदन करूंगा सरकारी अधिकारियों से चीफ अभियन्ता से, अतिरिक्त चीफ अभियन्ता से कि ऐसे आदमी जो भ्रष्ट हैं उनको हटा दें। भूरचन्द जैन है, वह योग्य आदमी है। आज ए.पी. सिंघल जैसा आदमी सैक्रेटरी बन कर बैठा हुआ है राजस्थान कैनाल में। मैं जानता हूं ऐसे आदमियों को जो निकम्मे हैं, जो कुछ नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से कहना चाहता हूं, खासकर मुख्य मंत्री जी से कि मुझे मालूम है, आप मेरे साथ बैठकर बात करें। फिर देखिये 6 महीने के अन्दर किस प्रकार का परिवर्तन आता है राजस्थान के इस विभाग के अन्दर मैं बता सकता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): आपके तजुर्बे का लाभ नहीं उठाते।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : मैं भी सरकार का एक अंग हूं, आप भी हैं। इस राजस्थान सरकार के अन्दर जो भी बैठता है उनको आप भी कह सकते हैं। आप भी चिल्ला रहे हैं, किस लिये ? सिर्फ राय देने के लिये। मेरी कोई वक्त नहीं है, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, मैं अपनी राय देने का हक रखता हूं।

श्री सभापति : आप भाषण कीजिए, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : आपने समय दिया है। मुझे कृपा करके पांच मिनट का समय और दें। मैं बाहर घूमता रहा, कम से कम अपने घर जोधपुर डिवीजन में आ जाऊं। मेरे यहां जो जवाई प्रोजेक्ट है उसके लिए अपनी बात मैं कह रहा हूं। मेरे यहां पर जवाई प्रोजेक्ट के लिये सेई का प्रोजेक्ट बनाया और उसका डाइवर्शन करके पानी लाने की योजना बनाई गई। यह बहुत बड़ी बात थी। उसकी कैपेसिटी 7000 मिलियन क्यू एफ.टी. है लेकिन उसके अन्दर पानी नहीं आता है। उसका कैचमेंट एरिया कम है। सेई को डाइवर्ट किया सेई को डाइवर्ट करने के अन्दर मुझे याद है, जिस वक्त सेई प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था तो वहां पर कालीबोर का सर्वे किया गया था और यह तय किया गया था कि उसी के साथ डाइवर्ट करके इसके अन्दर पानी लायेंगे। मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उस सर्वे को आप निकलवा कर उस स्कीम को पूरा करवायेंगे ? इसके साथ साथ मेरे जोधपुर डिवीजन की बात इसलिए कह रहा हूं कि जालौर, सिरोही, जोधपुर पास में ही हैं, उनका मुझे थोड़ा सा मालूम है, हम सब ने बैठकर इस मामले पर चर्चा की है दूसरे इस पर नहीं बोलना चाहते, उसके साथ एक बार हाइडल प्रोजेक्ट का सर्वे किया गया था। मुझे याद आता है कि आज से 25 साल पहले मनोहर लाल जिनके लिए कहते हैं वह कुछ नहीं हैं, अधिशाषी अभियन्ता थे, जिस टाइम उन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट की स्कीम बनाई थी उस समय उन्होंने जानकारी दी थी। वह चीफ इंजीनियर रह गये और मैं समझता हूं, राजस्थान में एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं लेकिन आज तक हाइडल प्रोजेक्ट कहां है क्यों नहीं अभी तक वह हाथ में लिया गया हमारे यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका कई सालों पूर्व सर्वे हो चुका है लेकिन पांच

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

साल हो गये एक पैसे का काम उन पर नहीं चला। इधर बैठने वाली जनता पार्टी के टाइम में जो काम चल रहे थे उनको भी बन्द कर दिया गया। जिनका सर्वे किया उनका भी काम नहीं होने दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यही स्थिति चलती रहेगी? जिसके अन्दर जीरावर बांध, उड़वाड़िया बांध चिनार बांध, करोड़ीधग बांध, धवली बांध सूकली सैलवाड़ा, बत्तीसानाला, मगथला बांध, पागी सूसली, जैतपुरा राणीवाड़ा उम्मीदपुर बांध, जिसका जंवाई बांडी उम्मेदपुर के पास सर्वे किया गया था। जवाई का पानी नीचे आकर सूसली और जवाई, दोनों शामिल होती है वह ऐसे की ऐसी पड़ी हुई हैं। कई साल पूर्व इनका सर्वे किया गया था उसका क्या हुआ, पता नहीं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो देवतड़ा बांध, यह पीथली बांध बन जाने के बाद में देवतड़ा बांध की स्कीम सर्वे होकर तैयार हुई थी यह वैसी की वैसी पड़ी है, मीठड़ी इनन्डेशन प्रोजेक्ट, लूणी बेसिन के सदस्य, अन्दर बहुत सारे प्रोजेक्ट लिये हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : आप जोधपुर डिवीजन से आने वाले हैं, लूनी बेसिन को जानते हैं, लूनी बेसिन के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। मीठड़ी इनन्डेशन प्रोजेक्ट बाण गांव के पास बनाने की बात थी लेकिन उसका भी पता नहीं है क्या हुआ?

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए। दो मिनट और हैं।

(व्यवधान)

श्री गोकुल चन्द शर्मा : दो मिनट में समाप्त करता हूं। इसके अतिक्ति कई योजनायें जहां कि तहां पड़ी हुई हैं। जैसे मोटा गांव, गोयली, फाचरिया, कामेरी, सिरोदकी, सागवाड़ा नाला, ठंडी बेरी, अनादरा, भरवच। इसके अतिक्ति मैं आपसे निवेदन करूंगा, बान्डी सैंदड़ा, बान्डी नहरा, सेई में बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें 12 माह पानी चलता रहता है। उसके लिये आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैंने छोटे और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कही। अभी थोड़ी देर पहले चम्बल, माही, गंगा-यमुना की बात हो रही थी। यह आवश्यक है कि इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे पडौसी दूसरे राज्य लीगल इल-लीगल तरीके से सैन्टर से पूछे बिना धड़ाधड़ प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं हमारी ओर से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी काया पलट तभी हो सकती है जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी को कि आपने सहानुभूति के लिए नर्मदा के सर्वे का डिविजन तो हमारे यहां स्थापित कर दिया है और उसने सर्वे भी चालू कर दिया है। सर्वे तो शुरू करा दिया उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि सर्वे का एक डिवीजन बनाने की बजाय पूरा सर्किल लगा दीजिए, आपके यहां तो बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए हैं वहां से आप उनको लेकर किसी भी प्रकार से उस सर्वे को पूरा करा दीजिये और कन्सट्रक्शन शुरू करा

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

दीजिए। आप यह कहेंगे कि उस पर प्रोजेक्ट तो बनना शुरू भी नहीं हुआ और हम कन्सट्रक्शन शुरू कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि आप कन्सट्रक्शन शुरू करा दीजिए, जैसे हमारी राजस्थान कैनाल में पानी आने वाला था और पंजाब ने उस पानी को यूटिलाइज करना भी शुरू कर दिया। उसी प्रकार की हमारी दशा फिर हो जावेगी। यह कैनाल पूरी नहीं होगी। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि 20 साल ही हमारी नहरों की उम्र होती है, यह कोई कहने की बात नहीं है। 20 साल की नहीं 100 साल की उम्र हो सकती है, 200 साल की भी हो सकती है। यह तो रख रखाव और कन्सट्रक्शन पर निर्भर है...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : राजस्थान कैनाल का कन्सट्रक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से 20 साल तो कहीं जाने वाली नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है मंत्री महोदय से कि आप कम से कम हमारे यहां पर नर्मदा के पानी के लिए किसी प्रकार से एक दो डिवीजन और लगाकर सर्वे जल्दी कम्पलीट करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई के बारे में आज मांग प्रस्तुत हुई है। बोलने के लिए, सभापति महोदय....

श्री सभापति : एक मिनट, मैं बीच में कह दूं। काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं अतः आप दस दस मिनट ही अपना समय सीमित कर लें।

श्री भंवरलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): जयपुर जिले का नम्बर ही नहीं आ रहा है।

श्री यदुनाथसिंह : पश्चिमी राजस्थान का ही नम्बर नहीं आया पूरे का।

श्री सभापति : आ जायेगा। सभी का नम्बर आयेगा। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कृपा कर घंटी बजाने का मौका नहीं दें। दस दस मिनट में समाप्त कर दें।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, दुर्भाग्य से दक्षिणी राजस्थान में आज चार साल से बराबर अकाल पड़ता हुआ आ रहा है। इस समय मेरे क्षेत्र सराड़ा की बात करता हूं। उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र की बात कहते हुए मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय, जिस तरह से हमें भोजन की जरूरत होती है उसके साथ में हमें पानी की भी जरूरत होती है। उदयपुर आदिवासी एरिया ऐसा क्षेत्र है जो कि अधिकतर पहाड़ी है। मैं हर वक्त आपकी मार्फत सरकार से यही निवेदन करता हुआ आ रहा हूं कि हमारे आदिवासियों के जीवन के लिए और जीवन निर्वाह के लिए सरकार हमें बड़ी अमानत नहीं दें, उस क्षेत्र के लिए कुओं की जरूरत है और कुंए अधिक से अधिक हो जायें तो वहां सिंचाई की जा सकती है। उस क्षेत्र में जो पानी है वह बेकार चला जाता है, समुद्र में सीधा चला जाता है। हम जहां के तहां आज पानी के लिए तड़फ रहे हैं। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। वहां आदिवासी अपने छोटे

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

छोटे टुकड़ों में कुएं खोदकर, एनीकट और तालाब बनाकर सिंचाई करके अपना निर्वाह कर सकते हैं। मैं इस वक्त सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सोमकागदर परियोजना आदिवासी क्षेत्र में बनाई है। वह बांध बनने पर सराड़ा, खैरवाड़ा होकर पानी डूंगरपुर में जायेगा उससे अधिकतर फायदा आदिवासियों को हो सकता है। मैं सरकार से इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे क्षेत्र में आपने निर्माण के संबंध में निर्माण विभाग से काम कराने की अनुमति दी उसी प्रकार से सिंचाई विभाग को अनुमति दें। सिंचाई मंत्री महोदय, हम किस तरह से पहाड़ों में गर्मी में तड़फते हैं, मैं आप को निवेदन करना चाहता हूं कि न जोधपुर दूर हैं, न मेवाड़ का दक्षिणी का इलाका आदिवासियों का दूर है। जैसी स्थिति मेरे आदिवासी क्षेत्र की है, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक पैसा इरिगेशन डिपार्टमेन्ट को देकर हमारे लोगों के विकास के लिए, आदिवासियों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए अधिक से अधिक एनीकट का कार्य हाथ में लें।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैंने सरकार को बारबार लिखा है कि मेरे क्षेत्र सराड़ा के अन्दर जमीन जल रही है। छोटी छोटी नदियां हैं। उन नदियों को बांधने से उन नदियों के किनारे पर आदिवासियों की जो छोटी-छोटी जमीनें हैं उनमें पानी मिल सकता है। जैसे मैं कहूंगा कि एक नदी है जो मेरे क्षेत्र ऋषभदेव से होती हुई समुद्र में चली जाती है, उसके लिए मैंने निवेदन किया था, इस नदी को बांधने से पीपली से लेकर सारे क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, में पानी मिल सकता है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग को अधिक से अधिक सजग करें। डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों को भेजकर सर्वे करायें कि आदिवासी क्षेत्र में कहां हम पानी रोक सकते हैं, उनकी माली हालत किस तरह से सुधार सकते हैं। यही आप करने की कृपा करें।

मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, डी०पी०ए०पी० का पैसा आया है भारत सरकार से ट्राइबल एरिया के लिए। उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए, उनको शिक्षा के लिए जिस तरह की सुविधायें दी हैं, मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितना हमें फायदा मिलना चाहिये, मेरे क्षेत्र सराड़ा में बहुत कम मिला है। यह जो पैसा आया है भारत सरकार से, वह दूसरी जगह खर्च हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वहां भी आदिवासी हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पैसा खर्च किया जाता है उससे उन लोगों को जो सुविधायें मिलने वाली हैं उसी तरह सराड़ा और उसके आस पास के एरिया को सिंचित करने, वहां के लोगों की माली हालत सुधारने के लिए सिंचाई विभाग को अधिक रकम देकर एनीकट, छोटे तालाब और कुएं बनवाने के लिए रुपया खर्च करें तो हमारी हालत बहुत अच्छी हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा जो मुझे दो मिनट का समय दिया उसके लिए आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की

192

(श्री मांगीलाल आर्य)

मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं भी कुछ मेरे क्षेत्र से संबंधित और जोधपुर डिवीजन से संबंधित सुझाव आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहूंगा। सभापति महोदय, जालौर एक ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिमी हिस्से में आने के कारण पूर्व का जितना पानी है और जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका सारा बहाव हमारे जालौर जिले में से है। इससे जालौर जिले के अन्दर जहां कृषि भूमि नष्ट होती है उसके साथ ही साथ कई गांव और गांवों की जनता को, जन और धन, चल और अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है। यदि इस पानी को और इन नदियों को जगह जगह पर रोक कर छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जायें तो उससे जहां एक तरफ सिंचाई के लिए कुंओं में पानी बढ़ेगा दूसरी तरफ जो बाढ़ के बहाव से नुकसान होता है वह भी नहीं होगा। इस संबंध में जालौर जिले की सारी नदियों की योजना बनाकर डिपार्टमेंट की तरफ से 1976 में भेजी गई परन्तु आज तक उन योजनाओं पर कोई संतोष जनक कार्यवाही नहीं हुई। मैं आशा करता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन योजनाओं को आप कार्यान्वित करायेंगे ताकि उस क्षेत्र में एक तो जो बाढ़ के प्रभाव में गांव आते हैं वे बचेंगे, दूसरा काश्तकारों को लाभ मिलेगा मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर सांफाड़ा, खरल, उमेदाबाद, सायला, सियाना, वीराणा, ये ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल सुकोली और जंवाई नदी के किनारे पर आये हुए हैं। इन गांवों की जो आबादी है वह लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। ये उस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन नदियों से, बाढ़ से जन धन की हानि होती है। बड़े बड़े जो लोग हैं, साधन सम्पन्न जो लोग हैं वह तो अपने पक्के मकान बनाकर, मजबूत मकान बनाकर अपनी सुरक्षा का इन्तजाम कर लेते हैं परन्तु यह जो गरीब लोग हैं हरिजन लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग हैं, मीणा और भील लोग हैं इनके पास न तो धन है, न कोई सम्पत्ति है इसलिए यह अपनी आवश्यकताओं का इन्तजाम नहीं कर सकते और ऐसी जगह बसे हुए है जो हमेशा बाढ़ के प्रभाव में आती है। मैंने इस संबंध में कई बार लिखा है। सियाना की हरिजन बस्ती हर साल बाढ़ की चपेट में आती है। यह दुर्भाग्य है कि दो तीन चार साल से अकाल पड़ रहा है। जब भी उस नदी में बाढ़ आती है तो वह बस्ती उस बाढ़ से, उस नदी के प्रवाह से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहती। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि बांध व एनीकट बनाने के लिये प्राथमिकता देकर कार्य करें ताकि उनकी रक्षा हो सके। सभापति महोदय, इसी के साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। अकाल राहत कार्यों में सिंचाई के लिये जिन-जिन बांधों का निर्माण कराया जा रहा है, अकाल राहत कार्यों के तहत जो कार्य शुरू किये गये हैं ज्यों ही अकाल राहत कार्य समाप्त होंगे उन बांधों का काम बन्द हो जायेगा। बांधों का काम बन्द हो जाता है तो सरकार का जो पैसा लगता है उसका कोई उपयोग नहीं होता। उसको पूरा नहीं किया जावेगा तो जो लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ है वह व्यर्थ जायेगा। मेरा निवेदन है कि अकाल राहत कार्यों में जिन बांधों का काम शुरू हुआ है उन उन बांधों का काम बाद में विभाग द्वारा पूरा करवाया जाये। जब तक वह काम पूरे न हों उनको बन्द न किया

(श्री मांगीलाल आर्य)

जायें तभी उनका उपयोग होगा और उस क्षेत्र के काश्तकारों को लाभ मिल सकेगा।

सभापति महोदय, जंवाई बांध पाली जिले में है। जंवाई बांध का पानी जोधपुर जाता है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक जोधपुर की पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान का सवाल है, राजस्थान कैनाल के बिना उसका हल नहीं हो सकता है। हमको दोनों तरफ से नुकसान है। एक तो जवाई बांध की क्षमता नहीं है, दूसरा इस तरह अकाल पड़ने पर जंवाई बांध में पानी आता नहीं है। जवाई बांध में पानी नहीं आने से जोधपुर की पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिये मेरा निवेदन है, राजस्थान कैनाल द्वारा जोधपुर की पेयजल की समस्या का समाधान करने की जो योजना है उसको प्राथमिकता देकर पूरा किया जाये तो उससे दो फायदे होंगे। पाली जिले के अन्दर जवाई बांध है, पाली जिले के काश्तकारों को उसका लाभ मिल सकेगा और उससे ज्यादा से ज्यादा सिचाई का लाभ पाली जिला उठा सकेगा, अन्यथा पाली जिले में बांध है और पाली जिले के ही लोग पेयजल की समस्या से ग्रसित रहते हैं। उनको लाभ नहीं मिलता। पाली जिले के अन्दर कई ऐसे गांव हैं जहां पेयजल की समस्या है। काश्त की बात तो दूर रही उन गांवों का पानी खारा होने से वर्षा का पानी ही पेयजल का एक साधन है, एक ज़रिया है। जवाई बांध से उनको पानी मिल सकेगा। आज भी ऐसे कई गांवों के अन्दर जवाई बांध से पीने का पानी दिया जाता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मांगीलाल आर्य : एक मिनट साहब। मैं तो कभी कभी बोलता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं दो बांधों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पाली जिले के अन्दर सुमेरे और ढाणों का बांध, इन दो बांधों की मांग आज से नहीं बहुत वर्षों से चली आ रही है। मैं कार्यकर्ता के रूप में और पाली का निवासी होने के नाते उस क्षेत्र में काम करता था। मैं पाली जिले का रहने वाला हूं और उस तहसील का रहने वाला हूं। जिन बांधों की मैं बात कर रहा हूं देसूरी तहसील में हैं और मैं इस तहसील का होने के नाते मांग करता हूं ...

श्री भेरूसिंह गुर्जर : एन्क्रोचमेंट कर रहे हैं आप मेरे एरिया पर।

श्री मांगीलाल आर्य : उन बांधों की मांग बहुत दिनों से हो रही है लेकिन हमेशा उसको टाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हेमावास बांध उस नदी के नीचे बना हुआ है इसलिये अगर उस नदी का पानी रोक दिया जायेगा तो हेमावास बांध खाली रहेगा अगर हेमावास बांध की क्षमता को देखा जाय तो हेमावास बांध पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सुमरे बांध का निर्माण होने से उस क्षेत्र के काश्तकारों को ज्यादा फायदा मिलेगा और हेमावास बांध को भी नुकसान नहीं होने वाला है। हेमावास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सुमरे का पानी समा सके इसलिये यह जो सुमरे और ढाणों का बांध हैं, इन दोनों बांध के लिये योजना में प्रावधान कर दें। मैं समझता हूं इस बजट के अन्दर इनकी स्वीकृति देकर काम शुरू करेंगे।

(194)

(श्री मांगीलाल आर्य)

सभापति महोदय, मुझे अभी अभी यह पता चला है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में बरेड़ा बांध का निर्माण हुआ है। उस बांध के अन्दर काश्तकारों की जमीन आई हुई है। उन काश्तकारों को न तो नियमों के अनुसार दूसरी कोई जमीन मिली है, न उनको कोई मुआवजा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बांध की डूब में जिन काश्तकारों की जमीन आई है उनको नियमानुसार काश्त की जमीन अलाट होनी चाहिये और उसका मुआवजा मिलना चाहिये। वह जमीन बांध के नीचे आ जाने के कारण वह गरीब कृषि से वंचित हो गये हैं। मुझे टाइम दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की मांगों के ऊपर वाद-विवाद हो रहा है। मैं उसके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा। सिंचाई विभाग के द्वारा जो योजनायें बनाई जाती हैं उन योजनाओं को बनाते वक्त जो लागत होती है वह कम्पलीशन की स्टेज पर आते आते दुगुनी और तिगुनी हो जाती है और कहीं कहीं चौगुनी हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजनायें शुरू की जाती हैं यदि उनके ऊपर विभाग द्वारा कन्ट्रोल रखा जाये, सरकार की ओर से निर्धारित टाइम के मुताबिक पूरा करने पर कन्ट्रोल रखा जाये तो निश्चित रूप से उनकी कास्ट जो दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी हो जाती है, वह नहीं बढ़ेगी और इस प्रकार जो पैसा बचेगा वह राजस्थान की दूसरी जगहों में दूसरी स्कीम्स के विकास के काम आवेगा। दूसरा, सभापति महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, स्कीम्स की जो लागत बढ़ती है इसका एक बहुत बड़ा कारण उसकी मशीनरी है। उसकी वजह से यह होता है। जिस स्कीम में जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही ज्यादा उसके अन्दर भ्रष्टाचार फैलाया जा सकता है और अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा सकता है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखे गये हैं उसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि एक ओर सरकार फिजिकल टार्गेट्स तो योजनाओं के बारे में बढ़ाती जा रही है लेकिन दूसरी तरफ फाइनेन्शियल टार्गेट्स कम करती जा रही है। सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता किस प्रकार से उन फिजिकल टार्गेट्स को पूरा कर पायेंगे। सभापति महोदय, माही परियोजना के अन्दर 1982-83 के अन्दर इन्होंने फाइनेन्शियल टार्गेट्स रखे थे 451.82 लाख रुपयों का और इस वर्ष फाइनेन्शियल टार्गेट्स रखा है 446.34 लाख रुपये का। आने वाले वर्ष में कास्ट और भी बढ़ेगी, लागत और भी बढ़ेगी लेकिन इन्होंने फाइनेन्शियल टार्गेट्स कम रखा है उसके मुकाबले फिजिकल टार्गेट्स बढ़ा दिया है। सभापति महोदय, 1982-83 में मिट्टी के कार्य 7.83 लाख क्यूबिक मीटर के लिये टार्गेट रखा था। लेकिन उसके मुकाबले इस वर्ष इन्होंने 7.94 लाख क्यूबिक मीटर

(श्री अनंत कुमार जैन)

का टार्गेट रखा है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष इन्होंने 520 किलोमीटर लाइनिंग का टार्गेट रखा था इस वर्ष उसको बढ़ा कर 800 किमी. का रखा है। इसी प्रकार से जो पक्के कार्यों का पिछले वर्ष में 525 का लक्ष्य रखा था उसको बढ़ाकर 650 कर दिया। यह हो सकता है, सभापति महोदय, मंत्री महोदय को यह मालूम पड़ गया हो कि 82-83 में भ्रष्टाचार किया गया है इसलिए कास्ट बहुत बढ़ गयी है और उस भ्रष्टाचार को अगले वर्ष में घटाना चाहते हैं। शायद इसलिए उसमें सामंजस्य बैठाकर कम फाइनेन्शियल टार्गेट्स के अन्दर ज्यादा फिजिकल टार्गेट्स अगर अचीव करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया हो तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। यह भी जानना चाहूंगा, फाइनेन्शियल टार्गेट्स कम रखकर यह फिजिकल टार्गेट्स किस प्रकार से अचीव किये जायेंगे?

(व्यवधान)

दूसरा, सभापति महोदय, मैं राजस्थान कैनाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने लगाये हैं लेकिन मैं, सभापति महोदय, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, उदाहरण के रूप में सेन्ट्रल वर्क शाप के अन्दर सेन्ट्रल स्टोर में जो बियरिंग की खरीद की गई है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। उस बियरिंग के 3-4 उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। बियरिंग नं० 6204 खरीदते 37 रुपये में अधिकृत डीलर सप्लाई करता था, सभापति महोदय, उसको इनने 51 रुपये में लिया। बियरिंग नं० 32212 जिसको अधिकृत डीलर 131 रुपये में सप्लाई करने को तैयार है। उसको इन्होंने परचेज किया 360 रुपये में, यानि तीन गुणा रेट पर। सभापति महोदय, बियरिंग नंबर 32214 जो अधिकृत डीलर 186 रुपये में सप्लाई करने को तैयार है उसको इन्होंने लिया 365 रु० में। बियरिंग नम्बर एन-309.95 रुपये में अधिकृत डीलर सप्लाई करने को तैयार है उसको इन्होंने लिया, सभापति महोदय, 232 रुपये में। तो, सभापति महोदय, आप देखिये, भ्रष्टाचार की रेट। मैं कम्पेयर करके बता रहा हूं, यानि इनका जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, भ्रष्टाचार की रेट उतनी ही बढ़ जाती है। ये कम्परेटिवली अपने आप रेट बढ़ा देते हैं। सभापति महोदय, ये जो मैंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे सब इनके विभाग में मौजूद हैं और अधिकृत डीलर्स के लेटर्स मौजूद हैं कि हम इस रेट पर आपको सप्लाई करने को तैयार हैं। इसकी शिकायत, सभापति महोदय, मंत्री महोदय के पास भेजी गई, चीफ इंजीनियर साहब और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास भेजी गई। मैंने ही नहीं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भेजी है, वहां के कार्यकर्ताओं ने भेजी है उसकी कापी मेरे पास मौजूद है।

सभापति महोदय, उस राजस्थान कैनाल में इन्होंने जो कर्मचारी लगा रखे हैं उनमें से कुछ कर्मचारी खुद कांट्रेक्टरशिप के काम में भी लगे हुए हैं। इस बात की शिकायत विभाग को की गई, कई बार शिकायत की गई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा-

"The following are the staff working as contractors suppliers-

(196)

(श्री अनंग कुमार जैन)

शत्रुजीत सिंह, चौधरी चेदी सिंह, कान्ती, ओमप्रकाश, गुरुबचन सिंह, सुरजीत सिंह गहलोत, हुकुम चन्द, चौधरी सुरिन्दर, अब ये..

श्री सभापति : आपकी जो भी शिकायत है मंत्री महोदय को लिखित में भेज दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : भेजी है। सभापति महोदय, जो शिकायत भेजी है उसकी कापी सबको भेजी है और बाई नेम भेजी है कि दीज आर दी पर्सन्स जो कान्ट्रेक्टरशिप में भी लगे हुए हैं और गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं। सभापति महोदय, जो आदमी खुद गवर्नमेंट सर्विस में हो वही वहां पर कान्ट्रेक्टरशिप का काम करें तो फिर भ्रष्टाचार का रेश्यो और बढ़ जायेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है।

श्री सभापति : 6 मिनट तो हो गये आपको।

श्री अनंग कुमार जैन : दो मिनट हुए हैं, साहब।

सभापति महोदय, यह रेश्यो बढ़कर 200 पर्सेन्ट से भी आगे हो जायेगा। जहां इस प्रकार का भ्रष्टाचार विभाग के कर्मचरियों द्वारा किया जा रहा हो, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें, पूरा कन्ट्रोल रखें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छे कार्य विभाग के अन्दर हो सकेंगे।

अब मैं, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र झालावाड़ जिले के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत जल्दी फर्मा रहे हैं...

श्री सभापति : अभी इतने सदस्य बोलना चाहते हैं कि सब बोलें तो एक बजे डिबेट समाप्त हो।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, मैं राजस्थान कैनाल के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अगस्त, 1982 के अन्दर जब केबिनेट वहां दौरे पर गई थी, सभापति महोदय, अकेले छत्रगढ़ क्षेत्र में खाने और पीने पर एक दिन में चालीस हजार का खर्चा हुआ था।

श्री सभापति : आप तो झालावाड़ जिले के लिये फर्मा रहे थे न?

श्री अनंग कुमार जैन : वह भी निवेदन कर रहा हूं लेकिन मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन कर रहा हूं कि केबिनेट के मैम्बर्स के खाने पीने पर एक दिन का खर्चा चालीस हजार हो तो उस राजस्थान कैनाल का क्या हाल होगा?

दूसरा, सभापति महोदय, जब महामहिम राज्यपाल महोदय और राजस्थान कैनाल मंत्री पधारे तो वह खर्चा और बढ़ गया। सभापति महोदय, बिरदवार, छत्रगढ़ और बज्जू इन तीनों क्षेत्रों में खाने और पीने पर एक दिन का खर्चा पचास हजार हो गया? सभापति महोदय, इन चालीस और पचास हजार को कहां एडजस्ट किया गया? फर्जी मस्टर रोल बनाकर इस पैसे को उठाया गया।

(श्री अनंग कुमार जैन)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसे उठाये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

सभापति महोदय, झालावाड़ जिले के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, झालावाड़ जिले में जो तीन स्कीम्स चल रही हैं। सभापति महोदय, हरिश्चन्द्र सागर, भीम सागर और छापी योजना झालावाड़ जिले में है। छापी योजना में तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है, मामूली काम हुआ है। भीम सागर एक ऐसी योजना है, सभापति महोदय, जिस पर 1945 से काम चल रहा है। 1945 से 1977 तक लगातार दो-चार लाख रुपये खर्च करते थे वह हमारे इंजीनियर्स की तनख्वाह में समाप्त हो जाते थे। 1977 से उस पर काम शुरू हुआ। और आज करीब 60 पर्सेन्ट कम्पलीशन की स्टेज पर है हो सकता है, एक-दो साल में यह योजना कम्पलीट हो जाय। लेकिन, सभापति महोदय, उस स्कीम का 6 करोड़ का टार्गेट था कि 6 करोड़ रुपये में कम्पलीट हो जायगी वह स्कीम अब 14 करोड़ 70 लाख पर पहुंच गई है। उस योजना से, सभापति महोदय, खानपुर तहसील का पूरा क्षेत्र सिंचित होगा और मेरे क्षेत्र का सारा एरिया डूब में आएगा। मेरे क्षेत्र के 15 गांव डूब में आयेंगे लेकिन, सभापति महोदय, यह सरकार इतनी बेहयायी पर उतर चुकी है कि जिस क्षेत्र को डुबोया जा रहा है उस क्षेत्र के लोगों को मुआवजा भी बिना पैसे लिये नहीं दे रही है। जब भ्रष्टाचार की बात हम किसी विभाग की करते हैं, खास तौर से श्रीमान् मदेरणा साहब जिस विभाग के इंचार्ज हैं उस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आवाज बदल जाती है और खड़े होकर आप बड़ी तीव्र गति से उसका अपोजिशन करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भीम सागर बांध के अन्दर डूब में आये असनाव के 9 व्यक्तियों से डेढ़ लाख रुपया वहां के इंजीनियर्स ने वसूल किया सिर्फ इसलिये कि उनको मुआवजा जल्दी दे दिया जाय। इसके बारे में मैंने उन 9 व्यक्तियों के पांच पांच रुपये के स्टाम्प्स पेपर पर नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करा कर एफिडेविट दिये, उनकी कम्पलेन्ट मंत्री महोदय के पास भिजवाई, जिलाधीश के पास भेजी, चीफ इंजीनियर के पास भिजवाई। मैंने कम्लेन्ट भिजवाई इसके साथ साथ हमारे जिले के कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक, जो माननीय मंत्री महोदय के पुराने सहयोगी हैं और उनसे भी दस साल बड़े हैं, राजनीति में उनसे पहले आये हैं, ने भी बार बार पर्सनल लेटर लिखा कि मदेरणा साहब, आप जैसे मंत्री से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भ्रष्टाचार के मामले को इस तरह दबा कर बैठ जायेंगे। उनके लेटर्स भी मेरे पास हैं। सभापति महोदय, आज एक वर्ष होने आ रहा है, उन गरीबों को मुआवजा नहीं मिला। शिकायत करने का हश्र यह हुआ कि उनकी फाइलें गत्ते में डाल दी गई। मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, मांग करूंगा कि उस भीम सागर बांध में जो 15 गांव डूब में आने वाले हैं उनके अधिकांश लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सभापति महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे हो

(१२०)

(श्री अनंग कुमार जैन)

सकती है क्योंकि उसमें एक इंजीनियर साहब श्रीमान् माथुर साहब के नजदीकी रिश्तेदार हैं और श्रीमान् चीफ मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार हैं। मंत्री महोदय भी संकट में आ गये होंगे क्योंकि उनको भी तो मंत्री बने रहना है। चीफ मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार हैं इसलिये अपनी भी कार्यवाही करना मुश्किल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, जिन लोगों को डुबो रहे हो, भगा रहे हो और हर बरसात में नोटिस देते हो कि यह जमीन खाली कर दीजिये, यह मकान खाली कर दीजिये, सभापति महोदय, उन लोगों को आप न तो कोई दूसरी जमीन देना चाहते हैं, उनकी जमीन खाली करवा ली, उनके मकान खाली करवा लिये उनको मुआवजा का पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, इससे बड़ा अन्याय उनके साथ और क्या हो सकता है ?

दूसरा, सभापति महोदय, मैं सारण-खेड़ी बांध...

(व्यवधान)

अब, सभापति महोदय, डाइरेक्ट मेरे एरिया पर आता हूं, मेरी कान्स्टीट्यूएंसी पर मैं आ जाता हूं, डिस्ट्रिक्ट के बारे में छोड़ देता हूं। मेरे क्षेत्र में सारणखेड़ी का काम करीब करीब पूरा होने जा रहा है। उसके अन्दर जिन लोगों की जमीन डूब में आई है न तो उनको मुआवजा दिया गया है और न अभी तक और कोई कार्यवाही ही की गई है। सभापति महोदय, आप एक तरफ तो कहते हैं, हम कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जिनकी जमीन छीन ली, सैकड़ों आदमियों को बेघरबार कर दिया उन लोगों को, सभापति महोदय, कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि उनको शीघ्र मुआवजा दिया जाय ताकि वे आल्टरनेट व्यवस्था कर सकें।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

माननीय आत्माराम जी। कृपया पांच मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : बोला तो हूं ही नहीं वैसे ही बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : बोलिये जरूर लेकिन उतना ही बोलिये जितना जरूरी हो।

श्री आत्माराम चौधरी : सभापति जी, आजकल का टाइम जो है हमारे यहां धरणा देने, एजीटेशन करने का चल रहा है क्योंकि इस समय पानी की डिमान्ड रहती है। प्रकृति की विशेष कृपा से या विभाग की अच्छाई समझें, समय बड़ा शान्ति से निकल रहा है।

मैं सतलज और व्यास के हैड वर्क्स के साथ में निवेदन करूंगा कि पंजाब अधिनियम, 1966 में लागू हो जाने के बाद संसद में पास हो जाने के बाद, आज भी यह प्रगति रिपोर्ट भी मैंने देखी है, न विभाग की तरफ से ऐसा कुछ आया है, न उन्होंने कुछ क्लीयर किया है कि हैड वर्क्स का कन्ट्रोल जो पंजाब ने नाजायज तौर पर कर रखा है, जो कि भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड को जाना चाहिए उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह की इनकी इच्छा है, कम से कम यह तो बतायें ताकि हमारी चिन्ता मिटे। हम लोगों

(श्री आत्माराम चौधरी):

को क्या कहें कि किस तरह से कब तक भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड का हैड वर्क्स पर कन्ट्रोल हो जायेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए टाइम फिक्स कर दें तो अच्छा है। जिस तरह से 17 साल से प्रयत्न करते रहे हैं उसी तरह से प्रयत्न करेंगे या इसके लिए कुछ करेंगे भी या नहीं। इसके बारे में लोगों की हमें बहुत सुननी पड़ती है। इसके लिए हम भी चिन्तित हैं और होना भी चाहिए। इसके लिए टाइम फिक्स कर सकें तो, मैं समझता हूं, इससे अच्छी कोई बात हो नही सकती।

दूसरा, मोतीलाल कमेटी की सिफारिशों को भी बहुत अर्सा हो गया है उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। मोतीलाल कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने की इच्छा गवर्नमेंट रखती है या नहीं रखती? इसके बारे में भी अगर लोगों का दिमाग साफ हो जाय तो बहुत अच्छी बात है। वैसे, ऐसी हैं, जब विधान सभा चलती है तो हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसा कुछ लोग पहले कह रहे थे कि कुछ आफिसर्स पर इस तरह से एलीगेशन्स लगे और विधान सभा में यह डिक्लेयर हुआ था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा, मैं समझता हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? जिस तरह से सभी दूसरी बातें पुरानी पड़ रही हैं उसी तरह से विधान सभा की परिपाटी भी पुरानी पड़ गयी हैं। इसके लिए यहां मैं सुझाव रखूंगा कि एक परमानेंट समिति हो। विधान सभा की तरफ से। आज के जो अहम मसले हैं, सिंचाई बिजली जैसे मसलों के लिए एक परमानेंट समिति हो और वह इन सारे मसलों को डील करे और देखें।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा पिछले दिनों घग्घर डायवर्शन चैनल जो टूट गयी थी उस वक्त यह झगड़ा चला कि यह कैसे टूटी। यह पानी राजस्थान कैनाल से डाला गया था जो फ्लड से पानी आया था उससे टूटी। राजस्थान कैनाल का पानी भाखड़ा के अन्दर जाता है और भाखड़ा का पानी राजस्थान कैनाल में आता है। राजस्थान कैनाल का पानी घग्घर फ्लड डायवर्शन से होकर डिप्रेशन में जाता है। इन दोनों तीनों का इस तरह का कम्बीनेशन है। यहां बैठा हुआ एडीशनल चीफ इंजीनियर उसका पूरा कन्ट्रोल नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं इन दोनों तीनों महकमों का गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे पहले भी इस तरह की स्कीम बनाई गई थी, एक एडिशनल चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ के लिए दे दें वह दोनों तीनों महकमों का कन्ट्रोल करें। इस दफा क्या हुआ? इनका यह कहना है कि राजस्थान कैनाल में जी भाखड़ा की लिंक है, वहां से 600 क्यूसेक्स के करीब पानी डिस्चार्ज हो रहा था। आगे जो यह दे रहे थे वह 4700 क्यूसेक्स के करीब पानी दे रहे थे। राजस्थान कैनाल वालों का यह मानना था कि एक हजार क्यूसेक्स पानी हमने डायवर्शन चैनल में छोड़ा। तो 7 सौ क्यूसेक्स के करीब पानी कहां गया? इसके बारे में यह कुछ नहीं बता रहे हैं। क्योंकि यह भेज जो हैं वह चेंज नहीं हो सकते पीछे का गेट और आगे का गेट चलता है। मेरा कहने का मतलब यह है, 2 हजार क्यूसेक्स के करीब पानी, जो सिस्टम का पानी है, का इफेक्टिव कन्ट्रोल कोई, सक्षम अधिकारी हो तो हो सकता है। यह 2000 क्यूसेक्स के करीब पानी, जो एक पूरा

(7:54 रात्रि)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, पदासीन);

(श्री ग्रात्माराम चौधरी)

सिस्टम का पानी है, ग्रगर मतलब डायवर्शन चैनल के अन्दर जा रहा था उससे भी नुकसान हुआ। यह आज समस्या ही बनी हुई है कि घग्घर डायवर्शन चैनल राजस्थान कैनाल के पानी से टूटी या फ्लड के पानी से टूटी या क्रेक्स की वजह से टूटी तो यह बड़ा जरूरी है कि हनुमानगढ़ के अन्दर एडीशनल चीफ इंजीनियर हो ग्रौर वहां से इसका कन्ट्रोल हो। पानी के रेगुलेशन की बात जो है, पानी किसानों के लिए दिया जाता है, जमीन के लिए दिया जाता है, फसल के लिए दिया जाता है। हमको जब पता है कि डैम के अन्दर कितना पानी है ग्रौर पीछे के प्रोसीजर के मुताबिक कितने दिन तक वह पानी ग्रौर चलेगा, उस हिसाब से पानी छोड़ें बनिस्पत इसके कि जमींदारों को जब जरूरत हो तब छोड़ें। जैसा कि गवर्नमेंट की इच्छा भी है, जमींदारों से यह इन्डेन्ट ले लिये जायं कि जब जब उनको पानी की जरूरत हो उस हिसाब से पानी छोड़ें? मैं समझता हूं, जब इस तरह से पानी देने की बात करते हैं तो अधिकारी वर्ग यह कहता है कि इसमें जो समझौता हुआ है उसमें यह डिफेक्ट रहा हुआ है कि वह 6 महीने के पानी का इन्डेन्ट देते हैं। वह यह नहीं देते कि टर्न से या मन्थली या हफ्ते से पानी दें। वह 6 महीने के पानी का इन्डेन्ट देते हैं। जब उनके पास फालतू पानी होता है तब तो पानी छोड़ देते हैं। जब उनको पानी की जरूरत होती है तब वह मिलता नहीं है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था है? उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाय कि क्या व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। वैसे 6 महीने में 26 हफ्ते होते हैं, हम कहते है कि 26 हफ्ते की बजाय ग्रगर आप हमें 13 हफ्ते ही पानी दे दो ग्रौर जब जमींदार मांगे तब पानी दे दो तो बहुत है। फसल का उसी तरह का हिसाब है, जैसे अपन पढ़ते हैं तो 33 पर्सेन्ट मार्क्स से पास हो जाते हैं, कहीं 40 पर्सेन्ट मार्क्स से पास हो जाते हैं। फसल का हिसाब यह है कि अगर उसको पांच पानी पिलाई की जरूरत है, उसमें पहले वाला एक दो पानी नहीं दें तो सारा मामला बंटाधार हो जाता है, उसको एक नम्बर भी नहीं मिलता है। होता यह है लास्ट में आकर जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इन दिनों में पानी के लिए एजीटेशन ग्रौर घेराव होते हैं ग्रौर पानी के लिए लड़ाई होती है। यह इसलिए होती है कि लास्ट का पानी बड़ा जरूरी है। अगर यह नहीं मिले तो फसल सब चौपट हो जाती है, जो खर्चा लगा वह वैसे ही चला जाता है। इसलिए यह बड़ा जरूरी है जिस वक्त जमींदार पानी मांगे, उसके हिसाब से उससे इन्डेन्ट लेकर 26 हफ्ते की बजाय 13 हफ्ते आप पानी दे दो तो उससे काम चल सकता है। पिलाई का पता चल जाय कि फलां फलां टाइम के अन्दर इस हिसाब से पिलाई के लिए पानी देंगे। उस हिसाब से पानी मिल जाय तो बड़ी बचत हो सकती है। इसमें कुछ नहीं है, यह सारी समझ की ग्रौर अण्डरस्टैंडिंग की बात है। अगर कन्ट्रोल अपना हो ग्रौर घर की सारी बात हो तो कोई ऐसी डिफिकल्टी की बात नहीं है। प्रेक्टिकल है, अव्यवहारिक बात नहीं है।

इसके साथ साथ मैं राजस्थान कैनाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह बड़ी भारी उलझनभरी समस्या है। इसकी पोजीशन क्या है अगर यह हमें समझ में आ जाय तो आधी समस्या हल हो जाती है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री आत्माराम चौधरी : एक तो प्रश्न यह है कि राजस्थान कैनाल में हमारे पास फालतू पानी है या नहीं है। अगर पानी फालतू है तो हमें आधे सिस्टम बन्द रखने पड़ते हैं, आधे सिस्टम चालू रखने पड़ते हैं। तो सारे पानी के लिए क्यों नहीं सिस्टम चालू रखे जायं ? अगर फालतू पानी नहीं है तो डिप्रेशन में पानी कहां से आता है ? जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिप्रेशन में पानी इस तरह आता है। वहां चैकिंग नहीं होने की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से जैसे 2000 क्यूसेक्स पानी उस दिन आ गया। रोज रोज कोई चैक नहीं करता, न कोई इस काम के लिए बैठा है। एक ऐसा इन्सटान्स हुआ, एक ऐसा वाकया हो गया जिसके ऊपर सभी की नजर गयी और सभी ने यह ध्यान दिया कि पानी का उस वक्त राजस्थान कैनाल में सिस्टम क्या था। पता चला कि 2000क्यूसेक्स पानी किसी की बगैर नालेज के,जानकारी के वह डाल रहे थे जिससे कि पूरा एक सिस्टम चलता। इस तरह से एक तरफ तो आप कहते हैं पानी है नहीं, फसलें सूख रही हैं; दूसरी तरफ डिप्रेशन्स भर रहे हैं उससे बड़ी भारी सौ तरह की समस्याएँ और पैदा हो रही हैं। मैं यह समझता हूं इससे बड़ा भ्रम हो रहा है। यह जो लोग दूसरे हैं, जैसे नागौर के आदमी हैं, चूरू के आदमी हैं और दूसरे इलाकों के आदमी हैं, उन सब की इच्छा है और होनी भी चाहिए, राजस्थान कैनाल का पानी वहां तक जाने का सम्बन्ध है, अगर वहां पानी जा सके तो जरूर जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकता है, प्रेक्टिकल नहीं है तो अलग है। जो पानी के अन्दर रहते हैं, हमें पता है कि यह फ्लो से पानी भी नहीं जाता है। यह लिफ्टिंग की स्कीम को बनाई है, यह तीन जगह करीब दो सौ फीट लिफ्ट होकर पानी जाएगा। मैं कहता हूं कि सीधा गंगानगर के अन्दर इतना पुराना सिस्टम है वहां भी आज कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि फ्लो से पानी नहीं जाता और लोग पानी के लिए तरसते हैं, मुश्किल पैदा हो जाती है। तो यह फ्लो से इस मौजूदा गवर्नमेंट के ढांचे के अन्दर, मौजूदा जिस तरह से ये सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस ढांचे में, मैं समझता हूं कि यह दो सौ फीट लिफ्ट करके पानी रेगुलर चला देंगे, यह बहुत मुश्किल काम है। यह कभी कामयाब नहीं होगा बल्कि और मुश्किल हो जाएगी। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत बड़ी स्कीम है राजस्थान कैनाल की। मैं समझता हूं कि हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे टाइम में यह बन रही है, इसके श्रेय के हम और ये इंजीनियर्स भागीदार हैं, खासतौर से जिनके वक्त में और जिनके हाथों से इतना बड़ा काम हो रहा है। पर उसके साथ साथ मैं अर्ज करूं कि जो श्रेय जिस काम के लिए मिलना चाहिए, मैं समझता हूं, वह मिलना तो क्या था, पोजीशन यह हो गई कि यह राजस्थान कैनाल फीडर, जिसमें छः हजार क्यूसेक्स पानी चल रहा है, टूट गई। घग्घर डायवर्शन चैनल की 12 हजार क्यूसेक्स की कैपेसिटी है उसमें छः हजार क्यूसेक्स पानी आया था और वह टूट गई। इसी तरह से पक्के खालों की बात है। पक्के खाले जितने भी हैं, आप जाओ, पक्के खाले नहीं थे, कच्चे खाले से पानी लग रहा था। आज अगर जाकर कहो तो वह कहेंगे कि आपके एरिया में पानी नहीं लग सकता है। वह कहते हैं कि आप हमारे पानी का पैसा ले रहे हैं, बैटरमेंट का पैसा ले रहे हैं और आप कह रहे हो कि पहले कच्चे खाले में पानी लगता था। कई जगह ऐसा हुआ है कि अधिकारियों ने लिखकर दे दिया है कि आपके

(श्री आत्माराम चौधरी)

पानी नहीं लग सकता क्योंकि खाला पक्का हो गया। होना तो यह चाहिए कि पक्का होने के बाद में जहां पानी नहीं लगने वाला था वहां भी पानी लगे, पर हो रहा है उल्टा। मैं समझता हूं कि जिस श्रेय जिस बड़प्पन, जिस गौरव के हम भागीदार थे वह नहीं मिलकर उल्टा हो रहा है। इससे लोगों का विश्वास उठ रहा है। लोग यह मानने लगे हैं कि यह फिजूल बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है। अभी पिछले दिनों गए थे, लोगों ने कहा कि इसका कंस्ट्रक्शन गलत है। आज भी उसमें हालात यह है कि दो सौ क्यूसेक्स के करीब की नहर है और सौ क्यूसेक्स पानी आता है और नहर टूटने लग जाती है। इंजीनियर्स का मामला ऐसा है कि वह मानते ही नहीं है। जहां गलती हुई है, जिस जिस पाइन्ट पर गलती हुई है उनको ठीक कर दें तो कोई बात नहीं। गलती भी हो जाया करती है। इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा मामला है उसमें अगर गलती हो गई तो गलती मान लेनी चाहिए और ठीक कर देनी चाहिए ताकि झगड़ा खत्म हो जावे। पर उस गलती को नहीं मानने से और सौ तरह की दूसरी बातें पैदा हो जाती है। पक्के खाले वाली तो इस तरह की बात है कि यहां मिनिस्टर्स को भी पता है उसके बावजूद जो टैक्निकल आदमी हैं वह बात नहीं मान करके गलती को रिपीट कर रहे हैं।। जिस श्रेय के हम भागीदार हैं, हम राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के नवनिर्माण में लगे हुए हैं और जो इन्जीनियर लोग हैं उनको लोग पूजेंगे, यह बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस तरह के काम हो रहे हैं कि हमें लोगों के सामने जाते हुए डर लगने लग जाता है। यह मामला क्या हो रहा है। इसी तरह से अनुसंधान के लिए उन्होंने एक कमेटी बना रखी है। एक विभाग अलग से खोल रखा है। मौसम विभाग है जो जमींदारों के फायदे के लिए है। पिछले साल फ्लड आया था यहां जयपुर के अन्दर तो वहां रेडियो से अनाउन्स किया गया। सूरतगढ़ में अनाउन्स करवाया गया और लोगों को गांवों में टैंट और दूसरी चीजें फ्लड से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए भेजी गई और बरसात का नाम ही नहीं था। तो इस तरह से गलत घोषणायें होती हैं। यह अनाउन्समेंट रेडियो से हुआ है और तीन दिन तक अनाउन्स करते रहे कि भाई आपका बचाव कर लेना पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। इस तरह की तो इनकी घोषणायें होती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में सुझाव दें।

श्री आत्माराम चौधरी : आपको अगर ज्यादा लग रहा है...

(व्यवधान)

अनुसंधान के लिए दो फार्म्स हैं। हम यह मान कर चलते हैं कि ज्यादा अच्छी किस्म के बीज और अच्छी किस्म के बीज मेथड वह लोगों को समझायेंगे, बतायेंगे मेरे खयाल से ये जो दो तीन फार्म्स रन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ में भी उनमें से एक है, आज तक उन की तरफ से कोई न बीज आया है, न कोई अच्छी किस्म की दूसरी चीज आई है और न कोई ऐसी टैक्नोलोजी लोगों को दी है, न कोई ऐसा ज्ञान लोगों को दिया है जिससे कि लोग धन्य हो गये हों कि भाई बड़ी भारी कृपा की है गवर्नमेंट ने। तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अब मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास इस तरह की

(श्री आत्माराम चौधरी)

शाखायें हैं, इस तरह का डिपार्टमेंट है तो, घग्घर डायवर्शन, चैनल से जो सेम की समस्या पैदा हो गई है अगर इसके लिए कुछ सुझाव दे सकें, जैसे कुछ लोग फव्वारों से सिंचाई की बात कह रहे थे, वो सेम के लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ करो तो अच्छी बात हो सकती है। वह भलाई की बात हो सकती है।

इसके साथ साथ जो यह विश्व खाद्य परियोजना है उसके लिए आपकी प्रगति रिपोर्ट में दिया है कि दो सौ लाख के करीब, दो करोड़ रुपया आपके पास जमा है और कुछ पैसा उसमें से खर्च भी कर दिया। खाद्य परियोजना यह है कि विश्व खाद्य संगठन से खाद्य मिलता है वह मिलता इसलिए है कि श्रमिकों को आकर्षित कर सकें। जो बड़ा बैकवर्ड इलाका है, बैकवर्ड एरिया है उसमें श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए खाद्य संगठन से या वर्ल्ड बैंक से इस तरह की सहायता मिलती है। तो यह उन्होंने सिस्टम कर रखा है कि श्रमिकों को आधे पैसे में वह सहायता दे देते हैं। तो आधे पैसे से जो आमदनी है उसके लिए कोई स्कीम उनके पास नहीं है। इस तरह की कोई एक्सपर्ट आदमियों की कमेटी बनाकर इसकी स्कीम बनानी चाहिए जिससे श्रमिकों को लाभ हो। अब प्रगति रिपोर्ट में दे क्या रखा है? बालोद्यान सिनेमा, होस्पिटल। मैं समझता हूं कि यह जो स्कूल, हॉस्पिटल श्रमिकों के लिए बना रहे हैं। वह कहीं कर्मचारियों के लिए तो नहीं है। इस तरह से अगर और थ्योरीफिकेशन हो जावे तो और अच्छी बात हो।

इसके साथ-साथ मैं दुबारा आपसे यह निवेदन करूंगा कि हैड वर्क्स के ऊपर कन्ट्रोल हो। आज किसानों की जिन्दगी हमारे गंगानगर में और राजस्थान कैनाल के एरिया के अन्दर पानी पर ही सारी कुछ डिपेंड करती है। दूसरा, अधिकारी लोग जो कहते हैं वह सत्य कहते हैं या झूठ कहते हैं। जिस तरह से उनका और आपका कम्प्रोमाइज है कि वह छः महीने का पानी आपको पूरा करके देंगे। यह दोनों बातें देखनी बड़ी जरूरी हैं वरना जो है एक पानी से हमारी सारी फसल मारी जाती है और वह पानी हमेशा कम रहता है। मैं फिर आपसे इस विश्वास के साथ निवेदन करूंगा, यहां सभी अधिकारीगण भी बैठे हैं और सरकार भी बैठी है, इसके ऊपर ध्यान देंगे।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री थानसिंह।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं जय समन्द परियोजना के आधुनिकीकरण के मामले में कुछ कहना चाहूंगा, सिंचाई के बारे में भी बात कहूंगा। सभापति महोदय, जयसमन्द बांध का आधुनिकीकरण राज्य सरकार ने 1978 से 1985 में पूरा कराने का वायदा किया था लेकिन आधुनिकीकरण का काम बहुत धीरे धीरे चल रहा हैं। इस आधुनिकीकरण योजना पर कम से कम 625 लाख रुपया खर्च करने का सरकार का प्रावधान था लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस वर्ष 1982-83 में 20 लाख रुपया दिया गया, इससे पहले 15 लाख रुपया दिया गया। इस प्रकार यह योजना बड़ी धीमी गति से चल रही है। मैं, सभापति महोदय, यह बात कहूंगा, जयसमन्द परियोजना का आधुनिकीकरण इसलिये जरूरी है जो सारी नहरें पहले बनायी थीं उनकी आज हालत यह है कि वह बिलकुल टूटी फूटी नहरें हैं। जो भी पक्का वर्क हो रहा है वह भी धीमी

(श्री थानसिंह)

गति से हो रहा है। जयसमन्द का जो बांध है उससे लगभग 22-23 हजार एकड़ भूमि सिंचित होती है। जो भी फैमिन में काम चलता है उसमें 1100 मजदूर से ज्यादा इस कैनाल पर नहीं लगते हैं। इस प्रकार इसका आधुनिकीकरण ठीक गति से नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बजट इस कैनाल पर दिया जाये, यही मेरा आपसे निवेदन है। नहरें पक्की नहीं होने की वजह से वहां के काश्तकारों की सारी जमीन खराब हो गई है, ऊसर हो रही हैं। बहुत सी जगह हालत यह है नहर में दरें पड़ रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता कि यह कोई नहर है। इस प्रकार की उस जयसमन्द कैनाल की हालत है। मैं सभापति महोदय, से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस आधुनीकरण की योजना को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक पैसा देकर पूरा किया जाय। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे, उस समय वागना, नदी, जो डूंगला तहसील से निकलती है, का पानी इस बांध में डालने का प्रावधान था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इस योजना को चालू नहीं किया गया। 1971 के अन्दर सुखाड़िया जी के टाइम में प्रावधान किया था लेकिन सुखाड़िया जी के जाने के बाद सरकार उस योजना को ताक में रख कर चल रही है।

दूसरी बात देवास योजना की है। वह भी योजना ताक में रख दी। सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अभी सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं इनके पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी है, इन्होंने जयसमन्द से उदयपुर को पीने का पानी देने के लिये उदयपुर पानी ले जाने की योजना बनायी है। मैं समझता हूं, वहां के काश्तकारों को आज की तारीख में पानी नहीं मिल पाता है, गये साल में हमने जयसमन्द से 11-12 हजार एकड़ जमीन में पानी सिंचाई के लिये दिया लेकिन जयसमन्द में पानी नहीं होने की वजह से इस साल 11200 एकड़ में पहले पानी दिया, दूसरी पिलाई में उसके बाद तीन चार हजार एकड़ से ज्यादा में फसल पक नहीं सकी। हालत यह है कि आज भी काश्तकार वहां लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या उस इलाके में है। जयसमन्द परियोजना से कम से कम दो तहसीलों के काश्तकार इस वक्त लाभान्वित हैं। जयसमन्द के पानी को आज उदयपुर के लिये ले जाया जा रहा है। मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा अगर इस परियोजना से उदयपुर को पानी दिया गया तो सलूम्बर और सराड़ा क्षेत्र आन्दोलन करेगा, घोर विरोध करेगा यह मेरी आपको चुनौती है सरकार के सामने।

दूसरी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार जनजाति क्षेत्र का बहुत अधिक विकास करना चाहती है। इंदिरा जी का बीस सूत्री कार्यक्रम है उसका पहला सूत्र सिंचाई के बारे में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जनजाति क्षेत्र के अन्दर लघु सिंचाई के बारे में। इस समय हमारे इलाके में, मंत्री जी कह रहे थे, उदयपुर डिवीजन में कम से कम 37 एक्स.ई.एन. सैक्शन हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के। इस प्रकार इतने सैक्शन बने हुए हैं, इरिगेशन का बहुत काम हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, नौकरी तो हमारे उधर मिलती है, लेकिन सिंचाई का काम हमारे उधर बहुत धीमी गति से चल रहा है। सोम कामला अम्बा का जो बांध है, आज की तारीख में सोम कामला अम्बा का बांध एक फीट ऊंचा नहीं बना है। दो तीन साल से काम बिलकुल

(श्री थानसिंह)

नहीं चल रहा है। सिर्फ कैनाल पक्की बन रही है बाकी डैम का काम नहीं के बराबर हो रहा है। वहां के इंजीनियर्स की हालत यह हो गई है कि बेचारे बहुत दुखी हैं, ट्रांसफर कराकर जाने की बात सोच रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे बात कहूंगा, जो सोम कामला अम्वा बांध है उसका आज की तारीख में नहीं के बराबर काम चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा जनजाति क्षेत्र के अन्दर लघु सिंचाई योजना के बारे में 1983-84 में राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ के बजट का प्रावधान जनरल का रखा है और जन-जाति क्षेत्र के अन्दर एक करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है। माननीय सिंचाई मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, 1982-83 के वर्ष में 28 एनीकट्स की स्वीकृति जनजाति क्षेत्र में हुई थी, उसमें से 13 का निर्माण कार्य चला है। इस प्रकार मैं, सभापति महोदय, आरोप लगाता हूं सरकार पर कि सरकार, राजस्थान में जनजाति क्षेत्र के अन्दर सिंचाई के मामले में बहुत बड़ी अनियमितता, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जिस समय सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने सिंचाई के मामले में उस क्षेत्र का बहुत भला किया, लेकिन अब क्षेत्र की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस बात को मानकर चलता हूं। सबसे बड़ी बात कहूंगा सिंचाई के मामले में अगर सबसे बैकवर्ड इलाका अगर रहा है तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला रहा है। उस जिले में बहुत बड़े बड़े बांध बने हैं, कुछ मामूली काश्तकार को और आदिवासी काश्तकारों को उस रूट पर लाभ दिया है लेकिन ज्यादा पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां छोटे छोटे एनीकट बनाये जायें। जयसमन्द के इलाके में बहुत सी जगह झरणों से नहरें हैं, नहरों और झरणों का पानी जाता है। वह पानी आगे बांधकर, छोटा एनीकट बनाकर झरणों का पानी भी बांधकर पिलाई में लिया जा सकता है। उससे 400-500 बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती है। झरणों का पानी बेकार जाता है उसके लिए एनीकट बनाया जाये तो उन झरणों के पानी से काश्तकारों को लाभ हो सकता है। इस प्रकार मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे एनीकट जैसे साधन बनाकर जनजाति क्षेत्र का अधिक से अधिक भला करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। इतनी बात कह कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कमला भाई।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इधर।

श्री सभापति : शुरू हो जाइये। माननीय सदस्य, शुरू करिये भाषण।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, आज उदयपुर जिला पिछड़ा हुआ और आदिवासी ज़िला है। दूसरे जो राजस्थान में 27 जिले हैं सब जिलों में भूमि समतल है लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जिले की भूमि ढालू है। पानी ऊपर से गिरता है, नदी से होकर समन्दर में चला जाता है। आज पानी हो, तो सब कुछ है। पानी हो तो मनुष्य है, पानी हो तो अन्न पैदा होगा, पानी हो तो पशु जिन्दा रहेगा, पानी हो तो वृक्ष पैदा होगा। तो पानी के बिना काम नहीं चल सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री कमला भाई मीणा)

सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से दस साल पूर्व हमारे जाखम प्रोजेक्ट का काम चालू हुआ। उसको दस साल हो गये हैं और मेरे खयाल से अब दस साल और काम हो तब तक वह कार्य पूरा नहीं होगा। बड़ी धीमी गति से उसका काम चल रहा है। मैंने उस कार्य को चलाने वाले अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्होंने यह कहा कि कार्य हम सम्पूर्ण करवा देंगे मगर हमें सरकार बराबर बजट नहीं देती है। माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस जाखम प्रोजेक्ट को 1984-85 में पूरा कराने की कृपा करें। ताकि उस क्षेत्र की गरीब जनता, आदिवासी गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें। माननीय सभापति...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप गतिशील हो जायें फिर सिंचाई मंत्रीजी गतिशील होंगे।

श्री कमला भाई मीणा : माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे जाखम थर्ड का सर्वे हो चुका है। उस जाखम थर्ड को बनवाया जाय तो धरियावद, सलूम्बर और आसपुर तहसीलों का क्षेत्र सिंचित हो सकता है। और काफी संख्या में आदिवासी लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिये उस योजना को हाथ में लिया जाय और जल्दी से जल्दी कार्य चालू करवाये जायं।

तीसरा, सोम कामला अम्बा बांध के बारे में भाई थान सिंह जी ने कहा, मैं भी इसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि वह मेरे क्षेत्र में है। वैसे तो डूंगरपुर का यह बांध कहलाता है मगर मेरे क्षेत्र की जमीन इसकी डूब में आई हुई है। इस सोम कामला अम्बा बांध का कार्य चालू हुए, मेरे खयाल से, 7-8 साल हो गये। वहां पर यह जरूर नजर आता है कि अधिकारी लोगों के रहने के लिये हाउसेज की व्यवस्था हो गई है, बड़ी बड़ी कालोनियां बन गई हैं लेकिन दूसरे लोगों को देखें तो बिलकुल सफाया है। इस बांध की एक राइट कैनाल है उसका तो कार्य जरुर हुआ है लेकिन यदि इसी गति से कार्य चलता तो मेरे खयाल से सौ वर्ष में भी सोम कामला अम्बा कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिये मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण कराने की कृपा करें।

इसके अलावा संजेला और वागना, दोनों पर फैमिन वर्क्स चालू हैं। सन् 1972 में इन पर फेमिन में कार्य चालू किये गये लेकिन, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, फेमिन में कार्य किये जाते हैं, जब बारिश आती है तो नदी में मिट्टी चली जाती है और जितना पैसा खर्च होता है वह व्यर्थ चला जाता है। इसलिये, सभापति महोदय, जो कार्य हाथ में लिया जाय उसको पूरा करके छोड़ा जाय ताकि बार बार सरकार के पैसे का लास न हो।

सभापति महोदय, मैंने आपको नम्बर एक से पांच तक के बारे में बताया वह पांच टैंक हैं। मध्यम श्रेणी के जो टैंक हैं उनमें देवना का नाका, मूंगापाणा, अम्बा भाता का नाका, देवलियां का नाका, लसाड़िया, बारे का पानी का नाका, गडुवा मूवा, काली भैंस का नाका, बमरिया भाटा, दरसेलिया-ये 1 से 10 नम्बर तक है। जब अकाल पड़ता है तो महीने दो महीने इन पर फेमिन में कार्य चलाया जाता है। इस प्रकार से फेमिन का

(श्री कमला भाई मीणा)

कार्य चलते चलते 10 साल हो गये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आदिवासी एरिया में यह जो मध्यम श्रेणी के छोटे तालाब हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कृपा करें ताकि उन लोगों की हालत सुधर सके।

माननीय सभापति महोदय, एक वघेर का तालाब बना हुआ है उसकी लेफ्ट कैनाल निकाली हुई है और राइट की तरफ जिस गांव में तालाब बनाया गया है उस गांव वालों को कोई उसका फायदा नहीं मिल रहा है, उनकी जमीन सूखी पड़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं-

(8.24 रात्रि)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कि जैसे लेफ्ट की ओर कैनाल है वैसे ही राइट की ओर कैनाल का कार्य चालू कराने की कृपा करें।

इसी प्रकार से मान्कूर का तालाब सन् 1957-58 में बनाया गया। उस तालाब में आदिवासियों की खेती की जमीन डूब में आई। आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं चुकाया गया और उनका लगान भी कम नहीं किया गया। वे लगान भर रहे हैं उनका मुआवजा भी नहीं चुकाया गया।

श्री अध्यक्ष : पेटे में काश्त करने देते हैं या नहीं ?

श्री कमला भाई मीणा : पहले काश्त करने देते थे. अब जमीन डूब में आ गई। तालाब के पेटे में 300-400 बीघा जमीन डूब में आई। यह सारी आदिवासियों की जमीन है। वे आज भी लगान भर रहे हैं। उनको मुआवजा भी नहीं चुकाया गया है।

इसी प्रकार से एक जीवनी का तालाब 1970 में बनाया गया। उस तालाब में भी इसी प्रकार से जमीन डूब में आई हुई है। उसका भी मुआवजा नहीं चुकाया गया। इसके बाद 1969 में डूंगोसों का तालाब बनाया गया। उस पर जो फेमिन में कार्य चलाये गये. आदिवासी लोग उसमें मजदूरी करने गये उनके 22 हजार के मस्टर रोल के पेमेन्ट का एक पैसा भी नहीं चुकाया गया। इस तालाब का कार्य सिंचाई विभाग ने करवाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की हरकत आदिवासियों के साथ की जा रही है। एक तरफ हमारे देश की नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं कि पिछड़े को पहले और दूसरी तरफ ये पिछड़े को और खड्डे में डाल रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : यही कार्यक्रम चल रहा है आपका तो।

श्री कमला भाई मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मैंने निवेदन किया है उस पर सम्पूर्ण ध्यान देकर इस कार्य के लिये व्यवस्था की जाय ताकि जो पिछड़े क्षेत्र में लोग रहते हैं वे व्यवस्था होने पर ऊपर की श्रेणी में आ सकें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य समय का थोड़ा ध्यान रखें। 3-4 माननीय सदस्यों को ही अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

मैंने थोड़े ही किया है ।।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री महोदय हमारे गांवों का आदर करेंगे । हमको उनकी क्षमता पर विश्वास है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, समय दे रहा हूं लेकिन जो पहले बोल गये, तो पहले जो जीमण में आ जाय उसको ज्यादा मिलता है बाकी फिर कम पड़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा समय का ध्यान रखें। कारगर ढंग से बात थोड़े समय में ही कही जा सकती है। श्री यदुनाथ सिंह। अब मैं इधर से लेऊंगा.

(व्यवधान)

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं, जब से हमारा इतिहास है तब से कृषि हमारा धन्धा रहा है। जैसा आप यह भी जानते हैं, कृषि के लिये सबसे पहली आवश्यकता खाद और सब चीजों को अलग छोड़ें तो पानी की होती है। आज हम राजस्थान के इरिगेशन के पोटेंशियल परफार्मेन्स और उसके कन्सट्रेन्ट की बात कर रहे हैं। जहां राजस्थान के पोटेंशियल का सवाल है, राजस्थान देश भर में दूसरा राज्य है। हमारे राज्य की स्थिति बड़ी विचित्र है, अन्य राज्यों के बजाय बड़ी विकट स्थिति है हमारे यहां पानी की जो क्षमता है उसको किस तरह यूटिलाइज करें, किस प्रकार और पानी लावें, इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारा जो पूरा एरिया है, दूसरे नम्बर पर आता है, 13.87 पर्सेन्ट एरिया हमारे राज्य में आता है लेकिन जो हमारे टोटल वाटर रिसोर्सेज हैं, अन्डर ग्राउन्ड और सरफेस वाटर का वह कुल एक पर्सेन्ट है। इससे आप ग्रेविटी का अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे राज्य की समस्या कितनी विकट है। इसलिये यहां पर एक्स्ट्रीम रूरल साइकोनी हैं, पावर्टी है, अन-एम्पलायमेन्ट है। इसलिये यही राज्य एक ऐसा राज्य है देश में, जहां पर सरकारी आंकड़े तो 1600-बोलते हैं, 17000 बोलते हैं परन्तु मेरे अनुमान से अभी भी 24000 गांव राज्य में ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की विकट समस्या बनी हुई है। यह तो रहा सवाल हमारे राज्य में क्या पोटेंशियल है, अध्यक्ष महोदय, जहां तक रहा सवाल परफार्मेन्स का हमारे राज्य की बहुत पुअर परफार्मेन्स पानी के यूटिलाइजेशन के मामले में रही है अभी कई दिन चर्चा आई, उस बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मोटे तौर पर मैं बेसिक बातों और फण्डामेन्टल बातों का जिक्र करूंगा। जैसे मेरी आदत है मैं यहां पर किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेज लगाने की कभी कोशिश नहीं करता हूं। इसके बारे में मंत्री महोदय से अलग निवेदन करूंगा लेकिन जहां तक परफार्मेन्स का सवाल है, आज हम तकरीबन राज्य में 29-30 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई कर पा रहे हैं और उसमें से 4-5 लाख हैक्टेयर की हम करीब करीब बिजली से सिंचाई करते हैं। बिजली और पानी का मसला राज्य के लिये एक साथ जुड़ा हुआ मसला है। तब हम राज्य के बारे में अपनी योजनायें बनावें तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह की योजनायें यहां के लिये रखें। जहां तक सवाल है, अभी चर्चा चली, दो दिन पहले रावी व्यास पर चर्चा चली थी। आज यहां पर चम्बल के बारे में चर्चा चली। हो सकता है कुछ दिन बाद समस्या खड़ी हो और हमें माही प्रोजेक्ट के बारे में और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर हमें करनी पड़े। जहां तक सवाल है, हमारी अन्तर्राज्यीय जितनी भी योजना हैं।

209

(श्री यदुनाथ सिंह)

दुर्भाग्य से हम रायबेरियन स्टेट नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये हमें मजबूरन दूसरी स्टेट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो हमारी नीतियां और हमारा प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी कहीं से ला सकें। लेकिन जब पानी हम लावें, अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल राजस्थान कैनाल, माही और चम्बल का है, ये हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं राज्य के विकास लिये, राज्य की इकानामी के लिये। इन योजनाओं को हम समयबद्ध टाइम पर पूरा नहीं कर पाये, यह तो हमारी असफलता रही लेकिन आज से हमें यह संकल्प लेकर चलना जरूरी होगा कि इन योजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के तौर पर पूरा कर सके। अब कई तरह की बातें होती हैं। पिछले दिन जब इनकी सरकारी अधिकारियों की बात भी होती है, किसी की गलती से बात हो, लेकिन जब मूल्यांकन करने आप जायें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, पिछले दिनों मुझे बड़ा खेद होता है कहते हुए कि घग्घर के बारे में यहां पर चर्चा चली और वहां पर मंत्री महोदय, और मुख्य मंत्री महोदय, गये लेकिन जहां तक मेरी सूचना है, ये किसी गांव से मिले नहीं ,जहां पर गांव डूब में आये थे, वहां मिले नहीं और आपके चैम्बर में मुझे आश्चर्य हुआ माथुर साहब अगर यह बात कहते तो मैं मान लेता क्योंकि उनका किसी से कोई पाला नहीं पड़ा लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, जो खुद किसान रहे हैं और किसान परिवार से सम्बन्धित हैं, ने यह कहा कि वहां पर इस पानी से फायदा हुआ। हमने पूछा, फायदा काहे से हुआ, मंत्री महोदय, हमें आपने कहा, सरसों और चने में बड़ा फायदा हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, चने और सरसों की सूखी खेती होती है। चने और सरसों में अगर आप पानी देंगे तो फसल उल्टी खराब होगी अच्छी नहीं हो सकती पेड़ बढ़ जायेगा, फूल नहीं आयेगा। इसलिये जो आपने वहां पर जाकर देखा···

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ ऐसा होता है इधर नहीं होता है ऐसा।

श्री यदुनाथ सिंह : सब जगह होता है अध्यक्ष महोदय, पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना गहरा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमी तो चाहिये। यह मानते हैं हम, नमी तो हर फसल को चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कब, कहां, कहा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हमसे बात की थी। मुख्य मंत्री महोदय, आप बैठे थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने चने और सरसों की बात नहीं कही। गेहूं में फायदा हुआ है, यह बात कही थी···

श्री यदुनाथ सिंह : गेहूं तो तबाह हो गया। पैदा कहां हुआ फसल तबाह हो गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : हम आप से यह उम्मीद नहीं करते थे, सिंचाई मंत्री जी···

श्री परसराम मदेरणा : चना तो खराब हुआ है। हर खेत में देखकर आया था। यह बात कैसे कहता।

श्री यदुनाथ सिंह : हर खेत में तो कैसे पहुंच सकते हैं आप। हर खेत में पहुंचना संभव भी नहीं है।

(210)

श्री परसराम मदेरणा : एरिया में दिख रहा था, चना तो खड़ा हुआ था ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप गांव वालों से नहीं मिले।

एक माननीय सदस्य : सरसों में नुकसान हुयो, पर चने में नुकसान हुयो । आप मौके पर गये कि नहीं, नुकसान हुयो बठै।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में तो वहां के जो माननीय सदस्य आये हैं वही बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल पर हमारी नजर सबसे ज्यादा इसलिये लगी हुई है कि जो अकालियों का झगड़ा चला...

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से बांध ज्यादा बांधने से कम पानी वाले इलाकों में फायदा या नुकसान, यह विषय आया नहीं है, आप तो इस पर बोलो, बाकी राजस्थान कैनाल के लिये बहुत बोलने वाले हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : ठीक है।

इसके पहले कि मैं इसके कन्सट्रेन्ट से बात शुरू करूं मैं आपके सामने आडिटर जनरल आफ इंडिया की 1979-80 की रिपोर्ट है पानी के बारे में उसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय:

"It is universally accepted that irrigated farming is one of the technologies which will increase productivity of the soil." But at the same time there is a negative aspect of major irrigation. For example, quite a considerable area of land is lost to cropping as a result of our irrigation projects. The Koti project showed that 23% of the land had gone waste. In the Gandak project the figure amounted more than 25% On the Towa project (Narmada) where Paddy production before irrigation was averaging four quintals per acre, after irrigation it has dropped to 3.8 quintals. And a similar drop in Jowar, Maize, Wheat and Gram. Large irrigation projects like Towa and Denva reduced the fertility of soil by causing water logging salinity."

और इसमें आगे बहुत सी चर्चा की गई है ।

श्री अध्यक्ष : हां यह नया आस्पेक्ट है।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं कि जो हम अपनी योजनाएं बना रहे हैं हमें योजनायें बनानी चाहिये लेकिन हमें योजना बनाते टेम दो बातों का मुख्य तौर से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो वाटर लोगिंग और सेलेनिटी की समस्या शुरू हो गई राजस्थान कैनाल में शुरू हो चुकी है और चम्बल में शुरू हो चुकी है। जब हमारा माही बजाज प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसमें भी यह प्राब्लम शुरू होने वाली है । इसके मुख्य कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें वाटर लोगिंग होना स्वाभाविक है। इसलिये वाटर लोगिंग न हो। जो फिगर्स दिये गये हैं उससे पता पड़ेगा, आगे बहुत से फिगर दिये गये हैं इससे पता पड़ेगा,

(श्री यदुनाथ सिंह)

ज्यादातर जमीन हमारी या तो इसके कैच में आ जाती है, बांध के डूब में आ जाती है या फिर बहुत-सी जमीन सेलाइन हो जाती है, एसीडिटी उसमें आ जाती है और वाटर लोगिंग शुरू हो जाता है। जमीन दूर दूर तक खराब होती चली जाती है। तो जब हम इरिगेशन प्रोजेक्ट की योजनायें बनावें तो बनाते टाइम हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम बड़ी बड़ी योजना न बनावें। बड़ी बड़ी योजनायें बनाने में पैसा ज्यादा लगता है, केपिटल इन्टेन्सिटी बढ़ती है और वह योजनायें लम्बे टाइम तक खिचती चली जाती है। हम देखते चले जा रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे भी नहीं हो रहे हैं। इसलिये हमें छोटे, मीडियम और माइनर इरिगेशन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां पहले जो सिस्टम था अध्यक्ष महोदय, राज्य में भी था और बहुत सी जगह था, जो हमारे ट्रेडीशनली जितने भी रिसोर्सेज थे, तालाब बनाते थे, तालाब होते थे गांव गांव में उन तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाय। उनसे कुओं का वाटर लेवल ऊंचा रहता था, उनसे जमीन का वाटर लेवल ऊंचा रहता था। जब हम योजना अपनी बनायें, तो बहुत जरूरी हो तो आप बड़ी योजनाएं बनाइये लेकिन आप माइनर और मीडियम इरिगेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे तब इस राज्य का भला होगा और हमारी जो जमीन बर्बाद होने से जो समस्यायें आगे खड़ी होंगी उनसे बच पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कन्सट्रेन्ट्स की बात मैं कर रहा था मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा क वह है, पैसा कहां बर्बाद होता है कहां होता है इसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा न कहते हुए मेरे जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष : बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : .. अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में तीन नदियां बहती हैं। गंभीर, बाण गंगा और रूपारेल। जो दो अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं काम चल रहा है जिन पर-गुड़गावां कैनाल और भरतपुर फीडर। ये पांच सिस्टम हमारे यहां पर हैं। तीन नदियों का तो इनन्डेशन सिस्टम है और जो गुड़गांवा कैनाल और भरतपुर फीडर हैं उनका अभी हमारा शेयर तय नहीं हुआ है। आशा है, जल्दी ही शेयर तय कराने के लिये सरकार अपने गुड आफिसेज को यूटिलाइज करेगी। इन नदियों में, अध्यक्ष महोदय, होता क्या है? भरतपुर का जो पहले इरिगेशन सिस्टम था और जो यह मास्टर प्लान राज्य सरकार ने अभी बनाया है उसकी एक लाइन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है पेज फोर पर :

"The irrigation system of Bharatpur is an intricately and skillfully designed system which works in anexcellent fashion during normal rains".

लेकिन होता क्या है फलड्स ड्यूरिंग दी ईयर 1967, 1968, 1971, 1972 1974, 1976, 1977 और इसके बाद पिछले साल आया वह। यह जो फ्लड लगातार हमारे यहां पर आ रहे हैं, हमारे यहां दो समस्याएं एक साथ हो रही हैं। और

(श्री यदुनाथ सिंह)

राज्यों से हमारे यहां की समस्या बिलकुल भिन्न है। हमारे यहां एक तो जो फ्लो है पानी का, वह वेस्ट टू ईस्ट है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भरतपुर सोसर में बसा हुआ है, भरतपुर की जितनी जमीन है वह सब सोसर में, डिप्रेशन में बसी हुई है। जब पानी इधर से जाता है, उसकी डिटेल मंत्री महोदय, को लिखी थी शायद पढ़ने की फुरसत नहीं मिली होगी कि जवाब भी इसके बारे में देते, डिटेल्ड मैंने स्टेडी करके उसमें लिखा है। तो जो यह सिस्टम है, अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट जाती है इसका जिक्र इन्होंने अपने फ्लड कन्ट्रोल में कोज में दिया है लेकिन उसकी रेमेडी नहीं आ रही है। इन्होंने कहा पेज 61 पर, यह बाण गंगा के बारे में हैं.

"This river brings a heavy charge of silt from its catchment which deposited along the entire course of river when the floods recede. The river bed is thus rising year after year causing meandering effect, the pattern of which also changes every year the floods come."

तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नदी जो है सिल्ट की वजह से, अध्यक्ष महोदय, यह इसको खुद इरिगेशन डिपार्टमेंट का मानना है इंजीनियर्स और एक्सपर्ट मानते हैं कि उसका बेड दिन पर दिन ऊपर उठता जा रहा है, उसका नतीजा यह है कि नदी का पता ही नहीं लगता, कब किधर मुंह मोड़ देती है और बुरी तरह से तबाही होती है। आदमी उससे मरते हैं, जानवर उससे मरते हैं। हमारे यहां जरूरी है इन नदियों का पानी आना दूसरे कारणों से भी जरूरी है। हम मानते हैं, इन्डेशन इरिगेशन हमारे यहां होता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे यहां जमीन में पानी भी खारा है, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां वाटर टेबल ऊंचा नहीं है, यह नदियों का पानी जाता है उससे वाटर टेबल ऊंचा आया है, यह मानता हूं मैं कि पश्चिमी राजस्थान की तरह हमारे यहां 200-250 फीट वाली समस्या नहीं है लेकिन जो जमीन में पानी है वह ज्यादातर पानी खारी पानी है उस खारी पानी को मिठ्ठा करने का काम भी इनन्डेशन इरिगेशन करता है लेकिन जो स्टेट टाइम में इरिगेशन सिस्टम था, अब जनता पार्टी के राज में, 2½–3 साल के राज में 8 करोड़ रुपया, अध्यक्ष महोदय, वहां के फ्लड कन्ट्रोल के लिए मिला, मैग्जिमम पैसा मिला लेकिन वह पैसा कहां गया, यह भगवान ही जानता है, उसकी रेजगी बनाकर यदि नदी में डाल देते तो मेरे खयाल से वह कोर्स नदी बदल जाती। तो मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो नदियां हैं, हमारे यहां जो गम्भीर नदी है उसके लिए पांचना बांध का निर्माण हुआ, अध्यक्ष महोदय, उससे इरिगेशन हो रहा है। बांध के निर्माण, हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें सबसे बड़ी कमी अध्यक्ष महोदय, यह है कि हम बांध बना लेते हैं, बांध बनाने के साथ साथ हमको कैनाल बनाना शुरू करना चाहिये। अब बांध को बने चार साल हो गये, अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां पर अभी तक उसकी कैनाल नहीं निकली है कैनाल निकलनी चाहिये थी आज उसके कारण सारी प्राब्लम्स हो रही है और वहां पर, अध्यक्ष महोदय, कैनाल्स बने।

(श्री यदुनाथ सिंह)

मैं अपने क्षेत्र के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां विशेष फ्लड आते हैं, मेरे यहां सिस्टम इतना बढ़िया बनाया हुआ है पिछले ढाई साल से मुझे तो दुःख होता कहते हुए कि मैं वहां मुंह भी दिखा नहीं पाता हूं एक पैसा मेरे यहां लगा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि मेरे यहां पर जो भी फ्लड को कन्ट्रोल करने का करते हैं, फ्लड जाता है पथाना कैनाल और उसमें से खुर्रमपुर कैनाल, उन कैनाल्स के लिए आप रिपेयर के जो प्राविज़न करें। रिपेयर को कीजिये। उसमें भी डीग कुम्हेर आगे तक पानी जायेगा, उससे वहां की सिचाई होगी।

इतना ही निवेदन करते हुए जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : कनकराज मेहता। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कनक राज मेहता (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जालौर जिले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जालौर जिले के अन्दर यह सिचाई योजना है एक मृगतृष्णा बनी हुई है। वह कैसे? वह इस प्रकार से कि हमारे यहां की जो तीन नदियां हैं, पेरेनियल रिवर्स जिनको कहते हैं, एक तो अपनी जैतपुरा, बांडी, कोड़ी, ये तीन नदियां हैं पेरेनियल सोर्स ग्रॉफ रिवर है इनका पानी रोज बहता है। जैतपुरा नदी का पानी गुजरात तक जाता है। जिसकी आज दिन तक इतने अर्से तक कोई व्यवस्था नहीं करने के कारण। प्यासी धरती को उसका पानी पिलाया जाय तो जो काफी उपज बढ़ सकती है। लेकिन यह योजना नहीं बनना हमारे लिये बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि मदेरणा जी सरीखे जो मंत्री हैं वह इस क्षेत्र की ओर ध्यान देकर इनका पूरा सर्वेक्षण करा कर इन तीनों नदियों का पानी जा रहा है वह हमारी तरफ मोड़ने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि सांचौर क्षेत्र की धरती ऐसी है जहां पर उपजाऊ जमीन बहुत ज्यादा है। सांचोर क्षेत्र का यह रिकार्ड रहा है कि एक बीघे के अन्दर अगर मानलो गेहूं बोया जाय एक मन तो 64 टाइम होता है यानि 64 टाइम गेहूं पैदा करने की हमारे यहां जमीन के अन्दर क्षमता है। तो उपजाऊ भूमि सांचौर की इतनी है कि मेरे ख्याल से जिले के अन्दर हमारा सबसे पहला नम्बर लगता है। सारा जो पानी का ढाल है और जो बांध है वह सांचौर क्षेत्र की तरफ है। क्योंकि सारी नदियां आकर डेल्टा वहां बनाती हैं। मेरा निवेदन यह है, यह नदियां जो बह रही हैं, उनका पानी सांचौर की तरफ मोड़ा जाय। दोयम मेरा यह निवेदन है कि सांचौर के अन्दर नर्बदा और माही का सर्वे हो चुका है। सारे नक्शे भी बन चुके हैं लेकिन वह देखने तक ही हैं। इस साल जैसा प्रावधान है, 100 लाख रुपये नर्मदा के लिए मन्जूर हो चुके हैं। उसका पानी गुजरात से पहले सांचौर के अन्दर आयेगा तो मेरा निवेदन है कि यहं कार्य शुरू कर दिया जाय और नहर का निर्माण अगर शुरू कर दिया तो सांचौर के लोगों को काफी आशा बंध जायेगी और यह उम्मीद कर सकेंगे कि इस प्यासी भूमि को पानी मिलेगा।

तीसरी मेरी यह अर्ज है कि लूणी के ऊपर कन्ट्रर बंधे बन्द नहीं हुआ उसके अन्दर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन आज तीन साल से लूणी नदी के कन्ट्रर बंधी है वह पूरे नहीं होने के कारण गत वर्ष हमारे यहां 7 फीट पानी आया था अगर वह रोक दिया

(श्री कनकराज मेहता)

होता तो काफी क्षेत्र में गेहूं अनाप सनाप पैदा होता लेकिन दुर्भाग्यवश वह बंधे पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरा यह भी निवेदन है कि सांचौर क्षेत्र के अन्दर इस वर्ष जो लूणी पर कार्य हो रहा है वह जितने बंधे बने है वह पूरे होने चाहियें। जब तक वे बंधे पूरे नहीं होंगे तो यह हमारी आंखों के सामने हमारी नदी का पानी बहता जायेगा जिससे हमारी तृष्णा नहीं मिटेगी और हमको इस नदी का कोई लाभ नहीं होगा। जब बंधे नहीं बने थे। तब हमारे क्षेत्र के अन्दर काफी मात्रा के इनन्डेशन होता था और हजारों मन गेहूं पैदा होता था लेकिन जब से बंधे शुरू होने लगे हैं तब से इस क्षेत्र की प्राडक्टिविटी बहुत कम हुई है और उपज घटती जा रही है। तो मेरा यह भी निवेदन है कि लूणी का सर्वे ऐसे टाइम पर किया जाय, जब नदी आती है तब उसका सब तारतम्य देखकर उसका सर्वे किया जाय ताकि नदी का पानी किस मात्रा में और किस ढंग से मोड़ा जाय ताकि इस क्षेत्र की प्यासी भूमि और सबसे उपजाऊ भूमि को लाभ पहुंचाया जा सके।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि यह जैंतपुरा नदी, जिसका पानी गुजरात के अन्दर जाता है, गुजरात सांचौर के बोर्डर पर आया हुआ है तो मेरा यह भी निवेदन है कि जैंतपुरा नदी का पानी जो गुजरात नदी के अन्दर जाता है उसका बहाव सांचौर की तरफ किया जाय ताकि धरती के अन्दर बेरों का सिंचाई का साधन बढ़े और जमीन के अन्दर काफी अनाज पैदा होने की स्थिति हो जायेगी। इतना मैं निवेदन कर के आपको धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज, संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारा तो बीसलपुर बांध है। संक्षेप में आयेगा। मैं आपके द्वारा और बात तो नहीं कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं

सन् 72 से लगातार राज्य सरकार को निवेदन करता आ रहा हूं, सिंचाई के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट टौंक राजस्थान में अंकित है या नहीं मैं ऐसा महसूस करता हूं। मैं तो यहां तक जानता हूं कि शायद टौंक जिला शायद राजस्थान में अंकित ही नहीं होगा। हर क्षेत्र में उसका कोई महत्व नहीं है, किसी भी विकास कार्य में टौंक जिले को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है. ऐसा मुझे मालूम हो रहा है। मैं आपके द्वारा आज भंयकर समस्या है उसको मूव कर रहा हूं। फिर भी मैं आशा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज के युग में आबादी का बढ़ना, विस्तार और भंयकर पांच साल से बरसात का नहीं होना यह तो, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने परिस्थिति आने वाली है आ रही है। इसके बावजूद भी पानी, बिजली और रोड, ये तीनों के लिए स्थानीय जनता की तरफ से मूव हो रहा है। राज्य सरकार भले ही कंचन की बरसात बरसाओ, कोई लाभ नहीं है। इन तीनों चीजों के लिए आम जनता आये दिन मांग राज्य सरकार को भेज रही है। इन चीजों की कमी नहीं मिटेगी, इन चीजों की पूर्ति नहीं होगी तो कितना ही धन राज्य सरकार लगाये किसी भी क्षेत्र में, मैं यह कहना चाहता हूं आज के दिन कोई ज्यादा विशेष पार्टी और सरकार को मदद मिलने वाली नहीं है जनता की ओर से यश मिलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

श्री चतुर्भुज : एक अर्ज मैं और कर रहा हूं मेरी खास बात तो रह गई सरकार।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप कह दीजिये।

श्री चतुर्भुज : इसके साथ मेरे क्षेत्र में विसलपुर योजना का सन् 42 में ब्रिटिश सरकार के जमाने से सर्वे हो रहा है सरकार और उसमें एक नहीं दो क्षेत्र हैं। पानी की हमको शांति मिल सकती है वीसलपुर परियोजना से हमारी सिंचाई में तो मदद मिल सकती है टोंक जिला को इसके अलावा बीसलपुर परियोजना से अजमेर नसीराबाद आदि नगरों को जल प्रदाय योजना द्वारा जो पानी दिया दिया जा रहा है उसमें मदद मिलेगी। जिस स्कीम, 64-65 के अन्दर जल प्रदाय योजना हमारे क्षेत्र से लागू की गई बनास नदी से उसमें 33 टयूब वैल लगे थे, सरकार आज उस नदी पर 67 टयूब लग गये तीन स्थानों पर फिर भी अजमेर में पानी नहीं मिल रहा और हमारी दशा यह हो गई नदी में जो पानी सदा बहता था उससे हमारी जनता धाप कर जल लेती थी दोनों साइड में कुओं में पानी भी काफी रहता था, सदा ही उनकी धार चलती थी उससे हमारा गुजारा होता था। अब हमारी दशा यह हो गई ढाई फीट पानी नीचे से खेंच लिया। तमाम 70 किलोमीटर तक नदी सूख चुकी और हमारे दोनों साइड के कुओं, जिनसे 2-3 किलोमीटर तक पानी मिलता था, में 250 फीट पानी नीचे चला गया। अध्यक्ष महोदय, आखिर में हमारी दशा क्या होगी। हम जनता के सामने कैसे ऊंचे रह सकते हैं आये दिन झूठा विश्वास देकर जनता में जिन्दा भी नहीं रह सकते। हम राज्य सरकार के सामने बार बार यह परिस्थितियां रखते हैं। बार बार इन समस्याओं को सामने रखते हैं। यह समस्या सही है क्या गलत कह रहा हूं इनकी राज्य सरकार जानकारी कर लें। अब अजमेर को पानी दे रहे हैं, नसीराबाद को पानी दे रहे हैं, केकड़ी को पानी दे दे रहे हैं, मनुष्य और पशुधन को पीने के पानी के लिए 4-5 कोस दूर जाना पड़ता है, यह हमारी दशा हो रही है। इसलिए मैं आपके द्वारा सबसे ज्यादा यह निवेदन करना चाहता हू कि हमारे क्षेत्र के साथ घोर अन्याय हो रहा है पेय जल की दृष्टि से। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी दशा हो रही है। सन् 42 में सर्वे हुआ था 8 करोड़ 77 लाख की योजना का। उसके बाद में क्या हुआ? 1953 में जेरसर योजना का सर्वे हुआ, 17 करोड़ 23 लाख का, उसके बाद में फिर 61-62 में सर्वे हुआ बीसलपुर परियोजना का 43 करोड़ 77 लाख का। उसके बाद में 67-68 में फिर सर्वे हुआ। सर्वे होने का मतलब क्या हुआ 72 करोड़ 80 लाख रुपये। चार सर्वे हो गये। डेढ़ करोड़ रुपया सर्वे पर ही खर्च हो चुका राज्य सरकार का आज भी उन परियोजनाओं का पता नहीं। हम बाट निहार रहे हैं। जनता आकाश की ओर मूंडा करके देख रही है और सरकार की ओर निहार रही है टोंक जिले की जनता। टोंक जिला ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर के 50 गांवों के काम आ सकती है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के काम भी आयेगी योजना, अजमेर में तो आ ही रही है। सम्पूर्ण टोंक डिस्ट्रिक्ट का भला करने वाली यह योजना है इसको हाथ में नहीं ले रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है हमारी। वा नहीं लो वा अच्छी बात है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक बीमारी और है। वह बंधा की परियोजना, बीसलपुर परियोजना को पूरा करने का तो

(श्री चतुर्भुज)

दिमाग बनता नहीं है, 30-40 गांवों के नोटिस लगा भेजा है, न उन गांव में कुआं बना सकते, न कोई मकान बना सकते हैं, न कोई तरक्की कर सकते । यह एरिया डूब में आ जायेगा, वहां न रोड बना सकते, न कोई स्कूल खोल सकते । यही बीमारी नहीं है इसके साथ बंधा तो बनेगा नहीं परियोजना लागू होगी नहीं तो विकास होने से रहा । बतायें, अध्यक्ष महोदय, हम कहां जायें ? हम न मरवा में, न जीवा में । इसलिए इस योजना को फेल कर दिया जाये तो मैं यह कहता हूं कि एनीकट बांध बंधाकर अजमेर को पानी दे रहे हैं, हमको भी पानी मिल जाये । बनास में एनीकट बना दें तो फिर भरा रहे 2-4 फीट तो कम से कम हमारे मवेशी को पानी मिल जाये । अब नदी सूख गयी है, 250 फीट नीचे पानी जा रहा है, जो 32 कुओं में ट्यूबवैल लगे थे, आज 67 कुओं में लगे हुए हैं जिस से भी अजमेर को पानी पूरा नहीं मिल रहा है । 72 किलोमीटर नदी सूख गयी पूरे क्षेत्र में । मैं आपके द्वारा गम्भीर समस्या के बारे में यह निवेदन करता हूं राज्य सरकार को कि भयंकर परिस्थितियां हैं मैं आपके द्वारा आशा करता हूं कि इसका कोई न कोई निराकरण किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, कृपया समय कम से कम लें । आप तो ऐसी तरकीब करो जिस से कुओं में पानी खूब बढ़े, जमीन डूब में आवे नहीं ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (पुढा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान विधान सभा में दो गांधीवादी मंत्री महोदय विराजमान हैं । आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इनके हृदय में भी गांधीवाद की कोई छाप है तो झुंझुनूं जिला, जो रेगिस्तानी इलाका है, मेरे क्षेत्र के कुछ गांव तो उसमें नखलिस्तान के रूप में हैं, उनकी समस्या तो बाद में बताऊंगा, पहले जो रेगिस्तान का इलाका है, झुंझुनूं जिला, उसकी समस्या की तरफ इन दोनों गांधीवादी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में, ड्राफ्ट प्लान में यह मैंशन किया गया है कि The new major projects proposed to be taken in the 6th plan period 1980-85 are Thin, Gagrin, North Feeder, Sidhmukh, Manohar Thana and Jamuna lift canal for Churu and Jhunjhunu and Jamuna lift canal for ALWAR and BHARATPUR.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ड्राफ्ट प्लान में , सिक्स्थ ड्राफ्ट प्लान में जिला था परन्तु इस सरकार के द्वारा पता नहीं इसमें क्या कमी आ गयी कि जबकि यह लोग यहां पर सुबह दुहाई देते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की सोते उठते इसी की रट रखते परन्तु सिंचाई के इस 20 सूत्री कार्यक्रम में चूरू और झुंझुनूं का कहीं नाम नहीं आता इस सदन के रतनगढ़ से आने वाले एक अन्य गांधीवादी सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा था कि चूरू जिले में लिफ्ट इरिगेशन द्वारा पीने के पानी की समस्या को हल करा जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें मेरे द्वारा यह विनम्र निवेदन करता हूं कि झुंझुनूं जिला, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां चूरू से

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

मिलती जुलती हैं, में, मैं कह सकता हूं, खारे पानी की समस्या बहुत विद्यमान है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे लोक दल के नेता श्री लच्छूराम जी मौजूद हैं कि इस फ्लोराइड वाटर की वजह से इनका एक पैर खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, खारे पानी से कितनी बीमारी फैल रही हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस सदन में विद्यमान है। तो इन गांधीवादी मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर गांधीवाद की थोड़ी बहुत भी छाप इनके अन्दर मौजूद है तो यह चूरू तक ही सीमित होकर नहीं रह जायें। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चूरू में लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पीने के पानी की समस्या जरूर सॉल्व होगी तो यह झुंझुनूं जिला कहीं देखता नहीं रह जाये क्योंकि हमको हमारे प्रभारी मंत्री महोदय के ऊपर विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, आप भी उस क्षेत्र में पधारे हैं, आपको मालूम है कि खारे पानी की समस्या की वजह से पीने के पानी ...

श्री अध्यक्ष : सिंचाई की है मांग।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : लिफ्ट इरिगेशन ये ही आयेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अलसीसर में कई जगह 10-10, 15-15 किलोमीटर से, मेरे ख्याल से 20-20 किलो मीटर से पानी जाता है। तो माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस समस्या की तरफ ध्यान जरूर दें।

दूसरा ध्यान, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सिक्स्थ ड्राफ्ट प्लान में कहा गया है, झुंझुनूं जिले को भी जमुना का पानी मिल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन में बहुत अरसे से आ रहे हैं, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आप देखिये उनकी कमर टेढ़ी हो गयी, जवाहर लाल नेहरू कैनाल कहते कहते। उसके लिए पिछले दिनों चंदा करके लाखों रुपये का केन्द्रीय सिंचाई मंत्री केदार पाण्डे को भी हमारे जिले में लाये थे। बहुत बड़ा जलसा करा था। लाखों रुपये की थैली पता नहीं उनको भेंट करी या न करी परन्तु वहां तो उन्होंने घोषणा कर दी मंत्री महोदय ने खुद, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय ने, सिंचाई मंत्री जी ने तो कहा नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं अगर वह सरकार के सदस्य हैं, क्योंकि कैबिनेट में वह भी बैठते हैं तो उस जवाहर लाल नेहरू कैनाल का यहां कोई जिक्र नहीं है। माननीय सिंचाई मंत्री से कहना चाहूंगा, अगर उन मंत्री महोदय ने वहां घोषणा कर दी तो उनकी इज्जत बचाने को ही नाम ले दो, भले ही एक पैसा मत लगाओ परन्तु ये नाम ले दो कि झुंझुनूं जिले में जवाहरलाल नेहरू कैनाल आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी योजना बनाने वाले सरकारी अधिकारी हैं ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र से आने वाले हैं, इनके दिमाग में इस राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की कोई कल्पना ही नहीं है। इनके दिमाग में सिर्फ डाक बंगला और सर्किट हाउस रहते हैं जिनकी वजह से इनको यह नहीं मालूम कि पश्चिमी क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की समस्याएं भरतपुर और अलवर की समस्याओं से अलग हैं। हमारे क्षेत्र की समस्या यह है कि बरसात

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

का पानी वहां कहीं से निकलता हो या थोड़ा सा बहाव लेता हो, उसको वहीं रोककर उस से सब सॉइल वाटर बढ़ायें ताकि कूओं में पानी की क्षमता हो ।

श्री अध्यक्ष : इंजीनियरिंग की किताबों में ऐसी बातें हैं नहीं, एरिया के हिसाब से।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सिंचाई मंत्री जी खुद पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं और यह कहते हैं कि किसान के बेटे हैं, तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि किसान की समस्याओं को समझते भी होंगे इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि हमारे भारत सरकार के सिंचाई मंत्री, जो नागौर जिले से हैं, ने अपना पहला स्टेटमेंण्ट दिया था, उस समय कहा था कि मेरा यह प्रयास होगा कि मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं को बनाया जाये और उनको प्राथमिकता करके पूरा कराया जाये, परन्तु हमारे मंत्री महोदय पता नहीं इस पर कितना अमल करेंगे। मैं तो यह चाहूंगा कि वह उन्हीं पद चिन्हों पर चलें और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक खोह बांध की योजना है, मैंने मंत्री महोदय को लिखा था । मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि उसका सर्वे करा रहे हैं । सर्वे कराने की बात यह है कि मेरे क्षेत्र में वह ऐसी योजना है जिससे 4-5 गांवों को पानी भरेगा और उससे कैनाल बनाई जाए तो कम से कम 3-4...

श्री अध्यक्ष : वह तो ऐसा छोटा बांध है कभी एक पिलाई करेगा, कभी दो करेगा, खराबा ही करेगा। ऐसे छोटे बांधों का मेरा अनुभव तो यही है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र के कुछ गांव झूंझुनू जिले में नखलिस्तान है तो वह गाँव नखलिस्तान ही हैं, वहां दो या तीन इरिगेशन में 15-20 मन बीघे का गेहूं कट जाता है । अगर इतना रिटर्न मिल जाय तो बहुत ज्यादा है । मैं निवेदन करूंगा, वहां जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लगे हुए हैं उनके ऊपर नीमका थाना क्षेत्र में एक माइन ओनर हैं, जो राजनीति क्षेत्र में भी प्रभावशाली हैं, उनकी एक माइन पास में आती है उन्होंने उसको रुकवा दिया। उसका सर्वे ऐसे ढंग से करवा दिया जो फीजेबल नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इरिगेशन के बांध किसानों के लिए बनते हैं, खान वालों के लिए नहीं बनते हैं। खान वालों का तो इन्ट्रेस्ट यह होता है कि किसी भी तरीके से एक पत्थर के टुकड़े के हजार रूप मे हों उनके लिए किसान के घर में अगर एक मन गेहूं आए तो उसकी चिन्ता नहीं करते। उनका अपना मात्र यही उद्देश्य होता है, लिमिटेड दायरा होता है सोचने का। तो मैं कहूंगा खोह बांध जो बहुत जरूरी है उस क्षेत्र के लिए उसका सही ढंग से सर्वे कराकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे उस क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंच सके ऐसा मेरा विश्वास है, माननीय सिंचाई मंत्री इस मामले में सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम । संक्षेप में ।

श्री पीरूराम (टीबी.) : अध्यक्ष महोदय, धीरे धीरे बोलूंगा । कन्ठ बैठा है, मेरा गला खराब है इसलिए आहिस्ते ही बोलूंगा।

(श्री पीरूराम)

अध्यक्ष महोदय, पिछली 5 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय और भी हमारे जिले के मंत्री और एम.एल.ए. और एम.पी. सभी घग्घर में जो 31 तारीख को वहां नुकसान हुआ जी.एफ.सी. नहर से और घग्घर नहर से उसमें यह देखने के लिये गए कि क्या क्या नुकसान हुआ पर देखा क्या ? कालीबंगा का ठेर । एक चीज जरूरी देखी कि वहां सेम आई हुई थी, वह कोका उन्होंने जरूर देखा । बडोपर का बार-बार मेरे कहने के बावजूद सर्किट हाउसों में नाश्ता लेते रहे , कालीबंगा का ठेर देखते रहे । मैं यहां नट गया था कि वहां मौके पर जाना ठीक नहीं क्योंकि जो कुछ हो गया वह तो हो गया ठीक है, मगर बाद में आपने मौका नहीं देखा और पब्लिक को कुछ दिया नहीं तो वहां भड़काव पैदा होगा, यहां किसान यूनियन बनीं हुई है वह और परेशान करेगी। फिर भी एक जगह जरूर देखी कि पीलीबंगा और लखवाली रोड का ब्रिज है ब्रिजपर आकर उन्होंने नुकसान देखा तो छोलों की फसल और बहुत दूर में नुकसान था उसके बाद भी ये आ गये और पीछे से अब हमारे आन्दोलन शुरू हो रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी किसी अधिकारी से या और किसी से भी द्वेषता नहीं है । मान लीजिए एक दो अधिकारियों को सस्पेंड करते हो उससे हमारा जनता का नुकसान पूरा होने वाला नहीं है । हमारा जो नुकसान हुआ है उसका कुछ हिस्सा याने मुआवजे के तौर पर दिया जाए किसानों का क्योंकि तीन फसलों को बराबर नुकसान होता जा रहा है । इससे दो फसलें पहले हुई उससे भी शीत लहर से ओला वृष्टि से नहीं दिया गया कोई खास बात नहीं । कुदरत का नुकसान था, यह तो सरकार के अधिकारियों का समझो, कुछ भी तरह से समझो, यह नुकसान हुआ है । मुख्य मंत्री महोदय काफी खर्चा टयूर पर भी करके आए हैं । तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह एलान करें कि मुआवजे के बतौर पब्लिक को, किसानों को क्या देने जा रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी जी.एफ.सी. की नहर है उसके लिये मैं काफी बार लिखित में दे चुका हूं । पिछली बार विधान सभा में भी बोला था और मैंने दिखाया भी था कि मैं हर साल एक दो लेटर लिखकर देता हूं कि किस किस जगह पर नुक्स हैं: आर.डी. 24से40, जी.एफ.सी. नहर का मंत्री महोदय नोट करें 70 से 80, 118 से 122 और 130 से 147 और 150से 156 । इन आर.डियों को मैंने लाईनिंग के लिए 80से81, 81से82, 82से83 बार बार मैं लिखता गया यह कमजोर है, कभी भी किसी समय भी टूट सकती है । इसमें लाईनिंग भी हो जाए तो ठीक रहेगी ताकि यहां से टूटे नहीं।

दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि तीन हैड पड़ते हैं इसके अन्दर 42 आर.डी. पड़ता है, उसमें इतनी खराबी नहीं है, 4 गेट उसके खराब हैं, जो ठीक करा दिये जायं तो बहुत ठीक रहेगा । उसके बाद 133 आर.डी. है जो लखवाली से पीलीबंगा सड़क जाती है और हैड रेग्यूलेटर वह कम से कम एक करोड़ रुपये का होगा । उसमें इतना सेम का पानी आ गया है, नीचे खड्डा पड़ गया है कभी भी नीचे बैठ सकता है, वह गांवों की तबाही कर सकता है उसमें

(श्री पीरूराम)

अर्थवर्क करके फर्श बनाना चाहिए। तीसरा 156 आर.डी पर जो टाइल है उसके अन्दर नीचे से सेम पैदा हो गई है, कलालों की ढाणियां हमारे यहां पड़ती हैं उसका काफी रकबा याने खड्डा इतना गहरा पड़ गया है कि सेम उग रहा है उसकी वजह वहां से आस पास के इलाके में सेम आ गई है कलालों की ढाणियां हैं, वहां उन किसानों का जाना दूभर हो गया है। हर दम सेम का पानी वहां रहता है और कभी भी उस जगह से अगर घग्घर नहर का स्थाई इलाज नहीं किया गया तो कभी भी वह गांव डूब सकते हैं और अब की बार अगर 6 घंटे पहले याने 6 घंटे के अन्दर चार का कटोल नहीं काटते तो वह ढाणियां राजस्थान नहर सब बर्बाद हो जाती।

अब मैंने घग्घर के बारे में बताया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जहां हमारे भाखरा सिस्टम की 6 नहरें पड़ती हैं उनमें पानी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। मेरे ही क्षेत्र में ४ तरह की फसलें होती हैं। बिराना का एरिया है जिसमें मोठ, ज्वार और बाजरी होती है। दूसरा एक भाखरा का क्षेत्र जो मैं बता रहा हूं नाली बैंड होता है वहां चावल पैदा होते हैं, नर्मा कपास सब तरह की फसलें होती हैं। राजस्थान एरिया में न कपास की फसल बहुत बढ़िया मेरे क्षेत्र में हुई और साथ में जाइंट टिड्डी तहसील के गांव में यानी नर्म कपास की बहुत हल्की फसल हुई क्योंकि वहां पर भाखरा सिस्टम पानी का है उसमें पानी अपनी मर्जी से हरियाणा वाले देते हैं उनकी रहम पर हम काश्त कर पाते हैं और पानी ले पाते हैं तो इन सब में यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल में यह सिस्टम रखा है कि पानी अगर पीछे से आए तो राजस्थान कैनाल का पानी इसके अन्दर दे दिया जाए तो इन माइनरों में नाम मंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं; तलवाड़ा माइनर, तरोला माइनर, सिलवाड़ा माइनर, किशनपुरा डिस्ट्रिब्यूटरी, श्यामसिंह वाली डिस्ट्रिब्यूटरी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी। ये 6 डिस्ट्रीब्यूरीज राजस्थान कैनाल से क्रास होती हैं, इनमें सड़क के हिसाब से राजस्थान कैनाल वालों को कितना पानी कम हो उतना पानी देना चाहिए। पर ये अधिकारी आपस में भाखरा वाला एस.ई. समझो या राजस्थान कैनाल का एस.ई. समझो, आपस में तालमेल नहीं बैठाते। कभी कहते हैं पानी राजस्थान कैनाल में कम है इसलिए नहीं दे पाते तो जो पानी देना होता है मेरा कहना तो यह है कि 2-4-59 क्यूसेक्स कुल मिलाकर 6 नहरें हैं इनको जैसे हमारी एम.जी सी. नहर राजस्थान कैनाल क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसी तरह से इन 6 नहरों को राजस्थान कैनाल से जोड़ दिया जाए...

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री पीरूराम: ताकि फसल पूरी हो सके। मेरा तो बहुत लम्बा मामला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा. मेरा कहना है कि उसमें नहर राजस्थान कैनाल चलती है, इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि हमारे पिछले चुनावों में, 80 के चुनावों में बाइकाट किया था, जो शोदानपुरा गांव पड़ता है जसाना माइनर क्षेत्र में खत्म होता है उस जगह के लोगों ने बाइकाट इस बात पर किया कि हमारे यहां

(श्री पीरूराम)

डैम से पानी पूरा नहीं पहुंचता है अध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम भी पूरा नहीं दे रहे हैं 20 क्यूसेक्स पानी जसाना माइनर से दे दिया जाय और शोदानपुरा गांव तक इसे बढ़ा दिया जाय तो बहुत ठीक रहेगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि घग्घर के बारे में की 24 आर.डी साइफन से अनुपगढ़ तक, मैंने पहले लिखकर भी दिया है और बताया भी था कि मंत्री महोदय का 4 करोड़ की स्कीम इसकी बनती है और बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इसलिये मेरा कहना है कि इससे बड़ी बड़ी सेंध खत्म हो सकती है और खड्डों में पानी भी नहीं रहेगा, आप पांच सौ फुट चौड़ी, दो सौ फुट बैठ 7 सौ फुट यानि एक मुरब्बा चौड़ी नाली पहले जो पुरानी चलती थी अनुपगढ़ तक इसे बना दिया जाय तो पानी की सिंचाई पूरी होगी और सब ही बदोखर वाली सेंध खत्म होगी, आप मौका भी देखकर आये हैं 10 किलोमीटर में वहां सेंध पड़ी हुई हैं तो खड्डों में पानी नहीं रहेगा, खड्डों में भी पैदा होने लग जायेगी। इस सम्बन्ध में मेरे 3 सुझाव हैं, पहला सुझाव तो यह है कि आपको मैंने कल ही चिट्ठी दी है कि 30 आर.डी. यानि भदर काली देवी के मन्दिर तक हनुमानगढ़ तक 30 आर.डी. पड़ती है और हनुमानगढ़ जंक्शन तक 50 आर.डी. पड़ती है जिसका अस्टीमेट 40 लाख होगा, और 30 आर.डी. का अस्टीमेट 30 लाख ही होगा, क्यों होगा कि पीछे कोई ढोले नहीं है, आगे काश्तकारों के ढोले हैं वह भी आप यूज कर सकते हैं नहर के रूप में बना दी जाय तो हमेशा का खतरा यानि वहां के काश्तकारों के सिर के ऊपर जो दुधारी तलवार लटकी रहती है उसका हमेशा के लिये परमानेन्ट इलाज हो जायगा घग्घर नहर का।

अब एक बहुत बड़ी समस्या, अध्यक्ष महोदय, 10 गांवों में 80 के चुनाव के समय बाइकाट किया था, उनकी मांग उचित थी क्योंकि 66-67 में उन्होंने एक नहर बनाई श्रमदान से और वह नहर अभी भी मौके पर बनी हुई है जो कि-

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री पीरूराम : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा,।

वहां श्रमदान से नहर बनाई हुई है आर.डी. 572 पर फाइबर खारा सिस्टम लगता है और इंजीनियर महोदय भी जानते हैं, वे जब वहां गये थे तब नोट भी कराया था 572 आर.डी पर फाइबर खुला है उस फाइबर को थोड़ा सा नीचे बैठाकर उससे राजस्थान कैनाल को पानी बना दिया जाय तो 10 गांवों में लाभ होगा, उससे भी 576 आर.डी. उसके ऊपर श्रमदान से काश्तकारों ने 1966-67 में और नहर बना कर छोड़ दी है आज तक उसमें हैण्ड रेगुलेटर नहीं बनाया सरकार से सिर्फ इन दिनों के ऊपर ढ़ाई लाख रुपया, मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय 10 गांव में आपका नाम होगा ढ़ाई लाख रुपया खर्चा है। ढ़ाई लाख रुपया मंजूर कर दीजिये ताकि वह सिस्टम चालू हो जाय पर आने वाले टाइम में वह 10 गांवों में चुनावों में किसी तरह का बाइकाट नहीं करें कम से कम 30 हजार बीघा जमीन को पानी मिल सकेगा। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्योंकि राजस्थान कैनाल मेरा सारा ही क्षेत्र पड़ता है। मैं थोड़ा सा राजस्थान कैनाल के बारे में भी बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका इस सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव तो है नहीं मंत्री महोदय क्या जवाब देंगे ?

श्री पीरूराम : है साहब. ।

श्री अध्यक्ष : दूसरी चीजों के बारे में हैं।

श्री पीरूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप बिराज जायें।

श्री पीरूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ों सो, म्हारे खाला की बड़ी तकलीफ है गांवा का लोग बड़ा परेशान करे हैं,

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायं।

श्री पीरूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऐसा है आप विराज जायं एक मिनट। आसन पैरों पर हैं, ऐसा है कि यहां पर जो मा. सदस्य अलग अलग कटौती प्रस्ताव देते हैं, बाद-विवाद उन्हीं बिन्दुओं पर होता है, उन पर मंत्री महोदय जानकारी ले लेते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, आप जितनी भी अपने अभाव अभियोग हैं उनके बारे में अपनी चर्चा करें कि उस नहर को वहां, मोघा लगे वहां उसकी पक्की बनें, वह कच्ची बनायें तो उसका आना संभव नहीं होता है। उसमें कोई सुधार की वात हो, नीति की बात हो विभाग की तरफ से कुछ गलती हुई हो, इन्हीं तक सीमित होते हैं आपने तो सभी अभाव अभियोग , जैसे अभी जवाब दिया जायगा और पूरा हो जायगा। ऐसा इस डिबेट का आशय नहीं होता है माननीय सदस्य। इसलिये पूरा कर दीजिये आप अगर बाकी बात हो आप मंत्री महोदय से मिलें उनको तकलीफ सुनायें..

श्री पीरूराम : एक मिनट सिर्फ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है एक मिनट।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, वाटर कोर्स खालों के बारे में बताना चाहता हूं कि 384 वाटर कोर्स खाले जो उपनिवेशन आर० सी०पी०, सी०ए०डी० विभाग ने बनाये उनमें 384 खाले खराब हैं उनकी लिस्ट कृषि विभाग वालों ने इनको दे भी दी है, ये खाले खराब हैं और ये ठीक करने की नीति में भी है। मेरा कहना यह है कि उन खालों को सही ढंग से ठीक करा दिया जाय जो उनके ऊपर जो आवर्ती ब्याज जो उस पर लगाया गया है मंत्री महोदय यह भी उत्तर दें कि उस ब्याज का क्या हो रहा है। वह तो बहुत लम्बी कहानी है मंत्री महोदय को मालूम भी है मगर जो पीछे रकम दे दी गई काश्तकार के खेत में जिस दिन से खाला बना है उस दिन से ब्याज और रकम को देने को तैयार है और एक दफा एक खाले को ठीक करा दिया जाये अमुमन बैंड लेविल सिस्टम में खराबी है। उसके बाद यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल को जो छोटी लिंक नहरें हैं वह बहुत खराब है और उनमें क्या है पिछले दिनों भी मुख्य मंत्री महोदय को भी मौके पर जब वे वहां गये थे तब एक नहर दिखाई थी चैकअप भी करा रहे हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे माइनर हैं नहर डी० डब्ल्यू०डी० के बैंड़ में खराबी है, कनवानी माइनर , बुधवाला माइनर, प्रेमपुरा, रामपुरा माइनर नीरवाल, मेयनावाली माइनर

(श्री पीरूराम)

इन सभी माइनरों को इन में पीछे की जो त्रुटियां रही हुई हैं उनको दुबारा जांच करा कर ठीक कराया जाय। इतने दिनों क्यों नहीं पता पड़ा कि वहां मशीन लगी थी पानी के लिये श्रौर मशीनें लगी हैं तो मोगों से पानी पूरा चलता नहीं है इसलिये काश्तकार परेशान हैं।

दूसरा राजस्थान कैनाल का मैन मुद्दा मैं बता देना चाहूं कि पहले भी मैंने बताये कि आर.डी. से 22 आर.डी. तक मैन कैनाल का राइट बैंक सीप्रे की वजह से खराब हो रहा है श्रौर वहां खड्डों में 4-4 फुट पानी खड्डों में पानी मौके पर देखकर आया हूं श्रौर सौ सौ फुट चौड़े खड्डे हैं बंधाई की नहर हैं उसको कभी भी टाइम खतरा हो सकता है इसलिये उसका परमानेन्ट इलाज किया जाये। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय का भी ध्यान रखें। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया श्री शोभराज मल। आर्डर आर्डर। मैं देख रहा हूं। श्रौर उसमें समय लेने की जरूरत नहीं। श्री शोभराजमल।

(अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम। समय पांच से 7 मिनट अब जो माननीय सदस्य बोलें।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : जो हुक्म। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ईरिगेशन की डिमान्ड पर सरकार से कुछ निवेदन करना चाहूंगा मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि गंग कैनाल के विषय में बहुत दफा इस हाउस में चर्चा हो चुकी है। मेरे ख्याल से कई दफा आश्वासन सरकार ने दिये हैं अब भी बजट में पैसा सरकार ने रखा है लेकिन मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले हमारे यहां अकालियों ने बहुत बड़ा इश्तिहार बांटा है जिसके अन्दर उन्होंने धरना भी दिया है श्रौर बहुत सारी बातें आम जनता को बरगलाने के लिये उन्होंने उसमें अंकित की हैं जैसा कि 30 साल से गंग कैनाल का सिलसिला चल रहा है बार बार विधान सभा में कई सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला श्रौर सरकार की तरफ से हमेशा यही आश्वासन दिया जाता है कि इस दफा ... गंग कैनाल का काम चालू कर दिया जायेगा. बड़े दुख श्रौर खेद की बात है कि पिछले बजट में, उससे पिछले बजट में भी इसके लिए पैसा रखा गया था; अभी डिविजन की घोषणा भी की गई थी सीकर से डिविजन बदलना चाहते थे लेकिन सीकर वालों की इच्छा न होने की वजह से वह वापिस केन्सल हो गया। अब मैं प्रार्थना करूंगा जल्दी से जल्दी डिविजन खोलकर जो लोगों की दिक्कते हैं, उनको दूर करें। गंग कैनाल आपको 100 करोड़ की आमदनी देता है श्रौर उसके बारे में कमीशन की रिपोर्ट है यह जर्जर हुई हुई है, 2720 क्यूसेक्स की कैनाल जो है उसको आज तक 2100 या साढ़े 2100 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी उसने कभी नहीं दिया, पांच सौ छः सौ क्यूसेक्स का लॉस रहा। अगर हम पहले बना लेते तो आज तक करोड़ों रुपयों का जो नुकसान हुआ है वह नहीं होता। तो मैं सम्माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से जल्द निर्णय लेकर वह डिविजन खोलकर गंगानगर, यह जो गंग कैनाल है, के किसानों बहुत लम्बे अरसे से इस बात की इंतजार कर रहे हैं उससे राहत दिलायेंगे।

224

(श्री राधेश्याम)

इसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। यह 500 क्यूसेक का लॉस है और 520 क्यूसेक जो जी बी. माइनर में जाता है अगर यह 10 सौ क्यूसेक पानी मिल जाता है तो फसल दुगनी हो सकती है, इससे कई करोड़ों रुपयों का सरकार को लाभ हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ हालांकि मुझे समय आपने कम दिया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ आपके प्रति आभार प्रगट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हीरालाल आर्य। समय का ध्यान रखें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, अपना प्रान्त कृषि प्रधान प्रान्त है। कृषि प्रधान प्रान्त होने की वजह से हमारी जनता खेती पर निर्भर करती है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारी खेती बारिश पर निर्भर करती है और आये दिन अकाल पड़ता रहता है इसलिए कृषि के लिए और सिंचाई के लिए पानी स्रोतों की आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक है, अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए हमारी नहरों में पानी आये, हमारे यहां सिंचाई के स्रोत कम हैं इसलिए पड़ौसी प्रान्तों पर निर्भर रहते हैं और रहना पड़ता है लेकिन हमारी सरकार अपनी दुर्बलता की वजह से, सरकार कमजोरी की वजह से दूसरे प्रान्तों से अपने हिस्से का पानी लेने में अक्षम रहती है इसलिए किसानों के खेत सूखे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की बात करूंगा। हमारे संभाग में कालीसिंध, परवन, पार्वती नदियां हैं, कई स्थानों पर तो पानी की कमी होती है लेकिन हमारे यहां जनता सरकार के वक्त इन नदियों का सर्वे हुआ था जिससे इन नदियों में चार मिलियन एकड़ पानी का होना पाया गया था, जिसका कृषि के लिए और सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर यह पानी है इसकी उपयोगिता के लिये यह आवश्यक है कि इसके लिए योजना बनायें, इस पानी को सिंचाई के काम में लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए जितने भी और प्रोजेक्ट चलते हैं या परियोजनायें चल रही हैं ये परियोजनायें समय पर पूरी नही होती। समय पर पूरी नहीं होने की वजह से एक तरफ तो हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है और दूसरे भ्रष्टाचार को पनाह मिलती है। इस लिए मैं चाहूंगा कि कोई भी सिंचाई के लिए परियोजना कायम की जाय वह परियोजना समयबद्ध हो, उसका निश्चित रूप से कार्यक्रम हो और जिस अवधि के लिए वह परियोजना बनाई जाय पैसा उसके लिए अलाट हो और उस निश्चित अवधि में ही उसका काम पूरा किया जाय ताकि ऐसा नहीं हो कि योजना तो बनादी आपने उसमें फण्ड मिला नहीं, फिर उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट बनायें और इस तरह फिर आये दिन एस्टीमेट बदलते रहे। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिये और योजना बनावें तो समय पर उसका कार्य किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी चम्बल सिंचाई योजना में आर.एम.सी. और एल.एम.सी. से जो लिफ्ट की स्कीम है जिसका सर्वे कराकर सरकार को भेजी हुई है करीब 11 करोड़ की स्कीम है, नई योजना बने नये

(श्री हीरालाल आर्य)

बांध बने, वह अलग बात है लेकिन लिफ्ट से पानी उपलब्ध है, आसानी से केवल उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 1253.38 लाख रुपये की योजना भेजी हुई है उसको तुरन्त लागू करायें और लिफ्ट के माध्यम से उस पानी का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, 81-82 में इस लिफ्ट सिंचाई के लिये 2.3 करोड़ का प्रावधान रखा गया था लेकिन 82-83 में केवल 50 लाख और इस वर्ष भी 83-84 में केवल 50 लाख का प्रावधान रखा है जो बहुत ही कम है। लिफ्ट स्कीम बहुत ही फायदेमन्द है और किसान इससे बहुत ही अधिक फायदा उठा सकते हैं इसलिए मैं चाहूंगा सरकार इस लिफ्ट स्कीम पर अधिक ध्यान देकर और जो पानी है उसका उपयोग करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में भी एक गणेशगढ़ लिफ्ट चल रही है। वह गणेशगढ़ लिफ्ट स्कीम 17 किलो मीटर लम्बी है उस पर पांच पार्टस में काम होने वाला था लेकिन उसके लास्ट के तीन भाग का काम तो कम्पलीट हो गया लेकिन जो दो भाग हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाने की वजह से काम जहां का तहां ठप्प पड़ा है। काम करने वाले लोग उस काम को छोड़कर भाग गये। इसलिए वह काम सफर कर रहा है। मैं यह चाहूंगा कि जिसका रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया गया है, उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। उसको समय पर पूरा कराया और ताकि किसानों को समय पर पानी मिल सके।

आधुनिकीकरण की स्कीम भी बहुत ही लाभदायक है। अध्यक्ष महोदय, जो परियोजनायें पूरी हो गई हैं उसमें सिंचाई क्षमता का ह्रास न हो और जो नहर है उसका सही उपयोग हो, उस पानी का सही उपयोग हो, इसके लिए जो आधुनिकीकरण की जो स्कीम है यह बड़ी फायदेमन्द है। इसमें कुल खर्चा जो आंका गया है, अपने यहां पर 19 परियोजनायें हैं जिन पर आधुनिकीकरण की योजना और लागू की जानी है जिस पर 223.70 लाख रुपये का खर्च किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, इस पर अधिक पैसा खर्च किया जाना चाहिये लेकिन 82-83 में इस पर केवल 6 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं और 6 करोड़ में भी 5 करोड़ केवल गंग नहर पर खर्च हो रहा है जबकि गंग नहर अभी चालू ही नहीं हुई है इसलिए उसकी तो कोई उपयोगिता नहीं और बाकी जो 18 परियोजनायें हैं उस पर केवल एक करोड़ रुपया खर्च किया जाना है। मैं चाहूंगा कि जो बाकी की परियोजनायें हैं उस पर भी अधिक पैसा लगायें ताकि जो पानी हमारे पास उपलब्ध है केवल एस्टीमेट बदल कर नहरों को रिमोडलिंग करने से उस पानी का उपयोग हो सके इसके लिये और व्यवस्था की जानी चाहिये।...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे पीपल्दा क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष : अपने क्षेत्र के बारे में पहले कहिये आयन्दा, उसके बाद दूसरी बात ताकि मैं जब समय आये तभी समाप्त कर सकूं। नहीं तो अपना क्षेत्र अब शुरू करेंगे।

श्रीमती कमला : होशियार हैं।

श्री अध्यक्ष : अपने क्षेत्र और घर की बात पहले होनी चाहिये।

(226)

श्री हीरालाल आर्य : पीपल्दा क्षेत्र में उससे किसानों को पानी नहीं मिलता इसलिए उसका रिमोडलिंग करके इटावा ब्रान्च कैनाल से एक नहर निकाली जाय और गेंता डिस्ट्रिब्यूटरी में मिला दी जाय तो उससे किसानों की पानी की समस्या दूर हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय, इस साल मेरे पीपल्दा क्षेत्र में पानी की बड़ी कठिनाई रही । हमारा पीपल्दा क्षेत्र इटावा ब्रान्च कैनाल और अयाना ब्रान्च कैनाल से सिंचित होता है । 28 तारीख तक जब तक यह नहर चली तब तो अधिकारियों की लापरवाही से यह पानी नदियों और नालों में बहता रहा, लेकिन अचानक यह नहर 28 दिसम्बर को टूट गई 28 दिसम्बर को यह नहर जब टूटी इस नहर के ऊपर करीब 10 घण्टे तक पानी बहता रहा लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इस नहर को जाकर देखा नहीं । जब एक दम टूट गई, सारा पानी उसका बह गया तब जाकर दस घण्टे बाद उसका ध्यान गया ।

अध्यक्ष महोदय, 28 दिसम्बर, जब कि गेहूं बहुत छोटा होता है, और कुछ लोगों ने बारिश का पानी गिरने की वजह से गेहूं बोये थे तब दस दिन बीते तो इसकी मरम्मत कराने में लग गये । बाद में जब यह नहर आई तो इसमें पानी बहुत कम छोड़ा गया । हमारे इटावा ब्रान्च कैनाल की जो क्षमता है वह 450 क्यूसेक है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, इस समय कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : उसमें पानी इतना कम छोड़ा गया कि किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं । आर्डर आर्डर ।

श्री हीरालाल आर्य : पानी छोड़ा नहीं ।

श्री अध्यक्ष : पानी यूं नहीं मिलने वाला है, माननीय सदस्य । आपने अपनी बात कह दी ।

अब मैं एक दो माननीय सदस्यों को और समय दूंगा ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जयपुर जिले का नम्बर नहीं आयेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । जिले की कोई बात नहीं है ।

श्रीमती कमला : जयपुर जिले को तो कुछ बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष : जिलेवार बंटवारा थोड़े ही करते हैं । यह तो पूरे राजस्थान का काम है..

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह तो, अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों का हनन है ।

श्री अध्यक्ष : यहां जो बात कहते हैं वह जिले पर लागू नहीं होती है । जयपुर में ही बैठकर सब बातें कह रहे हैं वह यहां पर भी लागू होगी, यहीं पर छपेगी अखबारों में ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जयपुर के साथ तो यही होता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कोई ज्यादा बोलण छापणो तो है कोनी; तो इतनों बोलांगा ।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : लेकिन म्हारे जिले की समस्यायें तो रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : समस्यायें सब मालूम हैं। आर्डर प्लीज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : ये कमला जी तो कुछ कहती ही नहीं हैं कैबिनेट में बैठी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : जयपुर में घणों ही पानी है।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांग पर मैंने भी कटौती का प्रस्ताव रखा था। मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का और मुख्य मंत्री महोदय का खास ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान एक मरु प्रदेश है। जब राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन कर के आयी थी तो एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि अब राजस्थान में खुशहाली और हरियाली फैलेगी। बहुत बढ़िया योजना है यह, इस पर हमने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। हमारी यह मंशा थी कि यह परियोजना सक्सेसफुल बने और शीघ्र क्रियान्वित होकर काश्तकारों को इसका लाभ मिल सके। पर देखने में यह आया कि ज्यों ज्यों हम इस पर राजस्थान का खजाना खर्च करते चले गये उसके हिसाब से जिस इंजीनियर ने भी डुबकी लगायी वह इंजीनियर तो जरूर खुशहाल हो गया, होगा। काश्तकार खुशहाल हो ना हो परन्तु इंजीनियर की खुशहाली जरूरी हुयी है। हमें आज इस बात की बड़ी चिन्ता हो रही है कि गंग कैनाल जब बनायी थी, महाराजा गंगासिंह ने बनाई थी उसको 26 महीने में बनाकर तैयार कर दिया था, उसमें पानी चला दिया था। अब राजस्थान कैनाल को बनाने में भी हमारा एक लक्ष्य था कि हम इसको इतने समय में पूरी करेंगे परन्तु हम आज तक भी इसके लक्ष्य के कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाये हैं। जब तक हम यह हिदायत नहीं करेंगे कि इतना इतना करना पड़ेगा, किसी न किसी को रेसपोंसिबल बनाकर—It is up to you and you have to do it. ये तो लम्बा करते रहेंगे, क्योंकि पोल है ठीक है, जब तक मिलता है चलाते जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो एक चीजें आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगा। जिस तरह से राजस्थान कैनाल बनी है, आज इसको बनते हुए काफी वर्ष हो गये हैं, हमारा जो निर्धारित हिस्सा है पानी का वह भी हमें नहीं मिल पाया और फिर पंजाब क्लेम करने लगा कि साहब राजस्थान सरकार पानी का यूज ही नहीं कर पा रही है इसलिये हम हिस्सा नहीं दे रहे हैं। यह भी हमारे लिये बहुत शर्म की बात है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद, राजस्थान के गरीब काश्तकार के करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद हमको आज अपने पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। पता नहीं हम इस पानी को ले भी पायेंगे या नहीं ले पायेंगे। हैड वर्क्स का जहां तक सवाल है कई सालों से इसका फैसला हुआ है आज तक भी उसका कंट्रोल बी.बी.एम.बी को नहीं मिला। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर गवर्नमेंट को बहुत ही सख्ती से, प्रेस्टीज पाइंट बनाकर हैड वर्क्स जल्दी से जल्दी ट्रान्सफर कराने चाहिएं। अगर हम यह नहीं करवा पाये तो राजस्थान के किसान का कोई हाल नहीं है, आने वाले वर्षों में कोई हल नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल

229

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

जिस तरह से बन रही है, जो उसकी हालत है आज हम पांच छः हजार क्यूसेक तक ही पानी चलाते हैं, एक बार 8 हजार क्यूसेक पानी आ गया था गलती से, तो वहां से जयपुर तक वारलैस दौड़ने लगे, चीफ सैक्रेटरी के वायरलैस गये, वहां पर सारे इंजीनियर्स को एलर्ट कर दिया गया कि कहीं यह कैनाल टूट नहीं जायें आप चौकसी रखना। तो जब 10 हजार में यह हालत हो गयी है तो जब हम 18 हजार क्यूसेक, पूरी क्षमता का पानी चलायेंगे तो उस नहर की क्या हालत होगी, उसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। कई ब्रांचेज है, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि जैसे पूगल ब्रांच है, इसमें आज तक आधी कैपेसिटी का पानी नहीं चला पाये, इसमें पूरी कैपेसिटी का पानी चला कर तो देखे तो सही कि इसमें पानी चल पायेगा या नहीं चल पायेगा बहुत छोटी कैपेसिटी में एक बार चला कर देख सकते हैं पानी। आप पूरी कैपेसिटी का पानी चला दीजिये मेरा दावा है कि उसका पता ही नहीं चलेगा, वह टक टक करती हुयी चली जायेगी पूरी नहर, पूरी की पूरी।

...

माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर हमारी लिफ्ट योजना थी, बीकानेर पानी ले जाने के लिये उस पर हमने करीब 28 करोड़ 30 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। बड़े गर्व के साथ हम यह बता रहे थे कि हम अपने काश्तकारों को फायदा देंगे, इतने एकड़ में खेती करेंगे और इतने किसानों को वहां पर खुशहाली मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर जहां पर डिस्ट्रिब्यूटरीज है वह 70-80 में निर्माण हो गयी। उसमें 15 हजार 109 एकड़ सिंचित भूमि होनी थी, और आज सन् 1982 तक खाली 251 एकड़ भूमि ही सिंचित हुई है। करीब करीब असफल हुए हैं उसमें खीचीया माइनर है 76-77 में पूरी होनी थी, उसकी सिंचित योग्य भूमि 3,913 एकड़ थी उसमें सिर्फ 17 एकड़ भूमि में काश्त हुयी है। इसी तरह थोलेरा माइनर में 77-78 में पूरी होनी थी, उसमें 1,772 एकड़ में काश्त होनी थी वहां पर आज एक बीघा में भी काश्त नहीं हुयी है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं जहां पर 30 करोड़ रुपये खर्च करके शून्य एकड़ भूमि भी सिंचित नहीं हुयी है, वहां पर काश्त नहीं हो पा रही है काश्तकार नहीं है इसका क्या भविष्य होगा, इसका आप अंदाजा लगालें। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम योजनायें बनायें, यह घोषणा करें कि हमने आज इतने करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट में दे दिये और यह यहां से अचिवमेंट लायेंगे और यहां यह कर देंगे। जरुरत इस बात की है कि जो हम पैसे दें वह पैसा कहीं अन्धे कुये में जाता रहे, जाता रहे, उसका ठिकाना ही नहीं, पैदा नहीं हो तो हमें देखना यह है कि जो पैसा हम दे रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर आज चैक की जरूरत है। इस बात को बहुत साफ मुस्तैदी से देखना होगा कि किस लिए हमने पैसा दिया है वह उसमें लगा, सही तरीके से लगे। यह चीज हमने नहीं की तो यह तो कुवे में मिली भांग है। मुहावरा है। कुए में भांग डल गई तो इस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही चैक की जरूरत है।

इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : कुएं में भांग हो तो थोड़े लोगों को ही प्रभावित करें । नहर में पड़ जावे तो बड़ी मुश्किल होवे।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : सभी हो रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : कुएं में थी। इन्होंने तो नहर में ही मिला दी।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं पूगल ब्रान्च के बारे में कहना चाहूंगा। आज हम बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि हमने इतने अलाटमेंट किये पूंगल ब्रान्च के बारे में दो तीन आंकड़े ही आपको बता दूंगा। पूंगल ब्रान्च में कुल आंवटन 564 बीघा है, वहां पर 378 नोन सेटल्ड आदमी हैं। इसी तरह से बलर डिस्ट्रिब्यूटरी में 933 अलाटमेंट हुए हैं 810 नोन सेटल्ड आदमी हैं। नायगाता माइनर में कुल 56 आवंटन हुए हैं 56 के 56 नोन सेटल्ड हैं। खारेला डिस्ट्रिब्यूटरी में 576 आवंटन हुए हैं उसमें से 538 नोन सेटल्ड हैं। मलीवाला माइनर में 197 को आवंटन हुए हैं और उसमें से 194 नोन सेटल्ड हैं। दत्तोवाला डिस्ट्रिब्यूटरी में 515 में से 486 नोन सेटल्ड हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पानी की क्षमता हमने गेट कर ली है तो इसके साथ साथ हमें इस बात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो अलाटमेंट हमने किये हैं, जो आदमी हमने बसाया है अगर वहां पर काश्तकार ही नहीं है, वहां पर सैटलमेंट नहीं है, इसका क्या कारण, यह समझ में नहीं आता है।

आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई कैनाल्स हैं, सरकार के सामने क्लियर तौर पर आ गया है कि वह डिफेक्टिव बनी हुयी है। उसका अगर मैं नाम लेने लगा, उदाहरण देने लगा, तो काफी लम्बी लिस्ट हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लूणकरणसर में देखते हैं, आर.डी. 550 से आर.डी. 172 तक तीस फीट का लेबल गलत है, पूगल ब्रान्च का इरिगेशन आठ प्रतिशत ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में दत्ताना डिस्ट्रिब्यूटरी है उसका लेबल भी गलत है, अध्यक्ष महोदय। सरकार ने इसको चैक कर लिया है सरकार की जानकारी में है फिर भी आज तक कुछ नहीं हो रहा है। हर एक विधान सभा सत्र में बोलते हैं, हम कोई भी मंत्री हमारे वहां पर आते हैं उनको मौके पर ले जा के दिखाते हैं, बोलने से और करने से नतीजा नहीं निकले तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी निराशा होती है। यह निराशा आज आम जनता में पहुंच रही है। इस बात को हमें हल करना है कि जो चीजें हमारे सामने आयी हैं, उनका हम निराकरण करें।

आज वाटर कोर्सेज की बात माननीय सदस्यों ने कइयों के कही, वाटर कोर्सेज का पड़ोसी राज्यों में देख लीजिये, पंजाब में, हरियाणा में, वे सब्सिडी दे रहे हैं। आज काश्तकार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, जो भी काश्तकार हैं वह जानते हैं कि काश्तकार चालीस हजार पर मुरब्बे के, या 10,15,25, हजार रु० पर बीघा के ले रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, चाहे आप सख्त कदम उठायें, चाहे आप कुर्की करायें, चाहे

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

आप उनको उनकी जमीनों से बेदखल करें पर आज राजस्थान के इन गरीब काश्तकारों के पास पैसा चुकाने को नहीं है।

इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का जो बजट आया है इस बजट को देखने के बाद यह पता लगता है कि यह बजट निस्सन्देह बहुत अच्छा बजट है। लेकिन इस बजट को देखने से यह एक आंशका होती है कि सरकार की नियत कुछ ऐसी है कि सरकार की वित्तीय स्थिति को ठीक करने लिये राजस्थान कैनाल एरिया में सरकार जमीन की नीलामी करना चाहती है। हमारे मुख्य मंत्री जी समाजवादी आदमी हैं वह निस्संदेह यह नहीं चाहेंगे कि जिन गरीबों के पास ज्यादा दौलत नहीं है उन गरीबों को कहेंगे कि वह जाकर जमीन खरीदें तो शायद वह गरीब आदमी जमीन नीलामी में नहीं खरीद सकेगा। धनाढ्य या कोई पैसे वाला आदमी ही जाकर बेशक डेढ़ लाख या दो लाख में एक मुरब्बा जमीन खरीद सकेगा या तीन लाख में कोई जमीन पैसे वाला व्यक्ति ही खरीद सकेगा। आज राजस्थान में कोई भी काश्तकार इस हैसियत का नहीं है कि वह नीलामी में एक मुरब्बा जमीन खरीद सके। आज जो कैनाल का एरिया है और जो मण्डी की हालत है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र जो घरसाना मण्डी है वह आपने शायद देखी होगी. . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब काफी हो गया, माननीय सदस्य, अभी इससे समस्या का तो कोई हल नहीं पर आपने सरकार को अपना सुझाव दे दिया है। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात खतम नहीं हुई है। मैं अभी समाप्त कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको दस मिनट का समय दिया था। अब आप समाप्त करें। आर्डर आर्डर। बैठ जायें।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है मुझे दो चीज और कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समय का ख्याल रखें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरे प्रान्त के लिये है। उसकी जो योजनायें होती हैं वह पूरे प्रान्त को दृष्टि में रखकर बनाई जानी चाहियें। मैं आपको बजट आंकड़ों से यह सिद्ध करना चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष : आप तो अपने कटौती प्रस्तावों पर आ जायें?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्तावों पर ही निवेदन करना चाह रहा हूं।

231.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने कटौती प्रस्तावों पर आ जायें। फिर बाद में 'राजस्थान' पर आवें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव हैं 177 से 183 तक, मैं उन्हीं का वर्णन कर रहा हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर जिला उसका एक बटा दस है और राजस्थान के राजस्व की दृष्टि से जो पैसा अकेला जयपुर जिला देता है वह राजस्थान के राजस्व का वन सिक्स्थ है तो, अध्यक्ष महोदय, देने की तरफ जो हमारी यह स्थिति है और लेने की तरफ आप बजट उठाकर देखिये, जैसे इर्रिगेशन की दृष्टि से जयपुर जिले के लिये बिल्कुल जीरो है ? मुझे शिकायत है कि जयपुर जिले कि सिचाई योजनाओं के बारे में जहां राजस्थान में करोड़ों और अरबों रुपये की योजनायें बनती हैं वहां लाखों की नहीं बल्कि हजारों रुपये का भी जयपुर जिले में काम नहीं हो रहा है। हमने कई बार निवेदन किया है कि जयपुर जिले में जो कुऐं हैं उनसे सिचाई होती है। इस कारण कुओं का पानी धीरे धीरे नीचे जाकर अन्त में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। यहां की जमीन में जहां कटाव है वहां पर छोटे छोटे नदी नालों पर एनीकट बनाये जायें तो उनसे केवल भूमि के कटाव को ही नहीं रोक सकेंगे बल्कि कुओं में पानी हो जायेगा। मगर इसकी तरफ राज्य सरकार ने आज तक बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया है। ढूंढ नदी में अभी गये साल बहुत भारी बाढ़ आ गई थी उससे सैकड़ों लोगों की जान माल की क्षति हो गयी थी ? राज्य सरकार ने उस वक्त वायदा किया था कि भानपुर कला के पास, इन्द्रगढ़ के पास कानौता के पास, जैसा कि पहले सर्वे हो चुका है, इन तीन जगह पर, ढूंढ नदी पर बांध बनाये जाने चाहिये। अचरोल में नदी है उस नदी के पास भी एनीकट बनाये जाये, यह बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा और कई छोटे-छोटे एनीकट नदी नालों के पास बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान खासतौर से जयपुर जिले में जमवारामगढ़ तहसील क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। वहां पर सिंचाई विभाग ने आज तक एक भी पैसा नहीं लगाया है और न हीं अभी तक एक भी कदम बढ़ाने की कोई बात दिखाई देती है।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिचाई विभाग, जयपुर में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं इसके बारे में आपको, अध्यक्ष महोदय, तफसील देना चाहूंगा। मेरा यह निवेदन है कि सिचाई बांध मोरेल, गंगासागर, दूदू का कोलाव (फागी) नैनस्या फागी, रामसर फागी, चूलियावास नरेना की बेस विड्थ का सही आंकलन करने में विभाग ने बहुत भारी मात्रा में बेइमानी की है। लाखों रुपये का घोटाला इसमें किया है। इसी तरह सिंचाई बांध छापरवाड़ा, छटा गोह, फीड़ी के कार्य करवाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्जी भुगतान करके लाखों रुपये का घोटाला किया गया है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, सिंचाई बांध गंगासागर (दूदू) पर बिना वन पॉइन्ट एट डेन्सिटी के निर्माण के गलत भुगतान करने की कार्यवाही की गई है।

सिचाई बंध छापरवाड़ा की नहरों पर लाईनिंग कार्य के लिये जो सीमेंट दी गयी थी वह सीमेंट काला बाजारी में बेची गई

232

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

है। इसी तरह बाढ़ से क्षति ग्रस्त सिंचाई बांध मोरेल के पुन: निर्माण कार्य में लेवल व रेफरेंस लाइन बदलकर 50 लाख रुपये का गोलमाल किया गया है। वहां पर एक भी पैसे का, धेले भर काम नहीं हुआ। इसी प्रकार सिंचाई बंध छापरवाड़ा के छटागोई फीडर की क्षमता बढ़ाने के कार्य में लेवल को बदलकर विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्जी पेमेन्ट करने का बहुत जबरदस्त गोल माल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर एक पैसे का भी काम नहीं हुआ वहां पर ठेकेदार को एक लाख रुपये का चैक काट कर दे दिया गया है। जब इसकी शिकायत हुई तो उस चैक को कैन्सल कर दिया गया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह कैसे हुआ? यह कहा गया कि उस ठेकेदार ने लेने से इन्कार कर दिया। समझ में नहीं आता कि वह एक लाख रुपये का पेमेन्ट लेने से इन्कार कैसे हो गया? इस संबंध में एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा जांच की गयी थी पर उसको अब दबाया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी फौरन जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिये। सिंचाई खण्ड जयपुर द्वारा बंध गंगासागर दूदू में लेवल व रेफरेन्स लाइन बदल कर भी एक लाख रुपये का घोटाला किया गया है। तो, अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में सिंचाई विभाग ने लाखों रुपये का घोटाला किया है। सिंचाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। जयपुर में बहुत जबरदस्त घोटाले हुए हैं। जयपुर जिले के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। इसलिये मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि इन सारे घोटालों की जांच की जानी चाहिए और जयपुर जिले में सिंचाई विभाग की ओर से खर्च किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जब जनता पार्टी का राज था उस समय हिंगानिया बांध का काम जुलाई 1978 से फरवरी 1979 तक मस्टर रोल के ऊपर कराया गया उसका भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया, वह सारा का सारा फर्जी भुगतान किया गया। फर्जी भुगतान बता कर उस राशि से आर एस एस. का भवन जयपुर में बनाया गया। उस पर जो खर्च किया गया वह सारी राशि सिंचाई विभाग की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय। जो फर्जी भुगतान किया गया है उसके लिये अगर जांच हो तो हम सामने जाकर कहने को तैयार हैं कि जो मस्टर रोल हैं वह सभी फर्जी हैं। उसमें जो नाम लिखे गये हैं उस नाम के कोई मजदूर ही वहां नहीं थे। इस प्रकार लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। तो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले पर सिंचाई विभाग द्वारा दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो सिंचाई के संबंध में एक पैसा नहीं लगाया जा रहा है दूसरी तरफ जयपुर जिले में फर्जी भुगतान करके लाखों रुपये का घोटाला किया जा रहा है और वह हमारे नाम लिखाये जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दोहरी मार से हमें संरक्षण दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने प्रस्तावों पर आ जाइये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं उसी के अन्तर्गत निवेदन कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में छोटे-छोटे नालों पर एनीकट बनाये जायं और बांध बनाये जायं।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

इसके अलावा पानी को बचाने के लिये और दूसरी योजनायें बनाई जायं । जयपुर जिले की खास तौर से जमुवारामगढ़ तहसील में और जयपुर जिले की दूसरी तहसीलों में जो-जो पानी है वह नीचे घटा है। मेरा निवेदन है कि रिंग मशीन से बोरिंग कराया जाना चाहिये ताकि बोरिंग के द्वारा सिंचाई का काम हो सके। कुओं के निर्माण के लिये पक्के पाइप व छोटे सीमेन्ट के पाइप बनाने लिये निर्देश दिये जायं और किसान को हौज बनाने के लिये ऋण दिया जाय। इसके अलावा पानी बचाने के तरीको में सुधार किया जाय। अच्छी सीमेन्ट और सब्सिडी किसानों को राज्य सरकार द्वारा दिलाया जाय।

जयपुर जिले में खेती के लिए और उनकी छोटे-छोटे एनीकट बना कर उन्हें सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई जायें।

मैं इसके साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से कि जब हमारे यहां कांग्रेस का शिविर लगाया तो मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी और अभी जबानी पूछने पर भी यह बताया था कि जयपुर जिले में जो छोटे छोटे एनीकट है उनको बनाने में बी०सी०रेश्यो लागू नहीं किया जायेगा। मगर मुझे यह सूचना दस दिन पहले सिंचाई विभाग से मिली है कि आपके यहां पर एनीकट नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपकी जमीन बी०सी रेश्यों में नहीं आती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उस बी.सी.रेश्यो को लागू नहीं करके जो आपने घोषणा की है उसको लागू कीजिये। जयपुर जिले में जो पानी बरसता है उसको रोका जाना चाहिये क्योंकि न तो हमारे यहां पर गंगा नदी के पानी की बात को जा सकती है, न ही यमुना नदी के पानी की बात की जा सकती है, न ही सतलज या व्यास नदी के पानी की बात कर सकते हैं और न ही सतपुड़ा के पानी की बात की जा सकती है। हमारे लिये तो कोई योजना नहीं है यहां पर कोई किसी योजना का नाम लेता है तो कोई किसी योजना का नाम लेता है पर हमारे यहां तो जो परनालों से पानी आता है, सेलानो का पानी पड़ता है, इसलिये छोटे छोटे नदी नालों का पानी रोकने का निवेदन हम तो राज्य सरकार से करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में सिंचाई विभाग के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है तो हमारे साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि हमारी देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमारे देश को एक 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है उस 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार चाहे राजस्थान में काम हुआ होगा और उसकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई होगी पर हमारे लिये तो यह कोई महत्व नहीं रखता है आखिर जयपुर जिला इतना बड़ा जिला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। अब बैठ जायें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं आपको और इस विधान सभा के माध्यम से राज्य सरकार को कि हमारे साथ इतना भारी अन्याय हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मैं तो आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि आप जयपुर

(श्री अध्यक्ष)

जिले वाले मेरे एरिया में पधार जाओ और हम लोग आपके यहां पर आ जावें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : हां, अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही करेंगे। साहब हम तो यह निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य कोष को पैसा तो हम दें और वह पैसा आप दूसरी जगह पर लगावें। हमारा पैसा भी हमारे यहां नहीं लगाया जा रहा है यह तो बहुत भारी अन्याय है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अन्याय को दूर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कंवरिया साहब आपको तो कभी मैं एक घन्टे का समय दूंगा। पांच सात मिनट का समय दूंगा तो आपके साथ न्याय नहीं होगा।

श्री रामसहाय जी आप बोल लें।

श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, को यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोट में मोरेल बांध है उसकी तीसरी नहर है, वहां पर लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ की जावे जिससे कि मिर्जापुर की पहाड़ी से लगती हुई कम से कम 10-15 पंचायतें हैं उनके क्षेत्र में सिंचाई हो सके। वहां की जमीन इतनी उपजाऊ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी उपजाऊ जमीन है कि वह जमीन गंगानगर और पंजाब से किसी भी हालत में कम नहीं है। पंजाब से किसी भी तरह से कम नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोट में पांच-छः नाले हैं उनका पानी उस क्षेत्र में लाया जाये तो आस पास के जो गांव हैं वहां पर सिंचाई हो सकती हैं, पानी का वहां लेवल बढ़ सकता है।

तीसरा मेरा निवेदन है कि जैसे लालसोट में 1981 में भयंकर प्रलयंकारी बरसात आई थी उससे वहां के क्षेत्र के सिंचाई के साधन नष्ट-भ्रष्ट हो गये। सारी तहसील डूब गई, जमीन कट गई, उस की ओर ध्यान दिया जाये। इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इस क्षेत्र का सर्वे कराया जाये।

एक अर्ज मेरी और है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोट में मोरेल बांध भरतली सागर सांक्या बांध दो बांध हैं दोनों बांधों के बारे में आम लोगों की यह शिकायत है कि इन बांधों में भयंकर घोटाला हुआ है। उनकी किसी कमेटी से जांच कराई जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दर लाल। अब इसके बाद मंत्री जी का जवाब होगा . . .

(व्यवधान)

ऐसा है, कंवरिया साहब आप और अवसर पर बोल सकते हैं, आप जानते हैं कि कोई मांग रखने से ही मतलब नहीं है। कभी लम्बा समय दूंगा। पिछली पंक्तियों में बैठने वाले बोलना चाहते हैं उनको बोलने दें।

श्री **छोगालाल कंवरिया** (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने क्षेत्र की बात करेंगे। आप मंत्री रह चुके, श्री सुन्दरलाल।

श्री रतनाराम चौधरी : आप मंत्री रहे हैं, उस समय अपने क्षेत्र की समस्यायें नहीं सुलझा सके।

श्री अध्यक्ष : आपको कभी लम्बा अवसर दूंगा।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री और नहर मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे जिले में हरियाणा से मिलती जुलती हुई जमीन, भाषा, खान-पान है सब एक है। मेरे क्षेत्र से चार किलोमीटर पर नहर चलती है। हमारे 8-10 साल के बच्चे कहते हैं कि हमारे पास से नहर बहती है हमें पानी नहीं मिलता। कई बार इस बात के लिए कहा गया है। हमारे यह कहावत है अकाल कहां मिलेगा तो कहते हैं कि दो-तीन महीने चूरू मिलेगा और दो-तीन महीने झुंझुनूं मिलेगा। चूरू, झुंझुनूं और नागौर में जो अकाल की व्यवस्था हो सकती है चाहे सड़क का काम चलाओ अकाल राहत में, चाहे कुएं खुदवाओ। हमारे यहां पानी 30 फीट नीचे चला गया है पिछले 10 सालों में। पानी कम है इसलिए और भी नीचे चला गया है। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री से और नहर मंत्री से यह निवेदन करूंगा, आप यह घोषणा करें कि झुंझुनूं जिले में आधे जिले में नहर है और हमारे यहां नहीं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं वहां कि एक आदमी का पजामा लम्बा था उसने अपनी घरवाली से कह दिया कि इसे दो अंगुल छोटा कर दो। अपनी बहन और मां से भी कह दिया कि इसे दो अंगुल छोटा कर दो। तो सबने दो-दो अंगुल पजामा काट दिया। तो न तो वह पजामा रहा और न कच्छा रहा। ऐसा ही हमारे साथ राजस्थान और हरियाणा के बीच में होता है। इसलिए हमारी समस्या बीच में ही रह जाती है। मैं कहना चाहता हूं आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, कोई गांधीवादी कहता है आपको, मैं आपको प्रगतिशील कहता हूं :

(9:54 रात्रि)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति। पदासीन)

यही वक्त है, आप कर दो तो कर देंगे, वक्त सदा इकसार नहीं रहता है।

मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, भाषण देने के लिए तो बहुत हैं। मैं तो आपकी घोषणा सुनना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रूपलाल जी।

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान उदयपुर जिले और खेरवाड़ा तहसील की ओर दिलाना चाहता हूं। उदयपुर जिले में करीब सारे आदिवासी रहते हैं। उनका सीधा सम्बन्ध खेतों से है और सिंचाई से है। मैं आपसे, मंत्री महोदय, यह निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र खेरवाड़ा तहसील में सोम कागदार डैम बांधा में पानी भर गया है, नहर उसकी कम्पलीट हुई नहीं है, वहां के किसान अकाल की स्थिति में से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, हमारी नहर जल्दी से जल्दी पूरी करवायें। कर्मचारी लोग ए.ई.एन, एक्स ई.एन. ध्यान नहीं दे रहे इसलिये नहर का काम बराबर नहीं हो रहा है, पानी भरा हुआ है।

श्री सभापति : सोम कागदार के बारे में कह रहे हैं आप।

श्री रूपलाल परमार : दूसरा सगवाड़ा में एक बांध बना है जिसकी नहर का काम बिलकुल शुरू नहीं किया है और तालाब पूरा गया है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इन कर्मचारियों को हिदायत दें कि जल्दी से जल्दी वह नहर पूरी करवायें ताकि वहां के गरीब और आदिवासी लोग हैं उनके खाने के लिये रोटी पैदा हो सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी बावलावाड़ा पहुंचे थे। खेरवाड़ा तहसील के बीच में होकर बहुत बड़ी नदी का सारा पानी बहकर समुद्र में जा रहा है। उस पानी को रोकने के लिए टेकवास बांध के लिये मैंने सिंचाई मंत्री महोदय से पहले भी निवेदन किया है और अब भी निवेदन कर रहा हूं। आप आदिवासियों का अगर भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो टेकवास बांध का सर्वे कराकर बंधवा दें। तो खेरवाड़ा तहसील के पूरे आदिवासियों को पूरा पानी मिल सकता है। सोम कागदार तो हमने खेरवाड़ा तहसील में बांधा है उसमें मेरे क्षेत्र के गांव, लोग और जमीन डूबी है और मेरी तहसील में है, पिलाई नहीं हो रही है। हम डूब कर दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं बड़ी नम्रता से, आप मुझे सहयोग करें, मेहरबानी करके टेकवास बांध बनवा दें तो खेरवाड़ा तहसील में एक लाख आदिवासियों का भला हो सकता है।

मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने आपकी बात नोट कर ली है।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा बांध।

श्री रूपलाल परमार : टेकवास बंधा हुकुम। आपको सर्वे के लिए लिखा था। आप महरबानी करके काम करवा दें और दो नहरों का काम पूरा हो जाय तो गरीबों की भूख मिट सकती है सदा के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं इतना कहकर समाप्त करता हूं। जो कटौती प्रस्ताव है वह प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नाथूराम

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 47 के बारे में, डूंगरपुर में सिंचाई के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। डूंगरपुर में लगातार 6-7 साल से अकाल पड़ता आ रहा है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें अकाल से फसल न सूखी हो। वहां इस तरह के नदी नाले हैं जो 12 माह बहते रहते हैं। मैंने कई बार इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय, सिंचाई मंत्री को भी निवेदन किया है कि जो दो नदी हैं उस नदी का पानी रण सागर में डालकर नीचे का जो भी एरिया है आसपुर क्षेत्र का डूंगरपुर क्षेत्र का और करीब 20-30 गांव सजल हो सकते हैं उस पानी से काफी फायदा हो सकता है। इस तरह हमारे डूंगरपुर में जो भी बांध सर्वे होकर पूरे हुए हैं और जो सर्वे के कार्य में हैं उनकी ओर भी बराबर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन बांधों का 65 से या 71 से सर्वे हो रहा है। परन्तु उनका कोई काम नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए सोम कागदार, मेवाड़ा बांध इस तरह से मेवाड़ा प्रोजेक्ट जो है उसका

(श्री नाथूराम ग्रहारी)

65 से सर्वे हो रहा है । इसका कोई फायदा नहीं है अभी तक इस काम में कोई प्रगति नहीं हुई है । इस एरिया में मेवाड़ा का बांध बन जाने से 20 गांवों के प्यासे आदिवासियों को फायदा होता है । इसी तरह से बरवा का नाका जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है उसका भी सर्वे अभी तक पूरा नहीं किया है । केवल दो साल से गिट्टी तोड़ने और एक दो मस्टर रोल देकर वहां पर लोगों को लगाये रखने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर में जो इस तरह का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है वहां छोटी छोटी नदियों शन देकर को बांधकर, एनीकट्स बांधकर और डाइव-जिस एरिया में पानी का उपयोग किया जा सकता है उसको कराने की कृपा करें ।

इसके बाद मैं जाखम के बारे में निवेदन कर रहा हूं । अभी तक उसकी पूरी होने की सम्भावना है हालांकि काफी अर्से से इस योजना पर खर्च किया जा रहा है और लोग बराबर उसके लिए ताक रहे हैं कि कब पूरी हो और कब उसका फायदा मिले । दस दस साल किसी योजना का कार्य पूरा नहीं होने से दिनों-दिन दुगना, तिगुना और चौगुना खर्चा बढ़ता चला जाता है । दस-दस साल भी हो जाते हैं, बीस साल भी हो गये हैं । इस तरह से तो उसका फायदा नहीं होगा । इस तरह सरकार के रुपये सरकार के ही नहीं ट्राइबल के नाम से रुपया जो बरबाद होता है । मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो भी योजनायें हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये ।

इसके साथ ही सिंचाई के लिए हमारे डूंगरपुर में कुओं का जलस्तर बहुत अच्छा है लेकिन क्या है कि सख्त पत्थर आ जाने से किसान उसको पूरा नहीं करा पाता है । इसलिए ब्लास्टिंग द्वारा उन कुओं को गहरा कराया जाये । सीधा मिलने वाला फायदा किसानों को यही है । इसलिए इस योजना को लाकर भी सिंचाई की योजनाओं को पूरा करना चाहिए ।

मेरे क्षेत्र में सोन फीडर भी एक ऐसी नहर है जो बनी हुई जरूर है । उससे कम से कम 6 तालाब भरे जाते हैं लेकिन एक दो तालाब के अलावा कोई तालाब नहीं भरे जाते हैं । उसका कारण यह है कि वह नहर कच्ची है । उसके नीचे आने वाले जितने भी गांव है, कम से कम एक एक मील के एरिया में जमीन बरबाद हो रही है क्योंकि उसमें सीपेज ज्यादा होती है और सही उपयोग नहीं होता है ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री नाथूराम ग्रहारी : इसका मेनेजमेंट उदयपुर से है लेकिन उसका उपयोग सबसे ज्यादा डूंगरपुर को मिलता है । केवल 90 दिन के लिए हमें वहां छूट दे रखी है कि 90 दिन तक पिलाई कर सकते हैं और इसके बाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा पिलाई डूंगरपुर से होती है । इसलिए इसका संचालन डूंगरपुर की तरफ होना चाहिए । साथ ही उस नहर के आसपास काफी पहाड़ी एरिया है । उस पहाड़ी का जितना मलबा और रेत होती है सारी उस नहर में पड़ती है जिससे हर साल हजारों रुपया बरबाद हो जाता है । तो उसी पहाड़ी का पानी नहर के ऊपर से लेजाकर जहां जिस नदी में जाता था उस तरफ किया जाय तो सिंचाई विभाग का लाखों रुपया खर्च होता

(श्री नाथू राम अहारी)

है वह भी नहीं होगा। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहता हूं कि जो भी इस तरह की सिंचाई विभाग द्वारा जो गल्तियां और ढिलाई हो रही हैं उसको पूरा किया जाये और आदिवासी जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाये। इस मौके पर अभी ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं बस यहीं समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय राजस्थान नहर मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (मंत्री, राजस्थान नहर) : सभापति महोदय, मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ है कि राजस्थान की ही नहीं हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी नहर राजस्थान नहर के बारे में हमारे माननीय सदस्यों को कितनी कम जानकारी है...

श्री सभापति : आप माननीय सदस्यों को कभी घुमाने ले जाते ही नहीं है उस तरफ।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपकी मार्फत सारे सदस्यों को इस बात की दावत देना चाहता हूं, चाहे आपकी मार्फत या मुझे वह लिखे मैं सबका इन्तजाम करूंगा और राजस्थान नहर को आप देखें। मेरा यह मानना है, सभापति महोदय, राजस्थान नहर एक नहर ही नहीं है यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यह राजस्थान का ही गौरव नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान का गौरव है। आज तक दुनियां में मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी सिंचाई की योजना दूसरी नहीं बनी होगी और अगर बनी होगी तो उसकी वितरिकायें इतनी लम्बी नहीं होंगी 650 किलोमीटर लम्बी नहर और 6500 किलोमीटर जिसकी वितरिकायें हों, जिसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज हों, जिसकी माइनर्स हों और जिसकी ब्रान्चेज हों इतनी बड़ी यह एक नहर है। इस नहर को बनाने में हमारे राजस्थान के मजदूर, हमारे राजस्थान के इन्जीनियर्स और हमारे राजस्थान के लोग लगे हुए हैं। यह हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें गल्तियां नहीं हुई होंगी। इतना बड़ा काम होगा तो उसमें गल्तियां भी होंगी। इसमें भी गल्तियां हुई होंगी लेकिन उन गलतियों की आड़ में जब हम इनका क्रिटिसिज्म करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता इस बात का कि हम कहां जा रहे हैं। इससे हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमें शाबासी देनी चाहिए, हमें तारीफ करनी चाहिए हमारे उन मजदूरों की, हमारे उन इन्जीनियर्स की जो उन कन्डीशन्स में काम कर रहे हैं जिस कन्डीशन में हम शायद दो दिन भी रहना पसन्द नहीं करें।

सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, चार पांच बार इस नहर क्षेत्र में मैं गया हूं, तीन-तीन और चार-चार दिन तक मैंने दौरा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर न तो सीमेन्ट ही उपलब्ध है आपको, न कोयला वहां मिलता है और यहां तक कि वहां जो ईंटें लग रही हैं उन ईंटों के बनाने में जो मिट्टी लगती है वह मिट्टी भी नहीं मिलती। मजदूर वहां नहीं है और यहां तक कि सैकड़ों मीलों तक आप चले जाइये स्क्वायर मील, में स्क्वायर एरिया में आपको एक पेड़ भी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसी जगह यह नहर बन रही है जहां पीने तक को पानी नहीं है। और आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि वहां के जो बैल या गाय छाया के लिए बैठते हैं तो हमारी

(श्री चन्दनमल बैद)

बिजली की जो लाइनें जा रही हैं, उसके खम्बे की छाया के नीचे वह गायें बैठती हैं। दूसरी उसको छाया उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी एक इन हास्पीटेबल जो एक एरिया है उसमें यहां नहर का निर्माण हो रहा है। उसमें मैं मानता हूं गलतियां हैं। तो हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, कहना चाहिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और किसी ने अगर गलत कार्य किया तो उसको हमको दण्ड भी देना चाहिए लेकिन हम सारे इन्जीनियर्स को, सारे मजदूरों को और सारे लोगों को जो काम कर रहे हैं उन लोगों को इस तरीके से कोसने लग जायें और कहने लग जायें कि नहर बनाने से क्या फायदा हुआ, हमें बड़ी उम्मीदें थीं और अब यह उम्मीदें हमारी बेकार हो गयीं और किसान नाराज हो गये इस तरह की बातें कह कर मैं समझता हूं कि हम अपने ऊपर ही लांछन लगा रहे हैं। हम जो एक गौरव का काम कर रहे हैं उस पर हम सचमुच में कभी कहना चाहिए कि उसको नीचे उतार रहे हैं। सभापति महोदय, इन्जीनियर्स को शाबासी देता हूं, मैं समझता हूं कि गौरव है, इतिहास में उनका नाम जायेगा, मजदूरों का नाम जायेगा लेकिन, सभापति महोदय, मैं जयपुर में बैठा हूं, उस नहर से संबंधित हूं मैं भी अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं। इतनी बड़ी नहर के साथ आज मैं काम कर रहा हूं और इन्जीनियर्स के साथ काम करके मुझे गौरव प्राप्त होता है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी नहर हम बना रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी यह नहर है। इसमें जितनी मिट्टी का डिस्प्लेसमेन्ट हम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं उस मिट्टी को अगर 30 फुट चौड़ी और 2 फुट मोटी हम सड़क बनायें तो सारी दुनियां के चारों तरफ दो बार वह घूम जाये। इसमें जितनी ईटें लग रही हैं उन ईटों को बनायें तो भाखरा जैसे दो बड़े-बड़े डैम बन जायें। यह ऐसी नहर है जिसके अन्दर न मालूम कितने लाखों टन कोयला, कितने लाखों टन सीमेन्ट इसमें लग रही है। जब सारी बन जायेगी तब 31 लाख एकड़ जमीन में यह सिंचाई करेगी और उससे एक साल में 600 से 750 करोड़ रुपये के खाद्यान्न, रुई, गन्ना, तिलहन और दलहन पैदा होगी। यह एक ऐसी हमारी नहर है। और यह कहना कि भई इस नहर का क्या फायदा हुआ, लोग नाराज हो रहे हैं। लोग नाराज हो रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में कहीं केवल हिरण घूमा करते थे पीने को पानी नहीं मिलता था, सभापति महोदय, मैं उस अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में गया हुआ हूं उस अनूपगढ़ और सूरतगढ़ की जमीन की कीमत आज ढाई लाख और तीन लाख रुपये बढ़कर कैसे हो गई। क्या किसान तकलीफ पाने के लिये वहां जा रहे हैं। लूणकरनसर की हालत यह थी जब गाड़ियां पहुंचती गर्मी के दिनों में, अच्छे अच्छे घरों की बहू और बेटियां इंजन का पानी लेने के लिये, एक घड़ा पानी के लिये लाइन लगाकर खड़ी रहती थी, मैंने खुद अपनी आखों से देखा है। उस लूणकरणसर में आज बहते ठण्डे मीठे पानी में नहा रही हैं और वहां पर इस साल करोड़ों रुपयों की मूंगफली हुई है और ऐसी मूंगफली है जैसी गुजरात में भी नहीं होती है आज इस नहर की तारीफ श्रीफ करना चाहे कि यह नहर वैसी नहर नहीं है हमने नहर निकाली है जहां उपज कोई 100 प्रतिशत होती है, दो सौ प्रतिशत होगी या 150 प्रतिशत होगी यहां

(श्री चन्दन मल बैद)

तो जीरो से शुरू होती है। ऐसी जगह वह नहर जा रही है जहां पहले कभी उपज होती ही नहीं थी। लीलवा और डीगा की बात सुनिये जहां आज कुछ नहीं पैदा होता है वहां पर जब नहर चली जायेगी तो गंगानगर की गंगनहर और भाखड़ा नहर से जो बहबूदी आई है उससे ज्यादा बहबूदी लीलवा और डींगा की जैसलमेर जिले में आयेगी लेकिन यहां हम कह दें, यह सारा काम एक दिन में क्यों नहीं हो गया, आज ही सारी बात क्यों नहीं हो गई तो मैं समझता हूं कि यह कोई बात मायने रखने वाली नहीं होगी। अगर हम यह समझते हैं कि इससे बहबूदी आने वाली है या नहीं आने वाली है तो जाकर उस 10½ लाख एकड़ जमीन को देखिये जो इस नहर से आज सिंचाई हो रही है। कैसी बहबूदी उसमें आई है, नोरंगदेसर, रावतसर डिस्ट्रीब्यूट्री, अनूपगढ़ डिस्ट्रीब्यूट्री, सूरतगढ़ डिस्ट्रीब्यूट्री जिससे 10½ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है। जिसमें आज तक डवलपमेन्ट हो गया है वहां एक इंच जमीन आपको हां बिना उपज के नहीं मिलेगी, सारी जमीन किधर से भी आप चले जाइये सब जगह कहीं गन्ना है, कहीं चावल है, कहीं गेहूं है, कहीं तिलहन है कहीं दलहन है, कहीं रुई है। सारी जगह पैदा हो रही है। आज दो सौ करोड़ रुपये की उपज उससे हम ले रहे हैं। आज के दिन दो सौ करोड़ रुपये की उपज हम ले रहे हैं और जब यह पूरी हो जायेगी तो 600 से 750 करोड़ रुपये की उपज हम इस नहर से लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि यह जो नहर हम बना रहे हैं यह नहर रेगिस्तान की शक्ल बदल देगी और उस रेगिस्तान में जिस रेगिस्तान में आज कोई सपना भी नहीं देखता, इस बात का किसने लूणकरणसर में कभी सपना देखा था कि लूणकरणसर में इस तरह की बहबूदी और प्रासपेरिटी आने वाली है। तो आज जैसलमेर में, जैसलमेर में जब मैं गया था, लोगों से मैंने बातचीत की उन्होंने कहा कि हम तो केवल सुनते ही हैं कि नहर आयेगी, हम तो केवल यह पढ़ते हैं, क्या पता हमारी जिन्दगी में आयेगी या नहीं आयेगी जब मैं उन सारे पत्रकारों को ले करके मोहनगढ़ आया और मोहनगढ़ में जब उन्होंने काम देखा अपने दांतों के नीचे उंगली दबाई की हमको नहीं मालूम था इतनी तेजी के साथ यह काम हो रहा है। जिसमें आज के दिन जहां करीब 20 हजार मजदूर, 5 हजार ऊंट-गाड़ियां और हजार से भी ज्यादा गधे उसमें लगे हुए हैं काम करने के लिये उस एरिया को हम जाकर के देखें। एक एक टीबे जो मैं समझता हूं कि यहां से लेकर इतना ऊंचा टीबा होगा उस टीबे को काट-काट कर वह नहर निकल रही है उस सारी चीजों को देख कर हम हैरत में हो जाते हैं कैसी इतनी मेहनत और कैसे इनहास्पिटेबल कन्डीशन्स में यह सारा काम हो रहा है। सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि देखने के बाद एक आदमी को महसूस होता है कि आज हम लोग हम राजस्थान के वासी कितना शानदार और कितना गौरवशाली काम कर रहे हैं और आगे आने वाला जमाना हमको याद करेगा, वो नदियां रावी व्यास और सतलज तीनों नदियां जो हिमालय से निकलकर के अरब सागर में गिरती थी कोई बहादुर लोग हुए थे जिन्होंने इनको मोड़कर के जैसलमेर के रेगिस्तान में डाल दिया और रेगिस्तान में वह सूख गई आगे नहीं जा सकी। तो यह चमत्कारी काम आज राजस्थान में हो रहा है। और मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग

(श्री चन्दनमल बैद)

मेहरबानी करके मुझे लिखिये या स्पीकर साहब को लिखिये या सभापति को लिखिये मैं आपको दावत देता हूं निमन्त्रण देता हूं इस बात का कि आप चलिये मैं आपके साथ चलूंगा। मैं तो हर महीने वहां जाता हूं, इस महीने भी जाता विधान सभा की बैठकों की वजह से नहीं जा सका। हर महीने जाता हूं आप कभी भी मुझे लिखिये मैं आपके साथ चलूंगा और आप देखिये इस जगह को आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा और आश्चर्य ताज्जुब ही नहीं होगा आपको गौरव भी महसूस होगा इस बात का कि आज राजस्थान में किस तरह का शानदार काम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है जो वहां गलतियां हुई हैं या जो भी भ्रष्ट कार्य हुए हैं उसको मैं छुपाना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जायेगा। जिन लोगों ने गलत काम किये हैं या कोई गलत काम किया है उनको माकूल सजा दी जायेगी केवल इस वास्ते नहीं कि भ्रष्ट आदमियों को हम सजा देना चाहते हैं लेकिन इस वास्ते भी जो ईमानदार इन्जीनियर काम कर रहे हैं उनका नाम स्थापित करना चाहते हैं। आज बात ऐसी हो गई, जरा सी कोई बात होती है तो समझने लगते हैं कि इन्जीनियर्स सारे बेइमान हैं इस वास्ते जरूरी है कि बेइमानों को सजा दी जाय, गलत लोगों को सजा दी जाय जिससे ईमानदार इन्जीनियर्स जिससे कम से कम सिर ऊंचा करके चल सकें। और कह सकें कि वह भ्रष्ट ही नहीं हैं, ईमानदार लोग भी वहां काम कर रहे हैं। आज हमारे इन्जीनियर्स ईराक में काम कर रहे हैं हमारे इन्जीनियर गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया में काम कर रहे हैं। राम नारायण जी चौधरी, वी.बी. शाह, और दूसरे इन्जीनियर, आज कपूर, हुकमानी ये सारे इन्जीनियर राजस्थान के हैं जो दिल्ली में भी काम कर रहे है। ईराक में भी काम कर रहे हैं और दूसरी जगह भी काम किया है और नाम कमाया है, हमारे प्रदेश का सर ऊंचा किया है। प्रदेश का ही नहीं, हमारे देश का सर ऊंचा किया है। तो ऐसे इन्जीनियर जिस प्रदेश में हों और उन इन्जीनियर्स के बल पर आज हजारों-इन्जीनियर्स वहां पर काम कर रहे हैं, कैसी कन्डीशन्स में वह काम कर रहे हैं उसको देखकर हमको उनको शाबासी देनी चाहिये। मैं तो यह समझता था कि आज हमारी विधान सभा जो सारे हमारे प्रदेश की जनता की प्रतिनिधि हैं वे कम से कम आज यह कहेंगे कि देखो भाई हमारे प्रदेश के इन्जीनियर्स कितना शानदार कितना गौरवशाली, काम कर रहे हैं, उनको शाबाशी देगी लेकिन मुझे दुःख इस बात का हुआ कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को गलतफहमी होती तो होती लेकिन आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ पश्चिमी राजस्थान से आने वाले मारवाड़ जंक्शन के माननीय सदस्य ने ऐसी गलतफहमी की बात कही जो बड़े आश्चर्य की बात है वह यह कहते है कि अभी 30 पर्सेन्ट भी काम नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं आपको टोटल क्वान्टिटी आफ अर्थ वर्क जो मेन चैनल पर होना है वह 6 अरब 17 करोड़ 88 लाख क्यूबिक फीट का होना है उसमें से मार्च, 82 तक 5 अरब 38 करोड़ 54 लाख क्यूबिक फीट का काम हमने पूरा कर लिया और 1-4-82 को हमारे पास 79 करोड़ 74 लाख फीट का काम करना बाकी है और 83-84 का हमारा टार्गेट यह है कि 35 करोड़ क्यूबिक फीट का काम हम मेन चैनल पर करेंगे यानि मार्च, 84 तक अर्थ वर्क का जो काम है मेन चैनल का 94.24 प्रतिशत काम कर चुके हैं तो

(श्री चन्दनमल बैद)

अगले साल के पूरा होने तक , इस साल के अन्त तक का तो मैंने बता दिया अगले साल के अन्त तक भी हम 94.24 प्रतिशत अर्थ वर्क कर देंगे उस समय यह कहना कि 30 पर्सेन्ट नहर बनी है बाकी बनी नहीं, सभापति महोदय, फिर मैं बता देना चाहता हूं जहां तक लाइनिंग का सवाल है, मेन चैनल का 659 किलोमीटर की लाइनिंग हमको करनी थी उसमें से हम मार्च, 82 तक 526.14 किलोमीटर की लाइनिंग कर चुके हैं और 1-4-82 को लाइनिंग हमें करनी बाकी रह गई है। 122.46 किलोमीटर की उसमें से 82-83 में 26.02 किलोमीटर लाइनिंग हम कर देंगे और 83-84 में 45 किलोमीटर की लाइनिंग हम करेंगे। इस तरह से मार्च, 84 तक जो लाइनिंग हम कर चुके हैं वह 92.01 प्रतिशत कर चुकेंगे अर्थ वर्क 94 प्रतिशत कर चुकेंगे। लाइनिंग हम 92 पर्सेन्ट कर चुकेंगे । इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज का भी अर्थ वर्क हम 84 के 31 मार्च, तक 93.02 प्रतिशत कर चुकेंगे और लाइनिंग हमारी 50.53 पर्सेन्ट हम कर चुकेंगे डिस्ट्रीब्यूट्रीज की। लाइनिंग कम करने का सभापति महोदय, कारण यह है कि हमने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है वह यह बनाई है कि अब जो भी हमारी मेन चैनल है उसको हम पक्की बनायेंगे और डिस्ट्रीब्यूटरीज पर जहां तक 700 क्यूसिक पानी बहता है उसको हम पक्की बनायेंगे और बाकी नहर को, खास-खास जगह को छोड़ करके हम कच्ची बनायेंगे जिससे जल्दी ही हमारे पास जो पानी है उसको ले सकें और उसका उपयोग कर सकें। हो सकता है इससे एक बार कच्ची नहर में हमारी जो कैपेसिटी जो डिजाइन्ड है उससे कच्ची नहर बनाने से 110 पर्सेन्ट की इन्टेनसिटी हमको प्राप्त होगी जब हमारी सारी नहर पक्की बन जायेगी। 130 पर्सेन्ट इन्टेनसिटी हमको मिलेगी लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाखड़ा कि इन्टेनसिटी 60 पर्सेन्ट , गंगनहर की इन्टेनसिटी 62 पर्सेन्ट है अगर 60 और 62 पर्सेन्ट में इन्टेनसिटी में गंगानगर की बहबूदी आ सकती है तो 110 पर्सेन्ट में हमारे इस रेगिस्तान में बेहबूदी नहीं आई, तो इसमें शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सभापति महोदय, एक दूसरी भी हमने स्ट्रेटजी बदली है वह यह है कि हम इस बहबूदी को, इस प्रासपेरिटी को जितने ज्यादा एरिया में फैला सकें, उतना हम फैलाना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं, हमारी यह मन्शा नहीं है कि एक ही जगह पर नहर की इन्टेनसिटी बढ़ा करके उस जगह को सरसब्ज करें या उसको हम सारा पानी दें हम चाहते हैं कि जिस तरीके से गंग नहर और भाखरा में 60 पर्सेन्ट बहबूदी आई है उस तरीके से हम भी इसकी इन्टेनसिटी कम करके इसमें लाने का प्रयत्न कर रहे है जिससे डेजर्ट के लोगों को जितना लाभ दे सकें वह देवें।

अध्यक्ष महोदय, मोहनगढ़, लीला, लीलवा और डोडा ब्रान्च के अलावा इसको गडरा रोड तक हम ले जा सकते हैं तो गडरा रोड तक ले जायं। इस वास्ते मैं अपने इंजीनियर्स से कहूंगा कि इस बात की पासिबिलीटीज को देखें कि हम इस नहर को गडरा रोड तक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। पहले, 1976 में जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय हमने पांच लिफ्ट इरिगेशन की जो स्कीम्स थी वे मंजूर की थी । एक नोहर से सावा दूसरी गजनेर, तीसरी कोलायत, चौथी

(श्री चन्दनमल बैद)

पोकरण और पांचवी फलोदी–मंजूर की थी। लेकिन आज हमारे पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी वकालत कर रहे थे इस बात की कि लिफ्ट स्कीम्स को आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? पीपल्दा के पास जो छोटी-छोटी लिफ्ट स्कीम्स हैं उनको आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा था, हंसी आ रही थी कि जो जनता पार्टी की सरकार उनके वक्त में थी, इन पांचों इरिगेशन स्कीम्स को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, नकार दिया, कह दिया कि ये फिजिबल नहीं हैं ...

(व्यवधान)

हमने भी सर्वे ही कराया था। प्लानिंग कमीशन के साथ, फाइनेन्स मिनिस्टर के साथ, बैंकों के साथ और कंवरसेन को मिलाकर सर्वे कराया था, कोई मामूली सर्वे नहीं कराया था। स्कीम मंजूर कर दी गई थी, बजट में घोषणा कर दी गई थी लेकिन चूंकि कांग्रेस सरकार ने वह घोषणा की थी इस वास्ते जनता पार्टी की सरकार उसे कैसे पूरा करती। इसी वास्ते उन्होंने कह दिया क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान से आपको कोई मोह नहीं था, आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था ऐसा। आपने वेस्टर्न राजस्थान को जो सचमुच में जीवन देने वाली नहरें थीं उसको आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। अब विचार यह किया जा रहा है कि इन पांच लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स जो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में डाल दी थी, को हम रिव्यू करें, उनको कन्सीडर करें और उसको वापस शुरू करने पर विचार करें। यह पांच तो हैं ही इसके अलावा नहर की दाहिनी साइड पर तो सिचाई हो रही है बायीं साइड पर भी जितनी जगह हमको मिल सके चाहे वह माइनर के द्वारा मिले, चाहे आउट लेट के द्वारा मिले और चाहे किसी किस्म से मिले, लेफ्ट साइड में भी जितनी जमीन मिले उसमें सिचाई की जाय। इन पांच स्कीम्स के अलावा और भी कहीं हमको लिफ्ट मिलती हो और जगह मिलती हो तो उस बहबूदी को जितनी ज्यादा जगह में हम फैला सकें, उतनी ज्यादा जगह में हम फैलाना चाहते हैं जिससे कि यह बहबूदी केवल एक जगह कन्सेन्ट्रेट होकर नहीं रह जाय बल्कि सारी जगह जितनी जगह यह फैल सके फैल जाय।

सभापति महोदय, केवल सिंचाई की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस नहर के द्वारा हम पीने का पानी भी जगह जगह देना चाहते हैं। आपको मालूम है कि बीकानेर में आज पीने का पानी इस नहर से दिया जा रहा है, जोधपुर में देने की बात भी चल रही है, चूरू जिले में, जैसा अभी कहा गया, गन्धेरी से एक लिफ्ट स्कीम बना कर तारानगर, राजगढ़, सरदारशहर के 400 गांवों को इस स्कीम से पानी देने की योजना कार्य रूप में करीब करीब सम्पन्न हो चुकी है और वह भी पूरी हो रही है। और जगह भी अगर राजस्थान नहर से हम लोगों को पीने का पानी दे सकें, सीकर हो, झुंझुनू हो, नागौर हो, बीकानेर हो, चूरू के गांव हो, कहीं भी हो जहां भी हम इस पानी को ले जा सकते हैं, इस पानी को हम ले जाना चाहते हैं जिससे हमारे पीने के पानी की तकलीफ दूर हो, जिससे हमारी बहबूदी और प्रास्पेरिटी ज्यादा से ज्यादा जगह फैल सके, यह हमारी मंशा है। इस मंशा के अनुसार, नई स्थिति के अनुसार यह राजस्थान नहर का काम करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में बहबूदी लायें, प्रास्पेरिटी लायें, लोगों के लिये सुख लाये, आनन्द लायें।

(श्री चन्दनमल बैद)

अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक बार दस हजार क्यूसेक पानी चला गया जयपुर से तार खटकने लग गये। सभापति महोदय,. नहर में पानी उतना ही चल सकता है जितना आगे जाकर आप ले सकते हैं। नहर अगर आप 30 हजार क्यूसेक की बना दें और आगे अगर पानी लेने का इन्तजाम नहीं है तो यह कोई नदी नहीं है कि जितने पानी की आपने कैपेसिटी बनाई है उतना ही पानी चल जायगा, नहीं तो आगे बहकर निकल जायेगा। जब तक उसकी कैपेसिटी आगे लेने की आप नहीं बनाते हैं तब तक उस पानी को चला नहीं सकते। किन्तु जो आपकी छोटी छोटी नहरें बनी हुई है उनमें अगर कैपेसिटी नहीं होगी तो टूट जायगी। इस वास्ते आज जितनी कैपेसिटी है उतना पानी हमको मिल रहा है, उतना पानी उपयोग में ले रहे हैं और उतने ही पानी के साथ हम चला रहे हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय भैरूंसिह, जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, नियमों का पालन करके बैठे हुए नहीं थे। घुटना ऊपर किये हुए बैठे हुए थे। इसलिये ध्यान दिला दूं। ठीक कर लिया, कोई बात नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बहुत आभारी हूं जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या का।

श्री सभापति : आप कृपया मंत्री महोदय की तरफ ही ध्यान रखिये। वहां कहां ध्यान रखती हैं।

श्री चन्दनमल बैद उन्होंने मुझे थोड़ा सा आराम दिलाया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, आज के दिन मैं इस सदन को यह बात बताना चाहता हूं कि आज तक का जो इसका तखमीना है उसके अनुसार हमें 534 करोड़ रुपये इसमें खर्च करने हैं और इस साल हमें 42.5 करोड़ का आवंटन हुआ था। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि लोगों को सन्देह था इस बात का कि क्या पता यह साढ़े बियालीस करोड़ रुपया नहर के काम में खर्च कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन यह पैसा खर्च ही नहीं कर लेंगे मुझे डर है कहीं हम इसको एक्सीड न कर जायं। अगले साल हमको 50 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस टार्गेट पर चल रहे हैं कि हम भारत सरकार से यह कहेंगे कि हमारी कैपेसिटी 60 करोड़ रुपया खर्च करने की है इस वास्ते हमें 10 करोड़ और दिया जाय चाहे भारत सरकार दे, चाहे राजस्थान के वित्त मंत्री दें, कोई भी दें, हम 60 करोड़ रुपया खर्च करके इस नहर को निश्चित रूप से सन् 85 के 31 मार्च से पहले पहले सम्पूर्ण करना चाहते हैं यह हमारा निश्चय है। मैंने अपने इंजीनियर्स को टार्गेट यह दिया है कि 31 दिसम्बर, 84 तक इसको पूरा करना है। लेकिन चूंकि विधान सभा एक बड़ी सोलिड जगह है इस वास्ते मैं बिलकुल सेफली इस बात को अनाऊन्स करना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1985 तक इस नहर को हम पूरा करना चाहते हैं और 85 में हम किसी महान

(श्री चन्दनमल बैद)

व्यक्ति को ला करके मोहन गढ़ पर इस रावी व्यास और सतलज के पानी को लेना चाहते हैं, उसके हाथों से और यह साबित करना चाहते हैं कि राजस्थान में कैपेसिटी है न केवल नहर बनाने की बल्कि इस नहर के पानी को उपयोग करने की भी हमारी कैपेसिटी है आज न हमें कोई सीमेंट की कमी सता रही है, न कोयले की कमी सता रही है, न योग्य इंजीनियर्स की कमी सता रही है और न ही पैसे की कमी सता रही है । हर चीज हमारे पास उपलब्ध है । केवल एक विल चाहिये, आप लोगों का स्नेह और प्यार चाहिये, आशीर्वाद चाहिये । आप लोगों के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद के बल पर हम इस नहर को पूरी करना चाहते हैं, पूरी करेंगें । जो कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं उसको दूर करेंगे और जो कुछ भी आज तक गलतियां हुई हैं गलत कार्य हुए हैं उसको हम आगे नहीं दोहरायेंगे। इसी विश्वास के साथ, सभापति महोदय, बहुत समय हो गया, बातें भी बहुत सी कही जा सकती हैं, कहना चाहता था लेकिन माननीय सदस्यों का धैर्य मैं उखाड़ना नहीं चाहता । एक बार फिर उनको निमंत्रण देना चाहता कि मेहरबानी करके राजस्थान नहर पर आइये और देखिये किस जगह कितनी बड़ी नहर हमारे प्रदेश में एन्टर करती है, उसके बाद कितनी बहबूदी लाती है । उसके बाद वह जगह देखिये जो कितनी डिफिकल्ट है। नहर आने के बाद भी उसको सर-सब्ज बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और उसके बाद वह जगह देखिये कि जहां पर आज नहर बन रही है कहीं रॉक्स आ रहे है उनको तोड़ रहे है, कहीं बड़े बड़े टीबे हैं उनको हटाना पड़ रहा है । किस तकलीफ और मेहनत से यह सारा हो रहा है । तीनों जगह आप देखेंगे तब आपको मालूम होगा कि राजस्थान नहर क्या चीज है।

आज जमीन अलाटमेंट करने के बाद भी गरीब से गरीब आदमी भी वहां आने से हिचकता है, डरता है, यह मैं समझता हूं । मेरे इलाके के लोगों को, चूरू के लोगों को जमीन अलाट हुई हैं, नागौर के लोगों को हुई हैं, जोधपुर के लोगों को हुई है लेकिन आज हिचकते से आ नहीं पाते हैं । जाते हैं उन टीबों को देखकर डर कर भाग जाते है । उन लोगों को बसाने के लिये विशेष प्रयत्न कर रहे हैं । अभी वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हमारी संधि हुई है कि जो भी किसान जाकर वहां बसेगा, तीन फसल तक 18 महीने तक उसको और उसके परिवार को मुफ्त अनाज देंगे और 500 से हजार रुपया कूपन खरीदने के लिये उसको देंगे । इतना ही नहीं मैं दूसरे बैंकों से उस बात की भी कोशिश कर रहा हूं, उनको ज्यादा लोन मिले जिससे वह आराम से बस सकें । यह भी कोशिश कर रहे है कि अलग-अलग को एक-एक को नहीं बसा करके समूह में उनको बसाया जाय जिससे एक दूसरे का दुःख दर्द वह देख सकें, एक दूसरे के काम आ सकें कोपरेटिव रूल्स से, जैसे गांवों में किसी की मदद करते हैं, कोई किसी से ऊंट मांगता है, कोई किसी से सामान मांगता है, उन सारी चीजों का एक दूसरे में आदान प्रदान करके एक दूसरे के साथ बस सकें तो आराम से बस सकें ।

श्री सभापति : एम०एल०एज० को भी बसायेंगे उधर कहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, एम.एल.एज. तो बसाने वाले हैं, इनको कौन बसायेगा । एम.एल.ए. चाहे किसी को उतार

(श्री चन्दनमल बैद)

दें चाहे किसी को बसा दें । एम.एल.ए. को कौन किसकी हिम्मत है जो बसायेगा ।

एक माननीय सदस्य : प्रोग्रेस की है वह बताओ । केवल भाषण करने से, नसीहत करने से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री सभापति : आज मुझे समझ में आया,, आपका फाइनेन्स मिनिस्टर के मुकाबले आज वाला भाषण ज्यादा जमा ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बहुत आभारी हूं ।

सभापति महोदय, फाइनेन्स मिनिस्टर के वक्त में तो सारा ही खाना खाना होता था लोगों की उसमें गालियां भी सुननी पड़ती थी । तालियां तो कोई दूसरा ही सुनवाता था । अब तो मुझे काम करके इस नहर को पूरा करके इस सदन की तालियां प्राप्त करनी हैं और तालियां प्राप्त करूंगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने पेश किया है, उनको विश्वास दिलाता हूं, एक-एक कटौती प्रस्ताव का जवाब उनको अलग अलग भेज दिया जायेगा ।

उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जवाब की बात नहीं, काम होगा कि नहीं उन पर ? आपने तो सारे राजस्थान की सिंचाई की योजना में केवल राजस्थान नहर की बात कही, आपने पूरा उसका दर्शन नहीं दिया....

श्री चन्दनमल बैद : बहन जी बैठे हैं अभी ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल आपका राजस्थान नहर से ही ताल्लुक है ....

श्री सभापति : आप कृपया जवाब सुनलें। मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका बाद में दूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात पूछ लेती हूं, मंत्री महोदय, जवाब हाथ के हाथ दे देंगे । जब घग्घर बैंड टूटा अभी हनुमानगढ़ के पास तब सारे आपके सिंचाई के इंजीनियर्स कहां थे, अधिकारी कहां थे ?

श्री चन्दनमल बैद : बहन जी, इसका जवाब तो आप देंगे ।

श्री सभापति : यह जवाब...

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदय, पिछले साल जब बजट पर बहस हो रही थी इन बहन जी ने मुझे चूंदड़ी भेंट की थी । मैं शिकायत करना चाहता हूं, सारे सदस्यों के सामने आज, वह चूंदड़ी आधी थी । मैंने इनसे कहा था कि आज फिर मेरी डिमाण्ड की बहस है, मेहरबानी करके आधी चूंदड़ी और लाकर दे दीजिये । ऐसी कंजूस हैं लायी नहीं वह ।

इन शब्दों के साथ में ...

श्री सभापति : शायद आपकी मांग पास होने के पहले पहले भेंट करदें ।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद देता हूं ।

श्री पीरू राम : सभापति महोदय, 'मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूं कि वाटर कोर्स सारा के ब्याज के बारे में बात रखी, बांको जवाब कोना मिल्यो । दूसरी बात मैंने अध्यक्ष महोदय, बोलवा कोनी दिये । नोहर लिफ्ट सिद्धमुख कैनाल विभाग कब चालू कर देगा । या दो बातों का जवाब दें ।

श्री चन्दन मल बैद : मैं बता रहा हूं, आप सुनो तो सही।

सभापति महोदय, काफी शिकायत इस बात की आयी थी कि सिंचित क्षेत्र विकास के तहत जो खाले बने हुए हैं, वह डिफेक्टिव हैं। उन सारे खालों की जांच कर ली गयी है, उसमें से जो भी डिफेक्टिव खाले हैं, उनकी मरम्मत 30 जून के पहले पहले कर दी जायेगी और उसमें 27 लाख का खर्चा आयेगा, उसकी मरम्मत ही नहीं कर दी जायेगी लेकिन जो किसान वहां बसे हुए हैं, उन किसानों को साथ मिलाकर हमारे आफिसर उसकी जांच कर लेंगे उससे यह लिखाकर भी ले लेंगे कि ठीक मरम्मत हुई है, या नहीं। अगर वह कहेंगे कि ठीक मरम्मत नहीं हुई है तो उसको मरम्मत को मैं सही नहीं मानूंगा। जब वह कहेंगे तभी मानूंगा कि मरम्मत ठीक हुई है। यह हमने प्लान बना लिया है, , प्रोग्राम बना लिया है, यह सारा काम जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जायेगा।

श्री सभापति : और यह सिंचाई की रेट कौन बढ़ायेगा ? सिंचाई की रेट फिर कौन बढ़ायेगा ? जब आप इतना पैसा लगा ही रहे हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : यह जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर नहीं छोड़ी आपने सभापति महोदय।

श्री पीरूराम : मंत्री महोदय, कोई भी हो ब्याज, ओवर ड्यू का बहुत जरूरी मसला है। ओवर ड्यू ब्याज के लिए मंत्री महोदय बता दें।

श्री सभापति : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): माननीय सभापति जी, सिंचाई की मांग संख्या 46 और उसके अन्तर्गत 4 मेजर हैड के अन्तर्गत कुल मिलाकर राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में और सिंचाई की अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में 34 माननीय सदस्यों ने अपने विचार कटौती प्रस्तावों के मार्फत इस सदन में प्रस्तुत किये। जैसा कि, सभापति जी, आप स्वयं जानते हैं, राजस्थान जैसे राज्य, जिसमें हिन्दुस्तान का थार रेगिस्तान भौगोलिक तौर पर स्थित है और जिस राजस्थान का बहुत बड़े हिस्से में सूखा ही नहीं, लगातार अकाल और दुर्भिक्ष पड़ता रहता है और राजस्थान ही शायद पूरे देश भर में ऐसा प्रदेश होगा, जहां बहुत से इलाकों में बरसात का जो एवरेज है, वह 8 और 10 इंच के बीच में है, ऐसे राज्य, जिसमें सूखा संभावित क्षेत्र का बाहुल्य हो, के लिए एक एक पानी की बूंद कितना महत्व रखती है, इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने आज यहां पर कटौती प्रस्तावों के जरिये जो भी सुझाव और जो भी प्रस्ताव दिये, मैं उनका बहुत आभारी हूं। सभी ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि सिंचाई के जितने भी हमारे स्त्रोत हैं, सतही और अन्य प्रकार के, भूजल के, जमीन के अन्दर, उन सबका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके और हमें कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

यह बात सही है, सभापति जी, जहां राजस्थान देश का दूसरा बड़ा राज्य है भौगोलिक क्षेत्र में और उसका क्षेत्र पूरे हिन्दुस्तान का 10 फीसदी है, पूरे भारत वर्ष में बरसात होती है उसकी एक फीसदी बरसात राजस्थान में होती है। इसी राजस्थान के अन्दर अपने खुद के सिंचाई के जो स्त्रोत हैं, वह बहुत कम हैं। जो भी योजना स्वतंत्रता के बाद और आजादी के बाद हमने, हमारे यहां की जमीन को सिंचित करने की बनायी

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं, उसमें हमारे यहां के आन्तरिक स्त्रोत और बाहर से नदियों का पानी लेकर के, बहुउद्देश्यीय योजना बनाकर हम पिछले 30 साल में आगे बढ़े हैं । इसलिए मैं यहां पर कहना उचित समझता हूं कि जिस वक्त देश आजाद हुआ और जब राजस्थान बना 1949 के अन्दर, जिस बनने के बारे में नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को कल काफी रोष था कि वह किस तरह राजस्थान में आ गये, जब छोटा राजस्थान बना तो वह कह रहे थे वह काला दिन था, जब यह इधर आ गये, यह बैठे हुए तो इस सदन में हैं लेकिन इनका ज्यादा दिल और दिमाग उधर जो भूमि है, वृज भूमि की तरफ ज्यादा खिचाव रहता है, राजनैतिक तौर पर भी और सिद्धान्तों से भी आपका ज्यादा इनक्लिनेशन और झुकाव उस क्षेत्र के अन्दर दिखता है। इसलिए यहां अपने आपको एडजस्ट करने में खुशी महसूस नहीं कर सकते । मैं निवेदन कर रहा था कि स्वतन्त्रता के वक्त इस राज्य में केवल 10 लाख एकड़ भूमि के अन्दर सिंचाई होती थी। आज जो राजस्थान में सिंचाई हो रही है वह 38 लाख एकड में हो रही है। इसका मतलब यह है कि पिछले इन वर्षों, 30 वर्ष में 28 लाख एकड़ सिंचित एरिया के अन्दर बढ़ोत्तरी हुई है, वह करीब करीब प्रति वर्ष 80 और 90 हजार एकड़ के बीच में रही है। इस गति से हम बढ़े हैं और यह मानते हैं और इस पर जो खर्चा हुआ है, वह करीब 1274 करोड़ हुआ है । 1274 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में हमारे पास में जो पानी का पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल का हम 4.59 मिलियन एकड़ फीट ही यूटीलाइज कर पाये हैं। हालांकि पानी का जो क्वान्टम हमारे पास में है, वह तो 8.70 मिलियन एकड़ फीट के आसपास है लेकिन उसमें से हम जो इस्तेमाल में ले सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, वह केवल जो बचा हुआ पानी हमारे पास में हैं, वह 4.9 मिलियन एकड़ फीट और जो अन्तर्राज्जीय समझौतों के जरिये जिन योजनाओं में हमारी भागीदारी है, कुल मिलाकर अब हम इस पानी का 2000 ए.डी. तक यूटिलाइजेशन करें, इसका उपयोग करें तो हमको 4 हजार करोड़ की आवश्यकता होगी । इसलिए, सभापति महोदय, सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने जहां अपने अपने क्षेत्र के अन्दर छोटे बंध बनाने की बात, एनीकट के निर्माण की बात, बांडी और संदेरा की बात, लूणी के क्षेत्र में बांध बनाने की बात, जैतपुरा के ऊपर बांध बनाने की बात और सोम कागदर के काम को द्रुत गति देने की बात, जाखम के काम को आगे बढ़ाने की बात और जयसमन्द के आधुनिकीकरण की बात और उसी तरह से उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां देवास की जो योजना सुखाड़िया जी ने बनायी थी, उसको एकदम हाथ में लेकर पूर्ण करने की बात और साथ ही साथ कुछ माननीय सदस्यों ने जो उनके क्षेत्र में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं उस सम्बन्ध में भी यहां पर बहुत सी बातें कही गई। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 1983-84 में..

एक माननीय सदस्य : जयपुर के सम्बन्ध में भी कुछ कहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर के सम्बन्ध में भी कहूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि 83-84 के अन्दर जो कुल प्रावधान रखा गया है बजट में वह राजस्थान के आर.सी.पी. का

(श्री परसराम मदेरणा)

50 करोड़ का है और कुल मिलाकर 58 करोड़ और 70 लाख रुपये का प्रावधान है। और 58 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान 416 करोड़ की योजना के अन्तर्गत, जहां तक मैं समझता हूं, कुल मिला करके 23, साढ़े तेइस या पौने 24 पर्सेन्ट के आस पास होगा। हमारे साधन इतने सीमित हैं। इस सदन के माननीय सदस्य, अभी मेरे साथी जो राजस्थान नहर परियोजना के मंत्री हैं और जिस वक्त इस संसार की बहुत बड़ी जाइनेटिक योजना का यहां उल्लेख कर रहे थे तो, सभापति जी, आप स्वयं भी इनकी भावनाओं के साथ अपनी भावना मिलाते हुए उनको आपने कांग्रेचुलेट भी नहीं किया लेकिन वित्त मंत्री के नाते उन्हें जो कुछ भी यहां पर सुनना पड़ता था उससे उनको जो छुट्टी मिल गई है या उनका पिंड छूट गया है, उस सम्बन्ध में यहां पर चर्चा आई। जहां आज टैक्स लगा करके साधन जुटाना एक बात है और दूसरी जगह टैक्स नहीं लगाना और नहीं लगाने के बाद में भी सफेद टोपी वाले, गांधीवादी की कुछ बात उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य व्यंग में कह रहे थे, यह टोपी हमने कोई आजकल नहीं लगाई है। पहले मैं आपकी तरह से राठौड़ी साफा बांधता था और मुझे बहुत अच्छा बांधना आता है। यह तो, मैं समझता हूं, स्वयं ऊर्जा मंत्री जी इस बात को जानती हैं। मैं उनके गांव गया था, मैंने बैठे बैठे ही साफा बांध लिया था और शायद ठीक ही बांधा था, फोटुएं भी आई होंगी कहीं पर, बिना शीशे में देखे हुए। लेकिन उसके बाद में इस टोपी का जो हमने निर्णय लिया था वह निर्णय इसलिए लिया था कि जो समाज की उस वक्त की और राज्य की व्यवस्था थी उसको हम तहस नहस करके दूसरी तरह की जाजम बिछाना चाहते हैं। इसलिए इस टोपी के नाम से आपको जलन है तो मैं यह कह रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सही बात बताओ।

श्री परसराम मदेरणा : कि आपको नहीं होनी चाहिए

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सही बात बताओ। मकराना जाकर आए थे न ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : टोपी की कोई बात नहीं थी। मैं माननीय सदस्य की अन्तर आत्मा को झकझोरना चाहता था। गांधीवादी टोपी....

श्रीमती उजला अरोड़ा . मकराना की संगमरमर होती है ऐसी। यह तो शान है तुमने सम्मान नहीं रखा !

(10.45 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा : आज खुशी होनी चाहिए। यहां बहुत सी बातें कही कि गांधीवादी मंत्री जिस तरह से पहले वहां कुछ घोषणा की हैं तो उनमें अगर कोई भी गांधीजी की छाप है, इसका मतलब है कि गांधी की छाप तो नैतिकता की छाप थी। गांधी की छाप जो थी वह सत्य की छाप थी। आज कोई भी आवरण पहनने पड़ते हैं। अपन मनुष्य हैं, संसार के, समाज के एक अंग हैं। लेकिन सच को कोई कपड़े नहीं पहनने पड़ते। उसे तो नंगा रहना भी अच्छा लगता है। झूठ के ही बहुत से आवरण है, चारों

(श्री परसराम मदेरणा)

तरफ से ढकना पड़ता है। इसलिए अगर गांधीवादी मंत्री के नाते आप मुझ से कोई भी ऐलान कराना चाहेंगे और मैं एक मिनट में ऐलान कर दूं तो आपको शायद रात को नींद अच्छी तरह से आएगी लेकिन मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नैतिक बढ़ जाती है कि उस कार्य को मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। इसलिए माननीय सदस्य ने जो कुछ भी बातें कहीं हैं, यह घोषणा की, मैं घोषणा और लफ्फाजी तो यहां करना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, और मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि जो बात भी सदन में कही जावे जिसको हम कर सकें वही बात इस सदन में कहनी चाहिए। क्योंकि यह सदन राजस्थान की पौने चार करोड़ जनता का आज सार्वभौम सत्ता रखने वाला एक आगस्ट बोडी है। इसलिए आपके प्रति उत्तरदायी है। आप जन प्रतिनिधि हैं। जो भी बात हम यहां पर कहते हैं, जनहित के अन्दर जो कर सकें वही बात कहनी चाहिए और जो बात हम नहीं कर सके उस तरह की बात यहां पर नहीं कहनी चाहिए। यह बात सही है कि आज हमको जिस तरह के आदेश भारत सरकार ने दिए हैं, मैं उस सम्बन्ध में भी काफी विस्तृत जाना चाहता था। अभी मुझ को लोग पूछ रहे थे कि आप कितना समय लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि समय तो काफी लिया जा सकता है। रात के पौने ग्यारह बज रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो योजना आयोग ने डायरेक्शन दिये है, जो ओन गोइंग प्रोजेक्ट हैं योजनायें अभी हाथ में हैं, पहले आप उनको पूर्ण कीजिए। ज्यादा योजनाओं को आप हाथ में नहीं ले सकते। और अगर योजनाओं को हाथ में लेते हैं तो जैसा कि बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे सलूम्बर से आने वाले माननीय भी कह रहे थे, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, यह योजना दस दस और आठ आठ साल से चल रही हैं, ये पूर्ण नहीं होती हैं और इसलिए नहीं होती क्योंकि धनराशि हमारे पास में इतनी उपलब्ध नहीं है। जब नहीं है तो थोड़ा प्रावधान रखा जाता है। जब थोड़ा प्रावधान रखा जाता है तो प्राइस में एक्सक्लेशन होता रहता है। प्राइस एक्सक्लेशन होता रहता है तो उसके तखमीने बदलते रहते हैं। तखमीने बदलते रहते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट का जो फायदा इमीजियटली इस राजस्थान की जनता को उस पानी के जरिये मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसलिए भारत सरकार के निर्देशानुसार, जो उन्होंने जुलाई या फरवरी, 1982 में तमाम देश की राज्य सरकारों को दिये हैं इरिगेशन के सम्बन्ध में कम साधन और कम धनराशि की उपलब्धि को देखते हुए आप नए प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लें, ओन गोइंग प्रोजेक्ट्स को पहले आपको पूरा करना चाहिए। इसलिए पिछले डेढ साल में मैं बहुत कोशिश में हूं कि कुछ योजनायें हाथ में ली जायं। उन्होंने यह बात भी कही है कि बहुत ही छोटी माइनर इरिगेशन की एक-दो योजनायें कहीं कहीं पर हम हाथ में ले सके हैं और बड़ी योजनाओं को हाथ में नहीं ले सके हैं। उन्होंने यह बात कही है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चलने वाली योजनाओं को आप देखते हैं कि काफी हद तक वह पूर्ण हो गई है, उसके बाद आपके बैकआफ प्रोजेक्ट में जो योजनायें हैं उनको लेने की बात सोच सकते हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

उसके पहले हम आपको स्वीकृति भी नहीं देंगे। स्वीकृति का जहां प्रश्न होता है वहां प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति से ही कोई काम प्रारम्भ नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे पास में वित्तीय स्वीकृति भी चाहिए। वित्तीय स्वीकृति देने के लिये कोई भी ऐसी योजना, जो बड़ी योजना है, मेजर या मीडियम की है, जिसकी लागत आज एक करोड़ से ऊपर है, भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन के क्लियरेंस के बिना कोई भी राज्य सरकार उसको प्रारम्भ नहीं कर सकती। राजस्थान जैसा राज्य, जिसकी वित्तीय स्थिति काफी संकटमय है, इन योजनाओं को हाथ में नहीं ले सकता। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम काम को तो जल्दी करना चाहते हैं लेकिन काम को जल्दी करने के अन्दर भी हमारी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ असमर्थता भी है।

इस समय बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं मैं उस सम्बन्ध में कुछ भी निवेदन करना नहीं चाहूंगा एक दो बात के अलावा। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, जहां हमने इतना बड़ा पोटेंशियल क्रियेट किया है पानी का, जल ग्रहण क्षमता आज हमारी जो है वह 3.61 मिलियन एकड़ फीट की है लेकिन जितने भी बंधे, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बने हैं, इस साल बरसात कम हुई और बरसात कम होने की वजह से जो जल का संचय हुआ है, जो स्टोरेज है पानी का वह केवल 2.21 मिलियन एकड़ फीट है।

2.21 मिलियन एकड़ फीट की वजह से जहां हमको 6,29,365 हैक्टेयर के अन्दर सिंचित एरिया के अन्दर पानी की एक पाण से ले करके चार पाण देनी चाहिए थी वहां हम केवल 3,68,490 हैक्टेयर के अन्दर ही एक से लेकर दो या तीन पाण दे चुके हैं चार पांच बांधों को छोड़ करके। आज आर. सी.पी. की या उस क्षेत्र की बात भी कर सकता हूं, मीडियम और माईनर इरिगेशन बेल्ट की बात कर रहा हूं और चम्बल क्षेत्र की भी बात कर रहा हूं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि क्षमता आप कितनी भी बढ़ा दीजिए लेकिन क्षमता बढ़ने के बाद में आज बरसात नहीं होती है और पानी का स्टोरेज बंधों में नहीं होता है तो हम क्षमता बढ़ाने के बाद में भी जब 1274 करोड़ रुपये खर्च कर दिये लेकिन किसान के घर पर बहबूदी नहीं ला सकते। बराबर इस बात की मुझे शिकायतें भी मिलती रहती हैं। हमेशा मेरे सामने समस्या यह रहती है कि जहां पर भी आप पानी दे रहे हैं अपर रीजन्स के किसान तो पानी ले लेते हैं लेकिन छोर पर जिसका खेत आया हुआ है, उस आदमी को पानी नहीं मिलता है। बराबर शिकायतें रहती हैं।

मैं चाहूंगा और मेरा यह प्रोग्राम रहेगा अगले वित्तीय वर्ष के अन्दर कि जितना जल हमारे पास उपलब्ध है, इस जल की एक एक बूंद और उस जल के ऊपर खर्च किया हुआ एक एक रुपये का सही तरीके से उपयोग हो। अगले एक वर्ष में पानी किसानों को समुचित तौर पर मिले, पूरा विभाग इसमें सक्रियता से काम करके जो किसानों की बराबर शिकायत बनी रहती है कि हमको पानी मांगे से टाइम पर नहीं मिलता, कुछ लोग पानी ले लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूं, जो आज विभाग है इस पानी के उपयोग के सम्बन्ध में, वाटर के यूटिलाइजेशन के संबंध में और पानी की जो आज यह टैक्निक हो गई है एक तरह से पानी के मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है बहुत ही एफीशियेंटली,

252

(श्री परसराम मदेरणा)

बहुत ही योग्यता के साथ इसका संचालन होना चाहिए। मैं इस सदन के सामने निश्चित-तौर पर यह घोषणा करता हूं कि अगले साल पूरा विभाग यह देखेगा कि किसानों को सही समय पर पूरा पानी मिले, किसी को भी शिकायत नहीं रहे, यह उनका प्रथम कर्त्तव्य होगा। जो इस सरकार के निर्देश की अनुपालना नहीं करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी,इस संबंध में आदेश मैं एक दो दिन में सभी इंजीनियर्स को निकाल रहा हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने जो और भी बातें यहां कहीं हैं उस संबंध में तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि यहां पर भ्रष्टाचार के संबंध में पांचना, मोरेल और उसके संबंध में कुछ यूनाइटेड स्टेट ऐड से संबंधित, कोई सी.आई.ए. के एजेन्ट घुस गये हैं उसके संबंध में, कुछ दूसरी बातें माननीय सदस्यों ने की। जैसा कि मेरे साथी कह चुके हैं कि कोई भी आदमी, मैं यह नहीं कहता कि विभाग के अन्दर ब्लेक सीप नहीं है, हर विभाग के अन्दर शीप हो सकती है। जो आदमी करप्ट होगा, उसको निश्चित तौर पर दंडित किया जायेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम से पूरे विभाग के अन्दर डिमोरेलाइजेशन फैला देना, मैं समझता हूं, इरिगेशन और जल विकास के काम को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, इसलिये मैं यहां इतना ही कह सकता हूं, जिन लोगों की करप्शन की शिकायत आयगी, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में, मैं देखता हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिये, लेकिन एक व्यक्ति को एक जगह से जब हटा देते हैं फिर उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूं कि अब कोई शिकायत नहीं आ रही है, तो पहले वाला जो बहुत बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार दिखता है वह सब रफा दफा हो जाता है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा पांचना और उसके संबंध में कुछ लोग बात कह रहे थे अगर उसमें कोई भी कमी है, जो यहां पर टेक्निकल कुछ खामियां बताई गई उसकी मैं जांच कराऊंगा। जांच के बाद वहां पर अगर कोई कमी पाई गई तो किसी के साथ नरमी का बर्ताव नहीं किया जायेगा।

मैं अंत में, अध्यक्ष महोदय, यहां पर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रुपारेल के संबंध में जो बंधा बन रहा है, बना तो नहीं है, अभी तो घाट खूटेटा के संबंध में बात कही, घाट खूटेटा के पीछे यह योजना है। अगर फ्लड का पानी उसमें रोका जायेगा लेकिन उसको रोक कर भरतपुर के क्षेत्र को किसी तरह की हानि पहुंचे राज्य के वक्त में समझौता हुआ है उसमें किसी प्रकार का हेरफेर किया जाय, यह उसका अभिप्राय नहीं है। अभी तो सर्वे चल रहा है। सर्वे से यदि यह पाया गया कि भरतपुर के सिंचित क्षेत्र में या भरतपुर का आज जो एरिया इननडेट होता है, जहां खेती होती है, उसके ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह बांध नहीं बनाया जायेगा।

यहां पर आज दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खांडू का एक उदाहरण देकर अन्य विस्थापित लोग जो आदिवासी हैं उनको बसाने के संबंध में उन्होंने बात कही, जैसा कि आप जानते हैं 25-25 के ब्लाक में जो डिसप्लेड पर्सन हैं माही में, माही के

(श्री परसराम मदेरणा)

क्षेत्र में उनको बसाया जाता है। लेकिन कुछ लोग धरियावद, प्रतापगढ़ की वन भूमि में जाकर बैठ गये हैं, जैसा कि दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी शायद जानते होंगे, फारेस्ट की भूमि को रिलीज करना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। यह सैन्ट्रल एक्ट है। केन्द्रीय सरकार में भी आज वहां के कृषि मंत्री, जो इसके प्रभारी मंत्री है, भी भूमि को रिलीज नहीं करते, स्वयं प्रधान मंत्री इस बात को देखती हैं। इसलिये वह दूसरी जगह बसते हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ वही रियासत रहेगी जो दूसरों के साथ में रहती है।

देवास और वागन के सबंध में अभी सर्वे चल रहा है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद उस योजना पर आगे कार्य किया जायगा।

पांचना के संबध में, मैं इतना ही निवेदम कर दूं पांचना की पूरी योजना 21 करोड़ और कुछ लाख की है। इसको रिवाइज कर दिया था केवल 4.85 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं. इसलिये यह सोचना कि वह छोटी योजना थी, वह नहीं रही है। इस बड़ी योजना बनने के बाद निश्चित तौर पर उसके एस्टीमेट बढ़ गये हैं, बढ़े हुए एस्टीमेट को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ लम्बा समय लगेगा। नहर का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। जैसा कि वह कह रहे थे रेलवे लाइन अड़ेगी बीच में, 'रेलवे को पुलिया बनाने वाली बात है उस के संबंध में लिखा पढ़ी चल रही है। मैं समझता हूं कि उस मामले को भी हम रेलवे के साथ बात चीत करके निश्चित तौर पर निपटा लेंगे।

पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने आर.एम.सी. के ऊपर कुछ लिफ्ट स्कीम की बात की। यह लिफ्ट स्कीम योजना का सर्वे हो चुका है। हमने सैन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजी है। वहां से स्वीकृति आने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी।

मैं रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बाडी सैंदड़ा योजना सीधी सी. डब्ल्यू. सी. को भेजी जा चुकी है।

उसमें कुछ एतराज किया गया था उसका भी निराकरण कर दिया गया है। उसके आने के बाद में उस संबंध में भी कार्यवाही की जायेगी।

यहां पर सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कही। बहुत सी बातों के साथ में उन्होंने कास्ट बेनीफिट रेश्यो की बात भी कही थी। कास्ट बेनीफिट रेश्यो वह तो खुद सिचाई विभाग के मामले में जानते हैं, कास्ट और बेनीफिट में केलकुलेशन किस तरह से होता है। जैसा कि वह स्वयं जानते होंगे. किसी भी प्रोजेक्ट की कास्ट उसकी 10 प्रतिशत रकम लगने वाली है उसका इनट्रेस्ट जुड़ता है. एक प्रतिशत सौ साल की आयु उसकी मान कर डेप्रीशिएशन जुड़ता है। उसके साथ वार्षिक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हैड चार्जेज आपरेशन और मेन्टीनेन्स के हैं यह सब जोड़ कर, जो एरिया असिंचित था उस वक्त उसकी क्या पैदावार थी, सिंचित होने के बाद क्या पैदावार होगी, इस तरह से कास्ट और बेनीफिट जो उससे ड्राइव होने वाले हैं, इन दोनों का अनुपात जहां पर एक: पांच रहता है, योजना का नार्मल एरिया के अन्दर कास्ट बेनीफिट का यह रेश्यो मुकर्रर किया गया है। दूसरे जो डी.पी.ए.पी. एरिया

254

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं, डेजर्ट के एरिया हैं, ट्राइबल एरिया है हिल्ली एरिया है, उसमें एक-एक का कास्ट बेनीफिट रेश्यो रखा गया है। उसके साथ पिछली साल जितने भी एनीकट्स के काम किये जा रहे थे अकाल के अन्दर बिलकुल हमने कास्ट बेनीफिट रेश्यो से उनको मुक्त दिया था। ताकि छोटे इस प्रकार के बंधे बन सकें, आगे, पीछे जो है आगे वाला एरिया सूखे भी नहीं। फ्लो होने की वजह से वाटर लेवल उसका ऊपर उठ सके पानी का, इस ओर कोशिश की जाती है।

मैं यह मानता हूं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जहां पर दूसरे लोग कुछ बात कह गये, लेकिन नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि भरतपुर जिले में 83-84 के अन्दर कोई प्रावधान नहीं रखा है। गुडगांवा नहर का जो 100 लाख रुपये का प्रावधान है, शायद भरतपुर जिले के लिये है। ओखला बैराज 90 लाख का है, उसमें कास्ट देनी पड़ती है हम भी भागीदार हैं, वह भी भरतपुर जिले के लिये है। फ्लड के अन्दर 30 लाख रुपये जो रखे हैं वह भरतपुर जिले के लिये है। माइनर ईरिगेशन के लिये 12 लाख रुपये भरतपुर जिले के लिये रखे हैं। कुल मिलाकर 232 लाख, 41 करोड़ की जो मेरे पास योजनायें है, उसमें से भरतपुर जिले के लिये है, इसमें धौलपुर को छोड़कर है। फिर आप कह रहे हैं, भरतपुर के लिये कोई पैसा नहीं रखा। मैं समझता हूं एन.आर.इ. पी. की बात चली है। बात चलने के बाद सपाटे से यह बात सब जगह फैल गई हैं। भरतपुर में कुछ भी नहीं रखा है। शायद एन.आर.इ.पी. के कामों के लिये कुछ पैसा नहीं दिया था, उसमें कुछ गलतफहमी रह गई थी लेकिन भरतपुर के लिये निश्चित तौर पर ईरिगेशन प्लान के अन्दर 232 लाख रुपये रखे गये हैं।

मैं यहां पर एक बात निवेदन करना चाहता था। इन्टर स्टेट डिस्प्यूट और दूसरे मामलों में जहां भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य और नदबई से आने वाले माननीय सदस्यों ने पानी के उपयोग के संबंध में बात-चीत की। मैं इस सदन को कान्फिडेंस में लेकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार सतर्क भी नहीं, जागरूक भी नहीं जिस फोरम के ऊपर जितनी भी कोशिश होगी, अन्तर्राज्यीय मामलों के अन्दर निश्चित तौर पर राजस्थान के हित की पहरेदारी करेंगे। इसी पहरेदारी करने के लिये जहां एक ओर क्रिटिसिज्म करना तो बहुत आसान है, जिस वक्त हमने यहां पर जो हमारे राजस्थान के चीफ इंजीनियर थे, उनको हमने एडवाइजर लिया, यह बात निर्विवाद है, इस सदन को पता होना चाहिये कि तमाम हिन्दुस्तान के इंजीनियर्स की जो एसोशियेशन है उसके श्री मनोहरलाल माथुर अध्यक्ष हैं। उस व्यक्ति को यहां पर रखने से मैं यह निश्चित तौर से मानता हूं कि इतना योग्य और कांपीटेन्ट व्यक्ति है और इसलिये अन्तर्राज्यीय मामलों के अन्दर आज वह आथोरिटी समझा जाता है। प्रासिंग योजनाओं को लिया हुआ है आज राजस्थान के इंजीनियर की बात कह रहे थे, हमने 55 साल की उम्र के ऊपर जो ज्ञानचन्दानी जब यहां माही का इंजीनियर था तो मैं केबिनेट में गया था कि इसको 6 माह की एक्सटेंशन दी जाय। केबीनेट ने उस वक्त एक्सटेंशन नहीं दी। इनका तो एक्सटेंशन नहीं है, इनको तो हमने एक कान्ट्रेक्ट के ऊपर

(श्री परसराम मदेरणा)

रखा है। वह वहां पर गये और वहां जाने के बाद में एक रिटायर्ड इंजीनियर जो राजस्थान का है, वह नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी का मेनेजिंग डायरेक्टर बनो है, जिसकी तनख्वाह चार हजार से ऊपर है। तो आज हमारे इंजीनियर और हमारा ब्रेन अगर डेप्रीशेट होता चला गया तो जिन लोगों को आज बहुत बड़ा अनुभव है, उनकी सेवाओं की हमको आवश्यकता है, इसलिये उनको यहां पर रखा गया है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कट मोशन दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, नर्दबई से आने वाले माननीय सदस्य तो गंगा और कावेरी का ग्रिड एक बनाना चाहते हैं और आ गये यहां पर छोटे छोटे बंधों पर। लेकिन कावेरी और गंगा की बात हुई। जहां तक गंगा के पानी का सवाल है, यमुना के पानी का सवाल है, हम कल ढ़ाई घन्टे तक चर्चा कर चुके हैं। मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता। लेकिन जो भी अन्तर्राज्यीय जहां हमारी हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी हम ले सकते हैं लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी एक समस्या है, आज बहुत सी स्टेट ने जो आज से 20 साल पहले जिस तरह का क्राप पैटर्न था उस क्राप पैटर्न को चेन्ज कर दिया है, जहां दो वाटरिंग की जरूरत थी उन्होंने वहां चावल बोने शुरू कर दिये हैं। अन्य राज्यों के अन्दर भी एक भावना घर कर गई है कि हमारा पानी हम दूसरे राज्य को क्यों दे। इसलिये तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी की बात सोची गई। राजस्थान में इर्रिगेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में इस सुझाव को बहुत जोरदार तरीके से रखा कि सेन्ट्रल एजेन्सी बननी चाहिये। पिछली मीटिंग नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की हुई, जिसको प्रधान मंत्री प्रिसाइड कर रही थी उस वक्त उन्होंने इस एजेन्सी के निर्माण का निर्णय लिया। उस निर्णय के अनुरूप ही आज अलग अलग बेसिन्स का सर्वे हो रहा है और नेशनल प्लान भी पानी का बन रहा है। हमारे यहां हमने भी राजस्थान का भी प्लान बनाया है। राजस्थान की नहीं भरतपुर की नदियों से जो फ्लड की बात कह रहे थे, आप ही नहीं नगर से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य भी कह रहे थे, उस संबंध में भी हमने एक प्लान बनाया है लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वह पानी की उपलब्धता की है।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं है, वह चले गये। अच्छा बैठे हैं। उन्होंने लिंक के संबंध में साधुवाली बात कही। क्योंकि गंग कैनाल बहुत पहले बनी थी, उसमें काफी सीपेज होता है और अगर 300–400 क्यूसेक के आसपास पानी उसमें राजस्थान के अन्दर पहुंचने तक समाप्त हो जाता है इसलिये वह सोचा गया है और इसलिये आज आधुनिकीकरण बजट है। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य, और अन्य माननीय सदस्यों को इसमें थोड़ा बहुत निरुत्साहित होना पड़ेगा, हमने 600 लाख में से 500 लाख रुपये केवल इस लिंक के लिये रखे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी राजस्थान नहर का निर्माण कर सकें।

जहां तक सूरतगढ़ से और उदयपुर वाटी से आने वाले माननीय सदस्य पंचायत राज्य मंत्री जी की किसी घोषणा का उल्लेख कर रहे थे, इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात भी हुई है केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से कि यमुना के पानी के बंटवारे

(256)

(श्री परसराम मदेरणा)

के संबंध में आपको मुख्य मंत्रियों की मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलानी चाहिये । नर्मदा के संबंध में तो उन्होंने 6 तारीख को मीटिंग बुलाई है और शायद अगले महीने ही वह इस संबंध में मीटिंग बुलायेंगे । हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमको यमुना का पानी केवल ओखला बैराज से नहीं मिले लेकिन ताजेवाला हैंड से भी मिले । ताजेवाला हैंड से मिलने की जब बात होगी तो उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी बात झुंझनू जिले में कही है, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं लेकिन राज्य सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि झुंझुनू और चूरू डिस्ट्रिक्ट के अन्दर यमुना का पानी मिले उस और हमारा प्रयास रहेगा यहां पर कई बातें ...

श्री चतुर्भुज: बीसलपुर के संबंध में...

श्री परसराम मदेरणा : बीसलपुर का सर्वे और इन्वेस्टीगेशन के एस्टीमेट बनने के बाद में हमने केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति के लिये भेजा है । स्वीकृति मिलने के बाद में एक शर्त है धन की उपलब्धता । बाकी सरकार की तरफ से कोई संकोच नहीं है । माननीय सदस्य, चूंकि आपके साथ में बीसलपुर का नाम जुड़ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी जब आप खड़े हुए तब तक आप बीसलपुर के बारे में बोलना चाहते हैं । आपकी व्यथा, चिन्ता और उद्विग्नता को मैं स्वयं महसूस करता हूं । बीसलपुर सेन्ट्रल वाटर कमीशन के यहां से आने के बाद निश्चित् तौर पर आगे के कदम उठायें जायेंगे । मैं यहां पर अन्त में यही निवेदन करूंगा कि यह हमारा प्रयास रहेगा

हमारा विभाग बहुत ही क्षमता और कांपीटेन्स के साथ में काम करेगा ।

श्री चतुर्भुज : पेयजल का संकट हमारे यहां है।

एक माननीय सदस्य : जयपुर जिले का क्या किया ?

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर राजस्थान की राजधानी है । जयपुर के अन्दर राजस्थान की विधान सभा है जो सोवरिन बोडी है । यह हिन्दुस्तान का बहुत ही खूबसूरत बसा हुआ शहर है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : जयपुर का नमक खाते हो । थोड़ा सा तो बजाओ जयपुर के नमक पानी का ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहती हूं । अगर जयपुर की बात छेड़ी है तो बहुचर्चित बनास योजना कब तक ले आयेंगे ? इस जिले की कोई सिंचाई योजना नहीं है, कोई पेयजल की योजना नहीं है । लोग अपने अपने कुओं से पानी भरते हैं । बरसात में बह कर चला जाता है पानी । कुओं में पानी नहीं होता पीने का पानी गांव में नहीं है । तो क्या बनास योजना लाने की कोई योजना है।

श्री अध्यक्ष : वह पेयजल के संबंध में है।

श्री परसराम मदेरणा : बीसलपुर योजना बनास की ही योजना है।

श्री पोरूराम : मंत्री महोदय, ने ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खुद मौका देखकर आये, घग्घर के काश्तकारों के बारे में क्या बेनिफिट देना चाहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : कटमोशन तो दिया है सिद्धमुख का और बात कह दी । घग्घर की हमतो कटमोशन के संबंध में तैयार होकर आते हैं ...

श्री चतुर्भुज : वर्तमान समस्या पेयजल की है।

श्री परसराम मदेरणा : आप बैठिये, बीच में कैसे बोल रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि घग्घर के संबंध में इतना ही निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, यह बात सही है कि 10 हजार और 600-700 एकड़ में वहां पर खड़ी फसल घग्घर डाइवर्शन चैनल में ब्रीच होने की वजह से, उसके एस्केप से पानी नाली में छोड़ने की वजह से और दूसरे मसानी और शेरेखां का ब्रीच होने की वजह से हुई है। उसमें से 2 हजार एकड़ जमीन, जिसमें पानी गया है, 1900 एकड़ के आसपास उसमें तो बिलकुल फसल नष्ट हुई है।

करीब 700-800 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें 25 पर्सेन्ट से लगाकर के 75 पर्सेन्ट नष्ट हुई है। बाकी 8 हजार एकड़ में चने और सरसों की फसल नष्ट हुई है। पूरी की पूरी नष्ट हुई है। इस संबंध में राज्य सरकार फ्लड से हो चाहे रोली लगने से हो, इस प्रकार से जो कोई भी नेचरल केलेमिटी से फसल नष्ट हो जाती है तो कम्पेनसेशन देने का कोई प्रावधान नहीं है हां-हां वह अपने आप तो नहीं हुआ लेकिन नेचुरल जो चल रही थी उसका डाइवर्शन किया था ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नेचुरली नहीं हुआ। इसको आप संशोधन कीजिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इस संबंध में···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाधा न पहुंचायें माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह चला कर किया गया है।

एक माननीय सदस्य: हरियाणा में प्राविजन है। यह स्टेट कोई विलायत तो नहीं गई है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ··

श्री पीरूराम : नहर के कारण जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में तो काश्तकारों को मुआवजा मिलना ही चाहिये। जितना राज्य सरकार चाहे उस हिसाब से दे देवें। पर मुआवजा तो मिलना ही चाहियें।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था···

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत जरूरी बात विभाग की गलती से हुआ। मालूम था।·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या। यह सब बातें आ चुकी हैं डिबेट में। समय काफी हो गया कृपया सब बात धैर्य से सुनें।..

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रीच में किस की नेग्लीजेन्स रही, जैसा कि मैंने सदन में निवेदन किया था। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के किसी इंजीनियर से जांच नहीं कराना चाहता। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमारे यहां पर पहले चीफ इंजीनियर मोतीराम जी थे, वे हिन्दुस्तान के माने हुए चीफ इन्जीनियर रहे हैं और हिन्दुस्तान के दो-तीन टैक्निकल एक्सपर्टस में उनकी गिनती है।

(2 5 0)

(श्री परसराम मदेरणा)

राज्य सरकार ने उनको जांच के लिये मुकर्रर किया है दो-तीन दिन के अन्दर वे इसकी जांच करेंगे।

जहां तक कम्पेनसेशन का प्रश्न है, इस संबंध में भी कुछ न कुछ कम्पेनसेशन देने की बात राज्य सरकार के विचाराधीन है। और नहीं होते हुए भी क्योंकि पहले दो फसलें और भी नष्ट हो चुकी हैं और उनमें थोड़ा बहुत कम्पेनसेशन उन लोगों को दिया जाना चाहिये, इस संबंध में, मैं समझता हूं कि हमारे पास जो खराबे की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अगले 5-7 दिन में निर्णय लेने के बाद में माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

इसी उत्तर के साथ अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि मांग को पारित कराया जाये। ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। बैठ जायें।

सब से पहले मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं इस अधिकार का उपयोग कर रहा हूं। आगे प्रश्न ज्यादा पूछे भी नहीं जायेंगे।

यह बात तो निर्विवाद है कि भारत के पास संसार का सबसे श्रेष्ठ सिंचाई का सिस्टम है और हमारे इंजीनियर बांध और नहर निर्माण के अन्दर बहुत ही ऊंचा स्थान रखते हैं दुनिया भर में। लेकिन उनकी जो ज्यादातर विधि और पढ़ाई है वह बारह मास बहने वाली नदियों के ऊपर ही आधारित है। इसलिये जहां तक बांध बनाने का सवाल है भाखरा और उससे भी बड़ा बांध बना सकते हैं। राजस्थान नहर जैसी बड़ी नहर भी बना सकते हैं लेकिन यह महकमा खाली नहर और बांध का महकमा नहीं है, सिंचाई का महकमा है। आखिरकार पानी तो वर्षा का आता है, वर्षा के जल को किस तरह से उपयोग में लिया जाये जिससे किसान की फसल अच्छी हो सके। जहां पर स्थायी स्रोत हैं पानी के, उत्तरी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान नहर से आ रहा है, भाखरा से आया है, कहीं नर्बदा से भी आयेगा, चम्बल से भी, मीडियम, मझोले दर्जे के जो अपने बांध हैं उनसे भी सिंचाई होती है। लेकिन आधे से अधिक राजस्थान का हिस्सा ऐसा है जो कम पानी में है लेकिन फिर भी वहां पर नदियां हैं। कभी वे साल में तीन दिन चलती हैं, कभी तीन साल में एक दिन चलती है, कभी बड़ी भारी वर्षा आ जाती है। आमतौर से इसके बारे में जहां तक मैं समझ पाया हूं इस क्षेत्र को सिंचित किस विधि से किया जाये क्योंकि खाली बांध निर्मित करने से सिंचाई हो नहीं सकती। अगर बांध निर्मित करने से होती तो आप तो जानते हैं कि पाली जिले में पिछले वर्षों में छोटे मोटे कई बांध बने हैं लेकिन उनसे कितनी सिंचाई हुई ? आम तौर से होता यह है कि पानी जुलाई में भर जाता है, फैलाव अधिक होता है। कोई घाटी में तो बांध बनता नहीं है। और बारह मास बहने वाली कोई नदी नहीं है। तीन महीने पड़े रहने के बाद में जितना पानी सोखने के बाद बच गया उससे कभी एकपाणा मिलती है कभी डेढ़ पिलाई इससे होती है। उससे फसल पूरी हो नहीं सकती। सैकड़ों साल से उनके नीचे जो कुएं और विकसित जमीन है, वह कहीं खारे हो जाते कुए, कहीं पानी सूख जाता है, कहीं जिमे पानी से आगे बारानी रबी होती थी वह रबी खतम हो जाती है। इसके साथ ही जुड़वां प्रश्न, ग्राउण्ड वाटर है, आप से उसका संबंध नहीं है, लेकिन आखिर जल पर आधारित है, चाहे कुएं हों, चाहे ट्यूब

(श्री अध्यक्ष)

वैल्स हों, जिसका इस विभाग से संबंध नहीं है। तो अब राजस्थान के बारे में समस्या यह है कि खाली बांध निर्माण के तरीकों से और नहर निर्माण के तरीकों से जल का कृषि के अन्दर अपन पूरा उपयोग नहीं कर सकते और पूरा फायदा नहीं ले सकते। फायदे के बजाय कई जगह नुकसान की सूरत बन जाती है।

मैं जानता हूं कि इंजीनियर स्ट्रक्चर और नहर निर्माण और सिचाई का, जहां स्थायी पानी आता हो, सिस्टम को बनाने के अन्दर तो ठीक है लेकिन पानी का मेनेजमेन्ट को, वर्षा के पानी का, जब कभी तो लूणी सिस्टम के अन्दर दस लाख क्यूसेक का डिसचार्ज हो जाय, इसको यदि किसी तरह से रोका जा सके, इधर-उधर फैलाया जा सके, कुछ किया जा सके, तो जमीन के अन्दर पानी बढ़ जायेगा। तो यह जो प्रश्न है, आधे राजस्थान का, इसके लिये, मैं समझता हूं, इतने वर्षो से मैं भी यहां हूं, न तो राज्य सरकार की नीति बनी हुई है न इंजीनियरों की इस संबंध में कोई ट्रेनिंग है। बांध का हुक्म दिया तो नाप ले लिया, तोल ले लिया, जगह बता दी, कोस्ट वाला पहले तो यह कि सिंचाई से रिटर्न कितने होंगे वह एन्टीक्वेटेड पुराना सिस्टम हो गया तो उसको भी रिलेक्स कर देते हैं। बांध बन कर तैयार हो गया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और कुपरिणाम कई निकल जाते हैं। आप इन सब परिस्थितियों से परिचित हैं। तो इस संबंध में क्या आप कुछ कष्ट करेंगे कि जो आधा राजस्थान, जैसे रूपारेल नदी है, इसका शायद रूपा नाम चांदी रेल, ऐसी रेल, ऐसी नदी जिसके साथ चांदी आवे, इसलिये इसका नाम शायद बना होगा। इससे अपन जानते हैं, सीधी सिंचाई नहीं होती। लेकिन इसके साथ उपजाऊ मिट्टी आती है, नमी इससे बनती है, खाद का वह काम देती है हालांकि कोई सिंचाई का काम उसके अन्दर नहीं है तो इस तरह की जो समस्या है, क्योंकि स्थायी जल स्रोतों को बांधकर, अच्छी नहरों के द्वारा पानी देना है, वह एक तरह की समस्या है लेकिन चूंकि अपना बांध और नहरों का विभाग नहीं, सिंचाई का विभाग है इसलिये मेरी समझ में इंजीनियरों की भी कुछ ट्रेनिंग के अन्दर, उनके पाठ्यक्रम के अन्दर, उनको प्रशिक्षित करें, विभाग के सीनियर अधिकारी उनको मार्गदर्शन दें कि भई, यह नाला, यदि नदी बांध दी तो नीचे इसके क्या परिणाम होंगे, इस तरह का इसका सर्वेक्षण हो। तो मैं यह एक प्रश्न पूछना चाहता था। इस संबंध में यदि आप तत्काल कुछ कह सकें तो कहें नहीं तो बस मैंने सुझाव दे दिया।..

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपने आब्जर्वेशन किये हैं उनका संबंध वास्तविकता से है। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं जिस वक्त 25-26 के अकाल में गिरोलिया और अन्य प्रकार के बांध बने, वे खाली रहते और वह सूख गये। उस वक्त मैंने एक कमीशन बिठाया था, मोतीराम कमीशन।... मोतीराम कमीशन की रिकमन्डेशन को स्वीकार करना तो दूर रहा है लेकिन एक रिपगनेंसी, है इरिगेशन डिपार्टमेन्ट को यह रिलिफ मिनिस्टर से कैसे यह कमीशन बमिशन बैठा दिया ..

(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : यह स्ट्रक्चर साउन्ड कैसे हो, नहर कैसे हो, ढाल कैसे हो उस तक ही समिति है आगे इन्होंने ...

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जब मैं पानी के उपयोग की बात कह रहा था, मैं चाहता हूं कि क्वालिटी कन्ट्रोल डिजाइन, कुछ रिसर्च, रिसर्च के अन्दर भी हमने इस वक्त कुछ इनके ग्रेड्स भी और तरह के रखे हैं, ताकि वैसे लोग जो दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं जो काफी इन्साइट रखने वाले हैं, अटेक किया जा सके उस ओर और इस राजस्थान के अन्दर, जहां तक मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जितनी भी हमारी यहां जो नदियां हैं जिसकी ट्रिब्यूटरी से लेकर कुल संख्या, जहां तक मैं जान पाया हूं, होगी करीबन 60-65 के आसपास। इन 65 ट्रिब्यूटरी और नदियों के अन्दर जो हमने कुछ बांध बना रखें हैं, कुछ की हम योजना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कि कहीं हम बांध बनाकर। जो क्षेत्र आज इनन्डेशन से या कुएं से सिंचित होता है, कहीं उस पर दूसरी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इस संबंध में आपके ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ऑब्जर्वेशन आज एक साल का नहीं, मैं समझता हूं, आपका यह ऑब्जर्वेशन पिछले 30 साल में जो कुछ भी आज हो रहा है और उसका जिस जगह प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं, इस संबंध में है, तो मैं चाहूंगा कि सदन के सत्रावसान के बाद एक मैं सेमिनार करूं उस सेमिनार में इंजीनियर, इंजीनियर्स साथ ही साथ इस सदन के माननीय सदस्य, लोक सभा के सदस्य और इनके साथ में किसानों के भी कुछ प्रतिनिधि प्रधान और प्रमुखों के साथ बैठकर हम इस चीज का गहराई और गहन अध्ययन करें और करने के बाद जो कुछ भी हमारी आगे की योजना बनायें उसमें इस बात का समावेश हो कि आज जो कुछ भी नेचरल पानी के फ्लो से जो क्षेत्र हैं वह क्षेत्र रह करके और पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके ज्यादा क्षेत्र को कैसे सिंचित करें, किस तरह से हम ज्यादा कृषि का उत्पादन बढ़ा सकें, इस संबंध में, मैं इस समय आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूं।

जहां तक इंजीनियर्स का प्रश्न है उनकी एक शिक्षा है, उनका एक प्रशिक्षण है वह काम कर रहे हैं जिस मामले में लेकर के तो कई दफा रहने के बाद में एक स्टीरियो टाइप थिंकिंग कई लोगों का हो जाता है और स्टीरियो टाइप थिंकिंग के अन्दर यह सेमिनार वर्कशाप और दूसरे लोग, या अन्य लोग जो बैठे हैं खेतों में, जिनका व्यावहारिक अनुभव और ज्ञान है उन सबकी राय जानने के बाद में इसमें निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कुछ बदलाव भी आयेगा और बदलाव के साथ साथ आगे जो योजना बनेगी वह योजना किसी दूसरे क्षेत्र या किसी दूसरे एरिया की कीमत के ऊपर नहीं बने लेकिन वह जो पानी एक्सेस है, सरप्लस है उसी पानी का स्टोरेज हो, उसी का संग्रह हो, उसी का संचय हो, दूसरे पानी का नहीं होना चाहिए। इस पर आपने जो ऑब्जर्वेशन दिये उसके साथ मैं सहमति प्रकट करते हुए इस प्रकार के एक वर्क शॉप के आयोजन का मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, रामनिवास जी मिर्धा, से मैं गये महीने में मिला था और यह निवेदन किया था कि जयपुर जिले के अन्दर छोटे एनीकट और बांध के जरिये कुओं में पानी के गिरते स्तर को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये आप हमारी इसमें मदद कीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे यह

(श्री भैरुंलाल भारद्वाज)

कहा है कि अगर राजस्थान सरकार जिले की कोई इस प्रकार की योजना बन कर देगी तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उस के लिए पैसे की कमी मैं केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं आने दूंगा। तो, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करता हूं, पैसे तो देने की बात न सही, पर क्या कोई इस प्रकार जिले के छोटे छोटे बांध और एनीकट की योजना बनाने के लिए किसी सर्वे पार्टी को लगायेंगे ?....

श्री अध्यक्ष : हां, एक साथ ही पूछलें उसके बाद संक्षेप में एक एक प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कल भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, ने जो भूतपूर्व सिंचाई मंत्री थे उनको क्या पत्र लिखा दिया, जिसमें यह लिख दिया कि उनको ताजेवाला हैड से और जो है सतलज, यमुना लिंक से वह पानी दे देंगे, जबकि उसमें केपेसिटी भी नहीं है, जो मैंने कल कहा तो इस संबंध में उनको क्या बात कही है। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी ने वह तो वे जानें। उनसे यह दरियाफ्त करूंगा कि वास्तव में फण्ड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि राजनीति में, अध्यक्ष महोदय, जितना अनुभव उनको है और सरकारी कामकाज में धन उपलब्ध कराने का अनुभव जितना उनको है उतना मुझे है। इसलिए यह टोटल प्लान की स्थिति है उस आउटलेट के ऊपर केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी ने जो माननीय सदस्य, जो जमवारामगढ़ से आये, को कह दिया कि बहुत कुछ धन दे सकेंगे, मुझे उसमें शंका है। तो भी, उनको चूंकि बहुत बड़ा आश्वासन उन्होंने दिया है, उस वर्कशॉप में भी मैं उनको बुला रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है कि उनका सोचने का जो तरीका है छोटी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण करने का, वह आपके अनुसार ही उनका है, आपका और और उनका आईडेन्टिकल थिंकिंग है, ऐसा मेरा मत है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय ने यह तो घोषणा की है कि अबकी बार सिंचाई की पूरी व्यवस्था करेंगे, जो नियम का पालन नहीं करेगा उस अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे। लेकिन इस साल इटावा ब्रान्च कैनाल वहां के सहायक अभियन्ता की लापरवाही की वजह से टूट गई

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे के लिए कहें। वर्ष 1983-84 के बजट के लिए..

श्री हीरालाल आर्य : इस साल वह टूट गई और किसानों की फसलें पूरी तहसील में बरबाद हो गई और किसानों का नुकसान हुआ। क्या उसकी जांच कराके उस सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? जिन किसानों के खेतों में सिंचाई नहीं हुई ....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। अन्य तरीकों से उठावें। काफी चर्चा होगई। ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : सिंचाई नहीं करने की क्या व्यवस्था फरमायेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, कृपया बैठ जायं जांच के तो आदेश फरमा दें। आसन पैरों पर है। मांग पर मतदान।

(262)

एक माननीय सदस्य : यह विधान सभा रात के दो-दो बजे तक चली है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है सभी कोई अभाव अभियोग का यहां पर निराकरण हो जायेगा, ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य । चर्चा हुई, माननीय मंत्री महोदय ने आप माननीय सदस्यों, के सुझाव सब सुन लिये । अब सात घन्टे, 6 घन्टे बहस चली है तो 8 घन्टे वापस मंत्री जी जवाब दें । तब कोई सन्तुष्टि हो तो इसके लिए क्षमा करें । अब यहां बहुत समय हो गया है।

(व्यवधान)

नहीं अब कोई लाभ नहीं है इससे । आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जायं। आर्डरआर्डर।

एक माननीय सदस्य : एक तो वक्तव्य भी देने वाले थे, माननीय मंत्री महोदय । वह वक्तव्य नहीं दिया है तो उसका जवाब तो दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य, यह जरूरी नहीं...

एक माननीय सदस्य : राजस्थान नहर मंत्री नरेन्द्र सिंह भाटी की राजस्थान नहर की योजना का क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज वो राजस्थान नहर मंत्री से पूछते आप । ऑर्डर प्लीज । अलग है । आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य, : अध्यक्ष महोदय, बहुत अहम् सवाल है । एक मंत्री ने अपना डेढ़ साल का समय जो है ना, इस योजना में लगा दिया। अब उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न नहीं है मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य उस योजना की क्रियान्विति के लिए बहुत ही चिन्तित थे । भारत सरकार ने एक टैक्नीकल कमेटी बैठा रखी है उसकी राय आने के बाद में ही उस योजना की क्या उपादेयता है, और क्या उपयोगिता है इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा। अभी टैक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मंत्री महोदय मेरा भी तो प्रश्न का उत्तर फरमायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इसका कोई अन्त नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मंत्री महोदय, मेरे भी सप्लीमेंट्री का जवाब फरमायें ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, बैठ जायं, माननीय सदस्य । आर्डर माननीय सदस्य, कृपया

मांग संख्या 46, का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46, सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्य पाल महोदय को 1,96,90,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

मांग स्वीकार की गई ।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.29 बजे शुक्रवार दिनांक 18 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 568 का विवरण

परिशिष्ट "क"

राज्य सरकार की ओर से विकलांगों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण

1. **छात्रवृत्तियां**

विकलांग बच्चों का जो कक्षा 1 से विश्वविद्यालय स्तर तक का अध्ययन करते हैं उनकी कक्षा के अनुसार दर से छात्रवृतियां दी जाती है। इन छात्रवृतियों की दरें उन विद्यार्थियों के लिये जो छात्रावास में रहकर अध्ययन करते हैं अधिक है।

2. जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं माउन्ट आबू में नेत्रहीन छात्रों के लिये विद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं तथा मूक बधिर बालकों के लिये जयपुर, कोटा, व अजमेर में भी विशेष विद्यालय चलाये जा रहे हैं।

3. **सहायक उपकरणों के लिये सहायता**

विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों हेतु सहायता दी जाती है एवं अजमेर, उदयपुर में विकलांग पुर्नवास केन्द्र चलाये जा रहे हैं। उपकरणों में तीन पहिये की साइकिल श्रवण, यंत्र, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिये टेपरेकार्डर व अन्य सहायक उपकरण दिये जाते हैं।

4. विकलांगों को उनके पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण व सहायत देने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।

5. राज्य सेवा के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ग में 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिय आरक्षित रखे गये हैं व राजकीय उपक्रमों में राजस्थान टैनेरीज में तो आरक्षण कर दिया गया है व गंगानगर शुगर मिल में किया जा रहा है। तथा निम्न ओर छूटें भी दी गई हैं:-

(क) नेत्रहीन एवं मूक बधिरों के लिये 10 वर्ष व शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट (राजकीय नौकरियों में नियुक्ति हेतु)

(ख) परीक्षा अंकों में, जहां निर्धारित प्रतिशत आवश्यक हो, वहां विकलांगों को 5 प्रतिशत अंक की छूट दी गई है। (नियुक्ति हेतु)

(ग) जिन पदों के लिये न्यूनतम प्रशिक्षण/दक्षता/अनुभव आवश्यक हो वहां नियुक्ति हेतु विकलांगों को इन आवश्यकताओं में छूट दी गई है।

(घ) विकलांगों को नियोजन हेतु साक्षरता आदि परीक्षा पर बुलाये जाने पर द्वितीय श्रेणी का रेल किराया दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ड) श्रेष्ठ विकलांग कर्मचारियों एवं नियोजकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

6 : **पेन्शन**

निराश्रित विकलांगों को जो 8 वर्ष अथवा अधिक के हो तथा किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो 40 रुपये प्रतिमाह पेन्शन दी जाती है।

(264)

7. विकलांग व्यक्ति "ट्राइसैम" योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ।

8. स्व-नियोजन हेतु बैंकों से ऋण एवं राज्य सरकार से अनुदान दिया जाने का प्रावधान है यह अनुदान अथवा 3,000 रुपये जो भी कम हो दिया जा सकता है ।

9. प्रथम व द्वितीय श्रेणी में स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने वाले विकलांग व्यक्तियों को 2 वर्ष तक क्रमशः 150 व 250 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

10. नेत्रहीन छात्रों को "ब्रेल" में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की दृष्टि से बीकानेर में ब्रेल डुप्लीकेटर की स्थापना की गई है।

11. नेत्रहीन व्यक्तियों को सुविधा के लिये ब्रेल कागज व ब्रेल घड़ियों को बिक्री कर से मुक्त रखा गया है।

12. नेत्रहीन राज्य कर्मचारियों को बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

13. राजस्थान रोडवेज की बसों में नेत्रहीनों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

14. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकलांगों के लिए डेढ़ प्रतिशत सुरक्षित रखने का प्रावधान है।

15. विकलांग राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम 50 रु० माहवार वाहन भत्ता दिया जाता है।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 569 का विवरण

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम, 1983 के अनुसार राजस्थान न्यायिक सेवा एवं राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान निम्न प्रकार रखे गये हैं।

1. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट वेतनमान।	1000–30-1300-40-1500-50 1800–60–1860.
2. अतिरिक्त सिविल जज (जज स्माल काज कोर्ट सहित)।	1210–30–1300–40–1500–50–1800–60–2040.
3. सिविल जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।	1600–50–1800–60–2100–75–2325.
4. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1700–50–1800–60–2100–75 2400–100–2600.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (साधारण वेतनमान)	
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वरिष्ठ वेतनमान)	2800 फिक्स।

जिन राजस्थान न्यायिक सेवा एवं राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के पदों पर लगाया जाता है उन्हें विशेष वेतन दिया जाता हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पृथक रक्षित आवासीय सुविधा दी हुई है। इसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये भी पृथक रक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध की गई है। कुछ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश मुख्यालय के अलावा स्थान पर पदस्थापित हैं उनके लिये भी पृथक रक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई हुई है तथा शेष स्थानों पर प्रायटी के तौर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को न्यायालय एवं घरों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। जिला मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर पदस्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई हुई है।

जिला पूल से कार की सुविधा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को राज्य कार्य हेतु अन्य स्थानों पर दौरे करने के लिये उपलब्ध कराई हुई है।

266

परिशिष्ट "ख"

बेरी आयोग ने राजस्थान न्यायिक सेवा एवं उच्च न्यायिक अधिकारियों के लिये निम्न-लिखित वेतनमान प्रस्तावित किये हैं:—

1. मुंसिफ (साधारण वेतनमान)	1000–30–1300–40–1500–50–1700.
2. मुंसिफ (वरिष्ठ वेतनमान)	1380–40–1500–50–1800–60-2100.
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	1380–40–1500–50–1800–60 2100.
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	1650–50–1800–60–2100–75-2250.
5 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1800–60–2100–75–2400–100-2500.
6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वरिष्ठ वेतनमान)	2500–100–2700–125–2950.

———

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 576 की सूची

Statement showing the total number of Pending Cases (Civil, Criminal and Writ) of Udaipur Division in the High Court of Rajasthan as on 1.1.1983.

(i) CIVIL CASES :		
Civil First Appeal	243	
Civil Second Appeal	428	
Civil Revision	139	
Civil Misc. Appeal	152	
Civil Special Appeal	21	
Election Petition	2	
Company Petition	1	
Civil Reference	74	
Civil Review	11	
Civil Misc. Cases	56	
Total	1117	1117
(ii) CRIMINAL CASES :		
Criminal Appeal	769	
Criminal Revision	294	
Criminal Bail	8	
Criminal Misc. Cases	27	
Criminal L. to A.	6	
Total	1104	1104
(iii) CIVIL WRIT :		
Civil Writ Petition	498	
Civil Special Appeal (Writ)	149	
Total	647	647
Grand total of (i) (ii) (iii)		2868

260

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 415 की रिपोर्ट

सहायक आयुक्त देवस्थान (मुख्यावास) विभाग उदयपुर द्वारा मन्दिर श्री गंगाजी हरिद्वार का निरीक्षण प्रतिवेदन

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग (मुख्यावास) द्वारा भी उक्त सम्पदा व स्थानीय कार्यालय का निरीक्षण दिनांक 20-6-82 तक किया गया। सहायक आयुक्त मुख्यावास ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया कि मन्दिर के वर्तमान प्रबन्धक व पुजारी का वहां रखना मन्दिर की व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रबन्धक के स्थानीय कार्यालय का पृथक से निरीक्षण कर निम्न प्रस्ताव प्रेषित किये :–

1. धर्मशाला एवं मन्दिर के कमरों को भविष्य में किसी व्यक्ति विशेष को किराये पर नहीं दिया जावे।

2. मन्दिर व धर्मशाला के कमरों के कमरे नम्बर अंकित किये जावें।

3. यात्री पंजिका नियमानुसार निर्धारित की जावे।

4. धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रियों की दरें निश्चित् की जावे।

5. मन्दिर के शौचालयों की मरम्मत करवाई जावे।

6. मन्दिर व धर्मशाला में एक शिकायत पुस्तिका रखी जावे।

7. मन्दिर व धर्मशाला की रिक्त भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिये स्थानीय अखबार में यह सूचना प्रकाशित करवाई जावे कि यह सम्पदा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की है।

8. धर्मशाला के आंगन व स्नानघर में पुजारी द्वारा गाय बांध रखी है, जिससे गंदगी होती है, अतः उसे तुरन्त हटाया जावे।

9. प्रबन्धक कार्यालय मन्दिर के दरवाजे पर लगवाया जावे।

10. मन्दिर व धर्मशाला के जो भवन व दुकानें किराये पर दी हुई हैं, उनके किरायेदारों को अलग से बिजली का कनेक्शन लेने को कहा जावे व किराया वसूली करते समय बिजली का व्यय जो किरायेदारों से वसूली काबिल हो प्राप्त किया जावे। मन्दिर की बिजली का कनेक्शन पृथक से रखा जावे।

इसके अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा अपने स्तर पर एक वर्ष की अवधि के लिये एक दुकान 10,000 रुपये की राशि प्राप्त कर किराये पर दे दी। इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त (मुख्यावास) द्वारा मामले की पूर्ण जांच की गई। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रबन्धक द्वारा कई अनियमितताएं करने के मामले भी सामने आये।

लेखाधिकारी देवस्थान, मुख्यालय विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा मन्दिर श्री गंगाजी हरिद्वार का निरीक्षण प्रतिवेदन

राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिर श्री गंगा जी (हरिद्वार) का निरीक्षण लेखाधिकारी द्वारा दिनांक 20-11-80 से 24-11-80 तक किया गया था। लेखाधिकारी ने अपने

निरीक्षण प्रतिवेदन में बताया कि उन्हें वक्त निरीक्षण मौके पर मन्दिर के प्रबन्धक वहां नहीं मिले। इस मन्दिर की धर्मशाला में आने वाले यात्रियों के ठहरने का इन्द्राज पंजिका में समय पर नहीं होने, धर्मशाला में लगे हुए पम्प को ठीक कराने तथा कुछ किरायेदारों का किराया वसूल नहीं होने व सम्पदा पर अनाधिकृत कब्जा होने सम्बन्धी स्थानीय शिकायतें लेखाधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित की गई। इस मन्दिर के 4 आभूषण सोने के और 12 आभूषण चांदी के श्रवणनाथ मठ के महन्त श्री रूपगिरी जी के पास बताये गये। अतः वह आभूषण भी उदयपुर मंगवाये जाकर डबललोक में रखने के सुझाव प्रस्तुत किये गये। वहां के प्रबन्धक को मन्दिर की आय बढ़ाने के प्रयत्न करने के भी निर्देश लेखाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिये गये। इस मन्दिर के बहुत से आभूषण भूतपूर्व सहायक आयुक्त, जोधपुर द्वारा भी ले जाना बताया गया। अतः इस सम्बन्ध में भी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया कि वे आभूषण कहां जमा करवाये गये हैं।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

11 एस.ए.डी. बुगिया खण्ड विजयनगर, श्री गंगानगर में खाले का निर्माण

580. **श्री शिवसिंह रावत** (बाडी) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 11 एस. ए.डी. बुगिया खण्ड विजयनगर श्री गंगानगर का खाला स्वयं प्राईवेट पार्टी के खर्चे से बनाकर तैयार किया गया था ? यदि हां, तो कब, कितने खर्चे से तथा किस पार्टी के द्वारा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी खाले का कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिया और कच्ची मिट्टी का कार्य तथा इसे पक्का करने का कार्य करवाया ? यदि हां, तो कब से कब तक व कितनी लागत से ?

(3) क्या इस खाले को सरकार द्वारा निर्माण करने की कार्यवाही वास्तविक नहीं है और केवल गलत तरीके से भुगतान उठाया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। इस चक में पक्के खाले का निर्माण कार्य इस विभाग द्वारा दिनांक 20-8-81 को प्रारम्भ किया गया है तथा यह कार्य प्रगति पर है। इस चक के पक्के खाले के निर्माण की अनुमानित लागत भूमि विकास निगम द्वारा स्वीकृति के अनुसार 4,13, 920 रु० है।

(3) जी नहीं।

उच्च न्यायालय के विचाराधीन मामलों का निपटारा

581. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): -क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को नवम्बर, 1982 में उच्च न्यायालय में भारी संख्या में विचाराधीन पड़े मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिये कोई प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह भी बताने का कष्ट करें कि प्रस्ताव पर अमल कहां तक कर लिया गया है ?

(2) राज्य में उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में 31-12-82 को कुल 37,200 मामले लम्बित थे।

लाजपतनगर (अजमेर) में छात्रावास का निर्माण

582. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर वार्ड 26 "लाजपत नगर" रामगंज बस्ती की घनी आबादी में छात्रावास के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इससे वहां किसी प्रकार के तनाव की स्थिति होने की संभावना है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त छात्रावास के निर्माण में विशेष जाति का हाथ है? यदि हां, तो क्या सरकार का भविष्य में होने वाले तनाव को प्रारम्भ में रोकने का इरादा है? यदि हां, तो निर्माण को कब तक रोका जायेगा?

उत्तर

(1) जन-सहयोग से किसान छात्रावास के नाम से छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है जिसका संबंध शिक्षा विभाग से नहीं है। तनाव की स्थिति की शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं।

(2) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

माडा योजना पर व्यय

583. **श्री समर्थ लाल (राजगढ़)**: क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माडा योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कितना धन अब तक खर्च किया गया? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन कारणों की वजह से माडा योजना की मंजूरशुदा राशि खर्च नहीं हो पायी?

(3) माडा योजना के मिनी ब्लोक्स में कितना-कितना धन खर्च किया गया? कृपया ब्लाक वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा योजना के अन्तर्गत कुल 467.22 लाख रुपये धनराशि जनवरी, 83 तक व्यय की गई। जिलेवार सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) माडा योजना संबंधित कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से करवाया जाता है। अभिकरणों द्वारा कार्य संबंधित विभागों एवं पंचायत समितियों से सम्पादित करवाया जाता है। इन विभागों के पास सीमेन्ट, हैण्ड पम्प हेतु रिग्स आदि समय पर उपलब्ध न होने के कारण कार्य में विलम्ब हो जाता है, फिर भी कार्य पूर्ण करवाये जाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) माडा योजना के 36 मिनी ब्लाकों में कुल 467.22 लाख रुपयें माह जनवरी, 1983 तक व्यय किये गये, ब्लाक वाईज सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची "क"

माडा कार्यक्रम
जिलेवार व्यय की सूची
(राशि लाख रु० में)

क्रम सं०	नाम जिला	व्यय (जनवरी, 83 तक)
1.	अलवर	52.10
2.	धौलपुर	12.42
3.	भीलवाड़ा	35.54
4.	बूंदी	16.58
5.	झालावाड़	13.37
6.	जयपुर	123.23
7.	चितौड़गढ़	21.32
8.	कोटा	24.18
9.	पाली	12.11
10.	स०माधोपुर	91.58
11.	सिरोही	11.06
12.	टौंक	23.75
13.	उदयपुर	29.98
	योग:-	467.22

सूची "ख"

माडा योजना के लघु-खण्डों में हुए व्यय का विवरण :—

क्रम सं. नाम जिला	लघु खण्ड का नाम	व्यय (राशि लाख रु0)
1. अलवर	1. राजगढ़	36.51
	2. थानागाजी	14.94
	अन्य व्यय	0.65
2. धौलपुर	3. बसेडी-वाड़ी	12.42
3. भीलवाड़ा	4. जहाजपुर-मांडलगढ़	35.54
4. बूंदी	5. बूंदी.	4.68
	6. बूंदी-केशोरायपाटन	1.37
	7. हिण्डोली	6.93
	8. केशोरायपाटन	0.99
	6. नैनवा	2.61
5. चित्तौड़गढ़	10. बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी	16.63
	11. बेंगू	4.69
6. जयपुर	12. चाकसू-लालसोट-दौसा-बसवा	50.97
	13. जमवारामगढ़-चाकसू-बस्सी-दौसा-सांगानेर	41.63
	14. सिकराय-बसवा	17.90
	अन्य व्यय	12.73
7. झालावाड़	15. अकलेरा	13.37
8. कोटा	16. छीपा बड़ोद	9.87
	17. छबड़ा	6.87
	18. पीपल्दा-मांगरोल-दीगोद	6.52
	अन्य व्यय	5.92
9. पाली	16. बाली	12.11

क्रम संख्या नाम जिला	लघु खण्ड का नाम	व्यय (राशि लाख रु.)
10. सवाई माधोपुर	20. बामनवास-गंगापुर	5.85
	21. बामनवास-नादोती	5.29
	22. गंगापुर नादोती	9.45
	23. हिण्डोन-टोडाभीम	6.28
	24. करोली	4.27
	25. करोली-सपोटरा	5.65
	26. महुम्रा	4.44
	27. मलानाचोर	4.43
	28. सवाई माधोपुर-खण्डार	11.10
	29. टोडाभीम-नादोती	5.40
	अन्य व्यय	29.42
11. सिरोही	30. पिण्डवाड़ा	11.06
12. टोंक	31. देवली	8.08
	32. निवाई	6.53
	33. उनियारा	9.14
13. उदयपुर	34. गिर्वा-नाथद्वारा-मावली	7.82
	35. गोगून्दा-कुम्भलगढ़	12.55
	36. वल्लभनगर	9.61
	योग :-	467.22

राज्य में विशेष अदालतों में लम्बित मामले

584. **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग) : **श्री अनंग कुमार** (झालरापाटन) : **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में विशेष अदालतें कहां-कहां स्थापित की गई हैं तथा उनमें गरीब तबके के लोगों के मामले कितने निपटा दिये गये और कितने मामले कितने-कितने समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में विशेष न्यायालय अलवर, कोटा एवं नागौर में स्थापित हैं। उक्त न्यायालयों में अब तक 29,966 मामलों का

(उत्तर)

निपटारा किया गया हैं । उक्त न्यायालयों में अलग 2 वर्षों के निम्न मामले विचाराधीन हैं:-

वर्ष	मामले
1966	1
1971	8
1972	11
1973	41
1974	56
1975	238
1976	269
1977	595
1978	705
1979	814
1980	1135
1981	966
1982	1439
1983	167

योग:- 6445

बीकानेर नगर के राजकीय व निजी महाविद्यालयों में शुल्क

585. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)** : क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर नगर में सरकारी एवं गैर सरकारी कितने महाविद्यालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में आयकर नहीं देने वाले स्नातक स्तर के विद्यार्थी से क्या शुल्क लिया जाता है ?

(3) क्या किसी सरकारी महाविद्यालय में स्नातक स्तर की वाणिज्य की कक्षाएं हैं ? यदि नहीं, तो सरकारी महाविद्यालय में वाणिज्य कक्षायें कब से प्रारम्भ की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या गैर सरकारी महाविद्यालय में राज्य कर्मचारियों पर आश्रित छात्रों को शुल्क में कुछ रियायत हैं ?

उत्तर

(1) बीकानेर नगर के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) बीकानेर के सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों में आयकर नहीं देने वाले स्नातक स्तर के विद्यार्थी से जो शुल्क लिया जाता है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) राजकीय महारानी सुदर्शना महिला महाविद्यालय, बीकानेर में स्नातक स्तर तक की वाणिज्य कक्षा सत्र 1980-81 से चल रही है।

(4) जी हां । यदि राजकीय कर्मचारी पर आश्रित कोई विद्यार्थी स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलने के कारण स्थानीय गैर सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे राजकीय दर से शुल्क शिक्षा विभाग द्वारा पुनर्भरण कर दिया जाता है ।

सूची

1. बीकानेर नगर में निम्नलिखित राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालय हैं :—

1. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	राजकीय महाविद्यालय	स्नातकोतर स्तर
2. एम.एस. महिला महाविद्यालय, बीकानेर	राजकीय महाविद्यालय	स्नातकोतर स्तर
3. श्री जैन पी.जी. महाविद्यालय बीकानेर।	सहायता प्राप्त महाविद्यालय	स्नातकोतर स्तर
4. बी.जे.एस.आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर	सहायता प्राप्त महाविद्यालय	स्नातकोतर स्तर
5. नेहरू शारदा पीठ बीकानेर	सहायता प्राप्त महाविद्यालय	स्नातक स्तर

2. (अ) राजकीय महाविद्यालयों में आयकर नहीं देने वाले छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रकार से शुल्क लिया जाता है :—

प्रथम वर्ष	रु. 3.50 प्रतिमाह
द्वितीय वर्ष	रु. 4.50 प्रतिमाह
तृतीय वर्ष	रु. 4.50 प्रतिमाह

2. (ब) अराजकीय महाविद्यालयों से स्नातक स्तर तथा आयकर नहीं देने वाले छात्रों से निम्न प्रकार शुल्क लिया जाता है :

क्र. सं.	नाम महाविद्यालय	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	श्री जैन पी.जी. महाविद्यालय, बीकानेर।	8.00	10.00	10.00
2	बी.जे. एस.आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर	9.00	10.00	10.00
3.	नेहरू शारदा पीठ, बीकानेर	8.00	10.00	10.00

(2—)

विशेष रोड टैक्स के कारण निजी बस मालिकों द्वारा किराये में वृद्धि

586. श्री लच्छूराम (मन्डावा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विशेष रोड टैक्स के विरोध में निजी बसों की हड़ताल के पश्चात् निजी बस मालिकों ने किराये में वृद्धि कर दी है ? यदि हां, तो इस किराये वृद्धि की स्वीकृति किन आधारों पर सरकार द्वारा दी गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

दिनांक 1-10-82 से पूर्व किराया एवं यात्री कर मिलाकर किराया वसूल किया जाता था किन्तु दिनांक 1-10-82 के बाद यात्री कर समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा किराये के साथ ही यात्री कर मिलाकर एक मुश्त वसूल करने के आदेश प्रसारित कर दिये। केवल नगरीय सेवाओं में बहुत अर्से से किराया वृद्धि न होने से कुछ किराये में वृद्धि की है। विज्ञप्ति की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी है।

विज्ञप्ति की प्रतियां

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक:– परि/एस०टी०ए०/ 82/ 27892 दिनांक 1-1082

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प० (1) गृह-7/82 दिनांक 1-10-82 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार को जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परिचलन पत्र दिनांक 25-9-82 द्वारा निर्णय लेकर राज्य में चल रही गाड़ियों से भिन्न मंजली गाड़ियों को बाबत भाड़ा नियत किया गया है तदनुसार राजस्थान में नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़ वर्गों के मार्गों पर चलने वाली मंजली गाड़ियों के लिए किराये की दरें दिनांक 1-10-82 से निम्नानुसार होंगी:–

(1) "क" वर्ग के मार्गों के लिए

	(क) सामान्य सेवा	9.97 पैसे प्रति कि०मी० प्रति यात्री	
	(ख) एक्सप्रेस मेल सेवा	10.92 पैसे	"
	(ने) सेमी डीलक्स सेवा	13.37 "	"
	(घ) डीलक्स सेवा	15.42 "	
(2)	"ख" वर्ग के मार्गों के लिए	10.10 "	"
(3)	"ग" वर्ग के मार्गों के लिए	12.42 "	"

स्पष्टीकरण संख्या 1

डीलक्स और सेमी डीलक्स गाड़ियों के वयस्क यात्रियों से 5 कि०मी० की दूरी के लिये प्रभार्य अधिकतम भाड़ा 82 पैसे होगा और बाल यात्रियों की दशा में 40 पैसा होगा।

स्पष्टीकरण संख्या 2

एक्सप्रेस सेवा से अभिप्रायः है जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार या राज्य परिवहन प्राधिकार यथास्थिति, द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञापत्र ठहरने के स्थानों के सिवाय न्यूनतम 40 किलोमीटर तक चल चुकने से पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती हो। एक्सप्रेस बसों में गद्देदार सीटें लगी हों।

स्पष्टीकरण संख्या 3

(अ) सेमी डीलक्स सेवा से अभिप्रायः द्रुतगामी सेवा से हैं जहां

(1) मुख्य पिलर सेन्टर 736.6 मि० मि० से अधिक हो।

(ii) सीटों की ऐसी व्यवस्था हो जिससे सिर के बजाय कमर को अधिक आराम मिले। तथा जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1040 मि०मी० हो।

(iii) प्रत्येक सीट के पीछे रबड़ से युक्त फोम लगा हो।

( ) प्रत्येक सीट का पिछली सीट के बीच की दूरी 7620 मि०मी० हो।

( ) सीट का डायमेंशन प्रति यात्री के बीच 406.4 मि०मी० हो

(ब) डीलक्स सेवा से अभिप्राय द्रुतगामी सेवा से है जहां पर

(1) मुख्य पिलर सेन्टर 1435.10 मि०मी० से कम न हो

(ii) सीटों की ऐसी व्यवस्था हो जिसे जैसा चाहे फिक्स अथवा एडजस्ट किया जा सके।

(iii) प्रत्येक सीट का अंतराल 914.4 मि०मी० हो

( ) 8 पंखे, 5 ट्यूब लाइट तथा कम से कम 2 हवाई रोशनदान से युक्त हों।

( ) प्रत्येक सीट की ऊंचाई कम से कम 1040 मि०मी० हो।

( ) बस की बाडी सभी प्रकार से ताप प्रतिशोधित हों।

( ) प्रत्येक सीट का डायमेंशन 456 मि०मी हो।

स्पष्टीकरण संख्या 4

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बसों के सम्बन्ध में भाड़े की गणना 5 कि०मी० के क्रम से की जायेगी। इस प्रयोजन के लिए 05 कि० मी० से ऊपर तथा 5 कि० मी० तक कोई भी दूरी छोड़ दी जायेगी।

ह०:
(मुकुटबिहारी गुप्ता)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकारी
जयपुर

क्रमांक:– परि.एस०टी०ए/82/27892 दिनांक 21-10-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जा रही है :—

1. समस्त प्रादेशिक यातायात अधिकारी व समस्त जिला यातायात अधिकारी को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के नियमानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दिनांक 1-10-82 से मोटर गाड़ी (स्टेज केरिज के किराये की दर) यात्री कर को छोड़ कर निर्धारित की है। वास्ते कार्यवाही हेतु इसकी जानकारी समस्त वाहन स्वामियों को विस्तृत प्रचार कर दी जावें।

2. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, प्रकाशनार्थ।

ह० -
(मुकुट बिहारी गुप्ता)
सचिव
राज्य परिवहन, प्राधिकरण
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक:– परि०एस०टी०ए० 82/28893 जयपुर, दिनांक 1-10-82

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम 1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 43 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प. 29 (3) गृह-7/76 दिनांक 7-8-82 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार को जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परिचलन पत्र दिनांक 25-9-82 द्वारा

निर्णय लेकर नगर परिवहन सेवा में चल रही गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों के बाबत यात्री भाड़ा नियत किया गया है। तदनुसार राजस्थान में नगर पालिका क्षेत्रों में वर्गों के मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें दिनांक 1-10-82 से निम्नानुसार होगी:–

दूरी किलोमीटर में		भाड़ा
1.	2 किलोमीटर तक	30 पैसा
2.	2 किलोमीटर से अधिक लेकिन 5 किलोमीटर तक	60 पैसा
3.	5 किलोमीटर से अधिक लेकिन 7 किलोमीटर तक	70 पैसा
4.	7 कि.मी. से अधिक लेकिन 10 कि.मी. तक	80 पैसा
5.	10 कि.मी. से अधिक लेकिन 15 कि.मी. तक	1.25 पैसा
6.	15 कि.मी. से अधिक लेकिन 20 कि.मी. तक	1.30 पैसा

ह०
(मुकुट बिहारी गुप्ता)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:– परि / एस.टी.ए./ 82/ 28893 दिनांक 1-10-82

प्रतिलिपि निम्न लिखित को भेजी जा रही है:–

1. समस्त प्रादेशिक यातायात अधिकारी व समस्त जिला यातायात अधिकारी को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के नियमानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दिनांक 1-10-82 से मोटर गाड़ी (स्टेज कैरिज के किराये की दर) यात्री कर को छोड़कर, निर्धारित की है। वास्ते कार्यवाही हेतु इसकी जानकारी समस्त वाहन स्वामियों को विस्तृत प्रचार कर दी जावे।

2. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर प्रकाशनार्थ।

ह०
(मुकुट बिहारी गुप्ता)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण
राजस्थान जयपुर

280

जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत सड़क, एनिकट व बांध

587. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा): क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 1981-82 व 1982-83 में कौन-कौनसी सड़कें प्लान में ली गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपयोजना के अन्तर्गत कितने एनीकट और कितने बड़े बांध कहां-कहां निर्माणाधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना के क्षेत्र में वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। इससे पूर्व स्वीकृत कार्य ही चालू हैं।

(2) उप योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन बांधों की सूचना निम्न प्रकार है:–

क्रम सं०	जिला	बांध
1.	बांसवाड़ा	5
2.	डूंगरपुर	1
3.	उदयपुर	7
4.	प्रतापगढ़ (चितौड़गढ़)	2
5.	आबूरोड (सिरोही)	2

वर्ष 82-83 में स्वीकृत एनीकट निर्माण मरम्मत का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम० सं०	जिला	एनीकट
1.	बांसवाड़ा	2
2.	उदयपुर	21
3.	डूंगरपुर	62
4.	चित्तोड़गढ़	3

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं (बांध) का विवरण:

क्रम सं.	नाम सिंचाई योजना	तहसील
1. उदयपुर जिला :–		
	1. केसर सागर	सलूम्बर
	2. भवंरीयो का नाका	धरियावद
	3. खोंखरीयों का नाका	धरियावद
	4. हिरनिया	सराड़ा
	5. रूपनी	कोटड़ा
	6. भागा	कोटड़ा
	7. ओगना	झाड़ोल
2. डूंगरपुर जिला :–		
	1. देवपुरा लिफ्ट	आसपुर
3. बांसवाड़ा जिला :–		
	1. मोरवानिया	घाटोल
	2. कावरिया	बांसवाड़ा
	3. बोरखाबर	बांसवाड़ा
	4. बारेठ	बागीदोरा
	5. चतरा खूंटा	कुशलगढ़
4. चित्तौड़गढ़ जिला :–		
	1. तलैया	प्रतापगढ़
	2. बोरिया	प्रतापगढ़

281

5. सिरोही जिला:—

1. भैंसा सिंह बांध आबूरोड़
2. कुई सागना आबूरोड़

नवीन विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में स्वीकृत एनीकट्स

जिला उदयपुर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	नाम एनीकट
1.	खैरवाड़ा	पीपल्दा
2.	धरियावद	हैमर
3.	धरियावद	माण्डव
4.	"	झाडोली
5.	सलूम्बर	रतन
6.	सलूम्बर	बान्दरवाडा
7.	गिर्वा	वाडी तालाब
8.	गिर्वा	उपलाफला
9.	गिर्वा	पान्द्रा
10.	सराड़ा	रामसागर
11.	कोटड़ा	बाला
12.	कोटड़ा	कलेश्वर महादेव
13.	झाडोल	गोपाखेड़ा
14.	झाडोल	महुवदारा
15.	गिर्वा	गोडिना
16.	गिर्वा	तरावा आमलीवरल
17.	खेरवाड़ा	सेवड़ा का नाका
18.	सलूम्बर	लीलावाडी
19.	कोटड़ा	वारिसलम ग्राम
20.	कोटड़ा	चारआयरी
21.	कोटड़ा	मीठी बोर का नाव खजूड़िया

जिला डूंगरपुर

1.	डूंगरपुर	गोलम्बा
2.	डूंगरपुर	गेहूवाडा
3.	"	हिराता
4.	"	हुडमतिया
5.	"	छेला छोरवाड़ा
6.	"	हिराता-5
7.	"	हिराता-6
8.	"	हिराता-7
9.	डूंगरपुर	हिराता-8
10.	डूंगरपुर	मैथ्यूकला-I
11.	"	मैथ्यूकला-II
12.	"	मडामूरिया-I
13.	"	मडामूरिया-2
14.	"	बेला
15.	"	सरकन
16.	"	सलंज
17.	"	मटाली
18.	"	छेला खेरवाड़ा
19.	"	काहूरी
20.	बिछीवाड़ा	तलवाड़ा
21.	"	छलंदर
22.	"	गामडी महादेव
23.	"	सीसोद
24.	"	गन्धवा
25.	"	भुवाली
26.	"	अजमेरा
27.	"	छापी-II
28.	"	कतेली
29.	"	कल्यारा
30.	"	गन्धवा-I
31.	"	गन्धवा-II
32.	"	बिलवान-I
33.	"	बिलवान-II
34.	सिमलवाड़ा	साथूना
35.	"	इज्जतपुरा
36.	"	पोपटाली
37.	"	तबाटी

38.	सिमलवाड़ा	डूंगरवास
39.		कुआ-I
40.	—	कुआ II
41.		कुआ- III
42.		गरीयाता
43.		वेडसा-I
44.		वेडसा-II
45.	सीमलवाड़ा	रास्ता-I
46.		रास्ता-II
47.		घोडा-I
48.		घोडा-II
49.		सीतल
50.	,	भेसला-I
51.	,,	भेसला-II
52.	सागवाड़ा	चिबूड़ा
53.	,,	सेमडी
54.	,,	ढेला
55.	,,	बरसिंगपुरा
56.	,,	ढाकरड़ा
57.	आसपुर	खानन
58.	,,	खलील
59.	,,	पिडावल
60.	,,	खुदारड़ा
61.	,,	रीछा
62.	,,	कोनोडिया

जिला चित्तौड़गढ़

1. अरनोद	आकडियों का माल
2. प्रतापगढ़	गालियाकला
3. प्रतापगढ़	गोमाकला

जिला बांसवाड़ा

1. बडी	बस्सी
2. सलवाड़ा	कटूम्बी

बीकानेर जिले में ट्रस्टों द्वारा क्रय की गई भूमि

588. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़):- क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के ग्राम जयमलसर, कोलायत, गजनेर (तीतरों का बाड़ा) तथा बीकानेर शहर में अम्बेडकर सर्किल के पास (1) रामनारायण राठी चेरिटेबिल ट्रस्ट, (2) रामादेवी राठी चेरिटेबिल ट्रस्ट, (3) पूनम सेवा निधि ट्रस्ट, के नाम से ग्राम पंचायत तथा शहरी भूमि खरीद की गई है? क्या ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? यदि हां,तो कृपया ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन नम्बर, ट्रस्ट संविधान तथा ट्रस्ट डीड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रस्टों ने किस-किस प्रयोजन हेतु जिला बीकानेर में कहा कहां भूमि आदि खरीद कर निर्माण कार्य करवाये हैं? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अवैधानिक ट्रस्टों की जांच कर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रामनारायण राठी चेरिटेबिल ट्रस्ट, रामादेवी राठी चेरिटेबिल ट्रस्ट व पूनम सेवा निधि ट्रस्ट के नाम का कोई सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। देवस्थान विभाग में केवल पंजीकृत प्रन्यासों की चल व अचल सम्पदा का विवरण उनके द्वारा सम्पदा क्रय तथा विक्रय करने की सूचना व ट्रस्ट संविधान व ट्रस्ट डीड ही उपलब्ध रहते हैं।

(श्री फतेह सिंह)

(2) अपंजीकृत प्रन्यासों के बारे में इस विभाग में कोई सूचना नहीं रहती हैं।

(3) इस विभाग में उक्त तीनों प्रन्यास पंजीकृत नहीं है, इसलिये उनके पंजीयन निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्व अभियान में नामान्तरण

589. श्री हरीसिंह (कुम्हेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस वर्ष हुए राजस्व अभियान में 31-1-1988 तक कितने नामांतरण किय गये हैं।

(2) क्या इतनी अधिक संख्या में नामांतरण के मामले सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लम्बित रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस वर्ष राजस्व अभियान में दिनांक 1-1-83 से 5-2-83 तक 3,35,-731 नामांतरकरण निपटाये गये।

(2) इस प्रकार के मामलों का लम्बे समय लम्बित रहने के कई कारण हो सकते हैं। नामान्तरण के मामले पंचायतों द्वारा निपटाये जाते हैं जिनकी कई बार नियमित बैठकें नहीं होने से भी मामले लम्बित रहते हैं। अधिकारियों के स्तर की कई जाँच के कारण समय लग सकता है। चूंकि अब लगभग सारे मामले निपटा दिये गये हैं इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती।

कोटा-बारां मार्ग पर बसों का समय पर प्रस्थान

590. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1982 से अभी तक कोटा-बारां मार्ग पर कोटा से प्रस्थान करने वाले कितने प्रतिशत वाहनों ने समय पर प्रस्थान किया है?

(2) इन वाहनों में कितने प्रतिशत वाहनों में स्टेपनी होती है?

उत्तर

(1) जनवरी, 1982 से जनवरी 1983 तक कोटा-बारां मार्ग पर कोटा से प्रस्थान करने वाले 47.17 प्रतिशत वाहनों ने समय पर प्रस्थान किया।

(2) उक्त अवधि में इन वाहनों में से 27 प्रतिशत वाहनों में स्टेपनी उपलब्ध थी।

बांसवाड़ा जिले में समन्वित बाल विकास योजना केन्द्र

591. श्री बहादुर सिंह (लोहारिया): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल कितने समन्वित बाल विकास योजना केन्द्र गत 1981-82 व 1983-84 में खोले गये तथा आगामी वर्ष 1983-84 में कितने और केन्द्र खोले जायेंगे? कृपया पंचायत समिति वार व वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(श्री बहादुर सिंह)

(2) बांसवाड़ा पंचायत समिति में आगामी वर्ष 1983-84 में कितने समन्वित बाल विकास योजना केन्द्र खोलने का प्रावधान है ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 81-82 व 82-83 में पंचायत समिति कुशलगढ़ में एक बाल विकास परियोजना वर्ष 1982-83 में प्रारंभ की गई है तथा गढ़ी पंचायत समिति में यह योजना पूर्व से ही चालू है। वर्ष 82-83 में यह योजना पंचायत समिति घाटोल व तलवाड़ा में भी प्रारंभ की जायेगी।

(2) बांसवाड़ा पंचायत समिति में वर्ष 83-84 में एक बाल विकास परियोजना खोलने का प्रावधान है

निवाई क्षेत्र में चूने के भट्टों का निर्माण

592. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र निवाई में खसरा नं. 1891 में से चूना, भट्टा निर्माण हेतु जिलाधीश द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो किस किस को ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि जिसका कि क्षेत्रफल काफी अधिक है को आबादी हेतु नगर पालिका को, कृषि उपज मण्डी को जिलाधीश द्वारा ही आवंटन की जा चुकी है ?

(3) यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा चूना भट्टा निर्माण हेतु भूमि का आवंटन क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ख.नं. 1891 की भूमि का क्षेत्रफल 154 बीघा 11 बिस्वा है, जिसमें से 95 बीघा औद्योगिक क्षेत्र निवाई हेतु जिलाधीश द्वारा आरक्षित घोषित कर आवंटित की गई हैं एवं शेष 59 बीघा 11 बिस्वा आबादी विस्तार हेतु नगरपालिका निवाई को आवंटित की गई है।

(3) जी नहीं। जिलाधीश द्वारा चूना भट्टा निर्माण हेतु ख० नं० 1891 में से भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

मालपुरा में महाविद्यालय खोलना

593. **श्री चतुरभुज** (टोडारायसिंह) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या मालपुरा में महाविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य में कहीं पर भी नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है।

सीकर एवं झुन्झुनूं जिले में राजस्व वसूली स्थगित करना

594. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सीकर एवं झुन्झुनूं जिले में अकाल की भीषण स्थिति होते हुए भी राजस्व वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्षा एवं विद्युत की कमी से फसलें नष्ट हो गई या हो रही हैं ? यदि हां, तो फिर वसूली का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) अभाव ग्रस्त गांवों में जिन मांगों की वसूली स्थगित कर दी गई है, उनकी वसूली नहीं की जा रही है।

(2) जैसा कि ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है कि अभावग्रस्त गांवों में स्थगित मांगों की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, यद्यपि जो गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं वहां वसूली चालू है।

(286)

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 575 का विवरण

जनवरी, 1980 से आज तक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बन्दियों द्वारा विभाग को प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण :–

वर्ष 1980 में बन्दियों द्वारा केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से की गई शिकायतें

क्र०सं० 1	वन्दियों द्वारा की गई शिकायतों का विवरण 2	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही 3	अन्य विवरण 4
1.	वन्दियों द्वारा दिनांक 2-8-80 से श्री शिवचरण लाल जेलर द्वारा थप्पड़ मारने व गाली-गलोंच करने की शिकायत के साथ-साथ राशन पूरा न देने और निराराम को कोठडी में रखने की शिकायत की गई।	प्राप्त शिकायत को विन्दुवार टिप्पणी अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर से मांगी गई, शिकायत तथ्यहीन पाये जाने पर, फाइल की गई।	
2.	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदी करनेल सिंह पुत्र दर्लसिंह द्वारा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर की उद्योगशाला में गरीब बंदियों पर हो रहे अत्याचार की शिकायत।	शिकायती पत्र दिनांक 16-6-81 को प्राप्त हुआ। अधीक्षक से टिप्पणी मांगी जाने पर श्री भगवानदास प्रहरी के विरुद्ध दण्डित बंदी दर्शनसिंह पुत्र हरनामसिंह के द्वारा की गई शिकायत सही नहीं पाई गई, क्योंकि उद्योग शाला में कार्यरत किसी भी बंदी द्वारा बंदी करनेल सिंह द्वारा की गई शिकायत की पुष्टि नहीं की गई। अतः फाइल की गई।	....
3.	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के सिख-बंदियों द्वारा बीकानेर कारागृह के अधीक्षक के विरुद्ध सिख बंदियों पर किये जा रहे अत्याचार के संबंध में।	शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 24-7-81 को विभाग में प्राप्त हुआ। अधीक्षक कारागार से टिप्पणी मांगी जाने पर बताया गया कि	

	बंदी मुख्तयार सिंह पुत्र करनेल सिंह द्वारा अन्य वंदियों से मिलकर कारागृह की नियमानुसार ली जाने वाली तलाशी में बाधा उत्पन्न की गई और अन्य वन्दियों की तलाशी न लेने के लिये भड़काने तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अपशब्द कहने और अभद्र व्यवहार करने के कारण से बंदियों को नियमानुसार दण्ड दिए जाने की कार्यवाही की गई। वंदियों को दी गई सजा की सूचना राज्य सरकार के आदेशों की पालना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर को भी अधीक्षक द्वारा दी गई। शिकायती प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्य निराधार होने से प्रार्थना पत्र को फाइल किया गया।
4. श्री करनेल सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति सिख पोस्ट तलवाडा, झील, गांव तलवाडा, झोड, जिला गंगानगर द्वारा रजिस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर, सैशन्स जज, बीकानेर, इन्सपैक्टर जनरल आफ प्रिजन्स, जयपुर, चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट, बीकानेर, चीफ मिनिस्टर राजस्थान होम मिनिस्टर, भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया, प्रार्थना पत्र उसके पुत्र मुख्तयार सिंह को जेल अधिकारियों द्वारा बुरी तरह मारने तथा उत्पीड़न करने की दरख्वास्त पूर्व में देने और उसके शत्रुओं द्वारा जेल अधिकारियों से साजिश करके व उसकी हत्या करने के संबंध में दिया गया है।	विभाग को यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-8-81 को प्राप्त हुआ। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से बिन्दुवार टिप्पणी मांगी जाने पर जानकारी दी गई की बंदी मुख्तयारसिंह पुत्र करनेलसिंह का व्यवहार असंतोष जनक है। बंदी उद्योगशाला में कार्य नहीं करता है। पार्टी बनाकर अधिकारियों से असभ्यता का व्यवहार करने और अशांति पूर्ण वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करता है। उद्योगशाला में निर्धारित कार्य से कम काम करता है। बंदी के पिता द्वारा की गई शिकायत निराधार पाई जाने से फाइल की गई और बंदी के निर्धारित कार्य से कम कार्य किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को दिये गये।
5. बीकानेर जेल में अत्याचार किये जाने की शिकायत गृह मंत्रालय भारत सरकार को माजिद जमान द्वारा की गई शिकायत के संबंध में।	पाक नागरिक माजिद जमान बंदी का प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के माध्यम से दिनांक 11-9-81 को विभाग में प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र

287

(2880)

1	2	3	4
		में वर्णित 4 बिन्दु सी॰आई॰डी॰पुलिस से संबंधित थे, के संबंध में जानकारी दी गई कि बंदी का प्रार्थना-पत्र निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी तथा उच्च न्यायालय में जो अपील की गई उसके निर्णय की प्रति बंदी के पास है। बंदी के जो पत्र या पार्सल आये हैं, वे उसे नियमानुसार दिए गये हैं।	
6.	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदी मुख्तारसिंह, जटसिख द्वारा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण के बारे में शिकायत की गई।	शिकायती प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार से पत्र संख्या एफ 18 (5) गृह-121 द्वारा 181 दिनांक 1-10-81 से विभाग को टिप्पणी भेजने हेतु प्राप्त हुआ जिसे अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को बिन्दुवार टिप्पणी हेतु भेजा गया। अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निराधार तथ्यहीन व झूंठी पाई गई।	
7.	बीकानेर जेल बंदियों द्वारा भ्रष्टाचार बाबत शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसमें शिकायत की गई कि रोटियां कच्ची व साग सड़ी हुई दी जाती है, तेल मिर्च मसाला नहीं होता। बीमार बंदी द्वारा अफसर से शिकायत करने पर उसे फटकार दिया जाता है। कोई बंदी डाक्टर के पास जाकर पेट दुखने व दस्त होने की बात कहता है तो उसे कोठड़ी में डाल दिया जाता है। कम्पाउण्डर बंदी को चैक नहीं करता। कम्पाउन्डर घर पर भी डिस्पेन्सरी चलाता है। बाबा आदम के जमाने का गेंहूं सुखा कर पोषाहार का दलिया मिला कर पिसाया जाता है। सोयाबीन का	विभाग में यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-10-81 को प्राप्त हुआ। जांच कराये जाने पर प्रार्थना-पत्र में वर्णित शिकायत सही नहीं पाई गई।	

तेल मूंगफली के तेल में मिलाकर बंदियों को दाल सब्जी में दिया जाता है। डाक्टर देखभाल नहीं करता है। बंदियों का साल डेढ़ साल से मेडिकल नहीं हुआ और बंदियों की शिकायत नहीं सुनी जाती है। मेडिकल आफिसरों की लापरवाही से ही बंदी मर गये हैं। वर्ष	1982
8. बंदी सुलेखां का पुत्र खेते खां द्वारा फैक्ट्री सुपरवाइजर श्री जगदीश शरण सक्सेना को रिश्वत लेने के मामले में सत्र न्यायाधीश, बीकानेर, को शिकायत की गई।	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर के कार्यालय से प्रार्थना पत्र दिनांक 18-3-82 को विभाग को प्राप्त हुआ। मामले की जांच कराई गई, जिसमें शिकायत प्रमाणित नहीं हुई।
9. केन्द्रीय कारागृह, के बंदी रामेश्वर प्रसाद द्वारा उसके साथ बंदी जनरेल सिह पुत्र रामलोतसिह द्वारा मारपीट करने के संबंध में माननीय जेल मंत्री महोदय को दिए गये प्रार्थना-पत्र के संबंध में ।	संदर्भित शिकायत प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के माध्यम से विभाग को दिनांक 12-3-82 को प्राप्त हुआ। संदर्भित मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार बंदी जरनेल सिह को दोषी पाये जाने पर उसका 90 दिन का रैमीशन जब्त किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।
10. केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में पल रही तानाशाही और मारपीट के संबंध में बंदी राजूसिह एवं रमेश द्वारा की गई शिकायत।	शिकायत पत्र तारीख 1-4-82 को विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ इन शिकायती प्रार्थना-पत्रों में बंदियों द्वारा गरीब बंदियोंके साथ मनमानी अत्याचार किये जाने तथा जेल स्टाफ द्वारा खुले आम पैसे लेने, और खिलाफ पार्टी से पैसे लेकर बंदी को पिटवाने की शिकायत की गई और बताया गया कि दिनांक 13-3-82 को बंदियों ने मिल कर लालाराम जाट व महेन्द्र को इतना पीटा गया कि उनके बचने की कोई सम्भावना नहीं है जबकि दोनों की कोई गलती नहीं थी ।

289

1	2	3	4
		संदर्भित विषय के संबंध में टिप्पणी मांगी गई, जिसके उत्तर में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर ने पैसा लेने व जेल स्टाफ द्वारा बंदियों में झगड़ा करवाने तथा बंदियों से चन्दा इकट्ठा किये जाने की शिकायत निराधार बताई तथा दिनांक 13-3-82 को बंदियों में झगड़ा होने की जांच मुख्य न्यायाधिकारी, बीकानेर द्वारा की जा चुकी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कारागार नियम, 1951 में वर्णित नियमों के अनुसार राजूसिंह, लालाराम, सुरजीत सिंह और करनैल सिंह को दोषी पाया जाकर सजा दी गई।	
		अधीक्षक, कारागृह, बीकानेर द्वारा बंदी महेन्द्रसिंह लालाराम, राजूसिंह और रमेश को आदतन जेल अपराधी और छोटी-छोटी तथ्यहीन शिकायत करने का आदी बताया गया है। ये बंदी निर्धारित कार्य न करने के कारण इस प्रकार की झूठी शिकायत करते हैं।	
11.	बंदी लालाराम पुत्र नाथराम, बंदी महेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह पी० बी०एम०होस्पीटल में भर्ती है, दोनों बंदीगण की हालत खराब है एवं इसी संदर्भ में एक प्रार्थना-पत्र बीकानेर के बंदियों द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर को दिया गया।	संदर्भित प्रार्थना पत्र दिनांक 13-3-82 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में हुई मारपीट के संबंध में दिए गये हैं, जिसका वर्णन उपरोक्त क्रम संख्या 10 से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्र संख्या 1584 दिनांक 13-5-82 से विभाग को जो शिकायती प्रार्थना-पत्र एवं उन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन की	

12. बंदी दयालसिंह पुत्र हरनाम सिंह द्वारा श्री कृष्णसिंह तंवर उप कारापाल केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के विरुद्ध 300/-रु० नहीं लौटाने की शिकायत।

प्रतिलिपियां आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। इस संबंध में बंदी लालाराम पुत्र नाथूराम को बीकानेर से केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

इस प्रकरण की जांच जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा श्री हीरालाल चांडा न्यायिक अधिकारी प्रथम वर्ग, बीकानेर से करवाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्णसिंह तंवर उप कारापाल का दोषी नहीं पाया गया।

13. केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदियों द्वारा गरीब बंदियों पर "अत्याचार" नाम से दिए गये प्रार्थना-पत्र जो आई०जी० साहब जेल विभाग, जयपुर को सम्बोधित किया हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव, गृह सचिव, मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट, जोधपुर सी०आई०डी० आई० जी० जयपुर को पृष्ठांकित की गई।

शिकायत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-12-82 को विभाग को प्राप्त हुआ। इस शिकायती-पत्र में बंदियों द्वारा रुपये न दिए जाने पर कोठडी में बंद करना व सिलाई न कराना, बंदी मोहन पुत्र भोजराम को 2000/-रु० लेकर तथा बंदी कालू उर्फ छोटू को 5000/-रु० लेकर पैरोल पर छोड़वा तथा बंदी कालू उर्फ छोटू को पैसे लेकर पेशी पर न भेजना। बंदी केदार पुत्र जेठमल तथा बंदी धन्नीराम की मूल्यवान वस्तुओं को जेलर द्वारा हड़पने और सिपाहियों द्वारा अवैध शराब का धन्धा करने, उप कारापाल कृष्णसिंह तंवर और महेन्द्रसिंह तथा बाबू नरेन्द्र और नेमीचन्द द्वारा अधीक्षक को 1000/-रु० देकर बंदियों पर अत्याचार करने की शिकायत की गई। शिकायत की जांच कराई गई एवं जांच रिपोर्ट से केवल 7-9-82 को प्रहरी श्री कान सिंह और लांगरी श्री उम्मेदसिंह को अवैध शराब का धन्धा करने के जुर्म में पुलिस ने जूडीशियल करवाया। वह सही पाया गया और शेष शिकायतें सही नहीं पाई गई। किसी भी

1	2	3	4
		बंदी ने जांच के दौरान शिकायत करने की बात नहीं कही। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जेल कर्मचारी द्वारा बंदियों का झूंठा बहाना बनाकर बंदियों के नाम से प्रार्थना पत्र दिया गया है। उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है।	
14.	दिनांक 25-12-82 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदी भंवरलाल पुत्र भागीरथ द्वारा बीकानेर के कारापाल सर्वश्री ओम प्रकाश एवं शंकर नारायण के विरुद्ध रिश्वत लेने के संबंध में की गई शिकायत।	संदर्भित मामले में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर द्वारा दि० 17-1-83 को जो सूचना भेजी गई है, उससे यह प्रकरण विभाग की जानकारी में आया और संदर्भित मामले की जांच अब अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर से कराई जा रही है।	
	वर्ष 1983		
15.	बंदी अनिल पंजवानी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर को उसके इलाज एवं दवाइयां सुलभ न कराये जाने के संबंध में, जनवरी, 83 में दिए गये प्रार्थना-पत्र।	संदर्भित बंदी अनिल पंजवानी का प्रार्थना-पत्र अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर द्वारा पत्र संख्या 109 दिनांक 14-1-83 से जिला एवं सत्र, न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा विभाग को दिनांक 19-1-83 से आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। संदर्भित प्रकरण की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत असत्य, निराधार एवं तथ्यहीन पाई गई।	
16.	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदी स्वर्णसिंह पुत्र दलीप सिंह और हरनाम सिंह पुत्र कुन्दनसिंह द्वारा उसकी सुरक्षा के संबंध में जनवरी, 83 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर को दिए गये प्रार्थना-पत्र।	संदर्भित प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा पत्र संख्या 208 दिनांक 27-1-83 से जिला दण्डनायक एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर एवं महा निरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई।	

17. केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदी हासम पुत्र मुब्वे छिन्दर सिंह पुत्र जेलसिंह एक हस्ताक्षर अपठित तथा एक दुखरम बैनीवाल सामूहिक रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर को दरी फैक्टरी मैनेजर व सुपरवाइजरों द्वारा बंदियों पर मनमाने ढंग से अत्याचार के संबंध में दिए गये प्रार्थना-पत्र।

संदर्भित प्रकरण की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता बंदियों ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि अब उन्हें जान का कोई खतरा नहीं है। शिकायतकर्ता दोनों बंदियों के हिस्ट्री टिकिटस का अवलोकन करने पर जानकारी मिली कि दोनों बंदी उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करते हैं और अन्य बंदियों को भी पूरा कार्य न करने के लिए उकसाते रहते है। बंदी हरनाम सिंह पुत्र कुन्दनसिंह की तलाशी लेने पर उसके कब्जे में दरी बुनाई का पंजा मिला, जिसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर के आदेश संख्या 149 दिनांक 17-1-83 से 15 दिन का रैमीशन काटे जाने की सजा बंदी को दी गई। बंदी आपसी गुटबाजी एवं अनुशासनहीनता करके स्टाफ के लिए कुछ न कुछ कठिनाइयों उत्पन्न करते रहते हैं और उद्योगशाला में कार्य नहीं करता है।

संदर्भित प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपियां जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर द्वारा पृष्ठांकन संख्या 218 दिनांक 29-1-83 को महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर जिला एवं दण्डनायक बीकानेर एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर तथा एस०पी०बीकानेर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार तुरंत आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई।

प्रार्थना-पत्र में बंदी जरनेलसिंह पुत्र अमरसिंह को दिनांक 25-2-83 को दरी फैक्टरी के सुपरवाइजरों व मैनेजर ने काफी गालियां दी व बंदी को बुरी तरह से मारा। मेनगेट पर भी मारा, की शिकायत की गई थी।

293

1	2	3	4
		संदर्भित मामले में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के पत्र संख्या 36791 दिनांक 2-2-83 से टिप्पणी मांगे जाने पर अधीक्षक ने पत्र संख्या 349 दिनांक 6-2-83 से विभाग को सूचित किया कि दिनांक 25-1-83 को बंदी जरनेल सिंह पुत्र अमर सिंह फैक्टरी में कार्य करने के बजाये सोता हुआ पाया गया। बंदी सुपरवाईजरों ने फैक्ट्री मैनेजर के समक्ष बंदी को पेश किया। बंदी के टिकिट पर इन्द्राज कर जेल सैक्शन में भिजवाया गया जिसके लिए बंदी को अधीक्षक द्वारा कड़ी चेतावनी की सजा दी गई। बंदी की मारपीट नहीं की गई। एस०पी०, बीकानेर द्वारा की गई पुलिस जांच रिपोर्ट में मारपीट की जांच बेबुनियाद पाई गई।	
		संदर्भित मामले की जांच अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से भी कराई गई, जिसमें भी बंदी की मारपीट की शिकायत बेबुनियाद पाई गई।	
18.	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदी हासम पुत्र मुब्वे छिन्दन सिंह पुत्र जेलसिंह एक बंदी जिसके हस्ताक्षर अपठित है तथा बंदी जरनेलसिंह पुत्र अमरसिंह द्वारा सामूहिक रूप से जरनेल सिंह पुत्र अमर सिंह की पिटाई करने के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर को दिए गये प्रार्थना-पत्र।	संदर्भित प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपियां जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा महा निरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर, जिला दण्डनायक, बीकानेर एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को पत्र संख्या 228 दिनांक 31-1-83 से सूचनार्थ एवं नियमानुसार तुरंत आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई।	

	संदर्भित मामले में विभाग द्वारा श्री शान्तीलाल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर को पत्र संख्या 38390 दिनांक 17-2-83 से जांच करने के आदेश दिए गये। जांच पर शिकायत बेबुनियाद और तथ्यों से परे पाई गई है।
19. केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के बंदी बाबूलाल, जयसिंह, ओम प्रकाश, सत्यप्रकाश, भागीरथ, मुकेश, हरिकपूर वगैरा द्वारा दिनांक 2-2-83 को प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर शिकायत की गई कि दिनांक 1-2-83 को जेलर ओमप्रकाश के अण्डरट्रायल बंदियों का आपस में झगड़ा करा कर इस कदर मारा कि एक बंदी कालूराम की हालत गम्भीर है।	संदर्भित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा मुख्यालय कारागार विभाग को पृष्ठांकन क्रमांक 267 दिनांक 3-2-83 से भेजी गई। संदर्भित मामले में जांच कार्यवाई गई एवं जांच रिपोर्ट से दिनांक 1-2-83 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में बंदियों में आपस में झगड़े में कुछ बंदियों के चोटें आना साबित हुआ। श्री ओम प्रकाश जेलर द्वारा बंदियों की पीटे जाने की पुष्टि बयानों में नहीं हुई।
20. जेल, बीकानेर के विचाराधीन बंदियों द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर की जेल में भ्रष्ट अत्याचार रोकने के संबंध में दिए गये प्रार्थना पत्र, जिसकी प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, महा निरीक्षक कारागार, जयपुर जेल मंत्री महोदय द्वारा मुख्य मंत्री महोदय, जयपुर को दी गई।	संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 326 दिनांक 14-2-83 से विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। संदर्भित प्रकरण की जांच करवाई गई। दिनांक 1-2-83 को विचाराधीन बंदी भागीरथ के श्री ओम प्रकाश जेलर की सहायता से मुलजिम चूनिया द्वारा चाकू मारने की शिकायत के साथ-साथ मुलजिम ओमप्रकाश, सतिया और कालिया को जेलर श्री ओम प्रकाश मुलजिम सी ओ, सरजीत सिंह व राजेन्द्र सिंह तथा दो सिपाहियों को ठोकरों व लाठियों से मारने के संबंध में की गई।

1	2	3	4
		क्रम संख्या 18 की शिकायत भी इसी से संबंधित थी। जांच रिपोर्ट में विचाराधीन बंदी कालिया उर्फ कालू की पिटाई से संबंधित है। एक ही प्रार्थना-पत्र की शिकायत दो प्रार्थना-पत्रों से की गई है, क्योंकि दोनों एक ही दिन की घटना है। जांच कराने पर यह जानकारी मिली कि विचाराधीन बंदी भागीरथ पुत्र हुकम सिह पर लोहे की पत्ती व चाकू से प्रहार किया गया था. जिसमें उसके चोटें आई बंदी कालिया उर्फ कालू पुत्र मंगाराम द्वारा बताया गया कि उसकी पिटाई जेलर श्री ओम प्रकाश द्वारा नहीं की गई। इस बंदी को दिनांक 3-2-83 को पेट में दर्द होने के कारण स्थानीय पी० बी० एम० अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, जहां पर जांच करने पर डाक्टरों ने उसके पेट में पथरी होना बताया है। जिसका आपरेशन किया जाना है। इस बंदी ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 1-2-83 को बंदी चुनीलाल और भागीरथ के बीच में हुई लड़ाई के बाद सी०ओ० राजेन्द्र एवं अन्य सी०ओ० जिसका नाम वह नहीं जानता है, ने उसकी पिटाई की। मुख्य प्रहरी श्री खेमराज ने भी उसकी पिटाई की तथा सात आठ अन्य कर्मचारी भी थे, जिसका वह नाम नहीं जानता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 577 की सूची

सूची आवंटन सिवाय चक राजस्व अभियान दि. 1-1-83 से 15-2-83

तहसील बस्वा

क्र.सं.	नाम आवंटी	दिनांक आवंटन आवंटित की गई	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	वि.
1.	भीवा पुत्र मंगल्या गुजर सा. श्यालावास खुर्द	12-1-83	श्यावालास खुर्द	348	2 बिस्वा	गै.मु.	रास्ता
2.	रामकिशन रामकरण रामपाल पि.छाज्या गूजर	"	"	382	1 बीघा	"	"
3.	नारायणसिंह पुत्र रामहेत गुजर	"	"	348	15 बिस्वा	"	"
4.	रामकिशन, रामस्वरूप, नवल किशोर, सुखसिंह रामखिलाड़ी, रामसिंह पुत्र बालचन्द्र गूजर	"	"	298	1 बीघा 5 बिस्वा	बारानी	1
					योग:– 3 बीघा 3 बिस्वा		

298

परिशिष्ट- 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 686 का ब्यौरा

वर्ष 1982-83 के लिये आवंटित राशि के खर्च का ब्यौरा

1. विधिक सहायता एवं परामर्श समिति राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को 5000 रुपये आवंटित किये गये ।
2. जिला स्तरीय समितियों (25) प्रत्येक को 2000/- रुपये आवंटित किये गये ।
3. अधीनस्थ न्यायालय स्तरीय समितियों (82) प्रत्येक को 1000/- दिनांक 31-1-83 तक 15000/- रुपये का खर्चा हुआ है इसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(क)	1300-00	श्री दीपक चन्द निवासी अलवर को उच्च न्यायालय में डी.बी. रिट पीटीशन दायर करने हेतु स्वीकृत किये गये ।
(ख)	700-00	श्री सुवालाल रैंगर निवासी राजगढ़ अजमेर को उच्च न्यायालय में रिट पीटीशन दायर करने हेतु स्वीकृत किये गये ।
(ग)	716-00	श्री एन०के०जैन एडवोकेट उच्च न्यायालय जयपुर को उनके द्वारा रामावतार बनाम शांति देवी के मामले में रामावतार की तरफ से पैरवी करने के लिये रेमनेरेशन एवं कोर्ट फीस व टाइप के खर्च का भुगतान किया गया ।
(घ)	895-00	श्री हनुमान चौधरी एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को उनके द्वारा बालू बनाम बिरदा के मामले में बालू की तरफ से पैरवी करने के लिये रेमिनरेशन एवं कोर्ट फीस व टाइप के खर्च का भुगतान किया गया ।
(ङ)	6355-00	राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को विधिक सहायता सम्बन्धी कार्य करने के लिये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया ।
(च)	125-00	पाली जिले की बाली विधिक सहायता समिति द्वारा व्यय किये गये ।
(छ)	4709-00	राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति द्वारा प्रशासनिक कार्यों पर टेलीफोन व्यय यात्रा भत्ता इत्यादि पर व्यय किया गया ।
	15000-00	योग

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 687 की सूची

सूची

क्रम संख्या	नाम छात्र	एवं कक्षा
1.	श्री अशोक कुमार गांधी	प्रथम वर्ष कला
2.	श्री कैलाश चन्द्र कलाल	द्वितीय वर्ष कला
3.	अमान उल्ला खां	"
4.	महबूब शाह	"
5.	सुरेश चन्द्र जोशी	"
6.	ललित मालवीय	तृतीय वर्ष कला
7.	कु० लीला पालीवाल	"
8.	धनराज मीणा	"
9.	दिलीप कुमार सोमानी	द्वितीय वर्ष वाणिज्य
10.	रमेश कुमार जोशी	"

(300)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 688 की सूचियां

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ने सत्र 1981-82 में कला वर्ग की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाओं के बहिष्कार की सूची:-

क्रम संख्या	कक्षा का नाम	बहिष्कृत पेपर का विषय	बहिष्कार किये गये विद्यार्थियों की सूची
1.	तृतीय वर्ष कला	इकोनोमिक्स-I	206
2.	एम०ए० (पूर्वार्द्ध) अर्थशास्त्र	पब्लिक फाइनेन्स-II	104
3.	एम०ए० (पूर्वार्द्ध) ग्रामीण- II	समाज शास्त्र	8

M. L. SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

List of candidates who were given Grace upto 5 marks to pass the examinations held in 1982 as per decision of Academic Council dated 22-8-1982.

Name of Examination	Roll No.	Name of Candidate	Grace Marks
M. Com. (P) Banking Mngt.	23	Parmeshwar Lal Shrimali	3
	35	Surendra Kumar Bhandari	5
	41	Bholi Ram Dangi	5
M. Com. (P) Acctt. & Stat.	144	Ashok Kumar Chhajed	3
	217	Virendra Kumar Garg	5
M. Com. (P) Bus, Adm.	224	Anand Shibli	2
	277	Om Prakash Nagda	5
	287	Ramesh Chandra Nagda	4
	327	Jinendra Kumar Mehta	5
	341	Mahesh Chandra Shreemali	4
	377	Sunil Kumar Sharma	4
	386	Miss Veena Sharma	1
	414	Shok Pareek	5
	423	Basant Kumar Panjawani	2
	424	Basant Kumar Dadheech	1
	440	Dilip Kumar Bhatnagar	1
	457	Hari Kant Mali	2
	474	Kailash Chandra	3
	529	Om Prakash Tiwari	3
	534	Pavan Kumar Singhvi	3
	568	Ramesh Chand Bordia	4
	570	Ramesh Chand Rajput	3
	573	Rameshwar Prasad Gour	5
	574	Rishabh Kumar Singhvi	5
	600	Sukh Lal Parmar	4
	604	Surendra Kumar Hinger	1

302

1	2	3	4
	629	Arun Kumar Jain	3
	694	Mrs. Vijay Laxmi Nigam	4
	695	Mrs. Yarh Purohit	2
Dip. Course in Prakrit and Jainology	17	Suresh Chand Kachhava	1
Dip. Course in Cert. Pkt. & Jainology	Nill	Nil	
M.A. (P) Sanskrit	87	Mrs. Kumud Sharma	3
M.A. (P) Social Work	Nil		
M.A. (P) History	171	Satya Narayan Vyas	2
	172	Shyam Sunder Dave	3
	173	Sunder Lal Gandhi	1
	179	Ashok Kumar Panwar	1
	192	Roop Shanker Badapaliwal	3
	198	(Mrs.) Anand Punmiya	4
	204	(Mrs.) Girja Jain	1
	232	(Mrs.) Saroj Devi Sharma	2
	244	(Miss) Vidushi Sharma	3
	250	(Miss) Vimlesh Sharma	3
M.A. (P) Urdu	Nil		
M.A. (P) Music	Nil		
M.A. (P) Philosophy	Nil		
M.A. (P) Pol. Science	733	(Mrs.) Prerana Anchalia	4
	735	(Miss) Pushpa Kumari Ranawat	4
M.A. (P) Psychology	Nil		
M.A. (P) English	547	Willy Abraham	4
	571	Shewa Ram Chandwani	2
	645	Asha Rani	1
M.A. (P) Prakrit	Nil		
M.A. (P) Geography	Nil		
M.A. (P) Draw. & Ptg.	Nil		
M.A. (P) Rural Sociology	Nil		

1	2	3	4
M.A. (P) Hindi	415	Mrs. Shakuntala Lodha	5
M.A. (P) Sociology	273	Sunder Lal Paliwal	2
	283	Jagdish Chandra Lodha	3
	307	Shiv Raj Singh Chouhan	4
M.A. (F) Music	Nil		
M.A. (F) Sanskrit	Nil		
M.A. (F) Pol. Sc.	226	(Mrs.) Azad Porwal	3
M.A. (F) Hindi Litt.	Nil		
M.A. (F) Economics	Nil		
M.A. (F) History	Nil		
M.A. (F) Psychology	Nil		
M.A. (F) Social Work	Nil		
M.A. (F) English	123	(Miss) Shakuntala Gupta	2
M.A. (F) Phil.	Nil		
M.A. (F) Sociology	Nil		
M.A. (F) Draw. & Ptg.	Nil		
M.A. (F) Geography	Nil		
M.A. (F) Urdu	Nil		
M.Sc. (Previous) Physics	106	Bhanwer Singh Shaktawat	4
M.Sc. (Prev) Chemistry	48	Miss. Maryakutty Mesoph	5
M.Sc. (Prev) Botany	16	G. Rajan	1
M.Sc. (Prev) Botany	30	Miss Sangam Sunila	4
M.Sc. (Prev) Zoology	Nil		
M.Sc. (Prev) Mathematics	162	Naresh Chandra Sen	3
M.Sc. (Final) Botany	Nil		
M.Sc. (Final) Zoology	60	Miss Nutan Joshi	3
M.Sc. (Final) Mathematics	52	Trilok Kumar Ameta	1
M.Sc. (Final) Mathematics	30	Miss. Rekha Harpavat	1
M.Sc. (Final) Chemistry	28	Miss. Rashida Attari	1
M.Com. (Final) Accountancy	37	Chandra Kumar Jain	1
-do-	54	Om Prakash Paliwal	5
-do-	75	Bansi Dhar Acharya	5
-do-	84	Gopal Lal Paliwal	1

(304)

1	2		3	4
M.Com. (Final) Accountancy		89	Kamal Chand Bapna	5
	-do-	95	Nirmal Kumar Jain	3
M.Com. (Final) Banking Management.		9	Mohammed Yunus Khan	3
	-do-	11	Ong. Chak Hwa	3
	-do-	16	Ashok Kumar Butta	1
	-do-	31	Vinod Kumar Dhing	2
M.Com. (F) Bus. Adm.		Nil		
B.Ed.		50	Daulat Singh Davda	2
		123	Mahesh Kumar Rathore	4
		153	Om Prakash Nai	2
		337	Miss Kamini Bhatnagar	2
		408	Narayan Singh Sisodia	5
		419	Om Prakash Darvekar	2

अधिसूचना

विद्वत परिषद की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 22-8-1982 से निर्णय अनुसार निम्नांकित छात्र 5 क्रमांक अंक देने के पश्चात उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :—

Sl. No.	Roll No.	I Year Sc. (Biology group) Name of candidate	(Name of the Instt.
1	2	3	4
1	61	Miss Neeta Shrimal	M. G. College
2	75	Miss Rachana Sharma	,,
3	88	Miss Saroj Kothari	,,
4	90	Miss Seema Trivedi	,,
5	96	Miss Shanta Kothari	,,
6	115	Miss Uma Bhatnagar	,,
7	120	Miss Veenu Sahiwala	,
8	121	Miss Vijay Laxmi Rajput	,,

1	2	3	4
9	135	Miss Meena Dave	M. G. College
10	188	Dileep Kachhawa	SBSH, Udaipur
11	194	Inder Kumar Sharma	,,
12	307	Deepak Agarwal	,,
13	312	Mohinder Pal Singh Sain	,,
14	320	Sanjay Kumar Pamacha	,,
15	321	Suresh Sapra	,,
16	343	Har Prasad Khatri	B. N. College
17	359	Mool Chand Khimawat	,,
18	408	Chandra Prakash	VBRI, Udaipur
		I Year TDC Science (Maths Group)	
19	516	Dule Singh Rajput	SBSH, Udipur
20	555	Manoj Kumar Sharma	,,
21	647	Dhondiyal Vishudahencah	,,
22	674	Rajendra Prased	,,
23	676	Ramesh Chandra Jha	,,
24	731	Umesh Chandra Dwivedi	B.N. College
25	762	Anil Sharma	VBRI, Udaipur
26	385	Gopal Krishna Soni	,,
27	789	Hament Kumar Sharma	,,
28	792	Jagdish Chandra Gour	,,
29	810	Man Prakash Lodha	,,
30	846	Ramesh Chandra Lohar	,,
31	860	Sushil Bhatnagar	,,
		IInd Year TDC Science	
32	5	Miss Arti Upadhyaya	M.G. College.
33	41	Miss Sangita Sharma	,,
34	91	Davendra Singh Rao	SBSH, Udaipur
35	115	Jai Raj Acharya	,,
36	139	Nand Kumar Joshi	,,
37	148	Om Parkash Banger	,,

(306)

1	2	3	4
38	205	Surendra Kumawat	SBSH, Udaipur
39	227	Yogesh Dave	,,
40	238	Harish Kumar	,,
41	274	Dinesh Kumar	B. N. College Udaipur
42	286	Pradeep Dave	,,
43	302	Caxton Mouru S. Nanga	,,
		III Year TDC Science	
44	14	Miss Maleka	M.G. College
45	80	Anil Kumar Khatri	SBSH, Udaipur
46	122	Hement Singhvi	,,
47	156	Narendra Kothari	,,
48	157	Narendra Kulkani	,,
49	168	Pradeep Porwal	,,
50	39	Safad Khan (Grace 5+1=6 as per resolution No. 14 of the Academic Council held on 16-1-83)	,,
		I year T. D. C. Commerce	
50	45	Rajkumar Paliwal	VBRI, Udaipur
51	77	Miss Geeta Gangani	M. G. College, Udaipur
52	100	Miss Madhuri Seth	,,
53	140	Miss Shashi Kala Bassi	,,
54	210	Bhupendra Jain	MVSJ, College Udaipur
55	231	Dinesh Kumar Gothwal	
56	233	Fateh Lal Jain	,,
57	307	Mukesh Saxena	,,
58	319	Narayan Singh Charan	,,
59	321	Narendra Kumar Sain	,,
60	332	Om Prakash Shrimali	,,
61	389	Sanjay Kumar Jain	,,

1	2	3	4
62	438	Zafar Ulla Khan	MVSJ Udaipur
63	581	Rajendra Puri	"
64	635	Dinesh Chandra Bohra	SBSH, Udaipur
65	739	Gopal Lal Kotia	"
66	825	Sanjay Kumar Parsai	"
67	827	Abiol Rahman Issa	B.N. College
68	845	Ashok Kumar Chhajed	"
69	923	Jitendra Kumar Srivastava	"
70	933	Jitendra Kumar Srivastava	"
71	969	Manohar Bapana	"
72	1015	Prithvipal Singh Gehlot	"
73	1030	Ravindra Kumar Doshi	"
74	1031	Sher Singh Chandalia	"
75	1054	Shiv Prakash Agarwal	"
76	1064	Rajendra Nandwana	"
		II Year T. D. C. Commerce	
77	19	Miss Anita Agarwal	MG College.
78	68	Miss Sneh Lata Karkawat	"
79	301	Suresh Kumar Magori	MVSJ College
80	306	Devi Lal Suthar	SBSH College, Udaipur
81	408	Kishor Singh Sarangdavot	"
82	457	Surendra Jain	"
		II Year T.D C. Commerce	
83	494	Murlidhar Bachani	SBSH, Udaipur
84	519	Amar Talreja	B. N. College
85	523	Arun Kumar Jain	"
86	534	Basanti Lal Jain	"
87	539	Bhanwar Singh Rajput	"
88	641	Bharat Sharma	"
89	557	Dilip Kumar Samar	"

(308)

1	2	3	4
90	560	Dilip Singh Sakhawat	B. N. College
91	583	Jhamak Lal Devera	"
92	592	Kamlesh Verma	"
93	613	Manohar Singh Rathore	"
94	661	Rajendra Kumar Jain	"
95	704	Shankar Lal Kothari	"
96	743	Vishnu Prashad Bhatnagar	"
97	1029	Dilip Kumar Khothari	MVSJ College

III Year T.D.C. Commerce

98 to 107 Sl. Nos. are not alloted.

108	360	Ram Chandra Jain	B. N. College
109	368	Satya Narayan Pareek	"
110	399	Surendra Singh Rathore	"
111	481	Deepak Kumar Nagar	MVSJ College
112	488	Dilip Kumar Rawat	"
113	498	Fateh Singh Mehta	"
114	Not alloted		
115	530	Jaswant Kumar Kachhara	"

III Year T.D.C. Commerce

116	547	Miss Lad Kumari Lodha	MVSJ College
117	594	Pankaj Mehta	"
118	606	Raj Kumar Mathur	"

119 to 122 Sl. Nos. not alloted

123	649	Suman Lal Mathur	"
124	690	Prabash Upadhyay	"

I Year TDC Arts

(Roll Nos. 37, 43, 48, 49, 262, 569, 1372 & 1404 are at Sol Nos. 177 to 184)

125	3	Bhagwat Singh Panwar	B. N. College

1	2	3	4
126	57	Prithvi Raj Singh Chauhan	B. N. College
127	175	Chatar Singh Jhala	"
128	202	Anil Kumar Paliwal	MVSJ College
129	205	Ashok Kumar Upadhyaya	"
130	307	Mohan Lal Meghwal	"
131	313	Mumtaj Khan	"
132	315	Nahar Singh Rajput	"
133	334	Prem Singh Rajput	"
134	335	Puran Mal Kumbhar	"
135	354	Ram Lal Nagda	"
136	383	Suresh Chandra Bairwa	"
137	522	Raghu Nandan Sharma	"
138	588	Madhu Kant Mundra	SBSH Udaipur
139	599	Narayan Lal Shrimali	"
140	610	Rajni Kant Deveriya	"
141	628	Sushil Choudhary	"
142	823	Amba Lal Khatik	VBRI, Udaipur
143	829	Bheru Lal Jat	"
144	837	Ivan Mukanda Mmaitsi	"
145	839	Jagdish Chandra Harijan	"
146	849	Kundan Singh Rathore	"
147	850	Mahendra Singh Rathore	"
148	854	Manoj Kumar Chaplot	"

I Year TDC Arts

149	942	Miss Chandra Kanta Chittora	MG College
150	1002	Miss Kavita Sharma	"
151	1004	Miss Ladji Choudhary	"
152	1034	Miss Madhu Dangi	"
153	1062	Miss Manju Talesra	"
154	1067	Miss Manjula Sisodia	"
155	1075	Miss Meena Paliwal	"
156	1081	Miss Nalini Kavdia	"

1	2	3	4
157	1117	Miss Paramila Lodha	M.G.C
158	1126	Miss Prem Lata Jain	"
159	1127	Miss Puran Kala Porwal	"
160	1158	Miss Rashmi Rastogi	"
161	1197	Miss Shanta Sharma	"
162	1215	Miss Snehla Chouhan	"
163	1230	Miss Sumitra Vaishnav	"
164	1365	Miss Aruna Asawa	"
165	1385	Miss Gayatri Kewalya	"
166	1389	Giarj Joshi	"
167	1397	Miss Harashlata Mishra	"
168	1399	Miss Janki	"
169	1418	Miss Kirti Patwa	"
170	1432	Miss Manjubala Pancholi	"
171	1463	Mrs. Premlata Doshi	"
172	1476	Miss Rajkumari	"
173	1492	Miss Sita Bhati	"
174	1502	Miss Sulochana Jain	"
175	1516	Miss Tara Salvi	"
176	15[illegible]4	Mrs. Vimla Kumari Rawal	"
177	37	Krishna Chandra Nagda	B. N. C.
178	53	Madhavalal Tailor	"
179	48	Noji Ram Purbia	"
180	49	Nahar Singh Sisodia	"
181	262	Inderlal Barbar	M V S J
182	569	Jagdish Das Karad	S. B. S. H.
183	1372	Mrs Bhagwati Trivedi	M.G.C.
184	1404	Miss Kalavati Chouhan	"
		II YEAR ARTS	
185	8	Ayub Khan Mansuri	B. N. C.
186	9	Babu Singh Balot	"
187	10	Babu Singh Vari	"

1	2	3	4
187A	16	Bhanverlal Choubissa	B.N.C.
188	52	Laxmi Narayan Garg	"
189	56	Manoharlal Talreja	"
190	58	Mohammed Asham Sheikh	"
191	65	Nathur Singh Rao	"
192	72	Raghuveer Singh Hada	"
193	76	Rajendra Singh Rajvanshi	"
194	92	Surendra Singh Rathore	"
195	131	Chandra Prakash Gahlot	"
196	155	Jagdish Chandra Paliwal	M.V.S.J.
197	161	Kanhaiyalal Choubisa	"
198	181	Mahesh Chandra Barber	"
199	228	Ram Gopal Choubisa	M. V. S. J.
200	243	Shambhu Singh Hitawat	"
201	252	Shyam Sunder Nagda	"
202	266	Valat Ram Patal	"
203	357	Narendra Kumar Barber	S. B. S. H.
204	360	Om Prakash Kalal	"
205	376	Ram Singh Ranawat	"
206	396	Tauls Ram Khatik	"
207	446	Prem Prakash Pal	"
208	459	Shantilal Joshi	"
209	465	Sunil Sawami	"
210	486	Hari Shakar Nagda	V.B. R. I.
211	503	Miss Alka Paliwal	M. G. C.
212	504	Miss Alka Saheewala	"
213	525	Miss Asha Ahuja	"
214	526	Miss Asha Arora	"
215	540	Miss Basant Prabha Tirpathi	M. G. C.
216	549	Miss Chandra Kala Gour	M. G. C.
217	572	Miss Harshbala Krishnawat	"
218	577	Miss Indira Paliwal	"
219	598	Miss Kalpana Ydav	"

(312)

1	2	3	4
220.	601	Miss Kamlesh Toshniwal	M. G. C.
221	609	Miss Lajjawati Jain	,,
		II Year T. D. C. Arts	
222	626	Miss Lalita Jain	,,
223	628	Miss Krishana Choudawat	,,
224	701	Miss Pushpa Sharma	,,
225	709	Miss Rajkumari Sukhwal	,,
226	730	Miss Rekha Banthia	,,
227	733	Miss Rekha Rajpal	,,
228	760	Miss Sangeeta Mehta	,,
229	795	Miss Sudha Kapoor	,,
230	796	Miss Sujata Bhatnagar	,,
231	797	Miss Suman Agrawal	,,
232	817	Miss Sushila Chubisa	,,
233	825	Miss Tripati Dave	,,
234	883	Miss Chanda Agrawal	,,
235	884	Miss Chanda Kumari Rorwal	,,
236	899	Misa Indira Maheshwari	,,
237	902	Miss Jeevan Prabha Bhandari	,,
238	905	Miss Kala Iyer	,,
239	915	Miss Lata Kavidya	,,
240	933	Miss Meena Ameta	,,
241	931	Miss Nisha Pandey	,,
242	942	Mrs. Prabha Kataria	,,
243	943	Miss Prabha Kumar Purbia	,,
244	956	Miss Puspa Kumar Lechar	,,
245	963	Mrs. Puspa Upadhyaya	,,
246	970	Miss Ram Gowal	,,
247	973	Miss Sadhna Jain	,,
248	990	Miss Sulochana Mahatma	,,
249	100	0Miss Ujjawal Kumar Rathore	,,
250	1011	Mrs. Asha Kaushik	,,

1	2	3	4
251	1014	Mrs. Hem Lata Menaria	M.G.C.
252	1015	Mrs. Jagdama K. Vijayan	,,
253	1016	Mrs. Kamala Sharma	,,
254	1026	Miss Rani Kumar Sisodia	,,
255	1034	Mrs. Tara Kumar Verma	,,
256	1038	Mrs. Prabha Jain	,,
257	1107	Hukum Singh Rathore	B. N. College.
		III Year TDC Arts	
258	22	Fateh Singh Panwar	B. N. College
259	115	Ashok Kumar Paliwal	MVSJ College
260	121	Bhagwan Puri Goswami	,,
261	126	Bhanwar Lal Seth	,,
262	136	Chhagan Lal Menaria	,,
263	220	Mohd. Munna Khan Pathan	,,
264	237	Neelam Kumar Dhabhari	,,
265	347	Narayan Lal Dangi	SBSH, Udaipur
266	426	Ramesh Chandra Peobhal	,,
267	473	Miss Anjana Shrimali	MG College
268	683	Miss Rahana J. A.	,,
269	806	Miss Vindo Kumari Thankar	,,
270	898	Miss Suman Murdia	,,
271	931	Rekha Tak	,,
272	423	Yasin Mohd.	,,
273	893	Sita Kapoor	MG College

(314)

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 692 की रिपोर्ट की प्रति

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य शाला भण्डार एफ.73 पी.ओ ग्रुफ जयपुर वर्ष 1981-82

प्रस्तावना:—

1. कार्य व्यवस्थापक श्री वाई.एन. भार्गव

2. भण्डार निरीक्षक श्री रामकुमार सिंह

3. उप भण्डार निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह गौड

4. भौतिक सत्यापन कर्ता श्री जी.एन. पारीक

श्री सी. एम शर्मा

(अवधि 14-9-81 से 19-10-81 तक)

5. भण्डार में सामान की स्थिति:—भौतिक सत्यापन के दौरान सभी सामान व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ पाया गया तथा कुल रु. 12.95 का सामान कम पाया गया जिसके लिए श्री महेन्द्र सिंह गौड जिम्मेदार है। तथा सत्यापन के दौरान किसी प्रकार का सामान आधिक्य के रूप में नहीं पाया गया। कमी की राशि का विवरण परिशिष्ट. "अ" पर अंकित है। जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

6. एक वर्ष से काम में न आने वाले सामान का विवरण प्रतिवेदन के साथ तालिका संलग्न है तथा इसमें अंकित सभी सामान "टाटा" वाहनों का होने के कारण भविष्य में भी इस कार्यशाला में उपयोग में नहीं लिया जा सकता। अत: इस सामान को तुरन्त प्रभाव से केन्द्रीय भण्डार में जमा कराया जाना चाहिए।

7. लोन पर दिये गये सामान का विवरण भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसा कोई भी सामान नहीं पाया गया जो लोन पर दिया गया हो।

8. चोरी/गबन के मामले का विवरण:— कोई नहीं।

9. भौतिक सत्यापन हेतु चुने गये माह माह अप्रेल, 1981 से सितम्बर, 1981 तक के केन्द्रीय भण्डार से जारी किये गये चालानों का जी.आर. से मिलान किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। माह अप्रेल, 81 से सितम्बर, 1981 तक का जी. आर.एस. से लेजर का मिलान किया गया जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी।

माह जून, 81 की एस.आर.एस. से लेजर का मिलान किया गया जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी।

315

1. विशेष प्रतिवेदन के अनुच्छेद 6 में वर्णित सामान को केन्द्रीय भण्डार में जमा कराने हेतु कार्य व्यवस्थापक को लिखा जावे।

2. पी.जी.ग्रुप में केवल एक उप भण्डार निरीक्षक का ही पद स्थापन किया हुआ है। अतः एक उप भ. निरीक्षक का पद स्थापन और किया जाना चाहिए जिससे कार्य और भी सुचारू रूप से चलाया जा सके।

ह०	ह०	ह०
ए.एस.आई.	(सी.एम शर्मा)	(जी.एन पारीक)
	एस.डी.डब्लू.एम.	एस.डी.एस.आई.

प्रमाणित किया जाता है कि पी.जी ग्रुप के भौतिक सत्यापन के दौरान सभी सामान का भौतिक सत्यापन पूर्णतया करा लिया गया है ऐसा कोई भी सामान नहीं बचा है जिसका कि सत्यापन नहीं हुआ हो।

एस.डी.
(महेन्द्र सिंह गौड)
एस.एस.आई.

Annexure—"A"

Stock Verification Sheet showing the position of stock in hand on of Stores

S. No.	Bincard No.	LF No.	Part No.	Name of Article	Balance Ledger	Balance Bin-card	Balance Actual	Excess	Shortage	Cost of articles Excess	Cost of articles Shortage
		261 Pg.	BPN 100	Solonicd Cap Rupper	20	20	17	—	3 Nos.	—	2.70
		292 Pg.	40223C	Machine Screw	16	16	10	—	6 Nos.	—	2.40
		299 Pg.	34486	Insulation Bottom Becon	6	6	4	—	2 Nos.	—	0.80
		324 Pg.	L77778	Insldation Paper	25	25	20	—	5 Nos.	—	1.25
		415 Pg.	2030–661	Bush for Terminal	2	2	Nil	—	2 Nos.	—	0.80
		416 Pg.	NKI 6	Wood Roof Key	14	14	10	—	4 Nos.	—	5.00
								Total Amount			12.95

Sd/-
(Mahendra Singh Sour)
SSI Pg

317

Annexure- "B"

List of Dead stock Items (Pg Group) C. W. S. JPR

S. No.	Part No.	L.F. No.	Name of Item	Quantity	Last Date of Issue	Remarks
1.	2440200600	97	Roller Tata D. I.	132	10.4.81	
2.	1413120090	139	Steding Block	111	5.6.78	
3.	1413372072	96	Delevency Value Holder	33	7.3.80	
4.	1418700020	164	Rollor Teappet Assy	34	23.4.81	
5.	HPY 252 Y	155	Closing Plug	160	1.4.81	
6.	0431313003	27	Nozzle Holder Workout Nozzle Tata	39	20.4.81	
7.	1418325898	3	Element Tata DI	49	1.4.81	
8.	1418522019	4	Delonosy Palru Tata DI	132	1.4.81	
9.	9430034202	25	Nozzle Tata DI	159	1.4.81	
10.	9411038411	47	Element	2	1.4.81	

Sd/-

S.S.I. Pg.

19.10.81

318

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार एफ. 74 एल.
एल.एण्ड जी. एस.जयपुर का वर्ष 1981-82

प्रस्तावना:-

1. कार्य व्यवस्थापक श्री वाई.एन भार्गव

2. भण्डार निरीक्षक श्री रामकुमार सिंह

3. उ.भ. निरीक्षक एल.एल. श्री अजीमूद्दीन खान

4. भ. निरीक्षक जी.एस. श्री बनवारी लाल गुप्ता

5. भौतिक सत्यापन कर्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा

श्री महेन्द्र कुमार सोनी

(अवधि 14-9-81 से 19-10-81)

7. भण्डार में सामान की स्थिति -लीलैण्ड व जनरल स्टोर में सामान की कमी नहीं पाई गई।

लीलैण्ड भण्डार में जो सामान अधिक पाया गया उसकी राशि 9.00 रु. है।

8. इंजन आइल की स्थिति -इंजन आइल रिकार्ड के अनुसार ठीक पाया गया।

9. स्थानीय क्रय स्वीकृत राशि 600,000.00 रु. वार्षिक वास्तविक क्रय माह अप्रेल, 1981 से सितम्बर, 1981 तक का मानचित्र संलग्न है।

10. एक वर्ष से काम में न आये सामान की सूची संलग्न है।

11. माह अप्रेल, 1981 के केन्द्रीय भण्डार से जारी किये सामान का मिलान जी.आर.एस. से करने पर कोई अनियमितता नहीं पायी गई।

12. माह अप्रेल 1981 को जी.आर.एस. से लेजर मिलान करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

13. चोरी गबन का कोई मामला नहीं पाया गया।

14. लोन पर किसी प्रकार सामान नहीं दिया गया है।

विशेष-एक वर्ष से काम में न आने वाले सामान को केन्द्रीय भण्डार में जमा करवाने कार्य व्यवस्थापक केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार को पत्र लिखा जावे।

2. कार सैक्शन के लिये जो सामान स्थानीय क्रय किया जाता है उसे केवल जी.आर.एस. मात्र में ही चढ़ाकर वही माल एस.आर.एस. से कार सैक्शन को जारी कर दिया जाता है। इसके खाते उपलब्ध नहीं हैं तथा न ही बिन कार्ड उपलब्ध हैं। जबकि स्थानीय क्रय के माल को खाते में जमा करना अतिआवश्यक है। अत: कार्य व्यस्थापक को पत्र लिखकर भविष्य में खाते खोलने के निर्देश दिलायें।

एस.डी.	एस.डी.	एस.डी.
एस.आई.	(एस.के. सोनी)	(ओ.पी. शर्मा)
एस.डी	स्टोर कैरियर	स्टोर कैरियर
डब्ल्यू.एम	रिकिण्ड एन कापी	एस.डी.एस.एस.आई.

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भण्डार में लीलैण्ड ग्रुप के तहत ऐसा कोई भी आइटम शेष नहीं बचा है जिसका कि भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया हो।

एस.डी.
एस.एस.आई

320

Annexure ' '

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

Store Verification Sheet Showing the Position of Stock in Hand on ——— of Stores? CWS? Stores, Jaipur

S.No.	Bincard No.	L.F. No.	Part No.	Name of Article	Balance			Excess	Shortage	Cost of Article	
					Ledger	B.Card	Actual			Excess	Shortage
1.	21 27 Leyland	21 21 Ley	2½"x½"	Steel gear box	165	165	168	3	–	3.00	9.00

Sd/-
O. P. Sharma,
Store verifier.

F. 74

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

Local Purchase Statement April, 1981 to September, 1981

Month	*Amount*	
April	57,194.92	
May	58 809.57	Budget sanction No. 5671
June	64,988.17	dt. 16-7-81
July	66,875.03	
August	39,371.32	
September	1,00,572.80	due to special programme budget sanction vide 7826 dt. 26-9-81

Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur

The list of Dead Stock Items

S.No	Name of Item	Qunt.	Bin Card No.	Last date of Issue	
1.	PVC Plastic Channel	78 500Kg.	48G[1]	23.1.81	
2.	Pipe Bracket 2"	92	3g[2]	9.10 80	
3.	Van Lock 'Usha'	4 Nos.	40G[2]	8.4.80	
4	Wooden Screw	428	98G[3]	27.9.79	
5.	Electric Rod E-117	5Kg	32G[4]	20.4.79	
6.	Insulation Varnish	68LT	3G[5]	24 12.79	
7.	Side Indicator Asly	2 Nos.	31G[5]	12.11.79	Recd.from Purchase Sec.
8.	DCC wire 20 S.W.G.	4.150 Kg.	32G[5]	3.8.79	
9.	-do- 12 S.W.G.	17 800 ,,	37G[5]	3.8.79	
10.	Holder Point Wooden	4	39G[5]	3 9.79	
11.	Flux 602	1 Kg.	50G[5]	2.1.80	
12.	A/C tickt welding flex	2 Tin	51G[5]	19.12.79	
13.	Safety No. 12	6 Nos.	47G[6]	19 10.79	
14	Hydrolic Acid	44 Kg.	12G[7]	2.8 80	
15.	Water steel plant	one	?6G[7]	1.4.80	
16.	Niwar	7 700 Kg.	29G[7]	1.4.80	
17.	Bus bell	4 Nos.	56G[2]	12.11 79	Recd.from Purch. Sec.

Sd/-
S.S.I. (GS)
CWS, Jaipur

(322)

एफ. 106

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार टाटाग्रुप अजमेर

(वर्ष 1981-82)

श्रीमान् लेखाधिकारी (भण्डार) राज. परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर के कार्यालय आ.क्र. 139 दि. 15-4-82 की अनुपालना में भौतिक सत्यापन दल ने केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार टाटा ग्रुप अजमेर का भौतिक सत्यापन किया, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रस्तावना:–

1. वार्षिक व्यवस्थापक (को.) -श्री इन्द्रवीर सिंह (गत सत्यापन से लगातार)
2. भण्डार अधीक्षक-श्री आनन्द किशोर दिवाकर
3. उप भण्डार निरीक्षक-श्री ललित कुमार अरोड़ा (पूर्व से ही)
4. भौतिक सत्यापन कर्ता- श्री गिरीश कुमार माथुर
5. कनिष्ठ लेखाकार-श्री रामगोपाल कुमावत
6. भौतिक सत्यापन अवधि-दि. 19-4-82 से 5-5-82 तक भण्डार में सामान की स्थिति :–

अ. कमी-भौतिक सत्यापन के दौरान भण्डार में जो सामान कम पाया गया उसकी विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "अ" (ए) पर दी गई है, कृपया अवलोकन करें। कमी की राशि रु. 108.25 के लिए श्री ललित कुमार अरोड़ा एस.एस.आई. द्वारा ग्रुप पूर्णरूप से उत्तरदायी है।

ब. आधिक्य -कोई नहीं।

भण्डार में सामान की उक्त कमी- गबन कार्ड बैलेन्स पर ही पूर्णतया आधारित है क्योंकि लेजर पोस्टिंग अपूर्ण है।

8. एक वर्ष से काम में न आये सामान का विवरण-भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1978-79 को सत्यापन रिपोर्ट में वर्णित कुछ सामान अभी तक भी भण्डार में बेकार ही पड़ा हुआ है जिसकी सूचीगत सत्यापन रिपोर्ट के साथ भी संलग्न की गई थी और इस रिपोर्ट के साथ भी संलग्न की जा रही है जिसका कृपया परिशिष्ट "ब" पर अवलोकन करें।

इस Dead stock को केन्द्रीय भंडार में जमा करवाने बाबत भौतिक सत्यापन दल ने पूर्व में भी और इस बार भी कार्य व्यवस्थापक (बी.) को मीमो दिया, जिसकी प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अब इस मामले में यदि उचित समझा जावे तो श्रीमान् मुख्य भण्डार नियंत्रक महोदय को अवगत करा दिया जावे तथा अविलम्ब केन्द्रीय भण्डार में जमा करवाने बाबत अनुरोध किया जावे।

9. भौतिक सत्यापन दल ने भण्डार के लेखों के मिलान के दौरान यह पाया कि लेजरों में पोस्टिंग अपूर्ण है कहीं कहीं पर केवल 1-4-81 का ही शेष दिखा रखा है और कहीं कहीं अक्टूबर, नवम्बर, 81 तक की प्रविशिष्टयां कर रखी हैं। ऐसी स्थिति में नये लेजर भी नहीं खुल सके हैं। अतः दल ने भौतिक सत्यापन बिन कार्डस के शेषों के आधार पर ही किया है। भण्डार की वास्तविक कमी बेसी की वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए लेजर पोस्टिंग पूर्ण किया जाना अतिआवश्यक है। अतः इस मामले में भण्डार अधीक्षक और कार्य व्यवस्थापक को लिखा जाना अति आवश्यक है कि वे अपने स्तर पर अविलम्ब पोस्टिंग करवाने की व्यवस्था करें।

10. निर्गमन चालान और जी.आर.एस. के मिलान पर पाई गई अनियमितता भौतिक सत्यापन दल ने गत सत्यापन अवधि की एवं वर्तमान सत्यापन अवधि की चालान से जी.आर.एस. का पूर्ण मिलान किया और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई है।

11. जी.आर.एस. और लेजर के मिलान में पाई गई अनियमितता लेजर पोस्टिंग अपूर्ण होने की वजह से जी.आर.एस. का लेजर से मिलान नहीं किया जा सका।

12. एस.आर.एस. और लेजर के मिलान में पाई गई अनियमितता उपरोक्त क्र. सं. 11 में वर्णित स्थिति।

13. चोरी, गबन के मामले का विवरण-वर्तमान में कोई नहीं।

गत रिपोर्ट में वर्णित मामले में कार्य व्यवस्थापक महोदय को भौतिक सत्यापन दल वस्तु स्थिति से अवगत कराने बाबत मीमो दिया गया जिसकी प्रति संलग्न है परन्तु उनकी तरफ से दल को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

14. भौतिक सत्यापन अवधि जिसका सत्यापन नहीं हुआ कोई नहीं।

15. गत रिपोर्ट के रिव्यू पर पाई गई स्थिति गत रिपोर्ट में गबन कार्डस के बेलेन्स की आधार पर दर्शायी गई सामान की कमी/वेसी रिकार्ड के मिलान के बाद यथावत रही।

16. लोन पर किसी प्रकार का सामान नहीं दिया जाता है।

17. प्रतिवेदन पर विचार–विमर्श करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद

श्री इन्द्रवीरसिंह
का.वि. व्यवस्थापक
(योजना) केन्द्रीय कार्यशाला
अजमेर

324

18. **विशेष विवरण:**– 1. टाटा ग्रुप का भौतिक सत्यापन लेजर पोस्टिंग अपूर्ण होने के कारण बिन कार्डस के शेषों के आधार पर किया गया है।

2. टाटा ग्रुप में केवल मात्र एक उप भण्डार निरीक्षक का ही पद स्थापित है जो ग्रुप की इन्वेन्ट्री और कार्य को देखते हुए कम है।

3. भण्डार में जगह की कमी की वजह से कुछ बड़े बड़े और कीमती स्पेयर पार्ट्स सामान भण्डार के बाहर खुले अहाते में पड़ा हुआ है जिसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जो होना अति आवश्यक है।

4. भण्डार के बिन कार्डस में कहीं कहीं पर काटा फागी कर रखी है जिस पर संबंधित उप भण्डार निरीक्षक के हस्ताक्षर भी नहीं हैं जो नियमानुसार गलत है तथा एक गम्भीर अनियमितता की संज्ञा में आता है।

5. टाटा ग्रुप के लिए भौतिक सत्यापन दल को सत्यापन अवधि श्रीमान् लेखाधिकारी (भण्डार) महोदय के कार्यालय आदेश क्र. 139 दि. 15-4-82 द्वारा दि. 19-4-82 तक दी गई थी परन्तु भण्डार में एक ही उप भण्डार निरीक्षक होने की वजह से तथा सामान के अत्यधिक लेने देने की वजह से एवं श्री अरोड़ा एस.एस.आई. के दि. 22-4-82 को कोर्ट पेशी तथ्य तथा 30-4-82 को अवकाश पर चले जाने की वजह से सत्यापन अवधि दि. 29-4-82 से 5-5-82 तक बढ़ानी पड़ी जिसके लिए दल ने श्रीमान् लेखाधिकारी महोदय को मीमो भेजा जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

6. भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की एक प्रति विचार विमर्श के पश्चात् श्री ऐ.के. दिवाकर, भण्डार अधीक्षक को मूल प्रति पर प्रायित के हस्ताक्षर लेकर दल द्वारा दे दी गई।

7. भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कई पिस्टन रिंग सैटों में केवल प्रेसर रिंग ही है जबकि आयल रिंग होना अति आवश्यक है: इस संबध में ग्रुप के प्रभारी श्री अरोड़ा ने दल को बताया कि अकार्य व्यवस्थापक के आदेशानुसार पावर मैक के पिस्टन हेतु इसका रिंग सैट की अनुपलब्धि में महले मैक के रिंग सैटों से अतिरिक्त आयल रिंग निकाल कर पावर मैक में काम में ली गई है। अतः महले मैक के पिस्टन सैटों के लिए (जो कि बिना आयल रिंगों के) अतिक्ति आयल रिंगें क्रय करवायी जावें जिससे उक्त रिंग सैटों का उपयोग किया जा सके।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन टाटा
1981-82 की एक प्रति प्राप्त की
एस.डी. ललित
एस.डी.
(गिरीश कुमार माथुर)
भौतिक सत्यापन कर्ता
कैम्प केन्द्रीय कार्यशाला
अजमेर।

एस.डी.
(आर.जी.कुमावत)
कनिष्ठ लेखाकार
कैम्प केन्द्रीय कार्यशाला
अजमेर।

325

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि टाटा ग्रुप केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार अजमेर का भौतिक सत्यापन दल द्वारा मेरी उपस्थिति में किया गया है तथा, इस ग्रुप के तमाम आइटम्स का सत्यापन मेरे द्वारा करवा दिया गया है। अब भण्डार में किसी भी प्रकार का सामान असत्यापित नहीं रहा है तथा मैंने भौतिक सत्यापन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई तथ्य सत्यापन दल से नहीं छुपाया है। यदि कोई सामान असत्यापित रह गया हो या कोई रिकार्ड दल को नहीं प्रस्तुत किया गया हो तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होऊंगा।

प्रतिहस्ताक्षर	एस.डी
एस.डी	(ललित कुमार अरोड़ा)
भण्डार अधीक्षक	प्रभारी टाटा ग्रुप
केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार	केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार
अजमेर।	अजमेर।

Annexure 'A'

F. 106

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

Stock Verification Sheet Showing the stores in Head of 1981-82 of Stores Tata Group CWS, Ajmer

S. No.	Bincard No.	LF No.	Part No.	Name of Article	Balance			Excess	Shortage	Cost of article
					Ledger	B. Card	Actual			Excess Shortage
1.	—	2/E/0152	000472	030000 Piston		16 Nos.	9 No.	—	7 Nos.	25.90
2.	123T6	1608250	1405	Circlip plug	337	35	35	6	2 Nos.	12.00
3.	2/E/0105	352010	010415	Valve push road Cover		35	34	—	1 No.	43.35
4.	2/E/0135	252057	140111	Over flow pipe		145	143	—	2 Nos.	27.03
									Total ...	108.25

Sd/-
Girish Kumar Mathur
Store Verifier

Sd/-
R. G. Kumawat
Jr. Accountant

Sd/-
Lalit Kumar Arora,
SSI, CWS, Ajmer

ANN. B. F-(106)

Stock Verification Sheet Showing Position of stock in hand on 1981-82 Dead-stock TATA CWS, Ajmer.

1	2	3	4	Bincard 5	Ledger 6
1	65T2	0120380900	Con. Rod Brg.	2 Sets	2 Sets
2	101T2	M5286040/6040	Main Brg. Sets	9 ,,	9 ,,
3	170T6	15955009000	Snap Ringh	17 Nos.	17 Nos.
4	85T3	312262923	Enganging Sleeve 4th & 5th	3 Nos.	3 Nos.
5	46T2	252303149946	Oil Rings Rs. 1020	10 Sets	10 Sets
6	91T2	F255991	Cyl. Linners	11 Nos.	11 Nos.
7	105T2	31210011	Oil Filter housing O/M	6 Nos.	6 Nos.
8	2T5	0000947880	Wheel Sylender washer	83 ,,	83 ,,
9	104T11	252018139001	Oil pressure valve	–	–
10	106T-2	0000947380	Felt selling ring	157 ,,	157 ,,
11	145T5	MB48/1B	Break lining O/M Rear	14 set+6p.	14set+6piece
12	90T3	3122622202	Drive shaft	9 Piece	9 Piece
13	57T7	3124101142	Bassing Joint U	10 ,,	10 ,,
14	43T7	3274600154	Universal Joint cross	16 ,,	16 ,,
15	54T7	3224600230	Steering support	1 ,,	1 ,,

327

1	2	3	4	5	6
16	55T7	3124600411	Steering sactor shaft	5 Set	5 Set
17	116T8	–	Master Sylender piston	4 ,,	4 ,,
18	109T2	3120540501	Tapit TMB	22 ,,	22 ,,
19	126T4	3214210092	Break shoe spring	3 ,,	3 ,,
20	47T3	3122611131	Thread ed ring bushes	5 ,,	5 ,,
21	92T3	3129971903	Sloted plug	6 ,,	6 ,,
22	129T1	–	Air Cleaner stud	95 ,,	95 ,,
23	56T7	A30×30 Din7603	Saling Ring	10 Nos.	10 Nos.
24	88T3	3122610005	Counter shaft	1 ,,	1 ,,
25	89T3	3122611814	Counter double gear	2 ,,	2 ,,
26	94T3	3122622213	Engaging sleev 2/3	4 ,,	4 ,,
27	83T3	3122621611	MS Fist gear	5 ,,	5 ,,
28	53T5	0004230183	Piston WCO/M	13 ,,	13 ,,
29	108T2	3120540405	Push Road	92 ,,	92 ,,
30	82T3	3122622005	Main shaft O/M	13 ,,	13 ,,
31	45T2	3120941191	A/C Rubber sleeve	50 ,,	50 ,,
32	81T3	3412620005	Main Shaft	50 ,,	50 ,,
33	124T0	0002520024	Sim for clutch spring	40 ,,	40 ,,
34	100T2	312037415	Piston Ring set	one,,	one,,

1	2	3	4	5	6
35	99T2	3210370315	Piston Ring set 040	10 Nos	10-Nos
36	98T2	2572611	-do- 030	9 ,,	9 ,,
37	97T2	3120370215	-do- 020	5 ,,	5 ,,
38	96T2	3120370115	-do- 010 O/M	10 ,,	10 ,,
39	95T7	31203770015	-do- C/M	3 ,,	3 ,,
40	139TF1	16220510348	Selling Ring	40 ,,	40 ,,
41	92T2	3120300918	Piston with Ring Set	one,,	one,,
42	94T2	3120301018	Piston pin Ring circlup-040	4 ,,	4 ,,
43	84T8	0000947380	Rubber selling ring-155	155 ,,	155 ,,
44	21T7		Steering bracket	1 ,,	1 ,,

Sd/
S.S.I.,CWS
Ajmer

329

राजस्थान राज्य परिवहन निगम

परिवहन मार्ग,
जयपुर
दि. 23-4-82

No. P.V.P/81-82/8113

कार्य व्यवस्थापक (योजना)
केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर

विषय:– भौतिक सत्यापन वर्ष 1980-81 के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि टाटा ग्रुप केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार अजमेर का वर्ष 1980-81 का भौतिक सत्यापन श्री जे.के. माथुर भौतिक सत्यापनकर्ता ने सम्पन्न किया और सत्यापन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई:–

1. सन् 1978 के अक्टूबर माह में टाटा ग्रुप से Main Brgs M. एवं Begin Brgs चोरी हुये थे तथा सन् 1980 के Feb. माह में इस ग्रुप से 2 New Garh Shaft Tara की चोरी हुई थी।

2. सत्यापन के दौरान ग्रुप में बहुत सा सामान Dead stock पड़ा हुआ पाया गया जिसे केन्द्रीय भण्डार में जमा नहीं कराया गया था।

अतः कृपया उपरोक्त अनियमितताओं की वस्तु स्थिति से भौतिक सत्यापन दल को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।

एस.डी.
भौतिक सत्यापन दल
कैम्प अजमेर।

(331)

F 106

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT
CORPORATION JAIPUR

No. 1943

Ajmer
Dated 28-4-82

From :

Physical Verification Party,
Camp, Ajmer.

To,

Accounts Officer (Stores),
R. S. R. T. C., Jaipur.

Sub : Regarding extension of P. V. Programme

On the above cited subject, it is, requested that the P. V. Programme of Tata Group, CWS, Ajmer was given upto 29-4-82 by you but due to having inventory (In numbers & in quantities also) load of work and shortage of staff, it is absolutely impossible to complete the work in stipulated time.

Hence, you may kindly looking to the above mentioned circumstances, extend the programme upto 5-5-82.

Thanks,

Sd/-
Physical Verification Party
Camp at CWS, Ajmer.

(332)

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन लीलैण्ड ग्रुप केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार, अजमेर वर्ष 1981-82

श्रीमान लेखाधिकारी (भण्डार) राज. परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर के कार्यालय आ. क्र. 139 दि. 15-4-82 की अनुपालना में भौतिक सत्यापन दल ने सर्व प्रथम टाटा ग्रुप का भौतिक सत्यापन दि. 19-4-82 से 5-5-82 तक किया तथा इसके बाद जी.एस. ग्रुप का सत्यापन आपके आदेशानुसार किया जाना था परन्तु इससे पूर्व ही उक्त ग्रुप प्रभारी उर्स मेले की वजह से दि. 26-4-82 से 8-5-82 तक उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान कर गये। अतः श्रीमान् कार्य व्यवस्थापक (यो.) केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर ने अपने पत्रांक 1860 दि. 24-4-82 द्वारा आपको सूचित करते हुये प्रति भौतिक सत्यापन दल की जी. एस. ग्रुप के बजाय लीलण्ड ग्रुप का भौतिक सत्यापन करने बाबत दी। जिसकी प्रति मूल ही प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। दल ने कार्य व्यवस्थापक द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों की पालना से पूर्व अपने मीमो सं. एस.पी./4 दि. 30-4-82 (का. व्यवस्थापक पत्र प्रेषण क्र. 1951 दि. 30-4-82) भेजकर आपसे उक्त निर्देशों की पुष्टि चाही तथा दि. 5-5-82 को टाटा ग्रुप का कार्य समाप्त करने के बाद कार्य व्यवस्थापक महोदय से नोट शीट पर पुनः आदेश प्राप्त कर दि. 6-5-82 को आपको मीमो पुष्टि हेतु भेजकर लीलैण्ड ग्रुप के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

1. कार्य व्यवस्थापक—श्री इन्द्रवीर सिंह (गत सत्यापन से ही लगातार)
2. भण्डार अधीक्षक—श्री आनन्द किशोर दिवाकर
3. भण्डार उप निरीक्षक—श्री जवाहर सिंह (अगस्त 81 से लगातार)
4. भौतिक सत्यापनकर्ता—श्री गिरीश कुमार माथुर
5. कनिष्ठ लेखाकार—श्री रामगोपाल कुमावत
6. भौतिक सत्यापन अवधि—दि. 6-5-82 से 15-5-82
7. भण्डार में सामान की स्थिति :—

   अ. कमी—भण्डार में भौतिक सत्यापन के दौरान सामान की किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई अर्थात सब सही पाया गया।

   ब. आधिक-सत्यापन के दौरान भण्डार में जो सामान अधिक पाया गया उसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर दिया गया है।

8. एक वर्ष से काम न आये सामान का विवरण—सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कुछ सामान गत सत्यापन से तथा कुछ पूर्व से ही भण्डार में वेकार पड़ा है जिसकी सूची का अवलोकन परिशिष्ट 'ब' पर फरमावें। इस सामान को केन्द्रीय भण्डार में जमा कराया जाना उचित रहेगा।

9. भौतिक सत्यापन दल ने यह पाया कि लेजर पोस्टिंग अपूर्ण है जिसके कारण एस.आई.सी. एवं एस.आर.एस. का लेजर से मिलान नहीं किया जा सका।

10. निर्गमन चालान एवं जी.आर.एस. का पूर्ण मिलान किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

11. एस.आर.एस. और बिन कार्ड के मिलान में पाई गई अनियमितता-भौतिक सत्यापन दल ने माह नवम्बर, 81 को कुछ एस.आर.एस. का बिन कार्ड से मिलान किया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

12. जी.आर.एस. को लेजर से मिलान पोस्टिंग अपूर्ण होने की वजह से नहीं किया जा सका।

13. गत सत्यापन के पश्चात् से अब तक भण्डार में किसी प्रकार का कोई चोरी गबन का मामला नहीं हुआ ऐसा दल को अवगत कराया गया।

14. भौतिक सत्यापन अवधि जिसका सत्यापन नहीं हुआ—ऐसी कोई अवधि नहीं है जिसका सत्यापन नहीं हुआ हो। भण्डार का प्रतिवर्ष भौतिक रूप से सत्यापन सम्पन्न कराया जाता रहा है।

15. गत रिपोर्ट के रिव्यू पर पाई गई स्थिति-यथावत गत रिपोर्ट में वर्णित इस भण्डार से संबंधित कर्मचारियों का स्थानान्तरण हो चुका है।

16. भण्डार से लोन पर कोई सामान नहीं दिया जाता है।

17. प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद श्री इन्द्रवीर सिंह, कार्य व्यवस्थापक (यो.)

18. विशेष विवरण:—

1. लीलैण्ड ग्रुप का कार्य पूर्णत: या संतोषजनक पाया गया तथा सामान भी व्यवस्थित ढंग से बिन ब्लाकों में जमा रखा है।

2. इस ग्रुप में कार्यरत उप भण्डार निरीक्षक नियमित एवं लगनशील कार्यकर्ता है। बिन कार्डस की पोस्टिंग पूर्ण पाई गई है।

3. बिन कार्डस में कहीं कहीं काटा फांसी कर रखी है जिस पर हस्ताक्षर किया जाना अतिआवश्यक है।

4. लेजर पोस्टिंग जो कई दिनों से अपूर्ण है उसे पूर्ण करवाया जाना अनिवार्य है ताकि लेजर प्रविष्टि में भण्डार के अन्य अभिलेखों जैसे एस.आई.सी. से मिलान कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।

(334)

5. लेजर पोस्टिंग अपूर्ण होने की वजह से भौतिक सत्यापन बिन कार्ड्स के बैलेन्स के आधार पर किया गया है ।

6. परिशिष्ट "अ" पर दर्शायी गई अधिक की राशि के लिए ग्रुप में कार्यरत उप भण्डार निरीक्षक श्री जवाहर सिंह पूर्ण तथा उत्तरदायी है जिसके लिए श्री सिंह को भविष्य में ऐसी गलती की पुनारावृति न करने बाबत निर्देश दिया जाना है अतिआवश्यक है। वैसे भौतिक सत्यापन दल ने आधिक्य का समायोजन बिन कार्ड्स में कर दिया है ।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन
लीलैण्ड ग्रुप वर्ष 1981-82
की एक प्रति प्राप्त की
एस.डी.एस.एस.

एस.डी./-
भौतिक सत्यापनकर्ता
एस.डी.
(आर. जी. कुमावत)
कनिष्ठ लेखाकार
कैम्प अजमेर

यह प्रमाणित किया जाता है कि लीलैण्ड ग्रुप केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार अजमेर का भौतिक सत्यापन पूर्ण मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन दल से करवा दिया है तथा मेरे उक्त भण्डार में ऐसा कोई सामान नहीं शेष रहा है जिसका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया हो। इसके अलावा मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने भौतिक सत्यापन दल को समस्त भण्डार का संबंधित रिकार्ड जांच करने हेतु प्रस्तुत कर दिया है तथा कोई तथ्य नहीं छुपाया है। यदि कोई सामान भौतिक सत्यापन से रह गया होगा तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होऊंगा ।

एस.डी./-
प्रभारी
लीलैण्ड ग्रुप, केन्द्रीय कार्यशाला
अजमेर

Annexure "A"

F 107

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

Stock Verification Sheet Showing the Position of Stock in Hand on 1981-82 of Stores Leyland Group CWS, Ajmer.

S.No.	Bincard No.	L. F. No.	Part No.	Name of Article	Balance Ledger	Balance B. Card	Balance Actual	Excess	Shortage	Cost of articles Excess	Cost of articles Shortage
1.		17L5 1/s/10502	266638 F. 4931010	Seating Strg	–	102	103	one	–	4.00	–

Sd/-
Girish Kumar Mathur
Store Verifier

Sd/-
Jr. Accountant

(38)

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR.

From :

Works Manager (P)
Central Workshop,
Ajmer.

To :

Accounts Officer (Ledger/ Stores) RSRTC, Jaipur.

No. RSRTC/............... Dated...............198

Sub : VERIFICATION OF CWS, STORES AJMER

As per programme given by you the physical verification party is required to conduct verification of G. S. Group with effect from 29-4-82.

S. S. I. Shri Chisty who is working in this group is proceeding on leave w.e.f. 26-4 to 8-5-82 because of Urs. festival. Therefore it is requested that the verification party may be asked to conduct verification of Leyland group during this period. The verification of G.S, group will be done after the SSI Shri Chisty comes back from leave,

Sd/-
WORKS MANAGER (P)

No. 1860 Date 24-4-82

Copy to :-

Shri Girish Kumar, S.V., Camp, Ajmer for information.

Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur.

Leyland Group CWS, Ajmer. Annexure 'B' (Dead Stock)

S. No.	Part No.	Particulars	Qnty.	Last date of Issue
1	2	3		4
1	AL10190	Cap. Mfg. Bracket	2 Nos.	13.3.80
2	529237	Support -do-R4	2 ,,	20.7.80
3	549662	Rivits for clutch plug	17 sets	22.11.80
4	AL10193	Hose connection pipe	62 Nos.	22.10.81
5	AL5164	Div pipe El. Valve to Union	one	29.1.80
6	601897	Injector rubber seal	180 Nos.	28.5.81
7	236423	Needle Roller steag	1451 ,,	7.3.81
8	-do-	Stucls 4½ × 3/8	76 ,,	13.5.78
9	-do-	Studes 2½ × 3/8	22 ,,	13.5.78
10	-do-	Nut 13/16 dia	9 ,,	17.5.78
11	-do-	Studs 5½ × 5/8	6 ,,	13.5.81
12	-do-	Studs for Incl mainfield	44 ,,	19.1.81
13	-do-	studs 45/8 × 37 8	59 ,,	14.9.81
14	F.B104/4	Bolt ½" × ¼" dia	26 ,,	10.6.81
15	AL10036	Steering Plug Filter	32 ,,	1.9.81
16	239296/47	Cover plate steering LL	20 ,,	30.10.78
17	23641-1	Roller for Rocker shaft	6 ,,	31.1.79
18	236421/SILH	Washer Steering LL	9 ,,	30.11.78
19	60.06	Steering Bolt Rear Adjust	5 ,,	19.4.78
20	236425	Pin Rolling Stud steering	12 ,,	23.11.78
21	AL/10193	Hose connecting pipe	62 ,,	12.10.81
22	AL/5164	Air pipe front valve	1 ,,	29.1.80
23	236279	Track plate	3 ,,	3.5.78
24	M110030	Air truck safetly valve	5 ,,	8.5.81
25	GB41347	Pilot pin 350	20 ,,	3.5.81
26	475K28	Speed Change fork	22 ,,	17.7.80
27	424K24	G. B. Covering Tap	5 ,,	22.8.80
28	1038Z22	Distance piece MS Speed	15 ,,	3.11.80
29	DL 2289	Bowel pin Rear	9Nos.	19.10.80
30	DL 10250	Greece nipple	75 ,,	4.4.80

338

1	2	3	4	
31	DL 102222	Reverse shaft	4 Nos.	12.8.79
32	475K49	Reverse rhifting fork	3 „	29.9.80
33	AL2299	Governor -do-	22 „	7.10.80
34	471K24	Ist Speed gear main shaft	16 „	23.3.81
35	546K13	Top cover gear Box	38 „	22.1.81
36	--	Gear pipe steel LL	156 „	2.5.78
37	—	Sleave Reverse gear	3 „	29.12.80
38	—	Cover gear connecting shaft	4 „	
39	—	Snap Ring	2 „	25.7.80
40	—	Distance washer C/S	1 „	25.7.80
41	—	Split Washer	2 set	4.4.80
42	—	Fix Dog Clutch 2nd-3rd	4 „	8.8.80
43	—	Snaf Ring (Gr. Box)	80 „	16.4.80
44	—	Distance piece counter shaft	16 „	23.1.83
45	—	Dovel pin	10 „	30.10.81
46	—	Battery Baupler for EB	53 „	2.5.78
47	--	Rear break hose Tea	1 „	8.9.80
48	601897	Injector Rubber seal	180 „	26.5.81
49	4636	Clamp (Injector pipe)	121 „	29.12.11
50	AL8470	Piston gudgeh pin	12 „	17.3.78
51	DL274	Injector sleev	11 „	6.7.78
52	DL4444	Flange (Inlet mainfield)	18 „	16.1.81
53	600931	Relief Valve cap	20 „	29.4.78
54	254635	Cam shaft sim	105 „	24.6.80
55	DL9050	Oil pump shaft 370 O/M	84 „	20.6.79
56	M330324	Housing for unloading valve	4 „	2.3.80
57	M130440	Bush for A/C connecting Rod	20 „	10.1.81
58	M330060	Flenger for U Holder valve	4 „	12.3.80
59	M911910	Stud for unloader valve	7 „	24.10.78
60	M330111	Top cover for unloader valve	4 „	12.3.78
61	M130510	A /C locking switch	59 „	7.9.78

Sd/-

S.S.I. Leyland

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन वर्ष 1981-82
केन्द्रीय कार्यशाला, आर सी./सी.आर. एण्ड डी./ग्रोल्ड/अजमेर
अजमेर।

श्रीमान लेखाधिकारी भण्डार मुख्यालय के आदेश क्रमांक 94 दिनांक 5-3-82 की पालना में आर.एन.डी./आर.सी./ ग्रोल्ड का भौतिक सत्यापन का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम एवं पद निम्न प्रकार हैं :—

1. कार्य व्यवस्थापक (योजना)	श्री आर.एस. नवल
फिलहाल	श्री आई.बी. सिंह
2. संभाग यांत्रिक अभियन्ता	श्री एस.के. गोयल
	श्री बी.एल. गुप्ता
	श्री ए.के. खन्ना
3. सहायक यांत्रिक अभियन्ता इंचार्ज (आर.एण्ड.डी.)	श्री शिवराजसिंह
4. जूनियर इंजीनियर	श्री एस.एम. बासक
5. जूनियर फोरमैन	श्री एस.के. सक्सैना
6. चार्जमैन	श्री पी.सी. कच्छावा
आर.सी. मेजर माइनर (ऐसम्बली)	श्री निरंजनसिंह द्वितीय श्रेणी मैकेनिक पूर्व से निलम्बित 14-4-82
डीजल आयल	श्री विरमसिंह हैल्पर, निलिम्बित 14-4-82
आर.सी.	श्री खेमसिंह द्वितीय श्रेणी मैकेनिक पूर्व से
ग्रोल्ड	श्री विजय सिंह द्वितीय श्रेणी मैकेनिक
	श्री भूदेव प्रसाद शर्मा मैकेनिक द्वितीय श्रेणी पूर्व में माईनर
भौतिक सत्यापन कर्ता	गोपाल लाल रिया
कनिष्ठ लेखाकार	नारायण प्रसाद शर्मा
भौतिक सत्यापन अवधि	13-4-82 से 26-4-82

1. भौतिक सत्यापन के दौरान आर.सी सामान अधिक पाया गया उसका विवरण रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट 'ए' पर अंकित है इसके लिये श्री खेमसिंह उत्तरदायी हैं।

2. जो पुराना सामान अधिक पाया गया उसका विवरण परिशिष्ट 'बी' पर अंकित है इसके लिये श्री भूदेव शर्मा उत्तरदायी हैं।

(340)

3. डीजल आयल—डीजल आयल कम पाये जाने की रिपोर्ट परिशिष्ट 'सी' पर अंकित है अधिक पाये जाने की रिपोर्ट परिशिष्ट 'डी' पर अंकित है इसके लिए श्री बिरमसिंह रावत जो फिलहाल निलम्बित चल रहे हैं जिम्मेवार हैं। डीजल आयल का दि. 20-4-82 को ग्राउण्ड बैलेन्स भौतिक रूप से श्री एस.एम.बासक के सामने लिया गया। इसमें कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व में ही निलम्बित कर दिया गया था, इस कारण पोस्टिंग भी अधूरी ही थी तत्पश्चात् इनके स्थान पर अन्य कर्मचारियों को लगाकर पोस्टिंग पूर्ण करवाई गई जो दिनांक 13-4-82 से बकाया चल रही थी। इसके बाद पोस्टिंग पूर्ण होने पर जो कम व अधिक बैलेन्स आया उसकी शीट पर कार्यरत कर्मचारियों के हस्ताक्षर न होने की वजह से श्री एस.एम. बासक द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा कर्मचारी के निलम्बित होने के वजह से सही स्थिति मालूम नहीं हो सकी इस बारे में भौतिक सत्यापन कार्यरत कर्मचारियों के माल बहाल होने के बाद दुबारा करवाया जावे। तो उचित होगा।

4. आर.सी सामानों का भौतिक—सत्यापन बिन कार्ड के आधार पर किया गया स्टाक रजिस्टर आदि संधारित नहीं पाये गये।

3. आर.सी मेजर एसेम्बली—इसका भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया क्योंकि इसमें कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व में ही निलम्बित कर दिया गया था। इनके अभाव में अन्य कर्मचारियों द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके कारण सत्यापन कार्यपूर्ण नहीं हो सका इस संबंध में कार्य व्यवस्थापक (योजना) से दि. 22-4-82 को वार्ता भी की गई उन्होंने अवगत कराया कि कर्मचारी निलम्बित होने के कारण इस कार्यवाही करने में कुछ समय लगना आवश्यक है। अतः भौतिक सत्यापन कुछ समय बाद करवाया जावे तो उचित होगा।

6. पुराने मेजर एसेम्बली—पुराने मेजर एसेम्बली का स्टाक रजिस्टर नहीं होने के कारण जो एसेम्बली भौतिक रूप में पाई गयी उसका विवरण परिशिष्ट 'ई' पर अंकित है।

7. पुराने सामान का चालानों से मिलान—अप्रेल, 81 से जून 81, तक का किया गया इसमें जो कमियां पाई गई वह निम्न प्रकार हैं:-

एस.आई.सी.	564482	दि.	6-4-81	ओल्ड रियर एक्सल होजींग का इन्द्राज स्टाक में नहीं पाया गया।
"	69844	"	8-4-81	कन्टींग रोड दस सेट कन्वटींग रोड ब्रुश दस सेट
"	69841	"	8-4-81	क्रैन्क साफ्ट 13 के स्थान पर 12 की पोस्टिंग है
"	183856	"	4-4-81	क्रान विलपीनन एक सेट
"	70790	"	25-9-81	कट आउट बीस न.
"	11313	"	22-6-81	वाटर पम्प एक
"	40950	"	10-6-81	फ्रन्ट हब दो क्रोन व्हील पिनियन एक
"	111145	"	11-6-81	रियर अप ड्रम दो, फ्रन्ट हब दो

उक्त सभी सामानों का इन्द्राज लेजर में नहीं पाया गया किन्तु सत्यापन अवधि के अन्दर श्री एस.एन. बासक द्वारा करवा दिया गया।

8. आर.सी के प्राप्तों के चालनों का टेस्ट मिलान–अप्रेल,मई जून, 81 का किया गया व सही पाया गया।

9. आर.सी. के जारी करने के चालानों का विवरण अगस्त, 81 से अप्रेल, 82 तक टेस्ट चैक किया गयाः–

एस.आई.सी. न.	1976	दि. 5-9-81 स्टेरिंग एसेम्बली लीलैण्ड का इन्द्राज बिन कार्ड में नहीं पाया गया
"	166042	दि 10-12-81 स्पीड कन्ट्रोलर ब्रेकट 50 नग
"	86897	दि. 5-11-81 आर.सी. सैल्फ स्टारटर 2 कट आउट 4 अल्टीनेटर 2

उक्त सभी सामानों का इन्द्राज बिन कार्ड में नहीं पाया गया इसकी जिम्मेदारी श्री खेम सिंह व निरंजन की है।

विशेष विवरण :–

निगम नियमानुसार रिकार्ड संधारित किया हुआ नहीं पाया गया जैसे कि आर.सी. सामान का जी.आर.एस. एवं स्टोक रजिस्टर का होना आवश्यक है किन्तु ना तो स्टाक रजिस्टर पाया गया न ही जी.आर.एस.बनाई गई इस प्रकार श्रोल्ड मेजर एसेम्बली एवं श्रोल्ड क्रेंक साफ्ट का भी स्टाक रजिस्टर व बिन कार्ड का होना नितान्त आवश्यक है । सामान आदि भी ढेर लगा हुआ पाया गया । जिससे सही स्थिति का अवलोकन किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता । रिकार्ड आदि भी अस्त व्यस्त पाया गया। आर. एण्ड डी. श्रोल्ड में कुछ सामान बिना रिकार्ड किए हुए पाया गया है जो अनुपयोगी बताया गया। डीजल, आयल भण्डार से बाहर पाया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान उच्च अधिकारियों से बातचीत करने पर भी कोई उचित व्यवस्था न की जा सकी क्योंकि दो कर्मचारी निलम्बित चल रहे थे। स्टोक रजिस्टर जो बने हुए हैं उन पर किसी उच्च अधिकारी के प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार सत्यापन कार्य में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चोरी गबन के मामले में मौखिक रूप से बताया कि ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। आर. एण्ड डी. में एस.एस.आई. का होना नितान्त आवश्यक है। किन्तु एक भी एस.एस.आई. कार्यरत नहीं पाया गया।

रिपोर्ट डिस्कसकर्ता एवं पद — श्री आई.बी.सिंह कार्य व्यवस्थापक (योजना)
श्री ए.के. खन्ना, संभाग वां.अभियन्ता
श्री एस.एस. बासक, कनिष्ठ अभियन्ता

एस.डी.	एस.डी.
कनिष्ठ लेखाकार	भौतिक सत्यापन कर्ता

362

Discussed with W.M. (P) in presence of Verifier, since staff working in this section are under suspension, it is better the party is sent after 15|one month to complete the pending work

Sd/-	Sd/-	Sd/-
I. B. Singh	ME	A.k. khanna
WM (P)		B.M.E.

भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय कार्यशाला R/D|R/C/old में उपलब्ध R/C मेजर Assembly के अलावा सभी सामान का भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है। भौतिक सत्यापन के दौरान 13-4-82 24-4-82 तक मेजर Assembled के अलावा कोई भी सामान बिना सत्यापन के नहीं रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई सामान बिना सत्यापन के रह गया होगा तो हमारी पूर्ण जवाबदारी होगी।

एसडी/
(खेम सिंह)

— —

Annexure "A"

F. 110

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

R/C Excess Item

Stock verification sheet showing the position of stock in hand on 22.4.82. of stores, CWS, Ajmer

S.No.	Bincard No.	L. F. No.	Part No,	Nomencal ture	Balance			Excess	Short age	Cost of article	
					Ledger	B Card.	Actual			Excess	Shortage
1.	165	—	—	R/C Ampire meter	—	214	237	23			
2.	25/4	—	—	Clutch houring. 1.	—	14	17	3			

Sd/-
Khem Singh IInd Grade
Mechanic
S/d
I. B. Singh

Annexure 'B'

F.110

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

Ajmer CWS General Excess List old

Stock Verification sheet showing the position of stock in hand on 22.4.82 of stores, CWS, Ajmer

Sl. No.	Bin Card No.	LF No.	Part No.	Nomencalature	Balance			Excess	Shortage	Cost of Article	
					Ledger	B.Card	Actual			Excess	Shortage
1	–	80	–	Tube Volt Krusing	–	1	2	1	–		
2	–	–	–	Alternature 12V	–	–	2	2	–		
3	–	S	–	Oil Pump TATA	6	–	13	7	–		
4	–	9	–	Pressar PlatsTATA	36	–	47	11	–		
5	–	31	–	Radiator TATA	8	–	15	7	–		
6	–	130	–	„ Leyland	9	–	11	2	–		
7	–	14	–	Self 12 V	75	–	98	23	–		
8	–	26	–	Dyanoma 24 V	11	–	12	1	–		
9	–	36	–	Dyanoma 12 V	82	–	108	15	–		
10	–	64	–	„ 24 V	29	–	30	1	–		
11	–	78	–	Salmoid	92	–	103	11	–		

Sd/-

Annexure "C."

F. 110.

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR.

Stock Verification Sheet Showing the Position stock in hand of 20-4-82 of Stores R/C OID/R &D CWS, Ajmer

S. No.	B. Card No	L.F. No.	Part No.	Nomencalture	Balanced			Excess	Shortage	Cost of Articles	
					Ledger	B. Card	Actual			Excess	Shortage
1.		26/27	–	Diesel	524 litre	–	350 litre	–	174 litre		
2.		151	–	Brake oil	1 litre	–		–	1 litre		

I accompanied the stock verifier just to co-operative him in verification. The above quantities are only on imagination not measured by any measure or measuring Tape. Better to re-verify when the dealing person comes back.

Sd/-
26-4-82

Annexure 'D'

F. 110

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORTATION, JAIPUR.

Stock Verification Sheet Showing the Position of Stock in hand on ——————— of stores R/C
R&D OLD CWS Ajmer

S No.	Bincard No.	L.F. No.	Part No.	Nomencalture	Balance			Excess	Shortage	Cost of article	
					Ledger	B. Card	Actual			Excess	Shortage
1	–	65	–	Engine Oil	1513	–	1535	22	–		
2	–	85	–	Gear Oil	254	–	275	21	–		
3	–	113/114	–	Cottan West	300KG	–	275KG	25	–		
4	–	170	–	Bearing Gress	99KG	100	100KG	1KG	–		

I Just accompanied the stock verifier to co-operate him in his verification. The above quantities recorded by him only on imaginations. not measured by any measure, the assuming tape, balance & weight. Better to re-verify when the dealing person comes back.

Jr. Engineer
Sd/-
26-4-82

Annexure 'E'

F. 110

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

Stock Verification Sheet showing the Position stock in hand on 20.4.82 of stores CWS, Ajmer

S. No.	Bin Card No.	L.F. No.	Part No.	Nomencalture	Balance			Excess	Shortage	Cost of article	
					Ledger	B.Card	Actual			Excess	Shortage
1	–	–	–	FI Pump TATA	–	–	105	–	–		
2	–	–	–	FI Pump LL	–	–	94	–	–		
3	–	–	–	Crank Shaft TATA	–	–	48	–	–		
4	–	–	–	Crank Shaft LL	–	–	127	–	–		
5	–		–	Injector Shaft TATA	–	–	–	–	–		
6	–	–	–	-do- LL	–	–	–	–	–		
7	–	–	–	Iron Box TATA	–	–	–	–	–		
8	–	–	–	-do- LL	–	–	–	–	–		
9	–	–	–	Front Excle TATA	–	–	–	–	–		
10	–	–	–	Rear Excle Ass. TATA	–	–	–	–	–		
11	–	–	–	-do- LL	–	–	–	–	–		
12	–	–	–	Engine Assy. TATA	–	–	–	–	–		
13	–	–	–	-do- LL	–	–	–	–	–		
14	–	–	–	Stearing Ass. TATA	–	–	–	–	–		

Sd/

347

348

F. 111

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यशाला
भण्डार पी.जी. ग्रुप अजमेर।
वर्ष अवधि 1981-82

प्रस्तावना:–

लेखाधिकारी भण्डार रा.रा.प.प. निगम जयपुर के आ. क्र. 94 दि. 5-3-82 की अनुपालना में पी.जी. ग्रुप का भौतिक सत्यापन किया गया का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

1. कार्य व्यवस्थापक (योजना)	श्री आई.बी. सिंह श्री गोयल-पूर्व से श्री बी.एल. गुप्ता जुलाई से 14-2-82 तक
2. संभाग यांत्रिक अभियन्ता	श्री ए.के. खन्ना 15-2-82 से
3. भण्डार अधीक्षक	श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा आनन्द दिवाकर
4. उप भण्डार निरीक्षक	श्री गफूर खां
5. उप भण्डार निरीक्षक	श्री रेखाराम श्री फरेवलीन गिलेबीन
6. लेजर पोस्टिंग	श्री हरगोविन्द शर्मा एस.एस.आई. श्री भगवती स्वरूप चाजमैन
7. जी.आर.एस. बनाने वालों का नाम	श्री चन्द्र मोहन पाठक श्री आर.डी.अग्रवाल
8. भौतिक सत्यापनकर्ता	श्री जी.एल.रिया
9. कनिष्ठ लेखाकार	श्री एन.पी.शर्मा
10. भौतिक सत्यापन अवधि	23-3-82 से 12-4-82

11. भण्डार में सामान की स्थिति -पी.जी.ग्रुप का भौतिक सत्यापन के दौरान कोई सामान कम नहीं पाया गया। जो सामान अधिक पाया गया वह परिशिष्ट ए में बताया गया है इसके लिये ग्लेडब नीप्रेकलीन जिम्मेदार है।

12. एक वर्ष से काम में न आने वाले सामान का विवरण-परिशिष्ट "बी" पर अंकित है।

13. स्थानीय क्रय-परिशिष्ट "सी" रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. लेजर पोस्टिंग-जुलाई, 1981 से अपूर्ण पाई गई जिसके कारण बिन कार्ड के आधार पर भौतिक सत्यापन किया गया लेजरों में मूल्यांकन अंकित नहीं पाया गया।

15. चालान एवं जी.आर.एस. का मिलान पर पाई गई अनियमितताएं-भौतिक सत्यापन के दौरान चालान व जी.आर.एस. का मिलान 1-4-81 से 31-3-82 तक किया गया। जिसमें निम्न कमियां पाई गई :–

1. एस.आर.एस. न. 117 पी.जी. दि. 28-5-81 के द्वारा क्र. 10 इन्जेक्ट, आयल सील पार्ट नम्बर 233039 सी. 500 नग केन्द्रीय भण्डार जयपुर को जारी किये गये किन्तु उक्त आयल सील के वजाय क्लच रिलीज आयल पार्ट नम्बर 274247 (एल 6921) कि जी. आर. "2" एस.नम्बर 161 दि. 26-6-81 को बनाई गई एस.एस. के द्वारा 25.-6-81 को सेन्ट्रल स्टोर को गलत जारी होने हेतु पत्र लिखा गया। इसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु सेन्ट्रल स्टोर जयपुर से पूछना आवश्यक है।

2. एस.आई.सी.नम्बर 17 पी.जी., 3-7-81 सी.डब्ल्यू. ए स. जयपुर के द्वारा अजमेर को जो सामान जारी किया गया उसमें से तीन आइटम की जी.आर.एस. नहीं बनाई गई जिसमें क्र.स. 4,6,8, है।

1. 6 डिलेवरी वाल मैक मोटर पाल

2. 6 पम्प ऐलिमेन्ट मैक मोटर पाल

3. 6 नोजल मैक मोटर पाल

उक्त सामान श्री पाठक चार्जमैन के पास अभी भी रखा हुआ है।

3. एस.आई.सी. नम्बर 666 दि. 3-3-82 के द्वारा 15 आइटम सप्लाई किये गये जबकि जी.आर.एस. 14 आइटम की बनाई गई जिसके क्रम सं. दो स्वरूप 100 नग की जी.आर.एस. न बनाने की जिम्मेवारी चार्ज मैन की है।

16. जी.आर.एस. से लेजर का मिलान—मार्च, 1981 से जून, 81 तक किया गया जो अनियमितता पाई गई वे निम्न हैः–

1. जी.आर.एस. नम्बर34 दि. 11-4-81 स्करु फोर रो न प्लेट पार्ट नम्बर 26100 436-60 नग की बनाई गई बिन कॉर्ड व लेजर में 40 नग का इन्द्राज किया गया है इस प्रकार 20 नग का कम इन्द्राज है लेजर पेज नम्बर 57 पी.जी. इसके लिये जिम्मेदार श्री रेखाराम एस.एस.आई. है।

2. जी.आर.एस. नम्बर 138 एल.पी. 4-5-81 पार्ट नम्बर 9030-275 ई. 6 नग की बनाई गई जबकि ग्रुप प्रभारी श्री रेखाराम द्वारा केवल 9 नग ही प्राप्त किये गये इस प्रकार 4 नग की जी.आर.एस. बनाने वाले श्री चन्द्र मोहन पाठक की जवाबदारी है। इनसे इस संबंध में पूछा जावे कि इसके द्वारा किस प्रकार यह अनियमितता की गई।

16.II लोन पर दिये गये सामानों का विवरण–कोई नहीं

350

3. जी.आर.एस. नम्बर 37 दि. 11-4-81 वाइसर 60 नग की जी.आर.एस. बनाई लेजर में केवल 30 नग इन्द्राज है बिन कार्ड में तो 60 नग है एल.एफ न 30 पी.जी

4. जी.आर.एस. नम्बर 108-13-5-81 को फ्रन्ट हब इनर बोरिंग 40 की जी.आर.एस. है लेजर में 38 का इन्द्राज है लेजर पी जी. न. 38 पी.जी. इसके लिये लेजर पोस्टिंग वाले पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

17. एस. आर. एस का मिलान अप्रेल, 1981 का किया गया उसमें एस.आर. एस नं. 171978 के द्वारा फिट पम्प गिलास 3 नग जारी किये गये हैं जबकि लेजर में 5 अंकित हैं इस प्रकार दो का अधिक इन्द्राज किया गया है लेजर पोस्ट कर्ता जिम्मेदार है।

18. चोरी गबन का विवरण-इस संबंध में 3-4-82 को एक मीमो दिया गया मूल पर ही एस. एस. द्वारा यह अंकित किया गया कि चोरी गबन का कोई मामला नहीं है डी.एम.ई. द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

19. अनुपलब्धता का प्रतिशत-35 सामान अनुपलब्ध रहा।

20. गत रिपोर्ट की स्थिति इसके लिये एक पत्र लिखा गया प्रति संभाग यांत्रिक अभियन्ता को भी दी गई एस. एस. द्वारा प्राप्त उत्तर रिपोर्ट के साथ संलग्न है डी. एम. ई. के द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

21. पुराने सामान का लेखा जोखा—पुराने सामान का लेखा जोखा पूर्ण नहीं पाया गया बेरिंग व पम्प का पुराना सामान ग्रुप प्रभारी द्वारा लिया जाता है इसके अलावा सभी पुराना सामान ग्रुप में जमा नहीं कराया जाता है बल्कि आर. एस. डी. (ओल्ड) में कराया जाता है जिसके कि अलग से ए.एम. ई. प्रभारी हैं।

रिपोर्ट डिसकस करने वाले अधिकारियों के नाम

1. श्री आई.जी. सिंह (कार्य व्यवस्थापक योजना)

2. श्री ऐ.के. खन्ना (संभाग यांत्रिक अभियन्ता)

3. श्री आनन्द दिवाकर (भण्डार अधीक्षक)

विशेष विवरण--पूर्व भौतिक सत्यापन के दौरान जी..आर.एस. नहीं बनायी जाती थी एवं साथ ही वर्ष 1981-82 के लेजरों में एस.एस. द्वारा प्रमाणितकरण नहीं किया गया है।

2. लेजरपोस्टिग में दो कर्मचारियों को लगाया गया है जब भी लेजरपोस्टिग अपूर्ण है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे।

रिसीवड वन कापी	एस. डी./-	एस. डी./-
ए स. एस. सी. डब्ल्यू. एस.	(ऐन. पी. शर्मा)	(जी.एल.रिया)
	कनिष्ठ लेखाकार	भौतिक सत्यापन कर्ता

भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन के दौरान 23-3-82 से 12-4-82 के. पी. जी. के सभी सामान का भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है। ऐसा ग्रुप में कोई भी सामान बाकी नहीं रखा है जिसको कि सत्यापन हेतु सत्यापन दल को प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अगर इसके अलावा भी अगर ग्रुप में कोई सामान बिना सत्यापन के रह गया होगा तो मेरी पूर्ण जवाबदारी होगी।

एस. डी./-	एस. डी./-
एस. एस., सी. डब्ल्यू. एस., अजमेर	पी. जी. ग्रुप प्रभारी
	केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर।

———

Annexure 'A'

Excess–**P.G.** Group. **F.111**

Stock **V**erification Sheet showing the **P**osition of stock in hand of stores Central Work Shop, **AJMER**

S. No.	Bincard No.	L.F.No.	Part No.	Nomencalture	Balance			Excess	Shortage	Cost of articles	
					Ledger	B.Card	Actual			Excess	Shortage
1	–	4 Pg 3	00054000	Pull Push Switch		5	7	2	Nil		
2	–	21 Pg 3	500401/402	Dmmed Switch		34	37	3	–		
3	–	124 Pg 2	0005426202J	Oil Metea		24	25	1	–		
4	–	132 Pg 1	0009818601	Tail Pinion Brg.		23	24	2	–		
5	–	91 Pg 2	9030-300	Day cartan Brush		32	40 Nos.	8Nos.	–		

Sd/-
S.S.
C.W.S.

ANNEXURE 'B'

LIST OF DEAD STOCK ITEMS DATED 1-4-81

S. No.	Part No.	Description	Qut.	Dt. of last issue	Remarks
1.	3121881179	Cooling plate packing	31 No.	30.5.81	127 Pg 10
2.	1420328030	Bush Mieo	6 No.	31.3.76	31 Pg 5
3.	1420026000	Segment	24	16.3.79	126 Pg 5
4.	1414618005	Spring	50	31.1.81	30 Pg 5
5.	2916080015	Ring	94	20.4.81	35 Pg 5
6.	2430100012	Shirn	430	14.5.79	27 Pg 6
7.	2916710602	Washer	192	12.4.78	28 Pg 6
8.	9411035251	Pump Housing DI	11	17.9.77	56 Pg 6
9.	A 14	R.L. Bulb 24 V D/C	100	10.1.77	20 Pg 3
10.	600906	Gasket for Cyl Head cover	14	16.4.81	88 Pg 6
11.	3120150222	Gasket for push rad, cover	5	13.7.78	104 Pg I
12.	267263	Sump Joach	4	10.4.80	151 Pg 5
13.	297099	Gasket for timing cover	20	21.4.80	21 Pg 7
14.	26380140	C/o Point ogm 24	90	20.12.77	40 Pg 3
15.	—	Spacer for com. shaft	2	25.5.78	56 Pg 5
16.	2443462009	Closing Plug for F pump	38	17.1.79	55 Pg 5
17.	—	Screw for mico	20	25.5.78	51 Pg 5
18.	—	Feed pump plug	2	25.5.78	58 Pg 5
19.	1420322623	Bush for Governar LL	13	30.1.80	64 Pg 5
20.	2910012294	Screw	106	1.6.78	60 Pg 6
21.	9421035705	Flange	10	21.11.77	82 Pg 6
22.	1415126075	Pump Houing	3	28.9.77	54 Pg 6
23.	WMS 25P 123 X	Shin mico	1	4.11.76	57 Pg 6
24.	1412131114	Connection	8	31.3.76	25 Pg 5
25.	1410102629	Shim	182	30.9.76	47 Pg 4
26.	1410101616	Shim	152	31.3.76	109 Pg 5
27.	WMS/101/27	Shim	10	15.2.77	87 Pg 5
28.	1900210013	Oring	104	7.11.79	144 Pg 5
29.	WMS 728/IX	Dise plate	8	2.6.79	95 Pg 5
30.	1413351000	Bush	26	31.3.76	34 Pg 5

354

1	2	3	4	5	6
31.	1900210100	Feed pump O. Ring	31	15.6.78	143 Pg 5
32.	9421035709	Support Inj. Pump	20	22.3.79	127 Pg 6
33.	85x110x13	Oil Seel	3	11.10.80	75 Pg 7
34.	BPN 1021	Dy Armature Ogm.	1	14.7.80	38 Pg 3
35.	9030118	Dy. Pully ogm.	7	8.2.79	78 Pg 2
36.	10 M.M.	L. T. Wire	165 Mtr.	12.12.80	116 Pg 6

Sd/-
S.S.
C.W.S.

ANNEXURE 'C'

LOCAL PURCHASE EXPENDITURE APRIL, 1981 TO MARCH, 1982

	Rs.
April, 81	1,70,111.83
May, 81	1,03,919.07
June, 81	1,55,846.11
July 81	1,66,684.84
August, 81	65,100.78
September 81	84,793.70
October, 81	84,000.00
November, 81	95,759.56
December, 81	1,47,911.18
January, 82	67,043.99
February, 82	85,482.30
March, 82	76,677.15
TOTAL	12,13,330.51

Sd/-
S.S.
C.W.S.

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 693 की सूची

कोटा (बारां संचालन इकाई सहित) बूंदी एव झालावाड़ आगारों में बसों व स्टाफ का विवरण

क्र.सं.	मद	स्वीकृत संख्या			वास्तविक संख्या			विवरण		
		कोटा	झालावाड़	बूंदी	कोटा	झालावाड़	बूंदी	कोटा	झालावाड़	बूंदी
1.	बसें	74	68	59	74	69	62	–	+1	+3
2.	ड्राइवर	124	127	110	131	124	108	+6	—3	—2
3.	कन्डक्टर	126	127	113	116	113	102	—10	—14	—11
4.	तकनीकी स्टाफ	100	92	80	98	83	71	—2	—6	—9
5.	आफिस स्टाफ	52	52	51	44	54	41	—8	—7	—10
6.	पार्टस एवं टायर्स	तीनों आगारों में वान्छित संख्या में पार्टस एवं टायर्स उपलब्ध हैं।								

नोट:—आगारों के अन्तर्गत दर्शाई गई चालकों एवं परिचालकों की स्वीकृत संख्या में 35 प्रतिशत वे पद भी सम्मिलित हैं जो स्वीकृत वाहन सेवाओं से अतिरिक्त तथा अवकाश, विश्राम आदि के लिये दिये हुये हैं

अतः ड्राइवर व कन्डक्टरों की वास्तविक संचालन में कमी नहीं रहती।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 694 की सूची

जिला मुख्यालयों की सूची जो सीधी बस सेवा से जुड़े हुए हैं।

क्र.सं.	जिला
1.	जयपुर
2.	अलवर
3.	कोटा
4.	अजमेर
5.	जोधपुर
6.	सिरोही
7.	भरतपुर
8.	गंगानगर
9.	बीकानेर
10.	उदयपुर
11.	झालावाड़
12.	टोंक
13.	डूंगरपुर
14.	झुंझुनू
15.	बूंदी
16.	जालोर
17.	बाड़मेर
18.	सीकर
19.	भीलवाड़ा
20	चूरू
21.	सवाई माधोपुर
22.	बांसवाड़ा
23.	चित्तौड़गढ़
24.	धौलपुर
25.	नागौर
26.	पाली

जिला मुख्यालय की सूची जो जयपुर से सीधी बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं:—

1.	जैसलमेर

(357)

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 699 की सूची परिशिष्ट—1

समन्वित बाल विकास परियोजनाओं की जिलेवार सूची -82-83

क्र.सं.	जिला	परियोजना का स्थान पंचायत समिति	प्रारम्भ वर्ष	परियोजना प्रकार
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बांसवाड़ा	1. गढ़ी	1975-76	आदिवासी
		2. कुशलगढ़	1982-83	,,
2.	सिरोही	1. पिण्डवाड़ा	1978-79	,,
3.	चित्तौड़गढ़	1. छोटी सादड़ी	1978-79	,,
		2. प्रतापगढ़	1982-83	,,
4.	कोटा	1. छबड़ा	1978-79	ग्रामीण
		2. शाहबाद	1982-83	आदिवासी
		3. किशनगंज	1982-83	आदिवासी
5.	सवाई माधोपुर	1. गंगापुर सिटी	1979-80	ग्रामीण
		2. टोडाभीम	1983-82	ग्रामीण
6.	धौलपुर	1. धौलपुर	1979-80	ग्रामीण
7.	उदयपुर	1. राजसमन्द	1879-80	ग्रामीण
		2. झाडोल	1982-83	आदिवासी
		3. सलूम्बर	1982-83	आदिवासी
8.	जयपुर	1. चाकसू	1980-81	ग्रामीण
		2. जयपुर I	1981-82	ग्रामीण
		3. जयपुर II	1982-83	शहरी
9.	अलवर	1. राजगढ़	1980-81	ग्रामीण
10.	बाड़मेर	1. चौहटन	1980-81	ग्रामीण
11.	भीलवाड़ा	1. माण्डलगढ़	1981-81	ग्रामीण
12.	टौंक	1. अलीगढ़	1981-82	ग्रामीण
13.	जालौर	1. आहोर	1981-82	ग्रामीण
14.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	1981-82	आदिवासी
		2. सागवाड़ा	1981-82	आदिवासी
		3. सीमलवाड़ा	1982-83	आदिवासी
15.	पाली	1. बाली	1982-83	ग्रामीण
16.	जोधपुर	1. फलोदी	1982-83	ग्रामीण
17.	नागौर	1. डेगाना	1982-83	ग्रामीण
18.	भरतपुर	1. रूपवास	1982-83	ग्रामीण

परिशिष्ट 15

परिशिष्ट "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 701 की सूची

राजस्थान सरकार

राजस्थान विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 अतारांकित द्वारा श्री माधवसिंह दीवान (122) पाली जिले के सोजत उप खण्ड में वर्ष 1981 एवं 1982 में गेजरा खनिज की लीज स्वीकृत किये जाने एवं उनका एग्रीमेंट निष्पादित किये जाने की तिथी एवं एग्रीमेंट निष्पादित नहीं किये जाने एवं निष्पादित हेतु स्टाम्प एवं प्रतिभूति राशि जमा कराये जाने की तिथि एवं रिवोक किये जाने की सूची।

क्र.सं.	मेजर खनिज की लीज स्वीकृत किये जाने वालों के नाम	स्वीकृति जारी किये जाने की की तिथि	खनिज	क्षेत्र	लीज एग्रीमेंट निष्पादित किये जाने की तिथि	लीज एग्रीमेंट बाबत स्टाम्प एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि	लीज एग्रीमेंट नहीं कराये नहीं कराये जाने से स्वीकृति विलोपित रिवोक किये जाने की कार्यवाही विवरण
1.	श्री माली चम्पालाल	26-11-81	क्वाटर्ज फैलसपार	खींवल रायपुर	24-5-82	22-3-82 को एन.एस.सी. एवं 13-4-82 को स्टाम्प	—
2.	,, मंगलचंद अग्रवाल	28-8-81	,,	,,	23-2-81	26-12-81	—
3.	,, भवानीनाथ	6-11-81	,,	कालाकोट रायपुर	28-4-82	1-3-82	—
4.	,, स्वरूपसिंह	10-9-81	केलसाइट	खींवल खारची	8-3-82	10-2-82	—

5. श्री चम्पालाल माली	9-11-81	क्वार्ट्ज फेल्सपार	रायराखुर्द रायपुर	24-4-82	13-4-82	—
6. श्रीमती भंवरीदेवी	18-11-81	„	मोहराखुर्द रायपुर	—	—	शासन आदेश दि० 21-7-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
7. श्री मोहनसिंह पंवार	28-8-81	„ व सूत पत्थर	नानना रायपुर	18-1-82	17-9-81	—
8. श्रीमती भंवरीदेवी	18-11-81	„	चितार रायपुर	8-3-82	18-1-82	—
9. श्री मुस्ताक अहमद	28-8-81	क्वार्ट्ज सूत पत्थर व फेल्सपार	नानना रायपुर	18-1-82	17-9-81	—
10. „ ऐज़न	„	„	मोहरा रायपुर	28-9-81	28-9-81	—
11. „ मोहनसिंह गहलोत	„	क्वार्ट्ज फेल्सपार	मेवरा खारची	—	—	शासन आदेश दि० 21-8-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
12. श्रीमती भंवरीदेवी	1-12-81	क्वार्ट्ज फेल्सपार सूत पत्थर आदि	भेरें का आडीया	8-3-82	18-1-82	—
13. श्री मोहनसिंह पंवार	26-11-81	„	नानना रायपुर	25-1-83	25-1-83	—
14. श्री नेमीचंद सेठिया	14-12-81	„	झालरा खारची	29-4-82	15-2-83	—
15. श्रीमती कंचनदेवी व्यास	3-7-81	सूत पत्थर मेगनेसाइट आदि	धनेरा आलन	8-3-82	21-12-81	—
16. श्री सुरेशकुमार खत्री एक माह की अवधि शासन पत्र	25-6-81 14-3-83	वेराइटीज क्वार्ट्ज से बढ़ाई गयी।	वाडन	28-6-82	21-12-81	—
17. मे० जे०के० सिमेन्ट वर्क्स	8-9-81	चायना क्ले	राजपूतों की ढाणी	3-3-82	3-3-82	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	श्री सुरेशकुमार खत्री	17-8-81	वैरायटीज	पनागिरी हिल	—	—	शासन आदेश दि० 21-4-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
19.	मे० अ० रहीम एण्ड सन्स	10-4-81	बाक्बले	सिथरिया	5-10-81	1-10-81	—
20.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	17-8-81	क्वार्टज फैल्सपार	खारीयत	—	—	शासन आदेश दि० 18-7-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
21.	मे० अम्बिका मिनरल्स	2-7-81	सूत पत्थर फैल्सपार	फलाद खारची	7-12-81	10-9-81	—
22.	माइनिंग एण्ड मिनरल इण्ड.	6-8-81	माइका, क्वार्टज व फैल्सपार	कलालिया रायपुर	7-6-82	16-7-82	—
23.	श्री सत्यनारायण आसोपा	7-9-81	व्हाइट क्ले, बालक्ले आदि	खारडी जैतारण	22-10-81	14-9-81	—
24.	श्यामसिंह शेखावत	12-10-81	सूत पत्थर फैल्सपार आदि	वरमाल खारची	27-4-82	15-1-82	—
25.	ऐजन	24-10-81	,,	सुजाद खारची फलाद	,,	,,	शासन के आदेश दिनांक 9-6-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
26.	सोमचंद नाहटा	23-7-81	फैल्सपार, क्वार्टज	देलवाद सोजत	15-1-82	20-10-82	—
27.	सुशील कुमार जैन	28-8-81	क्वार्टज़	लालपुरा वाली	—	—	शासन के आदेश दि. 12-10-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
28.	जैडी०बूट मिल्स	27-11-81	चायना क्ले	सियरिया जैतारण	6-5-82	18-3-82	—

वर्ष 1982

1. श्री भवानी नाथ	2-2-82	फैल्सपार, क्वार्टज	मालुपुरा रायपुर	29-7-82	17-8-82	—
2. श्रीमती भंवरी देवी	16-2-82	,,	षढामड सोजत	—	—	शासन के पत्र दि. 6-2-82 से पार्टी को रजिस्टर्ड पद से संविदा निष्पादन हेतु सूजित करने के निर्देश दिये हैं। पार्टी को संविदा, निष्पादन हेतु उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया है।
3. श्री भंवरलाल इन्दौरा	16-2-82	,,	सोडिया रायपुर	3-8-82	23-6-82	—
4. ऐजन	ऐजन	,,	रायरा खुर्द सोजत	,,		—
5. भंवरलाल पुत्र मालुजी	17-6-82	,,	,,	8-11-82	26-8-82	—
6. गौरानारायणी खनिज उद्योग	30-8-82	सूर्त पत्थर, क्वार्टज	सेवोरेया पाटन	18-1-83	22-11-82	—
7. श्रीमती वीणा मेहता	18-2-82	क्वार्टज फैल्सपार	धांवडिया रायपुर	3-7-82	3-6-82	—
8. श्री ओम प्रकाश मोहनलाल माली	12-4-82	,,	लाडपुरा त. सोजत	—	—	शासन द्वारा स्वीकृति प्रतिसंहृत की कार्यवाही की जा रही है।
9. माली चम्पालाल	30-6-82	,,	सीथंले-रायपुर	—		,, ,,
10. आत्माराम बालाबक्स	30-9-82	क्वार्टज, फैल्सपार	खानिया-रायपुर	—	—	पार्टी को पत्र दिनांक 19-11-82 से सीमांकन कराने हेतु लिखा गया बाद पत्र दिनांक 17-2-83 से अंतिम अवसर दिया जाकर क्षेत्र का सीमांकन एवं संविदा निष्पादन हेतु लिखा गया है।
11. श्री मंगीलचंद अग्रवाल	5-6-82	कवाटर्ज	खोवल रायपुर	1-1-83	13-10-82	—
12. श्री ओम प्रकाश मोहनलाल	,,	फैल्सपार	रायराकला सोजत			शासन द्वारा स्वीकृति प्रतिसंहृत की कार्यवाही की जा रही है।

361

362

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	श्री छज्जाराम चौधरी	20-6-82	सोप स्टोन, सूत पत्थर	हलावट, खारची	23-9-82	26-8-82	—
14.	श्री श्यामसिंह शेखावत	24-10-82	,,	फुलाद खारची	—	—	शासन आदेश दिनांक 9-6-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
15.	सायर देवी भैरुमल जैन	13-12-82	क्वार्ट्ज	नादना-जोडन-देसूरी	25-1-83	24-1-83	— ,,
16.	श्री श्याम सिंह शेखावत	14-7-82	क्वार्टज- फैल्सपार सूत, पत्थर आदि	करमाल खारची	14-12-82	14-12-82	—
17.	श्री चम्पालाल माली	3-11-82	क्वार्टज, फैलसपार केलसाइट	पाकालियान	—	—	स्वीकृत क्षेत्र में संशोधन किया जाना विचाराधीन है।
18.	श्री भंवरलाल चौधरी	30-12-82	सूत पत्थर सोप स्टोन केलसाइट आदि	हलावट-खारची	—	—	पत्र दिनांक 13-1-83 से संविदा निष्पादन एवं सीमांकन हेतु पार्टी को लिखा गया है।
19.	श्री ओम प्रकाश माली	7-6-82	क्वार्टज, फैलसपार	कालाकोट रायपुर	—	—	शासन द्वारा स्वीकृति प्रतिसंहृत की कार्यवाही की जा रही है।
20.	श्री ओम प्रकाश माली	5-6-82	,,	रायराकला रायपुर	—	—	विलोपित की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।
21.	श्री बाल मुकुन्द सोनी	26-5-82	क्वार्टज फैलसपार	गिरीरायपुर	—	—	,, ,,
22.	,, ,,	7-6-82	,,	सिलोलिया	—	—	,, ,,

परिशिष्ट "ख"

अतारांकित प्रश्न संख्या 1568

पाली जिले के सोजत उपखण्ड में वर्ष 1981 एवं 1982 में माइनर खनिज की लीज स्वीकृती किये जाने एवं उनका एग्रीमेंट निष्पादित किये जाने की तिथि एवं एग्रीमेंट निष्पादित नहीं किये जाने एवं निष्पादित हेतु स्टाम्प एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं रिवोक किये जाने की सूची।

वर्ष -1981-82

क्र०सं०	माइनर खनिज की लीज स्वीकृति किये जाने वालों के नाम	स्वीकृति जारी किये जाने की तिथि	खनिज	क्षेत्र	लीज एग्रीमेंट निष्पादित तिथि	लीज एग्रीमेंट बावत स्टाफ एवं प्रतिभूति राशि जमा तिथि	लीज एग्रीमेंट नहीं कराये जाने से स्वीकृति विलोपित रिवोक किये जाने की कार्यवाही का विवरण
1.	मांगपुरी पुत्र धन्नापुरी	19-11-81	मे० स्टोन	लिलाम्बा	—	—	स.ख.अ. सोजत के आदेश दि० 14-12-81 से स्वीकृति विलोपित की गई।
2.	भगवानदास पुत्र किशनचन्द	19-10-81	मारबल	भीलदेवा की ढाणी	—	—	ख. अ. सिरोही के आदेश दि० 31-7-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
3.	कमला राम चंदानी पुत्र भगवान दास राम चंदानी	19-10-81	"	"	—	—	ख.अ. सिरोही के आदेश दि० 30-6-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
4.	मोहम्मद यूसुफ	28-11-81	मे० स्टोन	समोखी	—	—	स.ख.अ. सोजत के आदेश दि० 27-2-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
5.	विनोद कुमार बिदल	31-10-81	मारबल	भीलदेवा की ढाणी	—	—	सहायक खनि अभियंता सोजत सिटी के आदेश दिनांक 27-2-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।

363

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दोलतसिंह भंडारी	10-9-81	लाइम स्टोन	रूपनगर रास	—	—	निदेशालय आदेश दि. 9-8-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
7.	वली मोहम्मद	17-2-81	मेशनरी स्टोन	नाडोल	—	—	स ख अ सोजत के आदेश दिनांक 24-11-81 से स्वीकृति विलोपित की गई।
8.	देवाराम	29-7-81	,,	लिलाम्बा	—	—	सखअ सोजत के आदेश दिनांक 24-11-81 से स्वीकृति विलोपित की गई।
9.	देवाराम	29-7-81	,,	लिलाम्बा	—	—	सखअ सोजत के आदेश दिनांक 24-11-81 से स्वीकृति विलोपित की गई।
10.	मोर्डसिंह	26-12-81	ग्रेनाइट	मेवरा	—	—	अधीक्षक खनि अभियंता जोधपुर वृत्त के आदेश दि० 10-5-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
11.	रूपसिंह राठौड़	,,	,,	,,	—	—	,, ,, ,,
12.	मोहनसिंह गहलोत	,,	,,	,,	—	—	,, ,, ,,
13.	ज्ञानेन्द्रसिंह	,,	,,	,,	—	—	,, ,, ,,
14.	केवलचंद	,,	,,	,,	—	—	,, ,, ,,
15.	गोतमचंद	,,	,,	,,	—	—	,, ,, ,,
16.	प्रतापसिंह	9-9-81	मै० स्टोन एवं गिट्टी सोडावास		—	—	पत्र दि० 5-10-82 से निदेशालय को स्वीकृति विलोपित किये जाने हेतु लिखा गया।
17.	बाबूसिंह	28-4-81	मै० स्टोन	कुरपदिया	18-7-81	—	पार्टी को संविदा पंजियन हेतु दिनांक 18-7-81 को दिया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर स्वीकृति विलोपित की कार्यवाही जारी है।

18. मुश्ताक अहमद	17-2-81	मारबल	गुड़ा	—	—	स ख अ सोजत के आदेश दिनांक 14-7-81 से स्वीकृति रिवोक की गई।
19. निजामुद्दीन	2-2-81	मे० स्टोन,	नाडोल	—	—	स ख अ सोजत के आदेश दि० 18-6-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
20. रमजू खां	,,	,,	,,	,,	,,	स ख अ सोजत के आदेश दिनांक 14-7-81 से स्वीकृति रिवोक की गई।
21. अशोक कुमार बिदल	20-11-81	मारबल	भीलदेवा की ढाणी	19-2-81	19-2-82	—
22. रूपसिंह राठौड़	22-5-81	मारबल	धारेश्वर	2-12-81	28-11-81	—
	(आदेश दिनांक 17-11-81 से समयावधि एक माह की बढ़ाई गई)					
23. दुर्गासिंह	28-4-81	मे० स्टोन	सोड़ावास	17-10-81	13-10-81	—
	(आदेश दिनांक 13-10-81 से समयावधि एक माह की बढ़ाई गई)					
24. राधाकिशन	26-12-81	मे० स्टोन	सिनला	4-2-81	1-2-82	—
25. ज्योति प्रकाश अरोड़ा	16-12-81	लाइम स्टोन	अटपड़ा	15-6-81	15-3-82	—
	(आदेश दिनांक 17-5-82 से समयावधि एक माह बढ़ाई गई है।)					
26. ,,	28-12-81	लाइम स्टोन	अटपड़ा प्लोट न० 5	18-3-82	17-3-82	—
27. ज्ञानेन्द्रसिंह	22-5-81	मारबल	धारेश्वर	20-11-81	20-11-81	—
	(आदेश दिनांक 23-10-81 से समयावधि एक माह बढ़ाई गई हैं।)					
28. नारायणलाल	23-4-81	मे० स्टोन	तरीकी भाकरी	26-9-81	26-9-81	—
29. कस्तूरा राम भीणा	24-10-81		पालड़ी		23-11-81	—
30. हेमाराम	14-7-81	,,	मुण्डारा	23-9-81	23-9-81	—

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	मांगीलाल	23-4-81	मे. स्टोन	नाडोल	15-7-81	6-7-81	–
32.	बंशीलाल	5-2-81	,,	लिलाम्बा	4-5-81	4-5-81	–
33.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	–
34.	मांगपुरी गोस्वामी	21-1-81	,,	लिलाम्बा	21-12-81	21-12-81	–
35.	असगर अली	20-11-81	,,	समोखी	,,	,,	आदेश दि० 27-2-82 से स्वीकृति विलोपित की गई।
36.	अशोक कुमार बिदल	20-11-81	मारबल	भीलदेवा की ढाणी	–	–	–
37.	गोतमचद सेठिया	26-12-81	,,	धारेश्वर	–	–	आदेश दिनांक 30-12-81 से स्वीकृति विलोपित की गई।
				वर्ष 1982-83			
1.	मुरली छगानी	27-7-82	लाइम स्टोन	अटपड़ा	–	–	इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दि० 25-6-82 से खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किये जाने हेतु निर्देश दिये गये क्योंकि उक्त क्षेत्र पर रिवीजन प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।
2.	सुमनचंद	2-2-82	,,	,,	21-8-82	29-4-81	–
		(समयावधि आदेश दि० 12-7-82 से एक माह बढ़ाई गई)					
3.	सुभाष सिह	20-1-82	मारबल	भीलदेवा की ढाणी	–	–	ख.अ. सिरोही के आदेश दि० 30-6-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।

4. मदनलाल	2-2-82	चूना पत्थर	अटपड़ा प्लोट नं० 2		—	निदेशालय आदेश दि० 28-6-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
5. विमलराम	,,	,,	,,	—	—	,, दिनांक 12-10-82
6. ,,	16-1-82	,,	,,	—	—	,, दिनांक 27-9-82
7. जसवंतराज	27-1-82	मारबल	कलाव	—	—	स ख अ आदेश दि० 5-5-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
8. नेमीचंद सेठिया	27-1-82	मारबल	कलाव	—	—	[स ख अ सोजत आदेश दि० 19-2-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
9. प्रमोद लखनपाल	16-1-82	चूना पत्थर	अटपड़ा प्लोट नं० 4		—	निदेशालय आदेश दि० 28-6-82 से स्वीकृति रिवोक की गई।
10. प्रकाशचन्द अग्रवाल	11-1-82	लाइम स्टोन	अटपड़ा प्लाट नं० 3	21-8-82	16-1-82 16-4-82	—
11. शंकरलाल बावरी	25-1-82	मे० स्टोन	कानावास	24-4-82	23-4-82	—
12. जहीर अहमद	9-4-82	मारबल	नानणा	28-6-82	10-5-82	—
13. पिपलिया ईट लघु उद्योग	12-2-82	ईंट मिट्टी	पिपलिया कल्ला	24-4-82	17-4-82	—
14. दिनेश कुमार कोठारी	30-7-82	रोयलाइट	सिन्दरू	14-9-82	10-9-82	
15. नेमीचंद सेठिया	27-1-82	मारबल	कलाव कालोनी	—	—	आदेश दि० 19-2-82 स्वीकृति रिवोक की गई।
16. सुलेमान	5-7-82	मारबल	सारगवा	—	—	स्वीकृति विलोपित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

367

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मांगीलाल	30-8-82	मे० स्टोन	पालड़ी	—	—	स्थिर भाटक की दर संशोधित हो जाने से संशोधित आदेश जारी किये जाने हेतु ख.अ. सिरोही को पत्र दिनांक 30-10-82 से लिखा गया।
18.	चन्द्राकुमारी	10-11-82	मारबल	भेरू का वाडिया	—	—	पत्र दि० 18-1-83 से पार्टी को क्षत्र का सीमांकन एवं संविदा निष्पादन हेतु लिखा गया एवं पालना नहीं किये जाने से स्वीकृति विलोपित की कार्यवाही जारी है।
19.	नलीनी भाटी	3-11-82	„	„			पत्र दि० 17-2-83 से क्षेत्र का सीमांकन एव संविदा निष्पादन हेतु लिखा गया पालना नहीं किये जाने से स्वीकृति विलोपित की कार्यवाही जारी है।
20.	माधुरी तिवारी	10-11-82	„	„	7-1-83	6-1-83	—
21.	„	„	„	„			

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न सं० 702 की सूचियां

राजस्व अभियान के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले में कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरण के निपटाये गये मामलों की पंचायतवार सूची।

क्र०सं०	ग्राम पंचायत	निपटाये गये मामलों की संख्या
1	तलवाड़ा	2
2	गनोड़ा	2
3	खमेरा	2
4	पांटोल	4
5	आसोड़ा	4
6	मोरी	2
7	डडुका	13
	योग	29

राजस्व अभियान के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले में आबादी हेतु ग्राम पंचायतों को आवंटित भूमि की पंचायत-वार सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	आबादी हेतु आवंटित भूमि (एकड़ में)	क्र.सं.	ग्राम पंचायत	आबादीहेतु आवंटित भूमि (एकड़ में)
1.	बारोड़ा	3.40	16.	सालियां	0.38
2.	अबापुरा	3.52	17.	कुशलपुरा	1.68
3.	बोरीया	4.40	18.	नरवाली	5.00
4.	केसरपुरा	1.94	19.	बड़ी पड़ाल	3.40
5.	नापला	5.82	20.	पड़ोली राठौड़	4.80
6.	महेशपुरा	7.60	21.	घांटोल	1.40
7.	पांचलवासा	4.58	22.	वोरी	2.06
8.	फेफर	2.50	23.	गढ़ी	8.94
9.	कोटड़ा	1.80	24.	उम्बाड़ा	0.80
10.	दानपुर	3.48	25.	डडुका	7.20
11.	मकनपुरा	2.50	26.	भीमपुर	1.20
12.	सरवन	0.32	27.	मेतवाली	8.08
13.	घोड़ी तेजपुर	2.30	28.	कोटड़ा	0.66
14.	खजूरी	3.22	29.	डूंगर बड़ा	0.76
15.	सागड़ोद	0.80		योग	94.54

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 705 की सूची।

वृद्धावस्था पेंशनरों का तहसीलवार विवरण

जिला बाड़मेर

1.	बाड़मेर गुडामालानी	713
2.	शिव	210
3.	चौहटन	207
4.	पंचभदरा	170
5.	सिवाना	126
	जिला जैसलमेर	
1.	जैसलमेर	384
2.	पोकरण	349
	कुल	2,159

प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का जिला बाड़मेर व जैसलमेर में तहसीलवार विवरण

जिला बाड़मेर

		प्राप्त केसेज	स्वीकृति
1.	बाड़मेर	90	46
2.	शिव	69	9
3.	चौहटन	78	29
4.	गुडामालानी	64	32
5.	सिवाना	63	5
6.	पंचभदरा	64	11
	जिला बाड़मेर		
1.	जैसलमेर	140	140
2.	पोकरण	-112	112
		कुल	384

परिशिष्ट (क)

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न-संख्या-709 का विवरण

कोटा-बूंदी-झालावाड़ खनिज क्षेत्रों की सूची

क्र. सं.	नाम सड़क	लम्बाई	मार्च, 82 तक कुल व्यय	वर्ष 1981-82 में व्यय	संभावित/अनुमानित व्यय 1982-83	1982-83 व्यय
1.	**बूंदी खण्ड :**					
1.	सड़क निर्माण करोढी से धनेश्वर	13 कि. मी.	19,04,387	47,039	—	
2.	सड़क निर्माण धनेश्वर से डोबी वाया सत्ड़ा	8 ,, ,,	12,85,064	59,437	2,00,000	
3.	डाबी से लाम्बाखोह उपागमन सड़क का निर्माण	7 ,, ,,	10,31,216	6,155	3,00,000	
4.	डाबी से बुधपुरा उपागमन सड़क का निर्माण	7 ,, ,,	10,68,553	1,56,435	32,000	8.00 लाख रुपया करीब
5.	लाम्बा खोह से गुड़ा सड़क का निर्माण	6 ,, ,,	9,15,515	2,47,841	50,000	
6.	बुधपुरा से नाला का मताजी सड़क का निर्माण	5 ,, ,,	8,70,530	1,61,848	50,000	
7.	धनेश्वर से डाबी सड़क पर सीडी कार्य	—	2,32,463	2,32,463	15,000	
8.	डाबी से बुधपुरा सड़क पर सीडी कार्य	—	2,59,563	2,17,404	1,50,000	
9.	करोली से धनेश्वर सड़क पर सीडी कार्य	—	1,06,707	1,06,707	3,36,000	
10.	नमाना से गंवार सड़क का निर्माण	14 ,, ,,	—	—	1,50,000	8.05 लाख
11.	गरड़ा से गंवार सड़क का निर्माण	6 ,, ,,	—	—	1,25,000	
12.	उमर से मैन रोड़ सड़क का निर्माण	3 ,, ,,	—	—	25,000	
2.	**कोटा खण्ड**					
1.	सड़क निर्माण पीपलिया, सुकेत से कुंभकोट	3 ,, ,,	6,63,082	38,004	8,000	
2.	सड़क निर्माण लुहारियों की ढाणी से मिल मार्क (कोटा) झालावाड़ रोड)	2 ,, ,,	1,04,69	—	—	

परिशिष्ट 19

अनुसूची एक

अतारांकित प्रश्न संख्या 710 की सूची

जिला– जैसलमेर

राजस्व अभियान के अंतर्गत निर्णित मामलों का ग्रामवार विवरण

तहसील– जैसलमेर

क्रम संख्या	नाम ग्राम	खाते दारी प्रदान की	नामान्तकरण स्वी	अतिक्रमण के मामलों का निपटारा: नियमन	अतिक्रमण के मामलों का निपटारा: बेदखली	आवंटित भूमि का पुनः कब्जा दिलाने	लगान कम: मामले	लगान कम: राशि	कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण	आबादी विस्तार के मामले	बैंकिंग संस्था को ऋण वितरण हेतु प्रतियां/बकाया राशि का प्रमाण-पत्र	ऋणभार समाप्ति के प्रमाणपत्र	वृद्धावस्था असहाय विधवा पेंशन प्रार्थनापत्रों पर तहकीकात कार्यवाही	जनता के अभाव अभियोग निपटारा	सहकारिता के सदस्य बनाना	देवस्थान व मंदिरों के अवैध हस्तान्तरण के मामले	रास्ते के मामले: मार्गों के अधिकार व सुखाचार	रास्ते के मामले: खेतों की सीमा विवाद	हरे वृक्षों की कटाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	हमीरा	–	10	–	40	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
2.	भोजासुर	–	4	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	जेठवाई	–	8	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	कल्याणघाट	–	–	–	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5. जेसूराणा	–	63	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. देवा	–	121	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बोहा	7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
8. लाखा	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. गोगादे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. खोंयावास राड़को	–	7	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. खोंयावास देवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. पारेवर	–	15	–	46	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
13. काणोद रावलोत	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
14. चाहड	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. ध्राईता	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. देऊंगा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. हढ़ा	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18. मोहनगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19. खारडी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–
20. रेहरुण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21. मंढाऊ	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22. ताडाना	11	11	–	46	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
23. बालाना	17	18	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
24. बाहला	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25. काठोडी	–	167	–	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26. पोहड़ा	1	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27.	चौधरिया	3	5	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	मोतीकिलो की ढाणी	48	48	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	सेलत	8	10	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	नेडाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	मंधा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	सुलताना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	डिग्गा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
34.	अर्जुना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	डाबला	26	15	–	14	–	–	–	–	1	–	–	–	4	4	–	–	–	–
36.	आकल	23	30	–	10	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37.	धनवा	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38.	दरबार का गांव	6	12	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39.	थईयात	11	12	–	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40.	वासनपीर दक्षिणी	10	10	–	12	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41.	वासनपीर उत्तरी	–	–	–	25	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42.	रिदवा	37	32	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.	जैरात	13	16	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44.	मोकला	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45.	भू	29	30	–	10	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–
46.	हासूवा	15	16	–	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–

47. पोलजों की डेरी	6	6	—	11	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
48. भोंया	6	6	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. जोगा	4	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50. पिपरला	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. जांयण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. किर्ता	22	30	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. मोपा	7	13	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. नेडिया	5	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. पोथाडाई	9	11	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. पियला	—	—	—	10	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—
57. सत्ता	11	13	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	6	—	—	—	—
58. गोरेरा	2	2	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—
59. मूदरंड़ी	8	7	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
60. कुलघर	26	26	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—
61. रूपसी	11	13	—	20	—	—	—	—	1	—	—	3	3	2	—	—	—	—
52. तेजुवा	3	5	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
63. लिदरवा	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. चुन्धी	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. रामकुण्डा	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. काहला	6	7	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. मोणपिया	14	14	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. छत्रैल	30	30	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69.	खडेरों की ढाणी	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70.	टावरिया	3	3	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71.	भादासर	6	7	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72.	मोकला	4	4	—	28	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—
73.	बटिया खडीन	9	10	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
74.	बडोडा गांव	—	—	—	35	—	—	—	—	1	—	—	9	—	2	—	—	—	—
75.	भागूका गांव	—	—	—	29	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—
76.	म्रासायच	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
77.	जावंध जूनी	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
78.	जावंध नई	2	2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79.	अमरसागर	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
80.	बडावाग	1	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
81.	जोयाई	1	1	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
82.	धवुम्रा	6	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
83.	ब्रह्मसर	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84.	कोटडी	—	5	—	18	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	—	—	—	—
85.	सेणम	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
86.	मदा	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
87.	सोढा	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
88.	म्रासलोई	—	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

89. जोनेरा	–	1	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90. चोन्धंण	41	45	–	50	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
91. सगरो	3	3	–	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92. जेठा	–	–	–	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93. धायसर	2	3	–	19	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94. भैरवी	7	12	–	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95. सांवेला	8	8	–	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96. भोजका	9	9	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
97. जैसलमेर	2	2	–	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98. सोरों की ढाणी	3	3	–	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99. किसनघाट	3	3	–	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100. गणेशदास की ढाणी	2	2	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101. सोढाकोर	2	2	–	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–
102. डेलासर	5	10	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
103. दामोदरा	11	25	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
104. मेगवालों की ढाणी	12	13	–	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
105. दूजासर	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106. सलखा	2	2																
107. डेढा	30	35	–	6	–	–	–	–	1	–	–	2	2	3	–	–	–	–
108. खाभा	42	48	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
109. कुम्हार कोठा	8	9	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
110. धुलिया	7	7	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111.	कनोई	32	35	—	32	—	3	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—
112.	केसूश्रों की बस्ती	18	20	—	17	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—
113.	सियालों की बस्ती	16	19	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
114.	सम	30	31	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—
115.	सगरों की बस्ती	10	10	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
116.	मतुश्रों की बस्ती	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
117.	लूणी की बस्ती	24	24	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
118.	गंगों की बस्ती	5	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
119.	लक्ष्मणों की बस्ती	18	18	—	25	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—
120.	हमीरों की बस्ती	24	24	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
121.	तुर्कों की बस्ती	20	21	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—
122.	मालीगण्डा	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
123.	वोदा	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
124.	फलेडी	86	86	—	40	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	—	—	—	—
125.	कोरीया	2	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
126.	सिंपला	30	32	—	18	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—
127.	नीम्बा	9	9	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
128.	जामडा	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
129.	करडा	8	10	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—

130. पोछिना	6	6	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
131. दव	3	4	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—
132. हटार	3	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
133. लूणार	97	97	—	16	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
134. दवडी	32	43	—	30	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135. समेजों का पार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136. उकराला पार	9	9	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
137. लाम्बापार	11	11	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138. रड्ड का पार	19	20	—	28	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
139. घनाना	24	27	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140. भुवाना	26	28	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141. जिगांणियों की ढाणी	5	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
142. सतो	—	2	—	77	—	—	—	—	—	—	—	8	—	3	—	—	—	—
143. फूलिया	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—
144. म्याजलार	39	44	—	33	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—
145. केरला	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
146. मिठडाऊ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
147. तेजराला	—	5	—	27	—	—	—	—	1	—	—	4	—	2	—	—	—	—
148. सिहड़ार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
149. भांटिया	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
150. बैरसीयाला	1	4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	—	—	—	—
151. घोणेमी	—	4	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152.	काठा	–	3	–	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–	–	–	–
153.	बारिया	–	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–
154.	खुडूबी	–	–	–	7	–	–	–	–	3	–	–	1	6	5	–	–	–	–
155.	बरन	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	10	–	–	–	–
156.	धोबा	–	–	–	8	–	–	–	–	1	–	–	–	–	12	–	–	–	–
157.	तेजसी	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–	–	–	–
158.	हुरनाऊ	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159.	मूरार	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.	बलाऊ	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161.	शाहगढ़	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
162.	लेलोई	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
163.	भडकियां	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
164.	भोण्डा मंगोलिया	–	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
165.	गजेरीया	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166.	मुकने का तला	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167.	रतबा	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168.	रामगढ	16	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
170.	नेतसी	–	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171.	राघवा	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
172.	जोगा	–	14	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

173. सेरावा	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174. हेमा	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175. हांबूर	—	1	—	73	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
176. खुईयाला	—	17	—	133	—	—	—	—	1	—	—	10	—	—	—	—	—	—
177. सीनू	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
178. सियाम्बर	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179. वान्धा	19	23	—	90	—	—	—	—	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—
180. तेजपाला	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
181. काकाब	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182. नरसिगों की ढाणी	2	3	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—
183. उगवा	10	10	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
184. कोरवा	6	6	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185. बान्धण	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186. अडबाला	6	6	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187. शोभ	13	13	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188. गैराजा	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189. हापा	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190. मूलीया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191. छतागढ	4	7	—	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
192. जोधा	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
193. आला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194. भम्भारा	2	3	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195.	देवडा	21	29	–	9	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
196.	कोढा	5	7	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.	चेलक	3	9	–	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.	चाम्पा	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199.	बोंजोता	–	7	–	21	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200.	नगराजा	–	3	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201.	रामा	–	6	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202.	कोठोडा	–	4	–	13	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
203.	कोडा	3	2	–	14	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204.	ब्याला	–	1	–	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
205.	मेघा	3	5	–	31	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
206.	सीलोडाई	–	4	–	63	–	–	–	–	1	–	–	–	–		–	–	–	–
207.	सोमलियाई	–	6	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
208.	मूलाना	–	4	–	44	–	–	–	–	1	–	–	7	1	–	–	–	–	–
209.	देवाडा	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
210.	रासला	–	4	–	4	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
211.	अचला	–	2	–	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
212.	कराडा	–	4	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
213.	भोपा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

214. मेहरजोत	—	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215. लाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216. सांवतो	—	11	—	20	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217. डागरो	2	8	—	4	—	—	—	—	1	—	—	2	4	—	—	—	—	—
218. छोडियां	10	11	—	20	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219. पावनोसर	8	16	—	25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220. सोढों	1	2	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221. मेहरेडो	1	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
222. रिवडो	13	13	—	22	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
223. भियासर	4	4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224. साधूवो	7	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225. मडोई	9	18	—	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226. नोम्बो	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227. साजोत	2	2	—	36	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228. कपूरिया	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
229. नादो	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230. पाचो	—	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231. हरभा	—	2	—	19	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
232. तोगा	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233. देवोकोट	39	42	—	41	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—
234. छोड	31	31	—	29	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
235. सांगाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236.	लोला	3	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237.	पूनासर	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.	लक्ष्मणा	–	1	–	10	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
239.	भाखरानी	3	6	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
240.	उण्डा	17	17	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241.	मोढा गुणेशपुरा	6	6	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
242.	जसवा	–	1	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
243.	सेऊँवा	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
244.	चोचा	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
245.	बड्या	–	11	–	42	–	1	98.78	–	1	–	–	9	1	–	–	–	–	–
246.	बांसड़ा	–	3	–	1	–	–	–	;	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
247.	झिंझियाली	–	9	–	10	–	18	1015.98	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
248.	गर्जसिंह का गांव	–	3	–	10	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
249.	गुहडा	–	2	–	11	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
250.	सीठा	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
251.	तेजमालता	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
252.	जोगीदास का गांव	22	35	–	6	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
253.	मोढा	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
254.	बोगनियाई	–	8	–	5	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
255.	बोरमाणी	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

256. रणधा	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
257. कुण्डा	–	7	–	6	–	1	66.56	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
258. कोहरा	7	9	–	15	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
259. नीम्बली	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
260. भाडली	8	23	–	4	–	1	105.49	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
261. लखा	18	30	–	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
262. फतेहगढ	14	21	–	93	–	–	38.10	–	1	–	–	1	5	–	–	–	–	–
263. सांगड	11	11	–	23	–	–	–	–	1	–	–	–	15	–	–	–	–	–
264. कोडियासर	8	10	–	104	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265. मैनाली	–	8	–	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	1684	2552	–	3782	13	25	1327.49	–	100	–	–	193	47	266	–	1	–	5

जिलाधीश, जैसलमेर

राजस्व अभियान के अन्तर्गत निर्णित मामलों का ग्रामवार विवरण तहसील-पोकरण जि. जैसलमेर

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदारी प्रदान की	नामान्तरकरण स्वीकृत	अतिक्रमण के मामलों का निपटारा: नियमन	अतिक्रमण के मामलों का निपटारा: बेदखली	आवंटित भूमि का पुनः कब्जा दिलाने	लगान कम: मामले	लगान कम: राशि	कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण	आबादी विस्तार के मामले	बैंकिंग संस्थाओं को ऋण वितरण हेतु प्रतियां व बकाया राशि का प्रमाण पत्र	ऋण भार समाप्ति के प्रमाण पत्र	वृद्धावस्था अपाहिज विधवा पेंशन प्रार्थना पत्रों पर तहकीकात व स्वीकृति कार्यवाही	जनता के अभाव अभियोग निपटारा	सहकारिता के सदस्य बनाना	देवस्थान व मंदिरों के अवैध हस्तान्तरण के मामले	रास्ते के मामले: मार्गों के अधि व सुखाचार	रास्ते के मामले: खेतों के सीमा विवाद	हरे वृक्षों की कटाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	रामदेवरा	15	20	—	5	—	—	—	1	2	—	—	3	6	15	—	3	3	—
2.	एका	5	2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	2	—	—
3.	सरनायत	4	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	—	—	—	—
4.	दूधिया	10	20	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
5.	विरमदेवरा	3	20	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	मावा	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7. मलेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. भनियाना	19	66	—	9	—	39	18.25	1	—	83	5	5	2	4	—	—	3	—
9. दानूसिंह की ढाणी	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
10. भैसकन्डा	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	—	—	—
11. दिव्र	14	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. प्रजासर	14	24	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. टोटा	10	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. उजला	1	15	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	4	6	—	—	—	—
15. बडलो चारण	—	10	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—
16. बडलो मांडा	—	9	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—
17. छायण-I	8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—
18. छायण-II	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	12	—	—	—	—
19. सादा	—	6	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. राठोडा	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. भीखोडाई जूनी	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—
22. भीखोडाई नई	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
23. बलाड़	—	4	—	—	—	4	2.04	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
24. कजोई	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. लोहारकी	6	10	—	15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	30	—	—	—	—
26. बरडाना	—	12	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—
27. चांदसर (एव)	—	1	—	25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—
28. केलावा	—	6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	20	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	थाट	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	20	–	–	–	–
30.	बोलिया	8	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	10	–	–	–	–
31.	गोमट	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	27	–	–	–	–
32.	पोकरण	97	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	–	–	2	–	–
33.	फलसूण्ड	2	31	–	6	–	4	–	–	2	–	–	5	22	27	–	1	1	–
34.	सांकड़ा	5	15	–	4	–	–	–	–	1	–	–	3	9	19	–	–	1	–
35.	सूहड़ा	6	18	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–
36.	लूणा कल्ला	19	19	–	–	5	–	–	–	–	–	–	2	5	–	–	2	–	–
37.	लूणा खुर्द	19	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
38.	दूधिया	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39.	झालोडा पोकरण	10	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	2	–
40.	दान्तल	3	10	–	2	–	1	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–
41.	स्वामी जी की ढाणी	2	5	–	8	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
42.	झालोडा भाटियान	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
43.	नेडान	4	9	–	23	2	–	–	–	1	–	–	2	10	20	–	–	–	–
44.	मदासर	3	11	–	–	2	–	–	–	1	–	–	4	5	20	–	–	–	–
45.	लखासर	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	10	–	–	–	–
46.	केरालिया	–	21	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–
47.	मांडवा	11	21	–	1	–	–	–	–	1	–	–	4	5	–	5	1	1	–

48. अलारिया	1	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4	—	—	—	—	—
49. जैमला	64	79	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	—	—	—	—	—
50. भैंसडा	—	8	—	10	1	50	4.66	—	1	—	—	3	1	1	—	1	—	—
51. संग्रामसिंह की ढाणी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. बैतीना	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. खेतोलाई	2	2	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	1	—
54. सोढाणीया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—
55. चांदनी	10	19	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
56. चाचा	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
57. लाठी	3	13	1	5	—	—	—	—	1	—	—	5	18	30	—	—	—	—
58. रतन की बस्ती	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
59. लोहटा	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60. भादरिया	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
61. धोबरिया	—	11	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
62. राजगढ	4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. खेलाना	3	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. श्रोला	5	20	—	3	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—
65. बोनाडा	—	15	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. रामपुरिया	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. सतडिया	2	13	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	3	—	—	1	—	—
68. सांकडिया	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—
69. चौक	—	15	—	—	10	—	—	—	1	—	—	1	50	10	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70.	सनावड़ा	1	10	–	–	5	–	–	–	1	–	–	1	20	10	–	–	–	–
71.	नानणयाई	10	20	–	–	5	–	–	–	1	–	–	1	10	10	3	–	–	2
72.	मोडरडी	10	20	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	10	15	1	–	–	–
73.	गुडी	–	20	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	4	15	1	–	–	–
74.	महेशों की ढाणी	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75.	नोख	80	136	–	–	–	–	–	–	1	8	–	7	–	–	7	–	–	–
76.	बोठे का गांव	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77.	ढालेरी	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78.	बोडाना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79.	लंवा	50	50	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	20	1	–	–	–	–
80.	घूडसर	20	40	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	15	5	–	–	–	–
81.	रायड	4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	–	–	–	–
82.	चिन्न	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
83.	मदासर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84.	झाबरा	1	6	–	1	–	–	–	–	1	–	–	5	15	–	1	1	1	–
85.	फलासर	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1	1	1	–
86.	नाचना	–	7	–	12	–	–	–	–	–	–	–	2	25	–	–	–	–	–
87.	भारेवाला	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1
88.	दादूडा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

89. आकल का तला	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
90. मालासर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91. मोहरी वाला	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92. खारिया	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93. बारट का गांव	–	–	5	–	10	1	–	–	2	–	–	–	6	–	–	–	1	–
94. पदरोडा	–	30	–	–	–	16	340	–	1	–	–	5	9	–	–	1	1	–
95. उचपदरा	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	1	–
96. मेडवा	–	3	–	–	–	3	0.60	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–
97. भाखरी	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	1	–
98. सत्याया	–	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	1
99. हरियार	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100. घंटियाली	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
101. टावरीवाला	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–
102. खारा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103. भारमसर	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104. पन्ना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104. बीकासर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105. खारीया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106. राजमथाई	17	50	–	–	–	–	–	–	1	–	–	11	30	–	–	2	2	–
107. भवाय	–	11	–	7	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
108. भदडिया	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109. पोंचे का तला	–	4	–	22	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–
110. सांकडिया	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111. बैसोंवाला	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112. बान्धेवा	21	30	–	2	–	–	–	–	1	–	–	5	–	–	–	3	3	–
113. केसूले का पाना	4	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
योग:–	653	1419	1	322	34	118	28.95	2	71	92	5	141	376	491	13	22 24	24	5
जिले का योग:–	2337	3971	1	4104	47	143	1358	.44	2	171	92	.5	334	423	757	13 23	24	5

नोट:– जिले के कुल 515 ग्रामों में 109 ग्राम गैर आबाद है शेष 406 आबाद के ग्रामों में से 28 ग्रामों में कोई मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है 328 ग्रामों में हुये कार्य का तहसील व ग्राम वार विवरण अंकित है।

जिलाधीश, जैसलमेर

अनुसूची संख्या 2.

राजस्व अभियान के अन्तर्गत मामलों का ग्रामवार विवरण जिला जैसलमेर

गोचर भूमि :–

क.सं.	नाम ग्राम	मामले	क.सं.	नाम ग्राम	मामले
1.	लाठी	1	2.	धोलिया	1
3.	लोहारकी	1	4.	वरडाना	1
5.	चान्दसर	1	6.	छायण-1	1
7.	सादा	1	8.	उजला	1
9.	केलावा	1	10.	खेतोलाई	1
11.	राजगढ	1	12.	खेलाना	1
13.	धोला	1	14.	चौक	1
15.	डावला	1	16.	भू	1
17.	रुपसी	1	18.	मोकला	2
19.	वडोडा गांव	1	20.	चान्धन	1
21.	सोभ	1	22.	नरसिंगों की ढाणी	1
		11			12

विद्यालयों के लिये भूमि आवंटन:–

क.सं.	नाम ग्राम	मामले	क.सं.	नाम ग्राम	मामले
1.	नेडान	1	2.	मदासर	1
3.	लखासर	1	4.	रामदेवरा	1
5.	बीरमदेवरा	1	6.	ढालेरी	1
7.	राजगढ	1	8.	खेलाना	1
9.	ओला	1	10.	बोनाडा	1
11.	रामपुरिया	1	12.	भैसडा	1
13.	संग्रामसिंह की ढाणी	1	14.	वैतोना	1
15.	लूणा कल्ला	1	16.	लूणा खुर्द	1
17.	दूधिया	1	18.	झालोडा पोकरण	2
19.	खेतोलाई	1	20.	ओढाणिया	1
21.	चानणी	1	22.	चाचा	1
23.	राजमथाई	4	24.	लोहारकी	1
25.	वरडोना	1	26.	आसकन्द्रा	1
27.	अजासर	1	28.	दिध	1
29.	छायण-I	1	30.	राठोडा	1
31.	सादा	1	32.	भीखोडाई	1
33.	दांतल	1	34.	लाठी	1
35.	उजला	1	36.	लंवा	1
		21			19

जिलाधीश जैसलमेर

394

परिशिष्ट 20

परिशिष्ट "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 713 की सूची

क.स. 1	पट्टेधारी का नाम 2	खनिज एवं क्षेत्र का विवरण 3	निदेशालय के प्रस्ताव 4	शासन पत्रावली संख्या 5	विशेष विवरण 6
1.	ओम प्रकाश माली	क्वार्टज, फैल्सपार निकट ग्राम कालाकोट रायपुर पाली 49.50 हैक्टर्स	दिनांक 10-12-82 को स्वीकृति विलोपित हेतु शासन को भेजा	प. 4 (67) खान/ ग्रुप-1/82 दि० 7-6-82	आदेश अपेक्षित है।
2.	,,	क्वार्टज, फैल्सपार नि. ग्राम रायराकला रायपुर पाली 35.21 हैक्टर्स	दि० 28-12-82 को स्वीकृति विलोपित करने हेतु शासन को भेजा गया परन्तु शासन ने पार्टी के निवेदन पर अवधि बढ़ा कर संविदा निष्पादन हेतु आदेश दिये हैं।	प. 4 (72) खान/ ग्रुप-1/82 दि. 5-6-82	
3.	,,	क्वार्टज, फैल्सपार निकट ग्राम चोंवडिया पाली 118.00 हैक्टर्स	दि. 15-12-82 को स्वीकृति विलोपित हेतु शासन को भेजा गया।	प. 5 (54) खान/ ग्रुप-1/82 दि. 26-5-82	आदेश अपेक्षित है।
4.	बालमुकन्द सोनी	क्वार्टज फैल्सपार एसबसट्स सोपस्टोन निकट ग्राम तिलोलिका पाली 107.25	शासन आदेश दि. 3-2-83 से स्वीकृति विलोपित की गई।	प. 4 (72) खान/ ग्रप-1/82	क्षेत्र रिक्त करने की कार्यवाही शीघ्र की

5.	बालमुकन्द सोनी	क्वार्टज फैल्सपार नि. ग्राम गिरी पाली 246 हैक्टर्स	शासन आदेश दिनांक 21-1-83 से स्वीकृति विलोपित की गई।	प.4(55) खान/ ग्रुप-1/82 दि. 26-5-82	रिक्त करने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।
6.	ओम प्रकाश माली	क्वार्टज, फैल्सपार नि. ग्राम लाडपुरा पाली 77 हैक्टर्स	दि. 17-12-82 को स्वीकृति विलोपित हेतु शासन को भेजा गया।	प.4 (19) खान/ ग्रुप-1/82 दि. 12-4-82	आदेश अपेक्षित है।
7.	"	क्वार्टज, फैल्सपार नि. ग्राम रायराकला पाली 589.50 हैक्टर्स	दि. 24-12-82 को स्वीकृति विलोपित हेतु शासन को भेजा गया।	प. 4 (26) खान/ ग्रुप-1/82 दि. 13-4-82	"
8.	चम्पालाल माली	क्वार्टज, फैल्सपार निकट ग्राम खिवल पाली 72.24 हैक्टर्स	शासन आदेश दि. 21-1-83 से स्वीकृति विलोपित की गई।	प.4 (57) खान/ ग्रुप-1/82 दि. 30-6-82	क्षेत्र रिक्त कराने की कार्यवाही शीघ्र कराई जा रही है।
9.	श्रीमती भंवरी देवी	क्वार्टज, फैल्सपार नि. ग्राम बडागुडा पाली 129.50 हैक्टर्स	दि. 29-10-82 को स्वीकृति विलोपित हेतु शासन को भेजा गया। परन्तु पार्टी के निवेदन पर शासन ने निदेशालय की टिप्पणी चाही अतः निदेशालय द्वारा पुनः दि. 22-1-83 को स्वीकृति विलोपित हेतु भेजा गया।	प.4 (34) खान/ ग्रुप-1/81 दि. 16-2-82	आदेश अपेक्षित है।

परिशिष्ट 21

सूची "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 718 की सूची व ब्यौरा।

लघु खण्ड में सम्मिलित पंचायत समिति के ग्रामों की सूची:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	रघुनाथपुरा	12.	कोयल बाव
2.	कोठार	13.	फाकराडी
3.	बैलार	14.	अरडआ
4.	खुन्दाड़ा	15.	कोलवाड़ा
5.	चावन्देरी	16	कूरण
6.	हिरोला	17.	खेतरली
7.	मालनू	18.	कोरबा
8.	नाना	19.	दानवरली
9.	कागउड़ा	20.	गोरिया
10.	नंडीवेरी	21.	सांभरवाड़ा
11.	भीमाणा		

" सूची "ख"

स्कीम का नाम	वर्ष वार राशि का आवंटन (लाख रुपये में)					
	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	कुल योग
1. शिक्षा प्रोत्साहन	0.12	0.20	0.27	0.25	0.50	1.34
2. प्राथमिक शाला भवन	-	0.50	0.50	1.00	0.50	2.50
3. पेयजल	-	1.69	0.79	3.13	0.91	6.52
4. व्यक्तिगत लाभ योजना	-	0.92	0.54	1.00	0.25	2.71
5. आश्रम स्कूल	-	-	1.65	4.31	-	5.60
6. एनीकट	1.13	0.54	-	0.68	1.61	3.96
7. चिकित्सा	-	-	-	0.26	0.46	0.72
8. वृक्षों की खेती	-	-	-	0.25	0.50	0.75
9. कार्यालय व्यय	-	-	0.06	-	0.04	0.10
योग:-	1.25	3.85	3.01	10.88	4.77	24.56